# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2 ] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तेतीसवां दिवस [ संख्या : 20

## शुक्रवार,
## 23 अप्रेल, 1999

### राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

**(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

### प्रश्न संख्या-546

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहन लालजी बारूपाल। (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)।

श्री खेमराज कटारा।

### उदयपुर संभाग में आदिवासियों के मार्बल पट्टे

547. **श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर संभाग में कितने आदिवासी मार्बल पट्टाधारी हैं ?

(2) क्या जिनके नाम पट्टे हैं वे सभी पट्टेधारी काम कर रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सामान्य वर्ग के मार्बल व्यवसायी आदिवासियों के नाम से आबंटित खानों पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार ऐसे व्यवसायियों को कब तक बेदखल करने का विचार रखती है ?

**राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा)** : (1) उदयपुर संभाग में मार्बल के 49 खनन पट्टों के आदिवासी पट्टाधारी हैं।

(2) प्रश्न के भाग एक के उत्तर में उल्लेखित खनन पट्टों में से 47 खनन पट्टों में आदिवासी-पट्टाधारी ही खनन कार्य कर रहे हैं।

(3) प्रश्न के भाग के उत्तर में उल्लेखित खनन पट्टों में से दो खनन पट्टों के आदिवासी पट्टाधारियों द्वारा पावर आफ एटोर्नी दिये जाने के कारण उनके खनन पट्टों में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। इन दो खनन पट्टों में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे खनन कार्य के संबंध में आदिवासी पट्टाधारियों द्वारा दी गई पावर आफ एटोर्नी का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के उपरान्त यदि कानून की अवहेलना

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

पाई गई तो बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

**श्री खेमराज कटारा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जो आदिवासियों के नाम से पट्टे हैं, क्या जो बिकाऊ की रसीदें कटती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो कनेक्शन हैं और उनके नाम से इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, वो सारे उन आदिवासियों के नाम से हैं ? मेरा दूसरा सवाल है कि अगर बेनामी काम कर रहे हैं गैर आदिवासी, आदिवासियों के पट्टे पर, तो कब तक सरकार उनको बेदखल कर देगी ? तीसरा मेरा सवाल है कि आदिवासी स्वयं अगर काम करना चाहते हैं तो माइनिंग करने के लिए सरकार ऋण और इक्विपमेंट के मामले में उनको सुविधा देने की मंशा रखती है क्या ?

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व प्रश्न में यह कहा है कि 49 माइनिंग लीज विभिन्न एम.ई. के अंतर्गत आबंटित हुई हैं। दो एग्रीमेंट हुए हैं जिनमें, दो एग्रीमेंट कालूलाल के नाम से, एग्रीमेंट के बाद में एस.पी. खेतान के नाम से पावर आफ एटोर्नी दे दी और मेरे ध्यान में आया कि पावर आफ एटोर्नी जो दी गई है, वह एक साल पहले दे दी गई और ग्रांट एक साल बाद में हुई है। इसी तरीके से दूसरी, अमर सिंह मीणा है उसने अपने प्लाट नं. 15 की पावर आफ एटार्नी जो कि खातेदारी लैण्ड है, ग्रांट होने से आठ माह पहले ही पावर आफ एटोर्नी दे दी। कानून के मुताबिक एम.एम.सी.आर.,1986 के नियम 15(2) में एम.एल. ट्रान्सफर किस प्रकार से किये जाये, उसका जिक्र है। इसमें साफ है कि चेजा पत्थर, कंकर, झांझरा, इसके अलावा दूसरे जो एसोसिएटेड मिनरल, सैंड स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल हैं, उनके ट्रान्सफर में कोई पाबंदी नहीं है सिर्फ पाबंदी है तो कंकर, झांझरा, चेजा पत्थर इसकी खाने एस.सी. का एस.टी. को ही ट्रान्सफर कर सकते हैं। क्वारी लाइसेंस में 31(1) में साफ है कि उसके अंतर्गत क्वारी लाइसेंस किसी भी एस.सी.का एस.सी. को दिया जाता है और एस.टी. का एस.टी. को दिया जाता है। यह तो प्रोविजन है। एम.एल.लीज पर कोई प्रोविजन नहीं है कि कास्ट का आदमी दे सकता है या नहीं दे सकता है किसी को भी दे सकता है। इसमें जो कमी है, मेरे ध्यान में आया है कि सबसे बड़ी कमी यह है कि जो इससे मेलाफाइड इन्टेंशन जाहिर होता है। एक कालूलाल है, उसकी जो जमीन है वो फोरेस्ट की थी और उस पर एक साल पहले पावर आफ एटोर्नी क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई जबकि इसकी ग्रांट कालू को एक साल बाद में हुई है, यह भी एक जांच का विषय है। दूसरा अमर सिंहजी ने, जो खातेदार है और आठ महीने पहले ही पावर आफ एटोर्नी एक मिलाप चंद यादव को दे दी उसको भी, इन दोनों का मेलाफाइड इन्टेंशन है। मेरे जवाब में

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

बहुत साफ कहा है कि मैं इसका परीक्षण करवा रहा हूं, जांच करवा रहा हूं, यदि इसमें कमी पाई गई तो यह लीजेज खारिज भी हो सकती हैं लेकिन पूरे मामले की जांच के बाद ही मैं कह सकता हूं, इसमें क्या कदम मैं उठा सकता हूं। दूसरी बात यह है कि आदिवासी कोई काम करना चाहे तो उनको सुविधाएं मिलेगी कि नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कास्ट का आदमी एस.टी. का. आदमी भी काम करना चाहे तो हम उनको लोन मुहैया करवाएंगे, औजार मुहैया करवाएंगे, दूसरी सुविधाएं कराएंगे। अपने स्तर पर बहुत सी विभिन्न संस्थाएं हैं उनसे लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते है। वो अपना काम करे, कौन मना करता है।

**श्री खेमराज कटारा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि जिन आदिवासी जो पट्टाधारी है उनके नाम से बिकाऊ की जो रसीद कटती है और एक्सपोर्ट के जो लाइसेंस है क्या वो उन्हीं के नाम से हैं, बिजली के कनेक्शन है वो भी उन्हीं के नाम से है क्या ? यह मेरा मोटा सवाल है, बेनामी जो लेनदेन हो रहा है, बेनामी जो व्यापार हो रहा है, उस मामले में मंत्रीजी क्या जवाब देंगे ?

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया यह मामला बड़ा संदिग्ध है। पहले ही निवेदन किया है कि एक साल पहले पावर आफ एटोर्नी लिखा जाना, पावर आफ एटोर्नी लिखने के समय यह उसे कैसे आभास हुआ कि यह काम हो जाएगा, ग्रांट एम.ई. आफिस में पैंडिंग है। एक साल पहले जिसने पावर आफ एटोर्नी दी है जिसने ली है, उनको कैसे आभास हो गया, यह काम हो जाएगा ? दोनों मसले एक तरह के हैं तो मैंने पहले ही कह दिया।

**श्री अध्यक्ष** : पावर आफ एटोर्नी केवल दो पट्टाधारियों ने दी है ना ?

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : जी हां।

**श्री खेमराज कटारा** : 50 आदिवासियों के नाम पट्टे हैं और केवल दो को पावर आफ एटोर्नी है अध्यक्ष महोदय, बाकी का क्या है ?

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : बाकी सब अपने यहां काम कर रहे हैं, मेरे पास इतनी जानकारी है।

**श्री खेमराज कटारा** : आदिवासी काम कर रहे हैं बिकाऊ की रसीद भी उनके नाम से होनी चाहिए, बिजली के कनेक्शन भी, उनके नाम से एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका लाइसेंस भी उनके नाम से होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय।

**श्री दुर्गाप्रसाद** (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या पावर आफ एटोर्नी के बाद में माइनिंग लीजेज पर कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है ?

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : इसमें मैंने प्रोविजन पहले ही बता दिया है माइंस लीज पर कहीं भी कोई अड़चन नहीं है जो माइंस लीज होल्डर है वो पावर आफ एटोर्नी द्वारा काम करवा सकता है।

**श्री दुर्गाप्रसाद** : मतलब कानून में यह स्पष्ट प्रावधान है कि माइंस लीज होल्डर ही माइन लीज को चला सकता है, वो सबलेट नहीं कर सकता, वो किसी अन्य को काम करने के लिए नहीं दे सकता। अगर वह देता है तो उसकी भी लीज खण्डित हो जाएगी। इतना होने के बाद भी करौली क्षेत्र में भी माइंस लीज लोगबाग ले लेते हैं सेन्ड स्टोन की और उसको सबलेट कर देते हैं। दस लाख की लीज दी जाती है और उसको एक लाख में, दो लाख में सबलेट करके 20–20 लाख रुपया उसका उठा लेते हैं जो कुछ यह हो रहा है। यह कानून के अनुसार हो रहा है या कानून के विरुद्ध हो रहा है।

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : बहुत से काम ऐसे हैं जो बेनामी काम होते हैं और उसकी जांच भी होती है। मैंने सबलेट की बात नहीं की है, मैंने काम करने की बात की है। कोई भी लेसी जो है अपने माइंस पर काम कर सकता है, उसकी सहमति से अगर कोई काम करवाना चाहे तो उसमें कहां अड़चन है।

**श्री दुर्गाप्रसाद** : उसमें प्रोविजन है कि माइंस होल्डर ही काम कर सकता है अगर लेसी नहीं है तो काम नहीं करेगा।

**श्री शंकर लाल अहारी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के तीसरे भाग में यह लिखा है कि क्या सामान्य वर्ग ने आदिवासी खनन पर कब्जा कर रखा है। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि अगर कब्जा कर रखा है तो आप कब तक हटाएंगे, यदि नहीं हटाएंगे तो क्यों नहीं हटाएंगे। प्रश्न यह है दूसरी बात यह है माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि क्या आदिवासी के नाम से जो पट्टे हैं, आदिवासी उस पर काम करना चाहता है परन्तु आर्थिक दृष्टि से वह पुअर है, आप क्या ऋण की व्यवस्था करेंगे ?

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : मैंने पहले ही कह दिया ना।

**श्री अध्यक्ष** : यह उसका तो उत्तर दे चुके, मगर आपका नहीं दिया है।

**श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि 49 पट्टेधारी जो आदिवासी उदयपुर सम्भाग में हैं उनमें से 2–3 इस तरह के ट्रेसपासर के मामले हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 49 में से तीन ऐसे हैं तो क्या ऐसी स्थिति पूरे उदयपुर सम्भाग में तो नहीं है कि जो आदिवासी अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उन व्यक्तियों से मजबूरन इस तरह की साझेदारी का, हिस्सेदारी का

(श्री नन्दलाल मीणा)

लिखवा लिया हो और वह काम कर रहे हैं। क्या आप इस तरह से जो वाद, इस तरह के जो मसले हैं सारे उदयपुर सम्भाग के लिए, आप अपने माइंस डिपार्टमेंट के स्तर पर सर्वे कराकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं कि आदिवासी पट्टेधारियों पर नोन आदिवासियों का कब्जा है ?

**श्री अध्यक्ष** : क्वेश्चन पूछिये। शार्ट में क्वेश्चन पूछिये।

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मजबूरी का तो मेरे पास कोई थर्मामीटर, बैरोमीटर तो है नहीं कि मजबूर कौन है। अब वह अपनी इच्छा से है। कोई शिकायत करे तो हम कार्यवाही करें। कोई लेसी आकर कहे तो सही कि हमारे साथ हो यह रहा है। मैंने पहले कह दिया कि 49 में से दो है।

**श्री नन्दलाल मीणा** : क्या आदिवासी क्षेत्र से इस तरह की शिकायत...

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : आयेगी तो हम कार्यवाही करेंगे।

**श्री नन्दलाल मीणा** : भविष्य में नहीं मिले, नहीं आये इसके लिए विभाग आगे चलकर कोई पहल करना चाहता है या नहीं ?

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : अब बेनामी काम तो राजस्थान में, हिन्दुस्तान में बहुत से हो रहे हैं...(व्यवधान) अभी नहीं, पहले से ही हो रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** : ...तीन मसले आपके सामने आये हैं...(व्यवधान)

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : आप भी आदिवासी क्षेत्र के मंत्री थे, आपने क्यों इस बात पर नहीं किया। कभी कार्यवाही की आपने ? (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** : हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या मतलब हुआ ? यह कोई जवाब होता है क्या अध्यक्ष महोदय ?

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : आपके समय में आपने जो इल्लिगल माइनिंग आठ साल में पैदा की है राजस्थान में। मैं दो बार माइनिंग मिनिस्टर रहा हूं और इसमें इल्लिगल माइनिंग के जो बीज आपने बोये हैं वह आज निकालने मुश्किल हो रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : मंत्री महोदय, आप विधान सभा में उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान) आठ साल में क्या किया, क्या नहीं किया, यह सवाल नहीं है। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : आज जगह–जगह इल्लिगल माइनिंग हो रही है और उसको रोकने के लिए मुझे कदम उठाने पड़ेंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज।

**श्री नन्दलाल मीणा** : आदिवासी के लिए...(व्यवधान) कोई आदिवासी अपनी भूमि कां...(व्यवधान)

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : यह तो इल्लिगल माइनिंग का बीजारोपण आपके समय में आठ साल में हुआ है...(व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** : ...फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर...(व्यवधान) और आदिवासियों के लिए...(व्यवधान)

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : और वे निकालने में मुझे दिक्कत आ रही है। यही दिक्कत ...(व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** : ...कल भी एक सवाल था जब आदिवासी...(व्यवधान)

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : ...बिजौलिया क्षेत्र में मेरे पास ऐसे--ऐसे उदाहरण हैं, आउट आफ रूल जाकर काम किये गये हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माइनिंग डिपार्टमेंट दो बार सम्भाला है और इल्लिगल माइनिंग का मामला इतना नहीं था...(व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** : मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि जब आदिवासी में...

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये।

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : जो इन आठ साल से ये माफिया ग्रुप पैदा हुए हैं उन माफिया ग्रुप को खतम करने के लिये मुझे काफी समय चाहिए।

**श्री खेमराज कटारा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल और है कि ऐसे लोगों को कब तक सरकार बेदखल कर देगी ? आज आदिवासी झोपड़ी में रहता है उसके ऊपर इन्कम टैक्स...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। प्लीज, आपस में बात नहीं करें।

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : आप मेरे से अलग चर्चा कर लें। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री ने गलत बयान दिया है। (व्यवधान) दूसरे मंत्री खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। यह भी माइंस मिनिस्टर हैं क्या ? बेनामी पट्टे राजस्थान में, हिन्दुस्तान में, गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं...(व्यवधान) धारीवालजी की भी माइंस है...(व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** : ...49 में से तीन मसले ऐसे आये हैं। (व्यवधान) जहां पर गैर आदिवासी काम कर रहे हैं। क्या राज्य सरकार इस तरह के उदाहरण सम्मुख आने के पश्चात आदिवासी क्षेत्र में इस प्रकार का कोई छानबीन करके, सर्वे करके...

**श्री अध्यक्ष** : आपने यह प्रश्न पूछ लिया है। इनके पास दो मामले ऐसे आये हैं जहां पावर आफ अटार्नी है।

**श्री नन्दलाल मीणा** : ...तो क्या सारे क्षेत्र में सर्वे कराकर के आदिवासी पट्टे धारियों का...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : सारे क्षेत्र में सर्वे का अलग से प्रश्न है। एंटायर एम्बिट में नहीं आता है। श्री हरजीराम बुरड़क।

**श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा प्रश्न...

**श्री नन्दलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय,

(श्री नन्दलाल मीणा)

कल भी इसी तरह का सवाल था, वह बाई पास हुआ और आज भी इसी तरह का सवाल है, बहुत गम्भीर मसला है यह।

**श्री अध्यक्ष** : बाई पास कोई नहीं कर रहा है।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा प्रश्न यह है कि जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया कि ट्रांसफर पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो जो लोग उनकी खानों पर खनन कर रहे हैं उन्होंने ट्रांसफर क्यों नहीं कराया और सरकार ने क्यों नहीं किया ? आज भी चला दूसरे रहे हैं और बिल दूसरे के नाम बन रहा है। बिजली के कनेक्शन दूसरे के नाम है। अगर प्रतिबन्ध नहीं है तो आप हटाइये, उसके नाम करिये। उसमें कहां दिक्कत आ रही है आपको ?

**श्री खेमराज कटारा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, झोपड़ी में रहने वाला आदिवासी है उसकी माली हालत ठीक नहीं है लेकिन वह इन्कमटैक्स पेयी हो गया है। उसके नाम से कर्जा चढ़ गया है और जो बेनामी खदान हो रहा है, यह सब कामकाज करके हट जाएंगे और उसके पास जो कुछ भी है, वह बिक जाएगा, वह टैक्स भी नहीं भर पायेगा। इसलिए सरकार ऐसे लोगों को कब तक बेदखल कर देगी। मेरा सवाल यह है। समय बतायें।

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया है उसको मैं पूरा सीरियस तौर पर एग्जामिन कर लूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री भीमसेन चौधरी।

## राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खाजूवाला में रिक्त पद

548. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खाजूवाला में प्राचार्य, व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापकों के आठ पद कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के छात्रों ने पोस्टकार्ड अभियान चलाकर शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी सरकार ने विद्यालय को दो पारी में चलाने एवं आवश्यक स्टाफ नियुक्ति हेतु कोई कदम नहीं उठाये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

**शिक्षा मंत्री** (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) जी नहीं। वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खाजूवाला में प्रधानाचार्य, व्याख्याताओं व वरिष्ठ अध्यापकों के सात पद रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

| पदनाम | रिक्त पदों की संख्या | कब से रिक्त है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| प्रधानाचार्य | 01 | 11/98 से |

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| व्याख्याता | 02 | 7/97 से |
| | 02 | 4/98 से |
| | 01 | 2/99 से |
| वरिष्ठ अध्यापक | 01 | 4/99 से |

(2) जी नहीं। छात्रों द्वारा विद्यालय को दो पारी में चलाये जाने का कोई अभियान नहीं चलाया गया अपितु रिक्त पदों को भरने हेतु पोस्टकार्ड लिखे गये। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**श्री भीमसेन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस शाला में लगातार कई वर्षो से आपका प्रधानाध्यापक वहां नहीं है। आपने इसमें बताया है कि नियुक्ति 11/98 से नहीं है लेकिन वहां प्रधानाध्यापक कभी रहे ही नहीं हैं। आपने नियुक्ति की होगी कागजों में, उन्होंने तनख्वाह भी उठायी होगी लेकिन वहां पर कोई प्रधानाचार्य नहीं पहुंचा। इस कारण से आप यह बतायें कि वहां का परीक्षाफल क्या रहा ? आप यह बताइये कि वहां का परीक्षा फल क्या रहा है प्रधानाचार्य के अभाव में ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : प्रधानाचार्य के ऊपर परीक्षाफल का कोई परिणाम सम्भव नहीं होता। यह परीक्षा परिणाम क्लास टीचर, सब्जैक्ट के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपके यहां जितने पद वरिष्ठ अध्यापकों के स्वीकृत हैं, उनमें से केवल मात्र एक पद रिक्त है और जो सब्जैक्ट टीचर हैं वे प्रायः प्रायः सब वहां पर हैं। जहां तक प्रधानाचार्य का प्रश्न है, इनकी डी.पी.सी. वगैरह नहीं हुई है, कल ही विभाग की डी.पी.सी. हुई है उसमें मैंने निर्देश दे दिया है कि इस शाला में प्रधानाचार्य की नियुक्ति अविलम्ब कर दी जाए।

**श्री भीमसेन** : आपने आदेश दे दिये हैं, आप अध्यापक भी वहां पर नियुक्त कर देते हैं लेकिन वह पहुंचते नहीं है। इसकी व्यवस्था आप क्या करेंगे। यह बताइये मुझे तो। वहां काम नहीं करते।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना बिलकुल सही है। जब से मैंने चार्ज लिया है, मेरे पास विद्यार्थियों के पोस्टकार्ड आये। मैंने 27.3.99 को दो व्याख्याताओं की नियुक्ति की लेकिन उन्होंने अभी तक जोइन नहीं किया। इसमें यह बात है कि सीमावर्ती इलाका है, बहुत से व्याख्याता इस दूरस्थ इलाके में जाते नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य से बात करके जो लोग जाने में इंट्रेस्टेड होंगे उनसे बातचीत कर उनकी नियुक्ति कर दूंगा और साथ–साथ जब तक वहां पर और कोई व्यवस्था नहीं होगी, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी आपके सुझाव लेकर कार्यवाही करूंगा।

**श्री भीमसेन** : वहां उस एरिया में ऐसे अध्यापक उपलब्ध हैं जो दूरस्थ इलाके में है और जो थर्ड ग्रेड टीचर हैं, वह आपके

(श्री भीमसेन)

यहां पर जब तक व्याख्याता नहीं आते हैं उनके लिए आप वैकल्पिक व्यवस्था तो करवा सकते हैं।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : वैकल्पिक व्यवस्था का मैंने आश्वासन दे दिया है कि जो कुछ रिटायर्ड व्याख्याता हैं उनको 125 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रखने की व्यवस्था विभाग में है। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि वाणिज्य विषय में एक जो पद रिक्त है उसमें 12वीं में मात्र पांच छात्र हैं।

**श्री अमराराम (धोद)** : कल्लाजी, जब टीचर नहीं होगा तो यह पांच भी नहीं रहेंगे। जब हैडमास्टर जा नहीं रहा और आप लगाओ तो आर्डर नहीं माने और आप कहें कि व्यवस्था और करेंगे, आप बता दो। आप मंत्री फिर किस बात के लिए हैं ? जो आर्डर आप करते हो और लोग नहीं जाते तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिये। फिर तो कोई जाएगा ही नहीं, हालत यह है कि जब टीचर ही नहीं रहेगा तो यह पांच भी आने वाले समय में नहीं रहेंगे।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : आप विराजिये। अध्यक्ष महोदय, जिन व्यक्तियों को पदस्थापित किया जाता है उनको जोइनिंग पीरियड वगैरह देना पड़ता है। अब जोइनिंग पीरियड समाप्त होने के बाद जो व्याख्याता नहीं गये हैं उनकी जगह दूसरे व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए मैंने कहा है कि माननीय सदस्य से वार्ता करके कर दूंगा।

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पैदा हुआ है...

**श्री भीमसेन** : अध्यक्ष महोदय, वहां पर छात्रों की मांग थी कि यह संस्था दो पारी में चलायी जाए तो दो पारी में आप क्यों नहीं चला रहे हैं ? इस संस्था को दो पारी में चलाने की छात्रों की मांग थी तो दो पारी में क्यों नहीं चलाते आप ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, इस खाजूवाला सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में छठी क्लास में 51 विद्यार्थी हैं, दो सेक्शन वहां चल रहे हैं। सातवीं में 52 विद्यार्थी हैं, दो सेक्शन चल रहे हैं, आठवीं में 62 हैं, इनकी क्लास दो चल रही है और नाइंथ में 171 विद्यार्थी है, इनके तीन सेक्शन खोले हुए हैं। 10वीं में 91 विद्यार्थी हैं, दो सेक्शन खोले हुए हैं। 11वीं में 100 विद्यार्थी, दो सेक्शन खोले हुए हैं और 12वीं में 59 विद्यार्थी हैं, दो सेक्शन वहां खोले हुए है। कुल कक्षाएं 15 हैं यहां पर और इसमें कमरे 21 हैं। जहां कमरों की कमी होती है वहां दो पारियों में स्कूल चलाया जाता है। जहां पहले से, आलरेडी 21 कमरे हैं, मैं समझता हूं वहां दो पारियों की कोई आवश्यकता नहीं है।

**श्री भीमसेन** : अध्यक्ष महोदय, वहां पर पहली से लेकर 12 तक क्लास चल रही हैं। वहां प्राइमरी स्कूल अलग नहीं है, उसी

(श्री भीमसेन)

संस्था में चल रही है, उनके लिए अलग से कोई मकान की व्यवस्था नहीं होने से यहां चल रही है। इसलिए उनकी मांग है कि ये दो पारियों में, छठी से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं, इनको आप दो पारियों में चलाये तो वहां की समस्या का संमाधान, मैं समझता हूं, हो सकता है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : इसके संबंध में गुणावगुण के आधार पर विचार करके कार्यवाही करूंगा।

**श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यहा जवाब दिया है कि...

**श्री अध्यक्ष** : बीकानेर जिले का मामला है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : इनका कर दूंगा।

**श्री रामचन्द्र सराधना** : ...प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक के नहीं होते हुए उस विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रभावित नहीं होता है, यह बात सही नहीं है। यदि सही है कि प्रिंसिपल के बिना परीक्षा परिणाम प्रभावित नहीं होता है तो प्रिंसिपल को रिजल्ट खराब होने पर क्यों प्रताड़ना दी जाती है ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : आठवीं तक जो परीक्षा परिणाम होता है, उसके लिए स्वयं प्रधानाध्यापक भी वहां खुद विषय को पढ़ाता है, प्रिंसिपल का ओवर–आल कार्य सुपरवीजन का होता है इसलिए आठवीं तक की शिक्षा के बारे में जो स्वयं क्लासेज लेता है ज्यादातर, उसके बारे में उसकी जिम्मेदारी तय की जाती है, वैसे ओवर–आल एक हैड के नाते सीधी जिम्मेदारी मैंने जो बताई है, वह सब्जैक्ट टीचर की होती है।

**श्री भीमसेन** : अध्यक्ष महोदय, केयर कौन करता है संस्था की ? वह अध्यापक न पढ़ाता है, न उनकी देखरेख होती है तो परीक्षा फल तो ऐसे ही खराब रहेगा आपका।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : शिक्षा मंत्रीजी, जैसा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि स्कूल को दो शिफ्टो में चलाया जाये तो छात्रों और अभिभावकों के आपके पास में कोई प्रार्थना–पत्र आये हैं दो शिफ्टों में चलाने के लिए ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : ऐसा है, विद्यार्थियों के पोस्टकार्ड हमारे पास आये हैं। चूंकि यह मिड–सेशन है और यह सेशन समाप्ति की ओर है, मैंने कहा कि नये सेशन में इसके ऊपर मैं विचार कर लूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट क्वेश्चन।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामलानी) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में हिस्ट्री के व्याख्याता के 11 पद रिक्त हैं। दो के बाड़मेर जिले में अभी प्रमोशन हुए, उन दोनों को सीकर लगा दिया। पोस्टें 11 हैं, वर्षो से खाली पड़ी हैं तो बाड़मेर जिले के व्याख्याताओं को आप कम से कम बाड़मेर

(श्री हेमाराम चौधरी)

जिले में लगाते तो वे जोइन करते, नहीं तो प्रमोशन फोर–गो कर देंगे, वहां सीकर जायेंगे नहीं और हमारे वहां हमेशा जगह खाली रहेंगी। तो क्या आप यह विचार नहीं करते कि जो जहां का रहने वाला है, वहां लगाओ तो कम से कम जाकर वह जोइन तो करें और बाड़मेर जिले में तो प्रिंसिपल नहीं, हैडमास्टर नहीं, व्याख्याता नहीं, सब मामला ठप्प है और एक–दो प्रमोशन कोई हुआ तो उनको भी सीकर ठोक दिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

**श्री अशोक** (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे भी विधान सभा क्षेत्र खण्डार में सीनियर हायर सैकण्डरी बालिका माध्यमिक विद्यालय को भारतीय जनता पार्टी के राज में क्रमोन्नत किया था परन्तु उन्होंने क्रमोन्नत करने की मात्र इतिश्री कर ली। वहां पर अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त हैं। क्या मंत्री महोदय वहां पर अध्यापकों के पद को भरने की कार्यवाही करेंगे क्योंकि क्रमोन्नत करके ये तो छोड़ चुके हैं, वहां पर छह पद रिक्त हैं बालिका माध्यमिक विद्यालय खण्डार में, परन्तु आज भी वहां पर बालिकाएं बिना अध्यापकों के अध्ययन कर रही हैं। वैकल्पिक व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर ने कर रखी है परन्तु क्या यह मंशा रखते हैं कि वहां पर नियमित पदस्थापन किया जाये ?

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये–बैठिये आप। प्रश्न बीकानेर जिले के सीनियर सैकण्डरी स्कूल खाजूवाला का है और आप क्वेश्चन एन्टायर पूछ रहे हैं इसलिए माननीय सदस्यों की चिंता को तो मैं एप्रिशिएट करता हूं। इसलिए जहां–जहां भी उनके प्रिंसिपल नहीं है या व्याख्याता नहीं है, यह आप देखिये कि जल्दी से जल्दी वह लगे वहां पर।

**श्री हेमाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, डाइरेक्टर जानबूझकर ऐसा काम करते हैं जिससे कि कमी कभी दूर नहीं हो और वह बढ़ती जाती है। बाड़मेर जिले वाले का प्रमोशन हुआ, उसको सीकर में पोस्टिंग दी, वहां पद दुनिया भर के खाली पड़े हैं, आप वहां दे नहीं सकते क्या, यह भी नहीं कर सकते क्या ?'

**श्री अध्यक्ष** : दुनिया भर के कितने पद खाली हैं वह तो जितने होंगे, उतने ही होंगे।

**श्री अमराराम** (धोद) : अध्यक्ष महोदय, 3800 पद खाली हैं पूरे राजस्थान में 4000 से अधिक स्कूलों के अन्दर।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में 1600 से अधिक पद राजस्थान में व्याख्याताओं के भरे हैं और इमरजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए आर.पी.एस.सी. को लिख दिया है।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : उनको एक बार, सबकी मोनिटरिंग करके सारे पद

(श्री हीरासिंह चौहान)

भरे जाये ऐसा नहीं तो कम से कम व्याख्याता के पद को तो आप भर दीजिये...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : जो अध्यापक लगाये जाते हैं, उन्होंने जोइन नहीं किया है तो उनको क्यों नहीं वहां लगाया जाये ?

**श्री अमराराम** (धोद) : माननीय मंत्रीजी, 3800 पद रिक्त हैं। मैं तो माननीय मंत्रीजी से यही पूछना चाहूंगा कि सीनियर सैकण्डरी स्कूल जो खाजूवाला का है, उसमें प्राइमरी सेक्शन को अलग क्यों नहीं किया। टेंथ होते ही अलग हो जाता है, नाइंथ और टेंथ क्लास होते ही अलग हो जाता है। तो खाजूवाला का सीनियर सैकण्डरी स्कूल होने के बाद में प्राइमरी स्कूल को पहले अलग नहीं किया है तो क्या जुलाई में प्राइमरी सेक्शन अलग करके, जिससे मकान की समस्या समाप्त हो जायेगी और प्राइमरी एजुकेशन के छात्रों की पढ़ने की व्यवस्था होगी, क्या यह व्यवस्था आप जुलाई में करेंगे ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : मैंने कहा ना, इन दोनों की व्यवस्था मैं कर दूंगा। यदि वहां पर कमरों की कमी होगी तो दो पारी में कर दूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री वृद्धिचन्द जैन। (व्यवधान) नहीं, नहीं, आप सही हैं। सॉरी। श्री गोवर्द्धन कल्ला।

## जिला जैसलमेर में चयनित अध्यापकों की नियुक्ति

549. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर के ग्रामीण विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 31 मार्च, 1999 तक जो वरिष्ठता सूची बनी है, उन अध्यापकों को नियुक्ति के आदेश दिनांक 31 मार्च, 1999 को मिल जायेंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 31 मार्च, 1999 तक वरिष्ठता सूची के आधार पर नियुक्ति नहीं मिलती तो उक्त सूची निरस्त हो जायेगी ?

(4) उक्त सूची में कितने अध्यापक निर्धारित आयु सीमा पार कर रहे हैं ?

(5) क्या सरकार आगामी वर्ष की वरिष्ठता सूची में उक्त अध्यापकों को आयु सीमा में छूट देने का विचार रखती है ?

**पंचायती राज मंत्री** (श्री सी.पी.जोशी) : (1) जिला जैसलमेर की पंचायत समितियों के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में 442 अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त मेरिट लिस्ट में कोई भी अभ्यर्थी ओवर एज नहीं हो रहा है।

(5) जी नहीं।

**श्री गोवर्द्धन कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, दो वर्षों से जो 442 पद रिक्त पड़े हैं, इनको कब तक भरने की सरकार की मंशा है ? मेरा दूसरा प्रश्न है, उन्होंने कहा कि वरिष्ठता सूची 31 मार्च को निरस्त नहीं होगी तो यह कब तक रहेगी। और इसमें प्रश्न के पांचवें भाग में कहा है कि जी नहीं, जब निरस्त की सीमा नहीं है तो कब तक इनको आयु सीमा की जायेगी ? चौथा मेरा प्रश्न है कि व्यावसायिक शिक्षा के नाते इन्होंने जुडिशियल केस बनाकर रखा हुआ है। मेरी सरकार से पूछने की मंशा है, कब तक व्यावसायिक शिक्षा को लेकर ये पद रिक्त रखे जायेंगे जबकि बी.ए., बी.एड. के वहां प्रत्याशी हैं उसमें और व्यावसायिक शिक्षा के लिए एस.टी.सी. ट्रेनिंग अभी भी करवा रहे हैं यहा पहले भी करवाई है ? जब वहां ट्रेनिंग करवाई है तो फिर उन अध्यापकों को नियुक्ति देने में क्या इनकी कठिनाई है, यह बतायें।

**श्री सी.पी. जोशी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है लेकिन मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 12.98 को डी.बी. ने एक फैसला दिया। उस फैसले में कहा गया कि वोकेशनल जो एजुकेशन प्राप्त हैं सीनियर हायर सैकण्डरी उनको अपाइंटमेंट दिया जाये। तत्कालीन सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया और कहा कि हम केवल मात्र एकेडेमिक क्वालिफिकेशन आदमी को ही अपाइंटमेंट देंगे, उसके कारण डी.बी. में फैसला हुआ, वह डी.बी. का फैसला उसका उलटा हो गया। इसी के मध्य जोधपुर हाईकोर्ट की एक सिंगल बैंच ने फैसला दे दिया, जिसमें यह कहा कि केवल मात्र एकेडेमिक क्वालिफिकेशन जो सीनियर हायर सैकण्डरी हैं, उन्हीं को टीचर अपाइंट किया जाये। अब हमारे प्रोब्लम यह हो गई है कि जोधपुर की सिंगल बैंच ने हमको डाइरेक्शन दिये कि केवल मात्र हायर सैकण्डरी एकेडेमिक को यह अपाइंटमेंट दें और यहां पर डी.बी. ने हमें यह कहा कि अंतरिम आदेश तक आप वोकेशनल एजुकेशन को मानकर भी मेरिट बना दें। दो तरह का फैसला आने पर राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया कि डी.बी. का जो फैसला आ जाये, उसके बाद हम अपाइंटमेंट कर देंगे। सारी हियरिंग हो चुकी है और जजमेंट होना, डिलीवर होना बाकी है। माननीय चीफ जस्टिस महोदय जोधपुर बिराज रहे हैं। जैसे ही जोधपुर से यहां आयेंगे, पूरी संभावना है कि उसका जजमेंट हो जायेगा। जैसे ही जजमेंट हो जायेगा, इस संबंध में कार्यवाही करेंगे। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, इनकी बात मेरिट के संबंध में है। वह लिस्ट जब तक वेलिड है तब कि डी.बी. का फैसला नहीं आ जाये। उसके खातिर कोई भी अभ्यर्थी न तो एज के कारण से बाहर निकलेंगे और न ही और किसी कारण से उनको नुकसान होगा।

**श्री गोवर्द्धन कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि जब तक फैसला नहीं आता है, मान लो, लम्बा होता है तो व्यावसायिक

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

शिक्षा के पद छोड़कर बाकी को तो ये दें। मान लो 442 पद हैं, 25 वैसे हैं तो बाकी को तो अपाइंटमेंट करें ऐसी रिलीफ सरकार मांग ले हाई कोर्ट से।

**श्री सी.पी.जोशी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण हियरिंग हो चुकी है, फैसला आना ड्यू है। मैं समझता हूं, अगले सत्र तक पूरा फैसला आ जायेगा, फिर कोई बात होगी तो माननीय सदस्य ने जो राय दी है, उसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार उसके बारे में फैसला करेगी।

**श्री गोवर्द्धन कल्ला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि यदि फैसला नहीं आया तो क्या होगा ? फैसला लम्बा होगा तो क्या होगा, यह मेरा प्रश्न है ?

**श्री सी.पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के हाइपोथेटिकल प्रश्न का जवाब तो मैं नहीं दे सकता लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि फैसला आयेगा।

**श्री गोवर्द्धन कल्ला** : यह हाइपोथेटिकल नहीं है, यह प्रश्न है कि लम्बा जाता है फैसला तो क्या होगा ? दो साल से यह बेकार बैठे हुए हैं। यह प्रश्न हाइपोथेटिकल नहीं है। यह कठिन प्रश्न है। मेरा कहना है व्यावसायिक शिक्षा के जिसके अभ्यर्थी हैं, उनको छोड़कर बाकी को अपाइंटमेंट दें, यह रिलीफ सरकार जुडिशियरी से मांगे, मेरा यह प्रश्न है।

**श्री हेमाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, यह तत्कालीन सरकार ने सिर्फ एकेडेमिक को ही मान्यता दी है, व्यावसायिक को नहीं दी तो तत्कालीन सरकार ने तो बिलकुल उलटे–उलटे ही काम किये हैं। अब आप तो सीधे काम करो। वही अगर चलता रहा तो फिर क्या उन लोगों को रिलीफ मिलेगी ? (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह केवल बाड़मेर का प्रश्न नहीं है। पूरे राजस्थान में जून में इन्टरव्यू लिये गये, सब उनके फार्म्स मंगाये गये, उसके बाद सारी स्क्रूटनी कर दी गई, पूरा साल निकाल दिया सरकार ने, एक भी जगह प्राइमरी स्कूल्स में, हर पंचायत समिति में, कहीं चालीस पद खाली पड़े हैं, कहीं पचास खाली पड़े हैं, कहीं साठ पड़े हैं। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो केवल हाई कोर्ट के फैसले से किसी प्रकार से रोकने वाले आदेश नहीं थे, कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता था। राज्य की नई सरकार ने, कम से कम प्राइमरी एजुकेशन में हजारों टीचर्स की जगह खाली है, उनको भरने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। माननीय जोशीजी, आप करना चाहते है तो बहुत सारे रास्ते हैं, सरकार उसको कर सकती है। जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया।

**श्री सी.पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इतने चिंतित हैं। यह समस्या

(श्री सी.पी. जोशी)

हमने खड़ी नहीं की। जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद शिक्षा विभाग ने तीन हजार टीचर्स को अपाइंटमेंट दिया है, हमारी नीयत इतनी साफ है। डी.बी. का फैसला जो आ गया...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये।

**श्री हीरासिंह चौहान** : प्राइमरी एजुकेशन का कह रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में कौन जा रहा है...

**श्री सी.पी.जोशी** : प्राइमरी स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड ग्रेड टीचर की। जोधपुर हाईकोर्ट के सिंगल बैंच के फैसले में कहा गया है कि एकेडेमिक क्वालिफिकेशन सीनियर हायर सैकण्डरी को माना जाय, हमारी सरकार ने तीन हजार टीचर्स को अपाइंटमेंट दिया शिक्षा विभाग में। यह डी.बी. का जो फैसला आ गया जिसमें हमें यह कहा गया कि आप अंतरिम फैसला होने तक वोकेशनल एजुकेशन को भी मान लो, यह फैसला जोधपुर हाईकोर्ट के कान्ट्रावेंशन में फैसला है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप भी खुद वकील हैं। आप मुझे गाइड करें कि हाईकोर्ट के अन्दर पूरी हियरिंग हो चुकी है, फैसला होना ड्यू है। अब राजस्थान सरकार इसके बीच में क्या निर्णय कर सकती है ? आप जैसा डाइरेक्शन दें, मैं तो निर्णय करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है...

**श्री रमजान खान** (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्राथमिक विद्यालयों में इतने पद रिक्त पड़े हैं कि अगर हाईकोर्ट का फैसला भी हो जायेगा तो सारे पदों की पूर्ति हो नहीं सकती। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षित बेरोजगारों को मानदेय भत्ते के आधार पर आप रोजगार देकर इन रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था करने का विचार रखते हैं ?

**श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)** : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा सिर्फ तत्कालीन सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद में उसमें एकेडेमिक को ही मान्यता दी है, व्यावसायिक को इन्होंने नहीं माना, यह सरकार का फैसला है तो आप उस फैसले को वापस बदल रहे हो या नहीं बदल रहे, इच्छा रखते हैं या नहीं रखते।

**श्री सी.पी. जोशी** : गुढ़ामलानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप खुद वकील हैं। जोधपुर होईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि एकेडेमिक क्वालिफिकेशन को माना जाये और जयपुर की डी.बी. यह कह रही है कि अंतरिम फैसले होने तक आप वोकेशनल को मान लो। दो तरह के फैसले के बाद राज्य सरकार के पास यही कोर्स बचता है कि वह कोर्ट के पास गई है कि आपका एक फैसला यह है सिंगल बैंच का जोधपुर हाईकोर्ट का, और डी.बी. में आप फैसला दे रहे हैं कि अंतरिम फैसले होने तक वोकेशनल को मान लो इन दोनो फैसलो मे

(श्री सी.पी. जोशी)

जो विरोधाभास है इसमें आप हमें गाइडेंस दें तो जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगी तक तक सरकार सुओमोटो कोई फैसला कर सके, आप खुद वकील हो, मुझे बता दें, किसी धारा में सम्भव हो तो मैं वह काम कर दूंगा। (व्यवधान)

**श्री रमजान खान** : क्या भत्ता देकर के इन रिक्त पदों को भरोगे ताकि बच्चों की जिन्दगी तो खराब न हो...(व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, आप थोड़ी एक्सरसाइज करते तो कोई न कोई रास्ता निकल सकता था लेकिन आपने कोई एक्सरसाइज ही नहीं की। (व्यवधान) मैं क्यों बता दूं। (व्यवधान)

**श्री रमजान खान** : भत्ता देकर के इन रिक्त पदों को भरो आप।

**श्री हेमाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं, सिंगल बैंच का फैसला है और फिर डी.बी. का जो फैसला है, सिंगल बैंच के फैसले के बाद में सरकार ने जो डिसीजन लिया, उसकी वजह से ही डी.बी. का फैसला खिलाफ हुआ है। सरकार अगर वह निर्णय नहीं लेती, सिर्फ एकेडेमिक वाला ही, तो डी.बी. में यह फैसला थोड़े ही होता। वह सरकार के निर्णय की वजह से डी.बी. का फैसला दूसरा हुआ है उसमें...(व्यवधान)

**श्री सी.पी. जोशी** : सर, आई विश, कोर्ट का जब फैसला ड्यू है, निर्णय होना है। उस समय तक हम सब–जुडिस मैटर को डिस्कस करेंगे तो, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, ठीक नहीं होगा।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि आपने...

**श्री हेमाराम चौधरी** : इसका मतलब यह हुआ, इन्होंने जो औंधे काम किये वह वैसे के वैसे रहेंगे, उनको आप वापस ठीक नहीं करेंगे। आपके दिमाग में यह बात नहीं है, वह ठीक करने की आपने भी नहीं सोची।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : मंत्रीजी, आपने यह बात कही कि जैसलमेर में कोई भी अध्यापक, जो वरीयता सूची बनी हुई है, वह ओवरएज नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान में जहां–जहां भी यह वरीयता सूची बनी हुई है, काफी जगह पर, चित्तौड़गढ जिले में भी काफी लोग ओवरएज हो रहे हैं तो ओवरएज होने के बाद भी उनको आप...

**श्री हेमाराम चौधरी** : इन्होंने जो औंधे ही औंधे किये हैं...(व्यवधान)

**श्री सी.पी. जोशी** : एक भी एप्लीकेंट को, एक भी अभ्यर्थी को ओवरएज के कारण सफर नहीं करना पड़ेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

**श्री रमजान खान** : मानदेय भत्ता के आधार पर आप अध्यापकों को रखेंगे या नहीं, मानदेय भत्ता जैसे आपने प्राथमिक

(श्री रमजान खान)

शिक्षा केन्द्रों पर देने का जो विचार किया है उसके आधार पर आप उनकी नियुक्ति करोंगे क्या, खाली जगहों को भरने का विचार रखते हो क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामसिंहजी कस्वां।

## राजगढ़ (चूरू) की क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कें

550. **श्री रामसिंह कस्वां** (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या आश्वासित रोजगार योजना एवं अकाल राहत के अन्तर्गत निर्मित सड़कों पर डामरीकरण करने की राज्य सरकार की योजना है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई नीति तैयार की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उपखण्ड राजगढ़ (चूरू) में आश्वासित रोजगार योजना एवं अकाल राहत के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी सड़कें स्वीकृत की गई ? प्रत्येक सड़क की लम्बाई व स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत सड़कों में से अब तक कितनी सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं और कितनी अपूर्ण हैं ? क्या इन सभी सड़कों पर रोलर से कुटाई का कार्य किया गया है ? अब तक अपूर्ण सड़कों पर काम शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त उपखण्ड की राधा बड़ी से गागड़वास, नौरंगपुरा से बूडावास, गुगलवा किरतान से हरियाणा सीमा, चमना बड़ा से चनाना छोटा–बिरमी से बाय, आच्छापुर, ढाणी मौजी, मून्दीताल सम्पर्क सड़कें अत्यन्त खराब हैं ? यदि हां, तो सरकार इन सड़कों की मरम्मत हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री हरेन्द्र मिर्धा) : (1) राज्य सरकार द्वारा घोषित सड़क नीति के अन्तर्गत आने वाली आश्वासित रोजगार योजना एवं अकाल राहत के अन्तर्गत निर्मित सड़कों पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार डामरीकरण का कार्य प्रस्तावित किया जा सकेगा।

(2) उपखण्ड राजगढ़ (चूरू) में आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत परिशिष्ट 'अ' के अनुसार कुल 25 कार्य स्वीकृत किये गये। प्रत्येक सड़क की लम्बाई व स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है। अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत वर्ष 1998–99 व 1999–2000 में अब तक कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

(3) स्वीकृत 25 सड़कों में से 17 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। इन सभी सड़कों पर रोलर से कुटाई का कार्य किया गया। दो कार्य अपूर्ण हैं। छह कार्य प्रगति पर है। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

दो सड़कों के अलायनमेंट पर फसल खड़ी होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

(4) उपखण्ड की इन सड़कों पर एक लेयर डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य आश्वासित रोजगार योजना व अकाल राहत कार्य में करवाया गया। इन सड़कों में से जो सड़कें राज्य सरकार की सड़क नीति में आती हैं, उन पर एक परत डब्ल्यू.बी.एम. व डामरीकरण तक का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्रस्तावित किया जा सकेगा।

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देखें)**

**श्री रामसिंह कस्वां** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत अभी तीन सड़कें बनी हैं, उनकी इतनी बुरी हालत है, आदमी चलना तो बहुत मुश्किल है, पशु भी नहीं चल सकते। तो मेरा आपसे निवेदन है क्या इन सड़कों की मरम्मत कर पुनः रोलर से कुटाई करने का विचार है या नहीं। रोलर की बात कह रहा हूं, डामरीकरण का तो आपने जवाब दे दिया कि साधनों के आधार पर करेंगे। तो निवेदन यह है, कम से कम उनकी रोलर से कुटाई करके चलने लायक बनाने का विचार है या नहीं है ?

**श्री हरेन्द्र मिर्धा** : अध्यक्ष महोदय, अलग–अलग स्कीमों के तहत आश्वासित रोजगार योजना और दूसरी जो डी.आर.डी.ए. की स्कीम्स हैं उनके तहत अकाल में जो सड़कें बनती हैं उनमें एक लेयर का डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य होता है और उसके बाद में अपन जब इसके ऊपर डामरीकरण करते हैं तो एक डब्ल्यू.बी.एम. का लेयर और लगाना पड़ता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सड़कें जो इन स्कीमों के तहत बन रही हैं, जब नई सड़कें बननी चालू होंगी तो इनको प्रायोरिटी पर लेकर जो भी सड़कें सड़क नीति के अनुसार आ रही हैं उनको प्रायोरिटी पर लेकर डामरीकरण कराया जायेगा।

**श्री रामसिंह कस्वां** : एक मिनट। एक क्वेश्चन है मेरा। क्या सरकार ऐसी नीति बनाने जा रही है कि भविष्य में सरकार इस नीति के अन्दर भी वही सड़कें लेगी जो डामरीकृत कर दी जायेगी ? भविष्य के अन्दर उन्हीं सड़कों का निर्माण किया जायेगा योजनाओं के अन्दर, चाहे अकाल राहत में हो, चाहे सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत हो, जिनका डामरीकरण कर दिया जायेगा ? क्योंकि होता यह है कि पांच साल तक, दस वर्ष तक सड़कें पड़ी रहती हैं, गांव वाले चल नहीं सकते और उनके पैसे का दुरुपयोग होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि भविष्य में उन्हीं सड़कों को लें जिनका आप डामरीकरण कर सकें।

**श्री हरेन्द्र मिर्धा** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कह चुका हूं कि जो

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

सड़कें सड़क नीति के अन्दर आती हैं उन सड़कों को प्राथमिकता पर लिया जायेगा।

**श्री हीरासिंह चौहान** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, जो मेटल रोड ई.ए.एस. योजनान्तर्गत, अनटाइड फंड के द्वारा राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में बनी हुई है, अब उस पर मेटल रोड बन जाती है और मेटल रोड बनने के बाद पी.डब्ल्यू.डी. का कर्तव्य होता है कि अब उस पर डामर करे। लेकिन आज दिन तक पिछले पांच साल में जिले में कई मेटल रोड ई.ए.एस. और अनटाइड फंड या अन्य योजनाओं के तहत बन गई है, सरकार ऐसी सड़कों को जो आइडेंटिफाइड हैं, जिसको जिला प्रशासन द्वारा कर दिया गया है, उसके बाद वह पी.डब्ल्यू.डी. को सौप देते हैं, ऐसी सड़कों का कब तक डामरीकरण कर देंगे ?

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा था मंत्री महोदय से, आश्वासित रोजगार योजना, अनटाइड फंड या अकाल राहत के अन्तर्गत जितनी भी सड़कों का निर्माण होता है, राज्य सरकार ने जो सड़क नीति बना रखी है, क्या सड़क नीति उन पर भी लागू होती है जो वह अपनी मर्जी से स्वीकृत कर देते हैं ? अगर वह सड़क नीति लागू होती है तो माननीय सदस्य ने जो सड़कें बताई है, क्या वह सड़कें सब सड़क नीति के तहत् आती हैं ? आती हैं तो डामर रोड बनाना चाहिए। मुझे आप इस बात की जानकारी दें कि सड़क नीति के तहत ही इसमें स्वीकृत होती है कि बिना सड़क नीति के तहत।

**श्री हरेन्द्र मिर्धा** : अध्यक्ष महोदय, यह अकाल के अन्दर जरूरी नहीं है कि जो आपकी सेंक्शन हो, सड़क नीति के अनुसार ही हो। माननीय सदस्य ने चौथे भाग में आठ सड़कों की सूची दी हैं उसमें से चार सड़के नीति के अनुसार आती हैं और इन चार सड़कों को जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि प्राथमिकता के आधार पर इन पर डामरीकरण किया जायेगा।

**श्री हीरासिंह चौहान** : एक सवाल और। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसी सड़कें जो मेटल बन चुकी है राज्य में, क्या उनको आप अपने अधिकारियों से पी.डब्ल्यू.डी. से उनका आइडेंटिफाइड करायेंगे ?

**श्री हरेन्द्र मिर्धा** : बिना आइडेंटिफाई कराये तो फिर आगे काम कैसे किया जायेगा।

**श्री हीरासिंह चौहान** : नहीं, आइडें–टिफाइड करा दिया, उन पर डामरीकरण कराने के लिए आप कोई प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे।

**श्री हरेन्द्र मिर्धा** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कह चुका हूं कि इनको आइडेंटिफाई करा कर जो सड़कें सड़क नीति के अन्तर्गत उसमें आती हैं और अभी

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

जिन पर काम हुआ है उनको प्रायोरिटी के ऊपर इस साल के अन्दर डामरीकरण किया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट। श्री रामस्वरूप मीणा।

## विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के पशु चिकित्सालय

551. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ? उक्त क्षेत्र में सरकार वर्ष 1999–2000 में कितने कहां पर नये चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने चिकित्सालयों में कितने–कितने कौन–कौन से पद कब से रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पद रहने के क्या कारण हैं और अब सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार पशुओं में होने वाले रोग गलघोटूं जैसी अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु क्या नये उपाय कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन** (श्री हरिसिंह) (कुम्हेर) : (1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सात पशु चिकित्सालय हैं। वर्ष 1999–2000 में राज्य में 100 नये पशु चिकित्सालय खोले जाने हैं। विभागीय मापदण्डों के अनुरूप विभागीय अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्थानों के चयन पर विचार किया जाना संभव होगा।

(2) उक्त क्षेत्र में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाओं में निम्नानुसार पद रिक्त चल रहे हैं :–

| क्र.स. | संस्था का नाम | पद का नाम | कब से रिक्त है |
|---|---|---|---|
| 1. | पशु चिकित्सालय, केमला | जलधारी | 21.12.98 |
| 2. | पशु चिकित्सालय, मूड़िया | जलधारी | 01.01.98 |
| 3. | पशु चिकित्सालय, सोप | पशु चिकित्सा सहायक | 01.04.99 |
| | | सईस | 08.98 |
| 4. | पशु चिकित्सालय, टोडाभीम | पशु चिकित्सा अधिकारी | 05.03.99 |
| 5. | पशु औषधालय, निसूरा | सफाईकर्ता | 11.97 |

उक्त पद स्थानान्तरण से रिक्त हुए हैं, जिन्हें नियमानुसार शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है। पशु चिकित्सालय, टोडाभीम में पद निलम्बन के कारण रिक्त है।

(3) गलघोटूं रोग जैसी अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु नये उपायों के तहत राज्य में "एडमास" (एनीमल डीजीज सर्वेलेंस एवं मोनीटरिंग), बैंगलोर का सहयोगी

(श्री हरिसिंह)

यूनिट स्थापित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

**श्री रामस्वरूप** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पहले जवाब में यह लिखा है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999–2000 में सौ नये पशु चिकित्सालय खोले जाने हैं और विभागीय मापदण्डों के अनुसार खोलेंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है विभागीय मापदण्ड क्या हैं ? माननीय मंत्रीजी, विभागीय मापदण्ड के अनुरूप विभागीय अधिकारियों के प्रस्ताव होने पर क्या आप मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती और टोडाभीम में जो आपने कहा है कि सौ पशु चिकित्सालय खोलेंगे, क्या इसमें से तीन पशु चिकित्सालय मेरे हिस्से में नहीं आयेंगे ? वैसे हिसाब से भी मेरे आ रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, क्या उन मापदण्डों में मेरा क्षेत्र नहीं आता है ?

दूसरा, मेरा निवेदन है, आपने कहा कि निसूरा में, केमला में, मूडिया में और सोप में जगह ख़ाली है, मेरा विनम्र निवेदन है कि यह जो जगह है एक तो 11/97 से खाली है एक 3/99 से खाली है, एक 8/98 से खाली है, एक 4/99 से खाली है, एक 1/98 से खाली है। आपने कहा है कि ये रिक्त स्थान हुए हैं। मैं तो कह रहा हूं जिनकों दो–दो साल हो गये क्या वह भी रिक्त स्थान के कारण ही खाली चलेंगे ? इनकी जब सरकार थी उस समय पद खाली हुए थे तब से इन्होंने तो भरे नहीं। क्या मंत्री महोदय, आप अब इनको जल्दी भरने का इरादा रखते हैं ?

तीसरा, मेरा निवेदन है, माननीय मंत्रीजी गलघोंटू रोग से हर साल हजारों पशु मरते है। यह बहुत भयंकर बीमारी है जो गांव में बरसात में फैलती है। मेरा आपसे निवेदन है गलघोंटू जैसी बीमारी से पिछले एक वर्ष में कितने जानवर अब तक मरे और इसके साथ ही इस बीमारी की रोकथाम के लिये जो उपाय है "एडमास" एडमास बैंगलोर के लिये आपने लिखा है सहयोगी यूनिट की कार्यवाही विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं पूछना चाहूंगा यह कार्यवाही कब से विचाराधीन है और इस कार्यवाही के विचाराधीन की अवधि कब खतम होगी ? आप इसको कब तक लागू कर रहे हैं या ये जानवर मर जायेंगे उसके बाद लागू करोगे ?

**श्री जगत सिंह दायमा** : छांकरवाड़ा में भी खोलना है कि नहीं, यह भी बता दो।

**श्री अध्यक्ष** : क्वेश्चन सीधा पूछिए आप।

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जो चिंता है अपने क्षेत्र में और चिकित्सा सुविधाएं खुलवाने के लिये, उससे मैं पूर्ण रूप से सहानुभूति रखता हूं। हमारे यहां मापदण्ड जो भी हैं वे तो इस प्रकार के हैं कि पशुधन की संख्या, निकट के चिकित्सालय से दूरी कितनी है,

(श्री हरिसिंह)

आवागमन के साधन, डाक सुविधा, भवन की उपलब्धता और अन्य सुविधाएं और उस क्षेत्र की जो मांग है। इन सबके अनुसार जितना भी संभव हो सकेगा, मैं आपके क्षेत्र के लिये पूरा ध्यान रखूंगा, यह मैं आपसे कहकर चलना चाहता हूं।

दूसरी बात आपने पूछी कि यह पद रिक्त हैं। अध्यक्षजी, राजस्थान में पशु चिकित्सालयों में पद रिक्त हैं यह मैं मानता हूं और इनको जल्दी से जल्दी भरने के प्रयास कर रहे हैं। जहां तक डाक्टर्स के पदों को भरने का सवाल है इसके लिये पी.एस.सी. को लिख चुके हैं और पी.एस.सी. की दरख्वास्त मांगने के अंतिम तारीख 31 मार्च थी। उनको भी हम इस बात के लिये निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भर दिये जाए और जब तक वे भरे जाए तब तक हम एडहोक अपाइंटमैंट देने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो और पद है एल.एस.ए. के उनकी हमने एन.ओ.सी. लेकर भर्ती की कार्यवाही शुरू कर दी। हमने दरख्वास्त वगैरह मांग ली है। मैं माननीय सदस्य को और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं इस बात का कि हम जल्दी से जल्दी जो पद रिक्त हैं उनको भरने का प्रयास करेंगे।

तीसरी बात आपने पूछी कि बीमारियों की रोकथाम के लिए "एडमास" कब से विचाराधीन हैं। यह अधिक समय से विचाराधीन नहीं है। एक नई विधि चल रही है, बैंगलोर में एक यूनिट है आई.सी.आर. के अन्तर्गत जो काम करती है, आल इण्डिया कोआर्डिनेटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, बैंगलोर में है। उससे हमने इस बात का निवेदन किया है कि वो राजस्थान में भी अपनी एक सहयोगी यूनिट कायम करें। उस सहयोगी यूनिट में हमको इस बात को पता लगाने की सुविधा हो जायेगी कि किस क्षेत्र में कौनसी बीमारी फैलने जा रही है। जलवायु के हिसाब से फोरकास्ट कर सकते हैं और फिर बीमारी के लक्षणों को देख कर किस प्रकार की दवाई वहां पर लगाई जाये, यह एक नई तकनीकी प्रारम्भ होने जा रही है। इसके लिये हमने उनको निवेदन किया और आई.सी.आर. ने इस बात को मान भी लिया है कि जयपुर में एक सहयोगी यूनिट खोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी यह यूनिट खुल जायेगी। हम यहां से एक यूनिट कायम कर के यह फोरकास्ट कर सकेंगे कि कहां किस क्षेत्र में कौनसी बीमारी फैलने जा रही है, उसकी हम रोकथाम कर सकेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री रामस्वरूप** : हमारे जिले में वर्तमान में भी जानवरों में बीमारी फैल रही हैं, जानवर चक्कर खाकर गिर जाते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवा कर इसके इलाज की भी व्यवस्था करेंगे ?

**श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : इसकी बहुत शीघ्र ही व्यवस्था करने जा रहे हैं हम।

(श्री हरिसिंह)

जानवरों की बीमारियों के टीके लगाने का कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है और आपके क्षेत्र में विशेष टीम भेजकर टीके लगवा देंगे।

**श्री केसाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मंत्री महोदय, हुआ में पशु चिकित्सालय भवन बना हुआ तैयार है। क्या आप वहां पर पशु चिकित्सालय खोलने की मंशा रखते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा, जहां भवन बना हुआ है, हुआ में पशु चिकित्सालय भवन बना हुआ है। क्या आप वहां पर पशु चिकित्सालय खोलने की मंशा रखते हैं ? उसके साथ ही खिवाड़ा ग्राम में भी दानदाता पशु चिकित्सालय भवन बनाने को तैयार है। खिवाड़ा में भी एक पशु चिकित्सालय खोलने की मेहरबानी कराएं।

**श्री अध्यक्ष** : अलग से प्रश्न यह। टोडाभीम का तो प्रश्न नहीं है। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री श्रीचन्द कृपलानी।

## जिला चित्तौड़गढ़/उदयपुर की प्रस्तावित पर्यटक योजना

552. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :–

क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से विख्यात है ? यदि हां, तो उक्त जिलों में सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये क्या–क्या योजना बना रही है ?

**राज्य मंत्री, पर्यटन** (श्रीमती बीना काक) : जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिलों में पर्यटन की दृष्टि से वर्ष 1999–2000 में निम्न विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं :

1. इको टयूरिज्म, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंक्चूरी, उदयपुर।
2. चित्तौड़गढ़ में स्मारकों पर लैण्ड स्केपिंग।
3. मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के तहत गोगुन्दा, हल्दी घाटी व चावण्ड में विकास कार्य।
4. उदयपुर में फूड क्राफ्ट संस्थान के संचालन का प्रावधान।
5. प्रताप स्मारक, मोती मगरी, उदयपुर में प्रकाश व ध्वनि कार्यक्रम की व्यवस्था।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह पूछना कि आपने जो जवाब दिया है उसमें जितने भी प्रस्तावित कार्य हैं अधिकतर उदयपुर में हैं। चित्तौड़गढ़ में तो आपने एक लैण्ड स्केपिंग का काम रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी चित्तौड़गढ़ आये थे और वहां पर उन्होंने केन्द्र सरकार की तरफ से कुछ देने की घोषणा की थी ? कितनी राशि वहां दुर्ग के विकास के लिये आई और कितनी राशि वहां खर्च हुई ? दूसरा, चित्तौड़ जिले में पर्यटन की दृष्टि

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

से आपके विभाग में जो प्रस्ताव आये हैं, ऐसे कौन–कौनसे प्रस्ताव आपके पास विचाराधीन हैं ?

**श्रीमती बीना काक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने केन्द्र से कुछ पैसा देने की बात की थी लेकिन अभी तक कोई पैसा आया नहीं है और जो विभाग के द्वारा या जिला कलेक्टर के जरिये प्रस्ताव चित्तौड़ के लिये है, उनमें क्राफ्ट मार्केट का निर्माण, चित्तौड़गढ़ पर्यटक स्वागत कक्ष, विभाग स्मारकों तथा पथिक का निर्माण, सुलभ काम्पलेक्स का निर्माण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से गोमुख कुंड से निकलने वाले पानी को बाहर डालने का निकास, मैनाल में मुख्य सड़क से मन्दिर तक पार्किंग का निर्माण, लाइट एण्ड साउण्ड शो, दुर्ग पर मैनाल मन्दिर का जीर्णोद्धार, स्वागत केन्द्र का एक्सटेंशन काउण्टर, दुर्ग में स्वागत केन्द्र में रिज़र्व बैंक, पोस्ट आफिस, रोडवेज काउण्टर का खोलना, फतेह प्रकाश महल को आई.टी.डी.सी. होटल में परिवर्तित करना, यह कुछ प्रस्ताव हैं जो सरकार से हमें प्राप्त हुए हैं।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है आपके माध्यम से कि मीरा बाई की इस बार पांच सौवीं वर्षगांठ है इसके लिए कोई योजना बनायी है क्या आपने ? चित्तौड़गढ़ के अन्दर और दूसरी जगह पर उनके लिए कोई योजना, पर्यटन विभाग ने वर्षगांठ मनाने के लिए बनायी हो तो आप बतायें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि आपने पांच योजनाएं विकास कार्य के लिए प्रस्तावित की हैं पर्यटन की दृष्टि से, तो इसमें इस प्रस्तावित बजट में कितना–कितना बजट किस–किस योजना में रखा है और कितनी समयावधि में आप सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, चित्तौड़ के स्मारकों की लैण्ड स्केपिंग, मेवाड़ काम्पलेक्स और ये सारी योजनाएं कितने–कितने समय में आप पूरी कर लेंगे, नम्बर एक। नम्बर दो, आपने प्रस्तावित योजनाओं में काम करने से पहले क्या आर्कोलोजी विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त कर ली है।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : मैं पूछ लूं, फिर एक साथ जवाब दे दें।

**श्रीमती बीना काक** : मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगी, तीन माननीय सदस्यों के जवाब आने हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बाद में जो पूछा गया, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि ए.एस.आई. से क्या परमिशन ले ली गयी है ? हर प्रोटेक्टिव स्मारक जो ए.एस.आई. के तहत आता है, उनमें परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बगैर वह एक कील भी हमें लगाने की इजाजत नहीं देते। तो जहां–जहां जो काम हो रहे हैं वह उनके नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद ही हो रहे हैं। नम्बर दो पूछा है उन्होंने कि अलग

(श्रीमती बीना काक)

अलग किस–किस मद में कितना–कितना पैसा तय किया गया है। इको ट्यूरिज्म सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के लिए पांच लाख का प्रावधान है, चित्तौड़गढ़ के स्मारकों को लैण्ड स्केपिंग के लिए जो ए.एस.आई. के एन.ओ.सी. के बाद ही की जा रही है। दो लाख रुपये और मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के तहत गोगुंदा और हल्दी घाटी की जो 12 करोड़ की योजना है, उसमें 10 लाख रुपये इस बार और दिये जा रहे हैं। और इसी प्रकार जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी का था, वह मैं यह कहना चाहती हूं कि वह वायदे तो करके बहुत गये थे, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी पैसा केन्द्र से जो पूर्व प्रधानमंत्री जी कह कर गये थे, नहीं आया है।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : आपने कोई योजना बनायी है क्या ?

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : मीरा बाई का क्या हुआ ?

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं...

**श्री अध्यक्ष** : बैठें, बैठें।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : ...कि भीम तहसील में दिवेर स्थान जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसे कर्नल टांड और डा. गोपीनाथ शर्मा ने मेराथन आफ मेवाड़ का नाम दिया था क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन की पहली विजय वहीं पर प्राप्त की थी, तो क्या आप दिवेर को मेवाड़ काम्पलेक्स में सम्मिलित करके, और जब तक सम्मिलित नहीं हो जाती है तब तक इस वित्तीय वर्ष में उसके विकास के लिए उसके उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रयास करेंगे ?

**श्रीमती बीना काक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह प्रश्न नहीं, मेवाड़ काम्पलेक्स में तो यह कहते हैं कि आता है, लेकिन जो अभी तक प्रस्तावित योजना है उसमें यह सम्मिलित नहीं है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार हमारा जो उद्देश्य है वह मेवाड़ काम्पलेक्स में हल्दीघाटी, गोगुंदा और चावण्ड को ही केन्द्रित करने का है उसके ज्यादा विकास की ओर ध्यान देने का है। लेकिन जैसा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, इसका सर्वेक्षण करवा लेंगे और उसके बाद जितना भी, वह आपसे बात करके और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य बार–बार इसके लिए मुझसे कहते रहते है, इसका सर्वेक्षण करवाया जा सकता है।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मीरा बाई का नाम जो आज इंटरनेशनल फीगर है और राजस्थान के अन्दर भी उनकी इतनी ख्याति है, उनकी तो पांच सौवीं वर्षगांठ है। यह मौका फिर नहीं आयेगा। तो इसके

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

लिए भी आप जोड़कर कुछ उनके लिए आप आश्वासन तो दें और आपको यह भी जानकारी है या नहीं है तो मैं आपको दे दूं कि हेमामालिनी तैयार है वहां पर उनके लिए डांस करने के लिए...(व्यवधान) लता मंगेशकर जो लाखों रुपये लेती हैं एक फंक्शन के लिए, वह भी मीरा बाई के लिए बिलकुल फ्री आने के लिए तैयार हैं तो मंत्री महोदया, आप आश्वासन तो दे दें।

**श्री श्रीचन्द्र कृपलानी** : अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, हेमामालिनी के पश्चात् अगर मंत्री महोदया तैयार हो जाये तो मैं समझता हूं...(व्यवधान) मीरा बाई के नाम पर यह देख लें, मंत्री महोदया, यह बार–बार मौका मिलने वाला नहीं है। आप जैसे मंत्री हों और हेमामालिनी आने को तैयार हो तो आपको सदन में आश्वासन दे देना चाहिए।

**श्री रामस्वरूप** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मीराबाईजी के साथ हमारी भी सहानुभूति है उनके बारे में तो माननीय मंत्री महोदय अवश्य विचार करें क्योंकि मीराबाई ने तो सारे वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन किया है। भक्ति भाव उन्होंने फैलाया था। उन्होंने ही कहा था "मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोय" यह गा गा कर सारी दुनिया को शिक्षा दी थी मीरा बाई ने, इसलिए आप मीरा बाई के बारे में जरूर विचार करें। "जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोई"। ऐसी मीरा बाई हुई भक्ति की, ऐसी मीरा बाई के बारे में जरूर विचार करें।

**श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : यदि आपके सहानुभूति है तो, नहीं, शबरी रामजी की एक बहुत बड़ी भक्त हुई है उनके बारे में आपकी सहानुभूति है कि नहीं ? उनके लिए कुछ बोलो।

**श्री श्रीचन्द्र कृपलानी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी वहां आये और उन्होंने घोषणा की औए केन्द्र सरकार से एक भी पैसा नहीं आया। तो क्या आप यह बात बता सकते है कि चित्तौड़ किले पर जो फ्लड लाइटें लगी हैं जो रोशनी अभी हुई है वह किस मद से हुई है वहां पर नम्बर वन। नम्बर टू, आप मुझे बतायें मातृकुण्डिया में आपने पयर्टन क्षेत्र घोषित किया मातृकुण्डिया को और वहां पर राजस्थान सरकार ने 10 लाख रुपये स्वीकृत किये। 10 लाख रुपये में से कितना पैसा वहां खर्च हुआ ? यह दोनों आप मुझे बतायें।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, आप नहीं, यह सप्लीमेंट्री काफी देर से पूछ रहे हैं।

**श्री श्रीचन्द्र कृपलानी** : यह सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, आपको नहीं। सुरेन्द्र जी व्यास।

**श्री श्रीचन्द्र कृपलानी** : मैं पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, अब आगे नहीं, पूछ लिया आपने। सभी का जवाब साथ आयेगा, अब टाइम हो रहा है।

**श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, महाराणा प्रताप के साथ राणा कुंजा जो पानरवा के निवासी थे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, प्लीज।

**श्री नन्दलाल मीणा** : जो लड़ाई के मैदान में बराबर साथ रहे, महाराणा प्रताप के साथ राणा कुंजा...

**श्री अध्यक्ष** : श्री नन्दलाल मीणा, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप कैसे बातचीत करते हैं सीधे। आसन से अनुमति लीजिये। श्री सुरेन्द्र व्यास।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी ने कितनी राशि स्वीकृत करने की घोषणा की थी और राज्य सरकार ने उस राशि को प्राप्त करने का क्या प्रयास किया ? यह बताइये आप।

**श्रीमती बीना काक** : यह तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी स्वीकृति करने की उन्होंने घोषणा की थी यह तो माननीय सदस्य ही ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि घोषणा उनके सामने हुई थी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : No; Your record will speak of it.

**श्रीमती बीना काक** : रिकार्ड हमारे पास इसकी घोषणाओं का ? (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं।

**श्रीमती बीना काक** : घोषणाओं का रिकार्ड मंत्री नही रखते हैं, स्वीकृति का रिकार्ड जरूर मंत्री रखते है।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : आप क्या पर्यटन मंत्री है ? प्रयत्न नहीं करती कितनी राशि स्वीकृत हुई ? (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : इन्होंने पैसा लगाया अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बता दें मंत्री जी...

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वयं ने स्वीकार किया है अपने जवाब के अन्दर कि प्रधान मंत्रीजी आये थे और यह कह रहे थे कि मुझे कोई जानकारी नहीं है तो गलत बात है You are aware of it. उन्होंने घोषणा की थी। नहीं, नहीं आपने एडमिट किया हैं और अगर एडमिट किया है तो आपके पास डेफिनेटली रिकार्ड है कि कितनी सैंक्शन हुई थी ? प्रधानमंत्री जी ने एक स्वीकृति की घोषणा की है तो गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने क्या एफर्ट किये ?

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : आप तो बताइये, फ्लड लाइटें कहां से लगी वहां पर ?

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये, आपने प्रश्न पूछ लिया है। गोवर्द्धनजी कल्ला।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : वह फ्लड लाइटें तो गये साल किले में लगी हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आप बीच में नहीं, आपको पूछना है अपना, यह सब तीनों के साथ देंगे वह जवाब, टाइम नहीं है।

**श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : जैसलमेर जिले में प्री हड़प्पन फाइंडिंग, अवशेष मिले हैं। क्या वहां ट्यूरिज्म को डवलप करने की कोई योजना है। प्री हड़प्पन पांच हजार वर्ष पूर्व के अवशेष मिले हैं...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री जी। (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** : राणा कुंजा का पानरवा स्थान है। (व्यवधान) और जो महाराणा प्रताप के दाहिने हाथ थे।

**श्रीमती बीना काक** : मीरा बाई के लिए जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनली नाम है, आप अपने इंफलुएंस से थोड़ा इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा ले जायें तो उसे भी सम्मिलित कर लिया जायेगा।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ दुर्ग में फ्लड लाइटें कहां से लगी ? (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : मंत्री महोदया, आप भी महिला हैं और मीरा बाईजी भी महिला थीं। आप एक महिला होने के नाते, इतनी भक्त मीरा बाई थी वह भी एक महिला थी, उसके बारे में जितना करो उतना ही थोड़ा है।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ किले में पैसा जो लगा है फ्लड लाइटों पर, वह किस मंद से लगाया है, मंत्री जी बतायें।

**श्रीमती बीना काक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बार–बार पूछ रहे है कि चित्तौड़गढ़ के अन्दर जो फ्लड लाइटिंग का काम हुआ वह पूर्व प्रधानमंत्रीजी की घोषणा के बाद हुआ या वहां से पैसा आया, यह आर.टी.डी.सी. के द्वारा करवाया गया था।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : आपने खुद कहा चन्द्रशेखरजी ने उस समय उन्होंने पैसा नहीं दिया...(व्यवधान)

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : इसका मतलब यह है कि मीराबाई के लिये आप राजस्थान के अन्दर कोई प्रोग्राम नहीं रखना चाहते हैं। आप यह बता दीजिए कि मीराबाई की पांच सौवीं वर्षगांठ पर आप कोई प्रोग्राम नहीं रखना चाहते हैं। यह बता दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। (व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** : इसको रखवा देंगे। (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : मेवाड़ काम्पलेक्स के अन्तर्गत पानरवा में राणा कुंजा के स्मारक के बारे में लाखों रुपया खर्च किया है...(व्यवधान) वर्तमान सरकार राणा कुंजा का स्टेच्यू लगाने के लिये क्या करना चाहती है ?

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : अध्यक्ष महोदय,

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

मेरा प्रश्न है। (व्यवधान) भंवर माता, सीता माता अभयारण्य, गौतमेश्वर, अम्बामाता ऐसे कई स्थान हैं चित्तौड़ जिले में...(व्यवधान) क्या इनको पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विचार है...(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता का तो जवाब आया नहीं और बीच में सप्लीमेंट्री और सदस्य पूछ गये। (व्यवधान) मूल प्रश्नकर्ता का जवाब तो आया नहीं...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आपने पूछ लिये(व्यवधान) ...नहीं, नहीं आपने पूछ लिये।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : मेरा प्रश्न है।

**श्रीमती बीना काक** : जवाब दे तो दिया। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : और बाकी सदस्य पूछ रहे हैं, उनका जवाब आ रहा है लेकिन मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आया नहीं। मीराबाई का ठीक से बताया नहीं...(व्यवधान) सिर्फ टाल रही हैं। पर्यटन मंत्री महोदय, एक तो मीरा बाई के बारे में अधिकृत रूप से बतायें, कार्यक्रम करेंगे या नहीं, और मूल प्रश्नकर्ता का जवाब दीजिए।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : चित्तौड़ जिला ऐतिहासिक दृष्टि से...(व्यवधान) और पर्यटन विभाग ने...(व्यवधान)

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : मीराबाई के लिये क्या आश्वासन दिया...(व्यवधान) इतना तो कर दें आप।

**श्रीमती बीना काक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसींद से आने वाले माननीय विधायक जो मीरा महोत्सव की बात कर रहे हैं, उसके बारे में एक कमेटी बनी हुई है। उसकी शीघ्र ही मीटिंग बुलाकर, किस तरह से उसको मनाया जाना है, आपसे बैठकर बात कर लेंगे और उसकी पूरी क्रियान्विति कर दी जाएगी।

**श्री रामस्वरूप** : ऐसे ही शबरीजी भी हुई हैं, हमारी एस.सी. की। शबरीजी के बारे में भी विचार किया जाए। भगवान ने जिनके जूठे बैर खाये थे प्रेम के कारण, उस शबरीजी के बारे में भी विचार करें, यह एस.सी. की थी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त। आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी बैठिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है, इसके बावजूद भी...

**श्री अध्यक्ष** : मिनिस्टर, प्लीज सिट डाउन।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : फिर खड़े हैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी फिर खड़े हैं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त।

**(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)**

# अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

## पुलिस उप अधीक्षक वृत बाली (पाली) के विरुद्ध प्रसंज्ञान

546. श्री मोहन लाल बारुपाल (जायल) एवं श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली के उपखण्ड बाली में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों पर अत्याचारों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं ? माह आक्टूबर, 1997 से फरवरी, 1999 तक पंजीकृत ऐसे अपराधों के मुकदमों की सूची थानावार व जातिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस उप अधीक्षक वृत बाली (पाली) द्वारा अपराधियों से सांठ–गांठ कर अधिकांश मामलों में अंतिम रिपोर्ट दी जाती रही है ? अक्टूबर, 1997 से फरवरी, 1999 तक वृताधिकारी बाली द्वारा जारी अन्तिम रिपोर्ट की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकांश अन्तिम रिपोर्टो में प्रसंज्ञान दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त पुलिस उप अधीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर उसे हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला पाली के उपखण्ड बाली में दो वृत हैं बाली एवं सुमेरपुर। वर्ष 1997 से फरवरी 1999 तक अनु. जाति/जनजाति पर हुए अत्याचारों के संबंध में दर्ज अभियोगों का विवरण इस प्रकार है :–

| क्र.स. | वर्ष | वृत बाली | वृत सुमेरपुर | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | 51 | 33 | 84 |
| 2 | 1998 | 48 | 44 | 92 |
| 3 | फरवरी,1999 | 7 | 6 | 13 |

उपरोक्त विवरण के आधार पर विदित होता है कि वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में वृद्धि प्रतिशत मात्र 8.7 प्रतिशत है। माह अक्टूबर, 1997 से फरवरी, 1999 तक दर्ज ऐसे अभियोगों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है। अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज अभियोगों में जिला पुलिस अधीक्षक पाली द्वारा परीक्षण उपरान्त नतीजा आदेश दिया जाता है। अतः वृताधिकारी बाली द्वारा अपराधियों से सांठ–गांठ कर अधिकांश मामलों में एफ.आर. देने का तथ्य सही नहीं है। माह अक्टूबर, 1997 से फरवरी, 1999 तक वृताधिकारी बाली द्वारा 30 अभियोगों में एफ.आर. (अदमवकुआ) दी गयी। सूची परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) जी नहीं। यह भी सही नहीं है। वृत बाली में ऐसे किसी भी मामले में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान नहीं लिया गया है।

(गृह मंत्री)

(4) वृत्त बाली में अनु. जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के दर्ज अभियोगों में वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में कमी आयी है तथा न्यायालय द्वारा किसी भी एफ.आर. में प्रसंज्ञान भी नहीं लिया गया है। चूंकि तथ्यों के आधार पर उप अधीक्षक, बाली द्वारा निष्पक्ष रूप से अनुसंधान करना पाया गया है। अतः उनकी कार्य–कुशलता पर विपरीत टिप्पणी करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

**(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## उच्च स्तरीय पदों की समीक्षा

702. **श्री नाथूराम** (किशनगढ़) एवं **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मध्यम व निम्न श्रेणी के कर्मचारियों पर होने वाले खर्चो की अपेक्षा उच्च स्तरीय सेवाधिकारियों पर होने वाला खर्च सापेक्षिक रूप से अत्यधिक है ?

(2) क्या सरकार शासन सचिवालय एवं विभिन्न विभागों में उच्चस्थ पदों के सृजन, उनकी उपादेयता, औचित्यता तथा उच्च स्तरीय प्रशासनिक पुनर्गठन के बारे में समीक्षा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। राज्य कर्मचारियों को निम्न, मध्यम व उच्च स्तरीय श्रेणियों में वर्गीकरण करने के आदेश नहीं है। फिर भी वेतनमान संख्या 13 (8000–13500) व इससे ऊपर के वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को उच्च श्रेणी में माना जाता है तो इनकी संख्या लगभग 26,107 व शेष लगभग 5,76,748 कर्मचारी मध्यम व निम्न श्रेणी के माने जा सकते हैं। उच्च स्तरीय अधिकारियों के वेतन व भत्तों पर होने वाला कुल व्यय मध्यम व निम्न श्रेणी के कर्मचारियों पर होने वाले व्यय से कम है।

(2) जी हां। इस संबंध में निरन्तर–प्रक्रिया चलती रहती है। वर्तमान में भी एक मंत्री मंडलीय समिति गठित है जो 31.3.99 के पश्चात् सभी स्तर के रिक्त पदों का विश्लेषण कर इन पदों को भरने के संबंध में अपनी सिफारिशें देंगी।

## राजस्थान पुलिस सेवा में चयनित महिला अभ्यर्थी

703. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 1995–96 के माध्यम से चयनित राजस्थान पुलिस सेवा में उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी को स्वास्थ्य परीक्षा में गलत अयोग्य करार दिये जाने पर अभ्यर्थी के राज्य सरकार को दिये अभ्यावेदन के आधार पर पुनः मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गया ? यदि हां, तो दोनों स्वास्थ्य परीक्षण में क्या अन्तर पाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि पुनः स्वास्थ्य परीक्षण में महिला अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस सेवा के लिए योग्य पाई गई ?

(3) क्या सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा के लिए स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य करार दिये सभी अभ्यर्थियों को पुनः स्वास्थ्य परीक्षण का मौका दिये जाने हेतु पत्र जारी किये कि वे अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहें तो दिनांक 16.12.98 तक प्रस्तुत कर दें ? यदि हां, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने पुनः स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किये और पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कुल कितने अभ्यर्थियों के हुए ?

(4) उक्त में से कितने अभ्यर्थी पुनः स्वास्थ्य परीक्षण में राजस्थान पुलिस सेवा के योग्य पाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार के निर्देशानुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः स्वास्थ्य परीक्षण करवाये जाने पर राजस्थान पुलिस सेवा के योग्य पाये गये दोनों ही अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण के लिए जारी सूची में सम्मिलित नहीं किया तथा कुल राजस्थान पुलिस सेवा के 36 पदों के विरुद्ध केवल 34 अभ्यर्थियों को ही आधार भूत प्रशिक्षण में बुलाया ? क्या बाद में बिना सर्विस अलाटमेंट के आधार भूत प्रशिक्षण के लिए एक अभ्यर्थी को बुलाया गया जबकि दूसरे महिला अभ्यर्थी जो पूर्व में ही आधार भूत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी थी, को (अन्य सर्विस में) कुछ भी सूचना नहीं दी गई ?

(6) क्या सरकार आधार भूत प्रशिक्षण काल पूर्ण होने से पूर्व सर्विस अलाटमेंट पत्र जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो पुनः स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का औचित्य क्या था ?

(7) क्या पूर्व में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में प्रशिक्षण हेतु भेजा जा चुका है और एक महिला अभ्यर्थी जो पूर्व में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त है, को नहीं भेजा गया? यदि हां, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1)जी हां। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1995–96 के माध्यम से चयनित महिला अभ्यार्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा सीने की माप राजस्थान पुलिस सेवा हेतु निर्धारित माप से कम होने के कारण दिनांक 1.8.98 को अयोग्य करार दिया गया। उक्त अभ्यार्थी का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण दिनांक 19.11.98 को किया गया है। दोनों स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टस का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

| दिनांक | सीने की माप | |
|---|---|---|
| | फुलाने पर | बिना फुलाये |
| 1.8.98 | 78 से.मी. | 72 से.मी. |
| 19.11.98 | 84 से.मी. | 79 से.मी. |

(कार्मिक मंत्री)

(2) जी हां। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण में, उक्त महिला अभ्यर्थी को राजस्थान पुलिस सेवा हेतु मेडिकल बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किया गया है।

(3) जी हां। राजस्थान पुलिस सेवा हेतु अयोग्य घोषित किये गये 12 अभ्यर्थियों को जो कि मेरिट के अनुसार उक्त सेवा हेतु पात्रता रखते थे को पुनः स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु पत्र जारी किये गये। इनमें से सिर्फ पांच अभ्यर्थियों द्वारा पुनः स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किये। जिनमें से सिर्फ चार अभ्यर्थियों के ही उपस्थित होने के कारण मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

(4) उक्त चार अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी श्री रतन सिंह पुनः स्वास्थ्य परीक्षण में राजस्थान पुलिस सेवा के योग्य घोषित किया गया।

(5) जी हां। श्री रतन सिंह को आधारभूत प्रशिक्षण में भेजा गया। सुश्री कमल शेखावत आधारभूत प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर चुकी थी, अतः आधारभूत प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा गया।

(6) नहीं। आधारभूत प्रशिक्षण के पश्चात् अभ्यर्थियों को दिनांक 10.11.98 द्वारा आवंटित सेवा के अनुरूप ही संस्थागत प्रशिक्षण हेतु सात अभ्यर्थियों जिन्हें अभी कोई सेवा आवंटित नहीं की गई है भेजा गया। यह ट्रेनिंग प्रोविजनल है तथा रिट पीटिशन संख्या 111/99 रतन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं रिट पीटिशन संख्या 112/99 सुश्री कमल शेखावत बनाम राज्य सरकार के निर्णय के अध्यधीन होगी। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण की वैधता संबंधी प्रकरण विचाराधीन है।

(7) जी हां। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था जिन्हें राजस्थान पुलिस सेवा आवंटित की गई थी को राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण हेतु भेजा जा चुका है। महिला अभ्यर्थी को कोई सेवा आवंटित नहीं होने के कारण राजस्थान पुलिस अकादमी में नहीं भेजा गया।

## हाथकरघा विकास निगम को दी गई राशि

704. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमुवा–रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम जयपुर को वर्ष 1995–96 से 1998–99 तक राज्य व केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी परियोजना/योजना तथा अन्य मदों में कुल कितनी धनराशि दी गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

वित्तीय वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम को केन्द्र व राज्य सरकार से विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं में प्राप्त राशि का विवरण वर्षवार निम्नानुसार है :–

**ए-केन्द्र सरकार** (राशि रुपयों में)

| क्र.स. | विवरण | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हेंक यार्न अनुदान | 38,79,032 | – | – | – |
| 2. | प्रोजेक्ट पैकेज योजना | 9,19,000 | 1,61,25,000 | – | – |
| 3. | बाजार विकास सहा. | 10,13,375 | 4,86,625 | – | – |
| 4. | ऊनी परियोजना | 51,81,250 | – | – | – |
| 5. | जनता कपड़े पर अनुदान | – | 2,37,262 | 34,41,298 | 14,47,760 |
| 6. | एक्सपो रिबेट योजना | – | – | 1,65,846 | – |
| | कुल | 1,09,92,657 | 1,68,48,887 | 36,07,144 | 14,47,760 |

**बी-राज्य सरकार**

**निगम की आयोजना सीमान्तर्गत**

| क्र.स. | विवरण | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | करघों की आधुनिकीकरण योजना | 20,00,000 | – | – | – |
| 2. | प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास | 22,98,000 | – | – | – |
| 3. | प्रचार प्रसार और प्रदर्शनी | 14,50,000 | – | 1,00,000 | 2,00,000 |
| 4. | बाजार विकास सहायता | 23,72,075 | 9,47,778 | – | 10,43,755 |
| 5. | प्रोजेक्ट पैकेज योजना | 16,28,000 | 1,12,00,000 | – | 55,65,000 |
| 6. | सामूहिक बीमा योजना | 50,000 | 50,000 | 50,000 | – |
| 7. | एक्सपो रिबेट योजना | 75,379 | 2,37,884 | 1,38,613 | 8,172 |
| 8. | अंश पूंजी | 1,01,00,000 | 1,24,00,000 | 75,00,000 | – |
| 9. | कम्प्यूटर की स्थापना | – | 2,00,000 | – | – |
| 10. | सोफ्ट लोन | – | 1,60,00,000 | 1,21,50,000 | 1,78,00,000 |
| 11. | द्वाकरा उत्पादनों हेतु ऋण | – | 25,00,000 | – | – |
| | कुल | 1,99,73,454 | 4,35,35,662 | 1,99,38,613 | 2,46,16,927 |

(उद्योग मंत्री)

सी-राज्य सरकार द्वारा निदेशक, उद्योग के माध्यम से हाथकरघा विकास निगम को प्राप्त राशि :

निदेशक उद्योग के बजट से

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | यातायात व्यय अनुदान | 27,135 | – | – | – |
| 2. | ब्रिक्री कर अनुदान | 3,02,669 | – | – | – |
| 3. | थ्रिफ्ट फण्ड योजना | 1,00,000 | 2,00,000 | – | 50,000 |
| 4. | केन्द्रीय सरकार की आवास सह कार्यशाला योजना | – | – | – | 2,00,000 |
| 5. | ब्याज अनुदान | 23,438 | 1,25,224 | 32,492 | – |
| | योग | 4,53,242 | 3,25,224 | 32,492 | 2,50,000 |

## इन्दिरा इण्डोर स्टेडियम जैसलमेर के निर्माण में अनियमितताएं

705. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर में इन्दिरा इण्डोर स्टेडियम बना हुआ है ? उक्त स्टेडियम किसकी सम्पत्ति है ?

(2) क्या उक्त स्टेडियम निर्माण कार्य में अनियमितता बाबत शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों की जांच कराई गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्टेडियम के रख–रखाव हेतु कोई वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है ?

(4) क्या जैसलमेर में खेल अधिकारी का पद रिक्त है ?

(5) उक्त स्टेडियम विकास हेतु क्या भावी योजना है।

**उत्तर**

(1) जी हां। यह नगरपालिका, जैसलमेर की सम्पत्ति है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

(5) कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

**(जांच रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)**

## डिगरना एवं सिनला (जैतारण) के खनिज पट्टे

706. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री हीरासिंह चौहान)

करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की जैतारण तहसील के गांव डिगरना व सिनला के लाइमस्टोन का क्षेत्रफल 192.80 हैक्टयर के पी.एल.के. लिए श्रीमती चांद कंवर पत्नी नरपत सिंह राजपूत निवासी गोदरास तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) ने सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार समयावधि के अन्दर आवेदन किया था ? यदि हां, तो इनको पी.एल. अब तक स्वीकार नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या उक्त वर्णित क्षेत्रफल का विज्ञप्ति के अनुसार किसी अन्य आवेदक ने भी पी.एल. लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो आवेदक का नाम मय पते के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पी.एल. किन कारणों से सरकार द्वारा अस्वीकार की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या श्रीमती चांद कंवर ने भारत सरकार के माइन्स मंत्रालय में दिनांक 29.9.94 को राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध रिवीजन प्रार्थना पत्र दिया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या आदेश प्राप्त हुआ ?

(5) क्या उक्त विज्ञप्ति में जो क्षेत्रफल बताया है उसमें केवल 1/8 भाग राज्य सरकार का है तथा शेष भाग में खातेदार काबिज हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। यह आवेदन पत्र राज्य सरकार, आदेश क्रमांक प. 16(80)खान/1/93 दिनांक 24.8.94 से निम्न कारण से अस्वीकृत किया है: 'सिनला–जैतारण क्षेत्र जिला पाली में उच्च क्षमता का बड़ा सीमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु पर्याप्त मात्रा में लाइमस्टोन के भण्डार उपलब्ध होने से भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका (गाइड लाइन्स) के अनुसार लघु क्षमता का सीमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु खनन पट्टा अनुदान हेतु उपलब्ध नहीं माना गया।"

(2) जी हां। निम्न आवेदकों द्वारा उक्त वर्णित क्षेत्र के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र, खनन पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है :–

| क्र.स. | आवेदक का नाम | आवेदन तिथि | एम.एल./पी.एल. | आवेदित क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | सर्वश्री पित्ती सीमेन्ट एंड इण्ड. लि. कृष्णा भवन, 12 चौपासनी रोड, जोधपुर–342003 (एम.एल. 3/92) | 20.3.92 | खननपट्टा | 600 है. |
| 2. | सर्वश्री पित्ती सीमेन्ट एण्ड इण्ड. लि. कृष्णा भवन, 12 चौपासनी रोड, | 31.3.92 | पूर्वे.अनु.पत्र | 600 है. |

(राज्य मंत्री, खनिज)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | जोधपुर–342003 (पी.एल. 19/92) | | | |
| 3. | सर्वश्री विनोद सीमेन्ट वर्क्स प्रा. लि. सी/ओ. श्री केवलचन्द गोलेछा पुत्र श्री हस्तीमल गोलेछा, 85 वीर दुर्गादास नगर, पाली | 28.5.92 | पूर्वे.अनु.पत्र | 192.80 है. |
| 4. | सर्वश्री पित्ती सीमेन्ट एण्ड इण्ड. लि., कृष्णा भवन, 12 चौपासनी रोड, जोधपुर–342003 (एम.एल. 3/96) | 19.1.96 | खननपट्टा | 600 है. |
| 5. | सर्वश्री पित्ती सीमेन्ट एण्ड इण्ड. लि. कृष्णा भवन, 12 चौपासनी रोड, जोधपुर–342003 (पी.एल. 4/96) | 19.1.96 | पूर्वे.अनु.पत्र | 600 है. |
| 6. | श्री डी.एस. राठौड. पोस्ट घूधला वाया सोजत रोड जिला पाली (पी.एल.47/96) | 18.11.96 | पूर्वे.अनु.पत्र | 600 है. |

(3) आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का कारण प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में दिया जा चुका है।

(4) जी हां। राज्य सरकार के उक्त अस्वीकृत आदेश दिनांक 24.8.94 के विरुद्ध आवेदिका श्रीमती चांदकंवर द्वारा रिवीजन याचिका भारत सरकार के खान मंत्रालय के समक्ष दिनांक 26.9.94 को प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है। अंतिम आदेश अपेक्षित है।

(5) जी नहीं। आवेदिका द्वारा उनके पत्र दिनांक 6.7.92 से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार क्षेत्र का अधिकांश भाग राजकीय भूमि है।

## राष्ट्रीय राजमार्ग सेन्दडा सुमेरपुर पर दुर्घटनाओं से अवरुद्धता

707. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1998 में राष्ट्रीय राजमार्ग सेन्दडा से सुमेरपुर तक (पाली) कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई ? उक्त दुर्घटनाओं के कारण उक्त राजमार्ग कितनी बार कितने समय तक अवरुद्ध रहा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को राजमार्ग से हटाने हेतु पुलिस के पास कोई साधन है ? यदि नहीं, तो अब तक उक्त वाहनों को हटाने हेतु किस प्रकार साधन जुटाये गये ?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(3) क्या सरकार दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को शीघ्र हटाये जाने हेतु क्रेन एवं अन्य साधन जिला पुलिस मुख्यालय पर उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग सेन्दडा से सुमेरपुर तक वर्ष 1998 में कुल 393 सड़क दुर्घटनाएं हुई। उक्त दुर्घटनाओं के कारण राजमार्ग कुल पांच बार अवरुद्ध रहा–दिनांक 28.12.98 को सरहद सांडेराव पर सूमो व ट्रक में दुर्घटना होने से एक घण्टा, दिनांक 27.11.98 को देवरी माता के मन्दिर के पास ट्रेक्टरों के एक्सीडेन्ट होने से डेढ़ घण्टा जाम हुआ व तीन बार कुछ समय के लिए जाम लगा।

(2) पुलिस के पास दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को राजमार्ग से हटाने के लिए कोई साधन नहीं है परन्तु परिवहन विभाग द्वारा चार क्रेन उपलब्ध करवाई गई हैं जो बस्सी, बगरू, बादर सिंदरी एवं बिच्छीवाड़ा थाने में तैनात है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1998 में जिला प्रशासन द्वारा अस्थाई रूप से उर्स मेले के समय एक क्रेन सेन्दडा से सुमेरपुर तक राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए उपलब्ध कराई गई थी। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के लिए अन्य वाहनों एवं प्राइवेट क्रेन की मदद से तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाती है।

(3) उच्च मार्ग गश्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त एवं गलत तरीके से पार्किंग किये गये वाहनों को हटाकर सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए चार क्रेन हैं जो परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है जो बस्सी, बगरू, बादर संदरी एवं बिच्छीवाड़ा थाने में तैनात है। सीमित वित्तीय साधनों को दृष्टिगत रखकर ही क्रेन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

## तहसीलदार, सांगोद एवं बैंक कर्मियों द्वारा काश्तकारों के साथ दुर्व्यवहार

708. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला कोटा की तहसील सांगोद में दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 1999 तक कितने बैंकों के बकायादारों ने तहसीलदार व बैंक अधिकारियों के विरुद्ध बदसलूकी और जबरदस्ती, खाने पीने का सामान या प्रतिदिन उपभोग के सामान उठाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई ?

(2) पुलिस द्वारा तहसीलदार और बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पुलिस उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) फरियादियों के नाम, पूर्ण पता तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन दिलावर)

(4) उक्त बकायादारों पर कितनी कितनी राशि बकाया थी तथा उनका क्या–क्या सामान उठाकर ले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस अवधि के दौरान इस संबंध में कोई अभियोग पुलिस में पंजीबद्ध नहीं हुआ है।

(2) पुलिस विभाग में कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं है अतः पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

(3) पुलिस विभाग में किसी परिवादी ने रिपोर्ट नहीं कराई है।

(4) जब रिपोर्ट दर्ज ही नहीं हुई तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

## जिला बीकानेर के साहसी पुलिस कर्मियों को विशेष पदोन्नति

709. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 में बीकानेर जिले के बज्जू थाना क्षेत्र में बरामद किये गये हथियार व गोला बारूद अब तक राजस्थान में पकड़े गए हथियारों/गोला बारूद में सर्वाधिक थे ?

(2) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 का नियम 28 (बी) में इस प्रकार के हथियार बरामद कराने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए विशेष पदोन्नति का प्रावधान है ?

(3) वर्ष 1993 में बज्जू थाना क्षेत्र में हथियारों के बरामद कराने वाले पुलिस कर्मचारियों के नाम पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा प्रश्न सं. (2) के नियम के तहत प्रस्तावित करके पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किये थे ?

(4) प्रश्न संख्या (2) के नियम के तहत यदि पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा नाम प्रेषित किए थे तो क्या उनमें से किसी भी पुलिस कर्मचारी को विशेष पदोन्नति प्रदान की गई हैं ?

(5) यदि हां, तो किस–किस को और नहीं तो क्यों ?

(6) क्या सरकार भविष्य में प्रश्न संख्या (2) के नियम के तहत प्रश्न सं. (1) के प्रकरण में विशेष पदोन्नति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा विशेष पदोन्नति हेतु प्रस्तावित कर्मचारियों के कार्य व उनके योगदान पर विचारण किये जाने पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाये गये।

(6) जी नहीं।

## कृषि अनुसंधान केन्द्र इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में रिक्त पद

710. **श्री गोवर्द्धन** कल्ला (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कितने कृषि अनुसंधान केन्द्र कार्यरत हैं ?

(2) उक्त अनुसंधान केन्द्रों को कितने हैक्टेयर भूमि आवंटित हैं ?

(3) उक्त अनुसंधान केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त है ?

(4) क्या उक्त क्षेत्र हेतु विशेष कृषि परियोजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में छह कृषि अनुसंधान क्षेत्र कार्यरत है जो कि इस प्रकार है : हनुमानगढ़, बरोड़, लूनकरणसर, गौडू, नाचना, मोहनगढ़।

(2) हनुमानगढ़ फार्म को 71.25 है, बरोड़ फार्म को 182 है, लूनकरणसर को 77.03 है, गोडू को 80.00 है, नाचना फार्म को 31.25 है, मोहनगढ़ फार्म को 42.25 है, भूमि आवंटित है।

(3) हनुमानगढ़ फार्म पर 26 पद स्वीकृत है जिनमें छह पद रिक्त हैं, बरोड में 16 पद स्वीकृत हैं जिनमें चार पद रिक्त हैं, लूनकरणसर में 15 पद स्वीकृत हैं जिनमें एक पद रिक्त है, गौडू में 27 पद स्वीकृत हैं जिनमें 11 पद रिक्त हैं, नाचना फार्म में 17 पद स्वीकृत हैं जिसमें तीन पद रिक्त हैं, मोहनगढ़ फार्म में 15 पद स्वीकृत हैं जिसमें सात पद रिक्त हैं। इस प्रकार सभी छह फार्मो पर कुल 116 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 32 पद रिक्त हैं।

(4) 9वीं पंचवर्षीय योजना में दो नये एडोप्टिव ट्रायल सेंटर खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

## कृषि अधिकारियों की पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें

711. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाड़नूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सहायक कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी, सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक व अतिरिक्त निदेशक के कितने पद दिनांक 31.3.99 तक रिक्त हो चुके हैं और कितने पद दिनांक 31.3.2000 तक संभावित रिक्त हो जायेंगे ?

(2) क्या उक्त रिक्त पदों की भर्ती के लिए वर्ष 1997–98 से 1999–2000 की डी.पी.सी. का कार्य एक साथ करवाया जायेगा ?

(3) उक्त रिक्त पदों की भर्ती के लिए वर्ष 1997–98 से 1999–2000 की एक साथ डी.पी.सी. का कार्य कब तक पूर्ण कर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

लिया जायेगा ?

(4) उक्त पदों के लिए दिनांक 1.4.99 को क्या वरीयता होगी ?

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 31.3.99 तक प्रश्नगत सेवा संवर्ग के 308 पद रिक्त हो चुके हैं। दिनांक 31.3.2000 तक प्रश्नगत सेवा संवर्गों के 248 पद और रिक्त हो जायेंगे।

(2) जी नहीं। डी.पी.सी. के नियमों के प्रावधानानुसार प्रत्येक वर्ष की डी.पी.सी. वर्षवार अलग–अलग ही आयोजित की जाती है, न कि एक साथ।

(3) उक्त रिक्त पदों की भर्ती के लिये वर्ष 1997–98 में कृषि अधिकारी की डी.पी.सी. बकाया है। जिनके अभिलेखों की पूर्ति होने पर डी.पी.सी. की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी। वर्ष 1997–98 की प्रश्नगत सेवा अन्य सेवा संवर्ग की सभी डी.पी.सी. आयोजित की जा चुकी है। वर्ष 1998–99 के लिये उक्त पदों की डी.पी.सी. के प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग को सहमति हेतु भिजवाये गये हैं। सहमति प्राप्त होने पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी। वर्ष 1999–2000 के लिये उक्त पदों में से दो संवर्गों के प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग को सहमति के लिये भिजवाये गये हैं, शेष के प्रस्ताव तैयार किये जाकर आयोग को शीघ्र ही भिजवाये जायेंगे।

(4) उक्त पदों के लिये दिनांक 1.4.99 को वरीयता इन संवर्गों की वर्षवार ड़ी.पी.सी. के परिणामस्वरूप होने वाले आधार पर होगी।

## विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के भवन विहीन चिकित्सालय

712. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में कितने स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भवन रहित केन्द्रों/उपकेन्द्रों को कब तक भवन उपलब्ध कराया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 23 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कराये जाने के साथ–साथ विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अन्तर्गत आने वाले भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण करवाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)**

## जिला सिरोही के चिकित्सालयों में रिक्त पद

713. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राजकीय रेफरल चिकित्सालय, शिवगंज (सिरोही) की क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है ? क्या उक्त अस्पताल की क्षमता 50 बिस्तर करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या उक्त अस्पताल में चिकित्सकों के नए पद सृजित करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ?

(3) क्या पोसालिया (सिरोही) के अस्पताल में महिला चिकित्सक का पद सृजित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(4) क्या यह सही है कि कालन्द्री (सिरोही) के अस्पताल में कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का पद गत वर्ष खतम कर दिया गया ? क्या सरकार इसे पुनः सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालन्द्री (सिरोही) में कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पालडी में हस्तान्तरित कर दिया गया है। जी हां। पद को पुनः स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

## राजकीय चिकित्सालय कोटपूतली में मेडिकेयर सोसायटी का गठन

714. **श्री रघुवीर सिंह** (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बी.डी.एम. चिकित्सालय, कोटपूतली में मेडिकेयर सोसायटी अब तक नहीं चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त अस्पताल में सरकार "लाइफ–लाइन" सेवा प्रारम्भ करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां। राजकीय बी.डी.एम. चिकित्सालय, कोटपूतली में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी दिनांक 18.11.97 से पंजीकृत है लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। मेडिकेयर रिलीफ समिति की बैठक में शुल्क लगाने के मुद्दे पर मतभेद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

(2) जी हां। जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 3.4.99 को हुई मीटिंग में बी.डी.एम. चिकित्सालय में लाइफ

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

लाईन सेवा प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। लाइफ लाइन सेवा को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

## सैटेलाइट चिकित्सालय, हिरण मगरी का भवन निर्माण

715. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि गत 15 वर्षों से उदयपुर का सेटेलाइट चिकित्सालय हिरण मगरी किराये के भवन में चल रहा है ? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

जी हां। राजकीय सेटेलाइट अस्पताल, हिरणमगरी, उदयपुर का भवन निर्माण चरणबद्ध तरीके से करवाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 1999–2000 की बजट निर्णायक समिति के निर्णय अनुसार राशि रुपये 50 लाख का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

## मेडिकल कालेजों में फिजियोथेरेपिस्ट के रिक्त पद

716. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों में फिजिकल (रिहेबिलेशन) विभाग में फिजियोथेरेपिस्टों के वर्तमान में कितने स्वीकृत पद हैं ? उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता क्या है ?

(2) क्या राजस्थान के किसी मेडिकल कालेज में फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स की वर्तमान में व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त डिग्री कोर्स निकट भविष्य में चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि नही, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 27 अप्रेल, 1994 को आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 13 रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार लिए गये थे ? यदि हां, तो अभी तक उक्त साक्षात्कार का परिणाम नहीं निकाले जाने के क्या कारण हैं ? अब सरकार थेरेपिस्ट की नियुक्तियां कब तक कराने का विचार रखती है। यदि नहीं तो क्यो ?

**उत्तर**

(1) राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों में फिजिकल (रिहेबिलेशन) विभाग में 16 फिजियोथेरेपिस्ट एवं एक वरिष्ठ फजियोथेरेपिस्ट के पद स्वीकृत हैं। उक्त पद की निर्धारित योग्यता सैकेण्डरी या समकक्ष तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा पत्र संख्या पं. 6(2)एमई/ग्रुप–1/87(111) दिनांक 15.11.88 के द्वारा सवाई मानसिंह महाविद्यालय, जयपुर को 10 सीटों के साथ फिजियोथेरेपी

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

डिग्री कोर्स प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक एफिलिएशन की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण उक्त कोर्स प्रारम्भ नहीं हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के पश्चात् शीघ्र डिग्री कोर्स प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(3) जी हां। दिनांक 27.4.94 को आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार लिये गये थे। आवश्यक योग्यता धारित नहीं किये जाने के कारण किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया था। विधिवत परिणाम दिनांक 23.8.97 को घोषित किये गये। आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

## विधान सभा क्षेत्र कठूमर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

717. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कितने चिकित्सालय कहां कहां संचालित हैं एवं उनमें कितने–कितने पद सृजित तथा कितने किस–किस संवर्ग के रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के कठूमर कस्बे में सामुदायिक चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में एक 30 शैय्याओं का चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेड़ली में कार्यरत है। इस चिकित्सालय में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 1999–2000 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण कठूमर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में संभव नहीं है। आगामी वित्तीय वर्षों में प्रावधान उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य स्थानों के साथ कठूमर पंचायत समिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)**

## विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सड़क निर्माण

718. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्ष 1990 के पूर्व कितनी किलोमीटर डामर/गिट्टी सड़क बन चुकी थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) उक्त क्षेत्र में मार्च 1990 के बाद पक्की/गिट्टी की कितनी किलोमीटर सड़क बनाइ गई और उस पर कितनी धन राशि व्यय की गई ? विवरण सड़क की लम्बाई एवं कार्य के प्रकार सहित सदन की मेज पर रखें ?

(3) उक्त क्षेत्र में कितनी पंचायतें आज भी डामर की सड़क से नहीं जुड़ पाई एवं कितनी किलोमीटर सड़क अब भी बनना शेष है ?

(4) क्या सरकार अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ीसादड़ी में वर्ष 1990(31.3.90) के पूर्व 168 कि.मी. डामर सड़कें एवं 17 कि.मी. मेटल सड़कें कुल 185 कि.मी. सड़क निर्माण हुआ था जिसकी सूची परिशिष्ट 'अ' में सलंग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ीसादड़ी में वर्ष 1990(31.3.90) के बाद 153.25 कि.मी. डामर की सड़क तथा 28.5 कि.मी मेटल (गिट्टी) की सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जिस पर कुल 625.07 लाख रुपये व्यय हुआ है। सूची परिशिष्ट 'ब' में संलग्न की गई है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बड़ीसादड़ी में 14 पंचायत मुख्यालय मार्च, 99 तक डामर सड़क से नहीं जुड़े हैं जिनमें से 8 पंचायत मुख्यालयों को 31.50 कि.मी. सड़क से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति प्राप्त है एवं कार्य प्रगति पर है एवं छह पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ने हेतु 46 कि.मी. सड़क बनना शेष है विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) जी हां। अपूर्ण सड़के जो पंचायत मुख्यालयों को जोड़ती है एवं सड़क विकास नीति के अन्तर्गत आती है, इन्हें नेवीं पचवर्षीय योजना में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से जोड़ा जा सकेगा।

**(सूची/विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)**

## तहसील चूरू के ग्रामीण क्षेत्र की सम्पर्क सड़कें

719. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील चूरू की सम्पर्क सड़क रामपुरावास जसरासर से दूधवा मीठा व घंटेल से पीथीसर कब स्वीकृत हुई, कितनी राशि का प्रावधान था, कितना निर्माण कार्य कितनी राशि का हुआ, निविदाएं कब आमंत्रित की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों सड़कों के निर्माण पर विभिन्न न्यायालयों ने स्थगन आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो कब तथा सरकार ने कब जवाबदावा प्रस्तुत किया ? सरकार स्थगन आदेश समाप्त

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करवाने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि स्वीकृति के पश्चात् भी सम्पर्क सड़क ढाणी डूंगरसिंहपुरा, जसरासर, हनुमानगढ़ी का निर्माण कार्य ठेकेदार ने प्रारम्भ नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब सरकार कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ?

(4) चूरू शहर व ग्रामीण क्षेत्र में कितने भवन की किस–किस विभाग के निर्माण हेतु कब–कब स्वीकृति प्राप्त हुई और कितने निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गये तथा कितने बन्द हैं ?

**उत्तर**

(1) तहसील चूरू की सम्पर्क सड़क रामपुरावास–जसरासर से दूधवा मीठा की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक एफ.2(17)पी.डब्लू./एएस/95 दिनांक 5.1.96 के द्वारा रुपये 15.00 लाख की दी गई। उक्त कार्य की निविदाएं 25.3.96 को आमंत्रित की गई थी। सम्पर्क सड़क रामपुरावास जसरासर से दूधवा मीठा के निर्माण हेतु वर्ष 98–99 मे रुपये 6.18 लाख का बजट प्रावधान था। इस सम्पर्क सड़क पर 3.00 किमी डब्लू.बी.एम. का कार्य पूर्ण हो चुका है जिस पर रुपये 7.05 लाख व्यय किये गये, घन्टेल से पीथीसर सड़क के बचे हुए निर्माण कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश संख्या ए.एफ. 2(5)पीडब्लू/एएस–98 दिनांक 28.8.98 के द्वारा रुपये 6.00 लाख की दी गई। इस कार्य की उच्च न्यायालय, जोधपुर के स्थगन आदेश होने के कारण निविदा आमंत्रित नहीं की गई। तत्पश्चात् वर्ष 98.99 मे स्वीकृत कार्य जो भौतिक रूप से शुरू नहीं हुए उनका पुनरावलोकन किया जा रहा है। अतः अभी यह कार्य करना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी हां। सम्पर्क सड़क रामपुरावास जसरासर से दूधवा मीठा के निर्माण के विरुद्ध में सिविल न्यायालय कनिष्ठ खण्ड चूरू ने दिनांक 25.3.98 को स्थगन आदेश दिये। स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाबदावा दिनांक 21.3.98 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सिविल न्यायाधीश के स्थगन आदेश दिनांक 25.3.98 के विरुद्ध माननीय डी.जे. न्यायालय, चूरू में दिनांक 24.4.98 को अपील दायर की गई, परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6.10.98 को अपील खारिज कर दी गई। तत्पश्चात्, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील दायर करने हेतु प्रकरण उप विधि परामर्शी को प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 15.4.99 को अपील की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अपील की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

(3) जी हां। दिसम्बर, 1998 में राज्य सरकार द्वारा अगस्त व अक्टूबर, 1998 में प्रसारित उन सभी स्वीकृतियों की समीक्षा की गई तथा जो कार्य भौतिक रूप से प्रारम्भ नहीं किये गये, उनकी क्रियान्विति को अग्रिम पुनरावलोकन तक स्थगित रखा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

गया। चूंकि ये कार्य भी उन स्वीकृतियों में सम्मिलित थे। अतः इनकी क्रियान्विति तदनुसार स्थगित की गई।

(4) चूरू शहर व ग्रामीण में संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न विभागों के भवनों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। कोई भी निर्माण कार्य बंद नहीं है। संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

## ग्राम देसूरी(पाली) के बस स्टैण्ड की सीमा पर अतिक्रमण

720. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू), **श्री जितेन्द्र सिंह** (अलवर) एवं **श्री देवीलाल बैरवा** (शाहपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम देसूरी (पाली) के मुख्य बस स्टैण्ड पर सड़क सीमा 30 फुट के अन्दर अवैध भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस आदेश से ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहायक अभियन्ता देसूरी द्वारा उक्त अवैध निर्माण को रोकने का नोटिस जरिये पुलिस थाना देसूरी द्वारा तामील करवाया है ? यदि हां, तो नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या यह सही है कि कनिष्ठ अभियन्ता ने निर्माण कार्य को जारी रखने का मौखिक आदेश दे रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क सीमा में हो रहे अवैध निर्माण को हटवाकर निर्माणकर्त्ता के एवं कनिष्ठ अभियन्ता देसूरी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी हां। साण्डेराव देसूरी राज्य उच्च मार्ग संख्या 16 पर देसूरी बस स्टैण्ड किमी. 278 में दायीं तरफ सड़क के मध्य बिन्दु से 31 फीट की दूरी पर श्री घनश्याम पुरी पुत्र श्री सेवा पुरी देसूरी द्वारा स्वयं के पट्टे में पंचायत देसूरी की स्वीकृति से कार्य शुरू करवाया गया। पट्टा व पंचायत स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है। परिशिष्ट 'अ' पर।

(2) जी हां। प्रतिलिपि संलग्न है। परिशिष्ट 'ब' पर।

(3) जी नहीं।

(4) अवैध निर्माण कार्य हटवाने की कार्यवाही जारी है। संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार राजस्थान राज मार्ग अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत दिनांक 24.3.99 को नोटिस दिया जा चुका है। क्रम संख्या 3 में दिये गये उत्तर अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(पट्टा एवं स्वीकृति-पत्र की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## विधान सभा क्षेत्र फागी में सड़क निर्माण

721. श्री अशोक तंवर (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी में कितनी किलोमीटर पेवर सड़क का निर्माण किया हुआ है ?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में क्या सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांव अभी भी सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के सभी गांवों को सड़कों को जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 12 (जयपुर कोटा) पर 14 किलोमीटर पेवर सड़क का निर्माण किया हुआ है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र फागी के 46 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 44 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को (36 डामर सड़क से 5 मेटल सड़ [illegible] ग्रेवल सड़क से) सड़क से जोड़ा जा चुका है। शेष दो को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फागी के कुल 46 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 36 ग्राम पंचायत मुखालयों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है। शेष 10 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 5 को डामर सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है एवं मार्च, 2000 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है तथा शेष पांच ग्राम पंचायत मुख्यालयों को राज्य की सड़क विकास नीति के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फागी में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के 45 ग्राम हैं जिनमें 34 ग्राम डामर सड़कों से जुड़े हैं तथा 11 ग्राम डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। राज्य सरकार की सड़क विकास नीति के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों व पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर 1000 से कम आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ना सड़क विकास नीति के अन्तर्गत नहीं आता है।

## बाल मजदूरी की रोकथाम हेतु गठित जिला स्तरीय समितियां

722. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा बाल श्रमिकों की रोकथाम करने बाबत प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कमेटियों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कमेटियों की नियमित बैठकें होती हैं ?

(3) क्या कमेटियों बाबत कोई बजट निर्धारित है ? क्या कमेटियों का निर्माण करने बाबत कोई अन्य दिशा निर्देश हैं ? यदि हां, तो वांछित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बाल श्रमिक प्राधिकरण में श्रम संगठनों का कितना–कितना प्रतिनिधित्व है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा बाल श्रमिकों की रोकथाम करने बाबत प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कमेटियों का निर्माण नहीं किया गया है किन्तु प्रत्येक जिले में बाल श्रम पुनर्वास एवं कल्याण समिति का गठन किया है।

(2) उपरोक्तानुसार बाल श्रमिकों की रोकथाम करने बाबत समितियां गठित नहीं हैं। अतः बैठकें होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) बाल श्रमिकों की रोकथाम से संबंधित जिला स्तरीय कमेटियों का निर्माण नहीं होने की स्थिति में कमेटियों बाबत कोई बजट निर्धारित होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) बाल श्रम प्राधिकरण में श्रम संगठनों का प्रतिनिधित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

## श्रम समझौता अधिकारी द्वारा प्रेषित वाद

723. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) औद्योगिक अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के जो असफल वार्ता प्रतिवेदन राज्य सरकार को श्रम समझौता अधिकारी प्रेषित करते हैं; इन विवादों पर नियम की धारा 12(5) के तहत कार्यवाही को करते हुए सक्षम न्यायालयों में भिजवाने के लिये सरकार द्वारा:

1. क्या कोई प्राथमिकता तय की जाती है ? विवाद सक्षम न्यायालयों में कितने समय में भिजवाया जाता है ?

2. विवादों को सक्षम न्यायालयों में भिजवाने में विलम्ब न हो, इस हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

(2) क्या सरकार उक्त प्रकरणों में विलम्बा न हो; इस बाबत सीधे श्रम न्यायालयों में पेश करने हेतु नियमों में कोई संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन विवादों पर अधिनियम की धारा 12(5) के तहत कार्यवाही को करते हुए सक्षम न्यायालयों में भिजवाने के लिए सरकार द्वारा विवाद की प्रकृति को देखते हुए एवं औद्योगिक शांति बनाये रखने की दृष्टि से विवादों को न्याय निर्णयार्थ श्रम न्यायालयों को भिजवाने में प्राथमिकता दी जाती है। यद्यपि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में प्राथमिकता का प्रावधान नहीं है।

विवादों को सक्षम न्यायालयों में भिजवाने में विलम्ब न हो इसके लिए समय–समय पर अभियान चलाकर प्रकरणों को शीघ्र न्यायालयों में भिजवाया जाता है।

(2) अधिनियम की धारा 2–ए के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक विवादों को समझौता कार्यवाही विफल होने पर सीधे श्रम न्यायालयों में विवाद उठाने का विकल्प संबंधित श्रमिक को देने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

## ग्राम रोडू (नागौर) के माध्यमिक विद्यालय के भवन की मरम्मत

724. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रोडू तहसील लाडनूं जिला नागौर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय का भवन सरकारी है ? यदि हां, तो सरकार ने कब बनवाया ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह भवन किसी दानदाता ने बनाकर दिया था ? यदि हो तो कब तथा किसने और किन शर्तों पर ?

(3) क्या उक्त भवन को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया ? यदि हां तो कब तथा किन–किन शर्तों पर ?

(4) क्या उक्त भवन में मरम्मत की आवश्यकता है ? यदि हां,तो कितनी राशि व्यय होगी जो किसकी तरफ से व्यय की जायेगी और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्यालय भवन का निर्माण दानदाता के द्वारा वर्ष 1969 में करवाया गया। दानदाता ने उक्त भवन विभाग को 11 अप्रेल, 1991 में सुपुर्द किया।

(2) जी हां। विद्यालय भवन दानदाता ने विद्यालय का नामकरण फतेह चन्द लोहिया रा.मा.वि. रोडू (लाडनूं) रखे जाने की शर्त पर विभाग को सुपुर्द किया गया।

(3) जी हां। दानदाता की विद्यालय का नाम 'फतेह चन्द लोहिया राज.मा.वि., रोडू (लाडनूं)' रखे जाने की शर्त पर 11 अप्रेल, 91 को राज्याधीन लिया गया।

(4) जी हां। भवन मरम्मत पर होने वाले व्यय का मूल्यांकन करवाये जाने हेतु पी.डब्ल्यू.डी. को लिखा जा रहा है। मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत राशि का आवंटन किया जाकर भवन मरम्मत की कार्यवाही की जायेगी।

## जिला बाड़मेर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था

725. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के अधिकांश उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को तीन किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में पीने के पानी के कनेक्शन दिलाकर या टांके बना कर पानी पहुंचाने के लिए व्यवस्था करेंगी ? यदि हां, तो कब से ?

### उत्तर

जी नहीं। जिला बाड़मेर में 409 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। मात्र 30 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पानी का कनेक्शन नहीं है। इन 30 विद्यालय में विद्यार्थियों के पीने के पानी की व्यवस्था प्रधानाध्यापकों द्वारा की जाती है।

18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगवाने हेतु प्रति विद्यालय हेतु 0.40 लाख रुपये का आवंटन किया गया, किन्तु तकनीकी कारणों से हैण्डपम्प लगवाया जाना संभव नहीं होने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। अन्य व्यवस्था के प्रयास किये जा रहे हैं।

## जिला जयपुर के क्रमोन्नत विद्यालयों में नियुक्त प्रधानाध्यापक

726. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा जिला जयपुर में सितम्बर, 1998 में प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत की गई थी ? यदि हां, तो कहां–कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में किस–किस प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें

(3) क्या यह सही है कि कई प्रधानाध्यापकों ने नियुक्ति से आज तक भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

### उत्तर

(1) जिला जयपुर में सितम्बर, 98 में नौ प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1. गोपालपुरा   2. मालेड़ा
3. सांगा का बास 4. रामजीपुरा खुर्द
5. बडसी   6. रघुनाथपुरा
7. उगावास,   8. घाटी कारोलाना
9. भांकरोटा खुर्द

(2) उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांगा का

(शिक्षा मंत्री)

बास में श्री रामजीलाल, राज. उच्च प्राथमिक विद्यालय रामजीपुरा खुर्द में श्री भंवरलाल कुमावत, रघुनाथपुरा में श्री लक्ष्मीनारायण को प्र. अ. के पद पर पदस्थापन कर दिया गया।

(3) जी हां। इनका पदोन्नति पर प्र. अ. पद पर पदस्थापन किया गया था। इनके द्वारा पदोन्नति नहीं त्यागने की हालत में यदि पदस्थापित स्थान का कार्यभार नियमानुसार अवधि में नहीं संभालने पर कार्यवाही की जायेगी।

## विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के विद्यालय

727. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में वर्ष 1985 से फरवरी, 1999 तक कितने सीनियर हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी एवं मिडल स्कूल खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितने सीनियर हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी एवं मिडल स्कूल हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीनियर हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी एवं मिडल स्कूल खोले नहीं जाते हैं वरन् क्रमोन्नत किये जाते हैं। वर्ष 1985-86 से 1998-99 के मध्य विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में, छह उच्च माध्यमिक को माध्यमिक विद्यालयों व 29 प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। वर्षवार, विद्यालयवार क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त क्षेत्र में 7 सीनियर माध्यमिक विद्यालय, 14 माध्यमिक विद्यालय व 63 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं।

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)**

## तहसील राजगढ़ (चूरू) के प्राथमिक विद्यालय भवन

728. **श्री रामसिंह कस्वां** (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजकीय प्राथमिक विद्यालय नं. 4, राजगढ़ जिला चूरू का भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण व गिरने की स्थिति में है ? यदि हां तो इसकी मरम्मत के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(2) क्या सरकार राजकीय उच्च प्राथमिक (नवीन) कन्या विद्यालय राजगढ़ (चूरू) के रिक्त भवन में उक्त प्राथमिक शाला नं. 4 को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कालरी तहसील राजगढ़ जिला चूरू के चार कमरों की स्थिति भी अत्यन्त दयनीय

(श्री रामसिंह कास्वां)

है ? यदि हां, तो सरकार इसके सुधार के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज. प्राथ. विद्या. नं. 4 का भवन सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उपखण्ड राजगढ़ (चूरू) के अनुसार जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। उक्त विद्यालय निकटतम विद्यालय में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। वर्तमान में इन चार कमरों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये कमरे विद्यालय परिसर से अलग हैं। वर्तमान विद्यालय भवन पर्याप्त है। विद्यालय भवन के मरम्मत के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत गुणावगुण के आधार पर भवन मरम्मत हेतु राशि आवंटन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

## विधान सभा क्षेत्र देसूरी के विद्यालयों में रिक्त पद

729. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी के कौन–कौन से उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कौन कौन से पद कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)**

## विधान सभा क्षेत्र कठूमर के विद्यालयों में रिक्त पद

730. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में कितने–कितने पद सृजित हैं एवं कितने रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में संचालित राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय में सृजित एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)**

## पोलीटैक्निक कालेज, अलवर के छात्रों हेतु छात्रावास

731. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के पोलीटैक्निक छात्रों को आवासीय सुविधा हेतु अलवर शहर में एक छात्रावास निर्मित है ? यदि हां, तो उसे बन्द करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार इस छात्रावास को पुनः चालू कर कमजोर वर्ग के उक्त छात्रों को सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। केवल पोलीटैक्निक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों हेतु ना तो छात्रावास पूर्व में निर्मित था एवं ना ही वर्तमान में संचालित है। पूर्व में पोलीटैक्निक परिसर में जो छात्रावास था उसमें सभी वर्गो के छात्र प्रवेश ले सकते थे। छात्रों के आपसी झगड़े एवं तनाव व्याप्त रहने के कारण छात्रावास बन्द करने का निर्णय लिया गया।

(2) जी नहीं।

## पंचायत समिति मांडल (भीलवाड़ा) में उपलब्ध कराये गये पम्प सैट

732. **श्री हफीज मोहम्मद** (मांडल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मांडल (भीलवाड़ा) द्वारा काश्तकारों को कृषि हेतु पम्प सैट उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि हां, तो विगत पांच वर्षो में पंचायत समिति द्वारा किन–किन काश्तकारों को पम्प सैट उपलब्ध कराये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या गरीबी रेखा से नीचे वाले चयनित व्यक्तियों को उपलब्ध कराये सैटों में भ्रष्टाचार हुआ है ? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त पम्प सैट उपलब्ध कराने का क्या आधार रखा गया था ? क्या पम्प सैट जिनको दिये गये उनके पास पहले से ही पम्प सैट उपलब्ध नहीं हैं ?

**उत्तर**

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इस प्रकरण में कथित भ्रष्टाचार की प्राथमिक जांच हो चुकी हैं एवं प्राथमिक जांच पश्चात् प्रकरण परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित्त एवं विकास निगम, भीलवाड़ा को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) उक्त पम्प सैट राजस्थान अनुसूचित जाति, जन जाति विकास निगम द्वारा संचालित निःशुल्क सामूहिक पम्प सैट योजनान्तर्गत निम्न आधारों पर उपलब्ध कराये गये हैं :–

1. अनुसूचित जाति के लघु/सीमान्त काश्तकार जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची में चयनित थे या उसके परिवार की वार्षिक आय 11000/– रु. से कम थी, उन्हें निःशुल्क पम्प सैट प्राप्त करने के लिए पात्र माना गया हैं।

2. एक समूह में कम से कम तीन तथा अधिकतम पांच सदस्य हो सकते हैं।

3. समूह के सदस्यों की न्यूनतम भूमि 8 बीघा तथा अधिकतम 24 बीघा होनी चाहिए।

4. समूल का कोई भी सदस्य अनु. जाति विकास निगम द्वारा संचालित किसी भी योजना में पूर्व में लाभान्वित नहीं होना चाहिए।

इस योजना के लाभार्थियों को पूर्व में डीजल पम्प सैट उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## पंचायत समिति मांडल (भीलवाड़ा) द्वारा निर्मित सुलभ शौचालय

733. श्री **हफीज मोहम्मद** (मांडल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मांडल द्वारा सुलभ शौचालय बनाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिस व्यक्ति को उक्त शौचालय बनाने का ठेका दिया गया था वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार ने दोषी अधिकारी/ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। पंचायत समिति माण्डल द्वारा शौचालय बनाने हेतु कोई निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई हैं, क्योंकि ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम योजना में स्वच्छता यूनिट का निर्माण लाभार्थी द्वारा ही कराया जाता है।

(2) जी नहीं। किसी व्यक्ति को ठेका नहीं दिया गया है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

## सचिव, शिक्षाकर्मी बोर्ड के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

734. श्री **रमजान खान** (पुष्कर) एवं श्री **गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या पंचायती

(श्री रमजान खान)

राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार को, शिक्षाकर्मीगण द्वारा सचिव, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड के विरुद्ध भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इसमें उल्लेखित आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों और हां तो जांच रिपोर्ट व की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। पूर्व सचिव, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड के विरुद्ध दिनांक 27.11.95 से 5.6.96 की अवधि में नौ ज्ञापन प्राप्त हुए थे। ज्ञापन की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) आरोपों के परीक्षण पश्चात् प्रभारी निदेशक, शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा सभी आरोप निराधार पाये गये। अतः आगे जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया।

**(ज्ञापन की प्रतियां विस्तृत होने कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## पंचायत समिति अरांई (अजमेर) के मृतकर्मी के आश्रितों का भुगतान प्रकरण

735. **श्री सांवर लाल (भिनाय)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति अरांई, जिला अजमेर में मृत कर्मी के आश्रितों को सरकारी सेवा में लेने संबंधी प्रकरण लंबित हैं ? यदि हां, तो किस–किस के और लंबित रहने के क्या कारण है ?

(2) क्या आश्रित को देय अन्य देयराशि सामूहिक दुर्घटना बीमा संबंधी जी.पी.एफ. का भुगतान कर दिया गया ? अब तक किस–किस का भुगतान बकाया रहने के क्या कारण हैं ? अब सरकार कब तक भुगतान/नौकरी की व्यवस्था करेगी ?

**उत्तर**

(1) पंचायत समिति के निम्न मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दिया जाना विचाराधीन है :–

स्व. श्री रिद्धकरण अध्यापक तथा स्व. श्रीमती गीता शर्मा, सहायक कर्मचारी के आश्रित क्रमशः श्री घीसालाल एवं अजय शर्मा ने सहायक कर्मचारी के पद के लिए आवेदन किया है। अजमेर जिले में पंचायती राज विभाग के अधीन पद रिक्त नहीं होने के कारण अभी तक इन मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति नहीं दी जा सकी है।

(2) जी नहीं। स्व. श्री रिद्धकरण चौधरी अध्यापक के सामूहिक दुर्घटना बीमा का भुगतान बकाया है। पंचायत समिति अरांई के पत्र क्रमांक 4032 दिनांक 26.3.99 से आक्षेप की पूर्ति कर प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को स्वीकृति हेतु भेज दिया है। जी. पी.एफ. राशि के भुगतान हेतु प्रकरण भी

(पंचायती राज मंत्री)

आक्षेपों की पूर्ति कर प्रावधायी निधि विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। राज्य बीमा एवं उपार्जित अवकाश नगद भुगतान इनकी पत्नी को कर दिया गया है। स्व. श्रीमती गीता देवी शर्मा, सहायक कर्मचारी का प्रावधायी निधि/राज्य बीमा/उपार्जित अवकाश नगद भुगतान एवं एरियर का भुगतान बकाया है। इनका 1.9.96 का वेतन स्थिरीकरण दिनांक 30.9.98 को किया जाकर एरियर बिल पारित किये जा चुके हैं। जी.पी.एफ. राज्य बीमा के प्रकरण में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर संबंधित विभाग को भिजवा दिया है। अधिकार पत्र प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जावेगा।

अजमेर जिले में सहायक कर्मचारियों के रिक्त पद न होने के कारण मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अन्य जिलों में रिक्त सहायक कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति देना प्रस्तावित है।

## राजकीय प्राथमिक विद्यालय हनुमानगढ़ के कर्मियों की लूटी गई राशि का भुगतान

736. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री नानूराम, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नम्बर 1, हनुमानगढ़ के वेतन राशि रुपये 15,872 दिनांक 01.10.97 को बैंक से लेकर आते समय रास्ते में लुटेरों ने लूट ली थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि राशि लूट जाने के बाद उक्त अध्यापक ने पुलिस थाना हनुमानगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी ?

(3) क्या निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने दिनांक 27.8.98 को शिक्षा सचिव, राजस्थान, जयपुर को इस अध्यापक की लूटी गई राशि का पुनः भुगतान करने हेतु वेतन राशि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम संख्या 352/48 पार्ट–1 के प्रावधानों के अनुसार पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अध्यापक को पुनः भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि हां तो कब तक ?

### उत्तर

(1) जी हां। यह राशि श्री नानूराम के अलावा अन्य दो अध्यापकों के वेतन की भी थी। यह राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, न कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय।

(2) जी हां।

(3) विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर अपने पत्र दिनांक 12.11.98 के द्वारा निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा से चाही गई सूचना दिनांक 27.3.99 के माध्यम से प्राप्त हो गई है। प्रकरण अब सहमति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया हुआ है। प्रकरण में की गई कार्यवाही से संबंधित पत्रों की प्रतियां चाहे अनुसार सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–1 व 2)

(शिक्षा मंत्री)

(4) वित्त विभाग से पुनः आहरण की स्वीकृति प्राप्त होते ही अध्यापक को भुगतान करने की कार्यवाही की जायेगी।

**(आदेश की प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)**

## चांदरास (मांडल) के सरपंच के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

737. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला भीलवाड़ा, पंचायत समिति मांडल की ग्राम पंचायत चांदरास के सरपंच के विरुद्ध चांदरास एनीकट पर चल रहे अकाल राहत कार्यों पर फर्जी हाजिरी लगातार चार माह तक भरने की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) क्या उक्त शिकायत में सरपंच को जांच करने पर जांचकर्ता द्वारा फर्जी हाजिरियां भरने का दोषी माना है ? यदि हां, तो क्या उक्त सरपंच को अब तक दण्डित किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त सरपंच के विरुद्ध जांच रिपोर्ट कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर के पास पहुंच चुकी है ? यदि हां, तो कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। उक्त शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा करवाई गयी।

(2) जी हां। उक्त सरपंच के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को 6/2/99 को पहुंची। जांच रिपोर्ट मय आरोप पत्र दिनांक 20/4/99 को राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। इस पर राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 38 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

## पंचायत समिति महुवा (दौसा) के फर्जी यात्रा बिलों का भुगतान

738. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति महुवा (दौसा) में मार्च, 1999 में कितनी राशि के यात्रा भत्ता बिल किस–किस कर्मचारी के पारित किए गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कर्मचारियों द्वारा यात्राएं कार्यालय अध्यक्ष के आदेश/अनुमति से की गई थीं ? यदि हां, तो यात्राएं किस–किस अधिकारी के आदेश से कब–कब की गई ? आदेश/अनुमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(3) क्या उक्त अवधि के सक्षम अधिकारी द्वारा यात्राओं को प्रमाणित कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो बिना प्रमाणीकरण के की गई फर्जी यात्रा की कितनी राशि का भुगतान क्यों किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस तरह की फर्जी यात्राओं का भुगतान करने/पाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति महुवा के मार्च, 99 में पारित किये गये यात्रा भत्ता बिलों की सूची राशि सहित संलग्न है।

(2) जी हां। कर्मचारियों द्वारा सामान्यतः सक्षम अधिकारी की अनुमति/आदेश के यात्राएं की गई हैं। प्रसार अधिकारियों के यात्रा बिल प्रमाणित भ्रमण डायरी के आधार पर पारित किये गये हैं।

(3) जी हां। उक्त अवधि के यात्राओं का प्रमाणीकरण सक्षम अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा किया गया।

(4) फर्जी यात्रा बिलों का भुगतान नहीं हुआ है अतः कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें)**

## ग्राम पंचायत नांगलचांपा(दौसा) के प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण

739. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गांव सराय, ग्राम पंचायत नांगलचांपा (दौसा) में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कब–कब कहां कितनी लागत का हुआ है ?

(2) उक्त विद्यालय के लिए कितनी भूमि उपलब्ध है ? उक्त विद्यालय में वर्तमान में छात्र संख्या कितनी है और विद्यालय का संचालन किस भवन में हो रहा है ? क्या ग्राम पंचायत अन्य स्थान यथा चारागाह आदि पर नये भवन का निर्माण करवाना चाहती या करा रही है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

(3) क्या विद्यालय भवन के नाम पर सरकारी राशि का व्यय हुआ, वहां निजी व्यक्ति के कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना चाहती है ?

उत्तर

(1) ग्राम सराय, ग्राम पंचायत, नांगलचांपा (दौसा) में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 1990–91 में रुपये 17,414/– का तलाई के पास हुआ तथा वर्ष 1998–99 में अन्य आवंटित भूमि खसरा नं. 277/153 रकबा 0.75 में राशि 38,280/– का हुआ।

(2) उक्त विद्यालय हेतु 0.75 हैक्टेयर

(पंचायती राज मंत्री)

भूमि उपलब्ध है। विद्यालय में वर्तमान छात्र संख्या 101 है। विद्यालय जनसहयोग से निर्मित पुराने भवन के दो कमरों में चल रहा है। ग्राम पंचायत आवंटित भूमि पर विद्यालय भवन का निर्माण कार्य करवा रही है। ग्राम पंचायत पूर्व आवंटित भूखण्ड तलाई के किनारे होने से अनहोनी घटना की संभावना व विद्यालय विकास हेतु भूमि अभाव के कारण नये भूखण्ड पर निर्माण करवा रही है।

(3) जी हां। विद्यालय भूखण्ड के पड़ौसी ने खाली जगह देखकर खाद, गोबर डाल रखा था, जिसको हटाने के लिए नोटिस जारी कर सामान हटाने हेतु पाबन्द किया गया है।

## पंचायत समिति सिवाना (बाड़मेर) के शिक्षाकर्मी अध्यापक

740. **श्री गोपाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सिवाना, जिला बाड़मेर को शिक्षाकर्मी योजना चालू करने के लिए चयनित किया गया था? यदि हां, तो कब ? पंचायत समिति सिवाना में कौन–कौन से गांव/ढाणियों में उक्त योजना के अंतर्गत विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया ? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन गांवों/ढाणियों में स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है उसमें अध्यापकों का चयन भी किया गया था ? यदि हां, तो कहां–कहां पर किस–किस का और कब–कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शिक्षाकर्मी अध्यापक का चयन करते समय उसी गांव/ढाणी के प्रार्थी को जो योग्यता रखता हो चयन किया गया ? यदि हां, तो ऐसे कितने शिक्षा कर्मी विद्यालय हैं जिनमें उसी गांव/ढाणी के प्रार्थी का चयन न कर दूसरे गांवों के कम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले शिक्षा कर्मी अध्यापकों का चयन किया गया ? क्या चयन प्रक्रिया में अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं बरतने की शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1989 में सिवाना पंचायत समिति का परियोजना में चयन किया गया। जिन गांव/ढाणियों में शिक्षाकर्मी परियोजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया उसकी सूची पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1)

(2) जी हां। चयनित किये गये शिक्षाकर्मियों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है। (परिशिष्ट–2)

(पंचायती राज मंत्री)

(3) गांव के योग्य आशार्थी को ही शिक्षाकर्मी के पद पर चयनित किया जाता है। गांव में योग्य आशार्थी नहीं मिलने पर गांव वालों की सर्वसम्मति के आधार पर शिथिलन देकर पड़ौस के गांव के योग्य आशार्थी का चयन किया जा सकता है। ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं है कि गांव में योग्य आशार्थी के रहते हुए अन्य गांव के कम योग्यता वाले आशार्थियों को शिक्षा कर्मी के पद पर चयनित किया गया हो। कोयटा बस्ती के शिक्षाकर्मियों के चयन को लेकर श्री शमशुदीन की शिकायत आई थी। इनकी शिकायत पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति सिवाना से जांच कराई गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से पाया गया कि श्री शमशुदीन विद्यालय परिक्षेत्र के बाहर, कुण्डल का रहने वाला था, जबकि दोनों चयनित शिक्षाकर्मी विद्यालय परिक्षेत्र के रहने वाले थे। अतः शिकायत झूठी पाई गई ऐसी स्थिति में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नही उठता।

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखे)**

## जिला टोंक में प्रस्तावित नई पंचायत

741. **सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** (खानपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक के ग्रामवासी सतवाड़ा, नया गांव, नेगड़िया, लाखोलाई, भगवानपुरा आदि गांवों को दिनांक 10.12.96 को ग्राम पंचायत राजमहल से पृथक कर सतवाड़ा नया गांव के नाम से पृथक पंचायत गठन करने हेतु ज्ञापन तहसीलदार देवली को दिया और उन्होंने अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव दिनांक 4.7.97 को जिला कलेक्टर को भिजवा दिया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति देवली ने भी दिनांक 5.8.98 को अपनी अनुशंसा जिला कलेक्टर टोंक को भिजवा दी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर सरकार कब तक निर्णय लेकर स्वीकृति प्रदान कर देगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 101 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(3) राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन हेतु जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार उक्त कार्यवाही दिनांक 30 जून, 99 तक सम्पन्न की जानी है।

## जैसलमेर नगर के पर्यटन केन्द्रों का विकास

742. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में जैसलमेर नगर में देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर के आसपास अमरसागर एवं बाग बड़ा पर्यटन के आकर्षण केन्द्र हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों स्थानों को निजी मान कर विभाग द्वारा इनके विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ?

(4) क्या सरकार उक्त दोनों केन्दों के विकास हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार।

(2) जी हां।

(3) उक्त दोनों स्थानों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव ही विभाग को प्राप्त नहीं हुए है।

(4) जी नहीं। विभाग के पास वित्तीय संसाधन सीमित है।

**(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)**

## पथ परिवहन निगम की नकारा बसों की बिक्री

743. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को नकारा करने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) राज्य के विभिन्न आगारों में परिवहन निगम की कितनी बसे बेकार पड़ी हैं, उनमें से कितनी बसें चैक करवा कर रोड पर लाई जा सकती हैं ?

(3) क्या सरकार इन बेकार/नकारा बसों को शैक्षणिक संस्थाओं व स्वैच्छिक संस्थाओं को उचित मूल्य पर देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इनकी कीमत के मूल्यांकन का क्या आधार है ?

उत्तर

(1) निगम की बसों को नकारा घोषित करने के मानदण्डों के अनुसार बसों के छः लाख कि.मी. संचालन या सात वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया जाना निर्धारित है।

(2) निगम की विभिन्न आधार कार्यशालाओं में दिनांक 31.3.99 को 101 बसें मरम्मत हेतु आफ रोड थी। इन बसों की मरम्मत निर्धारित प्रक्रियानुसार यथाशीघ्र कर संचालन हेतु उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(3) जी हां। मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड शैक्षणिक संस्थाओं/रजिस्टर्ड मेडिकल

(यातायात मंत्री)

संस्थाओं/चैरिटेबल संस्थाओं को दो लाख रुपये (नियमानुसार आर.एस.टी. सरचार्ज यदि बस की बाडी राजस्थान से बाहर बनी हो) में बेची जाती हैं। नीलाभी में प्राप्त मूल्य तथा नई बस के बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर विक्रय मूल्य तय किया जाता है।

## विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में सांसद कोष से निर्माण कार्य

744. **श्री रामस्वरूप** (टोड़ाभीम) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :–

(1) जिला सवाईमाधोपुर को वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 तक कितनी–कितनी राशि सांसद कोष विकास योजना के तहत विकास कार्यों हेतु प्राप्त हुए ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्र सरकार से प्राप्त सांसद कोष स्थानीय विकास योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कितने–कितने निर्माण कार्य स्वीकृत हुये उनमें से कितने कार्य पूर्ण हुये एवं कितने अपूर्ण रहे ? अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे एवं उन पर कितनी–कितनी राशि व्यय हो चुकी है ? क्या सरकार अपूर्ण रहे कार्यों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अब कितने कार्य किस–किस ग्रामों को आवंटित किये गये ? ग्रामों का नाम राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर को वर्ष 1995 से फरवरी, 99 तक सांसद कोष विकास योजना के तहत वर्षवार प्राप्त हुई राशि का विवरण निम्नानुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है :

| वर्ष | राशि (लाखों में) |
|---|---|
| 1995–96 | 309.00 |
| 1996–97 | 300.00 |
| 1997–98 | 50.00 |
| 1998–99 | 150.00 |
| योग | 809.00 |

(2) केन्द्र सरकार से प्राप्त सांसद कोष स्थानीय विकास योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम (पं.स.टोडाभीम व नादोती) में वर्ष 1995 से 1998–99 तक 195 कार्य स्वीकृत हुए जिनमें से 151 कार्य पूर्ण हुए एवं 44 कार्य अपूर्ण रहे। कार्य अपूर्ण रहने का कार्य पं.सं. एवं कार्यकारी विभागों द्वारा यू.सी./सी.सी. प्रस्तुत नहीं करने से राशि का अभाव रहना है। इन कार्यों पर रुपये 162.985 लाख की राशि व्यय हो चुकी है। जी हां। इन कार्यकारी विभागों से पूर्व की यू.सी./सी.सी. प्राप्त होते ही इन अपूर्ण कार्यों हेतु राशि उपलब्ध करवाकर कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अब वर्ष 98–99 में 42 कार्य स्वीकृत हुए हैं। ग्रामवार कार्यो की स्वीकृत राशि का विवरण

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

परिशिष्ट–1 पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की योजनाओं हेतु दिशा-निर्देश

745. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं में से कुछ योजनाएं सरकार द्वारा जिला परिषदों को सौंपी जा रही हैं ? यदि हां, तो कौन–कौनसी, कब–कब से ?

(2) क्या सरकार ने इन योजनाओं को चलाने के लिए जो पूर्व के दिशा–निर्देश जारी कर रखे हैं, उसमें अब कोई परिवर्तन किया है या किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या क्या, कब–कब ?

**उत्तर**

(1) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित निम्नांकित योजनाएं जिला परिषदों को सौंपी जा रही हैं :–

1. अपना गांव अपना काम योजना
2. बत्तीस जिला बत्तीस काम
3. निर्बंध राशि योजना
4. ग्रामीण विकास केन्द्र
5. मेवात क्षेत्रीय विकास योजना
6. डांग क्षेत्रीय विकास योजना
7. बायो गैस योजना
8. वानप्रस्थ योजना
9. बन्धक श्रमिक पुनर्वास योजना।

उक्त योजनाएं दिनांक 1.4.99 से जिला परिषदों को सौंपने का निर्णय लिया गया हैं।

(2) जी नहीं। जारी दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं। इन योजनाओं के संचालन हेतु यथा आवश्यकता अपेक्षित परिवर्तन शीघ्र किए जाएंगे।

## जिला नागौर में बायोगैस प्लांट का भौतिक सत्यापन

746. **श्री हरिशचन्द** (नावां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले में वर्ष 1998–99 में किस–किस पंचायत समिति में बायोगैस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना–कितना लक्ष्य पूरा करने का प्रावधान रखा गया था और उसके विरुद्ध कितना लक्ष्य पूरा हो चुका है ? प्रत्येक पंचायत समिति में कितने–कितने व्यक्ति कहां–कहां लाभान्वित हुए हैं सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत वर्ष 1997–98 में नागौर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में कितने लोग इस योजनान्तर्गत लाभान्वित हुए थे तथा इनमें से अब कितने लोगों के बायोगैस,

(श्री हरिश्चन्द)

प्लांट सही चल रहे हैं ? क्या इनका भौतिक संत्यापन किया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्ष 1998–99 में बायोगैस कार्यक्रम के अन्तर्गत 125 संयंत्र निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। अभिकरण द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति को 20 संयंत्र निर्माण के लक्ष्य आवंटित किए गए थे जिसके विरुद्ध कुल 125 संयंत्र निर्मित किए गए। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) बायोगैस योजनान्तर्गत 1997–98 में कुल 102 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इनमें से 72 बायोगैस संयंत्र सही चल रहे हैं। जी हां। भौतिक सत्यापन दिसम्बर, 98 एवं मार्च, 99 में किया गया। सूचना परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)**

## जिला नागौर की सामुदायिक जलोत्थान योजना

747. **श्री हरिश्चन्द** (नावां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नागौर जिला सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना में सम्मिलित किया हुआ है यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना में नागौर जिला सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नये वित्तीय वर्ष में इसे सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नागौर जिले में बारह मासी बहने वाले नदी नाले नहीं हैं एवं ना ही इनमें सतही जल उपलब्ध है, इस कारण से नागौर जिले को सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(2) जी हां।

## ग्राम पुषड़ (बाड़मेर) के राहत कार्य में अनियमितता

748. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने पत्र क्रमांक निसप ग्रुप/95–975, दिनांक 31.10.95 को विकास अधिकारी, शिव को एक राहत कार्य में ग्राम पुषड़ के फर्जी मामले में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया था ?

(2) उक्त प्रकरण में आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में राजकीय प्राथमिक शाला पुषड़ में चारदीवारी निर्माण में अनियमितता बरतने के संबंध में

(पंचायती राज मंत्री)

ग्राम सेवक को नियमानुसार निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने एवं पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये थे। ग्राम सेवक के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

## मोटर गैरेज में अनुबंधित वाहन चालकों का स्थाईकरण

749. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या मोटर गैरेज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मोटर गैरेज जयपुर में वर्ष 1998–99 से वाहन चालक अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हा, तो इन्हें किस दर से भुगतान किया जाता है ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त वाहन चालकों को स्थाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) जी हां। वर्ष 1998–99 में नियमित रूप से एक वाहन चालक श्री महीपाल सिंह की नियुक्ति की गयी तथा आवश्यकतानुसार एक्स सर्विसमैन वैलफेयर कोआपरेटिव सोसायटी लि. जयपुर एवं निजी एजेन्सी/ठेकेदार से अनुबंध के आधार पर वाहन चालकों की सेवाएं ली गयी। भुगतान दर निम्न प्रकार रही है :–

1. नियमित रूप से नियुक्त चालक को वेतन श्रृंखला 3050–4590 से भुगतान।

2. एक्ससर्विस मैन वेलफेयर कोआपरेटिव सोसायटी लि. जयपुर के चालकों के पारिश्रमिक रुपये 2000/– मकान किराया रुपये 250/– प्लस पांच प्रतिशत सुपरवीजन चार्जेज प्रति चालक प्रतिमाह की दर से देय था।

3. एजेन्सी (ठेके पर) संविदा चालकों को निविदा में आयी दर से भुगतान किया जाता है। वर्ष 1998–99 में यह दर रुपये 1700/– प्रति चालक प्रतिमाह देय है। चूंकि नामों का विवरण संबंधित एजेन्सी/सोसायटी द्वारा संधारित किया जाता है, अतः अधिकृत सूची उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। नियमित रूप से नियुक्त वाहन चालकों को नियमानुसार परीवीक्षा अवधि समाप्त हो जाने पर नियमित कर दिया जाता है। विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से अनुबंध पर रखे गये चालकों को नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये राज्य सरकार के कर्मचारी न होकर एजेन्सी/ठेकेदार कर्मचारी हैं।

## सवाईमाधोपुर के बुनकरों को उपलब्ध कराया गया सूत

750. **श्रीमती यासमीन अबरार** (सवाई माधोपुर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्रीमती यासमीन अबरार)

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर के बुनकरों को उद्योग केन्द्र द्वारा एक लम्बे समय से सूत उपलब्ध नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त प्रकरण के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) गत दो वर्षो में सवाईमाधोपुर के बुनकरों को कब–कब, कितनी–कितनी मात्रा में सूत उपलब्ध करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1)जी नहीं। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. द्वारा सवाईमाधोपुर के बुनकरों को सदस्य सहकारी समिति के माध्यम से सूत उपलब्ध करवाया गया है तथा राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम द्वारा निगम के सवाईमाधोपुर डिपो द्वारा सवाईमाधोपुर के बुनकरों को सूत उपलब्ध कराया गया है।

(2) गत दो वर्ष 97–98 व 98–99 मे सवाईमाधोपुर के बुनकरों को उपलब्ध कराये गये सूत का विवरण निम्नानुसार है :–

| वर्ष | राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ | राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम |
|---|---|---|
| 1997–98 | 11204 कि.ग्रा. | 960 कि.ग्रा. |
| 1998–99 | 4634 कि.ग्रा. | 1055 कि.ग्रा. |

## स्थगित-प्रश्न

**अतारांकित प्रश्न संख्या-479**
**दिनांक 13.4.99**

**(स्थगित)**

(12.00 बजे)

# शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

**ख्वाजा शमसुद्दीन, पूर्व प्रधानमंत्री, जम्मू कश्मीर एवं श्री चन्द्रशेखर शर्मा पूर्व सदस्य के निधन पर**

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए जम्मू–कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री ख्वाजा शमसुद्दीन तथा राजस्थान विधान सभा के पूर्व विधायक श्री चन्द्रशेखर शर्मा के प्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री शमसुद्दीन का जन्म सितम्बर, 1922 में इस्लामाबाद में हुआ। आपने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से एम.ए. व एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

वर्ष 1936 में छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हुए श्री शमसुद्दीन वर्ष 1946 में 'कश्मीर छोड़ो आंदोलन' के दौरान 16 महीने जेल में रहे। आप वर्ष 1957 में राज्य विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा वर्ष 1962, 1967 एवं 1972 में पुनः विधायक निर्वाचित हुए। आप अक्टूबर, 1963 से फरवरी, 1964 तक जम्मू–कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। इससे पूर्व आप वर्ष 1957 से 1963 तक

(श्री अध्यक्ष)

राज्य के केबिनेट मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1967–68 में जन लेखा समिति के सभापति रहे। वर्ष 1968 से 1972 तक आप जम्मू–कश्मीर विधान सभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। श्री शमसुद्दीन डिस्ट्रिक्ट नेशनल कांफ्रेंस अनंतनाग के सचिव तथा उपाध्यक्ष रहे। आप डिस्ट्रक्ट कोआपरेटिव बैंक तथा पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रहे। आप लम्बे समय तक एक नेशनल कांफ्रेंस की कार्य समिति के सदस्य भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे।

श्री शमसुद्दीन का दिनांक 19 अप्रेल, 1999 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री श्री चन्द्रशेखर शर्मा का जन्म 9 सितम्बर, 1957 को हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दौसा में हुई तथा आपने राजकीय महाविद्यालय, दौसा से राजनीति शास्त्र में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री शर्मा आठवीं राजस्थान विधान सभा के लिए बांदीकुई निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जून, 1985 से जनवरी, 1988 तक राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव तथा फरवरी, 1988 से दिसम्बर, 1989 तक राज्य मंत्री रहे।

श्री शर्मा सामाजिक उत्थान के कार्यों के साथ–साथ भ्रमण, संगीत व साहित्यिक गतिविधियों में भी रुचि रखते थे।

श्री चन्द्रशेखर शर्मा का दिनांक 21 अप्रेल, 1999 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

**(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)**

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री दिग्वजय सिंह (उनियारा)** : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं आपके माध्यम से यह जाना चाहूंगा कि मैंने 22.3.99 को एक प्रश्न दियां था। आज एक महीना हो गया, वह प्रश्न आज दिन तक नहीं लगा। क्या बात है, कहां रह जाता है, यहा पर भी कोई +++ रहता है ?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपको इसकी जानकारी सचिवालय से पता लगाकर दे दूंगा।

**श्री हीरासिंह चौहान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 की आपके द्वारा व्यवस्था देने के बाद भी आज दिन तक किसी मंत्री का उत्तर नहीं आया जबकि आपने फरमा दिया था कि एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर उत्तर अपेक्षित है।

जनवरी के सेशन के भी नहीं आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, इसके लिये आप स्ट्रांग डाइरेक्शन दीजिए, सरकार को प्रताड़ित कीजिए।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : आप नहीं दे सकते तो ठीक है, इसके बारे में सक्षम नहीं हैं तो...(व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जवाब भेज दिये जाते हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, सकार सदन को इतने हल्केपन से ले रही है। यह माननीय सदस्य कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक–एक महीने तक 295 के जवाब नहीं आएं, हम क्यों तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगायें, क्यों हम यहां 295 लगायें। एक समय–सीमा आसन द्वारा तय कर दी गयी कि सात दिन में उत्तर देना पड़ेगा, उसके बाद भी उत्तर नहीं दें।

**श्री अध्यक्ष** : 295 की जो सूचनाएं हैं, राज्य सरकार के पास पहुंचने के बाद सात दिन में माननीय सदस्यों को वस्तु–स्थिति से जानकारी करा देनी चाहिए।

**श्री हीरासिंह चौहान** : आपने पहले भी डाइरेक्शन दिये, उसकी पालना नहीं हुई।

**श्री अध्यक्ष** : मैं मालूम कर लूंगा, कहां डाइरेक्शन की पालना नहीं हुई है तो आज ही स्ट्रांगली उनके एक्स्प्लेशन काल किया जाएगा।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला धौलपुर के थाना सरमथुरा के ग्राम मदनपुर–गोलारी में पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ कर निर्दोष व्यक्ति को मार दिये जाने की घटना के संबंध में।

(2) श्री जगत सिंह दायमा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में विगत कुछ वर्षों से कार्यरत गैर मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य की जनता को गुमराह कर धन एकत्रित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(श्री अध्यक्ष)

## नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित माननीय सदस्यों से विशेष उल्लेख की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री मदन दिलावर
2. श्री महादेव सिंह
3. श्री हीरासिंह चौहान
4. श्री सहदेव शर्मा
5. श्री जीतमल खांट
6. श्री भीमसेन चौधरी
7. श्री रमजान खान
8. श्री अमराराम (धोद)
9. श्री प्रतापसिंह सिंघवी
10. श्री रघुवीरसिंह गौड़
11. श्री हरीश कुमावत
12. श्री राजेन्द्र राठौड़
13. श्री मांगीलाल गरासिया
14. श्री निहाल चन्द चौहान
15. श्री श्रीचन्द कृपलानी
16. श्री श्रवण कुमार
17. श्री भवरू खां
18. डा. करण सिंह यादव
19. श्री ज्ञानचन्द पारख
20. श्री मोहनलाल चौहान
21. श्रीमती सुमित्रा सिंह
22. श्री नाथूराम अहारी
23. श्री बंशीलाल गहलोत
24. श्री भरोसीलाल
25. श्री अमीन खां
26. डा. किरोड़ी लाल

उपरोक्त सूचनाओं को समयाभाव के कारण आज सदन में पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सूचनाओं के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। सरमथुरा थाने में एक निर्दोष आदमी को पुलिस ने मार दिया और मारा कुल सुबह सात बजे मदनपुर गोलारी में और उसको मारने के बाद उसकी लाश पुलिस नहीं दे रही है। कानून को पूरी तरह से पुलिस ने हाथ में ले रखा है और पुलिस इस बात का षड्यंत्र कर रही है कि वहां पर फर्जी हथियार डालकर फर्जी मुठभेड़ बताकर उसको डकैत बताकर पुलिस उस हत्या से बचना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी इस मामले में जानकारी दें। यह बड़ी गम्भीर प्रवृत्ति का मामला हैं। आम तौर पर धौलपुर में और सरमथुरा के इलाके में इस ढंग की घटनाएं पुलिस जानबूझकर करती है और पुलिस इसलिए करती है कि उसको प्रमोशन मिल जाए, उसको पदक मिल जाए और पदक और प्रमोशन के चक्कर में पुलिस निर्दोष लोगों को मार रही है और इस राज को आने के बाद ऐसी तीन घटनाएं पुलिस द्वारा की गयी है। सरमथुरा के क्षेत्र में सरमथुरा के थानेदार ने और वहां की पुलिस ने बरात पर जाते हुए व्यक्तियों पर गोली चलाई

(डा. किरोड़ी लाल)

जिसमें एक बराती मारा गया। एक व्यक्ति हलुका नाम का जिसका नाक और कान डकैतों ने काट लिये थे उसको भी पुलिस ने मार दिया और बाद में डकैत घोषित कर दिया। अब यह लज्जा नाम का व्यक्ति जो कल सुबह सात बजे मदनपुर गोलारी में अपने काम से जा रहा था, पुलिस ने उस पर गोली चलायी। गोली चलाकर मार दिया। गांव के निर्दोष व्यक्ति को पुलिस ने मारा है। मैं गृह मंत्रीजी ने चाहूंगा कि इस ढंग से तो पुलिस को आपने धौलपुर जिले में निर्दोष लोगों को मारने का लाइसेंस दे दिया है। यहां कानून व व्यवस्था बिगड़ चुकी है और वहां एकदम जंगल राज चल रहा है।

(12.10 बजे)

**(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, षदासीन)**

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री इस बारे में सदन को जानकारी दें।

**श्री जगत सिंह दायमा** : उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर में आये दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और यह एक बहुत चिन्ता का विषय है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री जगत सिंह दायमा** : जो ग्रामीण भोले–भाले हैं, उनको मुठभेड़ में मार दिया जाता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गृह मंत्रीजी।

**श्री जगत सिंह दायमा** : माननीय मंत्रीजी को जब मालूम हुआ तो परसों यहां से चले गये, उन्हें चिन्ता तो है इस बात की, तो वे क्या जानकारी लेकर आये हैं, वह बता दें। (व्यवधान)

**श्री कय्यूम खान** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जान, मेरे परिवार वालों की और मेरी सुरक्षा की जाए। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैंने पहले भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बोल रहे हैं, रूको न। क्या बोल रहे हैं ? ऐसे कैसे बोल रहे हैं ? ऐसे कैसे बोलें ? माननीय सदस्य, आप प्लीज विराजिये। माननीय गृह मंत्रीजी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : एक महत्वपूर्ण बात है, उपाध्यक्ष महोदय, कि अभी पूर्व मंत्री चंद्रशेखर जी को हमने श्रद्धांजलि दी है और इनकी घटना के विषय में अखबार में अलग–अलग खबर आ रही है। लास्ट सीइंग का एविडेंस तो उनका दोस्त और ड्राइवर था, अब उनका करेक्टर एसेसिनेशन हो रहा है। सामान्यतया जो सरक्मसटासेंज हैं, उसके अन्दर लास्ट सीइंग की एविडेंस उसके खिलाफ है, उसके दोस्त के खिलाफ और एक एंगल यह भी है कि इनका मर्डर भी हो सकता है। कोई न कोई, अखबार के अन्दर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आ रहा है, उससे बिलकुल भ्रम फैल रहा है। होम मिनिस्टर का स्टेटमैंट जरूर आना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्रशेखरजी के बारे में, क्योंकि यह एक बहुत गम्भीर मसला है...

**श्री महेश जोशी** (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, बहुत जरूरी हैं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सदन के सदस्य थे, मंत्री थे और इसलिए एक स्टेटमैंट आना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : वह तो सुन ली न आपकी बात, आप विराजिए, जब बात करेंगे न। (व्यवधान)

**श्री महेश जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में दर्शक दीर्घा में बहुत छोटे–छोटे बच्चे बैठे हैं जो कल का भविष्य है। सदन की कार्यवाही देखने के लिए यहां आये हैं तो मेरा सभी साथियों से और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के साथियो से आग्रह है कि वे सदन की गरिमा बनाये रखें।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : सदन की कार्यवाही देखने आये हैं तो आप क्या कह रहे हैं ? हम तो गरिमा में ही रहते हैं। इस बारे में आपकी राय की आवश्यकता नहीं है, महेश जी! माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : राय दे रहे हैं। हमें सिखा रहे हैं यह। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : यह क्या तरीका हुआ ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : यह सरकार पहले अनुशासन कायम करें, सरकार की तरफ से तो...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर, कृपलानी जी, प्लीज।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, सरमथुरा के अन्दर यह पहला मामला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले फरवरी में एक मीरा गुर्जर...

**श्री कय्यूम खान** : माननीय उपाध्यक्ष, 19.4.99 को मैंने एक प्रश्न संख्या 2466 लगाया था उसमें...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : ...नाम के व्यक्ति को भी इसी तरह से घेर कर मारा गया था, झूठी गिरफ्तारी दिखायी गयी थीं। गृह मंत्रीजी को वक्तव्य देना चाहिए था। आपका गृह जिला है। यह आपके गृह मंत्री बनते ही यह सारे कहां से निकलकर आने लग गये ? गृह मंत्रीजी, पहले कभी सुना नहीं था। यह...(व्यवधान) आपने खुद के जिले में क्या हो रहा है ? दीये तले अंधेरा कैसे है ? गृह मंत्रीजी, जरा सूचित करें।

**श्री रामस्वरूप** : माननीय उपाध्यक्ष

(श्री रामस्वरूप)

महोदय, यह कोई ऐसा मसला नहीं है। माननीय चन्द्रशेखरजी जो हमारे सदन के सदस्य भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, उनके बारे में हमें तो वह निकालना चाहिए। माननीय गृह मंत्रीजी, बोलें। आपका इलाका है। वे तो अपने...(व्यवधान)

**श्री जगमाल सिंह यादव** : गृह मंत्रीजी का इलाका है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रामस्वरूपजी, विराजिये। आर्डर, आर्डर।

**श्री कय्यूम खान** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 19.4.99 को प्रश्न संख्या 2466 सैयद अब्दुल गनी गुडएज के लिए, ख्वाजा मैन होटल के लिए लगाया था। मुझे 17 तारीख को जब मैं अजमेर था, वहां पर टेलीफोन पर मुझे और मेरे परिवार के लोगों को मारने की धमकियां दी गयीं, जिसकी सूचना मैंने...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री कय्यूम खान** : ...जिसकी सूचना मैंने एस.पी. साहब और टेलीफोन महाप्रबन्धक को दी। मगर आज वह फोन मुझे और मेरे परिवार वालों को मारने की फिर दुबारा धमकी दी गयी है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे और मेरे परिवार वालों को सुरक्षा दी जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गृह मंत्रीजी। आर्डर, आर्डर।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : यह सरकार माननीय सदस्य की सुरक्षा नहीं कर सकती तो और क्या कर सकती है ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं तो इनको बोलने दो न। (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : उपाध्यक्ष महोदय, देखिये कि वे इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उनकी रक्षा यदि सरकार नहीं कर सकती तो इसका मतलब है कि राजस्थान की आम जनता की तो...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री रमजान खान** : माननीय सदस्य की सुरक्षा का सवाल है।

**श्री भवरूं खान** : माननीय सदस्य को धमकियां दी जा रही हैं। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : किसी सदस्य की ऐसी स्थिति है तो सरकार...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर में ऐसी घटना आजकल बहुत ही घट रही है। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : ऐसी ही घटना माननीय सदस्य श्री राजेन्द्रसिंहजी के साथ हो चुकी है और माननीय सदस्य के साथ भी हो रही है। किसी भी सदस्य के साथ ऐसा हो सकता है। (व्यवधान)

**श्री रमजान खान** : ऐसी स्थिति हमारी है तो...

**श्री बाबूलाल सिंगारिया** : इसका मतलब यह हुआ कि माननीय सदस्य विधान सभा

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

में प्रश्न लगाये और उससे किसी को नुकसान हो तो वे माननीय सदस्य को जान से मारने की धमकी दें। यह तो बहुत ही गम्भीर मामला है, इसलिए इस पर माननीय गृह मंत्रीजी को सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब सब एक साथ बोल लो। माननीय सदस्य, विराजिये। आप सब एक साथ बोलकर क्या प्राप्त कर रहे हो ? मैं एक–एक को काल–अपोन कर रहा हूं। आपको मौका दे रहा हूं। आप तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे क्या तकलीफ है। प्लीज, आर्डर आर्डर।

**श्री जगत सिंह दायमा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर में ऐसी रोज घटनाएं हो रही हैं और अगर झूठी मुठभेड़ दिखाकर... (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल सिंगारिया** : माननीय सदस्य की सुरक्षा का इन्तजाम किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से धमकियां दी जा रही हैं, मारने की धमकी दी जा रही है। इनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : गांव के लोगों को मारा जा रहा है और उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, वहां पर इतनी दलित महिलाओं को, लड़कियों को उठा लिया गया है। कानून व्यवस्था की वहां बिलकुल डांवाडोल स्थिति है। महिलाओं को वहां से उठा लिया गया है। एक भीरा डकैत को जो आत्मसमर्पण करके आया था...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : उसको मुठभेड़ दिखाकर के और उसको गिरफ्तार करना बताया। 27 राउण्ड गोली चलाना बताया, जो बिलकुल मनगढंत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और अब एक गांव के व्यक्ति को मार दिया और पकड़ना था जगदीश गुर्जर को...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोल रहे हैं, कमाल है, मना थोड़े ही कर रहा हूं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : और एक जो ग्रामीण व्यक्ति, जो निर्दोष था, उसको मार दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोले या वे बोले, पहले आप तय कर लो।

**श्री जगत सिंह दायमा** : जिस तरीके से वहां आये दिन पुलिस गांव के लोगों पर अत्याचार कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से आप गृह मंत्री बने हैं तो धौलपुर का हो क्या गया ? उपाध्यक्ष महोदय, 14 जनवरी को...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप क्या बोलना चाहते हो ?

**श्री जगमाल सिंह यादव** : मैं यह कहना चाह रहा हूं कि 14 जनवरी को भीरा, जो गुर्जर डकैत था, पुलिस ने कहा कि हमने मुठभेड़ में मार दिया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। 14 जनवरी को मुठभेड़ में मारा दिखा दिया और उसके बाद भीरा गुर्जर, जो डकैत था, वह गिरफ्तार हो गया तो यह और क्या कर रहे हैं आप और यह कल हो गया जगदीश गुर्जर वाला तो आपके गृह मंत्री बनने...

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : ...तो आपके गृह मंत्री बनने के बाद क्या जैसे आप मदमस्त हो गये, क्या उसी तरह से आपकी पुलिस भी मदमस्त हो गयी है ? केवल झूठे प्रमोशन पाने के लिए, रिकार्ड में ही फेर–बदल कर लिया और आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बुला रहा हूं न, सुनो तो सही। मना कर रहा हूं क्या मैं ? माननीय सदस्य, प्लीज सीट डाउन। आप बोल चुके हैं। नहीं, आप विराजिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सरपंच के हाथ पैर तोड़ दिये और...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री जगत सिंह दायमा** : उसकी एस.पी. से बात बातचीत हुई तो...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री जगत सिंह दायमा** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, आप बोल चुके हैं, आपको बुला दिया है। प्लीज आप सारे हाउस को...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोलने दीजिए इनको, प्लीज।

**श्री जगत सिंह दायमा** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : कोई बात नहीं, आप बैठिये प्लीज।

**श्री जगत सिंह दायमा** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बोले जा रहे है, अंकित ही नहीं हो रहा है।

**श्री जगत सिंह दायमा** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजिये (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये प्लीज। खतम हो गया। (व्यवधान)

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री जगत सिंह दायमा** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर जगत सिंहजी। विराजिये प्लीज। (व्यवधान)

**श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझको भी कई बार धमकियां मिल चुकी है और मैने माननीय मुख्य मंत्रीजी को वह लैटर भी बताये जिनके द्वारा मुझे धमकी दी गयी है। एक तो मैं अपनी पर्याप्त सुरक्षा के लिये आपसे अनुरोध करता हूं और दूसरी जो कल घटना घटी है, उसके बारे मैं गृह मंत्रीजी से चाहूंगा कि उसकी निष्पक्ष जांच करें और पता लगाये कि क्या घटना है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : गृह मंत्रीजी को तो एक साथ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गया। बहुत हो गया। (व्यवधान) हो गया इश्यू। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) विराजिये।

**श्री हीरासिंह चौहान** : चन्द्रशेखर जी का देहान्त हो गया। (व्यवधान) जो स्थिति आयी है, उसको भी स्पष्ट कर...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गया, बिराजिये। वह जवाब देंगे। (व्यवधान) जवाब देने दो न उनको। (व्यवधान)

**श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी निवेदन है कि +++ उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने बोलने का ठेका ले लिया है उनको बराबर बोलने देते हैं और जो लोग हाथ उठाते हैं और बोलने की परमिशन मांगते हैं, उनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते है...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अभी क्या कर रहे हो ?

**श्री दुर्गा प्रसाद** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी भरोसी लाल जी बोलने के लिये कह रहे थे, आप ध्यान नहीं दे रहे थे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अभी क्या कर रहे हो ? आप क्या कर रहे हो अभी ?

**श्री दुर्गा प्रसाद** : भरोसीलाल जी... (व्यवधान) जबरदस्ती बोला हूं साहब। आपने अनुमति दी नहीं है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बोल रहे हो न। मना कहां कर रहा हूं।

**श्री दुर्गा प्रसाद** : मेरा निवेदन है आप से, हम आसन की व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : मना कहां कर रहा हूं। मना कहां कर रहा हूं ?

**श्री दुर्गा प्रसाद** : हम आपका सम्मान करते हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपसे प्रार्थना कर

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

रहा हूं कि हाउस के सामने जो बिजनेस है, उस पर बोलें तो ठीक है। हर बिजनेस पर थोड़े ही बोलते हैं। आपकी बात हो गयी न बिराजिये प्लीज। जवाब दे रहे हैं वह।

**श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य निर्भयलाल जी मृत्यु और जीवन के संघर्ष में न्यूरो सर्जरी वार्ड में जूझ रहे हैं, उनको असामाजिक तत्वों ने उनके गांव में लाठियां से मारा और उनकी स्थिति गंभीर है। उस पर व्यवस्था दी जाए। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : धिक्कार है। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था दें।

**श्री जगत सिंह दायमा** : आप बताएं उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) आज सत्ता पक्ष के निर्भय लाल जी को लाठियों से पीटा गया। हमारी तो क्या सुरक्षा होगी। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : +++ (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : (व्यवधान) यह कहते हैं तो फिर कहां से होता है ? (व्यवधान) क्या हमारे पास (व्यवधान) की व्यवस्था की है ? (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो लोगों को फोन पर धमकी आयी है। कल सुभाष चावला को पीटा गया है और इस प्रकार के गृह मंत्रीजी जवाब देते हैं। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जसवन्त जी की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। (व्यवधान) अत्याचारियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए और उन ...(व्यवधान) पूर्ण चिकित्सा स्वास्थ्य का लाभ लिया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : पूरी पुलिस को खींचकर रखिये, प्रशासन को खींचकर रखिये। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजिये. ..(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : बार–बार बदले नहीं...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : Let the reply come.

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : डी.आई.जी.... (व्यवधान) मेरे क्षेत्र में दो लोगों को मारा गया है. कल सुभाष चावला को मारा और एक को फोन पर धमकी दी गयी है। 12 हजार लूट ले गये और गृहमंत्री जी सुनते नहीं, एस.पी., कलेक्टर सुनते नहीं, प्रशासन सुनता नहीं हैं। यहां आर्डर तो आप कर लेगें। हम तो बैठ जाएंगे। लेकिन एरिये के लोग क्या करें ? (व्यवधान) एक एम.एल.ए.

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

को धमकी, दूसरे एम.एल.ए. को मारा गया। एक एम.एल.ए. के क्षेत्र में फर्जी मुठभेड़। ऐसे चलेगा राज ? ऐसे चलेगा गृह मंत्री जी का आतंकवाद, गुंडागर्दी ऐसे चलेगी ? ऐसे चलेगा पुलिस प्रशासन, यह कोई पुलिस प्रशासन है ? यह कोई ताकत नहीं है। आपकी यह +++ है गृह मंत्रीजी, यह चलने नहीं देंगे। हम सारे राजस्थान को... (व्यवधान) कर देंगे। आपके एस.पी. कलेक्टर सुनते नहीं है। जगत जी कह रहे है, सारे एम.एल.ए. कह रहे हैं, एक एम.एल.ए. को मारा गया, दूसरे एम.एल.ए. के परिवार को खतरा है। यह कोई तरीका है क्या ? इंस्पेक्टर राज चलाएंगे आप ? (व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार** : उपाध्यक्ष महोदय, फिर कह देंगे राज क्या होता है ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गृह मंत्रीजी। आर्डर, आर्डर। जगमाल सिंह जी, गृह मंत्री जी को सुनिये। आर्डर प्लीज। जगत सिंह जी, गृह मंत्रीजी को सुनिये। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातः साढ़े चार बजे कलेक्टर, भरतपुर ने टेलीफोन के जरिये मुझे सूचित किया कि रात को 11–साढ़े 11 बजे करीब माननीय निर्भय लाल जी, रूपवास के हमारे सम्माननीय विधायक हैं, उनके गांव के अंदर कुछ महिलाओं का आपस में झगड़ा हुआ था और निर्भय लाल जी उनको समझाने वहां पर गये थे कि मैं जयपुर जा रहा हूं, ऐसा झगड़ा आपस में मत करो।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह कब हुआ ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप मेरी बात सुनिये। उनके परिवार के एक सदस्य, उनके भाई की पत्नी एक तरफ थी, कुछ लोगों में हुआ। वह उस मौहल्ले में पहुंचे, जाटव बस्ती में पहुंचे उन्हें समझाने के लिये तो गांव के ही कुछ जाटवों ने उनके ऊपर हमला किया। उनके सिर में गंभीर चोट आयी और उनके गांव के लोग, उनके घर के लोग उन्हें लेकर रूपवास अस्पताल में आये। रूपवास अस्पताल के अंदर डाक्टरों ने उनको भरतपुर रेफर किया और भरतपुर पहुंचने पर उनका प्राथमिक उपचार, जो कर सकते थे, वह किया और उन्होंने कहा कि इनकी हालत गंभीर है और उसके उपरान्त वहां से उनको जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस की गाड़ी में ही उसे एम्बुलेंस में कन्वर्ट करके वहां से एक ए.डी.एम., डीवाई. एस.पी., एक डाक्टर और कुछ कम्पांउडर उनके साथ आये और यहां पर उन्होंने सूचना दे दी थी। मैंने भी हैल्थ सेक्रेटरी को सूचना दे दी थी। यहां के पुलिस

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अधिकारियों को मैंने सूचना दे दी थी। उसके उपरान्त वह यहां अस्पताल में आये। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी भी वहां पर गये। मैं स्वयं गया था। मुख्य सचेतक जी गये। बृजेन्द्र सिंह जी सूपा, बयाना के विधायक वहां पर पहुंचे। खून आदि का इन्तजाम किया गया और ईश्वर की कृपा से उनका सफल आपरेशन हुआ। जो क्लाट उनके सिर के अंदर जमा हो गया था खून का, उसको डाक्टर साफ करने में समर्थ रहे। उनके पेरामीटर्स ब्लड प्रेशर, पल्स इत्यादि ईश्वर की कृपा से सही हैं। जो हमलावर थे, उनमें से दो मुल्जिमों को गांव के अन्दर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके भाई से स्वयं मेरी बातचीत हुई थी। हमारे मुख्य सचेतक, हरिसिंह जी ने भी बातचीत की थी। हमारे सूपा जी यहां है नहीं, उन्होंने भी बात की थी और यह जो फैक्ट्स मुझे प्रारंभिक रूप से एस.पी., कलेक्टर, भरतपुर और डी.आई.जी., भरतपुर ने बताये थे, वह मैंने आपको अवगत करा दिया।

यहां दो मुद्दे और उठे। श्रीमन्, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी सुरक्षा के बारे में कहा। हमने पूर्व में ही इस बात के दिशा–निर्देश गयी दफे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का मामला इस हाउस मे अन्दर उठा था और मैं पुनः इस सदन के अन्दर आपको जानकारी के लिये कह रहा हूं कि अगर हमारे सम्माननीय सदस्य सुरक्षा की मांग करते हैं, गार्ड की, गनमैन की मांग करते हैं तो सभी विधायकों को irrespect of the party affiliation they will be provided with the gunman. यह हमने, पहले ही रिवाल्वर वाले गनमैन हमने दे रखा है। बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर अपनी सुरक्षा के बारे में कहा, हमने उनको गनमैन उपलब्ध करा दिया है और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि आज ही उनको गनमैन उपलब्ध करा दिया जाएगा और अगर किसी और...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : हमने मांगा, आप नहीं दे रहे हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : रुकिये। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : हमने मांगा और नहीं दिया गया। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको क्या खतरा है, जो मांगा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अब आप बैठिये। आप विराजें न।

**श्री जगत सिंह दायमा** : हम रात–दिन अपने क्षेत्र में...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मुझे पूरी बात कर लेने दें।

**श्री जसवन्त सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मुझे बात पूरी खतम कर लेने दें पहले। (व्यवधान) मुझे अपनी बात खतम कर लेने दो पहले।

**श्री जसवन्त सिंह** : एक सैकण्ड। आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं कि जो गार्ड मुझे उपलब्ध कराया है, वह मेरी मौत का सामान उपलब्ध कराया है। बाड़ी जैसे क्षेत्र में जहां 20 गिरोह सक्रिय हैं और बार–बार धमकी आयी हैं। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को लैटर बताया है धमकी भरा और मैंने अध्यक्षजी को भी भेजा है, डी.जी.पी. साहब को मैंने भेजा है उसके बावजूद मात्र रिवाल्वर का मुझे गार्ड दिया गया है जिससे कभी भी मेरे साथ कोई घटना घट सकती है। यह पर्याप्त नहीं है। अगर पर्याप्त समझते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गृह मंत्रीजी।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो मैंने सम्माननीय विधायकों के बारे में जो दो प्रश्न आये, इतने दिन से सदन चल रहा है करीब–करीब रोज दायमा जी माननीय सदस्य, जो बानसूर से आते हैं, उन्होंने न तो अध्यक्ष महोदय से कहा और न मुझे इस बात की कोई जानकारी दी कि उन्होंने सुरक्षा के लिये, अपनी व्यवस्था के लिये गनमैन मांगा और उनको नहीं दिया गया।

आपको, अध्यक्ष महोदय को सूचना दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने एक–दो विधायकों के बारे में हम को लिखा कि यहां से इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : जगत सिंहजी को खतरा क्या है ?

**एक माननीय सदस्य** : इनसे खतरा है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : होगा कुछ मुझे क्या पता।

**श्री जगत सिंह दायमा** : खतरा है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : इनको खतरा क्या है ? (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद दिलाता हूं। मैंने रास्ते में आप से निवेदन किया था यहां पर असेम्बली में तो आपने कहा कि मैंने डाइरेक्शन दे रखे हैं वहां के एस.सी. को। आपको शायद ध्यान आ गया होगा और एस.पी. को आप कह दें आपको गनमैन प्रोवाइड हो जायेगा। आपने मुझे जब आप माननीय अशोकजी गहलोत के यहां से जा रहे थे तो रास्ते में कहा था, शायद आपको ध्यान हो गया होगा। आपने कहा था मेरें से ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

**श्री जगत सिंह दायमा** : और मैंने लिखित में कलेक्टर साहब को आवेदन कर रखा है करीबन एक महीने पहले और उसके बावजूद आप कह रहे हैं। हां, हो सकता है आपको

(श्री जगत सिंह दायमा)

ध्यान नही हो और शायद अब आपको ध्यान आ गया होगा।

**श्री रामस्वरूप** : इनसे तो गनमैन को खतरा हो जायेगा। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजिये। रामस्वरूपजी, बिराजिये। आर्डर।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपनी सुरक्षा के बारे में एक बात यहां कही है।

दूसरी बात, एक सवाल उठाया गया यहां पर भीरा के बारे में, भीरा बहुत नामी डकैत' था, कोई भला आदमी नहीं था। कुख्यात था। यह कहते हैं कि उसको पहले पुलिस ने एनकाउंटर दिखा दिया, मार दिया, बाद में हाजिर हो गया। उसका पुलिस से एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने उसको जिंदा गिरफ्तार किया है। अब यहां पर कुछ वहां के स्थानीय लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का बहुत खुलासा इस सदन में कर देना चाहता हूं जिनके वहां पर राजनीतिक इंट्रेस्ट हैं और एक अखबार के संवाददाता उस राजनीतिक माहौल में जुड़े हुए हैं और वे वहां से पुलिस के खिलाफ खबरें यहां भेजा करते हैं। यह मेरी जानकारी है। मेरे पास यह रिपोर्ट है जिसके बारे में पहले माननीय किरोड़ी लालजी ने कहा, पहले एक प्रश्न उठा था, यहां पर उसकी पूरी जानकारी ली है, He was a notorious dacoit. पुलिस ने एनकाउंटर में मारा है उसको।

**डा. किरोड़ी लाल** : किस को ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : वह जो आपने एक मीणा का सवाल उठाया था पिछले सत्र में सरमथुरा थाने के अन्तर्गत उसमें पुलिस ने नीट एनकाउंटर के अन्दर मारा। उसके बाद भी यहां...

**डा. किरोड़ी लाल** : मैं आपके एक सवाल करूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : नहीं, अब आप बिराजिये।

**डा. किरोड़ी लाल** : क्या यह बात सही है कि उसके...

**एक माननीय सदस्य** : आप बाद में कर लेना सवाल।

**डा. किरोड़ी लाल** : इसमें क्या दिक्कत है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अब आप बिराज लीजये।

**डा. किरोड़ी लाल** : क्या दिक्त आ रही हैं, परेशानी क्या आ रही है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय किरोड़ी लालजी, प्लीज सिट डाउन।

**डा. किरोड़ी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिसको गृह मंत्रीजी नामी डकैत बता रहे हैं, क्या यह सही है कि उसके नाक और कान डकैतों ने

(डा. किरोड़ी लाल)

काट लिये थे ? उसके नाक–कान कटे हुए थे जिसको मारा है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उससे क्या हो गया ?

**डा. किरोड़ी लाल** : नाक और कान कटे हुए थे। दूसरा, पुलिस ने मार दिया और उसको डकैत बता रहे हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : सब से नामी डकैत था मध्य प्रदेश का। एक हाथ से बंदूक चलाता था वह। ऐसा निशानेबाज एक नहीं हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जिस एनकाउंटर की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं उसके बारे में प्रारम्भिक सूचना पुलिस से आ गयी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उसके पास बिना लाइसेंस की 12 बोर बंदूक इंग्लिश मेक, यह नहीं कि देशी कट्टा रख दिया हो, उसके पास बारह बोर इंग्लिश मेक की बंदूक आज जिसकी कीमत बाजार में कम से कम 15, 20, 25 हजार रुपये से कम नहीं होगी, वह मिली, उसके पास जिंदा कारतूस मिले हैं और सिर्फ आर.ए.सी. के सिपाहियों से कोई यह भी नहीं, बड़ा अधिकारी तमगा पाने के लिए वहां लगा हो, कोई थानेदार नहीं था, कोई डीवाई.एस.पी. नहीं था, आर.ए.सी. की टुकड़ी थी और वहां का हैड कांस्टेबल जो गश्त पर जा रहे थे, वह प्रारम्भिक सूचना दी है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उसके बावजूद भी आज उस अखबार में मैंने जब खबर पढ़ी तो उसी वक्त निर्देश दिये डी.आई.जी., भरतपुर को कि आप इसके बारे में, वह खुद हो कर आये हैं, उनसे मैंने पूछा कि क्या मामला है, साहब, मैं मौके पर गया था, वहां पर बिलकुल साफ–साफ एनकाउंटर लिया है उन्होंने। यह मुझे डी.आई.जी., भरतपुर ने बताया लेकिन उसके बावजूद भी...

**डा. किरोड़ी लाल** : हाउस को मिस गाइड कर रहे हैं गृह मंत्रीजी। (व्यवधान) पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है। ऐसे एक ही नहीं अनेकों हो रहे हैं। पुलिस मारने के बाद उनके बगल में हथियार डाल देती है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप सुनना नहीं चाहते उनको ?

**डा. किरोड़ी लाल** : बारह बोर का हथियार पुलिस ने डाला है...(व्यवधान) पुलिस ने अपने हाथ से डायरी लिखी है...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप स्टेटमेंट सुनना नहीं चाहते ?

**डा. किरोड़ी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल गलत है। निर्दोष लोगों को सरमथुरा, धौलपुर में मारा गया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते है ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, कारण वहां दूसरा है, क्योंकि किरोड़ी लालजी, आप उस इलाके को अच्छी तरह से जानते

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हैं, उस इलाके की टोपोग्राफी को, क्योंकि एक दफे बाड़ी से चुनाव लड़े थे, इनको पूरा इलाका पता है, चुनाव लड़ने की वजह से इलाके को जानते हैं और इनके पास भी सूचनाएं आती रहती हैं। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूं। चुनाव लड़ने की वजह से इनकी जान–पहचान भी है, इस इलाके को जानते भी हैं, सूचनाएं आती रहती हैं...(व्यवधान) मैं गड़बड़ की बात नहीं कर सकता, सम्माननीय सदस्य हैं इस सदन के। लेकिन यह बात निश्चित हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि ना तो कोई वरिष्ठ अधिकारी था, इस एनकाउंटर में कोई सीनियर आफिसर नहीं था, ना थानेदार था, ना सी.ओ. था, आर.ए.सी. का गार्ड था, एक हैड कांस्टेबल था...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह तो बहुत बड़ी गलती है, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : दो कोठियों ने डकैतों को पनपाया है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : यह जो अधिकारियों की बात कह रहे थे...(व्यवधान) आप बात सुनिये। आप अलवर के है, बिराजिये। धौलपुर का मामला है, आप बिराजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : गृह मंत्रीजी यह बतायें, वहां दो कोठियों ने डकैतों को पनपाया है...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आपको हर मामले में बोलना हैं ? (व्यवधान) बैठिये आप।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : एक बोहरा की कोठी एक सेठ की कोठी। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप हर मामले में बोलते हो। आप क्या जानते हो वहां का ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : वहां डकैतों को पालता कौन है ? दो कोठियों ने डकैतों को पनपाया है एक सेठ की कोठी और बोहरा कोठी। मैं भी धौलपुर में रहा हूं, मुझे भी पता है।...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : उपाध्यक्ष महोदय, सुनना ही नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

**श्री रामस्वरूप** : आप शांति से सुनिये बात को।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : डकैतों को पालने वाले कौन हैं, माननीय गृह मंत्रीजी, यह बताएं। (व्यवधान) उन डकैतों का संरक्षण करते हैं...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : माननीय मंत्री महोदय, नहीं सुनना चाहते हैं तो रहने दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गृह मंत्रीजी, एक मिनट बिराजिये।

माननीय सदस्य, यदि आप गृह मंत्रीजी

(श्री उपाध्यक्ष)

का जवाब सुनना चाहते हैं तो मैं इसको चालू रखूं, और अगर डिस्टर्ब करते हैं तो मैं दूसरी कार्यवाही शुरू करूं ? (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं हैं No please, I will not allow. आप बैठिये। अगर आप सुनना चाहते हैं गम्भीरता से, तो इस बात को सुनिये वरना मैं दूसरी कार्यवाही शुरू करूं। यह थोड़े है कि आप बीच–बीच में मर्जी आये जो उठ जाओ और बोल दो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सुनना चाह रहे हैं।

**डा. किरोड़ी लाल** : गुमराह कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नो, प्लीज। गुमराह कर रहे हों तो आप बाद में बोल लेना, उनकी बात तो सुनो पहले पूरी। लेट हिम फिनिश।

**डा. किरोड़ी लाल** : हम को भी जानकारी है, जो हमें जानकारी है...(व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : कोई जानकारी है, अगर कोई माननीय सदस्य जानकारी देता है तो उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, ऐसे नहीं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, आसन ने जो निर्देश दिये हैं वे शिरोधार्य हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, नहीं, कतई नहीं। आपके कहने पर विदाउट एनी इन्फार्मेशन, स्टेटमैंट दिला रहे हैं। स्टेटमेंट को पूरा सुनिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या निवेदन करना है ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आसन ने जो निर्देश दिये हैं वे शिरोधार्य है।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या निवेदन करना है। इसके बाद आपको कुछ पूछना है तो मौका है लेकिन एवरी टाइम आप खड़े हो जाते हैं, डिस्टर्ब करते हो। This is not the way.

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप पहले पूरा सुन लीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, प्लीज। अब के कोई माननीय सदस्य बीच में खड़ा हुआ तो I will take up next business and I will stop this thing.

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना मेरे पास थी, जानकारी थी मैंने आपके माध्यम से सदन को दे दी है। इसके बावजूद भी मैंने फिर कहा है डी.आई.जी. से कि आप सारी फैक्चुअल पोजिशन यहां भिजवायें कि क्या हुआ। अखबार की खबर आने के बावजूद भी, क्योंकि अखबार की मुझे बैकग्राउंड संवाददाता की मालूम है। I know his background. उसके बाद भी मैंने कहा कि अखबार की खबर को उतना लाइटली ना लूं और उसके बावजूद मैंने कहा कि आप बिलकुल डिटेल्ड, इसके हर एंगल से इंवेस्टीगेशन कीजिये, मुझे खबर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। बाकी तो किरोड़ी लालजी एम.एल.ए. का चुनाव लड़े हैं वहां से। एक पोलिटिकल पार्टी की डील करते हैं और लोग वहां से चुनाव लड़ते हैं। चूंकि मैं उस जिले का हूं, इस प्रकार की जो पिक्चर पेंट करने की कोशिश की जा रही है as if the law and order has collapsed in Dholpur ऐसी बात नहीं है। वहां लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति सामान्य है, और जिलों में जैसी है वैसी धौलपुर के अन्दर है। कोई उसके अन्दर डिटोरियेशन नहीं हुआ है।

**श्री जगत सिंह दायमा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धौलपुर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप विराजें, आपका सब्जैक्ट ही नहीं है। फालतू बोलते हो।

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कोलारी थाना में एक विधवा से बलात्कार हुआ पुलिस द्वारा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री जगत सिंह दायमा** : सुनिये, उपाध्यक्ष महोदय। एक गांव निघेड़ा है, एक गढ़ी है उसमें दो महिलाओं को...(व्यवधान) जाटव महिलाओं को उठाकर ले गये।

**श्री उपाध्यक्ष** : जगत सिंहजी, हर इश्यू को आप यहां इस तरह से उठा रहे हैं जैसे कोई हाउस का बिजनस चल ही नहीं रहा हो। आप इस पर नोटिस दीजिये, बात कीजिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो सुनें।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं किस पर सुनें ? हर माननीय सदस्य कुछ उठा लेगा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ?

**श्री जगत सिंह दायमा** : मंत्री महोदय कह रहे हैं कानून और व्यवस्था ठीक है। आप कह रहे हैं कानून और व्यवस्था ठीक है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप क्या कह रहे हैं, भाटीजी ? आर्डर प्लीज।

**श्री जगत सिंह दायमा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो जगदीश गुर्जर को पकड़ने के लिए पुलिस गयी और उसकी जगह एक ग्रामीण को मार दिया और मारने के बाद, जो मेरी जानकारी है...

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी जानकारी गृह मंत्री को दे दीजिए। वह जानकारी प्राप्त करके आपको जवाब दे देंगे।

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैं बता तो दूं थोड़ा।

**श्री उपाध्यक्ष** : ये आफ हैण्ड अभी जवाब

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं दे सकते हैं। आपका जवाब नहीं आ सकता। आॅर्डर आर्डर।

**श्री जगत सिंह दायमा** : तो ग्रामीण भोला भाला...(व्यवधान) तो फिर मंत्रीजी कह रहे हैं कि वहां कानून व्यवस्था बन सकती है। इससे ज्यादा और कानून व्यवस्था सभी जिलों में कहीं भी नहीं है जैसी धौलपुर में है। आखिर में अव्यवस्था के पीछे...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय भाटी साहब। व्यववस्था दे दी गयी है। आप अव्यवस्था फैला रहे हैं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : कारण है इसके पीछे। कारण का कहें तो मैं उजागर करना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय भाटी साहब।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** (ओसियां) : ये बैठें तो बोलूं, साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिए। विराजिए प्लीज।

**श्री जगत सिंह दायमा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस.पी.साहब., डी.आई.जी. साहब और माननीय मंत्री महोदय, डी.जी. साहब, एडिशनल डी.जी. साहब, एडिशनल सैकण्ड डी.जी. साहब और उनके दोनों एस.पीज. ये सारे एक ही बिरादरी के लगा दिये। हमने उस दिन भी +++ मचाया था इस बात का। कुछ तो +++ करो।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजें। अंकित नहीं हो।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी मोहब्बत को रहने दीजिए माननीय सदस्य। प्लीज। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, सब पहले से लगे हुए हैं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिए प्लीज।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय जगत सिंहजी। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, ये पहले से लगे हुए हैं। मेरे मंत्री बनने के पहले के हैं। बी.जे.पी. के राज से लगे हुए हैं सब। मैंने नहीं लगाया है।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : एस.पी. साहब तो आपके अलावा किसी से बात करते ही नहीं हैं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : एस.पी. साहब आपके अलावा किसी से बात करते ही नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि एस.पी. साहब से रोज संवाद होता है। उसको चालू रखिए। प्लीज

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

विराजिए। माननीय भाटी साहब।

**श्री जगत सिंह दायमा** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि पुलिस डिमाण्ड तो इन्होंने चलने नहीं दी। मंत्री महोदय, यह कोई आरोप नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आज साढ़े चार महीने हो गये हैं और इनके पांच साल के कार्यकाल में कम से कम दस से पन्द्रह विधायक, मैं मेरे बारे में तो आपको चिट्ठी लिख दूंगा, दस पन्द्रह विधायकों के खिलाफ कम से कम 10 से लेकर 100 तक झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और जब से कांग्रेस सरकार आयी है, मुख्य मंत्रीजी में हमें पूरी आस्था है, आप में है लेकिन आश्चर्य की बात यह है आपके डिपार्टमेंट ने, भले ही डी.जी. साहब अच्छे आदमी हैं, सब कुछ है जोधपुर में पढ़े हुए हैं लेकिन साढे चार महीने तक आपके पास यह किसी की सूचना नहीं आयी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को कितनी बुरी तरह पीसा था इस पार्टी ने और उन केसेज में, हम आपसे कोई रियायत नहीं मांग रहे हैं आप या तो उन केसेज को, उपाध्यक्ष महोदय, चार साल से लटका रखा है लोगों के ऊपर। न तो उसमें चालान करते हैं। चालान करें तो हम कोर्ट में जाकर कार्यवाही करवा सकते हैं और न उसमें एफ.आर. हो रही। इसकी आपके पास सूचना क्यों नहीं आयी है ? मेरा एक तो यह प्रश्न है। यह इनकी रेस्पोंसिबिलिटी थी। सरकार चेंज हुई है, कांग्रेस की सरकार आयी है।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : उपाध्यक्ष महोदय, मामला धौलपुर का चल रहा है। ये क्या बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : आप रहने दीजिए, आप विराजिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : धौलपुर का चल रहा है। (व्यवधान)

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : ठीक है।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो धौलपुर का रहा ही नहीं है। सारे राजस्थान का हो गया। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। धौलपुर का रहा ही नहीं है...(व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : विधायकों की सुरक्षा की बात हो रही हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप ही कर रहे हैं। You are also a party to it.

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : पांच साल पहले के मामले हैं तो करना चाहिए सरकार को। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : You are not sticking to your issue.

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : आपको क्यों चुभ रही हैं ? केसेज तो आपके मंत्रियों ने और आपके मुख्य मंत्रीजी ने लगाये थे...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय भाटी साहब, आप समाप्त कीजिए।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : इसलिए मंत्री महोदय, जो भी रेस्पोंसिबल है इस लेक्सिटी के लिए, आप फरमा रहे हो कि साहब मैंने कोई अफसर नहीं लगाये, पहले के लगे हुए हैं तो फिर चेंज क्या आया हैं ? सरकार कांग्रेस की आयी है तो आपने क्यों नहीं चेंज किये ? यहं मैं अर्ज करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय गृह मंत्रीजी।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : इसका कोई एंड नहीं है। काहे का प्रश्न पूछ रहे हैं ? क्या प्रश्न है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, काहे का प्रश्न ? जो–जो प्रश्न पूछेंगे इसका तो कोई एंड ही नहीं होगा।.

**श्री उपाध्यक्ष** : इसका कोई एंड नहीं है माननीय सदस्य। नहीं प्लीज।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : I am not going to reply anything now.

**श्री उपाध्यक्ष** : He is not supposed to reply to every question.

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय गृह मंत्रीजी ने चूरू से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़। पर्ची पर बोलिए। (व्यवधान) आर्डर प्लीज़।

**डा. किरोड़ी लाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से एक बात पूछना चाहता हूं। यह बतायें कि जिस व्यक्ति को मारा है...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिए। आर्डर।

**डा. किरोड़ी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, कल का मरा है तो उसकी डैड बाडी को उसके परिजनों को क्यों नहीं दे रहे हैं ? यह तो बताओ। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी गम्भीर बात है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। आप बिराजिए प्लीज। माननीय राजेन्द्र राठौड़।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : नहीं, मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं। प्लीज एक प्रश्न ही पूछूंगा। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं–नहीं। आपका जवाब नहीं आयेगा। बस खतम हो गयी बात।

**डा. किरोड़ी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूं। जिस व्यक्ति को मारा, उस व्यक्ति का नाम क्या है और जो डैड बाडी है वह परिजनों

(डा. किरोड़ी लाल)

को क्यों नहीं दी जा रही है ? इतना तो बता दीजिए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय राजेन्द्रजी राठौड़।

**डा. किरोड़ी लाल** : ...क्योंकि कल का मराहै। डैड बाडी तो दिलवा दो। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा अन्याय है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजिए। नहीं–नहीं, बहुत हो गया। माननीय राजेन्द्र राठौड़।

**डा. किरोड़ी लाल** : यह तो बता दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : Every reply is not supposed to come in the House. माननीय सदस्य, आप पूछ लीजिए। प्लीज बिराजिए।

**डा. किरोड़ी लाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल का पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, किस कारण से हुई है ? उपाध्यक्ष महोदय, वह तो जांच करवायेंगे कि किन कारणों से हुई है ? यह गृह मंत्रीजी ने नहीं बताया कि जिसकी डैड बाड़ी नहीं दी जा रही है वह क्यों नहीं दी जा रही है और अगर वह डाकू है तो डाकू होगा...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप हर चीज पर गृह मंत्रीजी से...(व्यवधान) बता दिया न उन्होंने। आपने सुना नहीं ? उन्होंने बता दिया कि मैं जांच करवा रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : यह बात नहीं आयी है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इससे गम्भीर मुद्दा नहीं हो सकता।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर। उन्होंने बता दिया कि मैं जांच करवा रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे गम्भीर नहीं हो सकता। इस सदन के माननीय सदस्य और सत्तापक्ष के...(व्यवधान) गम्भीर रूप से घायल कर दिया जाए और सुरक्षा...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : डैड बाडी के बारे में बताने में क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : डैड बाडी क्यों नहीं दे रहे हैं ?

**श्री अमराराम** (धोद) : एक तो गृह मंत्रीजी यह बतायें कि उसकी डैड बाडी परिजनों को सौपने में क्यों...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। आप बैठे तो सही। आप सुनें। गृह मंत्रीजी ने कहा है कि डैड बाडी की मैं जांच करवा रहा हूं, मैं जानकारी आपको सूचित करूंगा तो अब आप क्या चाहते हैं ? क्या प्रोब्लम है ? जवाब ऑफ हैण्ड नहीं दे सकते।

**श्री अमराराम** (धोद) : नहीं। वह मेडिकल तो हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, उसकी बाडी की बात नहीं कर रहे हैं मंत्रीजी...(व्यवधान) बाडी का पोस्टमार्टम होता है पोस्टमार्टम हो

(श्री अमराराम)

गया।...(व्यवधान) बाडी की कोई जांच नहीं करनी होती हैं। बाडी से केवल पोस्टमार्टम होता है। हास्पिटल में डाक्टर्स करते हैं। बाडी का पोस्टमार्टम होने के बाद उसको रखने का क्या मतलब है ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजिए। इसको समाप्त कीजिए। बहुत हो गया। माननीय राजेन्द्र राठौड़।

**श्री अमराराम (धोद)** : दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा कि निर्भय लालजी यहां विधायक हैं...(व्यवधान) आपने निर्देश दे रखे हैं। क्या निर्भयलाल ज़ी को रिवाल्वर का लाइसेंस इश्यू हो गया था ?

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। बिराजिए।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो भले आदमी हो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय राजेन्द्रजी राठौड़, आप अपने सब्जेक्ट पर आइये।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय राजेन्द्रज़ी राठौड़।

**श्री अमराराम (धोद)** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिए, माननीय सदस्य।

**श्री अमराराम (धोद)** : xxx

**डा. किरोड़ी लाल** : xxx

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिए।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय जगत सिंहजी, बैठिए। माननीय सुरेन्दजी, एक मिनट।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गृह मंत्रीजी, ये डैड बाडी के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो तो बता दो।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है, जो मेरे पास है, हरे रंग की खाकी वर्दी पहले हुए था, बन्दूक थी। यह बात सही है...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर। आप सुनें तो सही।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप सुनो तो सही। ऐसे तो काम चलेगा नहीं...(व्यवधान) यह

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जो इसके अन्दर उसकी गिरोह की संख्या, बाकी गिरोह के लोग भागने में कामयाब हुए। (व्यवधान) उसका नाम नहीं, उसके पास डायरी...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : उसकी जाति गुर्जर है। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप सुनिये। नहीं–नहीं, जो मारा गया। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : गुर्जर है वह।

**डा. किरोड़ी लाल** : उस इलाके का नामी डकैत था। उसका नाम क्यों नहीं पता ? (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : गुर्जरों के पीछे पड़ गये मारने के लिए धौलपुर में।

**डा. किरोड़ी लाल** : डकैत का नाम क्यों नहीं बताते...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप सुनना नहीं चाहते हो क्या बोल रहे हैं पहले उनको सुनने तो दो, आप बोलने ही नहीं देते उनको। कैसे चलेगा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अब आप सुनना चाहते नहीं है। बीच में...(व्यवधान) बोलने लगते हैं। मैं कुछ कहता हूं तो जगमाल सिंहजी कहते हैं आप गुस्सा होते हो। अब मेरी बात सुनिये आप। मृतक बदमाश के कब्जे से मिली...(व्यवधान) आप सुन लें पूरी बात। दस्यु जगदीश गूर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य होना प्रतीत हुआ है। मृतक दस्यु की शिनाख्त अभी भी नहीं हो पाई है।

**श्री श्रीचन्द्र कृपलानी** : नाम क्या है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : बताया ना नाम, सुन नहीं रहे हो जब आप एक्साइटेड हो रहे थे।

**डा. किरोड़ी लाल** : मार कैसे दिया... (व्यवधान) उसे कोई समझता नहीं क्या।

**श्री जगत सिंह दायमा** : जब शिनाख्त ही नहीं हो पाई तो मारा कैसे उसको।

**श्री हीरासिंह चौहान** : यह डकैत नहीं था...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : उपाध्यक्ष महोदय, जब उसकी शिनाख्त ही नहीं हो पाई तो मारा कैसे उसको...(व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद)** : यह वापस हो रहा है। पूरे सरकमस्टांसेज बना रही है... (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : उसे मारा कैसे। कोई समझता नहीं है क्या...(व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : जो मारा गया था, डकैत नहीं था...(व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद)** : पुलिस को सबूत मिटाने का टाइम दिया जा रहा है...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : बिना जान पहचान के, बिना शिनाख्त के गोलियां चलाई हैं...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : बिना सक्षम अधिकारियों के एक हैड कांस्टेबल को... (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : उपाध्यक्ष महोदय वह व्यक्ति पुलिस में वांछित नहीं था... (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय...

**डा. किरोड़ी लाल** : उसका नाम नहीं बता पा रहे हो, जब उसका नाम नहीं बता पा रहे हो...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम नहीं करवा कर, करवा कर तो उसकी फोटो ले लीजिए। पोस्टमार्टम करवा कर उसको नहीं सौंपना, टाइम लगाने का मतलब एक ही है कि जिस निर्दोष व्यक्ति को मारा गया है, पुलिस बचने के लिए, पूरी कहानी गढ़ने के लिए राजस्थान का पुलिस विभाग उसको समय दे रहा है। उसकी लाश को रखने का एक ही मकसद है। उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गयी बात, विराजें।

**श्री अमराराम** (धोद) : गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि उसका पोस्टमार्टम करवा कर उसको कितने समय में आप दे देंगे... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये। माननीय भंवरजी। आर्डर प्लीज।

**श्री जगत सिंह दायमा** : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा वह व्यक्ति वांछित नहीं था।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, भंवर लाल जी बोल रहे हैं।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आपने कहा जब मैं बैठ गया था।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उनको बोलने दें तो फिर...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बाद में बोल लेना ...(व्यवधान) आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय राठौड़ साहब, आपके सदस्य बोल रहे हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मुझे पुकारा है। उपाध्यक्ष महोदय माननीय गृह मंत्रीजी का अभी जो वक्तव्य आया उसमें मृतक का वर्णन दे रहे थे उसकी खाकी ड्रेस थी। क्या इसका मतलब यह है कि वह डाकू था ? आप यह प्रमाण दे दीजिए कि यह डाकू कैसे था। वह बड़ा ही यह कुख्यात डाकू था क्या रिपोर्ट, किस आधार पर आप कह रहे हो कि यह डाकू था। आप उसका नाम नहीं जानते और आप उसको डाकू मान रहे हो इसका क्या प्रमाण है यह बता दीजिए जो कुछ हो गया सो हो गया वह तो अलग विषय है लेकिन उसकी डैड बाडी है उसका पोस्टमार्टम हो गया होगा। यदि नहीं तो कल से अब तक क्यों नहीं हुआ ? उसकी लाश को वापस देने में कहां दिक्कत

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है आपको। इन दो बातों का उत्तर दे दीजिए कि आपके पास ऐसा क्या प्रमाण है कि जिस व्यक्ति को मारा है वह कुख्यात डाकू था उसके क्या प्रमाण है आपके पास ? लाश क्यों नहीं दी अभी तक ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय गृह मंत्रीजी।

**श्री हीरासिंह चौहान** : मैं तो एक निवेदन कर रहा हूं...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। आप इसकी और जानकारी प्राप्त कर लीजिए और सदन उठने से पहले और जानकारी दे दीजिए।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बैठा दिया था।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : मैं एक–दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पता नहीं...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : जब बात हो गयी ना जानकारी देंगे वह, अब क्या होगा। He does not know. Let him come out with this.

**श्री जगमाल सिंह यादव** : आपने मुझे बैठा दिया, फिर पांच आदमियों को बुला लिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : वह और जानकारी प्राप्त करके आपको देंगे आप कितने ही क्वेश्चन पूछो।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : एक सवाल पूछ लेता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : पूछ लो।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सदस्य जो चूरू से आते हैं उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ी थी पिछले सत्र में और गृह मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप प्रश्न क्या पूछ रहे हैं ?

**श्री जगमाल सिंह यादव** : माननीय सदस्य का सर फूटा है इसके संबंध में जो वक्तव्य दिया है उस मामले में कहना चाह रहा हूं। आपने कहा था कि किसी का सर फूट जाये तो थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवा देना और थानेदार नहीं सुने तो एस.पी. को कर लेना। अब निर्भयजी का सर फूटा। उन्होंने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी और एस.पी. से भी मिल लिये। अब गनमैन क्यों दे रहे हैं आप और गनमैन दे रहे हैं तो जैसा धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा आपको रिवाल्वर का अलग गनमैन चाहिए और वहां धौलपुर में हालत क्या है। आप वहां रहने वाले बेहतर जानते हो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं यह बात कहना चाहता हूं यह बैन मत लागाओं कि जहां अमन चैन है वहां आप रिवाल्वर का दे दो अगर किस को खतरा है तो और जो इलाका जिस तरह का है, यह बैन मत लगाओ कि रिवाल्वर वाला दिया, जैसा आपके अजमेर से आने

(श्री जगमाल सिंह यादव)

वाले माननीय सदस्य ने कहा धमकी मिली है...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उसके लिए अगर जरूरी हो. तो स्टेनगन वाली सुरक्षा भी मुहैय्या करवायें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : एक सैकण्ड।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये। हो गया अब बहुत। शुरू कीजिए। प्लीज स्टार्ट।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अभी हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका जवाब आ जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गयी ना बात। आपने सुना नहीं क्या, मैंने यह कहा है कि Let him find out the information and he will come to the House with correct information. बता दिया ना आपको।

**श्री हीरासिंह चौहान** : चार बजे तक आ जा जायेगा ?

**श्री जसवंत सिंह** : उपाध्यक्षजी मुझे इस बारे में पत्र भी दिया गया है दस्यु द्वारा एक पत्र भी दिया गया है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : इसका मतलब यह हुआ कि माननीय गृह मंत्रीजी ने अभी जो स्टेटमैंट दिया तब तक उनके पास यह जानकारी नहीं थी कि वह कुख्यात डाकू था।

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गया ना Let him come out with this.

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : अब किस जानकारी के आधार पर दिया आपने स्टेटमैंट, आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : जानकारी और दे देंगे आपको। राजेन्द्रजी...(व्यवधान) आपको बोलना है कि नहीं बोलना।

**श्री जसवंत सिंह** : उपाध्यक्षजी, मेरा मैटर बड़ा सीरियस है। मेरी अर्ज सुनिये आप। मुझको पत्र दिया गया है, धमकी दी है और उसके कारण मैं क्षेत्र में नहीं जा पा रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोलना चाहते हैं कि नहीं ? मैं दूसरा बिजनस लेता हूं। चाहते क्या हो आप ? आपको सिक्योरिटी मिल जायेगी। कह दिया ना इन्होंने और क्या चाहते हो और आप सिक्योरिटी से सेटिस्फाई नहीं हो तो और सिक्योरिटी मांग लेना...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : रिवाल्वर हमने प्रोवाइड करवा दी है। एक गनमैन दे दिया है आपको।

**श्री जसवंत सिंह** : रिवाल्वर पर्याप्त नहीं है...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप चाहते हो कि सबके वह काले कोट वाले आवे तो वह तो आवे नहीं। काहे को आप...

**श्री जसवंत सिंह** : रिवाल्वर पर्याप्त नहीं।

## पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

### जिला स्तरीय समितियों की बैठकों में सदस्यों के साथ अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय राजेन्द्र राठौड़। प्लीज स्टार्ट।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता परिवर्तन के बाद हम जो प्रतिपक्ष के विधायक हैं उपाध्यक्ष महोदय, उनके पास दो ही मंच हैं जिन मंचों पर वह अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। या तो इस पवित्र सदन में अपनी बात रखें, या जिला स्तरीय जो समितियां बनी हैं, उन समितियों में बैठकर अपने क्षेत्र की चर्चा करें। हो क्या रहा है, यह प्रसंग मैं इसलिए उठा रहा हूं, मैंने 22 मार्च को एक तारांकित प्रश्न दिया। अकाल राहत मंत्रीजी का जवाब आया। जवाब त्रुटिपूर्ण था, तथ्यों से परे था, उस पर मैंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत किया और वहां से मुझे निर्देश प्राप्त हुए, अध्यक्ष महोदय के द्वारा जारी निर्देश संख्या पांच के अन्तर्गत मैं इस प्रस्ताव को लेकर आऊं। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है सत्ता परिवर्तन में बाद यूं लगता है कि राजस्थान में कानून कहीं बचा नहीं है। अब जिला स्तरीय जो बैठक होती है, प्रभारी मंत्री आपने नियुक्त कर दिये और उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री जी करते क्या हैं जब भी किसी बैठक में पधारते हैं, फिर हर बैठक का एक हर प्रारूप है। उपाध्यक्ष महोदय अकाल राहत समीक्षा समिति है जिला की, उसमें सांसद महोदय होंगे, विधायक होंगे, पंचायत समिति के प्रधानों में से तीन होंगे, जिला परिषद के सदस्य में से 3 होंगे एन.जी.ओज. के सदस्य 2 होगे। एक निर्धारित उनका प्रोफार्मा है। उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ इस बात की है कि प्रभारी मंत्रीजी जब इन बैठकों में जाते हैं जब अपने साथ ऐसे लोगों को ले जाते हैं जो उन बैठक में किसी भी प्रकार से बैठने के लिए अधिकृत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, चूरू के अन्दर दो बैठक हुई 30 जनवरी, 1999 को ओर 28 फरवरी, 1999 को और इस 30 जनवरी की बैठक में जब मैंने और सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही कि आप समीक्षा करने आये हो। इस समीक्षा की बैठक में, जो लोग इस बैठक में आने के लिए अधिकृत हैं, उनके अलावा उन लोगों को जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस पार्टी के पराजित उम्मीदवार किस हैसियत से इसमें बैठे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, उस समय हमें विश्वास दिलाया कि आगामी बैठक में इस तरह की बात नहीं होगी और उसके बाद होता क्या है उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पीड़ा है यह उपाध्यक्ष महोदय, कि 28 फरवरी को दुबारा बैठक होती है और वही प्रभारी मंत्रीजी उन पराजित उम्मीदवारों के साथ–साथ पांच–सात लोगों को लेकर आ जाते है। अब उपाध्यक्ष महोदय, आप बताइये कि इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदन के अन्दर बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां आकर बैठ जाये और चर्चा में भाग लेने लग जाये तो सदन की गरिमा क्या रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो जवाब दिया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में, वह दोनों अपने आप में कोंट्राडिक्टरी हैं। उसमें कहा कि चूरु जिले में अकाल राहत कार्यो की समीक्षा की बैठक व 20 सूत्री कार्यक्रम की जिला स्तरीय बैठक 30.1.99 व 28.2.99 को हुई।

(13.00 बजे)

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा जिला परिषद सदस्य, प्रधान और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मनोनयन इन बैठक से पूर्व नहीं किया गया था। खुद कहते है। इस कारण से उनको कार्यालय स्तर से बैठक में नहीं बुंलाया गया। 30.1.99 को आयोजित बैठक में सहायता समीक्षा की बैठक के सदस्यों को बुलाया। कुछ लोग को प्रभारी मंत्री साथ लेकर बैठक में आए। उपाध्यक्ष महोदय, हाल तो देखो आप। एक कानून का राज होना चाहिए। पर यह थोड़े ही है कि सब जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्राधिकृत उम्मीदवार सब जगह जाकर छाती पर बैठकर और वहां उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को इसमें ऐतराज नहीं है कि रोज मुख्य मंत्रीजी के सेक्रेटेरियट से होट लाइन से किसी कलेक्टर या किसी अधिकारी को धमकाये। इसमें मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। परन्तु यह हो क्या रहा है कि इसमें खुद यह कह रहे हैं, 30.1.99 को आयोजित बैठक में सहायता समीक्षा बैठक के सदस्यों के अलावा कुछ लोग प्रभारी मंत्री के साथ आये जिन्हें कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था। बैठक में श्री अश्क अली टांक पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री शामिल थे। इन बैठकों का हमने विरोध किया और दूसरी बैठक में तो माननीय सदस्य हम उठकर आ गये। हमने कहा कि आप इन बैठकों की गरिमा को नष्ट कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति आये और इन बैठकों में हिस्सा लेने लग जाए। कांग्रेस का यहां मंच बन जाए। कांग्रेस की इस तरह लगे कि कार्य समिति चल रही है तो उसमें हमारे रहने का कोई मतलब नहीं था इसलिये हमने उन बैठकों का बहिष्कार किया। और यह खुद जो आपके सचिवालय में जवाब आया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि विधान सभा की प्रक्रिया को, नियमों को कितने हल्केपन से यह सरकार ले रही है, यह आपको मुलाहिजा करने की बात है और यह खुद कहते हैं कि दिनांक 28.2.99 को जिला प्रभारी मंत्री द्वारा श्री अश्क अली टांक पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक मनोनीत किये गये एन.जी.ओज. के प्रतिनिधि के रूप में। अतः यह 28.2.99 की बैठक में उपस्थित थे। ऊपर तो यह कहते हैं कि दोनों बैठकों में कोई आया नहीं और नीचे यह कहते हैं कि दोनों बैठकों में एक में तो यूं ही ले आये और एक में एन.जी.ओ. बना लिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब उपाध्यक्ष महोदय, एन.जी.ओज. के प्रतिनिधि के रूप में सरकार मनोनीत कर सकती है। परन्तु एन.जी.ओ. नोन गवनमैंट ओर्गनाइजेशन, उसका एक संविधान बना हुआ है। वह अपने संविधान के अनुसार जो उस एन.जी.ओज. से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसका नाम भेजते हैं परन्तु वह नाम नहीं है। इसलिए मेरे को बड़ी पीड़ा है कि इस सरकार के अन्दर न तो जिला स्तरीय बैठकों की कोई सैंक्टिटी है, न इस सरकार के अन्दर ऐसा कोई मंच बना है जिस मंच पर हम चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात कह सकें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां हमारे जिले के वित्त मंत्रीजी विराज रहे हैं। वित्त मंत्रीजी, आप भी इस तरह की बैठकों में आये थे, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी वित्त मंत्री महोदय इस तरह की बैठकों में आये थे। परन्तु एक बैठक में भी बिना आमंत्रित कोई व्यक्ति नहीं आया। अब आज या तो यह तय कर दें वित्त मंत्रीजी कि इन बैठकों में जाना बंद कर दें या यह तय कर दें कि आपने जो प्रारूप, कानून बना रखा है, निर्धारित प्रक्रिया बना रखी है कि इन बैठकों का कौन–कौन सदस्य होगा, या आप वह कर दें या वित्त मंत्रीजी एक बात का ऐलान आप कर दो क्योंकि जो भी व्यक्ति आये वह सारे के सारे इन बैठकों में भाग लेने लग जाए...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर...

**श्री संयम लोढ़ा** : बी.जे.पी. के शासन में बी.जे.पी. के किसी पदाधिकारी को वहां नोमिनेट नहीं किया गया था क्या ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : माननीय सदस्य, जानकारी नहीं हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिये...

**श्री संयम लोढ़ा** : जानकारी है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य...(व्यवधान) माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मेरी तरफ बोलिये। राठौड़ साहब, मेरी तरफ देख कर बोलिये आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी एक चर्चा उठायी, बी.जे.पी. की सरकार ने सदस्यों को मनोनीत नहीं किया। सदस्यों को मनोनीत किया था। सदस्यों को मनोनीत आप भी कर सकते हैं मैं इसमें मना नहीं करता परन्तु जो सदस्य मनोनीत नहीं है या सदस्य अधिकृत नहीं है, जो कहते हैं कि मैं एन.जी.ओज. के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित था। कौनसे एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे, यह बता दें। हमें कोई चीज बताने में अब आपका खुद सचिवालय यह कहता है, करो ना आप मनोनीत। चुनाव हार गये तो आप उनको मंत्री बना दो ना शपथ दिलाकर। मेरे को इसमें ऐतराज नहीं है। परन्तु यह हो क्या रहा है। इसलिये मैंने कई दिन तक इंतजार किया कि मेरा, अध्यक्ष महोदय के निर्देशन पांच के तहत जो मुझे मौका मिलना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहिये, वह मौका मिल जाए। प्रभारी मंत्रीजी जवाब दें, परन्तु मंत्री महोदय तो यहां जितने दिन, सदन का कल आखिरी दिन है। मैं समझता हूं शायद ही कोई मंत्री गंभीर होगा कि सदन के शून्य काल में या सदन में कोई चीज उठे, उसके बारे में रेसपोंस करे। एक–दो मंत्रियों के अलावा सबने यह सोच लिया कि यह तो कुछ है ही नहीं। मैं समझता हूं कि जिस तरह की प्रक्रिया आज सरकार अपना रही है और जिस तरह संसदीय प्रणाली में धीरे–धीरे गिरावट आती जा रही है कि कोई जन प्रतिनिधि कोई बात कहे, सरकार उसका प्रत्युत्तर न दें, हालांकि कोई दबाव नहीं है। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, यह बचेगा क्या ? हम कहां जाकर अपनी बात कहें ? उन समीक्षा बैठकों में तो हम जा नहीं सकते, या जाएं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि यह हो गया, दो बैठकों में तो शालीनता से हो गया। अब के मैं भी वहां सौ, दो सौ, पांच सौ लोगों को लेकर जाऊंगा, या तो यह भी सारे बैठेंगे वरना निर्धारित प्रक्रिया के तहत जो आमंत्रित सदस्य हैं वह बैठेंगे।

इसलिये वित्त मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम उस जिले के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, यह प्रक्रिया तो रूकवायें और आपको यह नहीं कहते कि हमारे कहने से वह अधिकारी लगेगा कि वह अधिकारी नहीं लगेगा। लेकिन जो हमारे अधिकार हैं, जिन बैठकों में हम एम.एल.ए. के रूप में भाग लें, कम से कम उनकी गरिमा तो बची रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपसे मुझे आशा भी है, उम्मीद भी है और आप ऐसे मामलों में संवेदनशील भी हैं। आप कुछ इस तरह की बात कहें ताकि आगे तो इस तरह की प्रक्रिया न हो। अगर कोई आपको मनोनीत करना हो तो उन सबको मनोनीत करो परन्तु बिना मनोनयन के कोई अनधिकृत व्यक्ति आज इस सदन में आकर लोग बैठने लगे इसके बाद क्या होगा, यह मेरा निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री किरोड़ी लालजी।

**श्री जगत सिंह दायमा** : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का...

**श्री सांवर लाल** : मैं भी इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं...

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं किससे, किससे कहना चाहते हो...(व्यवधान) आर्डर आर्डर...

**श्री जगत सिंह दायमा** : राजस्थान में कुछ फर्जी वित्तीय संस्थाएं काम कर रही है...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप किस पर बोलना चाहते हैं ? नहीं यह कोई तरीका नहीं है ...(व्यवधान) बस बोल लिया उन्होंने। यह सब्जेक्ट उन्हीं का है इसलिए...(व्यवधान) It is confined with him only. आर्डर, आर्डर ...(व्यवधान) माननीय किरोड़ी लालजी ...(व्यवधान) माननीय किरोड़ी लालजी...

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान) माननीय सदस्य...(व्यवधान) माननीय किरोड़ी लालजी...(व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब विराजिये...(व्यवधान) राजेन्द्रजी राठौड़ साहब विराजें...(व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब, प्लीज विराजिये...(व्यवधान) माननीय किरोड़ी लालजी...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुछ फर्जी वित्तीय संस्थाएं काम कर रही हैं...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय किरोड़ी लालजी बोलिये। प्लीज सिट डाउन...

**श्री जगत सिंह दायमा** : और वित्तीय जो संस्थाएं हैं वह जनता को...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इस सिस्टम को जानते हैं कोई जवाब जरूरी नहीं है। Then why are you insisting ?

**श्री जगत सिंह दायमा** :-जो फर्जी वित्तीय संस्थाएं हैं वह जनता को गुमराह कर–करके पैसा इक्ट्ठा कर रही हैं...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर...(व्यवधान) आर्डर आर्डर...(व्यवधान) आर्डर...

**श्री जगत सिंह दायमा** : और ऐसी संस्थाएं...

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं–नहीं, आप विराजिये। विराजिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये, माननीय। कहां है स्थगन प्रस्ताव ?

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय ने रिजेक्ट कर दिया है। बोलने की इजाजत नहीं दी, फिर क्यों बोल रहे हैं आप। बैठ जाइये। नहीं–नहीं, अध्यक्ष महोदय ने इजाजत नहीं दी इसके बाद क्या होता है। प्लीज सिट डाउन। माननीय किरोड़ी लालजी।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : पता नहीं आप हाउस में थे कि नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपके स्थगन प्रस्ताव को जानकारी के लिये भेजा है और उन्होंने व्यवस्था दी है उसके ऊपर।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : वह तो आएगी जब आएगी, आप क्या कर सकते हो। आप जब पहले उठाते इसको। आर्डर, आर्डर। माननीय किरोड़ी लालजी। माननीय किरोड़ी लालजी बोलिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये प्लीज।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको इजाजत नहीं दी, उन्होंने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा है गवर्नमेंट से जानकारी प्राप्त हुई है। आपको इसमें मौका देंगे फिर आप काहे को बोल रहे हो।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : हो जाएगा तो हो जाएगा। अगली बार लाना। क्या इलाज है इसका। सब समस्या का समाधान एक मिनट में नहीं होगा। विराजिये प्लीज। आप पहले लाते इसको। आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। आप बोले जा रहे हो, क्या फायदा है।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या फायदा हो रहा है। नहीं--नहीं, आप सदन का समय जाया कर रहे हो। आप मेहरबानी करके जो अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है, वह अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है आप उस व्यवस्था से बंधे हुए हैं। आप मेहरबानी करके बिराजें। बस तो विराजें आप। प्लीज सिट डाउन।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय किरोड़ी लालजी। माननीय किरोड़ी लालजी।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : नही, हमको नहीं चाहिये आपकी जानकारी।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी जानकारी नहीं चाहिये। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है, आप उसका पालन करें मेहरवानी करके। सदन बंधा हुआ है। आप प्लीज बिराजें और उनको बोलने दीजिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : इनको बोलने दे, आर्डर आर्डर।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : आप मेहरवानी करके बैठें।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या फायदा आप बोले जा रहे है। अंकित तो हो नहीं रहा।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य मेहरवानी करके हमको मजबूर मत कीजिये। विराजिये प्लीज। अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी, उसके अनुसार आप उस व्यवस्था से बंधे हुए हैं। मेहरवानी करके आप विराजिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये प्लीज। माननीय किरोड़ी लालजी।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

## खेड़ली में काली देवी का अपहरण प्रकरण

**डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, थाना खेड़ली में काली देवी के अपहरण की जो घटना हुई उसकी आपको जानकारी हैं उपाध्यक्ष महोदय, उस मामले में जिन परिस्थितियों में उस विवाहिता को उठाया गया, अपहरण किया गया, उसमें...

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : रूल्स में प्रोवाइडेड है कि जो मामला हाउस में उठ चुका है उसको दुबारा न उठायें।

**डा. किरोड़ी लाल** : रिपीट नहीं कर रहा हूं।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : यह तो रूल्स में प्रोवाइडेड है।

**डा. किरोड़ी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक जी को परेशानी हो रही हैं उपाध्यक्ष महोदय, उसका अपहरण हो गया, बीच में मैंने इस मामले में गृह मंत्री जी से जानकारी चाही थी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ? कोई परवाह ही नही करता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कृपया करके, आर्डर, आर्डर।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की तो कोई गरिमा बची रही ही नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : क्या मुस्कराहट है ! वाह–वाह, क्या सदन चल रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सबने करतब चला रखा है। कोई उधर चला रहा है कोई इधर चला रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय, आपके पीछे जो सदस्य हैं उनको कहिये बिराजिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बात नहीं मानेंगे। यह तो अनुशासन हमने ही सीखा है। यह पाठ तो हमने ही सीखा है। हुक्म होता है कि बैठो, हम बैठ जाते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपने तो कभी सदन में अनुशासन रखा ही नहीं है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : (व्यवधान) कोई बात नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : अपन तो व्यवस्था रखें। यह करेंगे तो अपना करना जरूरी है क्या ? वह जो करते हैं अपना करना जरूरी थोड़े ही है।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी आपने विपक्ष को छूट दी है उतनी आज तक सदन में किसी ने भी छूट नहीं दी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। अपने को वह भी करना जरूरी है क्या ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द आप नहीं कहें। आप सबके हैं।

**डा. किरोड़ी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी तो आपके हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आप सबके हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : कह रहा हूं ना, रोक रहा हूं ना उनको।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : इस आसन पर बैठकर...(व्यवधान) आपका है।

**श्री उपाध्यक्ष** : रोका है ना।

**डा. किरोड़ी लाल** : आप उनको अपना कह रहे हैं। क्या हम पराये हैं उपाध्यक्ष महोदय ?

**श्री उपाध्यक्ष** : रोका है ना उनको।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आपके नहीं हैं सब ?

**श्री उपाध्यक्ष** : रोका है ना।

**डा. किरोड़ी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, 21.1.99 की घटना है, चूंकि पहले मामला सदन में आ चुका है। पूरा वृतान्त मैं सुना चुका हूं। इसमें लीडर आफ दी अपोजिशन भी जा चुके हैं और 20–25 हजार की तादाद में पब्लिक ने अपना रोष भी प्रकट कर दिया और पुलिस ने 13 तारीख को जो फायरिंग की उसमें एक आदमी को मार भी दिया। एक जिसके पेट में गोली लगी थी वह हास्पिटल में आ गया और 23 आदमियों को जेल में बंद कर दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें सरपंच, प्रधान और कई मुखिया लोग जबरदस्ती पुलिस ने जेल में डाल दिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक उस लड़की को बरामद नहीं किया गया है। उस दिन गृह मंत्रीजी कह रहे थे कि आगरा में, मथुरा में सब जगह इश्तेहार लगा दिये। अब तक लड़की के बरामद किये जाने की कोई सूचना न तो सदन को दी। व्यक्तिगत रूप से जानकारी चाही तो हमको नहीं दी गयी। बल्कि उपाध्यक्ष महोदय, आज हो क्या रहा है। लड़की की मां जो स्वरूपी है, चैनपुरा में पुलिस जाकर उससे पूछती है और उसके साथ दुर्व्यवहार पुलिस कर रही है, और यह कहती है, कि तुमने ही तो खेत में चाकू डाला है, तुमने ही यह चूडियां तोड़कर के डाली हैं लड़की कहां गयी है तुमको पता है। या तो बता देना वरना विधान सभा निकल जाने के बाद तुमको और तुम्हारे परिवार को भी देख लेंगे। इस प्रकार की धमकी पुलिस के द्वारा उस पीड़ित पक्ष को दी जा रही है। इससे बड़ी +++ की कोई बात नहीं हो सकती है। जिन लोगों पर गोली चलाई, पुलिस ने निर्दोष लोगों को मारा। उस पीड़ित पक्ष ने भी मुकदमा दर्ज कराया। जब वह पहले थाने पर गये तो थाना खेड़ली के थानाधिकारी ने

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. किरोड़ी लाल)

एफ.आई.आर. लेने से मना कर दिया। यह मुख्य सचेतक जी मिलकर के आये थे। वह मुरारी लाल जाटव जिसके पेट में गोली लगी थी, एस.एम.एस. में भर्ती था। एस.एम. एस. से छूटते ही वह खेड़ली में गया तो उसने कहा कि मेरे साथ में रमेश नाई को मारा। मेरे गोली मारी। मेरे देखते–देखते रमेश नाई मर गया। मेरी एफ.आई.आर. दर्ज करो।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी और कोई कलंक की बात इस कांग्रेस राज के लिए नहीं हो सकती है कि जिसके पेट में गोली लगी और वह थाने पर जाकर कहने लगा तो उसकी एफ.आई.आर. नहीं ली गयी। एफ.आई.आर. नहीं ली तो वह एम.एम.कोर्ट, कठूमर गया। उपाध्यक्ष महोदय, मुंसिफ कोर्ट, कठूमर में प्राइवेट इस्तगासा किया। प्राइवेट इस्तगासा में मुंसिफ कोर्ट ने डायरेक्शन दिये हैं कि आपने फायरिंग कर एक व्यक्ति को मारा है। इसके पेट में गोली मारकर घायल किया है। इसका मुकदमा दर्ज किया जाये। धारा 302 और 307 में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जो गोली मारे, वही 302, 307 की जांच करे, इससे बड़ी और कोई अचम्भे की बात नहीं हो सकती। इसलिए मैंने पहले मांग की थी कि इस समस्त प्रकरण की चाहे अपहरण की हो, चाहे 13 तारीख को गोली चलने का मामला हो, चाहे हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज होने का मामला हो, चाहे जिन लोगों ने प्राइवेट इस्तगासा करके मुकदमा दर्ज कराया है उन सबकी जांच सी.बी.आई. से होनी चाहिए। लेकिन सरकार बच निकली। सरकार इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। उपाध्यक्ष महोदय, जिस मुरारी लाल जाटव ने, वह मुख्य सचेतक जी के इलाके का है। थाना मण्डावर में उसका गांव पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक जी को मैं कहना चाहूंगा, इस मामले में जिस लड़के के पेट में गोली लगी है, जिन–जिन को उसने मुलजिम ठहराया है पुलिस वालों को, उन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और गिरफ्तार कौन करेगा, यह उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा गृह मंत्री जी से आप कहलवा तो दें। जिन्होंने गोली मारी वही जांच करेंगे तो गिरफ्तार कौन करेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि जो लड़की अपहृत होकर गयी है, जिसको चार महीने हो गये। यह राजस्थान की पुलिस, अशोक गहलोत की सरकार, यह गृह मंत्रीजी के नुमाइंदे अब तक उस बच्ची को ला नहीं सके। इसलिए पूरे इलाके में भारी तनाव और आक्रोष फैला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी प्रकार की चेतावनी तो नहीं देना चाहता, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि अब तक विधान सभा के प्रति वहां की जनता बाट जोह रही थी कि विधान सभा से कोई न कोई निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। गृह मंत्री जी कोई न

(डा. किरोड़ी लाल)

कोई व्यवस्था करेंगे।

लड़की अपहृत हुई है वह अभी तक बरामद नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बाद में मेरे इलाके में भारी सरगर्मी पैदा होगी और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसमें असंतोष और आक्रोष सरकार के प्रति इतना है कि अगर लड़की बरामद नहीं हुई और जिन अपराधी पुलिस वालों ने इन निर्दोष लोगों को मारा है और 302 और 307 के मुकदमे दर्ज हुए हैं, अगर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी तो उस इलाके में कानून की स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा गृह मंत्रीजी, आज इस सदन में इस बारे में जानकारी दें कि जिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 302 और 307 के मुकदमें दर्ज हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिस ढंग से हमारे प्रधान और पंचायत समिति के सरपंचों को गिरफ्तार करके 23–23 लोगों को जेल के सींखचों में डाल दिया। यह पुलिस वाले जिनके हाथ में सरकार ने मारने का लाइसेन्स दे दिया है, वह भी गिरफ्तार होने चाहिए और वह लड़की काली देवी बरामद होनी चाहिए। मेरी मांग है इस बारे में कि गृह मंत्रीजी आज स्थिति स्पष्ट करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री माहिर आजाद।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला गंभीर है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : मैं निवेदन कर रहा था कि यह मामला बहुत गंभीर है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। गंभीर है, सरकार गंभीरता से ले रही है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में गृह मंत्री जी ने...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : कहा था कि हमने इतनी तो टोलियां बना दी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, हम जाकर के कहां बात करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। हाउस में बात करेंगे ना और कहां करेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ व्यवस्था तो हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : व्यवस्था है ना।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह संवेदनशील सरकार, पारदर्शी सरकार...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय माहिर आजाद जी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : काहे की जवाबदेही, काहे की संवेदनशील सरकार।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, आर्डर। आप समझने की कोशिश करें।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : हाउस कल खतम हो जायेगा...(व्यवधान) इस तरह तो वह लड़की बरामद होगी ही नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप समझने की कोशिश कीजिये। आर्डर प्लीज। माननीय माहिर आजाद।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : इतने गंभीर मामले में...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, हां गंभीर है। गंभीरता से ले रही है सरकार। आप चिन्ता मत करें...(व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : लेकिन सरकार गंभीर है ही नहीं किसी में (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : कहां उठायेंगे... (व्यवधान) नही, फिर किसको कहें बात ?

**श्री उपाध्यक्ष** : वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आप निर्देश दें उनको आज हम...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : आप गंभीरता से करें...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय माहिर आजाद...(व्यवधान), आर्डर प्लीज... (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : यह बहुत ही +++ स्थिति है...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप व्यवस्था को समझते हैं, जानते हैं...(व्यवधान) आर्डर आर्डर।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर की भी लड़की है, खेड़ली जैसा कांड हो सकता है, सरकार यदि गम्भीर हो तो इन सारे मामलों पर कार्यवाही हो। सरकार गम्भीर है ही नहीं...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : आप आर्डर, आर्डर करके हमें तो चुप करवा देंगे लेकिन जनता चुप कैसे होगी ?

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपा कीजिये, कृपा। विराजिए प्लीज।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : हम तो आपके आर्डर–आर्डर से बैठ जाएंगे लेकिन जनता नहीं बैठेगी, फिर वहां आदोलन होंगे, वहां फिर संघर्ष होगा, इस तरह की स्थिति फिर पैदा होगी इसलिए सरकार को चाहिए कि जवाब दे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय माहिर आजाद।

**डा. किरोड़ी लाल** : बैठने के लिए तैयार हैं लेकिन राजस्थान में कानून की व्यवस्था बिगड़ रही है। (व्यवधान) डिसआर्डर हो रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर, हो गया न। (व्यवधान) मोहम्मद माहिर आजाद।

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : मुझे जुम्मे की नमाज में जाना है, बी.जे.पी. वालों (व्यवधान) आप बैठ जाएं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : विधान सभा सत्र समाप्त होने में एक दिन शेष है, कितनी बड़ी आशा थी पूरे राजस्थान के लोगों को कि सदन में चर्चा होगी, अपहरणकर्ता पकड़े जाएंगे, अपहृत बालिका वापस आएगी, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है (व्यवधान)

## जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक में भ्रष्टाचार

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्रीजी और सहकारिता राज्य मंत्रीजी, दोनों ही आज इस सदन में नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव व उनसे मिलीभगत व भ्रष्टचार के कारण काफी समय से इन्तजार कर रहे किसानों को फव्वारा योज़ना में अनुदान से वंचित रखे जाने के संबंध में आकर्षित कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज न तो सहकारिता मंत्रीजी सदन में मौजूद हैं और न सहकारिता राज्य मंत्रीजी हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव द्वारा डीलरों से मिलीभगत करके, भ्रष्टाचार फैला कर जिला जयपुर के काश्तकारों को जो लम्बे समय से फव्वारा सैट और उसका अनुदान और ऋण लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको हो रही परेशानी के लिए आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 21 मार्च, 1998 को करीब दो हजार किसानों ने पंत कृषि भवन पर धरना देकर दो हजार पत्रावलियां फव्वारा योजना के अनुदान के लिए जमा करवाई थी। धरने पर आए किसानों को कृषि निदेशक ने यह आश्वासन दिया था कि हम 31 मार्च, 1998 तक वित्तीय लक्ष्य के मुताबिक 400 पत्रावलियों का निस्तारण कर देंगे और बकाया 1600 को 31 मार्च, 1999 तक ऋण और अनुदान फव्वारा सैट के लिए उपलब्ध करवा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 31 मार्च भी निकल गया, 1998 भी निकल गया और, 1999 आ गया, आज स्थिति यह है कि लगभग दो हजार काश्तकार जिन्होंने अपनी पत्रावलियां जमा करवा रखी हैं, आज भी वे ऋण और अनुदान और फव्वारा सैट के लिए दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सचिव ने क्या किया कि किसानों में भ्रम पैदा करने का नया तरीका अपनाया और फरवरी, 1999 में दैनिक नवज्योति में एक छोटा सा विज्ञापन दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान पत्रिका, भास्कर आदि ऐसे दूसरे समाचार पत्रों में दिया जाना चाहिए था जो जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं लेकिन सिर्फ एक दैनिक नवज्योति में एक छोटी–सी विज्ञप्ति दी गई, 22 फरवरी से 25 फरवरी के बीच, कहा कि जो दो

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हजार पत्रावलियां काश्तकारों ने हमारे पास जमा करवा रखी हैं, उनमें कोई न कोई कमी है, वह तीन दिन में आकर पूरी कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं बताएं कि अनपढ़ किसान जो देहात के दूर–दराज के इलाकों में रहते है, तीन दिन में कभी पटवारी नहीं मिलता, कभी तहसीलदार नहीं मिलता, कभी दूसरा आदमी नहीं मिलता, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से नो–ड्यूज लेना पड़ता है, क्या सम्भव है कि 12–15 संस्थाओं, से को–आपरेटिव बैंक, से पंजाब नेशनल बैंक, से एस.बी.बी.जे., से भूमि विकास बैंक, से जितनी भी ये संस्थाएं हैं, उन सबसे नो–ड्यूज लेकर तीन दिन में कैसे दे सकते हैं। तीन दिन बाद जब काश्तकार वहां आए और आकर उन्होंने कहा कि साहब, हमने हमारी फोरमेलिटी पूरी करा दी है तो उनको कहा कि 25 तारीख निकल गई, अब आपको न ऋण मिलेगा, न अनुदान मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी कमियों पूरी नहीं की है। उपाध्यक्ष महोदय, सचिव, भूमि विकास बैंक, जयपुर का प्रकरण इसी बात से समाप्त नहीं हुआ, उसने उसके बाद भ्रष्टचार फैलाने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया, डीलरों और दूसरे लोग जो सेटिंग रखते थे उनको कहा कि तुम बैक डेट में दूसरी फाइलें ले आओं और उनसे मंगवाई। इस प्रकार जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सचिव ने यह जानते हुए कि ये फाइलें 11 माह पुरानी है और इन फाइलों में राजस्व रिकार्ड, बैंक नो--ड्यूज वगैरह, इनकी अवधि समाप्त हो चुकी है और इतने अल्प समय में किसान ये पूर्ति नहीं करवा सकते हैं, इसके बावजूद भी सचिव ने यह जानते हुए कुछ डीलरों को लाभ पहुंचाने के लिए, पैसा खाने के लिए उनकी पत्रावलियां जमा करके निस्तारण कर दिया। कुछ प्रभावशाली किसानों को बैंक स्त्रोतों से मालूम पड़ गया था कि इस तरीके से जानकारी मांगी जा रही है, कुल मिलाकर 30–40 लोगों ने जमा करवा दी लेकिन दो हजार में से उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या सरकार इन किसानों को अनुदान से वंचित रखना चाहती है या क्या करना चाहती है। क्या सरकार का मानस अनुदान व ऋण देने का है ? यदि हां तो इन किसानों को कब तक अनुदान मिल जाएगा ? तारीख सदन में नहीं बताएं तो मैं यह पत्र उनको दे दूंगा, दो हजार काश्तकारों जो आज भी राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और जयपुर जिला भूमि विकास बैंक के सचिव के कारण अनुदान और ऋण से वंचित हैं और दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। राजस्थान की सरकार करती है कि वह पारदर्शी सरकार है, अगर आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करवाना चाहते हैं तो जांच करवाइए और जिन लोगों की पत्रावलियां जमा हैं, उन काश्तकारों को

(मोहम्मद माहिर आजाद)

तुरन्त फव्वारा सैट के लिए ऋण और अनुदान उपलब्ध करवाएं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री अमराराम।

## विधान सभा क्षेत्र धोद के लोसल कस्बे में बिजली की समस्या

**श्री अमराराम (धोद)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऊर्जा मंत्रीजी तो अनुपस्थित हैं। लोसल कस्बा जो धोद विधान सभा क्षेत्र की एकमात्र म्युनिसिपैलिटी है, जिसकी 35 हजार की जनसंख्या है और बिजली की सबसे ज्यादा और लगातार कटौती इस कस्बे को भोगनी पड़ती है। जब भी यहां जयपुर से निर्देश जाते हैं, लोसल म्युनिसिपैलिटी में जो जी.एस.एस. है, उस पर 10 एम.वी.ए. का लोड है, जब भी मैसेज जाता है तो धोद में सबसे पहले कटौती लोसल कस्बे की निश्चित रूप से होती है और उससे यही नहीं होता, इनका बिजली विभाग इतनी अकर्मण्य है कि पिछले सात रोज पहले वहां बिजली के ए.ईएन. कार्यालय के सामने 11 के.वी. का तार टूट कर गिर गया, उसको वापस रिस्टोर करने के लिए चार दिन का समय लगा। उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह होती है कि 35 हजार की आबादी का कस्बा है, वहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पानी की व्यवस्था इतनी खराब है कि आज भी इनके नोर्म्स के अनुसार वहां पर पानी नहीं मिलता है, न स्टोर की व्यवस्था है और न सोर्सेज की व्यवस्था है। यदि एक दिन भी बिजली डिस्टर्ब होती है तो इन 35 हजार लोगों को पीने के पानी की कठिनाई निश्चित रूप से उपस्थित होती है। चार दिन बिजली की सप्लाई नहीं हुई, इससे तो हाहाकार हो गया और वहां ए.ईएन. आफिस को लोगों को घेरना पड़ा और प्रदर्शन करना पड़ा। इसलिए विद्युत मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लापरवाही आपके विभाग के स्तर पर होती है और इसमें जो भी कटौती होती है तो लोसल को इससे वंचित रखने का काम करें और जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आगे से जलदाय व्यवस्था म्युनिसिपैलिटी लोसल की है उसको रिओर्गेनाइज करने की स्कीम बनाएं जिससे आने वाले समय में भयंकर रूप से लोसल कस्बे के 35 हजार लोग पानी से महरूम है, उनको समुचित पानी मिल सके और वे तसल्ली से अपना जीवन यापन कर सके। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : विधायी कार्य। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री भगराज चौधरी।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची श्री, अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने की इजाजत दी थी।

**श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं। पिछले चार महीने से यह इतना गम्भीर मामला है, इस मामले को इतना लाइटली ले रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : एक छोटे–से मामले की तो आप सी.बी.आई. से जांच करवा रहे हैं...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सरकार है ही नहीं, किसको सुनाएं ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : सरकार बैठी है न।

**श्री हीरासिंह चौहान** : वहां पुलिस ने फायरिंग की है, उसकी कोई जांच हुई है ? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, कौन सदन में आश्वासन देगा ?

**श्री हीरासिंह चौहान** : यह गम्भीर मामला है, एक महीना हो गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : चाहते क्या हैं ? (व्यवधान) बोलते जाओ, चाहते क्या हो ?

**श्री हीरासिंह चौहान** : पक्ष के सदस्य चले गए, विपक्ष के सदस्य चले गए, मौके की रिपोर्ट आ गई, विपक्ष के नेता चले गए, मामला बहुत गम्भीरता पकड़ता गया। (व्यवधान) पारदर्शी सरकार होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, गोलियां चलाई गई थी वहां पर...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप** : यह संवेदनशील सरकार है, इसी तरीके से काम करेगी तो कैसे चलेगा ?

**श्री सांवर लाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को गम्भीरता से इस मामले को लेना चाहिए। निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई है, मरना था वे तो मर गए, आज तक वह काली बरामद नहीं हुई, आखिर विधान सभा सत्र चल रहा है, प्रतिपक्ष के नेता वहां गए, 25 हजार लोग इकट्ठे हुए, इतना सब कुछ हुआ, एक महीने से लगातार विधान सभा चली है, यह प्रकरण कई बार उठा है इसके बावजूद न तो अब तक गोलीकाण्ड की जांच हुई है और न काली बरामद हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर जनता किस पर आस करेगी, आप यहां पर विराजे हैं, यहां हम न्याय मांगने के लिए खड़े हुए हैं। सरकार बिलकुल संवेदनशून्य हो गई है।

**श्री उपाध्यक्ष** : बोल लिए ? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले को हम राजस्थान के गांव–गांव में ले जाएंगे, राजस्थान की जनता के बीच ले जाएंगे (व्यवधान) इस तरह का आचरण, इस तरह कोई ढूंढने वाला नहीं है उसको, काली गायब है, हम किसको अपनी बात कहें उपाध्यक्ष महोदय ?

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : उपाध्यक्ष महोदय, आप किस केस को गम्भीर मानते हैं, किस मैरिट पर मानते हैं यह बताएं। ऐसा मामला जहां लड़की चली गई, आप किस केस को गम्भीर मानते हैं, सरकार किस केस को गम्भीर मानती है, एक महीना विधान सभा

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

चलते हो गया, चार महीने हो गए...(व्यवधान)

**(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)**

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री भगराज जी चौधरी।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : एक लड़की चली गई, दूसरी लड़की चली गई, तीसरी लड़की चली गई और सरकार जवाब नहीं दे रही है। विधान सभा सत्र समाप्त हो रहा है। (व्यवधान) +++

# सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

## प्रतिवेदन

## राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98

**श्री भगराज चौधरी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : सरकार को +++ कोई सुनने वाला नहीं है। भावी मुख्य मंत्रीजी बता दें, भाई चन्दन मल जी बैद साहब, ये भावी मुख्य मंत्रीजी हैं। समस्या गंभीर है, अशोक गहलोतजी को हटाने के लिए बजट तो इन्होंने दिया ही ऐसा, जिसके कारण असंतोष फैला। यही जवाब दे दें आप किस केस को मैरिट व डिमैरिट पर मानते हो, उपाध्यक्ष महोदय, जरा यह तो कृपा करो। आप कह रहें हैं सरकार गंभीरता से ले रही है, कोई गंभीरता से नहीं ले रही है। चार महीने हो गए, अलवर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लड़कियां चलीं गई हैं। खेड़ली का इतना भयंकर कांड हुआ है, आप गंभीरता से लेते ही नहीं, +++ हम लोग बायकाट कर रहे हैं। भारत माता की जय।

**(माननीय सदस्य श्री ज्ञानदेव आहूजा द्वारा सदन से बहिर्गमन)**

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री रामस्वरूप** : किसी जवाब को तो आप सुनते नहीं हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : रामस्वरूप जी, आर्डर प्लीज।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## नागौर जिले के भेड़पालकों की समस्या

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को पर्ची दी थी, उन्होंने पांच मिनट के समय के लिए कहा था, मैं देखूंगा। मेरी पर्ची है।

**श्री उपाध्यक्ष** : यहां तो नहीं है पर्ची,

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

आपकी पर्ची नहीं है।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** : पर्ची है, साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : है तो मैं कोई छिपाऊंगा क्या ?

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** : है साहब। उन्होंने मुझे कहा है आप पांच मिनट बोल लेना। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भेड़पालन मंत्रीजी जी का ध्यान भेड़पालकों की एक गंभीर समस्या है, उसके बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे नागौर जिले में लोगों का मुख्य धंधा खेती है, उसके बाद पशुपालन और उसके साथ भेड़पालन भी है। हमारे नागौर जिले में काफी संख्या में भेड़ें हैं। वहां के लोग बाहर उनको चराने के लिए गए हुए हैं। उन भेड़ों में एक हिड़क्या नाम का रोग आया हुआ है और उस हिड़क्या रोग से प्रतिदिन 100–200–500 भेड़ें मर रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भेड़पालन मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। हो गई बात।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** : मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं उसकी दवाई यहां जयपुर में मौजूद है और 40--50 भेड़पालक यहां दवाई मांगने के लिए आते हैं। उनके डाइरेक्टर से मैंने बात की, मैंने कहा इनको आप दवाई दो। उन्होंने कहा इनको दवाई मिलेगी, नागौर जाओ। कोई कहता है मेड़ता जाओ, कोई कहता है परबतसर जाओ तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भेड़पालकों की यह गंभीर समस्या है, उनमें भारी रोष है। लाखों रुपये की भेड़ें रोज मर रही हैं। आप उनको दवाई उपलब्ध कराएं और उन भेड़ों को मरने से रोका जाए, यह मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी–मोटी बात नहीं है। (व्यवधान) मैंने कृषि विभाग के डाइरेक्टर से बात की।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने उनको अलाउ किया है।

**श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)** : दो मिनट में कह दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : इसकी कोई डिबेट तय नहीं है।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** : यह कोई छोटी–मोटी बात नहीं है, सरकार इसको गंभीरता से ले, जिसके कारण भेड़ें मर रही हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्योंकि किसान से संबंधित थी, उन्होंने कहा मेरी पर्ची है तो माननीय सदस्य को अलाउ कर दिया। (व्यवधान)

**श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)** : अधिकारी बहुत गुमराह करते हैं, हमेशा जहां भी भेड़ें उनको रास्ते में मिलती हैं (व्यवधान) भेड़ों के लिए इतनी हमदर्दी रखने

(श्री अमराराम चौधरी)

वाले हैं...(व्यवधान) तो उनको वैक्सीनेशन उपलब्ध कराना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : बात तो वो की वो ही कह रहे हो, जो वे कह रहे हैं।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** : भेड़ें मर जाएंगी तो क्या होगा ? उनका वही धन है, अगर वे भेड़ें मर जाएंगी तो वे किससे अपना गुजारा करेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा उनको तत्काल दवाइयां उपलब्ध करायी जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : ठीक है। आर्डर आर्डर।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)** : उपाध्यक्ष महोदय, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो राजस्थान ऊन का 40 प्रतिशत सारे देश का पैदा करता है उन भेड़ों में हिड़क्या नाम का रोग आ गया है। दवा विभाग में है नहीं, तभी तो यहां के डाइरेक्टर कहते हैं, किसी को कहते हैं आप मेड़ता जाइए, किसी को कहते हैं आप नागौर जाइए, किसी को कहते हैं परबतसर जाइए। मैं आपके माध्यम से पशुपालन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी...(व्यवधान) भेड़–ऊन का अलग है क्या ? भेड़–ऊन के मंत्रीजी हैं कौनसे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपनी बात कहिए।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : रोज यहां बैठे रहते हैं, आज नहीं हैं, लेकिन सरकारी पक्ष के बहुत से लोग बैठे हैं, ट्रेजरी बेंचेज के कई महानुभाव, मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि इसको गंभीरता से लें और लोगों की हजारों रुपये की भेड़ें नष्ट हो जाएंगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। पशुपालकों का तो होगा ही, लेकिन राजस्थान को भी इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इसको गंभीरता से लें और तुरन्त इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए दवा का समुचित प्रबन्ध किया जाए।

**श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : एक मिनट।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज।

**श्री शिवनाथ सिंह** : उपाध्यक्ष जी, मामला काफी गंभीर है। आपने बताया कि जो डाइरेक्टर साहब कहते हैं कि वहां से दवाई लो। वहां से दवाई लो, वह ठीक है। उनका सिस्टम साधारण समय के लिए है, लेकिन एक एपिडेमिक के रूप में यह हो रहा है, उस हिसाब से राज्य सरकार को एपिडेमिक के रूप में ही इसको लेना चाहिए और सब केन्द्र जहां भी हैं वहां दवाई उपलब्ध करानी चाहिए। मैं सरकार के माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, खासतौर से मुख्य सचेतक महोदय से कि इस पीड़ा को संबंधित मंत्री महोदय को पहुंचाएं और ऐसी व्यवस्था करें कि वो एपिडेमिक के रूप में इसको लें और उसी हिसाब से दवाई मुहैया कराएं।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की भावनाओं से सरकार इसको गंभीरता से ले। और उसकी

(श्री उपाध्यक्ष)

संपूर्ण...(व्यवधान) आर्डर प्लीज।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यहां कोई रहता ही नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) सरकार इसको गंभीरता से ले, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते, उसका मैं क्या कर सकता हूं? आप बोलते हैं तब मैं सुनता हूं तो कृपया करके मैं बोलूं जब भी थोड़ा सुनो। (व्यवधान) मैं सरकार को यह निर्देश दे रहा हूं कि मामला बहुत गंभीर है और सरकार इसको गंभीरता से लेते हुए, इसको एपिडेमिक मानते हुए इसकी समुचित व्यवस्था करें।

वापस लिया जाने वाला विधेयक, श्री चन्दन मलजी बैद, प्रभारी मंत्री, राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 1999 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

## विधायी कार्य : विधेयक की वापसी

## राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 1999

**श्री चन्दन मल बैद** (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 1999 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 1999 को वापस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

**(स्वीकृत)**

विधेयक वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, बोलने की तो अनुमति दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : उस पर नहीं है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह वापस ले रहे हैं।

**श्री चन्दन मल बैद** : विधेयक वापस लिया है। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आप कारण बताएं, क्यों ले रहे हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराज जाएं प्लीज।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : कारण बताए ना आप, क्यों ले रहे हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : ऐसा नहीं हैं। आपने यह कर लगाया। एक सैकण्ड साहब। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या नियम है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : किस नियम से बोल रहे हैं आप ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह विचार के लिए हमारे सामने आया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ये तो विधेयक वापस ले रहे हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : ले रहे हैं तो भी विचार का विषय है हमारे सामने।

**श्री उपाध्यक्ष** : विचार क्या आ रहा है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : लें या न लें, विचार क्यों नहीं कर सकते ?

**श्री उपाध्यक्ष** : विधेयक विड्रा हो गया हाउस में, अब उसमें क्या पूछ रहे हैं आप ?

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : विधेयक पेश किया और विधेयक वापस ले लिया। विचारार्थ तो लिया नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : विधेयक हाउस में विड्रा हो गया, उस पर क्या बोल रहे है आप ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : बोलने का मौका तो दीजिए ना साहब।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : उसमें बोलने का मौका नहीं है। कौनसी स्टेज पर बोलेंगे आप ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप तो इतने सीनियर मेम्बर हैं। जब विधेयक विड्रा हो गया, फिर उसमें क्या बोल रहे हैं ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : इतना तो बता दें ये कि क्यों विड्रा किया ? फिर लाये ही क्यों थे ? सारे प्रदेश को उद्वेलित कर दिया आपने। सारे प्रदेश की जनता को दुःखी कर दिया, इस बात से कई आंदोलन करा दिये फिर वापस ले लिया। क्यों किया ऐसा आपने ?

**श्री चन्दन मल बैद** : सरकार इस विधेयक को पास नहीं कराना चाही, कारण यही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : सरकार पास नहीं कराना चाहती। इसमें क्या बोलना चाहते हो आप ?

**श्री चन्दन मल बैद** : कारण यही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : विधेयक को विड्रा किया है।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 श्री चन्दन मल बैद, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री चन्दन मल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, पहले वापस तो ले लू मैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां, उसको ले लीजिए पहले।

**श्री चन्दन मल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 1999 को वापस लेता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक, श्री चन्दन मल बैद, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

# विधेयक पर विचार

## राजस्थान वित्त विधेयक, 1999

**श्री चन्दन मल बैद** (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सांवर लाल।

**श्री सांवर लाल** (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक में जो विभिन्न विधेयक हैं इनमें संशोधन राज्य सरकार करना चाहती है। जनहित में मैं यह चाहता हूं कि ये जो प्रावधान हैं उनके बारे में सामान्य जनता की क्या ओपिनियन बनती है उसके हिसाब से पारित करने से पहले जनमत जानने के लिए इसको परिचालित किया जाए।

**श्री हीरासिंह चौहान** : मेरा भी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामसिंह कस्वां। (व्यवधान) तसल्ली तो रखें। श्री अमराराम चौधरी। श्री ज्ञानदेव आहूजा। अमराराम जी है, आप बोलिए।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो वित्त विधेयक लाया गया है यह जन आशाओं, जन आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए और जब तक यह अनुरूप नहीं होता है जब तक कि भावनाओं के बारे में पता नहीं लगता है, उससे पहले किसी प्रकार से विधेयक को लाना न्यायोचित नहीं होगा, इसलिए इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री ज्ञानदेव आहूजा। श्री मदन दिलावर।

**श्री हीरासिंह चौहान** : मेरा नाम था इसमें।

**श्री उपाध्यक्ष** : होता तो मैं बोलता। मुझे क्या तकलीफ है बोलने में ?

**श्री हीरासिंह चौहान** : नाम मैंने दिया है इसमें।

**श्री उपाध्यक्ष** : इसमें तो नहीं हैं।

**श्री हीरासिंह चौहान** : इसमें दिया हुआ था मेरा।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं तो इसमें बोल रहा हूं, मैं आन रिकार्ड बोल रहा हूं।

**श्री हीरासिंह चौहान** : वह सही है, मैंने बहुत पहले दे दिया था।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका और बिल आ रहा है उसमें है।

**श्री हीरासिंह चौहान** : उसमें नहीं, मैं इसमें बोलना चाहता हूं। मेरा था पहले इसमें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। यह लिस्ट एग्जास्ट हो जाने दीजिए। जिनके नाम हैं उनको एग्जास्ट हो जाने दीजिए, फिर बोल लीजिए ना। श्री मदन दिलावर। डा. रतन लाल जाट। बोलिए हीरासिंह जी।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम 1964 की धारा (6) के खण्ड (6) को विलोपित करने के लिए...

**श्री उपाध्यक्ष** : खण्ड (6) तो आगे आएगा ना मैं वही तो आपको कह रहा हूं। अभी तो विचारार्थ लिये जाने की बात हैं खण्डवार डिस्कशन नहीं हो रहा।

**श्री हीरासिंह चौहान** : मैं निवेदन करना चाहता हूं साहब कि ये जितने भी टैक्सेज प्रपोज किये हैं, मोटरयान टैक्स...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अभी तो यह विचार है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाए या नहीं किया जाए। यह प्रश्न आगे है आपका। आप भी बोलना चाहते हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह विषय काफी गंभीर है। कुछ घोषणाएं वित्त मंत्री जी ने कल की है। स्पष्ट कर दें तीन बातों को, एक तो मुख्तयारनामा है उसकी जो अवधि है उस पर जो फीस लगेगी उस पर कोई संशोधन किया है क्या ? दूसरा एग्रीमेंट टू सेल...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह सब आगे आ रहा है ना।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : अगर यह कर दिया है तो बताइये।

**श्री उपाध्यक्ष** : अभी जो प्रश्न है उसको समाप्त कीजिए।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्लियर हो जाएगा, इसलिये पूछ रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह होगा ना आगे, रात के तीन बजे खतम हो रहा है क्या ? अभी तो केवल यह है कि इसको प्रवर समिति को... श्री भीमसेन चौधरी। श्री विजयेन्द्रपाल सिंह।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, 2–3 बातें हैं इस पर मुझे निवेदन करना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको निवेदन करना है कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए क्या ?

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : प्रवर समिति को देने के लिए, पर क्यों ? यह तो कह सकता हूं। आज एक इन्टरनेशनल और नेशनल फिनोमेना है कि टैक्स का बेस आप बढ़ाए कम करें अच्छी रेवेन्यू लें और यह नहीं कि आप टैक्स बढ़ा दें और एपेक्स बाडी के अंदर कुछ लोगों से ही आप टैक्स लें। इसलिए एंटरटेमेंट टैक्स के बारे में जो बात हुई है, आपने 100 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कर दिया। आप अगर देखें तो 10 रुपये के नीचे जो टिकट थे, 10 रुपये टिकट, आप जयपुर के अंदर टिकट लेने चले जाओ, किसी भी सिनेमा हाल में चले जाओ, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये के टिकट हैं और इस पर कोई अन्य टैक्स नहीं है। हमने 10 रुपये से जो कम थे उसकी 50 प्रतिशत 10 रुपये से कम कौन जाता है, गरीब आदमी जो टी.वी. नहीं रख सकता, केबल नहीं रख सकता, जिसके घर पर यह सुविधा नहीं है, ऐसे लोग सिनेमा देखने जाते हैं। और आज छोटे–छोटे शहरों

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

के अंदर जो सिनेमा है उसके अंदर यह तो ऐसे लोग जो गरीब, लेबर क्लास के, ये लोग ही जाते हैं। उनके लिए एक सुविधा है एंटरटेनमैंट, और वह भी चाहते हैं कि कुछ तो एंटरटेनमेंट हो। पूरे दिन से काम करके शाम को जब एंटरटेनमेंट, जाकर सिनेमा देखकर आये, उसमें भी आपने 100 प्रतिशत कर दिया, क्या यह न्यायसंगत है ? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं और अगर आप पूरा वह भी देख लें। आप हमें यह बता दें कि पहले भी हमारा 100 प्रतिशत था, हमने 50 प्रतिशत कर दिया। उससे कितना लोस हुआ, कोई ज्यादा लोस नहीं हुआ क्योंकि बड़े शहरों के अंदर जो टिकट 10 रुपये से ज्यादा थे, उसमें तो पहले भी 100 प्रतिशत था। तो जो छोटे–छोटे शहरों के अंदर 50 प्रतिशत, उससे जो लाभ आपको था, चोरी होती थी, जो ब्लेक के अंदर टिकट बेचते थे और जो कम पैसा सरकार को मिलता था, वह भी सब देने लग गए हैं। अच्छा होता कि अगर इसके साथ में, क्योंकि सिनेमा हाल की हालत बहुत बुरी है, सिनेमा हाल चलाना भी बहुत मुश्किल काम है। अगर आप एक रुपये पर टिकट, जैसे मध्य प्रदेश का आपने रास्ता अपना रखा है कि जो मध्य प्रदेश में होता है, वहां के जो मुख्य मंत्रीजी हैं, इतने होशियार हैं कि हमारे मुख्य मंत्री जी भी उन्हीं के पदचिन्ह पर चलते हैं। सब बातें जो वहां होती है यहां पर भी आप करने की कोशिश करते है। वहां पर भी सर्विस टैक्स लगा रखा है वो अच्छी बात है। इसके अन्दर भी अगर आप सोच ले आते कि 100 प्रतिशत के साथ में हम एक रुपये सर्विस टैक्स ले लें, सिनेमा हाल की जो हाल खराब है, सीटें फट जाती है, यह हो जाता है। लोग एक रुपये सर्विस टैक्स, महाराष्ट्र के अंदर दिये, दूसरी जगह भी दिये, वह भी आप लगा लेते तो भी हम मानते कि आपने सिनेमा मालिक की तरफ नहीं ध्यान दिया है। जो सिनेमा में बैठते हैं, अच्छी सीट पर बैठेगे उसका अलग हिसाब रखेंगे और वो अनिवार्य होता है और रहेगा। उसका अलग हिसाब सिनेमा को ठीक मेनटैन करने के लिए लगा दें। वह भी आपने नहीं किया।

दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं राजस्थान लैण्ड्स एण्ड बिल्डिंग टैक्स, मैं जनरल बात कर रहा हूं। I am not going into the details.

**श्री उपाध्यक्ष** : You are going.

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : I am not. मेरी सुनी ही नही आपने। पहले ही प्रिज्यूम कर लिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : सुन ली ना, आपने कह दिया लैण्ड एण्ड बिल्डिंग...

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स का जो मामला, आपने तो रियायत देने की बात, इसमें दिया कि हम तो रियायत दे रहे हैं। स्कूल के जो होस्टल हैं, स्वीमिंग पूल हैं, खेल के जो ग्राउण्ड हैं, उनको हम डिलीट करने जा रहे हैं। यह

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

आपकी मंशा है। अगर यही मंशा है तो आप ए से एफ जितने सरकारी भवन हैं, दूसरे के अंदर जो एग्जम्पशंस हैं उसमें क्यों नहीं डाल देते, आप डिलीट क्यों करने जा रहे हो ? आप उनके साथ में डाल दो कि साहब, यह तो गवर्नमेंट प्रोपर्टी है, यह जो एग्जम्पशंस हैं, उसके साथ में हम डाल दें। आपकी मंशा ठीक नहीं है। मैं आगे और बोलूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को दे दिया जाए। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 1999 को, माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी आप बोलेंगे कुछ।

**श्री चन्दन मल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल कभी प्रवर समिति में और सलेक्ट कमेटी में जाता नहीं है। जिस दिन बजट पेश किया था, उसी दिन लागू हो गया था। एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के साथ ही यह तो पास हो गए। अब तो खाली औपचारिकता है जिसको मुझे पूरी करना है न तो यह सलेक्ट कमेटी में जाता है न कोई जनमत प्रसारित करने के लिए जाता है। यह औपाचारिकता मैं पूरी करने आया हूं। ये बिल तो पहले ही सारे पास हो गए।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 1999 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

## विधेयक पर खण्डश : विचार

खण्ड 2 व 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किए गए।

खण्ड 4 प्रभारी मंत्री।

**श्री चन्दन मल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें संशोधन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका भी है और शिवनाथ सिंहजी का भी है।

**श्री शिवनाथ सिंह** : मेरा भी है और मेरा नाम पहले है।

**श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : गवर्नमेंट को प्रीफरेंस दी जाएगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : पहले आप बोल लीजिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : पहले सरकार का क्या संशोधन है, वह बता दे फिर वह बोल लेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। वह बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिये।

**श्री शिवनाथ सिंह** : सरकार ने जो अमेंडमैंट दिया है वह आपके सामने आ गया।

**श्री हीरासिंह चौहान** : हाउस में देना पड़ता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : शिवनाथ सिंहजी, बोलिये। आर्डर आर्डर।

**श्री शिवनाथ सिंह** : उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन यह कर रहा हूं, मैंने अमेंडमैंट यह दिया है कि विधेयक के खण्ड 4 (क) की उप–धारा (5) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "मूल्य के तीस प्रतिशत के बराबर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मूल्य के बराबर" प्रतिस्थापित किया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बिल के माध्यम से सरकार टैक्स इवेजन को रोकना चाहती है और बहुत से ऐसे माल हैं जिन पर सरकार टैक्स लेना चाहती है। टैक्स इवेजन करने वाले चोरी से वह माल लेकर आते हैं उसके लिए पहले प्रावधान था उसको सख्त करने की सरकार ने चेष्टा की है। मैं इस चेष्टा का स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स इवेजन को रोकने के लिए जो सरकार ने इस अमेंडमैंट बिल में प्रावधान रखा है वह नाकाफी है। या तो हम टैक्स इवेजन को स्वीकार करें या टैक्स इवेजन को जो हम रोकना चाहें तो ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे कि टैक्स इवेजन करने वालों को सीख मिले। इसलिए मैंने अपना यह अमेंटमैंट पेश किया है कि सरकार की तरफ से जो बिल पेश हुआ है उसमें यह प्रावधान था कि माल के मूल्य के 30 प्रतिशत से उसको दंडित किया जाए। मेरा सबमिशन यह है कि यह 30 प्रतिशत नाकाफी है। माल की जितनी कीमत है उस पूरी कीमत से उसको दंडित किया जाए कि टैक्स इवेजन रुकेगा और टैक्स इवेजन करने वाले को इस मेरे अमेंडमैंट के माध्यम से सीख मिलेगी।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना अमेंडमैंट पेश करते हुए माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की आमदनी बढ़ाने का उनका लक्ष्य है, उसी में मैं अपका सहयोग कर रहा हूं और यह 30 प्रतिशत या जो कम आपने रखा है उसको बढ़ाकर माल के मूल्य के बराबर से उसको दंडित किया जाए, यह मेरा अमेंडमैंट है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव ठीक है, विचार भी ठीक है, लेकिन जो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आपने अमेंडमैंट दिया है कि जितनी उसकी कीमत है उतनी रकम दण्ड से उससे वसूल किया जाए, उतना ही जुर्माना लिया जाए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जितनी कीमत है उतनी ही उसका दण्ड देना है तो वह माल ही छोड़कर जाएगा। अगर मान लीजिये 10 का इवेजन है और आप 10 रुपये उससे वसूल कर रहे हो कीमत के हिसाब से तो वह माल छोड़ जायेगा। गाड़ी नहीं छोड़ेगा तो माल तो छोड़ देगा। इसलिए अगर सख्त करना है और कोई रास्ता निकालना चाहिए। बाकी अगर आपने मूल्य के समान ही उसको दंडित कर दिया तो वह कहेगा कि माल को रखिये, मुझे क्या करना है। इसलिए इसमें आप कोई और संशोधन करें तो ठीक है बाकी इसमें यह तो चलेगा नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री जी।

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले कानून में यह प्रावधान था कि जो टैक्स है उससे पांच गुना तक हम ले सकते हैं। अब मैंने उसको बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया। मैं समझता हूं कि यह जुर्माना काफी है और अगर माल के बराबर का पैसा लेंगे तो वह तो माल जब्त करने के बराबर ही हुआ। इस वास्ते मैं यह समझता हूं कि 30 प्रतिशत काफी डिटेरेंट है और यह 30 प्रतिशत से काफी लोगों को महसूस होगा कि 30 प्रतिशत जुर्माना देना पड़ेगा तो यह काफी है।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो दूसरा प्रावधान किया हुआ है उसमें यह है कि अगर ट्रांसपोर्टर उस माल के व्यवहारी का नाम नहीं बताता है तो उस ट्रांसपोर्टर को उस माल के सिलसिले में व्यवहारी मान लिया जाएगा और उससे उसका टैक्स वसूल कर लिया जाएगा तो इससे मैं समझता हूं कि यह सारी जो हमको समझ में आ रही है आ रही है कि टैक्स की चोरी होगी, वह टैक्स की चोरी इससे बचेगी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : जो कमोडिटी शब्द था, उसके स्थान पर आपने गुड्स कर दिया, यह तो ठीक किया आपने। कमोडिटी तो कई बार सेल के लिएं नहीं होती। ट्रक में कोई माल ऐसा आ रहा है वह सेल के लिए नहीं हो सकता है, पर कमोडिटी कोई भी वस्तु हो सकती है। लेकिन आपने शब्द गुड्स लिखा है वह आप बता नहीं पा रहे हैं कमोडिटी के स्थान पर गुड्स कर दिया आपने, वह ठीक है आप, डीलर उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, for a particular day, for a particular transaction, he is a dealer, not dealer for always.

**श्री रामनारायण चौधरी** : आप तो सहमत हो।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मैं वही क्लियर करवा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति माल लेकर आ रहा है और पकड़ा गया तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उस दिन के लिए, उसी माल के लिए वह डीलर माना जाएगा, न कि हमेशा के लिए।

**श्री चन्दन मल बैद** : यह तो कर दिया न, मेरे अमेंडमैंट से तो यही हुआ है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : गुड्स का नहीं बोल रहे हैं आप। कमोडिटी का गुड्स हो गया।

**श्री चन्दन मल बैद** : वही मैंने कहा न कि जिस ट्रांजेक्शन के बारे में वह पकड़ा जाएगा उस ट्रांजेक्शन के बारे में ही उसको व्यवहारी माना जाएगा, उसको हमेशा के लिए व्यवहारी नहीं माना जाएगा। यह मैंने इसमें प्रावधान कर दिया है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मैं आपके लिए ही कह रहा हूं कि आपने जो कमोडिटी शब्द जोड़ रखा था, उस कमोडिटी के बजाय आपने गुड्स कर दिया। कमोडिटी का गुड्स कर दिया वह आप बता नहीं पा रहे हो, बाकी वह ठीक है।

**श्री चन्दन मल बैद** : वही तो मैं कह रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

**श्री चन्दन मल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हिन्दी वर्शन में संशोधन है और अंग्रेजी वर्शन में भी उसका कोरस्पोंडिंग संशोधन हम कर देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय शिवनाथ सिंह जी, आपने अपना संशोधन वापस लिया है ?

**श्री शिवनाथ सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन से अनुमति चाहूंगा कि मुझे अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दे।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि खण्ड (4) में जो संशोधन श्री शिवनाथ सिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की उनको अनुमति दी जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

**श्री शिवनाथ सिंह** : उपाध्यक्ष जी, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 5 से 7 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 से 7 स्वीकार किये जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 से 7 स्वीकार किये गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 8 प्रभारी मंत्रीजी।

**श्री चन्दन मल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, पहले कानून में यह प्रावधान किया गया था कि एग्रीमेंट—टू—सेल का तीन प्रतिशत टैक्स लगाना पड़ेगा और वह टैक्स बाजार रेट पर होगा तो इस बारे में यह असुविधा मालूम पड़ी कि एक आदमी दूसरे आदमी को एग्रीमेंट—टू—सेल कर रहा है तो उसको कैसे मालूम होगा कि बाजार रेट क्या है। इस वास्ते हमने यह उचित समझा कि वह बाजार रेट के बजाय जो, उस समय अपनी प्राइस तय करे उस प्राइस पर तीन प्रतिशत एग्रीमेंट—टू—सेल कर दे।

दूसरी असुविधा हमको यह बतायी गयी कि छह महीने के अन्दर शायद सेल नहीं कर सके और ऐसा कोई कानून भी है कि तीन साल के अंदर वह उसको इन्फोर्स् कर सकता है तो हमने भी उसको तीन साल करना उचित समझा तो इस वास्ते बाजार मूल्य के स्थान पर इकरारनामे में वर्णित राशि और तीन प्रतिशत मुद्रांक लिया जाएगा और सैट—आफ छह महीने के स्थान पर तीन वर्ष का किया जाएगा। यह संशोधन मैं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह जनभावना के अनुरूप है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शिवनाथ सिंह जी।

**श्री शिवनाथ सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री ने जो अमेंटमैंट पेश किया है उसमें बाजार मूल्य के स्थान पर इन्होंने आपस में एग्रीमेंट में जो मूल्य है उसको प्रस्तावित किया है। मेरा निवेदन यह है और मेरा प्रस्ताव यह है कि तीन प्रतिशत के बजाय वह एक प्रतिशत लिया जाए। छह महीने के स्थान पर आपने तीन साल किया है। उपाध्यक्ष जी, इस अमेंडमैंट से जो छह महीने के स्थान पर तीन साल का किया जा रहा है इससे भू—माफिया जो पनप रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और यह सब लाभ भू—माफिया को मिलेगा।

(14.00 बजे)

आज उपाध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है। लोग—बाग जमीन के मामले में, प्रोपर्टी के मामले में डीलिंग कर रहे हैं। वह एग्रीमेंट करवा लेते हैं और एग्रीमेंट करने के बाद में धीरे—धीरे उस जमीन को, उन प्लाट्स को, उन जायदाद को बेचते रहते हैं और उनसे रुपया लेकर वह अपना फायदा उठाते हैं। इसलिए छह माह को, छह माह आप रखते हैं तो यह भू—माफ़िया का प्रकरण चल रहा है, जिससे करोड़ों—अरबों रुपये का लोग—बाग व्यापार कर रहे हैं, उस पर अंकुश लगता है क्योंकि छह महीने के अन्दर प्रोपर्टी को डिस्पोज आफ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपने जो संशोधन पेश किया है, उसका तो मैं विरोध करता हूं कि छह महीने को तीन साल का नहीं करना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा भू—माफिया को, लेकिन यह निवेदन करना चाहूंगा कि जेनून सेलर और बायर हैं जो तुरन्त अपना सौदा करते हैं और रुपया दिया—लिया और रजिस्ट्री करवा

(श्री शिवनाथ सिंह)

ली। उपाध्यक्ष महोदय, यह गांवों में जो काश्त की जमीन बिकती है, उसमें कोई भी खरीददार तीन साल तक वेट नहीं करता है। वह अपना पैसा दिया और रजिस्ट्री करवा ली, इसलिए उन लोगों पर भार अधिक रहता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, किसी कारण से छह माह में नहीं करा पाते हैं, और कई कारण हैं तो उसको नुकसान होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि तीन प्रतिशत की रकम भारी है, इसको आप एक प्रतिशत कीजिये और छह महीने का तीन साल का आपने किया है इससे भू–माफिया को मदद मिलेगी, इसलिए उसको ठीक करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भंवरलाल शर्मा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका भी नम्बर आ रहा है ना। इसमें है ना नम्बर।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का कानून है लिमिटेशन एक्ट। उस एक्ट में एग्रीमेंट की जो मियाद है, तीन साल तक होती है यह जो केन्द्रीय कानून है, उसके विपरीत आप छह महीने का लाये थे, आपने यह ठीक किया कि उसकी मियाद आपने तीन साल तक कर दी।

**श्री रामनारायण चौधरी** : आपके माफिक है। सबके माफिक कैसे ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सबके माफिक है भूमि–माफिया को यदि आपको रोकना है तो कार्यवाही करिये, कानून नहीं बनाइये।

**श्री रामनारायण चौधरी** : जो तुरत–फुरत सौदा होता है, करवाते हैं, उनके लिए लीज मिल गई तीन साल तक के लिए।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : उससे क्या फर्क पड़ता है ?

**श्री रामनारायण चौधरी** : बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : कैसे ? आपको भू–माफिया को रोकना है तो कानून लाइये ना आप उसका कोई। आम जनता पर इसका बोझ क्यों डालना चाहते हैं। हिन्दुस्तान का लिमिटेशन एक्ट है, उसको बाई पास करना चाहते हैं, भू–माफिया के लिये कानून आप ला सकते हैं, लाइये, आपकी तो सक्षम सरकार है। भू–माफिया के नाम पर आम जनता का जो अधिकार है, उसे मत छीनिये। कई बार व्यक्ति शहर में रहता है, कभी बाहर रहता है। उसको समय लगता है, डील हो नहीं पाता है, ठीक प्राइस मिलती नहीं है, उसके आधार पर यदि आपने उसको वह अधिकार जो वर्तमान में कानून से दिया हुआ है, वह दे दिया तो उसमें कौनसा भू–माफिया बीच में आ गया । वह भू–माफिया को पनपाते तो आप हो, नाम दूसरों का लगाते हो।

**श्री राम नारायण चौधरी** : आप समझ रहे हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : हां मैं भी समझ रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता।

**श्री राम नारायण चौधरी** : कह दो आप।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : नहीं, अभी ठीक नहीं लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सरकार ने किया है, हमारा यही संशोधन था, आपने स्वीकार कर लिया, वह ठीक है।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय,...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। आपके सदस्य बोल रहे हैं। नहीं, अब... प्लीज प्लीज। श्री केसाराम चौधरी (अनुपस्थित) श्री अमरा राम चौधरी।

**श्री अमरा राम चौधरी** (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो छह महीने से तीन साल का समय है, वह ठीक है और क्योंकि यह लिमिटेशन एक्ट जो बना हुआ है, वह अपने भारत का एक्ट है। उस लिमिटेशन एक्ट को बाई पास नहीं करना चाहिए और उसी की मंशा के अनुसार जो तीन साल का पीरियड किया गया है, वह ठीक है। और एग्रीमेंट के लिए, कई कारण ऐसे हैं कि आदमी के पास पैसे होते नहीं हैं। एक वक्त में तो वह खरीदता है। किश्तों के अंदर, धीरे–धीरे पैसे देकर, उसके पास में इतनी परचेजिंग पावर नहीं रही है, भू–माफिया की आप बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो भूमि का काम करते हैं लेकिन कोई गवर्नमेंट सर्वेन्ट हो, वह इकट्ठे तीन लाख रुपये कहां से लायेगा। वह पहले एग्रीमेंट करेगा, फिर उसको धीरे–धीरे लोन लेकर और फिर उस भूमि का पंजीयन करायेगा। इसलिए एग्रीमेंट का समय है, वह तीन साल उचित है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एग्रीमेंट टू सेल है और उसमें तीन प्रतिशत की राशि एग्रीमेंट की वसूल करने की बात है, मैं समझता हूं, वह अत्यधिक है। उसको कुछ कम करने का प्रस्ताव शायद आप लेकर आये हैं। मेरा तो आपसे एक निवेदन है, विक्रयनामा और एग्रीमेंट टू सेल है, दोनों में फर्क है। विक्रयनामा में तो आप स्टाम्प लगाये जो आपकी निर्धारित राशि जो आप लेना चाहते हैं, आप वह लें परन्तु इकरार के अंदर, एग्रीमेंट के अन्दर 100 रुपये के स्टाम्प पर भी एग्रीमेंट हो जाये तो ठीक है। दूसरा, वित्त मंत्रीजी, आपने जो छह महीने का तीन साल किया है, यह मेहरबानी नहीं, यह तो लिमिटेशन एक्ट है उस समय जिन लोगों ने, इस एक्ट को, अधिनियम को बना रहे थे, शायद उन लोगों से यह चूक हो गई है इसलिए वह तो आपको करना ही था। यदि नहीं करते तो कोई भी कोर्ट में जाता, लिमिटेशन एक्ट के तहत आपको उतना समय तो देना ही था। इसलिए मेरा आपसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निवेदन है कि यह जो आप एग्रीमेंट पर तीन प्रतिशत की लगा रहे हैं राशि, इसको 100 रुपये के स्टाम्प पर एग्रीमेंट करने की इजाजत दी जाये और तीन साल का समय आपने बढ़ाया है, वह बिलकुल ठीक है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मदन दिलावर। (अनुपस्थित), श्री रामनारायण विश्नोई।

**श्री रामनारायण विश्नोई** (फलौदी) : मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि मेरी राय में यदि माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह तीन प्रतिशत जो इसमें एग्रीमेंट के ऊपर लगाने के लिए नया क्लाज इसके अन्दर जोड़ने का प्रस्ताव किया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले इस प्रकार के एग्रीमेंट के ऊपर 100 रुपये का स्टाम्प लगाया जाता था और अब भी अगर 100 रुपये का स्टाम्प लगाया जाता है, क्योंकि यह इस प्रकार का एग्रीमेंट है जिसके द्वारा न तो कोई, सिर्फ आपस में बातचीत जबानी तौर पर होती है उसके अन्दर 100 रुपये का स्टाम्प जो पहले था, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि इसमें 100 रुपये का स्टाम्प ही लगाया जाये। जहां तक तीन साल की अवधि का प्रश्न है, तीन साल की अवधि भी मेरी राय में नहीं लगानी चाहिए जबकि पहले से ही इस लिमिटेशन एक्ट के अंदर अगर इस प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो इसके स्पेसिफिक परफोमेंन्स कांट्रेक्ट का करवाने के लिए तीन साल के अन्दर ही न्यायालय के अंदर कोई व्यक्ति जा सकता है। इसलिए अब भी इसके अंदर तीन साल की अवधि की आवश्यकता नहीं है। जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर पहले से जो अवधि दी हुई है, उसी से ही हमारा काम चल सकता है, यह क्लाज भी इसके अंदर विलोपित कर दिया जाना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी बोल लूं...

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका संशोधन ही नहीं है इसमें।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : नहीं सर, संशोधन तो नहीं है पर हमें भी बोलने...

**श्री उपाध्यक्ष** : Let the House work in the order. आपको और मौका मिल जायेगा।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : मैंने जब प्रवर समिति को देने के लिए बात कही थी तो वह अच्छे सुझाव भी दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं आप सुझाव दें, थोड़ी मेहनत करके संशोधन भी दिया करो ना।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : नहीं सर, हमने तो पूरा ही दे दिया ना।

**श्री उपाध्यक्ष** : अभी तो और आगे है, काफी है।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : प्रवर समिति को जब दिया है तो हम सब इन चीजों पर बोल सकते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : मेरा यह निवेदन है कि...

**श्री रामनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, इनको दो मिनट तो दो बोलने के लिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां बोल रहे हैं इनको सिस्टम तो समझाऊं थोड़ा, बोलने की इजाजत तो दे रहा हूं मैं लेकिन आप थोड़ी बहुत मेहनत करके यह भी संशोधन पेश करें, कुछ करें।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : थैंक्यू (व्यवधान) फिर मेरा निवेदन है, आज जो होता है मैं एक मकान खरीदने के लिए जाता हूं और उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि मैंने पैसे रख रखा है सब और जाकर खरीद लूं। ढूंढ़ना पड़ता हैं, मंदी का समय और है, रिसेशन का समय है। आज मकान बेचने वाले को परेशानी, खरीदने वाले को परेशानी, व्यवस्था करनी पड़ती है बैंक से, मैं पहले तो मकान देखूंगा, पसंद आयेगा और फिर उसके बाद बैंक में जाऊंगा, मैं व्यवस्था करूंगा कि इतना पैसा हो सकता है कि नहीं। यह व्यावहारिक है और व्यावहारिक के अन्दर मेरे पास पहले चीज है, एक लाख रुपया दे दे यह और एक लाख रुपये का तीन प्रतिशत हो गया और 50,000 रुपये किसी के पास नहीं होते। यह सिस्टम जो आपके ही समय, बहुत दिनों से चला हुआ है, 100 रुपये का इकरारनामा में लिख दिया। मैं लेने के लिए तैयार, आप बेचने के लिए तैयार है। फिर मैं जाऊंगा, बैंक के पास जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपने दूसरे मित्रों के पास में, मैं उनसे बात करूंगा कि इतने पैसों की व्यवस्था करनी है। यह होता है, यह आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं कोई को भी लेना है तो और आपने उसको सीधा तीन प्रतिशत तो मैं तो जाकर, कोई मकान को बेचना चाहता है उसके पास जा ही नहीं सकता, मंदी का समय और है। वह बेचने वाला जो केवल धंधा सब ऐसा ही है, कई स्टेट के अन्दर, पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं है, आप यह करना चाह रहे हैं...

**श्री रामनारायण चौधरी** : क्या सुझाव है ?

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : मेरा सुझाव यह है कि 100 रुपये की जगह 500 रुपये कर दिये जाये...

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका संशोधन क्या है ?

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : 100 रुपये की जगह 500 रुपये कर दें कि जो इकरारनामा 100 रुपये पर होता है, वह 500 रुपये पर दर्ज होगा।

**श्री रामनारायण चौधरी** : संशोधन पर तो बोल रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : है ही नहीं संशोधन।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : आप थोड़ा इस पर विचार करके इसको 100 रुपये की जगह 500 रुपये कर दें, 1000 रुपये कर दें पर तीन प्रतिशत जो है, अब दूसरी समस्या यह आ जायेगी सर...नहीं व्यावहारिक है।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां, आप बोलें।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : दूसरी समस्या यह आ जायेगी कि मैं कोर्ट के अन्दर गया और उन्होंने कहा कि यह 20 लाख का नहीं, 25 लाख का है। उसको पहले तो समझाना पड़ेगा कि यह 20 लाख का नहीं, 25 लाख का। वहां आर्ग्यूमेंट हो गया और जो नहीं करना चाहेगा वहां समस्या और खड़ी हो गई। आपकी तरफ से यह एतराज आ जायेगा कि नहीं, यह तो 15 लाख का है, 10 लाख में आपने कैसे किया। स्टाम्प ड्यूटी आपने 10 लाख के हिसाब से तीन प्रतिशत किया है वह भी गलत है। तो वहां और समस्या आ गई, आप क्या धन्धा सब खतम करना चाह रहे हैं। इसलिए इससे बैटर सुझाव यह है कि सौ रुपये का जो इकरारनामा है उसको आप पांच सौ रुपये कर दें, हजार रुपये कर दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री चन्दन मल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, आमतौर पर होता यह है कि सौ रुपये के एग्रीमेंट पर बेचने वाले और खरीदने वाले कोई सम्पत्ति खरीद और बेच लेते हैं, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री कराते ही नहीं हैं और सरकार की दस प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी का करावंचन हो जाता है। इस वास्ते यह जरूरी समझा कि एग्रीमेंट टू सेल होगा उस पर तीन पर्सेन्ट उसको पहले ही जो प्राइस वह आपस में तय करेंगे, उसका तीन प्रतिशत देना होगा और जब रजिस्ट्री करायेगा तो वह तीन प्रतिशत, जब हम स्टाम्प ड्यूटी लेंगे तो उसमें हम उसका मुजरा दे देंगे। तो कोई बुरी बात नहीं है। फिर हमने छह महीने का समय रखा था, लेकिन जब लिमिटेशन एक्ट में हमें यह मालूम पड़ा कि तीन साल तक वह एनफोर्स कर सकता है अपनी, स्पेसिफिक इनफोर्मेशन मे जो आया भी है आपके, उसमें कर सकता है तो हमने उसको तीन साल का कर दिया लेकिन आप यह कहते हैं कि तीन साल क्यों रख रहे हैं...(व्यवधान) ठहरिये, माननीय सदस्य ने कहा कि तीन साल क्यों रख रहे हैं ? तीन साल नहीं रखेंगे तो वह कभी करायेगा ही नहीं, क्यों करायेगा वह। इस वास्ते स्टाम्प ड्यूटी की चोरी हो रही थी, इस चोरी को रोकने के लिए जरूरी था कि हम इस बात को लायें कि तीन साल के अन्दर तीन प्रतिशत तो देगा और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जायेगा तो मार्केट वेल्यू जो एम.एल.एज. और दूसरे लोग मिलकर तय करते हैं, उस मार्केट वेल्यू के अनुसार हमको उस जमीन का दस प्रतिशत देगा उसमें से तीन प्रतिशत जो पैसा उसने दिया है उसका मुजरा दे देंगे। (व्यवधान) बार–बार यह बहस नहीं हो रही है, आप बोल चुके, मैं

(श्री चन्दन मल बैद)

जवाब दे चुका।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : प्रश्न तो कर ही सकते हैं।

**श्री चन्दन मल बैद** : नो, प्लीज।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : आपने यह कहा, उसका प्रश्न नहीं कर सकते।

**श्री चन्दन मल बैद** : नो, प्लीज।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : आपने कह दिया जो बिलकुल, क्या बिलकुल ठीक है...

**श्री चन्दन मल बैद** : हां मैंने कह दिया, बिलकुल ठीक।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर प्लीज।

**श्री चन्दन मल बैद** : अब बार–बार बहस नहीं हो रही है।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया उसके खिलाफ भी नहीं बोल सकते।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर माननीय सदस्य। अभी बहुत लम्बा है। आप बिराजें। बहुत लम्बा काम है। अभी तो यह शुरूआत है। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो संशोधन श्री शिवनाथ सिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

**(स्वीकृत)**

अनुमति प्रदान की गई।

**श्री शिवनाथ सिंह** : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो संशोधन श्री भंवरलाल शर्मा,(हवामहल) श्री केसाराम चौधरी, श्री अमराराम चौधरी, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री मदन दिलावर व श्री रामनारायण विश्नोई ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

**(अस्वीकृत)**

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 8 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 9 से 12 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 से 12 स्वीकार किये जाएं ?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 9 से 12 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि

(श्री उपाध्यक्ष)

कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री चन्दन मल बैद, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 को संशोधित रूप में पारित किया जाय। (व्यवधान) आगे बोलने की है न। बुलायेंगे, बुलायेंगे।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : दो संशोधन हैं। एक तो मुख्तारनामे का है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आगे आ रहा है न, आगे आ रहा है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : नहीं, मुख्तारनामे का संशोधन है। मुख्तारनामे में हमारा संशोधन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसा लगता है कि आपने इस बिल को, विधेयक को पढ़ा नहीं है। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : वह तो पास ही हो गया। आप सो रहे थे।

**श्री उपाध्यक्ष** : अभी तो पारित होगा साहब।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सो कहां रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, एक बार क्लियर कर दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : पास कहां से हो गया।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या पास कर दिया, बता तो दो ?

**श्री उपाध्यक्ष** : पारित का प्रस्ताव लायेंगे, पास थोड़े ही हुआ है। तसल्ली तो रखें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : हमारा यह निवेदन है कि मुख्तारनामे के लिए आप क्लियर कर दें। मुख्तारनामे के लिए आपने यह शर्त लगा दी है कि मुख्तारनामा अब रजिस्टर्ड वहीं होगा जहां प्रोपर्टी होगी। जहां प्रोपर्टी सिचुएट होगी, वहीं मुख्तारनामा तस्दीक करना पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, एक दफा इनसे प्रस्ताव आने दीजिये, फिर आप बोलियेगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : नहीं तो आपने कहा कि पास क्या कर दिया, मैं उस पर...

**श्री उपाध्यक्ष** : कहां कर रहे हैं पारित।

**श्री चन्दन मल बैद** : पारित की स्टेज आये तब बोलियेगा आप। मैं जब पारित का प्रस्ताव करूंगा तब आप इस पर बोलियेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, हमने कब कहा, पारित किया। हमने तो कहा ही नहीं। श्री चन्दन मल बैद प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 को सशोधित रूप मे पारित किया जाय।

## विधेयक का पारण

**श्री चन्दन मल बैद** (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप बोलो।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : अब क्लियर कर दें आप। उपाध्यक्ष महोदय, एक क्लेरिफिकेशन आप कर दें। मुख्तारनामा जब किया जायेगा उसमें आपने यह शर्त डाल दी जहां वह प्रोपर्टी सिचुएट करेगी वहीं जाकर मुख्तारनामा रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। उसका अर्थ यह होगा कि कोई व्यक्ति असहाय है, अपंग है चल फिर नहीं सकता, प्रोपर्टी उसकी जहां वह रहता है वहां है नहीं, तो वह प्रोपर्टी जहां सिचुएट करती है वहां जाकर उसको मुख्तारनामे को तस्दीक कराना पड़ेगा। इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई इससे अननेसेसरेली आप उसको परेशानी में डालेंगे। वर्तमान कानून है, वह यह है कि वह मुख्तारनामा कहीं भी रजिस्टर्ड करवा सकता है। जहां वह रहता है वहां करा सकता है। जहां व्यापार करता है वहां करा सकता है। उसको क्यों आप अन्य जगह ले जाकर रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, उससे क्या लाभ होगा, क्या जनहित होगा और उसकी मियाद भी आपने छह महीने कर दी। मुख्तारनामा तो अनलेस विदड्रान अस्तित्व में रहता है मैंने कोई आपको अधिकार दिया है, वह अधिकार तो मैं जब चाहूं वापस ले ही सकता हूं। कभी भी ले सकता हूं। मान लो मेरी प्रोपर्टी दिल्ली में है, अब वहां जाकर वह रजिस्टर्ड करानां पड़ेगा, मुख्तारनामे के लिए वहां जाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति बाहर रहता है विदेश में, प्रोपर्टी कहीं और है, तो आपके इस कानून से उसको उसी स्थान पर जाकर मुख्यतारनाम अपना रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव आपसे यह है कि पुराना जो आपका कानून है वही रखिये और मुख्तारनामा द्वारा कहीं भी पावर दे सकता है। मुख्तारनामे से पावर ही देगा, और करेगा क्या। उसकी मियाद भी आप छह महीने क्यों रखना चाहते हैं। यदि मुझे ठीक नहीं लगा I can withdraw it at any time.

**श्री रामनारायण चौधरी** : मियाद तो तीन साल है, आपका सेन्ट्रल लिमिटेशन एक्ट है न।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : अभी तो यही है न।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय अमरारामजी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : तो मेरा आपसे निवेदन है यह है कि यह दो बातें हैं। इनको आप क्लियर करे दें। तीसरा लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स में भी संशोधन ला रहे हैं न आप।

**श्री उपाध्यक्ष** : आ रहा है आगे। माननीय अमरारामजी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स के बारे में निवेदन करना है...

**श्री उपाध्यक्ष** : आगे आ रहा है न वह।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : फिर उसे भी कहीं पास हो गया, पास हो गया, कर दें।

**श्री अमराराम चौधरी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी कानून है...

**श्री उपाध्यक्ष** : बोल लें आप। एक मिनट। भंवरलालजी साहब, आप बोल लें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मेरा यह निवेदन है, माननीय वित्त मंत्री महोदय, आप लैण्ड एण्ड बिल्डिग टैक्स में भी एक संशोधन लाये हैं उसका जो क्लाज (5) का (जी) है उसमें आज यह व्यवस्था है कि कुछ स्थानों को, इनमें वह लैण्ड एण्ड बिल्डिग टैक्स नहीं लगेगा, एग्जैम्प्ट किये हुए हैं, जैसे स्कूल है, विश्वविद्यालय की जमीन है, पब्लिक पार्क है, पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक म्यूजियम है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के साथ खेल के मैदान है और शिक्षण संस्थाओं के लिए होस्टल है, उनके कार्यालय है, उनके स्टाफ के रहने के लिए जगह है, यह लैण्ड एण्ड बिल्डिग टैक्स में एग्जम्प्शन है और सरकार को यह अधिकार है जिस प्रोपर्टी को एग्जम्प्ट करना चाहे, एग्जंम्प्ट कर सकती है, वह अलग से आपको अधिकार है लेकिन इस पर राइडर है कि इन बिल्डिंग पर टैक्स नहीं लगा सकते जैसे सरकारी बिल्डिंग है, केन्द्र सरकार की आदि–आदि, इन पर टैक्स लगाने की छूट नहीं है, उसको रोका हुआ अब आप वापस अधिकार लेकर क्या करना चाहते हैं, इन पर भी लैण्ड एण्ड बिल्डिग टैक्स लगाना चाहते हैं क्या ?

आप करना यह चाहते हैं कि यदि इसमें से यह रोक हट जाये तो फिर आप मनमर्जी से तो लगा देंगे, मनमर्जी से हटा देंगे। आज जो कानून है उसमें सरकार को यह अधिकार है कि लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स वह किसी को माफ कर सकती है, किसी पर लगा सकती है। लेकिन यहां जो प्रोविजन है, सरकार को इन पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। स्कूल हैं, स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल के कमरे हैं, स्कूल के मैदान है, स्टाफ क्वार्टर्स है जिन पर लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स आज लगा नहीं सकते, उसको लगाने की मंशा है इस कानून के अंतर्गत आपकी आप क्यों उल्टा करना चाहते हो ? मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार के पास आलरेडी पावर्स है लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स के अंतर्गत, सेक्शन 21 है, इसमें आपको पावर्स हैं। यह जो एग्जम्पशन दिया है वह जानबूझकर दिया है कि कम से कम इन संस्थाओं पर, इन बिल्डिंग पर पावर्स पर एण्ड बिल्डिंग टैक्स न लगे, जनहित के कारण न लगे। यह सब जनहित के काम की बिल्डिंग हैं, उन पर टैक्स न लगे इसलिए इसकी व्यवस्था की हुई थी। अब आप इसको वापस ले रहे हैं। आपने लिखा तो यह है कि हम व्यापक तरीके से लोगों को सुविधा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

देंगे। जो दी हुई है वह तो वापस ले रहे हैं आप। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको तो आप कम से कम सरकार के चंगुल से दूर रखें। माननीय हरिसिंहजी यहां विराजमान हैं, मेरी बात को सुन रहे होंगे आप अगर आप मुझे से सहमत है इस बात से, यह कोई राजनीतिक मामला तो है नहीं। एग्जम्पशन के एक्ट में प्रोविजन है उसको हटाकर आप अपने अधिकार वापस लेना चाहते है कि हम उन पर भी टैक्स लगा देंगे। जैसा मैंने निवेदन किया कि कौन–कौन सी इसमें बिल्डिंग आयेंगी, कौन–कौन से एरिया आयेंगे, वह उस एक्ट में डिफाइन्ड हैं। वह सब के सब आपके अधिकार में आ जायेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं की भूमि, भवन उसका कोई भी अंश जो शिक्षण के लिये काम आता है, होस्टल के लिए, कार्यालय स्टॉफ के रहने के उपयोग में आ रहे हैं, पब्लिक पार्क, पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक मिडल स्कूल, महाविद्यालय, विश्व–विद्यालय के साथ खेल के मैदान। इन पर आप लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स नहीं लगा सकते आज के कानून के हिसाब से।

(14.23 बजे)

**(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)**

आपका प्रस्ताव यह है कि जिसमें मुक्ति मिली हुई है यह समाप्त की जानी चाहिये और यह सरकार को अधिकार दे दें कि इन पर भी टैक्स लगा दें तो कौनसा जनहित होने वाला है। जनहित का जो कानून है उसको आप क्यों खतम करना चाहते हैं, इसके पीछे लोजिक क्या है ? या तो आपका मन है कि इन पर टैक्स लगा कर पैसा वसूल करेंगे आप। आप अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिये इन पर टैक्स लगायेंगे तो साफ कहिए कि हम इन पर टैक्स लगाना चाहते हैं।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि बहुत सोच–समझ कर जब यह कानून बना था तो इनको मुक्ति दी गई थी, इन्हें एग्जम्प्ट किया गया था। अब आप केवल कुछ पैसा वसूल करने के लिये इन पर लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स लगाने का अधिकार ले रहे है। यह जनतन्त्र और जन भावना के खिलाफ है। वैसे आपने कई सारे टैक्स वापस लिये। व्यवसाय कर का एक बहुत बड़ा कानून बना दिया था आपने, उसमें तो वैश्याओं पर टैक्स लगा दिया था, हिंजड़ों पर टैक्स लगा दिया था, जाने क्या–क्या कर दिया था, वह सब आपने वापस ले लिया।

**श्री चन्दन मल बैद** : गुजरात मे लगा हुआ है आपकी सरकार में।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : उसकी वहां बात कर लेंगे।

**श्री चन्दन मल बैद** : कर दिया, आप कर दो माफ तो मुझे बता देना।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आपने वापस क्यों लिया फिर ? अगर हमारे ही

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कदमों पर चलना है तो फिर वापस क्यों लिया आपने ? हमारा ही अनुकारण करना है, हमसे ही शिक्षा लेनी है तो फिर वापस क्यों किया आपने ?

**श्री चन्दन मल बैद** : वह जजिया कर गुजरात में लगा हुआ है जहां आपका राज है। क्योंकि गुजरात की गवर्नमेंट भी हारने वाली है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आपने इसलिए लिया, लोक सभा के चुनाव सामने दिख रहे हैं आपको, यह खैरात जब बंटी है। आपने कोई ईमानदारी से थोड़े ही लिया है। लोक सभा के चुनाव की संभावना नहीं होती तो आप तो मानने वाले ही नहीं थे।

**श्री चन्दन मल बैद** : चुनाव की घोषणा हो गई क्या ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सब समझते हो आप और मैं भी। डर लग रहा है आपको।

**श्री चन्दन मल बैद** : सोनियाजी जब कल शपथ ग्रहण कर रही है। आपने टी.वी. नहीं सुनी शायद। कल शपथ ग्रहण कर रही हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आप भयभीत हैं। करवा देना तो। मैंने तो न टी. वी. सुनी है, न बीबी सुनी। करा दीजिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

**श्री चन्दन मल बैद** : आपका कलेजा क्यों बैठ रहा है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मेरा कलेजा कोई नहीं बैठ रहा है। मेरा कलेजा क्यों बैठेगा ? अगर आपका कोई प्रधान मंत्री बनता है तो मुझे क्या दिक्कत है। (व्यवधान) विषय मत बदलिए। मेरा निवेदन यह है और मैं सब माननीय सदस्यों से, जो विधान सभा में विराजमान हैं इन सबसे निवेदन करना चाहता हूं क्या वे इस बात से सहमत है कि इस प्रकार के जो भवन हैं, जो जमीनें है, जो स्कूल के काम आती है, जनहित के काम आती हैं उन पर लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स लगाना चाहिये क्या, जो आज लगने की परिधि में नहीं है। यह सरकार उन पर टैक्स लगाने के अधिकार को लेना चाहती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसमें विचार कीजिए।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सभापति महोदय, मै वित्त मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि उस खुशखबरी का खुलासा करें। हमको भी इस खुशखबरी को सुनाएं (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय श्री हीरा सिंहजी।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : ऐसे ही थोड़े कोई कह दिया होगा, कोई खुलासा तो करें खुशखबरी का।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : सभापति महोदय, मैं लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स के बारे में What are the existing provisions in the Act section 6 speaks as it is;

"Any land building or portion

(श्री हीरासिंह चौहान)

thereof owned by the administration by the State Govt. the Central Govt. or a local authority.इनका टैक्स माफ है।

"Any land building or portion thereof set apart from the public worship and is actually so used hospitals primarily maintained by the State Govt. any local authority or such other authorities specified by the State Govt. in his behalf and apartmented by such." मैं 6 (जी) को पढ़ता हूं जिसको इन्होंने विलोपित किया है। What it says that :

"Any land or building or portion thereof owned and solely used by the educational institutions and that only for the purposes of the education which includes housing or student and offices of the institutions and any land or building used for the public parks, public libraries, public museums or used as a play ground attached to schools, college or university." It is the existing clause. इसको एग्जम्प्शन दे रखा है लैण्ड बिल्डिंग टैक्स के सेक्शन 6 (जी) में। अब आप 'जी' को विलोपित कर रहे हैं, इसको आप हटा रहे हैं। इसको हटाने से समझ में नहीं आता, जब आलरेडी एक्ट में है, उसके बाद इस 'जी' सब–क्लाज को हटाने से आपका क्या अर्थ है ? इधर धारा (21) जो इस एक्ट की है वो आपको अथोराइज कर रही है...

" It authorises the honourable government, power of Government to exempt, reduce or remit tax. The State Government or such other authority or officer authorised by the State Government in this behalf, may if considers it necessary in the public interest, by notification in the official gazette, exempt, reduce or remit whether prospectively or retrospectively the tax payable in respect of any class."... (interruption)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, मैं आपके विघ्न नहीं डालना चाहता। आपको बोलने का अधिकार है लेकिन आप कहां वापस जा रहे हो ?

**श्री हीरासिंह चौहान** : मैं वापस नहीं जा रहा।

**श्री सभापति** : यह तो थर्ड स्टेज पर पास होने के लिये जा रहा है। सिद्धांततः कोई बात हो तो इस पर आप कहिए। आप तो वापस क्लाजेज को ओपन कर रहे हैं।

**श्री हीरासिंह चौहान** : अलाउ किया है। वापस नहीं जा रहा। उस पर पहले हमारे विचार नहीं सुने थे, वापस नहीं जा रहा।

**श्री सभापति** : नहीं, उस पर कोई था ही नहीं।

**श्री हीरासिंह चौहान** : मेरा निवेदन है सरकार की क्या मंशा है ? इस 'जी' को हटाने से मंशा क्या है ? आलरेडी पब्लिक यूज के लिये, कालेजेज के लिये, स्कूल के लिये, बच्चों के रहने के लिये सबको पहले एग्जम्प्ट कर रखा है। इस 'जी' को हटाने से आपकी क्या मंशा है ? हमको थोड़ी शंका हो रही है कि आप मन चाहे जहां पर वापस टैक्स लगा देंगे, मनचाहे जिसको छोड़ देंगे। बाकी इसका अर्थ ही क्या है ? इसलिए हमारा सख्त एतराज है इस 'जी' को एज इट इज रखा जाये और जो विलोपित किया है इसको आलरेडी रखा जाये। माननीय वित्त मंत्रीजी, इसके पीछे क्या भावना है ? आठवीं क्लास का लिखा है कि पहले आठवीं क्लास तक के हैं लेकिन हमने तो एक्ट में देखा, कहीं आठवीं क्लास लिखा हुआ नहीं है। अगर वास्तव में पब्लिक परपज के लिये, लोगों की फैसिलिटीज के लिये जो प्ले ग्राउंड हैं, स्कूल हैं, हास्पिटल हैं, होस्टल है; इन सबको एज इट इज रखना चाहते हो तो इस सेक्शन को हटाया नहीं जाना चाहिये। मतलब आने जो विलोपित किया है इसको एज इट इज रखा जाना चाहिये।

**श्री सभापति** : माननीय श्री जगत सिंह दायमा।

**श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर) : माननीय सभापति महोदय, आज वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है और मैं भी इस वित्त विधेयक पर अपने विचार रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, वैसे तो राजस्थान के वित्त मंत्री माननीय चन्दन मल जी बैद साहब एक बहुत होशियार और विद्वान व्यक्ति हैं...पर इसके साथ साथ में, वह बहुत चालाक, बहुत चतुर भी हैं।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बोल रहे हैं आप व्यवधान पैदा नहीं करें। आपस में चर्चा न करें। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : सभापति महोदय, माननीय विपक्ष के नेता भैरोंसिंह जी शेखावत ने माननीय वित्त मंत्री जी को एक सर्टिफिकेट भी दे दिया कि वित्त मंत्री जी बहुत चतुर हैं और माननीय भैरोंसिंह जी के सर्टिफिकेट देने के बाद तो शायद किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। किसी के भी सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता नहीं है। परन्तु माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं उस सर्टिफिकेट, जो माननीय भैरोंसिंह जी ने दिया है, मैं उसको खारिज करता हूं अपनी तरफ से और खारिज करके मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्रीजी, जहां तक मेरी जानकारी हैं आपने यह सातवां या आठवां बजट पेश किया है और जैसा मैं आपके बारे में जानता हूं और सारा सदन जानता है, बल्कि राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि आप निडर है, डरपोक नहीं है और जो आपने बजट पेश कर दिया वह बजट फाइनल बजट है। उसमें कोई संशोधन कभी आपने स्वीकार नहीं किया। यह आपकी आदत में है।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : आज आप वित्त मंत्रीजी पर बोल रहे हैं या वित्त विधेयक पर बोल रहे हैं ?

**श्री सभापति** : दोनों एक ही है, वित्त मंत्री हैं और इनका ही बजट हैं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : माननीय, नीति की बजट है इसलिए इस पर तो मुझे चर्चा करनी पड़ेगी।

**श्री चन्दन मल बैद** : उम्र के साथ लचीला हो गया हूं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : वह तो मैं बताऊंगा कि उम्र के साथ हुए हैं या कैसे हुए हैं। मैं बताऊंगा।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : Indira is India and India is Indira. Chandan Mal is the Budget and the Budget is Chandan Mal. तो वह कौन सी गलत बात कह रहे हैं। आपकी भी सोच यह रही है।

**श्री जगत सिंह दायमा** : माननीय सभापति महोदय, यह तो बड़े बड़ों की लड़ाई है, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, इनको कहूंगा मैं पर माननीय मैं यह बात कहूंगा कि आप वास्तव में एक डरपोक वित्त मंत्री साबित हुए हैं और इसको इस सदन में मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से डरपोक और कमजोर वित्त मंत्री आप हुए हैं। वित्त मंत्रीजी, आपने अपने बजट भाषण में और बजट भाषण से पहले जो कहा कि चाहे कुछ भी हो जाये, जो मैंने बजट रख दिया वह बजट वैसा का वैसा पारित होगा उसमें कोई संशोधन नहीं करूंगा। परन्तु आपने 25 करोड़ रुपये की कल करों में राहत दी है जो आपकी आदत के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार बिलकुल विपरीत है। अब आप कह रहे थे अभी कि अब आप बुजुर्ग हो गये हैं। बुजुर्ग हो गये हैं यह बात भी वही है परन्तु आपने 25 करोड़ रुपये की बजट में जो कमी की है उसका कारण यह है, संभापति महोदय कि आप और माननीय मुख्य मंत्रीजी, इन दोनों में विरोधाभास है। माननीय मुख्य मंत्रीजी यह नहीं चाहते थे कि आपने जनता पर इतना भारी बजट पेश कर दिया तो उससे पार्टी की छवि क्या होगी ? वह इस बात से चिंतित थे।

**श्री चन्दन मल बैद** : संभापति महोदय, यह इस समय फाइनेंस बिल चल रहा है उस पर किस चीज का भाषण दे रहे है ?

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैं दे रहा हूं, आ रहा हूं अभी।

**श्री चन्दन मल बैद** : फाइनेंस बिल पर दे रहे हैं या बजट पर दे रहे हैं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैं इसी पर आ रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है ? माननीय सभापति महोदय, मुझे आप सुनने का थोड़ा कष्ट करें और मैं बच्चा हूं, कोई गलती हो तो माफ भी कर दें। सभापति महोदय, आपने जो 25 करोड़ रुपये की राहत पहुंचायी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं...

**श्री चन्दन मल बैद** : वह कल हो गया।

**श्री जगत सिंह दायमा** : कि वह राहत क्या दलित वर्ग के लिए की गयी है? क्या वह राहत पिछड़े वर्ग के लिए कोई काम आयेगी या दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए कोई राहत की है कि नहीं की ? आपने तो पूंजीपतियों के दबाव में आकर यह कठोर कदम लिया है। सभापति महोदय, यही नहीं, जब आपने यह पेश किया वित्त बजट तो बात यह आयी कि दिल्ली से आवाज आयी, सारे कार्यकर्ताओं की आवाज आयी, माननीय विधायकों की आवाज आयी क्योंकि मैं सुन रहा था कि इस तरीके से कांग्रेस समाप्त हो जायेगी और कल हमारे 18 एम.पी. जीते थे, अगर आज चुनाव हो जायं तो 10 एम.पी. नहीं जीत सकते। यह माननीय विधायकों ने मेरे सामने यह बातें रखीं और आपने दबाव में आकर यह आपके मन में बुढ़ापे के कारण नहीं आयी और न कमजोरी आयी है, लोक सभा के चुनाव आ रहे हैं और जो लोक सभा के चुनाव आ रहे हैं तो आपने अपनी कमजोरी दिखायी, दिल्ली में आपको लताड़ लगी कि आप इस कांग्रेस का खतम करने जा रहे हैं क्या ? इसलिए आपको मजबूरी में करना पड़ा। इसलिए संभापति महोदय, मुझे अच्छी तरह याद है कि किस तरीके से आपके ऊपर दबाव पड़ा, मुख्य मंत्रीजी ने क्या कहा, क्या दिल्ली से लताड़ पड़ी, क्या जौहरियों ने कहा था क्या दूसरे पूंजीपति वर्ग ने कहा, क्या–क्या आपके ऊपर कहा परन्तु मुख्य मंत्रीजी...

**श्री चन्दन मल बैद** : जौहरियों पर टैक्स माफ नहीं हुआ है।

**श्री जगत सिंह दायमा** : मुख्य मंत्रीजी जो सबसे ज्यादा चिन्तित हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी, परन्तु आपने जो कल भाषण दिया तो आपने एक विशेष वर्ग की बात कही और विशेष वर्ग की बात कही कर्मचारी वर्ग की। कल आपने कहा कि कर्मचारी वर्ग पर हमको हर साल या दूसरे–तीसरे साल इतने रुपये, इतनी राशि बढ़ानी पड़ती है। परन्तु आप भूल गये माननीय वित्त मंत्रीजी, इसी कर्मचारी वर्ग ने माननीय भैरोंसिंह के राज की कब्र खोदी और कब्र खोदकर आपको जिताया, उस वर्ग को आप चार पैसे देना नहीं चाहते हो। यह पढ़ा–लिखा वर्ग है जब इस वर्ग पर अत्याचार बी.जे.पी. की सरकार में हुआ, आपने ऊपर भी हुआ जब पानी की मांग करने गये तो क्या हुआ ? इस तरीके से अत्याचार, यह पढ़ा लिखा तबका है, और जब गांव में जाता है तो वह गांव वालों को सुनाता है क्योंकि गांव में पढ़े लिखे ज्यादातर नहीं हैं। तो गांव के लोग इनकी बात सुनकर अपना मन बनाते है। उस कर्मचारी वर्ग को आप आगे क्या करना चाहते हैं ? यह कल के भाषण में आपने उजागर किया है। माननीय वित्त मंत्री जी, वार्षिक योजना के लिए आपने कल कहा कि छह हजार करोड़ रुपये का...

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय सभापति महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल पर बात हो रही

(श्री चन्दन मल बैद)

है तो मैं उसी की तैयारी करूं जवाब देने की ?

**श्री सभापति** : नहीं, नहीं।

**श्री चन्दन मल बैद** : नहीं, तो क्या करूं मैं अब ? पहले एप्रोप्रिएशन की बातें कह रहे हैं ?

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैं यही कह रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, जो बात आपको कल कहनी चाहिए थी। (व्यवधान) एक मिनट (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : नहीं, आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें तो मैं अपनी तैयारी करूं उस चीज की।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप बहुत विद्वान हैं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : हां, मैं आ रहा हूं।

**श्री सभापति** : मैं आपका ध्यान नियम 86 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : आ रहा हूं, सर, मैं नियमों पर ही आ रहा हूं।

**श्री सभापति** : नहीं, आप कहां चले गये ?

**श्री जगत सिंह दायमा** : जो सच्चाई है वह तो मैं माननीय चन्दन मल जी बैद साहब से बता तो दूं। फिर मैं उस पर भी आ जाऊंगा दो मिनट में।

**श्री चन्दन मल बैद** : सभापति महोदय, यह एप्रोप्रिएशन बिल पर जो बोले हैं तो उनको जवाब देने की ही जरूरत नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

**श्री जगत सिंह दायमा** : चलिये, मैं उस पर आ जाता हूं।

**श्री चन्दन मल बैद** : यह सब रिकार्ड में जा रहा है तो काम ही क्या रहा है मेरा ?

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैं आ रहा हूं, सर।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, जो बात आपको कल कहनी चाहिए थी वह आप आज कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : कर्मचारियों के बारे में करना उचित है। (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : नहीं, आप कर्मचारियों के बारे में जो बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : नहीं आप कर्मचारियों के बारे में बात कहकर उनकी आप सहानुभूति लेना चाहते हैं ? (व्यवधान) जो कल मैंने बातें कहीं है वही मैं और बताना चाहता हूं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : माननीय बैद जी, आप वार्षिक योजना के लिए छह हजार ...(व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय दायमाजी, आप कर्मचारियों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं ? राजस्थान की साढ़े चार करोड़ जनता का आप कुठाराघात करके सात लाख आदमियों की जो सहानुभूति आप प्राप्त करना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं उस बात को।

**श्री जगत सिंह दायमा** : धन्यवाद, आप मुझे समझते रहे हैं। क्योंकि मैं दलित और पिछड़े वर्ग को रिप्रजेण्ट करता हूं और दलित और पिछड़े वर्ग को इससे राहत नहीं मिली हैं। (व्यवधान). इसलिये मैं इस वर्ग को रिप्रजेण्ट करता हूं...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अब आप उनको समझिये। (व्यवधान)

**श्री सी.पी. जोशी** : सभापति महोदय, यह बिल पर डिस्कशन हो रहा है। आप इनको कहिये बिल पर बोलने के लिये... (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

**श्री जगत सिंह दायमा** : फिर मुझे बोलने तो दीजिए।

**श्री सभापति** : आज आप बहस के स्कोप से बाहर जा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : सभापति महोदय, मैं कहने यह जा रहा हूं, वार्षिक योजना में। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल विश्नोई** : आज जिस मुद्दे पर बहस हो रही है, उस पर बोलिये। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : आपको पता तो है नहीं कि क्या है, क्या नहीं है। (व्यवधान) उसी पर आ रहा हूं, यह लो इसको हटा लेता हूं। अब भाषण दे देता हूं।

आपने छह हजार करोड़ रुपये लेने की बात कही है कि छह हजार करोड़ रुपये लेंगे। किससे लेंगे ? या तो वर्ल्ड बैंक से लेंगे या अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष से लेंगे। जो आपने कर लगाये वे आपने इसलिए नहीं लगाये कि आपका मन हो गया । परन्तु वर्ल्ड बैंक और मुद्राकोष जो आपको छह हजार करोड़...(व्यवधान)

**श्री सी.पी.जोशी** : सभापति महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर...(व्यवधान) आप किस पर बोल रहे हैं ?

**श्री जगत सिंह दायमा** : यह वित्तीय बिल है या क्या है, आप बताइये। (व्यवधान)

**श्री सी.पी.जोशी** : आप अपने पर रेस्ट्रिक्ट कीजिए। आपको बिल पर डिस्कशन करना है It is not an appropriation Bill.

**श्री जगत सिंह दायमा** : आप मुझे बता दें। यह छह हजार करोड़ की बात नहीं कहूं। (व्यवधान) 1010 करोड़ की बात नहीं कहूं ?

**श्री सी.पी.जोशी** : यह बिल का पार्ट नहीं है। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : कौनसा ?

**श्री सी.पी. जोशी** : अभी जो बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : हां, तो अभी आ रहा हूं ना मैं उस पर। (व्यवधान)

सभापति महोदय, 6000 करोड़ रुपये तो वह और जो आपने अभी 1201 करोड़ रुपये का है कि...(व्यवधान) यह तो बिल में है जो मैं कह रहा हूं।

**श्री सी.पी.जोशी** : यह तो आप कल बोलते, एप्रोप्रिएशन बिल पर...

**श्री जगत सिंह दायमा** : तो जो 1201 करोड़ रुपये का आपने जिक्र किया कि मुझे यह केन्द्र सरकार से मिल जाएंगे और जो पिछले 1201 करोड़ रुपये का घाटा था वह और 600 करोड़ रुपये का अब, 1801 करोड़ का घाटा था वह आपने बड़ी चतुराई से कह दिया कि मुझे तो भारत सरकार से यह सहायता मिल जाएगी। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी, जो 1010 करोड़ रुपये जो आपको मिल रहे हैं...(व्यवधान) जो पांच साल में आपको वापस करने पड़ेंगे। वह पांच साल में आपको वापस करने पड़ेंगे तो आने वाले जो बजट होंगे उनके ऊपर क्या असर होगा। (व्यवधान)

**श्री सी.पी.जोशी** : सभापति महोदय, उनको...(व्यवधान) एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलिये आप।

**श्री शिवनाथ सिंह** : सभापतिजी, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपके पीछे गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य पाइण्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

**श्री शिवनाथ सिंह** : माननीय सभापति जी, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि इस वक्त जो विचार हो रहा है, वह राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 पर हो रहा है। (व्यवधान) इसमें कुछ प्रोविजंस हैं और जो प्रोविजंस हैं उन्हीं के ऊपर थर्ड रीडिंग में विचार हो सकता है। माननीय सभापति जी, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह एप्रोप्रिएशन बिल पर हो सकता था लेकिन इसमें तो जो बिल में पांच और छह अध्याय हैं, जिनमें अमेण्डमेंट हो सकता है उन्हीं तक इसको सीमित रखा जाए।

**श्री जगत सिंह दायमा** : मै उसी पर बोल रहा हूं। (व्यवधान) भूमिका तो बांधनी ही होगी।

**श्री शिवनाथ सिंह** : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि इस प्रकार की बात होगी तो हम भी ऐसा ही कहेंगे और नहीं तो... (व्यवधान) रूल्स से यह सरकार नहीं चल पाएगी। इसलिये जो वित्त विधेयक है इसमें जो प्रावधान हैं उन्हीं तक माननीय सदस्य का भाषण सीमित रखा जाए।

**श्री सभापति** : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है, उनके साथ मेरी सहमति हैं माननीय सदस्य अपनी वहस को स्कोप से बाहर ले जा रहे हैं। मैंने उनको टोका भी था।

(श्री सभापति)

(व्यवधान) लेकिन आसन की मजबूरी है कि उनके मुंह को किस तरह बंद किया जाए। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : बाहर नहीं ले जा रहा हूं। (व्यवधान) सीधे पाइण्ट पर आता हूं। मैं अब पाइण्ट पर आ रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, थोड़ी भूमिका तो बांधनी पड़ेगी।

जो आपकी बात कहे अच्छी, अच्छी, उसके लिये तो सब ठीक हैं। तिजारा से आने वाले जगमाल सिंहजी यादव ने परसों अन्तरराष्ट्रीय जो बातें कहीं, परसों आप बड़ी मेज थप–थपा रहे थे। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : मुख्य सचेतक महोदय 10 मिनट समय दे रहे थे कि हमारी पार्टी के 10 भी मिनट भी इनको दे दिये जाएं। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : और अब क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : अभी आप थोड़े ही बोल रहे हैं। (व्यवधान) अब आप नहीं बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : मुझे मालूम है कि आपकी संख्या 153 है और आप चाहे तो मुझे दो मिनट में बैठा सकते हैं। परन्तु आप मेरी बात तो सुन लीजिए। सभापति महोदय, मुझे दो मिनट में...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, माननीय जगत सिंहजी।

**श्री जगत सिंह दायमा** : अगर मैं माननीय जगमाल सिंहजी का लिखा हुआ पढ़ रहा हूं तो मेरे भाई हैं, आपकी क्या गुंजाइश है इसमें, मैं तो पढूंगा। (व्यवधान) वाह भाई वाह।

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : मैं लिखे हुए की बात नहीं कहता। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : तो जो आपके पास पर्चा है ना, वह भी वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि आप यह बोलें तब बोल रहे हैं आप। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : नहीं, नहीं, माननीय, यह बात नहीं है। (व्यवधान) तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैं यह रख लेता हूं यह लो और फिर बोल रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री रतन लाल ताम्बी** : जगमाल सिंहजी ऐसा नहीं लिख सकते हैं। उनकी बुद्धिमता पर हमें विश्वास है। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : माननीय मुख्य सचेतक जी, 20 साल हो गये राजनीति करते करते, आप और आप मेरे सामने आ जाएं और फिर किसी पर भी डिस्कस कर लें आप।

**श्री रतन लाल ताम्बी** : हमको 47 साल हो गये, इसका क्या अर्थ है।

**श्री जगत सिंह दायमा** : हां, यह बात जरूर है...(व्यवधान) आप बैठिये प्लीज।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**श्री रतन लाल ताम्बी** : जगमाल सिंहजी ऐसी बात नहीं लिख सकते हैं। हमको विश्वास है। (व्यवधान) ऐसा नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज, आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री जगत सिंह दायमा** : मुझे तो सुनने नहीं दिया इसके बाद। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। कृपया करके एक बार आप बैठें। (व्यवधान) मैंने आपका ध्यान नियम 86 की तरफ दिलाया था।

**श्री जगत सिंह दायमा** : उसक बाद तो मैं बोला ही नहीं हूं।

**श्री सभापति** : बात को सुनिये, आप स्कोप से बाहर जा रहे हैं। (व्यवधान) जो बात आपको एप्रोप्रिएशन बिल पर कहनी चाहिए थी, उसको आप यहां उठा रहे हैं। यह बहस का, आज का विषय नहीं है। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइण्ट आफ आर्डर के द्वारा आपको ध्यान आकर्षण किया था। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे सामने एक प्रश्न यह है कि स्कोप के ऊपर बुलवाने के लिये मैं आपकी वाणी को किस तरह से टर्न करूं। मेरे लिये कठिनाई हो रही है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

तो मुझे बाध्य होकर के यह कहना पड़ेगा कि माननीय सदस्य के भाषण को अंकित नहीं किया जाए। आप स्कोप में बोल सकते है मुझे खुशी होगी। सदन की अनुमति से मैं आपको 10 मिनट ज्यादा दिला भी सकता हूं। लेकिन स्कोप पर बोल नहीं रहे हैं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : श्रीमान्, मैं ऐसी बात कह रहा हूं जिससे हमारे राजस्थान को नुकसान हो सकता है इस तरह के बजट पर और इस तरह के वित्तीय बिल पर ...(व्यवधान) तो मैं थोड़ा सा ध्यान दूं।

**श्री सभापति** : यह पुरानी बात हो गयी, कल की बात हो गयी। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : अच्छा, अच्छा साहब, मैं कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने 6000 करोड़ और 1012 करोड़ की जो बात कही है उसमें आप नाराज हो गये। (व्यवधान) उस बात को मैं छोड़ रहा हूं। (व्यवधान) अब मैं उस बात के ऊपर ध्यान देता हूं जो सच्चाई है। सभापति महोदय, आपने यह कर्ज इसलिये लिये कि आपकी योजनाएं आगे चलें। वर्ल्ड बैंक और मुद्रा कोष आपको यह मजबूर कर रहे हैं कि आपको ये कर लगाने पड़े। परन्तु सभापति महोदय...

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

**श्री जगत सिंह दायमा** : मुझे आगे बात तो करने दें। वह तो मैं यह कह रहा हूं कि इसको मैं छोड़ रहा हूं। आगे तो बोलने दो। मैं इस बात को यहां खतम करके आगे बोलना चाहता हूं और वह बात आप बोलने ही नहीं दे रहे है।

सभापति महोदय, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जिस देश ने आई.एम.एफ. से और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया तो उसकी हालत क्या हुई। मुझे अच्छी तरह से मालूम है। इस संसार में ब्राजील ने कर्जा लिया, इस संसार में थाइलैण्ड ने कर्जा लिया तो आखिर उस देश की स्थिति क्या हुई। वहां के कर्ज से यह हाल हो गया, जिससे आप कर्ज लेते हैं वह आपका हाथ मरोड़ता है और मन चाहे जो बात करने के लिये तैयार होता है। आप यह कर्ज मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ले रहे हैं। वह आपको मजबूर करेगा कि आप उनके अनुसार चले। उस थाइलैण्ड और ब्राजील में क्या हो रहा है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। वहां का बच्चा–बच्चा कर्जदार हो गया और इतना कर्जदार हो गया कि वहां की मां और बहनें अपनी अस्मत लुटा रही हैं। अपनी अस्मत बेचकर के...(व्यवधान) और अपने देश में अपनी अस्मत बेच रही हैं इस कर्ज के कारण...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : स्थान ग्रहण कीजिए। विराजिए, विराजिए, आप।

**श्री जगत सिंह दायमा** : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कर्ज तो आप ले लेंगे परन्तु कर्ज लेकर के आखिर इस देश का क्या करना चाहते हैं। यह मैं कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : बिराजिए, माननीय सदस्य, बहुत हो गया, बैठिये आप बिराजिए, बिराजिए।

**श्री जगत सिंह दायमा** : सभापति महोदय, दो मिनट ही हुए हैं मुझे तो।

**श्री सभापति** : नहीं, नहीं बहुत हो गया। (व्यवधान) फिर बाद में दे दूंगा आपको।

**श्री जगत सिंह दायमा** : अच्छा तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो आपने ...(व्यवधान)

**श्री छोगाराम बाकोलिया** (यातायात मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं। विधेयक के हिसाब से बोल नही रहे हैं... (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : हां, मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूं।

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : पूरी सरकार का पैसा, अनर्गल पैसा जो खर्च करवाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि यह सरकार ऐसे भाषणों से पैसा खर्च करें। विधान सभा का एक–एक मिनट अमूल्य है। आपके ऐसे अनर्गल भाषणों से जो राजकोष में घाटा हो रहा हैं, क्यों नहीं यह घाटा आपके पर्सनल अकाउण्ट में से ले लिया जाए। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैं हकीकत

(श्री जगत सिंह दायमा)

बात करना चाहता हूं। नहीं, दलित और पिछड़े वर्ग को लाभ क्या हुआ।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : जो आपने आधा पैसा बराबर कर दिया।

**श्री सभापति** : विराजिये, विराजिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैं उस पर आना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : विराजिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खतम करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं... (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : मैं मानता हूं। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : हम आसन से बोल रहे हैं, आसन से...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : यह सुन नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : इसलिए मैं कह रहा हूं, माननीय, मेरी जो पहले आशंका थी...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : यह समझ नहीं रहे या जानबूझकर बोल रहे हैं। यह समझ नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए आपने कोई राहत नहीं दी है।(व्यवधान) इसलिए अब वक्त आ गया है...

**श्री सभापति** : यह बिलकुल बात को समझ नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : हम आसन से दरख्वास्त कर रहे हैं, अगर कोई आदमी बोले जा रहा है तो...

**श्री सभापति** : आसन तो आपके साथ है, पहले से ही। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : तो फिर...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : अब विराजिये, माननीय सदस्य।

**श्री जगत सिंह दायमा** : मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। सर, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं अब मैं करूं क्या साहब ? जब से नहीं बोलने दे रहे हैं, आप खड़े हो जाते हो जब से...(व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय सदस्य, इस फाइनेंस बिल में दलित वर्ग का कहां हैं ? इसमें जबरदस्ती ही बोल रहे हैं। कहां है दलित वर्ग का इसमें ? जबरदस्ती ही बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप फाइनेंस बिल के स्कोप से बाहर जा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैं नहीं जा रहा। मुझे दो लाइन भी नहीं बोलने दी। (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : आप विधान सभा

(श्री चन्दन मल बैद)

में बोल रहे हैं या चौपड़ पर बोल रहे हैं ?

**श्री जगत सिंह दायमा** : सभापति महोदय, मैं अपनी बात सदन में दो मिनट में कहना चाहता हूं अगर यह चुप हो जाए तो... (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ बोला है। सरकार ने सारे कर्मचारियों को कुचलने की बात की है। कर्मचारियों को पैसा नहीं बढ़ाने के बात की है। कर्मचारियों के जो दुश्मन यह बन रहे हैं, उसके बारे में माननीय जगत सिंहजी ने जो बात रखी है, जो बोल रहे हैं, वे बिलकुल सही बोल रहे हैं। डब्ल्यू.एफ.ओ. और वर्ल्ड बैंक के बारे में कहा...

**श्री सभापति** : आप विराजिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : आपने कल अपने भाषण में कहा...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : विराजिये, विराजिये।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : विधान सभा का एक–एक मिनट अगर मूल्यवान है तो यह भी मूल्यवान है। यह सही कह रहे हैं, कर्मचारियों के दुश्मन सरकार के बारे में माननीय जगत सिंहजी सही कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : विराजिये। माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज। श्री जगत सिंहजी, आप एक मिनट में खतम करो।

**श्री जगत सिंह दायमा** : हां, बस एक मिनट में ही खतम कर रहा हूं। सभापति महोदय, कर्मचारियों पर आप कल अपने भाषण में बहुत कठोर रुख अपना रहे थे और वे कर्मचारी वर्ग...

**श्री हीरालाल विश्नोई** : आप कल की बात क्यों कर रहे हो। आप आज की बात करो। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : बोलना तो पड़ेगा मुझे।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : आज की बात करो, बिल की बात करो। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : आखिर इनके साथ आप क्या करना चाहते हैं, वह अपनी नीति स्पष्ट कीजिए। जो कल आपने भाषण दिया था कि कर्मचारी वर्ग पर तो इतना हो रहा है, हमको इतना मिल रहा है तो उस वर्ग पर क्या करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : विराजिये आप।

**श्री जगत सिंह दायमा** : सभापति महोदय, मेरी लास्ट में एक बात है। सभापति महोदय, मैं माननीय चन्दन मलजी बैद से कहना चाहता हूं कि वैद्य और हकीमों से यह देश चलने वाला नहीं है और आपने दलित वर्ग के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए कहीं भी कोई भी राहत नहीं पहुंचायी है। आपने दलित और पिछड़े वर्ग के लिए जब राहत नहीं पहुंचायी है, तो मैं यह नहीं कह सकता कि आपने यह बजट बहुत अच्छा पेश किया है। यही बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : विराजिये, विराजिये। प्लीज सिट डाउन। माननीय वित्त मंत्री महोदय।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : सभापति महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल विश्नोई** : सभापति महोदय, यह आठ साल पुरानी बीमारी है। यह वैद्य ही जरूरी है। वैद्य के बिना और हकीम के बिना यह बीमारी निकलने वाली नहीं है। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : प्लीज। मुख्य सचेतक महोदय।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक पारित करने का अन्तिम चरण और माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पारित करने के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया और माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह वित्त विधेयक पर एक अलफाज, एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला। मैं यहां मुझे, जो इन्होंने भाषण दिया, उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं...

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : अब तो खतम हो गयी न बात।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, इस भाषण में...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : बात यह है कि जो पैसा आप खर्च करोगे, माननीय राज्यपाल महोदय की मोहर लगेगी...

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : इस वित्त विधेयक में किन—किन अधिनियमों में अमेंडमैंट किया जा रहा है, शायद माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं है। मैं आसन से निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य ने विषयान्तर होकर जो प्रवचन दिया है, जो भाषण दिया है, उसको विधान सभा की कार्यवाही से हटाने की कृपा करें। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : इस वित्त विधेयक पर बोला हूं मैं। आपका पैसा गलत जगह नहीं जाए, आपका पैसा गरीबों के लिए काम करें...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय जगत सिंहजी दायमा साहब, विराजिये आप।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री सभापति** : जगत सिंहजी दायमा, विराजिये आप।

**श्री जगत सिंह दायमा** : सभापति महोदय, यह देश 85 परसेंट इसमें पिछड़े वर्ग के हैं और इसलिए यह देश पिछड़ा हैं और पिछड़े वर्ग के लिए आपने कुछ नहीं किया। आप चाहते हैं कि गवर्नर आपके इस पैसे पर मोहर लगा दें और आप उसको खर्च करो और हम बिना कुछ कहे आपको यह सब करने दें। (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : सभापति महोदय, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : सभापति महोदय, इनको सुने।

**श्री सभापति** : विराजिये माननीय सदस्य। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सभापति महोदय, आपके भाषण से कुछ अंश विलोपित करने वाली बात पैदा हुई, हैं, यहां पर। विलोपित करने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

**श्री सभापति** : नहीं, नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, इस बिल के सम्बन्ध में ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मैं यह मानता हूं कि यह जो बात बोले हैं, एक मिनट, मैं यह मानता हूं कि...

**श्री सभापति** : आप अपनी बात कहिये, औरों की बात मत कीजिए।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : माननीय सदस्य ने अगर यहां इर्रेलेवेंट बात बोली है, ठीक है लेकिन वह विलोपित...(व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : बोले हैं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : हो सकता है आप इसका जवाब न दें, यह ठीक है।

**श्री सभापति** : यह बहस का विषय नहीं है, माननीय सदस्य।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : लेकिन उसको विलोपित क्यों करेंगे ? एक्सपंज नहीं करें।

**श्री सभापति** : आप इस बिल के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं क्या ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अनपालियामैण्ट्री के अलावा और कोई इसमें आप विलोपित नहीं करेंगे। सभापति महोदय, यह कह रहा हूं कि आप विलोपित नहीं करें। (व्यवधान)

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : अनर्गल बातें करके हाउस का समय बरबाद कर रहे हैं तो उसको विलोपित करना चाहिए। अनर्गल बातें करने से क्या फायदा ? माननीय सदस्य इस तरह से विषयान्तर होकर कोई भाषण दें तो कैसे हाउस चलेगा ? हाउस अपने नियमों से चलता है। आप नियमानुसार उस बिल पर बोलिये। आप नियमानुसार उस बिल को देखकर के...(व्यवधान)

**श्री जगमाल सिंह यादव** : सभापति महोदय, केवल विलोपित वही शब्द, माननीय सचेतक महोदय, विलोपित केवल वही प्रोसीडिंग्स की जाती हैं जो आपत्तिजनक हो।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। विलोपित क्या...

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, विलोपित जब भी होता है जब आसन के इंस्ट्रक्शन की अवहेलना करने के बाद में भी, आसन इंस्ट्रक्शन दें और उसके बाद में भी माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखे तो आसन को यह अधिकार है

(श्री हरिसिंह)

कि आसन उनको विलोपित करवा सकता है। (व्यवधान) यही मैंने अनुरोध किया है। (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : सभापति महोदय, मैं यह एक जानकारी देना चाहता हूं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : नहीं, नहीं यह गलत बात है। यदि पूरा भाषण हो जाए तो उसके बाद असंसदीय के अलावा किसी को भी नहीं निकाला जा सकता।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : आसन की बारबार, आसन ने निर्देशित किया है माननीय सदस्य आप विराजिये, माननीय सदस्य आप भाषण बन्द करिये, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : माननीय सदस्य का दिया हुआ...(व्यवधान) असंसदीय भाषण को निकाला जा सकता है। बाकी किसी को नहीं निकला जा सकता। ज्यादा से ज्यादा वित्त मंत्रीजी यह करें कि इसका जवाब नहीं दे, रिप्लाई नहीं दें।

**श्री सभापति** : आप किस बात पर बोल रहे हैं ? मेरे समझ में नहीं आता। उन्होंने अपनी बात कह दी। आप उनका मुंह कैसे बन्द कर देंगे। उनको अधिकार है, अपनी बात कहने का। गवर्नमैंट के चीफ व्हिप हैं। माननीय सदस्य हैं।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : सरकारी मुख्य सचेतकजी ने मूव किया है। हरिसिंह जी ने मूव नहीं किया है।

**श्री सभापति** : हां तो आप बिना मतलब ही... उत्तेजित हो रहे हो।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने मूव किया है। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : सरकारी मुख्य सचेतक ने ही मूव किया है। (व्यवधान)

**श्री जगमाल सिंह** : मूव किया है।

**श्री सभापति** : क्या मूव किया है ? क्या मूव किया है ?

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : मूव किया है।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : आसन की अवमानना की है सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सभापति महोदय, अगर आसन की अवहेलना करके कुछ बोले हैं तो यह तो वह तो बाद में बोले हैं। आप वह कर दें। आप इस पूरे भाषण को...

**श्री सभापति** : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य। मैं आपसे इस सम्बन्ध में कोई सलाह नहीं ले रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मैं सलाह नहीं दे रहा हूं लेकिन आप विलोपित नहीं करें।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : हम बिना मांगे सलाह दे रहे हैं, सर।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मैं सलाह दे रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री जगमाल सिंह यादव** : अगर आसन मांगे तो कोई जरूरी है, हम सलाह दें ? हम तो बिना मांगे सलाह दे रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : किस बात की सलाह दे रहे हैं ? क्या इश्यू है ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं, नहीं, एक्सपंज पर...

**श्री सभापति** : कौनसे इश्यू पर आप सलाह दे रहे हैं ? उन्होंने कोई एक बात कही हैं आप बिना मतलब ही बहस बढ़ा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : विलोपित मत करिये। आप विलोपित नहीं करेंगे, बस।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि...

**श्री सभापति** : क्या, बैठिये। आर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं और आप...

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : सभापतिं महोदय, आपने इसमें विलोपित करने का आदेश दिया है क्या ?

**श्री सभापति** : मैं कोई अनुरोध नहीं सुन रहा हूं। आप अपनी किताब निकाल लीजिए। नियमों की, प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन सम्बन्धी नियम।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : सभापति महोदय, नियम नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। राजस्थान के हजारों...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : नियम 86 पढ़ लीजिए। नियम 86 पढ़ लीजिए। आप बहस बिना मतलब ही लम्बी खींच रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : विधान सभा के बाहर धरना देकर बैठे हैं। इनका दस परसेंट, आठ परसेंट...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : मैं वित्त मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें कुछ कहना हो, बहस के बारे में अपना उत्तर दे दें। (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : सभापति महोदय, राजस्थान के आस–पड़ौस के जितने भी राज्य हैं, वहां पर टैक्स कम होने की वजह से यहां से पलायन की स्थिति बन गयी है।

**श्री सभापति** : विराजिये आप। कहां टैक्स का सवाल है अभी ? (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : सभापति महोदय, अगर उनका टैक्स खतम नहीं किया गया तो राजस्थान की गरीब जनता को हवाई चप्पल भी पहनना दूभर हो जाएगा। सभापति महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : बोलने दीजिए इनको।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : हजारों चप्पल

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

बेचने वाले गरीब विक्रेता हैं। आज विधान सभा के बाहर बैठे हैं। (व्यवधान)

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : फाइनेंस बिल पर बोल रहे हैं। हम इसमें फाइनेंस बिल पर ही तो बोलेंगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य जो कुछ मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं उनको रिकार्ड नहीं किया जाए। (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : xxx

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : xxx

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : xxx

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : xxx

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : xxx

**श्री जगमाल सिंह यादव** : xxx

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : xxx

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं, वह रिकार्ड नहीं किया जाए। माननीय सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं, वह रिकार्ड नहीं किया जाए। मेरी अनुमति के बगैर जो भी बोल रहे हैं, उनका एक शब्द भी अंकित नहीं किया जाए। माननीय वित्त मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : xxx

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : xxx

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। मैंने वित्त मंत्री को पुकार लिया है।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : xxx

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री सभापति** : नहीं, नहीं विराजिये आप। कोई जरूरी नहीं है। हर आदमी बोले इस पर, नोट नेसेसरी। यह आवश्यक नहीं है कि हर माननीय सदस्य इस पर बोलें।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : xxx

**श्री सभापति** : हां, बोल लिये आप उसके ऊपर। वित्त मंत्री महोदय।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : xxx

**श्री सभापति** : आप बोल लिये।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : xxx

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : xxx

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : xxx

**श्री जगत सिंह दायमा** : xxx

**श्री जगमाल सिंह यादव** : xxx

(15.00 बजे)

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं नम्बर एक तो राजस्थान लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स एक्ट के अन्दर जो आलरेडी एग्जम्पशंस हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट प्रोपर्टीज और दूसरी प्रोपर्टीज आती हैं वह ए से एफ तक है। यह जी, जो आपने लिखा है।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

"...any land or building or portion thereof owned, and solely used by an educational institution and that only for purposes education, which includes, housing of students and offices of the institution, and any land or building used for public parks, public libraries, public museums or used for playgrounds attached to the schools, colleges or universities;..."

मेरा यह निवेदन है कि अगर इसको भी एग्जम्पशंस के साथ एं टू एफ् की जगह जी कर दें इन्सटीड आफ डिलीट करने तो क्या आपत्ति हो जाए ?

**श्री सभापति** : आप देखिये, आप एक पर्टिकूलर क्लाज पर बोल रहे हैं। (व्यवधान) नहीं, क्या बोलूं मैं आपके, कुछ बोल ही नहीं रहे। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) बैठिये। यह तो बात चली गयी । इस पर कोई अमेंडमेंट ही नहीं था, जो बोल रहे हैं इस पर। यह तो पास हो गयी।

**श्री हीरासिंह चौहान** : माननीय सभापति महोदय, इसको क्यों लिया गया ? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप नियम 86 पढ़ लीजिये।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : फाइनेंस बिल है वह तो...(व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : नियम 86 पढ़ लिया। 86 में केवल स्कोप के बारे में ही लिखा है लेकिन विलोपित होने के बारे में नहीं लिखा है कहीं भी जो आप विलोपित होने के बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : यह सुनने ही नहीं दे रहे हैं आपकी बात को। आप बोलिये, क्या बोल रही हैं ? झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या, क्या बोल रही हैं ? (व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : नियम 86 हमने पढ़ लिया। 86 में स्कोप तो निर्धारित है कि आप स्कोप से बाहर नहीं जाएंगे लेकिन विलोपित होने का, असंसदीय शब्दों के अलावा एक्सपंज करने का आसन को भी अधिकार नहीं है। यह पढ़िये आप।

**श्री सभापित** : अब आप क्या कहना चाहती हैं ? What do you want to say ? What is you point ? जो कुछ हुआ है, कार्यवाही के अंदर है। जो कुछ हुआ है, कार्यवाही में है कहां जा रही है आप ? You are going back.

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : यह चलती गाड़ी को बैक कर रही हैं।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि यह सही है कि... (व्यवधान)

**श्री सभापति** : देखिये, माननीय सदस्य, मैं आपको रोकना नहीं चाहता और आपकी विद्वता को मैं चुनौती नहीं देता हूं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ आप बोल रहे हैं, इस नियम 86 में थर्ड रीडिंग में आपकी इन बातों का कोई स्कोप नहीं है।

(श्री सभापति)

आप कृपा करके इर्रिलेवेंट बात मत कहिये और बिना मतलब बहस लम्बी मत बढ़ाइये। आप विद्वान आदमी हैं।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : रिलेवेंट क्या है, यह बता दें कि यह तो इर्रिलेवेंट हैं और यह रिलेवेंट है।

**श्री सभापति** : आसन के लिये जरूरी नहीं कि कौनसा रिलेवेंट है और कौनसा इर्रिलेवेंट है। मैंने व्यवस्था दी है कि आप इर्रिलेवेंट बोल रहे हैं इसलिए सिट डाउन। आप बैठिये।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : आसन ने वर्डिक्ट दे दी। आप इसको चुनौती क्यों दे रहे हैं ? (व्यवधान) व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आसन ने वर्डिक्ट दे दी आपको, अब आप उसको चुनौती क्यों दे रहे हैं ?

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : आप बिराज जाइये। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप जो कुछ बोल रहे हैं वह स्कोप के अंदर नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एक बात कही...

**श्री सभापति** : अब माननीय सदस्य, जो कुछ कह रहे हैं उसको अंकित नहीं किया जाए।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : XXX

**श्री सी.पी. जोशी** : He cannot take the House for granted. He knows it. जब आपने अंकित नहीं करने के लिये मना कर दिया है, He is so senior a member, एटलिस्ट आप खुद तो मानेंगे इस बात को। इसको अंकित नहीं किया जाए। अंकित नहीं किया है इससे बड़ी तो कोई चीज होती ही नहीं है। जब अंकित ही नहीं हो रहा, इससे ज्यादा और क्या होगा।

**श्री सभापति** : आप बैठिये। आप नियमों को जानने वाले वरिष्ठ सदस्य हैं। आप समझते हैं सारी जिम्मेदारी को उसके बाद में...(व्यवधान)

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : XXX

**(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, भाजपा द्वारा सदन से बहिर्गमन)**

**श्री सभापति** : आप विराजिए। माननीय वित्त मंत्री महोदय।

**श्री चन्दन मल बैद** (वित्त मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, वित्त विधेयक पर दो–तीन बातें कही गयी है। वैसे तो बहुत–सी बातें एप्रोप्रिएशन बिल पर मैंने जो कल कहा था, उसके बारे में कही गयी है। लेकिन मैं सदन का समय उनका जवाब देकर खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि वह बातें मैं समझता हूं कि रिलेवेंट नहीं हैं। लेकिन

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री चन्दन मल बैद)

वित्त विधेयक के बारे में जो बातें कही गयी हैं उनमें एक तो पावर आफ अटार्नी के बारे में कही गयी है उसके बारे में हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया है एक्ट से संबंधित नहीं है वह, नोटिफिकेशन यह निकाल दिया है कि पावर आफ अटार्नी के सिलसिले में अगर कोई आदमी बाहर का है और अशक्त है और वह अपने नियरेस्ट रिलेशन को, ब्लड रिलेशन को पावर आफ अटार्नी देता है तो वह उसको यहां पर करा सकता है और अगर वह दूसरी जगह भी कराता है तो उसको भी हम मान लेते हैं तो हमने यह नोटिफिकेशन निकाल दिया।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : एक बात तो यह क्लियर करें, यानि मुख्तारनामा देगा उसका लाभ तब ही मिलेगा जब वह ब्लड रिलेशन को देगा। आपके कहने का यह मतलब हुआ। (व्यवधान) एक सैकण्ड, उसको लाभ तब ही मिलेगा जब वह ब्लड रिलेशन वाले को ही देगा, तब ही मिलेगा यह किसी को भी दे सकता है। एक बात।

**श्री चन्दन मल बैद** : अपने ब्लड रिलेशन को दे सकता है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : और किसी दूसरे को दे तो ? (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : ब्लड रिलेशन को दे सकता है। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्यों, यह क्या बात हुई ? किसी को पावर आफ अटार्नी देने में क्या दिक्कत है ? किसी को भी दे सकता है, इसमें क्या बात है ?

**श्री अमराराम** (धोद) : पावर आफ अटार्नी का तो मतलब है उसको देना चाहे।

**श्री चन्दन मल बैद** : नहीं, देखिये, मेरी बात सुनिये। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यानि वर्तमान कानून में दिक्कत कहां आएगी, यह बताइये आप। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : मंत्री महोदय जो उत्तर दे रहे हैं, वह सुनिये पहले।

**श्री चन्दन मल बैद** : मेहरबानी करके, जैसी आपकी पार्टी की आदत है, हर बात में खड़े हो जाना। मैं यह कह रहा हूं पावर आफ अटार्नी हर आदमी को दे सकता है आदमी लेकिन अगर वह यह चाहता है... (व्यवधान)

**श्री सभापति** : उत्तर पूरा नहीं देंगे क्या माननीय सदस्य। आप तो बरसों मंत्री रहे हैं। (व्यवधान) आपकी बात को हम सुनते रहे हैं। इनकी भी सुनिये आप। बीच में नहीं। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : नहीं, मैं सुन रहा हूं।

**श्री चन्दन मल बैद** : लेकिन, अगर वह यह चाहता है...(व्यवधान) सन्तोष रखिये। आप तो वाकआउट कर चुके थे। बड़ा खुश

(श्री चन्दन मल बैद)

हुआ था मैं तो आप वाकआउट कर गये तब। लेकिन, अगर वह यह चाहता है कि मेरी पावर आफ अटार्नी से रजिस्ट्रार और सब–रजिस्ट्रार जहां रहता है उसके अलावा दूसरी जगह भी इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो वह पावर आफ अटार्नी केवल अपने ब्लड रिलेशन माता–पिता, पुत्र–पुत्री, भाई–बहन या पौत्र–पौत्री को ही दे सकता है। बाहर करने के लिये, यहां करने के लिये तो किसी को भी दे सकता है। यहां करने के लिये तो अमराराम जी चाहें तो झुंझनूं की माननीय सदस्या को भी दे सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको रजिस्ट्रार और सब–रजिस्ट्रार, जिसकी जुरिस्डिक्शन, में वह प्रोपर्टी है, उससे बाहर उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो फिर अपने ब्लड रिलेशन, जिनका नाम मैंने लिया है, उनको दे सकता है जिससे कि हमारे कर की चोरी नहीं हो।

अब दूसरी बात, लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स के बारे में कही गयी। लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स के बारे में एक तो सैक्शन–6 है, जिसमें यह था कि एजुकेशनल इस्टीट्यूशंस को एग्जम्प्शन दिया जा सकता है। लेकिन मेरी पूर्ववर्ती सरकार ने 1998 के फाइनेंस एक्ट में यह प्रावधान कर दिया कि यह एग्जम्पशंन आठवीं क्लास तक की कक्षा को दिया जा सकता है। जो आठवीं क्लास की संस्थाएं हैं, उन्हीं को दिया जा सकता है। यह मैंने नहीं किया। यह मेरी पूर्ववर्ती सरकार ने, 1998 के फाइनेंस बिल में किया है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : जरा पढ़कर बता दीजिये।

**श्री चन्दन मल बैद** : "Amendment to Sec. 6 (Act No. 18 of 1964). For clause (g) of Sec. 6 of the Principal Act, the following shall be substituted :

'any land or building or portion thereof owned, and solely used by an educational institution imparting education upto 8th standard and that only for Purposes of education, which includes, housing of students and offices of the institution, and any land or building used for public park, public libraries, public museums or used as playgrounds attached to schools.'" यह आपके 1998 के फाइनेंस एक्ट में है उसको तो रेस्ट्रिक्शन किया, मैं 6 को विलोपित कर रहा हूं और मैं सेक्शन 80 में यह अधिकार ले रहा हूं कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस को किसी भी क्लास या क्लास आफ पर्सन्स को मैं या बिना पर्सन को मैं यह एग्जम्पशन दे सकता हूं। कालेज को दे सकता हूं, यूनिवर्सिटी को दे सकता हूं, गर्ल्स कालेज को दे सकता हूं। किसी पब्लिक पार्क को दे सकता हूं, लाइब्रेरी को दे

(श्री चन्दन मल बैद)

सकता हूं। यह अधिकार मैं ले रहा हूं। यह मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : एक सैकण्ड साहब, यह स्पष्ट करें। (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : मुझे जवाब दे लेने दीजिये आप। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : मंत्री महोदय का उत्तर पूरा हो जाने दें, उसके बाद आप पूछ लें। (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : और आपका सैक्शन 31 कहता है क्लास आफ पर्सन, उसमें क्या होता था कि मैं अगर यह कहता, इस क्लास आफ पर्सन में एग्जम्पशन देना चाहता हूं, मैं कहता कि कालेज को दिया तो उसका मतलब जितनी कालेज राजस्थान में है, उन सबको एग्जम्पशन देना पड़ता।

इस वास्ते मैं इसमें अधिकार यह ले रहा हूं कि मैं चाहूं तो, पर्टिकुलर कालेज को देना चाहूं तो दूंगा और पर्टिकुलर कालेज मैं समझता हूं, पब्लिक परपज सर्व नहीं कर रहा तो उसको नहीं दें। यह कोई बुरी बात नहीं कर रहा हूं मैं।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जो अमेंडमेंट लैण्ड एण्ट बिल्डिंग टैक्स में किया है वह बिलकुल ठीक है। अभी आपने सिनेमाघरों के बारे में कोई बात कही। हम इसका प्रोविजन करना चाहते हैं, करेंगे कि एक सीट पर एक रुपया वो ले लें, लेकिन इस शर्त पर ले लें, उसमें एण्टरटेनमेंट टैक्स नहीं लूंगा। इस शर्त पर ले लें कि वो अपनी इस सिनेमा हांल की, टाकीज की हालत सुधारने में ही लगायेंगे। दूसरा, और भी प्रोविजन मैं करना चाहता हूं। यह प्रोविजन भी करना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी पिक्चर आयी है जिस पर बहुत ज्यादा रश है, ब्लैक हो रहा है तो वह 100 परसेंट तक अपनी रेट बढ़ा सकता है, उसका 50 परसेंट टैक्स मुझे देना पड़ेगा। जो पांच रुपये की टिकट पर मैंने 50 परसेंट टैक्स कम के 100 परसेंट किया है उसका कारण यही है कि हमने यह महसूस किया है कि सिनेमा हालों में छोटे टिकटों पर ब्लैक हो रहा है। इस वास्ते उस ब्लैक को हटाने के लिए मैंने यह प्रोविजन किया है कि यह एग्जम्पशन उसमें से हटा दिया जाय।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं इसमें सारी बात स्पष्ट हो गयी है, अब इसको पारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सभापति महोदय, दो तीन सवाल है खाली क्लेरिफिकेशन के लिए एक तो आप यह बताइये कि जो मुख्तारनामे की बात कही है न अभी, मुख्तारनामा जो व्यक्ति जहां प्रोपर्टी है वहीं कर सकता है या जहां रहता है वहां भी कर सकता है ? यह क्लियर नहीं किया आपने अभी। अगर यह क्लियर हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मेरी प्रोपटी कहीं भी हो तो किसी भी रजिस्ट्रार के सामने मुख्तारनामा अगर रजिस्टर करा सकता हूं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तो हमारी मांग पूरी हो जाती है।

**श्री सभापति** : यह तो इसमें है, माननीय सदस्य।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : नहीं, इसमें नहीं है।

**श्री चन्दन मल बैद** : केवल वह मुख्तारनामा जो आपने अपने ब्लड रिलेशंस को दिया है वही सब–रजिस्ट्रार और सब–रजिस्ट्रर के स्थान के अलावा उसका रज़िस्ट्रेशन करा सकेंगे अन्यथा नहीं करा सकते।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : अन्यथा नहीं करा सकते न ?

**श्री चन्दन मल बैद** : हां।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : इससे क्या लाभ होगा ?

**श्री चन्दन मल बैद** : इससे लाभ यह होगा कर की चोरी रुकेगी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : इससे कर की चोरी रूकने का सवाल ही नहीं है।

**श्री सभापति** : यह बहस का विषय है, लम्बी बहस का विषय है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : एक सैकण्ड, सभापति महोदय, एक बात पूरी हुई है लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स की बात पूरी करने दीजिये।...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 संशोधित रूप में पारित किया गया।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सभापति महोदय, कानून भी अगर इस तरह पास होगा कि बात–स्पष्टीकरण भी नहीं पूछ सकें, कोई बात नहीं कह सकें तो यह तो न्याय की कोई बात नहीं हुई।

## विधेयक पर विचार

### राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999

**श्री सभापति** : श्री चन्दन मलजी बैद आप प्रस्ताव करेंगे–राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999

**श्री चन्दन मल बैद** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री सभापति** : श्री हीरासिंह चौहान।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : सभापति महोदय, यह जो स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश का आप टैक्स लगाने जा रहे हैं मेरी समझ में इसे काला कानून कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माल की जो डेफिनेशन इन्होंने दी है, एक स्थान से दूसरे स्थान में माल ले जाया जाय, उसे डेफिनेशन में इन्होंने सबसे पहले यह जो

(श्री हीरासिंह चौहान)

स्थानीय क्षेत्र का अर्थ दिया है "राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अधीन स्थापित किसी पंचायत क्षेत्र में, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अधीन स्थापित किसी नगरपालिका क्षेत्र में, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन गठित या स्थापित किसी अधिसूचित क्षेत्र, समिति या छावनी बोर्ड में सीमाओं के भीतर का क्षेत्र अभिप्रेत है"

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक सामान जयपुर से खरीदते हैं, जयपुर से खरीद कर दूदू जाता है, दूदू के बाद दूसरे स्थान पर जाता है तो प्रत्येक स्थान पर एक लाख तक जो व्यवहार करता है, दुकानदार है गांव का छोटा से छोटा, जो साल भर में उस धंधे को करता है, प्रत्येक स्थान पर उसको 10 परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। मतलब हर स्थान पर जयपुर से बाहर जाते ही एक स्थान पर बड़े कस्बे में ले गया दूदू में, दूदू में 10 परसेंट टैक्स लिया जायेगा, उसके बाद छोटे स्थान, दूदू के छोटे गांव, ग्राम पंचायत पर लिया जायेगा। वहां भी 10 परसेंट टैक्स लिया जायेगा। इस प्रकार यह टैक्स एक बार नहीं, राज्य में जहां—जहां छोटे—छोटे स्थानीय पंचायत क्षेत्र में जायेगा, नगरपालिका क्षेत्र में जायेगा, हर स्थान पर उसमें टैक्स इम्पोज कर दिया गया है। इसका मतलब उपभोक्ता जो इस चीज को लेगा, क्योंकि दुकानदार तो अपने पर भार लगाता नहीं है, वह सारा भार कन्जूमर पर लगाता है इसीलिए मेरा एक निवेदन है कि यह जो स्थानीय क्षेत्र की सीमा है उसको राज्य से बाहर कर दिया जाय। राज्य से बाहर आये, उस तक सीमित कर दे यदि सरकार इसको लाना ही चाहती है। इसमें आगे जाकर और एक किया है कि व्यवहारी का मतलब एक लाख रुपये का ट्रांजेक्शन एक साल में अगर किया जाता है, एक साल में एक लाख का ट्रांजेक्शन जो भी व्यापारी करेगा उस पर भी उसको सारा अकाउंट रखना पड़ेगा। सैल्स टैक्स अफिसर को सारा हिसाब बताना पड़ेगा और उसको अपना कर लगाना पड़ेगा। सेक्शन चार में इन्होंने लिखा है कर का भार—इस अधिनियम के प्रारम्भ पर प्रत्येक ऐसा व्यवहारी जिसका 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान या खण्ड (1) में वर्णित वर्ष की पश्चात्वर्ती पहली अप्रेल से प्रारम्भ होने वाले किसी भी वर्ष के दौरान आयात किये गये माल का इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी पण्यावर्त एक लाख रुपये से अधिक हो जाता है, ऐसा रजिस्ट्रीकरण कराने का दायी होगा। उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा, रजिस्ट्रेशन के साथ उसका 10 परसेन्ट टैक्स भी उसको दिया जायेगा। इस प्रकार मुझे यह समझ में नहीं आता है कि वह कानून माननीय वित्त मंत्री ने किस मंशा के साथ बनाया है। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा ही रेवेन्यू चाहिए तो इसका कोई और तरीका निकालते। यह तो आपने गांव वालों पर हमला किया है और साधारण से

(श्री हीरासिंह चौहान)

साधारण व्यापारी जिस पर भी यह इंस्पेक्टर राज होगा, उस पर हमला होगा। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि अगर आप करना भी चाहते हैं, जैसे कृषि विपणन बोर्ड में जहां–जहां माल जाता था, हर जगह उसका एक–दो रुपया टैक्स लगता था, पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे राजस्थान में वन टाइम टैक्स पैड, एक समय एक टैक्स पर पैड करने का नियम बनाया था। जगह–जगह चीजें कोई महंगी नहीं होती है। व्यापारियों का तो केवल सामान रखने का, उसका रजिस्ट्रेशन कराने का, उसका हिसाब रखने का ही होगा लेकिन यह पूरा इसका जो भार पड़ेगा, साधारण से साधारण उपभोक्ता, गांव का गरीब, गांव का मजदूर है सब पर इसका भार पड़ेगा क्योंकि आप हर जगह पर 10 परसेंट टैक्स लगा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस +++ को वापस लिया जाय। यह गलत ढंग से प्रपोज किया गया। पता नहीं इस एक्ट के बनाने के पीछे क्या मंशा थी, कहां से इस एक्ट को यहां लेकर आये, किस राज्य की नकल करके इस राज्य में लाया गया। यह जो कानून है यह बिलकुल गलत है, इससे जनता पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा, कोई भी उपभोक्ता इससे बच नहीं सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कानून को वापस लिया जाय।

**श्री सभापति** : श्री भंवरलाल शर्मा, हवामहल।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सभापति महोदय, वास्तव में यह कानून जैसा कहा गया है कि +++ ही होगा।

**श्री सभापति** : +++ कैसे हो सकता हैं ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मैं बताता हूं । यह लिखा ही काली स्याही से है।

**श्री सभापति** : ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें।

**श्री चन्दन मल बैद** : सभापति महोदय, यह ठीक कह रहे हैं क्योंकि देशी शराब पर, लाटरी पर और अफीम पर यह कर लग रहा है तो काला ही होगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : अभी वह भी बता देता हूं मैं आपको, आपने जो चतुरता की है वह भी बताता हूं।

सवाल यह है कि यह टैक्स किस पर लगेगा ? यह टैक्स लगेगा जो भी व्यक्ति, जो व्यापार करता है वह अपने क्षेत्र में कहीं से माल लायेगा और क्षेत्र कौनसा, जो नगरपालिका क्षेत्र है एक तो वह होगा, दूसरा एक पंचायत क्षेत्र है उसमें जो व्यापार करता है इसका मतलब पूरा राजस्थान कवर होगा। नगरपालिका क्षेत्र में व्यापार करने वालों पर भी लागू होगा और जो पंचायत क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है उस पर भी लागू

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

होगा। राजस्थान में ऐसा कोई इलाका और नहीं है। जो पंचायत और नगरपालिका के बाहर हों उस में जो व्यापार करेगा उस पर लागू होगा। (व्यवधान) वह सब आ गया। अब यह किस पर लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए जैसा कि माननीय श्री हीरासिंह जी कह रहे थे कि जयपुर से कोई माल खरीदता है, खरीदने के बाद वह छोटा व्यापारी जो गांव में व्यापार करता है उसकी खुद की तो कोई पैदा नहीं होती है उस गांव में। वह तो शहर से माल खरीद के आधार पर दुकान चलाता है। जयपुर से चप्पल ले जायेगा, साबुन ले जायेगा, गृहस्थी की चीजें ले जायेगा खाने के मसाले ले जायेगा, जो कुछ भी ले जायेगा। जब अपने एरिये में ले जायेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, उस पर टैक्स लागू हो जायेगा और होगा किस पर? आपने उसमें छूट दी है कि उसका कारोबार एक लाख रुपये से अधिक साल भर का हो। यदि एक लाख रुपये का अगर टर्न ओवर है उस पर टैक्स लागू होगा। एक लाख के टर्न ओवर का मतलब यह है कि जयपुर शहर में कहीं बाहर से कोई व्यक्ति माल खरीदने के लिए आता है 300 रुपये का रोज का माल अगर उसने खरीद लिया यानी महीने भर में अगर उसने नौ हजार का माल लिया तो उस पर लागू हो जायेगा। आज तक चुंगी के नाम से चुंगी लगाते थे वह केवल नगरपालिका क्षेत्र में ही थी। अब आपने इस टैक्स के द्वारा इस बीमारी को गांव–गांव में फैला दिया। गांव में एक छोटी सी थड़ी लेकर जो बैठा है, वहां कुछ पैदा होता नहीं है वह बाहर से ही माल ले जाकर अपना व्यापार चलाता है और जैसा ही उसका टर्न ओवर एक लाख से ज्यादा हुआ साल भर का तो उस पर यह टैक्स लागू हो जायेगा। इतना ही नहीं होगा, अगर कोई जयपुर से माल ले जाता है और जिला स्थान पर ले जाता है और जिला स्थान से जो लोग खरीदने के लिए आयेंगे, अगर वह माल अपने यहां ले जाते हैं तो जिला स्तर पर ले जायेगा पहले तो उस पर टैक्स लग जायेगा, उसके बाद वह जो गांव में ले जायेगा उसको वह टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से यह मल्टी, टैक्स मल्टी पाइन्ट है। इस प्रकार टैक्स देते–देते जयपुर शहर से कोई खरीदता है अगर माल तो 100 रुपये का तो जाते–जाते 140 रुपये का बेचेगा आखिर में। वह गांव का जो खरीददार है, गांव का जो दुकानदार है उस पर यह टैक्स बढ़ेगा इसलिए यह +++ है कि आपने किसी को छोड़ा ही नहीं है इसमें। छोटी–छोटी दुकान चलाने वालों को चपेट में ले लिया आपने। ठीक है बड़े लोगों से आप टैक्स लीजिए कोई दिक्कत नहीं हैं लेकिन सामान्य व्यक्ति जो आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके बच्चे अगर छोटी सी थड़ी लगाकर बैठे हैं, उस पर भी आपने

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लगा दिया इसलिए इन्होंने +++ कहा है। एक दिक्कत तो इसमें यह आयेगी क्योंकि लोकल एरिया जो आपने डिफाइन किया है...

**श्री सभापति** : आप इसको बार–बार परिभाषित कर रहे हैं। लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई भी कानून लाती है वह जनता के हित में होता है। आप उसको +++ कह कर नहीं पुकार सकते।

**श्री हीरासिंह चौहान** : यह हम आपको बता देंगे कि यह कैसे है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आप कांग्रेस के रूप में नहीं बोलें। आप सभापति के पद पर बैठे हैं।

**श्री सभापति** : हां, मैं सभापति के पद से ही यह कह रहा हूं कि मनमाने तरीके से, किसी जमाने में अंग्रेजों का राज था, वह कोई ऐसा कानून लाते थे जो हमारे हितों के खिलाफ पड़ता था, वह +++ होता था। उस जमाने को काला पानी आज हमारे देश का हिस्सा है...(व्यवधान) आप सुनिए, साहब।

**श्री अमराराम** (धोद) : सभापति महोदय, वह भी जनता का नाम लेकर कर लगाते थे। वह भलाई का ही नाम लेते थे।

**श्री रामस्वरूप** : सभापति महोदय, इनके राज में हमेशा +++ हुए इसलिए इनको +++ ही नजर आता है।

**श्री सभापति** : जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार कोई भी +++ नहीं ला सकती। अब आप बोलेंगे तो मैं आपका मुंह तो बंद कर नहीं सकता।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सभापति महोदय आपने इस +++ पर आपत्ति की है तो मैं इसको विलोपित करा देता हूं।

**श्री सभापति** : ठीक है। Thank you, very much.

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : अच्छा। अब यह जो टैक्स देना पड़ेगा उसकी दर क्या होगी, किस दर पर देना पड़ेगा ? जो व्यक्ति परचेज करेगा, मान लो सौ रुपये की चीज खरीदी उसने तो उस रकम पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स किस पर लगेगा ? सौ रुपया तो उसकी परचेज प्राइस है उसका लगेगा और यदि कोई मजदूरी दी, कोई ट्रक भरा दिया उसका भाड़ा माल भराने की मजदूरी दी वह उसमें जुड़ जायेगी। जिस गाड़ी या ठेला से वह ले जायेगा उसका किराया, उस पर टैक्स लगेगा। अगर कोई उसने इंश्योरेंस कराया है तो वह भी जुड़ जायेगा। यदि कमीशन किसी ने चार्ज किया है उसको मिलाकर जो टोटल अमाउण्ट होगा उस पर टैक्स लग जायेगा। I think I am clear. यह खरीद कीमत पर नहीं है। खरीद कीमत में ये खर्चे और जुड़ जायेंगे।

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तो जब यह जुड़ जायेगा तो मान लो जयपुर से किसी ने माल खरीदा। पुरोहितजी के कटला से कपड़ा खरीद कर ले गया वह। मजदूर को पैसे देगा, ठेली वाले को किराया देगा, बस का किराया देगा और वहां ले जाकर स्टैंड पर उतारेगा, वही खर्चा वहां करेगा, सब जुड़ कर उसकी प्राइस बनेगी उस रकम पर आप टैक्स लोगे और वह जब उसको आगे बेचेगा तो इसका यह खर्चा और जुड़ेगा।

मान लीजिए वह जयपुर से सीकर ले गया, जिला स्थान पर ले गया तो उसकी प्राइस इस प्रकार तय होगी और सीकर से कोई मण्डावा ले गया तो वह जो दुकानदार सीकर से ले जायेगा उसको यहां की प्राइस पर टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार सीकर के व्यापारियों ने जो कीमत चुकायी है उसको मिलाकर उसको जोड़कर उस कीमत पर टैक्स देना पड़ेगा। अब आप उसको बहुत अच्छा कानून बता दीजिए, जनहित का बता दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है परन्तु कठिन स्थिति आयेगी इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको लगाइये मत। पहली बात तो यह मुझे मालूम है कि आप इसको लगायेंगे क्योंकि आपका बड़ा बहुमत है। वह आप जानें फिर इसके परिणाम तो आप भोगोगे लेकिन जनता इससे दुःखी होगी इसलिए यदि आप इसको लगायें भी तो एक बिन्दु पर लगा दीजिए और जिस व्यक्ति का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम दस लाख रुपया है उसी पर लगाइये आप। उस गरीब को तो मत मारिये। यह मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन है। यह पान के दुकानदार पर भी लगेगा क्योंकि वह इतना तो बाहर माल ले ही जाता है क्योंकि उस गांव में तो कोई भी चीज पैदा होती ही नहीं हैं, बड़े शहरों में तो कई चीजें पैदा होती है, खरीद वहीं से हो सकती है लेकिन छोटे गांवों में तो बाहर से ही माल ले जायेगा और यदि एक लाख वार्षिक टर्न ओवर उसकी हो गयी तो उसे टैक्स देना पड़ेगा और जो कीमत मैंने बतायी है उस पर देना पड़ेगा तो रेट तो बढ़ेगी ही। आपको लगाना ही है वैसे तो मैं इसका विरोध करता हूं लेकिन सिंगल पाइन्ट पर लगाइये और दस लाख रुपये की वार्षिक टर्न ओवर है उसके ऊपर लगाइये इसलिए यह मेरा संशोधन है। मेरा तो आपसे निवेदन है। आप करो तो आपकी मर्जी है।

**श्री सभापति** : डा. किरोड़ी लाल। (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, मुझे यह लगता है कि जब से यह सरकार बनी है, मध्य प्रदेश की सरकार की कार्बन कापी की तरह चल रही है। मैं आपका ध्यान इस एक्ट के उद्देश्य और कारण का कथन, जो इसके साथ लगाकर दिया है उसकी दो लाइनों की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपने लिखा है कि "राज्य के राजस्व का संवर्द्धन करने और ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में विकास

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की बढ़ी हुई अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने आवश्यक हैं। मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों ने पिछले लगभग 20 वर्षों के दौरान विक्रय कर विभाग की सहायता से प्रवेश कर प्रवर्तित किया है।" दूसरी तरफ वित्त मंत्रीजी अभी बड़ी तेजी से खड़े हुए और इन्होंने यह कहा कि हम तो विदेशी शराब पर लगा रहे हैं, लाटरी पर लगा रहे हैं, अफीम पर और पोस्त डोडा पर लगा रहे हैं तो वित्त मंत्री जी, लाटरी तो राजस्थान में बन्द है और अफीम, पोस्त डोडा और विदेशी शराब, ये आबकारी विभाग के परव्यू में आते हैं। आप उद्देश्यों में तो लिख रहे हैं कि "राज्य के राजस्व और ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के विकास के संवर्द्धन के लिए" इसका अर्थ यह हुआ वित्त मंत्रीजी, यह कानून जिसको अभी सभापति महोदय ने कहा कि +++ तो नहीं कहेंगे पर इसको मैं चन्दन मलजी बैद कानून जरूर कहूंगा क्योंकि आने वाला इतिहास आपको याद रखेगा। यह कानून आप इसलिए लाना चाहते हो...

**श्री सभापति** : यह उचित बात कही है आपने।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : ...अधिकार तो आप ले ही लोगे अभी। अधिकार लेने के पश्चात् माननीय वित्त मंत्रीजी, फिर आपको जिस तरह अभी आपने नोटिफिकेशन जारी किया था इस कानून के साथ ही कि हम विदेशी शराब पर, लाटरी पर, अफीम, डोडा पोस्त पर लगा रहे हैं। फिर आपको एक अधिसूचना ही जारी करनी पड़ेगी और आप टैक्स लगाना चालू कर देंगे। यह चुंगी से खतरनाक है और मैं तो सीधे शब्दों में यह आरोप लगाऊंगा कि वित्त मंत्रीजी, जिस दिन चुंगी माफ करने की घोषणा उधर बैठे हुए आप पूर्व वित्त मंत्रीजी कह रहे थे तो आप यहां तड़फड़ा रहे थे और उस वक्त आपने कहा था कि सरकार पलायनवादी हो गयी है, सरकार भाग रही है जिस तरह विश्व युद्ध में पूरे असेट्स जलाये जाते थे–पुल तोड़ दिया, सड़क तोड़ दीं, मकान जला दिये उसी तरह सरकार जलाकर भाग रही है। आप यह क्या कर रहे हो ? वित्त मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है, मैं तो चाहता हूं कि अगली बार जब हम उधर आये तब भी आप यहां पधारें। पर अब आप उस बोर्ड पर है जहां राजस्थान के अन्दर आप इस तरह का दर्शन छोड़कर जा सकते हैं कि एक वित्त मंत्री आम व्यक्ति की पीड़ा को समझकर एक झटके से जो कर लगाया था उस कर को वापस ले लें। आज मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज की घोषणा करेंगे। मैं लम्बी चौड़ी बातों में नहीं जाऊंगा आपके इस एक्ट के सैक्शन 2 (जे) के अन्दर आपने लोकल एरिया डिफाइन कर दिया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन सारे नगरपालिका अधिनियम, 1959

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अधीन सारी नगरपालिकाएं, वह नोटिफाइड एरिया, मतलब रहेगा कौनसा ? मैं निवेदन करना चाहता हूं धोद से आने वाले माननीय सदस्य से, एक बार नहीं, यह चक्रवर्ती कर आप राजस्थान की जनता पर लगा रहे हैं और उसके साथ ही धारा चार के दो में रजिस्ट्रेशन कराना उसमें बहुत जरूरी होगा। एक लाख का टर्न ओवर, आज विधान सभा के सामने पान की दुकान खोले जो बैठा है, 300 रुपये की बिक्री तो उसकी है और 300 रुपये की बिक्री पर आप अधिकतम पावर ले रहे हैं। दस प्रतिशत तक टैक्स उस पर लगा दें और वह भी बाजार मूल्य का। वह खरीदता नहीं हैं। बाजार मूल्य का टैक्स। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब शायद आप यह कहेंगे कि हम तो विदेशी शराब पर और इन पर लगा रहे हैं और यह अधिकार भी शायद आप ले लेंगे और उसके बाद, उसके पीछे आपकी सोची समझी चाल है क्योंकि यह सब जानते हैं कि आप जब आते हो, रोज आपकी कलम में खुजलाहट चलती है कि कोई न कोई टैक्स कैसे राजस्थान की जनता पर लगाऊं तो वह अधिकार आपको मिल जायेगा। रोज एक नोटिफिकेशन, बैदजी के नाम से रोज एक नोटिफिकेशन। आज इस चीज के प्रवेश पर कर, आज इस चीज के प्रवेश पर कर, इसलिए भगवान के लिए आप इस राजस्थान की जनता पर कृपा करें और आज आप खड़े होकर कहें तो मैं समझता हूं एक संदेश जायेगा। खड़े होकर कहें कि यह प्रवेश कर जिस तरह का हम लगा रहे थे, गलती हो गई अधिकारियों से हालांकि मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि अब तो अधिकारी आपको निर्देशन देने लग गये। अधिकारियों से आप गाइड होने लग गये, नहीं तो पहले तो आप अध्ययन खुद करते थे। इसलिए कह दो कि अधिकारियों ने आपको गलत फहमी में रखा और इस टैक्स का मैं वापस ले रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आप करेंगे।

**श्री सभापति** : श्री शिवनाथ सिंह।

**श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : तुम्हारे भूतनी लग गई कांग्रेस की। हमारे भूत लग गया तुम्हारे भूतनी लग गई।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : सभापतिजी, मेरा भी प्रस्ताव है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक 1999 को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाये। सभापतिजी, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि इसमें कुछ प्रोविजन्स ऐसे हैं जो अच्छे भी नहीं हैं और जनहित के भी नहीं हैं। यह बिलकुल नया कानून हम सोच रहे हैं। पहले इसी लाइन पर आपका नगरपालिका क्षेत्रों में टैक्स था इसको आप कोई भी किसी भी नाम से कहो, वह टैक्स समाप्त हुआ और समाप्त होने के बाद तत्कालीन सरकार के सामने भी कठिनाई आई कि हम इस पूर्ति को कैसे करें। वास्तव

(श्री शिवनाथ सिंह)

में वित्तीय संकट है इसको कोई इन्कार नहीं करता और वित्तीय सकट को हल करने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, टैक्स लगाने पड़ते हैं। मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल पर जनता से राय ली जाये। अभी 5–6 रोज पहले जो हमने बिल वापस लिया वह जनमत के आधार पर हमने लिया। बिल हुआ असेम्बली में जनमत के लिए प्रसारित नहीं किया गया लेकिन उसके ऊपर जनता की प्रतिक्रिया हमारे सामने आई और राज्य सरकार ने जनभावनाओं का आदर करते हुए एक बहुत अच्छा कदम उठाया और वह वापस लिया, मैं इस बिल के सम्बन्ध में क्यों जनमत जानता चाहता हूं, इसमें आपसे निवेदन करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के प्रोविजन्स ऐसे हैं कि इसको या तो आप सलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए या जनमत से। तो आपके सामने एक भावना आयेगी, लेकिन बड़ा काम्पलीकेटेड बिल है और इस काम्पलीकेटेड बिल को यदि हम सुधार कर इस वक्त नहीं लेते हैं और आपाधापी में इसको पास कर देते हैं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे और हमको बारबार अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। मैं उन प्रोविजन्स की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं।

माननीय सभापतिजी, एक प्रोविजन आपने परिभाषाओं में किया है माल से समस्त प्रकार की जंगम सम्पत्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पशुधन आता है। मुझे पशुधन नाम से विशेष पीड़ा भी है और मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से, इसका मतलब क्या है। पशुधन को इस बिल के प्रोविजन्स में, परिधि में लाने के लिए हमारा क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्लाज से हम क्या करना चाहते हैं। इसी प्रकार, माननीय सभापतिजी जो अभी कहा गया उसको मैं पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं कि आक्ट्राय थी, नगरपालिका क्षेत्र में लगती थी। जो भी नगरपालिका क्षेत्र में रहते थे या नगरपालिका क्षेत्र के दुकानदारों से सामान खरीदते थे वह उसे देने के लिए बाध्य थे। लेकिन आपने जो किया है राजस्थान में पंचायत क्षेत्र, खास तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप नगरपालिका क्षेत्र में इसको कर रहे हैं वह जो नोटिफाइड एरिया है उसमें कर रहे हैं। वहां का वासी और पंचायत क्षेत्र का निवासी भिन्न–भिन्न असेट्स रखता है। इसलिए कोई भी पंचायत क्षेत्र में व्यवसायी है, छोटा व्यापारी है, छोटा धंधा करता है वह इससे प्रभावित होगा। लेकिन उससे अधिक प्रभावित वह ग्रामीण जनता होगी जिसको दोहरा टैक्स या तिहरा टैक्स देना पड़ेगा। जो भी सामान जयपुर शहर में एन्टर होगा, 10 परसेन्ट टैक्स या आपकी मेहबानी हो जाये तो उससे कम भी कर सकते हो आप, जयपुर में लगेगा।

(श्री शिवनाथ सिंह)

जयपुर में लगने के बाद किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में वह जायेगा सामान, उस पर 10 परसेन्ट टैक्स वहां फिर लगेगा। इसलिए, यदि मैं गलत हूं तो माननीय वित्त मंत्री महोदय अपने जवाब में इस बात को स्पष्ट करें कि टैक्स दुबारा नहीं लगेगा। सैल्स टैक्स है, वन पाइंट सैल्स टैक्स है। आज सैल्स टैक्स पैड आइटम्स हैं वह राजस्थान में कहीं भी लिये फिरो, हिन्दुस्तान में कहीं फिरो सेन्ट्रल टैक्स है, तो एक बार एन्ट्री हो गई, सैल्स टैक्स किसी व्यापारी ने चुका दिया, और सैल्स टैक्स पैड उस पर बिल बन गया उसका टैक्स दुबारा कहीं नहीं लगता है। हो सकता है मेरी समझ में नहीं आया हो। लेकिन वित्त मंत्रीजी से मैं जानना चाहता हूं कि यह टैक्स जहां–जहां भी व्यवहारी ले जायेंगे, थोक में यहां आयेगा, थोक का व्यापारी ले जायेगा, रिटेल का व्यापारी ले जायेगा तो क्या एक ही जगह लगेगा या दो–तीन जगह लगेगा। 2–3 जगह लगने का प्रावधान है तो मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रोविजन्स सैल्स टैक्स पर है उसी प्रकार के इस पर रखे जायें और एक बार टैक्स देने के बाद में दुबारा टैक्स नहीं लिया जाये। मैं बहुत समय नहीं लेऊंगा।

इसमें एक प्रावधान यह जो किया गया परिभाषाओं में, उसमें अपनी लेखा पुस्तिका का रखेगा, लेखा पुस्तिका रखेगा और फिर आपने इसके लिए सर्च का रखा है। इंस्पेक्टर सर्च लेगा। वह स्थान आपने रखे हैं जहां माल गोदाम रखता है, जहां वह व्यापार करता है, ठीक है वहां सर्च हो लेकिन व्यापारी कोई भी मनुष्य अपने बही खाते अपनी डायरी दुकान पर छोड़ कर नहीं जाता है वह रात को अपने घर पर ले जायेगा। आपने प्रावधान किया है कि जहां भी उसका लेखा बही मिलेगा वहां सर्च कर सकता है। आज प्राइवेट मकानों की सर्च होगी। आप उससे सोचिये कितनी पीड़ा लोगों को होगी। इसलिए आप इस प्रावधान को वही तक सीमित रखें जहां गोदाम हो, दुकान हो। पीड़ा की बात नहीं है लेकिन जहां वह अपने बही खाते रखेगा, रात को अपने साथ ले जायेगा, सुबह वापस ले जायेगा, उन स्थानों की भी सर्च आपके अधिकारी कर सकते हैं यह मेरे ख्याल से तो अच्छा नहीं है।

इसी तरह से माननीय सभापतिजी, बीजक मूल्य और दूसरा मूल्य कर निर्धारण अधिकारी उसका निर्धारण करेगा। अपनी मर्जी से करेगा और उसकी आपने कोई अपील नहीं करी है। आपने इस बिल के प्रोविजन्स के अन्दर जो भी अधिकारी कोई कार्यवाही करेगा उसको अदालतों की परिधि से बाहर रखा है। वित्त मंत्रीजी कहेंगे कि हमने हाई कोर्ट में प्रावधान रखा है, सुप्रीम कोर्ट में रखा है। सभापतिजी जिसके 5 हजार, 7 हजार टैक्स लग गया है, वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा।

(श्री शिवनाथ सिंह)

स्थानीय अदालतें जो हैं उसके अधिकार क्षेत्र को आप इस बिल के द्वारा अलग करना चाहते हो, यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और जो सिविल न्यायालयों का अधिकार है उस अधिकार क्षेत्र को इस बिल के द्वारा आप अलग करना चाहते हो, यह भी कोई अच्छा प्रावधान नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी व्यापारी एक लाख से अधिक टर्न ओवर करता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। इनकम टैक्स में भी एक प्रावधान पहले दिनों में था, अब भी है कि जो 1400 रुपये इन्कम टैक्स के भर दे उसको रिटर्न नहीं पेश करनी पड़ती है। इसमें तो व्यापारी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और एक बार उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसका पिंड मेरे ख्याल से जन्म भर छूटने वाला नहीं है। दूसरे प्रोविजन्स और हैं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा। (व्यवधान) हां, पास तो होगा ही। इसलिये किस–किस माल पर यह कर लगेगा यह भी इस बिल में स्पष्ट नहीं है। आपने कहा, शराब वालों पर, अफीम वालों पर टैक्स लगायेंगे तो इसमें मेरे ख्याल से वह प्रोविजंस नहीं है। माल में उसको सिर्फ उन्हीं माल तक आप रखें तो समझ में आने वाली बात है और मैं उसका समर्थन करूंगा लेकिन आपने तो माल में पशुधन तक को शामिल कर लिया इसलिये वह अवधारणा हमारी जो बनती है कि यह पीड़ादायक है तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ (व्यवधान) माल में पशुधन भी शामिल कर लिया। इसलिये माननीय सभापतिजी, मेरे अमेंडमेंट का मैं भाग्य जानता हूं मुझे अमेंडमेंट वापस लेना पड़ेगा। लेकिन मैने अपनी बात कही और माननीय वित्त मंत्रीजी, इन बातों को सोच कर इस वक्त नहीं कर सकें तो फिर एप्रोप्रिएट समय हो उसमें इन प्रोविजंस को देखकर उसको ठीक करने की चेष्टा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री विजयेन्द्रपाल सिंह।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** (आसीन्द) : सभापति, The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Bill, 1999 प्रस्तावित है, कुछ समय पहले जो आक्ट्राय लगायी थी और हमारी सरकार ने जो इसको हटायी, यह उसका ही एक रूप है और हमने तो हटायी है, यह लगाने जा रहे हैं। इसके अन्दर जो बड़ी कमियां हैं क्योंकि कोई भी टैक्स मल्टी पाइंट नहीं होना चाहिये। इसके अन्दर दो इश्युज हैं, एक तो लोकल गुड्स, एक स्टेट के बाहर से आए जो गुड्स। जो बाहर से स्टेट से आते हैं जयपुर में आ जाए या सीधा सीकर आ जाए, या कोई गांव में आ जाए, टैक्स दे दे, आप रखना चाहे तो रखें पर जयपुर में लायें, उस पर टैक्स दिया जाए, यह तो बाहर से जो सामान आ रहा है। फिर सीकर में इसमें ट्रंसपोर्टेशन भी, वहां से भी जो आया उसको मिलाकर उस पर टैक्स दिया जयपुर से

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

माल गया सीकर, सीकर से गया गांव, क्योंकि आपने इसमें डेफिनेशन के अन्दर दिया है :

" 'Local area' means the area within the limits of, -(i) a panchayat established under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, ... " म्युनिसिपैलिटी आ गया। मेरा निवेदन है कि एक तो बाहर से जो आए एक बार टैक्स दे दिया तो न्यायसंगत है क्या अगेन टैक्स दिया जाए। फिर गांव में जाए, फिर टैक्स दिया जाए। ट्रांसपोर्टेशन भी, वहां से जयपुर तक पहुंचे और सीकर तक पहुंचे, सब पर टैक्स दिया जाए। क्या वह न्यायसंगत है यह कहीं होता है क्या ? मल्टी पाइंट होता है क्या ? एक तो यह।

नम्बर दो जो पाइंट है कि लोकल सामान जयपुर के अन्दर ही बनता है, गांव में ही बनता है, एक पंचायत से दूसरी पंचायत में आप ले गये। उस पर टैक्स एक बार ले लें। फिर वह तीसरी जगह जाए फिर ट्रांसपोर्टेशन एड होगा, फिर टैक्स लगेगा। यह भी न्यायसंगत है क्या ? क्या यह काम्पीटिशन मतलब जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, साबुन है या कुछ भी बनाता हो, यह बड़ी चीज बनाता हो, वह काम्पीटिटिव रहेगा ही। तो यह 2–3 तो बहुत ही इम्पोर्टेन्ट इश्युज हैं। एक क्या आप आक्ट्राय के अन्दर तो एक बार जितना म्युनिसिपैलिटी देती थी वह टैक्स ले लेते थे और उन पर भी छोड़ रखा था, डिसक्रिशन भी उनके पास था। यहां पर आप इंस्पेक्टर राज पनपा रहे हैं कि नहीं। दुनिया में तो आप सब जगह इंस्पेक्टर राज खतम करने के लिये, और आप तो इतने समझदार हैं वित्त मंत्रीजी, क्यों यह इंस्पेक्टर राज पनपाना चाह रहे हैं और अगर आप रखना ही चाहते हैं, मैं तो खिलाफ हूं, पर अगर आप रखना ही चाहते हैं तो सिंगल पाइंट पर आप करें और यह न्यायसंगत रहेगा, इतना ही मेरा निवेदन है। आगे और बोलूंगा।

**श्री सभापति** : धन्यवाद। श्री अमराराम चौधरी।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी देश या प्रदेश का जो कानून बनता है वह जनता की हैबिट्स, कस्टम एंड कंवेंशन के आधार पर बनता है और जनहित में होना चाहिये। यह आप जो कानून ला रहे हो इससे जनता के हितों पर कुठाराघात होता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। आज छोटे व्यापारी जो गांव में रहता है और जिसका टर्न ओवर एक लाख रुपये के लिये बताया गया है अब एक लाख रुपये का टर्न ओवर है उससे उसकी इन्कम क्या होगी। आज जगह–जगह बेरोजगारी फैल रही है और लोग गांव छोड़कर शहर में नहीं आना चाहते हैं तो वह जो गांव में रहता है आदमी, उस पर यह भार बढ़ेगा। उसको सारा हिसाब–किताब रखना पड़ेगा और आये दिन इंस्पेक्टर वहां जाकर उसकी वहियां चैक करेगा। इस प्रकार से

(श्री अमराराम चौधरी)

उसको कानूनी सलाह के लिये फिर शहर की ओर भागना पड़ेगा। सैल्स टैक्स के वकील को करना पड़ेगा। इस प्रकार उसका जो भी कोई मुनाफा होगा, वह नहीं होगा क्योंकि इतनी महंगी वस्तु हैं। जो कोई भी वस्तु होती है, अर्थशास्त्र का एक नियम है कि सस्ती जो होगी उसकी मोर सैल होगी, उतनी बिक्री ज्यादा होगी और जो महंगी होगी, आप कितना भी टैक्स लगाओगे, वह बिक्री कम होगी। आज एक साबुन है। साबुन पर टैक्स लगाया, दुबारा टैक्स लग गया और उस पर अगर 6 रुपये में न मिलकर के 10 रुपये में मिल रही है तो उस साबुन को लोग नहीं खरीदेंगे तो उसका विक्रय कम हुआ। इसलिए यह जो टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं इससे यहां महंगाई बढ़ेगी और यह आम जनता, गांव में रहने वाली जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार कीजिये। यह पहले जो कर था चुंगी टैक्स उससे भी यह ज्यादा खराब टैक्स होगा और गांव-गांव के अन्दर इस प्रकार सारे छोटे-छोटे व्यापारियों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि आप एक नया कर लगाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। इसीलिए इसमें सुधार किया जाए। अफीम है, शराब है, यह लाटरी तो आपने बन्द ही कर रखी है, उसको आपने हटा दिया। जैसे माननीय राजेन्द्र सिंहजी ने फरमाया कि यह तो आबकारी के क्षेत्राधिकार का है। उनका क्षेत्र लिमिट होता है और वह एन.डी.पी.एस. एक्ट का, शराब, का जो एक्ट है उस के तहत है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन जो छूट आपको देनी चाहिये थी, जो गांव में रहने वाले लोगों की जो जरूरतमंद वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनके लिये आप यह लगा रहे हैं। अगर लगाते भी हैं तो कम से कम यह लिमिट भी 10 लाख टर्न ओवर की होनी चाहिये। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री ज्ञानदेव आहूजा। (अनुपस्थित), श्री रामसिंह कस्वां। (अनुपस्थित), डा. रतन लाल। (अनुपस्थित), श्री जयदेव प्रसाद जी।

**श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया** (रतनगढ़) : "तमसो मा ज्योतिर्गमय" भगवन् मुझे अंधकार से छुटकारा देकर प्रकाश की ओर ले चलो। सदन के अन्दर कर के बारे में जो चर्चा हो रही है बहुत रोचक है, लेकिन न्याय संगत नहीं हैं। मेरी अपनी यह मान्यता है कि न्यायिक दृष्टि से किसी भी उत्पादन पर एक ही दफे टैक्स लगना चाहिए। बार-बार टैक्स लगाने से जो अंतिम खरीददार व्यक्ति है, जो गांव में बैठा है उसको आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए, माननीय सभापति जी, मैं किसी से निवेदन नहीं कर रहा, मैं एक जन-प्रतिनिधि के नाते यह कहना चाहता हूं कि प्रान्त में किसी भी चीज पर एक ही दफे टैक्स लगना चाहिए, बार-बार नहीं लगना चाहिए।

**श्री सभापति** : प्रवर समिति। श्री सांवर लाल (अनुपस्थित)।

श्री अमराराम (धोद)।

**श्री अमराराम** (धोद) : माननीय सभापति महोदय, आप जो प्रवेश कर का एक्ट लेकर के आये हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने जब चुंगी समाप्त की थी और दूसरे ही रोज यही प्रवेश कर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आयी थी, उस समय वित्त मंत्री जी प्रतिपक्ष में विराजते थे। हम भी प्रतिपक्ष में थे। आप उस समय तो उसका विरोध कर रहे थे और तत्कालीन सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया था कि यह प्रवेश कर वापस ले और आज जब आप सत्ता में आ गये, वित्त मंत्रीजी हैं, तो वही प्रवेश कर, जो तत्कालीन सरकार लगाने जा रही थी, उसको आप राजस्थान की जनता पर लगाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, इससे एक ही लक्ष्य प्राप्त होता है या दिखता है कि यह सरकार जो आज सत्ता में बैठी हुई है, जब प्रतिपक्ष में बैठती है तो अलग से सोचती है, और जब सत्ता में आ जाती है तो उस समय यह जायज हो जाता है। विपक्ष में बैठती है तब नाजायज हो जाता है। आज आप जो यह प्रवेश कर का एक्ट लेकर के आये हैं निश्चित रूप से जो इनडाइरेक्ट टैक्स है यह राजस्थान की आम जनता की जेब काटने का तरीका है। अगर आप लगाना ही चाहते हैं, अगर आप यही मानते हैं, आपकी वर्तमान सरकार यह मानती है कि तत्कालीन सरकार ने चुंगी कर समाप्त किया वह गलत है तो क्यों नहीं आप चुंगी कर लगा देते। लेकिन उससे तो आप बचना चाहते हैं और प्रवेश कर के नाम से जो चुंगी केवल म्युनिसिपैलेटी में लगती थी आप उससे भी आगे बढ़कर पूरे के पूरे राजस्थान में चाहे वह म्युनिसिपैलेटी हो, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो, उन तमाम में और उससे भी आगे बढ़कर के आपने प्रवेश कर शुल्क को उन पशुओं तक की बिक्री पर भी लगा रहे हैं उसको और बढ़ाना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जहां भी पशु मेला होता है, जहां किसान अपने पशु बेचकर आता है, निश्चित रूप से उस पर कर लगता है। आप दूसरा कर और लगाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसको हतोत्साहित करने का, जो राजस्थान के किसान का खेती के अलावा जो पशुपालन का धंधा है, वह बहुत बड़ा, किसान की आजीविका का साधन है उसको आप हतोत्साहित करने के लिए यह कर, कर निश्चित रूप से लगाये जाने चाहिए लेकिन जिन पर लगाना चाहिए उन पर तो आप लगाना नहीं चाहते। जो बड़े–बड़े शहरों में एयरकंडीशन में चलते हैं, एयरकंडीशन कारें रखते हैं, एक– एक परिवार में 8–8 हैं। उन पर डाइरेक्ट टैक्स लगाने से तो आप पीछे हटते हैं और इनडाइरेक्ट टैक्स लगाकर जो जनता आज राजस्थान की संगठित नहीं है, विरोध नहीं कर सकती है उससे आप वसूल करना चाहते हैं और आपने जो

(श्री अमराराम)

यह प्रोविजन किया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वह जा सकता है। छोटे से छोटा व्यवसाय करने वाला जिस पर आप टैक्स लगायेंगे उनको लोअर कोर्ट में जाने की आप छूट नहीं देंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की छूट देंगे। माननीय सभापति महोदय, आप क्या बता सकते हैं, आज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी रिट दायर करेगा तो उसके वकील की फीस, जो वह खड़ा करेगा हाई कोर्ट में, 10 हजार से कम नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट में 25 हजार से कम नहीं होगी। तो यह इस बात की छूट दी जा रही है कि जो बड़े व्यापारी हैं, जो राजस्थान में बड़े व्यापारी हैं वह तो कोर्ट में जाकर इस कर से फिर बच जायेंगे। लेकिन जो छोटे व्यवसायी हैं राजस्थान के, चाहे वह शहरों में हैं, चाहे वह गांवों में हैं उनको लूटने का इरादा सरकार का है। इसलिए इस प्रारूप में इसको पास नहीं करके राजस्थान की जनता को लूटने की जो मंशा इस कानून के द्वारा राजस्थान सरकार ने जतायी है, यह निश्चित रूप से पास नहीं करके एक समिति बनायी जानी चाहिए और इसके सामने रखा जाये।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, कोई सरकार लूटने का काम नहीं करती है।

**श्री अमराराम** (धोद) : यह तो लूटने का ही है। सभापति महोदय, इससे ज्यादा लूट और क्या होगी ?

**श्री सभापति** : कानून के जरिये कोई...

**श्री अमराराम** (धोद) : या तो बैद जी अभी उत्तर देंगे, बता दें।

**श्री सभापति** : कानून के जरिये कोई चीज लगायी जायेगी उसको आप लूट नहीं कह सकते है।

**श्री अमराराम** (धोद) : सभापति महोदय, इससे बड़ी लूट क्या होगी ? सरकार कोई भी हो चाहे वह आजादी के पहले थी वह भी यही कहती थी, जो टैक्स लगाती थी यह कहकर के लगाती थी कि हम जनता की भलाई के लिए टैक्स लगा रहे हैं और भलाई कैसे होगी ? भलाई का नक्शा आज हमारे 50 साल की आजादी के बाद है कि 38 प्रतिशत लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। मंत्री जी, यह भी बता दें कि यह जो प्रवेश शुल्क लगायेंगे इसका असर उस 38 प्रतिशत जनता पर जो राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है उन पर सबसे ज्यादा असर होगा और जो बड़े लोग हैं, जो व्यवसाय करने वाले हैं उनको तो आपने इसी एक्ट में छूट दे दी कि वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिलीफ ले लेंगे। छोटा सा व्यवसाय, आज नौकारी दे नहीं सकते, नौकरी लगी हुई है उनको रख नहीं सकते, उनको तो निकालने की बात कर रहे हैं और उन पर यह टैक्स लगाकर जनता को निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि लूटने का काम करेंगे और आपका जो दोहरा चरित्र है, कथनी और करने में जो अंतर है, निश्चित रूप से

(श्री अमराराम)

राजस्थान की जनता इसका मुकाबला करेगी। इसलिए इस एक्ट को प्रवर समिति को सौंपा जाये जिससे इस पर और विचार किया जा सके।

**श्री सभापति** : श्री मदन दिलावर।

**श्री सांवर लाल** : सभापति महोदय, मेरा नाम था।

**श्री सभापति** : नहीं आप अबसेन्ट थे।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : अब तो आ गये हैं।

**श्री सभापति** : माननीय मंत्री महोदय।

**श्री सांवर लाल** : सभापति महोदय, मैं हाजिर हो गया हूं।

**श्री सभापति** : आप को बोलने का मौका दूंगा, नैक्स्ट टाइम आगे इसी में थर्ड रीडिंग में आप अपनी बात कह सकते हैं।

**श्री चन्दम मल बैद (वित्त मंत्री)** : माननीय सभापति महोदय, इस बिल के बारे में कई भ्रांतियों का जिक्र किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल नोटिफाइड वस्तुओं पर ही एन्ट्री टैक्स लगेगा न कि हरेक वस्तु पर। अतः यह कहना कि हर वस्तु पर लगेगा, गलत है। नोटिफाइड अभी तक हमने 3 वस्तु की है। विदेशी शराब, ओपियम, लाटरीज।

आप कहते हैं कि लाटरीज हमारे यहां बंद हैं। हमारे यहां तो बंद हैं लेकिन अरूणाचल प्रदेश की तो है, वह आ रही हैं हमारे यहां। हम एन्ट्री टैक्स लगा रहे हैं, हमारे यहां टैक्स नही लग रहा है। हरियाणा की, नागालैण्ड की, अरूणाचल की लाटरी आ रही हैं उस पर हम टैक्स लगा रहे हैं। इसलिए यह कहना कि हर चीज पर टैक्स लगेगा, यह गलत है। दूसरी बात यह कही गयी कि 10 लाख रुपये पर लगाओ, एक लाख पर मत लगाओ। सैल्स टैक्स के लिए एक लाख की सीमा है। एक लाख से ज्यादा व्यापार, एक लाख का जो व्यापार करता है उसको सैल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसी वास्ते इस पर भी एक लाख टर्न ओवर और वह एक लाख का टर्न ओवर नोटिफाइड चीज का होगा तब होगा। मान लीजिये एक लाख का टर्न ओवर उसका विदेश शराब का होगा, एक लाख का टर्न ओवर उसका ओपियम का होगा, एक लाख टर्न ओवर उसका लाटरीज का होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो चीज हम नोटिफाइड करेंगे उस चीज का टर्न ओवर उसका अगर एक लाख के ऊपर होगा तब उसको अपने आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।

10 परसेन्ट तो अधिकतम है, एक परसेन्ट भी लगा सकते हैं, दो परसेन्ट भी ले सकते हैं, आधा परसेन्ट भी ले सकते हैं। 10 परसेन्ट तो हाइएस्ट लिमिट है। इस वास्ते यह कहना कि 10 परसेन्ट टैक्स लग गया, गलत है।

तीसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कही गयी है कि यह हर जगह टैक्स

(श्री चन्दन मल बैद)

लगेगा। एक जगह एंटर हो गया टैक्स लग गया, दूसरी जगह एंटर पर दें। सभापति महोदय, हमारी यह मंशा नहीं है। हमने इसके क्लाज-9 में एग्जम्पशन फ्रोम टैक्स दे रखा है।

"Not withstanding any thing contained in this Act, where the State Government is of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt from tax payable under the Act on entry of goods into local area fully or partially, whether prospectively or retrespectively."

(16.00 बजे)

मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस क्लाज के नीचे हम नोटिफिकेशन इश्यू करके यह निश्चित कर देंगे कि टैक्स एक ही जगह लगेगा। एक जगह जहां टैक्स लग गया है, सारे राजस्थान में उस पर दूसरी जगह टैक्स नहीं लगेगा। मैं समझता हूं कि इतनी बातें कहने के बाद बहुत-सी बाते साफ हो गई होंगी और आप लोगों की भ्रांतियां भी दूर हो गई होंगी कि यह ऑक्ट्राय का स्थान नहीं ले रहा है। यह आप विश्वास रखिए। यह केवल प्रदेश में जो एन्टर होने वाली चीजें हैं, जिन पर हम टैक्स लगाना चाहते हैं जिन पर 50 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते। (व्यवधान) सेल टैक्स, एक बार कह दिया मैंने, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना हूं कि नोटिफिकेशन के द्वारा सैक्शन (नो) के क्लाज (नौ) के नोटिफिकेशन के द्वारा यह निश्चित कर दिया जाएगा कि एक जगह टैक्स लग गया उस पर दुबारा टैक्स नहीं लगेगा, सेल टैक्स की तरह। (व्यवधान) जी हां, जी हां, जी हां, (व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए, विद्वान साथी, मुझे बोलने दीजिए। टैक्स तभी लगेगा जब कन्जम्प्शन, सेल या यूज के लिए लोकल एरिया में आएगा, लोकल एरिया को हमने डिफाइन किया है लेकिन एक दफे ही लेंगे, वह चाहे लोकल एरिया नगरपालिका का हो, चाहे लोकल एरिया पंचायत समिति का हो, चाहे लोकल एरिया ग्राम पंचायत का हो, चाहे लोकल एरिया शहर का हो, एक जगह जहां एन्टर हो गया या जहां कन्जम्प्शन के लिए आ गया, उससे हम टैक्स ले लेंगे, उसके बाद दूसरी दफा टैक्स नहीं लेंगे। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वास्ते जो भ्रांतियां आपने बताई हैं, उन भ्रांतियों को मैंने दूर किया है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अब इसमें कोई भ्रांति नहीं रही।

**श्री सभापति** : अब क्या स्थिति है आपके संशोधन प्रस्ताव की, वापस ले रहे हैं ?

**श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : सभापति जी, एक मिनट। आपने यह फरमाया कि नोटिफाइड चीजों पर ही लगेगा, तीन चीजें आपने गिनाई हैं, यह एक्ट में कहीं है नहीं,

(श्री शिवनाथ सिंह)

आपका नोटिफिकेशन होगा, कल को उस नोटिफिकेशन में घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है इसलिए यह जो नोटिफाइड शब्द है, एक्ट में अपने आपमें प्रोविजन हो जाता कि इन–इन चीजों पर हमारा मन है, इनको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं तो यह बात स्पष्ट होती लेकिन आज तो आपने जो तीन चीजें, चार चीजें गिनाई हैं, उनको नोटिफाई कर दिया, आगे उस नोटिफिकेशन में नोटिफाइड चीजें और नहीं बढ़ेंगी, यह क्या गारंटी है, दूसरा आपने जो तीन–चार चीजें गिनाई हैं फिर पशुधन को डेफिनेशन में लाने की क्या आवश्यकता है ? इसलिए मैं चिंता व्यक्त कर रहा हूं कि पशुधन पशु मेले में जाता है तो उस पर पशु मेला टैक्स लगता है, आज कोई भी पशु 15 हजार से कम का नहीं है, 10 प्रतिशत आपने लगा दिया, पन्द्रह सौ रुपये एक ऊंट की कीमत पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए नोटिफाइड जो शब्द आपने कहा, यह तो फिर वह है तो फिर पशुधन को डेफिनेशन में लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जब आप उनके लगा ही नहीं रहे हो।

**श्री सांवर लाल** : सभापति महोदय, मैं आ गया हूं।

**श्री सभापति** : आपको थर्ड रीडिंग में टाइम दूंगा, अब तो हो गया।

**श्री चन्दन मल बैद** : थर्ड रीडिंग ही नहीं है।

**श्री सांवर लाल** : दो मिनट दे दें।

**श्री सभापति** : नहीं, अब तो हो गया, जवाब नहीं, उत्तर ही आ गया, अब नहीं। प्लीज माफ करो। तृतीय वाचन में मैं आपको टाइम दूंगा।

**श्री चन्दन मल बैद** : सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई एक्ट बनता है तो उसमें अधिकार लिए जाते हैं। हम एक्ट बनाते वक्त आने वाली सरकारों पर, आने वाले लोगों पर यह पाबंदी नहीं लगा सकते कि वे किस चीज पर एन्ट्री टैक्स लगाएं, किस चीज पर नहीं लगाएं। हमने जो भी निकाला है नोटिफिकेशन, तीन चीजों का निकाला है। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे बाद में आने वाला वित्त मंत्री या कोई दूसरा वित्त मंत्री, आदमी, तीन से चार पर लगाएगा, पांच पर नहीं लगाएगा, छह पर नहीं लगाएगा, यह सम्भव नहीं है। सेल टैक्स में भी नोटिफिकेशन का है तो किस–किस चीज पर कितना–कितना सेल टैक्स लगेगा, यह बात एक्ट में नहीं आती है, नोटिफिकेशन से ही होता है, तो नोटिफिकेशन सरकार के डिस्क्रिशन पर हमको छोड़ना ही पड़ता है, और वह डिस्क्रिशन पर हर सरकार छोड़ती है। यही नहीं है, हर जगह जहां भी कानून बनता है वह नोटिफिकेशन का डिस्क्रिशन तो सरकार का छोड़ा ही जाना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अभी आपने कितनी चीजों का नोटिफिकेशन निकाला है ?

**श्री चन्दन मल बैद** : अभी तीन चीजों का नोटिफिकेशन निकाला है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अभी तीन का निकाला है, आप तो नहीं जाओगे न, आपका तो कमिटमेंट है न सदन में, आपका तो कमिटमेंट है न कि आप तीन चीजों के अलावा चौथी चीज पर टैक्स नहीं लगाएंगे।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : पशुधन को तो एग्जम्पशन देंगे न ? यह पूछ रहा हूं।

**श्री शिवनाथ सिंह** : पशुधन को एग्जम्प्शन नहीं दिया, आप कह दें पशुधन का नहीं होगा।

**श्री सभापति** : मंत्री महोदय ने नोटिफिकेशन में तीन चीजों का जिक्र किया है, अब उनको भविष्य के लिए कैसे बाध्य करेंगे ?

**श्री शिवनाथ सिंह** : पशुधन को डेफिनेशन में क्यों लिया गया है, यह कह रहा हूं मैं तो। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

माननीय अमरारामजी, क्या पोजीशन है आपके संशोधन प्रस्ताव पर ? वापस ले रहे हैं ?

**श्री अमराराम** (धोद) : लेने की क्या जरूरत है ?

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

मेरा अनुमान है कि ना पक्ष जीता। विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने का संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश : विचार

खण्ड 2

## विधेयक पर खण्डशः विचार

**श्री चन्दन मल बैद** : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करने में कुछ गलतियां रह गई थी, इस वास्ते मैंने कुछ संशोधन उनको सुधारने के लिए दिए हैं, इस वास्ते वे संशोधन कोई मैटीरियल नहीं है, अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करने में कुछ गलतियां रह गई, उन गलतियों को सुधारने के लिए मेरे कई संशोधन हैं, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : ठीक है तो। खण्डशः विचार। खण्ड–2, श्री भंवरलाल शर्मा।

**श्री सांवर लाल** : सभापति महोदय, मैं पहले बोल दूं ?

**श्री सभापति** : भंवरलालजी, आप अपने अधिकार को फोरगो कर रहे हैं ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : नहीं, नहीं, मैं फोरगो नहीं कर रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं।

**श्री सभापति** : नहीं, नहीं, आपको बोलना हो तो बोलिए।

**श्री सांवर लाल** : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे बार–बार निवेदन कर रहा हूं।

**श्री सभापति** : आपका नाम नहीं है खण्डशः विचार में।

**श्री सांवर लाल** : पहले था।

**श्री सभापति** : पहले ,वाला माननीय सदस्य...

**श्री सांवर लाल** : मैं डिस्कशन के टाइम में हाजिर हो गया था।

**श्री सभापति** : आपको विस्तृत चर्चा के लिए तृतीय वाचन में टाइम दे दूंगा। श्री भंवरलाल शर्मा। आपको अच्छा मौका मिलेगा उसमें बोलने के लिए। यह तो एक ही खण्ड है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय सभापतिजी यह जो कर लगा है, जिसका नाम ही एण्ट्री टैक्स है, यानि जो कोई सामान किसी एरिया में आएगा तब टैक्स लगेगा और ठीक कहा किसी ने कि यह वास्तव में चुंगी कर के बजाय आपने इसको रखा है। जब चुंगी समाप्त हुई थी तो सरचार्ज के नाम से टैक्स लगाया था अब कोई अधिकार नहीं है कि आप दुबारा टैक्स और लगाएं। आपने जैसा कहा कि यह केवल एक ही बार लगेगा, आपका जो एक्ट है, आपने जो बिल पेश किया है, उसमें यह व्यवस्था नहीं है।

**श्री चन्दन मल बैद** : मैंने क्लाज (नौ) की तरफ इशारा किया था और सदन को विश्वास दिलाया था, इतने पर भी आप नहीं मान रहे हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : कानून में अगर उल्लेख नहीं है तो विश्वास का कोई क्या मतलब वही है।

**श्री चन्दन मल बैद** : यह लिखा है एग्जम्प्शन फ्रोम टैक्स, क्लाज (नौ) में लिखा हुआ है यह।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : कानून में बात लिखी जाती है, विश्वास से काम नहीं चलता है।

**श्री चन्दन मल बैद** : वह कानून में ही लिखी गई है, एग्जम्प्शन फ्रोम टैक्स, हटा दीजिए उसको।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मैं आ रहा हूं न उसी पर, आपने खुद ने कहा है

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कि हटाना सम्भव इसलिए नहीं है कि अगला कोई लगाए तो लगा सकता है।

**श्री सभापति** : राज की बात पर और भगवान की बात पर भरोसा रखना पड़ता है, विश्वास करके चलिए आप जो मंत्री महोदय ने कहा है।

**श्री चन्दन मल बैद** : मैंने सदन में अगर कोई आश्वासन दिया है तो भरोसा कीजिए कम से कम।

**श्री सभापति** : बिलकुल।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : कानून नहीं बनता है वह।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : Once the bill is passed, it is passed, the language employed in the Bill is final. Your assurance is immaterial. The court will not take congnizance of it.

**श्री चन्दन मल बैद** : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, लिखा हुआ है एग्जम्प्शन फ्रोम टैक्स और मैं जब कह रहा हूं कि मैं यह एग्जम्प्शन दूंगा इस क्लाज के नीचे कि एक बार टैक्स लग जाने पर दूसरी बार टैक्स नहीं लगेगा, तो सदन को यह मान लेना चाहिए।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं–नहीं, सदन तो मान लेगा वित्त मंत्रीजी, कोर्ट नहीं मानेगा। कोर्ट नहीं मानेगा अगर इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे।

**श्री चन्दन मल बैद** : नोटिफिकेशन को नहीं मानेगा, आप वकील हैं, यह कह रहे हैं कि कोर्ट नोटिफिकेशन को नहीं मानेगा ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आपके एश्योरेंस को नहीं मानेगा, अगर आप इस पर स्टिक कर दें तो ठीक है।

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं एग्जम्पशन दूंगा, नोटिफिकेशन निकालूंगा, उसको नहीं मानेगा कोर्ट ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : वह मानेगा।

**श्री चन्दन मल बैद** : वही तो मैं नोटिफिकेशन निकालने की बात कर रहा हूं, आप वकील होकर यह बात कह रहे हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : भगवान न करे, कल आप इस पोस्ट पर न रहें तो क्या होगा ?

**श्री चन्दन मल बैद** : भगवान न करे, कल मैं मर जाऊं तो क्या होगा ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : वो तो संभव नहीं है अभी। (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : नोटिफिकेशन आज निकल जाएगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : कल दूसरा निकलना मना है क्या ? कल दूसरा निकलना मना नहीं है।

**श्री सभापति** : इतना शंकित न रहो आप।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय व्यास जी जो बात कह रहे हैं, मैं भी यह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मानता हूं कि जो कानून लिखा जाता है उसका ही असर होता है। आप जो कह रहे हैं उसको हम मना नहीं करते, लेकिन कानून बना रहे हैं हम। जो कानून बना रहे हैं यह कानून तो हमेशा के लिए बनेगा। इसलिए इसमें मेरा निवेदन यह है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सेक्शन डाला वह लोकल एरिया का डाला है। लोकल एरिया को आपने डिफाइंड किया है कि जो कानून के अन्तर्गत नगरपालिकाएं गठित हुई हैं वो एरिया, पंचायत एक्ट के अंदर जो एरिया पंचायत में चला गया वो एरिया, तो आपके हिसाब से पूरा राजस्थान इसमें कवर हो गया, इसमें तो दो राय नहीं है। लोकल एरिया से मतलब यह है कि पंचायत और नगरपालिका क्षेत्र, मतलब पूरा राजस्थान इसमें कवर हो गया, यह बात क्लियर हो गई।

अब जो "डीलर" आपने कहा हैं। (व्यवधान) कन्टोनमेंट तो कोई है नहीं, है तो एकाध होगा, छोड़िये उस बात को।" 'Dealer' means any person who, in the course of business, whether on his own account or on account of principal or any other person, brings or causes to be brought into a local area." इसमें माननीय वित्त मंत्री महोदय, कोई भी व्यक्ति causes to be brought into a local area, लोकल एरिया का मतलब चाहे पंचायत क्षेत्र है, चाहे नगरपालिका क्षेत्र हो, उसमें जो माल लाएगा उस पर यह लागू होगा। अब यह एक बार ही देय होगा यह तो इसमें कहीं नहीं लिखा। वन पाइंट होगा, यह तो इसमें कहीं कवर होता नहीं है। वह जब भी लोकल एरिया में आएगा, लोकल एरिया का डिफाइन कर दिया, माल जब–जब भी आयेगा तो यह आपका टैक्स लगेगा, कानून की मंशा तो यह है। कानून जो आपपास करवा रहे हैं, उसमें तो लोकल एरिया में यदि एन्ट्री होती है तो टैक्स लगेगा।

फिर आपने "गुड्स" के बारे में डिफाइन किया कि किन पर लगेगा। 'Goods' means all kinds of movable property (other than newspapers, actionable claims, stocks, shares and securities) and includes livestock. यानी इन चीजों को छोड़कर जो मैंने 4–5 नाम लिये हैं उसके अलावा प्रत्येक चीज पर लगेगा और पशुधन पर भी लगेगा। अगर कोई व्यक्ति भेड़ ही बेचता है, बकरी ही बेचता है, क्योंकि ये व्यापार करने वाले बहुत से लोग हैं उस पर भी लग जाएगा। तो भेड़, बकरी बेचने वाला व्यक्ति इससे बचेगा नहीं। जो कारीगर जूतियां बनाता है वो जूतियां बनाने के लिए बाहर से क्या माल लाता है, खाल लाता है और कुछ लाता है अगर उसका भी वार्षिक टर्नओवर एक लाख हो गया तो उस पर भी लग जाएगा तो इसमें आपने कोई भेड़ वालों को छोड़ा नहीं, बकरी वालों को छोड़ा नहीं जूता बनाने वालों को छोड़ा नहीं, गाय, बकरी वालों किसी को नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

छोड़ा। (व्यवधान) छोड़ दिया तो अच्छा किया। इन पर भी लगेगा यह। इसलिए आपका यह कहना कि हम केवल तीन चीजों पर ही लगाएंगे, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप इन सब चीजों पर लगा सकते हैं, क्योंकि आपने इसको लगाने के लिए जो रास्ता निकाला है उसमें आपने यह तय किया है कि जिस चीज पर आप लगाना चाहेंगे, जब लगाना चाहेंगे, जिस एरिया में लगाना चाहेंगे आप लगा सकेंगे। यह अधिकार आपने ले लिया। जब यह अधिकार आपके पास आ गया तो कहां रुकावट है कि आप टैक्स नहीं लगायें। जिस गुड्स पर चाहेंगे उस पर टैक्स लगेगा, रेट आप तय करोगे, डेट आप तय करोगे और फ्रेट आप तय करोगे। तो आपका यह विश्वास दिलाना व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन जब हम कानून पास करते हैं तो कानून पास करते समय इस प्रकार की बात का कोई वजन हो नहीं सकता। इसलिए अगर आपकी नीयत साफ है, जैसी मुझे भी लगती है तो आप इसे वन पाइंट कर दीजिए साथ ही इसमें पशुधन को निकाल देते हैं और एक टाइम लगाएंगे तो इसमें अमेण्डमेंट कर दीजिए। जब सरकार ने छोटे–छोटे अमेण्डमेंट दिए हैं, आपकी त्रुटि सुधारने के लिए दिए हैं, यदि आप यह चाहते हैं, आपकी मंशा यही है कि केवल राजस्थान में एक बार ही यह टैक्स लगेगा तो बिल में लिख दीजिए, इसमें अमेण्डमेंट कर दीजिए। अब भी आप संशोधन करने को तैयार नहीं हैं तो मैं इसको +++ तो नहीं कहता लेकिन प्रतिपक्ष के एक जिम्मेदार दल के नाते यह आपको मेरी सलाह है कि यह कर राजस्थान की जनता के लिए बड़ा दुखद होगा और यह ठीक नहीं होगा। इसलिए कर्तव्य के नाते हम इसका विरोध तो कर रहे हैं, मैं +++ तो नहीं कहता हूं, लेकिन यह कांग्रेस सरकार की कब्र खोदने वाला कानून होगा, यह आप देख लेना।

**श्री सभापति** : श्री केसाराम चौधरी, (अनुपस्थित), श्री अमराराम चौधरी।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पेज नं. 28 पर धारा 29 (छ) के उपबन्धों के अनुसार विक्रयाधिकार पत्र या कैश मेमो जारी करने में विफल रहता है, जो छोटे–छोटे व्यापारी गांवों में रहते हैं और वे अपना हिसाब–किताब पेश करने में या पेश नहीं करेंगे उनके लिए इतना कड़ा कानून बना रखा है जिसका लोगों में बहुत भारी असंतोष बनेगा। उसमें हैं, 'किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर ऐसा जुर्माना दायी होगा जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो 20 हजार रुपये तक का हो सकेगा।' कोई

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमराराम चौधरी)

व्यक्ति जो जानबूझकर असत्य विवरण प्रस्तुत करता है, खैर जानबूझकर असत्य विवरण प्रस्तुत करता है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाईचांस कैसे भी, अगर कोई छोटे–छोटे व्यापारी हैं, उनको ज्यादा कानून का ध्यान नहीं है और जब कानून का गांवों में ध्यान नहीं रहेगा, उसमें वे असफल रहेंगे तो ऐसा जो व्यापारी है वह हमेशा अदालतों के चक्कर में ही घूमता रहेगा। उन्होंने यहां तक भी कहा है कि दोष सिद्ध किये जाने पर किसी कर की वसूली...

**श्री सभापति** : आपका संशोधन क्या है, वो पढ़िए। आपका संशोधन पढ़िए श्रीमान्।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : मेरा संशोधन तो है कि एक बार ही टैक्स लगे, दुबारा नहीं लगे। बस यही संशोधन था मेरा।

**श्री सभापति** : बस ठीक है, हो गई बात। श्री मदन दिलावर। (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड (2) के उप खण्ड एक के भाग (थ) में मेरा संशोधन है कि 'माल का कराधन बाजार मूल्य से माल का ऐसा मूल्य अभिप्रेत होगा जो माल के क्रय पर आधारित किया गया हो' मेरा निवेदन यह है कि इस टैक्स के माध्यम से हमने न केवल माल पर टैक्स लगाया है, बल्कि सेवा पर भी टैक्स लगा दिया। एक जगह पर कोई व्यक्ति माल खरीदेगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी इसमें साथ जोड़ दिया, उसकी पैकिंग का पैसा भी साथ जोड़ दिया, उसका लेबर का पैसा भी साथ जोड़ दिया और इंश्योरेंस का पैसा भी साथ जोड़ दिया। इसलिए मेरा निवेदन है, हालांकि वित्त मंत्रीजी न बड़ा विश्वास दिलाया है पर वित्त मंत्रीजी, पहले तो आप पर विश्वास बहुत था, पर इस बार प्रोफेशनल टैक्स के बारे में आपने जो जोर–शोर से कहा था, किसी हालत में वापस नहीं होगा, किसी हालत में वापस नहीं होगा, अब आपने प्रोफेशनल टैक्स जिस तरह वापस लिया उससे आपकी कथनी और करनी में अंतर हमें साफ नजर आने लग गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो संशोधन मैंने खण्ड (2) में किया है वो मान्य हो।

**श्री सभापति** : श्री हीरासिंह चौहान।

**श्री हीरासिंह चौहान** : माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के खण्ड (2) में...

**श्री सभापति** : Please read out your amendment.

**श्री हीरासिंह चौहान** : अमेण्डमेंट है साहब। खण्ड (दो) में माल का कराधेय बाजार मूल्य से माल का ऐसा मूल्य अभिप्रेत होगा जो माल के क्रय किये जाने पर अदा किया जाए। (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा था, जैसी एक्चुअल प्राइस, जो मार्केट में गुड्स की दी जाती है यह टैक्स उसी पर

(श्री हीरासिंह चौहान)

लगना चाहिए। अब उसकी पैकिंग भी शामिल है, उसका व्हीकल से ट्रांसपोर्ट हुआ वो भी शामिल है, उसका लेबर चार्जेज भी शामिल है, कमीशन भी शामिल है और कोई चीज इंश्योर्ड हो वो भी शामिल है। तो इन सबको जोड़कर फिर वो माल बनता है उस पर टैक्स इम्पोज किया है अब मेरा निवेदन है कि इसमें कम से कम एक्चुअल प्राइस मार्केट में क्या रह गई, परचेज प्राइस क्या रही उसी पर टैक्स लगना चाहिए। जो दूसरी एंसिलियरी जो आसपास घूमती हैं उनको एक्सक्लूड करना चाहिए, लगना है तो एक्सक्लूड का लगना चाहिए और वन पाइंट लगना चाहिए।

**श्री सभापति** : श्री रामप्रतापजी, श्री रामनारायण विश्नोई।

**श्री रामनारायण विश्नोई** : सभापति जी मैं...

**श्री सभापति** : छोड़ो विश्नोई साहब, क्या है ?

**श्री रामनारायण विश्नोई** : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी ने अभी यह कहा कि हमारी मंशा है वन टाइम टैक्स लगाने की, और सेक्शन (9) में एग्जम्प्शन के मुताबिक हम लोकल एरिया को एग्जम्प्शन दे सकते हैं। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी यह सेक्शन (9) से अपनी मंशा वन टाइम टैक्स लगाने की पूरी नहीं हो सकती है क्योंकि एग्जम्प्शन सैक्शन (9) में तो यह है कि "Not withstanding any thing contained in this Act, Where the State Government is of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt from tax payable under the Act on entry of goods into local area fully or partially, whether respectvely or retrospectively." इसकी मंशा तो यह है कि किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया को अगर कोई पंचायत ऐसी हो जहां ज्यादा कोई माल बिकता नहीं है, छोटी कोई ऐसी जगह हो पर्टिकुलर एरिया को एग्जम्प्ट कर सकतें हैं, बाकी आपका जो मैन सेक्शन है उसके अंदर आप जब तक संशोधन नहीं करेंगे तब तक आपका यह लोकल एरिया में संशोधन नहीं होगा, डेफिनेशन में यह मंशा पूरी नहीं हो सकती।

**श्री सभापति** : संक्षिप्त में।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : बिलकुल, एक तो अमेंडमेंट एक्ट के अन्दर जो है इन्क्लूड्स लाइव स्टाक इसको डिलीट कर दें तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। दूसरी बात लोकल एरिया का कुछ कन्फ्यूजन है वो, मेरा निवेदन है कि सीधा बाहर से लोकल एरिया में आ जाता है तो वहां लोकल एरिया में ले लेंगे। इसलिए लोकल एरिया को आप हटाना चाहें तो बहुत अच्छा है, पर वह कोई जरूरी नहीं है। पर यह

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

अमेंडमेंट तो आपको लाना जरूरी है कि वन एन्ट्री टैक्स ही होगा। लोकल एरिया में आये या सिटी में आये, कहीं पर आये, एक बार लिया जाएगा और बोर्डर पर लिया जाएगा या कैसे लिया जाएगा, एक इसका अमेंडमैंट ले आयें सर। नोटिफिकेशन की आपने बात मान ली है, हम साधुवाद देते हैं आपको इसके लिए पर इसका भी अमेंडमैंट कहीं पर आ जाए एक यह लाइव स्टाक वाला हटा दें। एक–दो बात और, आज, मंदी का समय है और आप जानते हैं कि रिसेशन है। मैं तो आपको सुझाव यह भी देता हूं कि यह जो एन्ट्री टैक्स आप ला रहे हैं लोकल गुड्स के लिए आप नहीं रखें। बाहर से जो लाएं उन पर तो आप लगाएंगे, लोकल तो आप एक लेबल प्लेइंग फील्ड तैयार कर दोगे, लोकल इण्डस्ट्रीज जो बंद पड़ी हैं उनको बढ़ावा मिल जाएगा, वह फिर चालू हो जाएगी। यह भी आप अगर विचार करेंगे तो इसके अंदर बहुत अच्छा आप वातावरण बना देंगे, लोकल इण्डस्ट्रीज को एकदम बहुत बढ़ावा मिल जाएगा। मुझे एक चीज और निवेदन करनी है, आपने 11 के अंदर "(2) Not with standing any thing contained in sub-section (1), - (i) every dealer undertaking execution of works contract..." मतलब क्या कहते हैं, यह कोई माल पर ही नहीं है और कोई इन्होंने काम भी ले लिया। मतलब वहां पर कोई फैक्ट्री का काम ले लिया, लोकल एरिया में कोई भी काम ले लिया, कोई डेम बनाने का ले लिया, कोई सड़क बनाने का ले लिया, उसको भी लग जाएगा वो क्या एन्ट्री करेगा ? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप बहुत आगे बढ़ गए। दो में है, आप तो 11 में चले गए।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : 11 में चला गया, मैं पीछे आ जाऊंगा, अभी डिस्कशन तो खतम हो जाए।

**श्री सभापति** : हां, हो गया अब आपका सुझाव। (व्यवधान)

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : वहां पर डिस्कशन खतम हो जाए। एक तो एन्ट्री वाली अमेंडमैंट आना जरूरी...

**श्री सभापति** : आप तो 11 पर चले गए।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : 11 पर नही जाऊंगा, फिर पीछे आ जाता हूं। 11 पर फिर मौका देंगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : 11 आने तो दीजिए, उससे पहले ही चले गए।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पाइण्ट रह गया, लेवी आफ टैक्स, इसमें आपने यह लिख दिया है, एक और निवेदन है कि :

"The entry tax shall be levied on taxable purchase value of the goods, so however that in case where it it not possible to determine the taxable

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

purchase value of goods, the entry tax shall be levied on taxable market value of goods." अब मार्केट वैल्यू आप कैसे करेंगे। एक जो बाहर से सामान लाया है, तो रिसीट है उसी पर देंगे या मार्केट वैल्यू आप कैसे करेंगे ? कौन डिसाइड करेगा, यह मार्केट वेल्यू कि साहब वहां तो इतने में बिक रहा है तो वो एक बहुत विरोधाभास की बात आ जाएगी। 10 रुपये में सामान लाए वो 15 का है या 10,000 का है 20,000 का है मार्केट वेल्यू एसेसमेंट, तो यह मार्केट वेल्यू का क्या रखा है ? यह 3–4 पाइंट है।

**श्री सभापति** : मंत्री महोदय।

**श्री चन्दन मल बैद** : सभापति महोदय मैंने पहले ही साफ कह दिया कि नोटिफाइड वस्तुओं पर ही इनके टैक्स लगेगा।

**श्री सभापति** : इनका मन नहीं भरा।

**श्री चन्दन मल बैद** : सभापति महोदय, मन नहीं भर रहा तो इसका मैं क्या कर सकता हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : हां बोलिए।

**श्री चन्दन मल बैद** : दूसरा मैंने यह भी साफ कर दिया कि जिस चीज का कंजम्प्शन होगा, सेल होगा, यूज होगा, उसी पर लगेगा। अगर मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज जा रही है, ट्रांजिट हो रही है तो उस पर यह एन्ट्री टैक्स नहीं लगेगा और यह मैंने यह कह दिया कि नोटिफिकेशन से, मैं यह नोटिफिकेशन निकाल दूंगा, एक जगह जहां टैक्स लग गया है उस चीज पर दुबारा टैक्स नहीं लगेगा, यह तीन चीजें मैं साफ कर चुका हूं। उसके बाद कोई अब यह कहते हैं कि फलानी चीज निकाल दो, फलानी चीज निकाल दो, जब एक्ट बनता है तो एक्ट तो सब चीज के लिए होता है।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है खण्ड (2) में श्री भंवरलाल शर्मा, श्री केसाराम चौधरी, श्री अमराराम चौधरी, श्री मदन दिलावर, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री हीरासिंह चौहान, श्री रामप्रताप, श्री रामनारायण विश्नोई ने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं, उसे स्वीकार किया जाए ?

**(अस्वीकृत)**

खण्ड–2 में संशोधन अस्वीकार किए गए।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 स्वीकार किया जाए ?

**(स्वीकृत)**

खण्ड–2 स्वीकार किया गया।

खण्ड–3, श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय सभापति जी, मेरा अमेंडमेंट यह है कि माल पर एक बार ही कर लेंगे, लेकिन जैसे वित्त मंत्रीजी बार–बार केवल आश्वस्त कर रहे हैं...

**श्री सभापति** : आश्वस्त हो जाओ आप।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मैं तो आश्वस्त हो रहा हूं। सवाल यह है कि जब कानून में कोई बात आती है तो किसी भी बड़े व्यक्ति के या जिम्मेदार व्यक्ति के आश्वासन से कानून में परिवर्तन नहीं होता। कानून, कानून रहता है। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हैं कि यदि सरकार की ऐसी मंशा है तो इसको आप अमेंड क्यों नहीं कर लेते ताकि यह हमेशा के लिए काम आयेगा। आप पर भरोसा करना एक बात है लेकिन कानून में जो उल्लेखित बातें होती हैं वहां पर उन्हीं का उपयोग होता है। इसलिए कानून बनाते समय आश्वासन--विचार नहीं किया जाता। इसका पालन कौन करेगा, कानून का पालन तो जो भी पद पर आएगा वह करेगा। कानून में खुद में शक्ति रहती है। इसलिए अगर आपका यह मन्तव्य है कि एक बार टैक्स लगेगा तो यही अमेंडमेंट है मेरा, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। आलरेडी सबमिट किया हुआ है अमेंडमेंट अगर आपकी नीयत यही है तो स्वीकार कर लीजिए उसको। कानून भी बन जाएगा, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, आपका आश्वासन भी ठीक लगेगा। मेरा यह निवेदन है कि इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लीजिए। इसमें विवाद ही नहीं है कहीं। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री केसाराम चौधरी, श्री अमरा राम चौधरी, श्री मदन दिलावर, श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, खण्ड तीन में इन्होंने कहा है कि राज्य में उपभोग या विक्रय के लिए लाये गये, सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, उद्गृहीत, संगृहीत और राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा और भिन्न--भिन्न माल या माल के भिन्न--भिन्न वर्ग या भिन्न--भिन्न स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में भिन्न--भिन्न तारीखें और भिन्न--भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि कौनसे गुड्स पर, किस क्षेत्र में, किस नगरपालिका में, किस ग्राम पंचायत में कितना कितना टैक्स लगे, यह अधिकार भी हम इस विधेयक के पारित होते ही वित्त मंत्रीजी को दे देंगे। वित्त मंत्रीजी, आपने बहुत अच्छी मंशा दर्शायी है, स्वागत योग्य है कि यह वन टाइम टैक्स होगा। इसके अन्दर जो संशोधन हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने मूव किया है उस संशोधन को एज--इट इज स्वीकार कर लें और इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है।

**श्री सभापति** : श्री हीरासिंह चौहान।

**श्री हीरासिंह चौहान** : माननीय सभापति महोदय, इस खण्ड तीन में हमारा जो संशोधन था। माननीय वित्त मंत्री महोदय, आपने लिखा है कि "किसी भी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए लाये गये..." हम यह चाहते हैं, हमने यह संशोधन दिया है कि खण्ड 3 के उप खण्ड (1) के "किसी भी स्थानीय क्षेत्र," इस शब्द के आगे हमने कहा है कि "राजस्थान राज्य" लिखें। राजस्थान राज्य नहीं है। किसी भी स्थानीय क्षेत्र के स्थान पर राजस्थान राज्य में उपभोग या विक्रय के लिए लाये गये,

(श्री हीरासिंह चौहान)

और आगे हमने यह भी कहा है कि इस सब में प्रथम लगा दें। "लाये गये प्रथम किसी भी माल के प्रवेश पर कर ऐसी तारीख से और माल के मूल्य के 10 प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उन पर लगाया जाए" सभापति महोदय, जब तक इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसी सेक्शन (3) में प्रथम बार, इन शब्दों के लिए हमने संशोधन मूव किया है। अगर यह हो जाता है तो माननीय वित्त मंत्री महोदय, ऐसा कह रहे हैं कि वन टाइम टैक्स लूंगा और राजस्थान में वन टाइम का ही हम कह रहे हैं तो यहां पर शब्द "राजस्थान" का प्रयोग किया जाना जरूरी है। अमेंडमेंट मान लीजिये। शब्द प्रथम, यह (3) की पहली और दूसरी लाइन में ही है। इसमें यह संशोधन आप स्वीकार कर लें तो हमारी शंकाएं बहुत कुछ दूर हो जाएंगी।

**श्री सभापति** : श्री रामप्रताप। श्री रामनारायण विश्नोई।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : सभापति महोदय, जो विसंगति है वह एक ही कारण है। जो नाम रखा है "द राजस्थान टैक्स आन एन्ट्री आफ गुड्स इनटू लोकल एरियाज" अगर यह इन टू लोकल एरियाज नहीं होता और यह होता "राजस्थान टैक्स आन एन्ट्री आफ गुड्स" एन्ट्री या प्रवेश बिल, 1999 तो यह विसंगति नहीं होती। यह अगर हटा दे 'इन टू लोकल एरियाज', लोकल एरियाज में सीधा चला जाए तो वह तो होगा ही। आपको लोकल एरियाज को लिखने की जरूरत ही कहां पड़ गयी ? राजस्थान के अन्दर लोकल एरिया भी आ जाता है और आगे डेफिनेशन में तो आपने लोकल एरिया डिफाइन किया ही है। आप अगर यही हटा दें तो इसका मतलब है एन्ट्री टैक्स हो गया। लोकल एरिया में सीधा चला गया, हवाई जहाज से चला जाय, ट्रेन से चला जाय। तो मेरा यह निवेदन है।...(व्यवधान)

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : वी.पी.सिंह जी को तो हम भी धक्का नहीं दे सकते, आप यह हिम्मत कैसे कर रहे हो ?

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : तो मंत्रीजी, यह जो बनाने वाले थे, यह अगर हटा जाता और हमको तो आपका पूरा भरोसा है, आपने कह दिया है कि नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, पर यह इतना ही करना है न आपको कि वन टाइम टैक्स होगा, एट एन्ट्री होगी। इतना कहीं पर आप इसको लगा दें।

**श्री सभापति** : प्रभारी मंत्री जी उत्तर देंगे।

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय सभापति महोदय, मैं कितनी ही बार इस बात को कहूं कि नोटिफिकेशन के द्वारा इस टैक्स को एक बार लेने का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। अब इसके बावजूद भी आपका

(श्री चन्दन मल बैद)

पेट अगर नहीं भरता है, आपको संतोष नहीं होता मैं मजबूर हूं।

**श्री सभापति** : यह उठ–बैठ तो आपको आज करनी ही पड़ेगी।

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं हाजिर हूं। दूसरी बात, जो यह निवेदन कर रहे हैं कि स्थानीय क्षेत्र का राजस्थान राज्य जोड़ दिया जाए तो यह राजस्थान राज्य का ही तो कानून है तो फिर राजस्थान राज्य जोड़ने के लिए क्या है। यह तो लिखा ही है इसमें। इस अधिनियम का नाम राजस्थान स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश कर अधिनियम है तो राजस्थान तो है ही। अब मैं राजस्थान के बाहर का कानून बना सकता हूं क्या ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आप तो स्थानीय क्षेत्र के स्थान पर राजस्थान राज्य मूव कर दें।

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं समझता हूं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कि उसका अर्थ क्या आयेगा। मैं समझता हूं। वह मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। इस वास्ते यह राजस्थान के लिए कानून बना हुआ है। इसमें राजस्थान जोड़ना जरूरी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रथम शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है जब मैंने यह कह दिया कि एक बार टैक्स लगेगा तो इसका विश्वास करना चाहिए। नोटिफिकेशन मैं निकाल दूंगा। यह आपने कहा है कि इसमें स्पष्टीकरण कर दिया जाए तो मैं नोटिफिकेशन निकालने के लिए हां भर चुका हूं।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में श्री भंवरलाल शर्मा, श्री केसाराम चौधरी, श्री अमराराम चौधरी, श्री मदन दिलावर, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री हीरासिंह चौहान, श्री रामप्रताप, श्री रामनारायण विश्नोई ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 प्रभारी मंत्रीजी, आपका संशोधन है इसमें।

**श्री चन्दन मल बैद** : सभापति महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया कि अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करने में कुछ गलती रह गयी थी उसको ठीक करने के लिए मैंने संशोधन किया है। इस वास्ते यह संशोधन है।

**श्री सभापति** : श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल), नहीं बोल रहे हैं आप ? छोड़ो, क्या है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : नहीं, नहीं, एक है। कौनसे पर कर रहे हैं आप ?

**श्री सभापति** : खण्ड 4 में है आपका ? अब आपको में याद दिला रहा हूं, आपको तो याद है नहीं।

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : नहीं, नहीं, मेरे कई सारे आमेंडमेंट हैं इसलिए पूछ रहा हूं। यह लिखा हुआ मेरे पास है। इसमें आपने जो टर्न ओवर की सीमा की है डीलर की, इसमें एक लाख रुपये वार्षिक कहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको बढ़ा दीजिये और 10 लाख रुपये कर दीजिये क्योंकि अगर आपने यह नहीं किया तो एक लाख जिसका वार्षिक टर्न ओवर होगा वह बहुत छोटा दुकानदार होगा और छोटा दुकानदार होगा तो हिसाब कहां से रखेगा वह। हिसाब रखने के लिए उसको एक आदमी रखना पड़ेगा। सामान्यतया वह व्यक्ति जो गांव में रहकर बिजनस करता है वह बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है। वह बहीखाते रख भी नहीं सकता और बही खाते रखने के लिए उसको एक आदमी रखना पड़ेगा और अगर नहीं रखा तो आपने जो यह कानून बनाया है कि इन्स्पेक्टर जाएगा और वह बहीखाते पकड़ेगा तो वह व्यक्ति क्या करेगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आपकी जिद है कि करना ही करना है तो कम से कम इतना कर दीजिये कि जिसका वार्षिक टर्न ओवर 10 लाख रुपये कम से कम हो तो बाकी तो बचेंगे सब लोग। पूरे राजस्थान को कवर कर लिया आपने, मामूली से आदमी को कवर कर लिया आपने। जैसे मैंने कहा कि जूता बनाने वाला व्यक्ति, जो कारीगर है, बाहर से वह सामान ले जाएगा उस पर टैक्स लगेगा। वह कहां पढ़ा लिखा है, पढ़ने— लिखने का सवाल ही नहीं है, वह तो अंगूठा लगाता है। वह कहां अकाउंट रखेगा ? इसलिए अगर इसको आपने 10 लाख रुपये कम से कम कर दिया तो वह गरीब तो बच जाएगा।

**श्री शिवनाथ सिंह** : माननीय सभापति जी, मंत्री महोदय ने 2—3 दफे कह दिया कि अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में गलतियां रह गयीं। मैं जानना चाहूंगा कि यह मूल बिल हिन्दी में तैयार किया गया या अंग्रेजी में तैयार किया गया था ? क्योंकि हमारे यहां व्यवस्था यह है कि मूल रूप हिन्दी में ही तैयार होगा और उसका ट्रांसलेशन होगा। इसलिए हिन्दी में जो बिल मूल रूप में बना उसका अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेशन गलत हो गया तो आप कर लीजिये। लेकिन आपने बार—बार यह कहा है कि यह बिल अंग्रेजी में बनकर हिन्दी का ट्रांसलेशन हुआ, मेरे ख्याल में इसको आप थोड़ा स्पष्ट कीजिये कि मूल बिल किसमें बना है, हिन्दी में बना है या अंग्रेजी में ?

**श्री चन्दन मल बैद** : मान्य हिन्दी है, इस वास्ते हिन्दी में जो गलती रह गई, उसको ठीक किया जा रहा है।

**श्री शिवनाथ सिंह** : अंग्रेजी से हिन्दी में गलती हो गई, इसलिए आपका मतलब यह हुआ कि पहले अंग्रेजी में बना, अंग्रेजी के बाद में हिन्दी में अनुवाद हुआ, मेरे ख्याल से यह उचित नहीं है।

**श्री चन्दन मल बैद** : आप ठीक समझ रहे हैं।

**श्री सभापति** : श्री केसाराम चौधरी। (अनुपस्थित), श्री हीरासिंह चौहान। केसाराम चौधरी, आप अमराराम चौधारी हो।

**श्री हीरासिंह चौहान** : मैं जो निवेदन करना चाह रहा था सभापति महोदय, इसके आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स मैं इसलिए देना चाहता हूं, यह इससे संबंधित है : "All the dealers with a turnover in taxable goods exceeding Rs. 1 lac shall be required to be registered as dealer. They shall be required to file returns indicating details of the taxable goods brought in or caused to be brought in a particular local area." हमारा निवेदन है कि यह जो एक लाख का, गांवों में आजकल चीजें बड़ी महंगी हैं और टर्न ओवर एक लाख का तो मामूली से मालूली व्यापारी भी गांव में बैठने वाला कर देगा और उसका अकाउंट किस प्रकार रखेगा, क्योंकि इसमें सैल्स टैक्स के अफ़िसर को दुनिया भर के पावर दे रखे हैं। आगे जाकर आप अगले सैक्शन्स में देखेंगे कि उसको रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा, क़म्पलसरी कर लिया, उसको अकाउंट भी रखना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका संशोधन स्वीकार करके, माननीय वित्त मंत्रीजी, एक लाख की जो टर्न ओवर का आपने राशि दी है वह बहुत कम है। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस राशि को आप 10 लाख कर दीजिये। 10 लाख करने से बड़े–बड़े व्यापारी आयेंगे, छोटे–छोटे व्यापारी इससे मुक्त हो जायेंगे, हिसाब–किताब भी रख सकेंगे, यही मेरा इसमें संशोधन है।

**श्री सभापति** : श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, मूल भावना हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य से सदन के सम्मुख रख दी। मेरा निवेदन एक ही है वित्त मंत्री जी, इस विधेयक की, इस एक्ट की धारा 35 में जिस प्रकार की शास्तियां है और वह शास्तियां तभी लगेंगी जब इस धारा के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रीकरण उसी के लिए कराना जरूरी होगा जिसका टर्न ओवर एक लाख का है इसलिए मेरा निवेदन है कि 10 लाख कर दें ताकि इसमें बड़े व्यापारी आये और एक लाख का टर्न ओवर तो एक आम, पान की दुकान वाले का भी हो जाता है।

**श्री सभापति** : श्री अमराराम चौधरी।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को भावनाओं को और जन भावनाओं को जिनके हम जनप्रतिनिधि हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप यह एक लाख की बजाय 10 लाख रुपये करने का प्रावधान करे।

**श्री सभापति** : श्री रामप्रताप जी। (अनुपस्थित), मंत्री महोदय।

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय सभापति महोदय, सेल्स टैक्स में एक लाख की सीमा है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अब, वही सीमा एंट्री टैक्स में रखी गई है यह एक लाख की सीमा आपके वक्त में भी थी, वह तो सब सामान के लिए है। यह एक लाख रुपये की सीमा तो नोटिफाइड आर्टिकल्स के लिए ही है। जो चीजें नोटिफाई करेंगे, उसका अगर टर्न ओवर एक लाख रुपये से ऊपर होगा तभी उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बाकी चीजों पर नहीं कर रहे हैं यह जैसे आप बार–बार पान वाले का, जूते वाले का नाम ले–लेकर किसको भड़काना चाहते हो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आपको ही भड़काना चाहते हैं हम तो। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : पान वाले पर भी...

**श्री चन्दन मल बैद** : पान वाले का इसमें कैसे आ जायेगा ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : पान वाला भी इसमें आ जायेगा। पान वाले पर क्यों नहीं लगेगा।

**श्री चन्दन मल बैद** : पान वाला सैल्स टैक्स देता है क्या ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : जब आप डिक्लेयर कर दोगे उसको, भले ही सैल्स टैक्स देता नहीं है (व्यवधान) एक सैकण्ड साहब, आपने कहा, जो आदमी सामान लायेगा, आज चाहे वह रजिस्टर्ड नहीं हो, कल उसको होना पड़ेगा तथा उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा जब उसका वार्षिक टर्न ओवर एक लाख रुपया होगा।

**श्री चन्दन मल बैद** : नोटिफाइड कमोडिटीज में जब वह डील करेगा और उसका टर्न ओवर एक लाख रुपये से ऊपर होगा तभी उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : हां, यह सही है। तभी होगा।

**श्री चन्दन मल बैद** : सैल्स टैक्स में तो अगर वह होगा तो उसको लेना ही पड़ेगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : नहीं, सेल्स टैक्स का सवाल नहीं है इसमें।

**श्री चन्दन मल बैद** : सैल्स टैक्स में एक लाख रुपये से ऊपर नहीं लेना पड़ता क्या।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : इसमें, सैल्स टैक्स का कोई लेना–देना नहीं है। यह तो एंट्री पर है। जो भी आदमी आज सैल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, वह भी आ जायेगा इसमें not necessary that he shoule be registered under the Sales Tax.

**श्री चन्दन मल बैद** : अब सेल्स टैक्स की और इसकी मैंने पेरेटी रखी है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : नहीं, वह रखी होगी।

**श्री चन्दन मल बैद** : ...और जो नोटिफाइड कमोडिटीज में डील करेगा,

(श्री चन्दन मल बैद)

नोटिफाइड कमोडिटीज एक लाख रुपये से ऊपर वह डील करेगा तभी उसको रजिस्टेशन लेना पड़ेगा, तो आपके सैल्स टैक्स से भी कम ही होगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : नोटिफाइड आर्टिकल्स तो आप बता नहीं रहे हो। आपने तय किया है कि "जिस चीज पर जब चाहेंगे जिस रेट पर जिस स्थान पर" यह लिखा हुआ है इसमें...

**श्री चन्दन मल बैद** : तो मैं सारे आने वाले लोगों को, सबको बांध कर रख दूं यहां ? कानून बनता है तो कानून तो कानून के हिसाब से बनता हैं

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : हां, यही शंका तो हमको है...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खण्ड (4) में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : संशोधन क्या है ?

**श्री हीरासिंह चौहान** : संशोधन क्या है, संशोधन तो बतायें, क्या किया है संशोधन ?

**श्री सभापति** : बताया था ना मंत्रीजी ने।

**श्री हीरासिंह चौहान** : नहीं बताया था।

**श्री सभापति** : कोई मामूली सा संशोधन है।

**श्री चन्दन मल बैद** : वह आया है संशोधन।

**श्री हीरासिंह चौहान** : नहीं, हिन्दी–अंग्रेजी का संशोधन है।

**श्री अमराराम** (धोद) : वह तो हिन्दी–अंग्रेजी का बताया था।

**श्री हीरासिंह चौहान** : वह बता दो ना। बोल जाओ, हम भी जानकारी ले लें। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : संशोधन तो बता दो, यूं ही पास कर रहे हो।

**श्री सभापति** : अब तो पास ही हो गया। पास ही हो गया वह।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या हुआ, वह तो बता दो, यह बताइये ना। (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : सुनिये, सुनिये। ऐसा रजिस्ट्रेशन कराने का दायी होगा जैसा इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाये उसकी जगह यह है कि स्वयं उस व्यवहारी के रूप में ऐसे रीति से रजिस्ट्रीकृत कराने का दायी होगा जो विहित की जाये, यह है।

**श्री सभापति** : बहुत इनोसेंट हैं

प्रश्न है कि खण्ड (4) में जो संशोधन सर्वश्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) श्री हीरासिंह चौहान, श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ श्री अमराराम चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(श्री सभापति)

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

खण्ड-(4)

प्रश्न है कि खण्ड (4) संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड (4) संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

**खण्ड (5) से (10) तक**

खण्ड (5) से (10) तक कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खण्ड (5) से (10) स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड (5) से (10) स्वीकार किये गये।

**खण्ड -(11)**

खण्ड (11) प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री हरिसिंह** (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यसूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

**श्री सभापति** : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार बढ़ाया गया।

### विधेयक पर खण्डशः विचार

**श्री चन्दन मल बैद** : सभापति महोदय, खण्ड (11) के पार्ट 2(1) में कार्य संविदा की जगह संवर्ग संविदा का स्थापन किया जाये, यह मेरा संशोधन है। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : दुबारा पढ़ दीजिये साहब, किसी ने नहीं सुना।

**श्री चन्दन मल बैद** : "किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले माल का उपयोग या उपभोग अन्तर्विलित करने वाली कार्य संविदा का निष्पादन करने वाला प्रत्येक व्यवहारी" इसकी जगह "किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले माल का उपयोग या उपभोग अन्तर्विलित करने वाली संवर्ग संविदा" (व्यवधान) अब यह तो अंग्रेजी का हिन्दी अनुवाद है। हिन्दी तो अंग्रेजी से ज्यादा मुश्किल है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : इसका मतलब भी बतायें। इसका मतलब क्या है, यह तो समझाइये हाउस को आप (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : अभी बढ़कर बता देता हूं। जो है, अभी बताता हूं।

**श्री सांवर लाल** : आप ही नहीं समझे तो हमें क्या समझाओगे।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : इसका

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मतलब तो समझाये, क्या चाहते हैं आप ? इसका क्या अर्थ होगा ?

**श्री चन्दन मल बैद** : बता रहा हूं, बता रहा हूं।

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : हमको पहले देते तो हम ही घर से पढ़कर आते, अब ये नया बता रहे हैं यहां। (व्यवधान) कमला जी, आप मदद करो थोड़ी सी।

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : आपको हिन्दी आती नहीं क्या।

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : तो आप बताते क्यों नहीं, फिर बताइये ना आप, क्या है यह।

**श्री सभापति** : यह आपको भी भेजा गया है।

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : हाउस को बताइये ना। हाउस को बताइये आप।

**श्री सभापति** : मंत्रीजी का काम पढ़ाने का थोड़े ही है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद)** : सभापति महोदय, मंत्री क्लियर करें न।

**श्री चन्दन मल बैद** : अंग्रेजी पढ़ कर सुना रहा हूं मैं। "Every dealer undertaking execution of works contract involving the use or consumption of goods entering into a local area." यह है...(व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : इसका मतलब क्या हुआ।

**श्री चन्दन मल बैद** : अब मैं हिन्दी का विद्वान नहीं हूं, इस वास्ते कमलाजी को पास बैठा रखा है।

**श्री सांवर लाल** : मंत्री महोदय, इस कानून का इन्टरप्रिटेशन तो यह इंसपेक्टर लेवल के लोग करेंगे, अगर आप ही इसको नहीं...

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। संशोधन आपके पास भिजवा दिया गया है, कृपया उसको पढ़ लीजिये, समझने की कोशिश कर लीजिये।

**श्री सांवर लाल** : यह बताना पड़ेगा साहब। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : इसको तो बतायें साहब।

**श्री सभापति** : बता देंगे आपको। भंवर लालजी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : मंत्री महोदय, आप जो संशोधन लेकर आये वह संशोधन तो पारित होना ही होना है पर इसका अर्थ तो बता दें।

**श्री सभापति** : प्रभारी मंत्रीजी अपने उत्तर में स्पष्ट कर देंगे। माननीय भंवरलाल जी।

**श्री सांवर लाल** : कानून को कानून बनाने वाले ही नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे क्या समझेंगे।

**श्री सभापति** : नहीं–नहीं, समझे हुए है। आप अब...(व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : हाउस में नहीं समझेंगे, जनता की भावना प्रकट करने के लिए यहां आते हैं। यह कोई कानून बना रहे हैं और हाउस में नहीं समझेंगे तो जो एग्जीक्यूट करने वाले लोग है वह क्या इन्टरप्रिटेशन करेंगे। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अगर नहीं समझ में आया तो कह दो।

**श्री सांवर लाल** : अगर कोई कोर्ट–कचहरी में चला गया तो वह क्या इन्टरप्रिटेशन लेंगे...

**श्री चन्दन मल बैद** : यह वर्क कांट्रेक्ट का हिन्दी अनुवाद है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : इसको कौन लेकर आया।

**श्री सांवर लाल** : इस खण्ड का मतलब हमको समझा दीजिये माननीय मंत्री महोदय। अगर हम ही नहीं समझेंगे तो क्या कानून बनाओगे।

**श्री सभापति** : माननीय श्री भंवरलाल जी शर्मा (हवामहल)।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : वर्क्स कांट्रेक्ट का मतलब है कि कोई काम भी ले लें तो उस पर भी लगा दिया। कोई सड़क का कार्य ले लिया, कोई डेम का काम ले लिया, कोई एनीकट का काम है, उस पर भी लगा दिया आपने। वह कहां एन्ट्री टैक्स हो गया, क्या एन्ट्री आ गई, उस पर एन्ट्री टैक्स कहां आ गया। कोई काम नहीं किया, यह तो सर्विस इण्डस्ट्रीज पर भी लगा दिया।

**श्री सभापति** : प्लीज। भंवर लालजी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सभापति महोदय, यह वैसे तो कांसीक्वेंशल है, हमने...

**श्री चन्दन मल बैद** : कोई कांट्रेक्ट का काम कर रहा है और उसके लिए कंजम्प्शन के लिए सामान मंगा रहा है उसके लिए है यह।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : पर इसमें तो कांट्रेक्ट लिखा है न सर।

**श्री चन्दन मल बैद** : स्थानीय क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले माल का उपयोग या उपभोग अन्तत करने वाली कार्य संविदा, मतलब वर्क कांट्रेक्ट का निष्पादन करने वाला प्रत्येक व्यवहारी। वर्क कांट्रेक्ट करने वाला अगर कोई माल बाहर से मंगाता है तो उस पर भी यह लागू है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सीमेंट भी आ जायेगा। सीमेंट है, बजरी है।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : सभापति महोदय, काम आये या नहीं, सीमेंट आ रहा है तो अपने आप ही सीमेंट पर लग जायेगा। आपको उसको अलग क्या करना है...

**श्री सभापति** : आप बैठिये। पहले भंवरलालजी शर्मा।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : इसकी कोई जरूरत नहीं थी वर्क कांट्रेक्ट का नाम लिखने के लिए। अगर सीमेन्ट आ रहा है या बजरी आ रही है, कोई यूज ले तो वह तो अपने आप ही आ गया है क्योंकि वह लोकल एरिया में आ गया तब यह...

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, संशोधन है, आपको आपनी बात कहने का अधिकार होगा। आप विराजयें। श्री भंवरलालजी शर्मा।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : क्लेरीफिकेशन ले लें। क्ति मंत्रीजी, अगर वर्क कांट्रेक्ट पर है तो सर्विस इण्डस्ट्री पर आ गया, मतलब काम करने वाले पर लग गया और सीमेंट पर तो ऐसे ही लग रहा है। जब दूसरी जगह से आ रही है तो सीमेंट पर तो अपन ऐसे ही ले लेंगे। वर्क कांट्रेक्ट का मतलब सर्विस इण्डस्ट्री है क्या आपका मतलब, यह बता दें।

**श्री सभापति** : श्री भंवरलालजी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : जो सेक्शन 11 हैं उसमें व्यवहारियों का रजिस्ट्रीकरण, डीलर का रजिस्ट्रीकरण, किनका होगा, जैसा हमने पहले निवेदन किया कि आपको एक लाख की सीमा को दस लाख करना चाहिए, यहां भी यही बात है कि रजिस्ट्रेशन किस को कराना पड़ेगा, डीलर कौन बनेगा कि जो एक वर्ष में एक लाख रुपये से ऊपर का माल आयात करेगा। यह जो आपकी एक लाख रुपये साल की सीमा है यह बहुत कम है और यह प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करेगी और जैसा मैंने निवेदन किया कि सामान्य व्यक्ति जो बिना पढ़ा है, छोटे–छोटे गांव में अपना धन्धा करता है, वह न तो हिसाब रख सकता है और न उसकी केपेसिटी होगी हिसाब रखने के लिए, यह करने की बहुत दिक्कत आयेगी उसको। इसलिए इस समस्या का निपटारा करने के लिए आप इसकी सीमा बढ़ा दीजिये। एक लाख की बजाय दस लाख कर दीजिये जैसा हमने पहले भी निवेदन किया आपसे। अगर आप इसको कर देते हैं, आपकी भी नीयत यह है, तो कानून में लाने में कहां दिक्कत है। संशोधन पेश किया हुआ है, आपको केवल हां भरनी है और यह एडमिट हो जायेगा। नहीं तो छोटे–छोटे दुकानदारों को हिसाब रखने की मुसीबत खड़ी करेंगे, उनके रोज चालान होंगे, परेशानी पैदा होगी और मैं नहीं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी, यह आगे जाकर के आपको कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। हमको तो नुकसान नहीं है पालिटिकली तो लेकिन देश और प्रदेश की जनता का भी तो ध्यान रखना है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं आपको सही सलाह देना चाहता हूं कि आप इसको वापस तो नहीं कर रहे हैं, एक बात तो आपने यह कर दी कि हम एक टाइम टैक्स लगायेंगे और जो वेल्यू है उस बारे में कुछ नहीं कहा आपने।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जो परचेज प्राइस होगी, उस पर देंगे या वह परचेज प्राइस जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे कि कुली का भाड़ा भी लगाओगे, गाड़ी का भी लगायेंगे, सब कुछ लगा कर फिर उसकी प्राइस तय करोगे। वह भी आपने उत्तर नहीं दिया और दस लाख की सीमा का भी।

**श्री चन्दन मल बैद** : वह तो पास हो गया।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : हो जाये पास, कोई बात नहीं। इसको दस लाख कर दीजिये न। पास तो यह भी होगा। मैं कब कहता हूं कि नहीं होगा। आज 154 हैं, जैसे इन्दौरिया जी कह रहे हैं न रतनगढ़ वाले, इस वक्त तो मदमस्त हो आप, कोई दिक्कत नहीं है हमको तो। और यही शिवनाथ सिंहजी ने कहा, बिलकुल ठीक कहा, अभी नहीं समझेंगे आप। लेकिन इससे आम जनता को परेशानी पैदा होगी इसलिए मेरा यह निवेदन है कि डीलर के लिए एक लाख की बजाय दस लाख का वार्षिक टर्न ओवर कर दीजिये ताकि न तो हिसाब रखना पड़ेगा गरीब आदमी को और वह बच जायेगा इससे।

**श्री सभापति** : श्री केसाराम चौधारी।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : सभापति महोदय, इसमें मेरा निवेदन है, इसमें लिखा है, "एवरी डीलर, अन्डरटेकिंग," मतलब एग्जीक्यूशन आफ वर्क। अब आप विचार करें कि कुए का एक कांट्रेक्टर ने ले लिया, वह एक लाख रुपये के ऊपर है। अब सीमेन्ट है, बजरी है, जो भी हो, उस पर तो लगेगा ही लगेगा अगर नोटिफाई होंगे तो। पर यह कांट्रेक्ट पर भी लग गया। जीवनधारा का एक एनीकट बना रहे हैं और उसको कांट्रेक्ट कर दे दिया क्योंकि जीवनधारा का कांट्रेक्ट पर दे सकते हैं और उस पर भी लग गया। तो यह तो क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है या इसको डिलीट कर दें। यह तो बहुत ही गम्भीर मामला है, यह तो समस्या हो जायेगी।

**श्री सभापति** : श्री मदन दिलावर। श्री अमराराम चौधरी। श्री राजेन्द्र चौधरी नहीं, श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, मैं राजेन्द्र राठौड़ हूं।

**श्री चन्दन मल बैद** : राजेन्द्र चौधरी होते तो इधर बैठते।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा। सेक्शन 11 में व्यवहारी के रजिस्ट्रीकरण के लिए है और रजिस्ट्रीकरण के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सेक्शन 12 में जो इन्होंने कहा है कि इसके लिए लेखा पुस्तकों का संधारण करना पड़ेगा, सारा विवरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, कैश मीमो इसके अन्दर होना चाहिए तो मैं निवेदन करूं कि यह छोटा व्यापारी अगर इसके परव्यू में आ गया और इसके साथ ही जो नया अभी संशोधन आपने मूव किया है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसके तहत तो छोटा–छोटा आदमी, आज किसी नगरपालिका में कोई नाली बनाने का काम भी हाथ में लेता है कोई ठेकेदार, तो पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक लाख से ज्यादा की एन.आई.टी. जारी होते ही पहले रजिस्ट्रेशन करायेगा। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्री जी, इनटोटो वापस ले लो, बात खतम करें। बाद में अगली बार सत्र में आप आओगे तो विचार–विमर्श कर वापस ले आना। आपकी इच्छा के खिलाफ आया हुआ है यह एक्ट अगर आप बनाते तो ऐसा नहीं होता।

**श्री सभापति** : श्री हीरासिंह चौहान।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : सभापति महोदय, बात तो हमारे शर्मा साहब कह चुके हैं और मोटे रूप से यही कहनी है कि यह जो एक लाख वाली हम मांग कर रहे हैं, गरीब को बचाओ और इसकी राशि को बढ़ाकर दस लाख नहीं करना चाहें, दस लाख की मांग है, लेकिन सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। यह जिद्द का मामला नहीं है क्योंकि जिस प्रकार का यह बिल ड्राफ्ट किया गया है उसके अनुसार तो कोई बच ही नहीं सकेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन आफ डीलर, 11 में (बी) क्लाज दिया।

"Who brings or causes to be brought such goods liable to tax into a local area or takes delivery or is entitled to take delivery of such goods, the aggregate value of which is not less than one lac rupees in a years." तो इस प्रकार यह मेरी राय में माननीय वित्त मंत्री जी निवेदन है कि बहुत कठोर रहेगा। इसलिए थोड़ा सा आप गांव की गरीब जनता पर मेहरबानी करके इसको दस लाख तक कर दीजिये ताकि आपके भी असेसी को ठीक रहेगा और सब प्रकार से जो गरीबों पर मार पड़ेगी उससे भी लोग बच जायेंगे क्योंकि दस प्रतिशत हर गुड्स पर आप करेंगे नोटिफाई आगे जाकर, बहुत सारे एरिये को भी करेंगे, बहुत सारा गुड्स भी लेंगे क्योंकि आप लोग विकास के नाम पर ही, राजस्थान के विकास के नाम पर ही वोट लेकर आये हो। इसलिए मेरा निवेदन है कम से कम इस राशि को बढ़ाइए।

(17.00 बजे)

**श्री सभापति** : माननीय मंत्री महोदय।

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय सभापति महोदय, कंट्रेक्टर वो गुड्स लायेगा जो नोटिफाइड है, और वह एक लाख से ऊपर का होगा तभी उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, दूसरे माल के लिये नहीं कराना पड़ेगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह हर डीलर के लिये है ?

**श्री चन्दन मल बैद** : जी नहीं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : नहीं क्या, पढ़ लीजिए।

**श्री चन्दन मल बैद** : पढ़ा हुआ है मेरा। नोटिफाइड कांट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन तभी करवायेगा जब नोटिफाइड गुड्स को लायेगा। मेरा पढ़ा हुआ है, आप क्या पढ़ा रहे हो मेरे को।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : कांट्रेक्टर पर लागू नहीं होगा, हार्ड डीलर पर लागू होगा।

**श्री चन्दन मल बैद** : नोटिफाइड गुड्स के लिये ही लागू होगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : हां, वह तो माना, वह तो आप बार–बार कह चुके। नोटिफाइड तो आप ही करने वाले हो। नोटिफाइड की कोई लिस्ट तो है नहीं।

**श्री चन्दन मल बैद** : देखिए। मेरी बात सुनिए, विराज जाइए आप। नोटिफाइड गुड्स जो होंगे वह कांट्रेक्टर जो बाहर से आएगा, या कहीं से भी आएगा, वह नोटिफाइड गुड्स लायेगा...

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : वह सुन लिया, 10 बार सुन लिया। नोटिफाइड आइटम्स हैं कौनसे, यह बताइए आप। आपने नोटिफाइड की कोई लिस्ट निकाली है क्या ?

**श्री चन्दन मल बैद** : अभी तो तीन ही है आज के दिन तो।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : बस, बाकी आप काहे को पास कर रहे हो ?

**श्री चन्दन मल बैद** : यह तो सारा इनहेबलिंग प्रोविजन है। अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसका मैं क्या कह सकता हूं ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : वही तो मैं कह रहा हूं कि नोटिफाइड लिस्ट है क्या ?

**श्री चन्दन मल बैद** : आज तो तीन ही है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह जो ला रहे हो आप, इसको लाने के बाद नोटिफाइड लिस्ट तो है नहीं...

**श्री चन्दन मल बैद** : उसके बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप तो मुझे आज ही मार रहे थे और मेरे मरने के बाद क्या होगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : वह सब समझ गये क्या होने वाला है।

**श्री हीरासिंह चौहान** : इस एक्ट में तो सबको कवर कर रखा है आपने।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : ये ब्लेंकेट पावर जो आप कह रहे हो कि नोटिफिकेशन बाद में निकालेंगे, यह गलत है। यह ब्लेंकेट पावर ले लेंगे कि साहब नोटिफिकेशन तो मैं निकालूं; नहीं निकालूं, जो मन में आये, अभी तो आपने पावर्स...

**श्री चन्दन मल बैद** : नोटिफिकेशन का मैंने इस पवित्र सदन में वायदा कर दिया है, नोटिफिकेशन निकल जायेगा लेकिन नोटिफाइड गुड्स कंट्रेक्टर यूज करेगा तभी

(श्री चन्दन मल बैद)

उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं लेना पड़ेगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सभापति महोदय, समस्या यह नहीं है। नोटिफाइड आर्टिकल क्या होंगे, यह बता दो आप।

**श्री चन्दन मल बैद** : वह तो नोटिफाइड होंगे वही होंगे।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : कौन–कौन से लोगे आप उसमें, किस को मुक्ति दोगे आप ?

**श्री चन्दन मल बैद** : अभी तो तीन ही है, मैंने कहा भविष्य में आगे क्या होगा, मुझे क्या सपना आ रहा है क्या ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : भविष्य में गड़बड़ी नहीं हो इसलिए रोक होनी चाहिये। यह मनमानी न हो यही रोक होनी चाहिये।

**श्री चन्दन मल बैद** : यह तो सरकार के हाथ में हमेशा रहेगा। आपने भी रखा है, हम भी रखेंगे, दूसरी कोई सरकार आयेगी वह भी रखेगी।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खंड–11 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसी स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड–11 में जो संशोधन श्री भंवरलाल शर्मा, श्री अमराराम, श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, श्री हीरासिंह चौहान ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह हैं कि खंड–11 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खंड–11 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड–12, प्रभारी मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय सभापति महोदय, मेरा संशोधन केवल इतना है कि धारा की जगह उप–धारा बना दिया जाये और खंड–12 (6) में भी धारा की जगह उप धारा है। क्लाज–12 के सेक्शन (4) में धारा की जगह उप–धारा है और क्लाज–12 के सेक्शन (6) में भी धारा की जगह उपधारा है।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खंड–12 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड–12 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खंड 12 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

खंड 13 से 18 कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड 13 से 18 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खंड 13 से 18 स्वीकार किये गये।

खंड 19 प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**श्री चन्दन मल बैद** : सभापति महोदय, इसमें निर्धारण प्राधिकारी आया हुआ है, जिसको मैं विलोपित करवा रहा हूं। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी पहले आ चुका है। इस तरह से दुबारा आ गया है यह गलत है। इस वास्ते निर्धारण प्राधिकारी जो आखिरी लाइन में आया हुआ है उसको मैं विलोपित करवा रहा हूं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आपने इसको देखा नहीं क्या ?

**श्री चन्दन मल बैद** : मैंने कहा ना कि हिन्दी का मैं मास्टर नहीं हूं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह हिन्दी अंग्रेजी क्या करेगी ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : पाश्चात्य संस्कृति के हो आप।

**श्री चन्दन मल बैद** : बिलकुल ठीक, 18वीं सदी का हूं।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खंड–19 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड–19 संशोधन रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खंड–19 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड–20 कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड–20 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खंड–20 स्वीकार किया गया।

खंड 21, प्रभारी मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**श्री चन्दन मल बैद** : सभापति महोदय, इसमें जब इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भी कर या शास्ति या किसी भी अन्य रकम का संदाय करने के दायी किसी व्यवहारी के कारोबार के स्वामित्व का अन्तरण हो जाता है तो अन्तरक या अन्तरिती की जगह अन्तरक या अन्तरिती, "या" की जगह "और" जोड़ दिया गया है। किसी भी कर या शास्ति या किसी भी अन्य रकम के, जो संदेय हो गयी हो किन्तु अन्तरण के समय असंदत्त रह जाये, संदाय के दायी होंगे और अन्तरिती से वसूली के प्रयोजनार्थ ऐसे अन्तरिती की असंदत्त रह जाये तो संदाय के लिये संयुक्ततः व पृथकः दायी

(श्री चन्दन मल बैद)

होंगे और अन्तरिती से वसूली के प्रदत्त ऐसे अन्तरिती को इस अधिनियम के अधीन कर या शास्ति या अन्य रकम संदत्त करने के लिये व्यवहारी समझा जायेगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, भाषा इतनी क्लिष्ट है। कोई समझ ही नहीं सकते। प्रभारी मंत्री क्यों लेकर आये हो, इसका अर्थ क्या है ? वैसे ही कोई टिपिकल त्रुटि रह गई या और क्या है। पता तो लगे आइंदा कम से कम भाषा तो सरल आये।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खंड–21 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड–21 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

**(स्वीकृत)**

खंड–21 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : एक आदमी समझ नहीं पाया। कोई खड़ा होकर बता दे क्या है यह ? डाक्टर कल्ला ही बता दें। प्रभारी मंत्री जी खुद ही बता दें क्या है ?

**श्री सभापति** : खंड–22, प्रभारी मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**श्री चन्दन मल बैद** : खंड 22 में जो छपा हुआ है उसमें "उप–धारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसे क्षेत्रों या ऐसे व्यवहारियों या व्यवहारियों के ऐसे वर्गों, ऐसे मामलों और मामलों के वर्गों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, के बारे में ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग, निर्वहन और पालन करेगा" उसकी जगह है "उप–धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसे क्षेत्रों या ऐसे व्यवहारियों के ऐसे वर्गों, ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों के बारे में ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का निर्वहन तथा कर्तव्यों का पालन करेंगे, अधिसूचना में निर्दिष्ट किये जायें।"

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खंड–22 में संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड–22 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

**(स्वीकृत)**

खंड–22 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड–23 प्रभारी मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय सभापति महोदय, ऐसी जांच के स्थान पर 'ऐसी' और 'जांच', यह शब्द जोड़ दिये गये है।

निर्धारण को अपास्त कर सकेगा और

(श्री चन्दन मल बैद)

निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी जांच जैसी निर्दिष्ट की जाय, करने के पश्चात् नवीन निर्धारण करने का निर्देश दे सकेगा। निर्धारण को अपास्त कर सकेगा और निर्धारण प्राधिकारी को और ऐसी और जांच जैसी निर्दिष्ट की जाय, करने के पश्चात नवीन निर्धारण करने का निर्देश दे सकेगा। 'ऐसी जांच' के बीच में 'ऐसी और जांच' कर दिया।

**श्री सभापति** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि खंड–23 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाए ?

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड–23 संशोधन रूप में स्वीकार किया जायं ?

**(स्वीकृत)**

खंड–23 संशोधन रूप में स्वीकार किया गया।

खंड--24 प्रभारी मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**श्री चन्दन मल बैद** : सभापति महोदय, 24(5) में "परन्तु यदि अपील में विधि का कोई ऐसा प्रश्न अन्तर्वलित हो जिस पर कर बोर्ड ने किसी अन्य अपील में बिना अपना विनिश्चय दे दिया हो और या तो ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण या उस पर उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लम्बित हो कर बोर्ड अपने समक्ष अपील की सुनवाई को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील का निपटारा हो जाने तक आस्थगित कर सकेगा।"

उसकी जगह यह है, "परन्तु यदि अपील में विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित हो जिस पर कर बोर्ड ने किसी अन्य अपील में पूर्व में अपना विनिश्चय दे दिया हो और या तो ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण या उस पर उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लम्बित हो तो कर बोर्ड अपने समक्ष अपील की सुनवाई को उच्च न्यायालय में ऐसी पुनरीक्षण याचिका, उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण कर सकता है, रिव्यू कर सकता है या उच्चतम न्यायालय में ऐसी अपीलों का निपटारा हो जाने तक आस्थगित कर सकेगा।"

इसमें "रिवीजन और अपील" है, उसमें खाली "अपील" थी।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : सभापति महोदय, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि टैक्स बोर्ड कमिशनर और बीच में कोई कोर्ट नहीं, सीधा हाई कोर्ट। अब एक लाख वाला, गांव वाला कहां हाई कोर्ट में पहुंचेगा ?

**श्री चन्दन मल बैद** : बीच में दूसरी चीज का हवाला है।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खंड–24 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड–24 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड–24 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड–25 कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड–25 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड–25 को स्वीकार किया गया।

खंड–26, प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**श्री चन्दन मल बैद** : खण्ड–26 के भाग–6 में "धारा" की जगह "उपधारा" कर दिया जाय।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खंड–26 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड–26 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड–26 संशोधित रूप मे स्वीकार किया गया।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, सरकारी संशोधनों की कितनी संख्या है यह तो बता दें।

**श्री सभापति** : यह तो आपके सामने आ जायेंगे, सब आ जायेंगे।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सरकारी संशोधन संख्या तो बता दो कम से कम।

**श्री सभापति** : आते ही रहेंगे, फिर गिन लो आप।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यानी यह पहला विधेयक होगा जिसमें सरकार इतने संशोधन ला रही है।

**श्री सभापति** : खंड–27 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड–27 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड–27 स्वीकार किया गया।

खंड–28 प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय सभापति जी, अभी तक यह क्लाज है :

"जहां उप धारा एक में निर्दिष्ट किसी आदेश से सम्बन्धित अपील में या पुनरीक्षण के रूप में किसी भी कार्यवाही में किसी

(श्री चन्दन मल बैद)

आदेश को विचारित और विनिश्चित किया गया है वहां ऐसा आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी ऐसे विनिश्चित के होते हुए भी ऐसे मामलों में भिन्न किसी मामले में से सम्बन्धित आदेश को परिशुद्ध कर सकेगा।" इसकी जगह होगा।

"जहां कोई आदेश उप धारा एक में निर्दिष्ट आदेश से संबंधित किसी भी कार्यवाही में अपील या पुनरीक्षण के रूप में विचारित और विनिश्चित किया गया है वहां ऐसा आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी ऐसे विनिश्चय के होत हुए भी उस आदेश को ऐसे मामले से भिन्न किसी मामले के सम्बन्ध में परिशुद्ध कर सकेगा जो इस प्रकार विचारित और विनिश्चित किया गया है।"

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय सभापति जी, यह जो संशोधन आ रहे हैं, आखिर में हमको भी इस पर विचार करने का मौका मिलना चाहिए, इसके अध्ययन करने का मौका मिलना चाहिए।

**श्री सभापति** : तो आपको भेजे गये हैं संशोधन, आपको भेजे गये हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह इतना लम्बा चौड़ा संशोधन का...

**श्री सभापति** : आपके पास कार्यवाही आयी होगी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : कल रात को भेजी होगी ?

**श्री सभापति** : हां, रात को भेजी है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मान लो रात को भेजा होगा। इतने ज्यादा आप संशोधन ला रहे हैं, मेरा निवेदन है कि अपना विचार रखेंगे कैसे हम ? या तो आप इसको अभी स्थगित कर दीजिये, कल रख लीजिये ताकि हम अपने सारे विचार तैयार करके आएं। ये इतने सारे संशोधन आपने दे दिये और फिर वह ऐसी क्लिष्ट हिन्दी है जो आपके ही समझ में नहीं आ रही है।

**श्री चन्दन मल बैद** : हिन्दी तो जैसी है, वैसी होगी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आप इसको ठीक से विचार रखने के लिए हमको भी मौका मिले, अपनी बात हम कह सकें नहीं तो आपको हां के अलावा और कोई उत्तर ही नहीं दे सकेगा। आप हां, हां कर रहे हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसका कल रख लीजिये, कल हम इसका अध्ययन करके आ जायेंगे। हम भी पास करा लेंगे।

**श्री सभापति** : कल का बिजनस कल होगा, आज का आज करेंगे।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : बैठ जायेंगे देर तक बैठ जायेंगे साहब।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खंड–28 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड–28 को संशोधित रूप मे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड–28 संशोधन रूप में स्वीकार किया गया।

खंड–29 प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**श्री चन्दन मल बैद** : क्लाज 29 के भाग दो में यह है, "परन्तु यह है कि विक्रेता जहां क्रेता कोई व्यवहारी हो, ऐसे मामलों में जिनमें माल के विक्रय की कीमत एक हजार रुपये या उससे अधिक हो, क्रेता को रजिस्ट्रीकरण संख्याक यदि कोई हो सहित उसका नाम और पता अभिप्राप्त करेगा और उसे विक्रयाधिकार पत्र या कैश मीमो में लेखबद्ध करेगा" इसकी जगह यह है: "परन्तु विक्रेता ऐसे व्यवहारी मामलों में जिनमें माल के विक्रय कीमत एक हजार रुपये या उससे अधिक हो, क्रेता का नाम और पूरा पता और जब क्रेता कोई व्यवहारी हो उसका रजिस्ट्रीकरण संख्याक यदि कोई हो भी अभिप्राप्त करेगा और उसके विक्रयाधिकार पत्र या कैश मीमो में लेखबद्ध करेगा।"

**श्री सभापति** : प्रभारी मंत्रीजी का संशोधन प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि खंड–29 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड–29 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड–29 संशोधित रूप मे स्वीकार किया गया।

खंड–30 से 45 कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड 30 से 45 तक स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खंड–30 से 45 स्वीकार किये गये।

खंड–1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड–1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खंड–1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री चन्दन मल बैद प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

## विधेयक का पारण

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय सभापति

(श्री चन्दन मल बैद)

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999 को संशोधित रूप से पारित किया जाए।

**श्री सभापति** : श्री सांवर लाल जी।

**श्री शिवनाथ सिंह** : माननीय सभापतिजी, मुझे भी इजाजत दी जाए।

**श्री सभापति** : हां, आपको भी दे देंगे।

**श्री सांवर लाल** : सभापति महोदय, इस आम चुनाव के बाद जैसे ही यह सरकार आयी है, 153 के प्रचण्ड बहुमत से, आते ही इन्होंने श्वेत पत्र जारी करने का एक संकल्प ले लिया। श्वेतपत्र जारी करने के नाम पर जनता को गुमराह किया। देश आजाद होने के बाद पहली बार जितना टैक्स इस बजट में लगाया, जनता के ऊपर भार डालने का प्रयास किया गया, मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं हुआ। परन्तु आप जानते हैं जो संगठित हैं उनके दबाव के आगे उनको झुकना पड़ा, व्यवसाय कर वापस लिया, किसानों के ऊपर सिंचाई और बिजली की रेटें बढ़ाई डबल कर दीं। वित्त मंत्री बहुत होशियार हैं। प्रतिपक्ष ने जोरदार मांग की तो इन्होंने एप्रोप्रिएशन बिल पर घोषणा कर दी कि कमाण्ड एरिया में जो बाजरा बोते हैं, जो मक्का बोते हैं, उन किसानों का सिंचाई शुल्क आधा किया जाता है। मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कमाण्ड एरिया में बाजरा और मक्का सिंचित करने का कितना एरिया है और उनसे सिंचाई की कितनी राशि वसूल होती है हमें यह बताने की कोशिश करें। किसानों को गुमराह करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप नहीं करते, किसानों के ऊपर भार डालना ही चाहते हैं तो हमको कोई एतराज नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुंगी हटाई। चुंगी से लोगों को परेशानी होती थी। जगह–जगह बेरियर लगे रहते थे। ट्रक खड़े रहते थे, किसान भी माल ले जाते थे उनकी भी बे–इज्जती होती थी तो सरकार ने चुंगी हटाई। यह आते ही, एण्ट्री टैक्स के नाम से यह नया बिल विधान सभा में लाई।

माननीय सभापति महोदय, कानून जनता के लिये होता है, जनता कानून के लिये नहीं है। बारबार मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि यह तो एक्ट है, मैं आर्डिनेंस बाद में जारी कर दूंगा। मंत्री महोदय, हिटलर को भी इतने असीमित अधिकार मिल गये थे तो उसने भी जनता को तबाह किया। अब एक फैशन हो गया है कि पक्ष में बैठे हुए तो हां में हां मिलाएंगे, चाहे इस कानून को पढ़ा या नहीं पढ़ा। प्रतिपक्ष वाले उसका विरोध करेंगे, चाहे पढ़ा या नहीं पढ़ा।

बारबार, मंत्री महोदय, तीन बार आप कह चुके थे हिन्दी से, अंग्रेजी से हिन्दी में गल्तियां हो गयीं। उसका संशोधन ला रहा हूं। हिन्दी और अंग्रेजी की गलतियां तो दुरूस्त हो जाएंगी पर इस एक्ट के अन्दर

(श्री सांवर लाल)

जो आपने प्रावधान किये हैं, ये आपके अकेले की +++ नहीं है। इसका इंटरप्रिटेशन इंस्पेक्टर भी करेगा। कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो कोर्ट भी करेगा। आपने एक बात और कह दी। मैं वित्त मंत्री हूं तब तक तो इस चीजों के ऊपर रखूंगा। तो आप वित्त मंत्री हैं।

**श्री चन्दन मल बैद** : यह मैंने नहीं कहा, नहीं कहा, यह गलत मत बोलिये।

**श्री सांवर लाल** : नहीं, इसी तरह से तो आप भार ही डालते जाओ, अगर आप इसे जस्टिफाई समझते हैं।

**श्री चन्दन मल बैद** : नहीं, नहीं, आपने नहीं कहा। मैंने यह नहीं कहा कि मैं वित्त मंत्री हूं तब तक, यह गलत बात मत कहिये आप।

**श्री सांवर लाल** : तो माननीय सभापति महोदय, इसमें असीमित प्रावधान किये गये हैं। खंड–2 में जो प्रावधान हैं उसमें पशुधन भी है। उसमें मूवेबल प्रोपर्टी, उसमें पशुधन को आपने ले लिया तो फिर आदमियों को भी ले लो। इनको भी क्यों छोड़ते हैं। शादी–विवाह में या दूसरी जगह जाते आते हैं। औरतों के ऊपर भी टैक्स लगा दें। "असीमित" इसका इंटरप्रिटेशन कौन कैसा करेगा, यह कोई नहीं कह सकता है यह आपके हित में भी होगा। सत्तापक्ष के सदस्य आज तो बड़ी जोर–शोर से हां में हां मिला रहे हैं। परन्तु आने वाल समय में जब इसका भार पड़ेगा, क्योंकि इन अरबी घोड़ों के हाथ में जाने के बाद में मंत्री महोदय आपके भी हाथ में कुछ नहीं है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, सुनिये आपने, यह सोच समझकर के कहा है क्या कि औरतों के ऊपर भी टैक्स लगा दो।

**श्री सांवर लाल** : इसमें पशुधन ले लिया, माननीय सभापति महोदय, मूवेबल प्रोपर्टी, तो आदमी भी एक बहुत बड़ी सम्पत्ति है। हिन्दुस्तान की तो असली शक्ति और असली सम्पत्ति इन्सान है। अगर उसको भी किसी अधिकारी ने इन्क्लूड कर दिया तो उसको रोकने का क्या प्रावधान है। स्पष्ट है क्या कहीं पर इस कानून के अन्दर। इसलिए बड़ा अस्पष्ट और असीमित अधिकार इस कानून के जरिये मिलने जा रहा है, माननीय सभापति महोदय, जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा।

अब देखें, कानून बनाने वालों को, कानून पास करने वालों को ही पता नहीं है कि इस धारा का क्या प्रभाव होगा, कहां इसका प्रभाव पड़ेगा। किस–किस को आप ले बैठेंगे। हम तो चुंगी पर ही लेते थे। आपने तो गांव–गांव और ढाणी–ढाणी पर कर दिया। अब आपने यह भी कर दिया, ठेके के काम होंगे। अभी तो मैं तीन चीजों पर टैक्स लगाऊंगा। शराब के ऊपर, दूसरा आपने

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सांवरलाल)

बताया कि बाहर से जो लाटरी आती है उसके ऊपर और डोडा पोस्त के ऊपर। अब इन चीजों से तो कोई ठेका या कंस्ट्रक्शन होता नहीं है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का अभिवेदन यह है कि माननीय वित्त मंत्रीजी की मंशा भी मेरे ख्याल से स्पष्ट नहीं है कि आखिर आप कहां तक जाएंगे, कहां तक टैक्स लगाएंगे। क्योंकि आपने पहले मतीरे के बीजों पर लगाया, पशुओं पर लगा दिया, ढाणी--ढाणी में जो भी इधर--उधर सामान लाएंगे, चारा लाएंगे उस पर टैक्स लगा देंगे। दूध लाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। हर कमोडिटी पर आपने टैक्स कर दिया। यह आम आदमी को प्रभावित करेगा, किसान को प्रभावित करेगा, छोटे--छोटे व्यापारियों को प्रभावित करेगा। एक लाख रुपये की आज क्या वेल्यू है। एक लाख रुपये का, आज अगर रजिस्टर और ये सारी चीजें मेंटेन करेंगे, उसमें पैकिंग मेटीरियल, यह और वह। आपका जो इंस्पेक्टर राज है, वह हावी हो जाएंगे। असैसमेंट आप किस प्रकार करेंगे, बाजार मूल्य आप किस प्रकार निकालेंगे। अलग-- अलग जगह पर अलग--अलग वेल्यू होती है।

सभापति महोदय, कानून बहुत अस्पष्ट है। कानून बिलकुल साफ होना चाहिए, सरल होना चाहिए। जनतंत्र है। जनतंत्र के अन्दर कम से कम लिटिगेशन हो, कम से कम लोगों को कोर्ट--कचहरी में जाना पड़े और कम से कम अधिकारियों को मनमानी करने का अधिकार मिले। इस प्रकार का कानून आप बनाएं तो यह ठीक होगा। अब इसकी भाषा ऐसी है, माननीय मंत्री महोदय, आप भी कह रहे हैं कि मैं हिन्दी नहीं जानता हूं। आप से कम जानने वाले तो राजस्थान में करोड़ों लोग हैं। ऐसी क्लिष्ट भाषा का आप यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा कह रहे है कि अंग्रेजी पढ़ लो। बात तो आ रही है कि हिन्दुस्तान में हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ लों। अंग्रेजी कौन पढ़ लेगा ? कल गांव के किसान की गाड़ी पकड़ के पटक दी तो वह अंग्रेजी में इस एक्ट को पढ़ने जाएगा ? हिन्दी पढ़ेगा तो शब्द उसके समझ में नहीं आएंगे।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, सत्तापक्ष के सदस्यों से भी मेरा निवेदन है कि आप सत्ता के मद में हो। अभी नया--नया ही टाइम है, पांच महीने का टाइम है। पांच महीने में, यह एक्ट, अगर धर्म से, ईमान से, सत्तापक्ष के किसी माननीय सदस्य ने पढ़ा हो कि इसका क्या--क्या प्रभाव है तो मुझे बता दें। आज सैंकड़ों, माननीय मंत्रीजी, आपने इतने संशोधन कर दिये। (व्यवधान) पता नहीं, आपने कितनी इसके ऊपर चर्चा की कितनी नहीं की। ब्यूरोक्रेसी लाबी से जो संशोधन आते हैं, फटाफट हां में हां

(श्री सांवर लाल)

(17.26 बजे)

**(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

मिला देते है। सत्तापक्ष और विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं उनको जनता की चिन्ता है। वे पढ़ते हैं, उसका प्रभाव किस वर्ग पर पड़ेगा, किस पर नहीं पड़ेगा, कितने इसके असीमित अधिकार होंगे। इसलिए कानून बहुत अस्पष्ट हैं, असीमित है। आम आदमी पर भार पड़ेगा। आप खुद भी इसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं। मंत्री महोदय, इसको पास मत कराइये। जनमत प्रचार के लिये या प्रवर समिति को सौंपिये, सीधा कानून मत बनाइये।

मैं तो कह रहा हूं कि आप इससे भी और खतरनाक बनाएं। यह आपको ही ले डूबेगा। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। पर इस कानून में जिन लोगों पर भार हो रहा है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आखिर हम भी जन—प्रतिनिधि हैं। बहुमत आपके पास है, हाथ खड़ा करेंगे। पास कर लो और पास होगा। हमारे बोलने से आप मानेगें भी नहीं। क्योंकि हम अगर सही बता भी कर रहे हैं उसको भी आप यूं हंसी मजाक में उड़ा रहे हो, इसकी गम्भीरता नहीं देख रहे हो कि एक्ट के प्रोविजंस की क्या गम्भीरता है। तो इसमें फिर मुझे कुछ कहना भी नहीं है। क्योंकि जब सरकार ही गम्भीर नहीं है, हमारी जो भावना थी वह आपको बता दी। इससे जनता का तहस—नहस हो जाएगा। लोग सड़कों पर आएंगे, यह आप देख लेना, आज नहीं छह महीने, एक बार इसको लगने दो फिर आप याद रखना, जो मैंने कहा, वह होता है कि नहीं होता है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान विधान सभा में इतने कानून बने होंगे परन्तु इतनी बार संशोधन और संशोधन के लिये प्रभारी मंत्री को उठक—बैठक इसी कानून में करनी पड़ी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तो वित्त मंत्री जी को बड़ा विद्वान वित्त मंत्री समझता था परन्तु आज अगर इनसे खुद से पूछें...

**श्री उपाध्यक्ष** : अभी भी समझते रहो। विद्वान तो उनको समझते रहो आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आज इनसे खुद से पूछें कि इस विधेयक की मंशा क्या है, इस विधेयक के अन्दर किस तरह के क्लाजेज हैं तो शायद उनको भी मालूम नहीं हो। उनकी तो कलम टैक्स पर जल्दी चलती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा वित्त मंत्री जी, इसमें धारा 35 आप जरूर पढ़ें। अपराध और शास्तियां—उसमें जो अपराध हैं, इसमें लिखा है कि ऐसा जुर्माना जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु पचास हजार रुपये तक हो सकेगा, और दोनों से, जब अपराध चालू हो तो अपराध चालू रहने की कालावधि के दौरान एक सौ रुपये प्रतिदिन के अनधिक जुर्माना दंडनीय होगा और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साधारण कारावास 12 महीने का। अब आप यह शास्तियां और यह पैनल्टी, जब एक कानून इंसपेक्टर के हाथ में आ जाएगा और वह जाकर कहेगा कि आपने एप्रोप्रिएट अथोरिटी से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, आपने बिल नहीं काटे हैं, खातों का संधारण नहीं किया है और वह कहेगा कि आप डिफाल्टर हो गये हो। वह कानून दिखाएगा कि इस धारा–35 के तहत आपकी कितनी पैनल्टी लगा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी आपने इस बिल के उद्देश्यों में यह बात कही थी कि आप नगरपालिका और ग्राम पंचायतों का वित्तीय संवर्द्धन करना चाहते हैं। इसका मतलब उद्देश्य तो आपका साफ है। आप एक ही बात कह दो कि जब तक आपके हाथ में वित्त मंत्री की कलम है, आपने जो तीन चीजों की अधिसूचना जारी की है, उसमें चौथी चीज शामिल नहीं करोगे। तब भी हम संतोष कर लेंगे। राजस्थान की जनता को बताएंगे कि कम से कम एक बार तो तीन ही चीजों पर इन्होंने एण्ट्री टैक्स लगाया है। और एण्ट्री टैक्स के अन्दर अभी पंचायत मंत्रीजी ठीक कह रहे थे कि इस बार तीन, छह महीने के बाद फिर तीन और बारह महीने के बाद फिर बारह, इस तरह करना है तो फिर सीधे–सीधे चुंगी लगाओ आप। क्योंकि आपने कम्प्यूटर चुंगी नाकों पर लगाकर आपने ये बेरियर तो लगा ही दिये। तो आप सीधे–सीधे बात क्यों नहीं करते। इसलिए आप फिर भी स्वविवेक से देखें। आप इतने वर्षों से हाउस के अन्दर हैं। कभी आपने किसी कानून में इतने संशोधन देखे हो तो बताओ और मैं तो चाहूंगा कि आपको उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए। क्या कारण था कि इतनी बार संशोधन करना पड़ा। इतनी इसमें त्रुटियां। आप इसकी जांच करें। कौन ऐसा अधिकारी आपके पास है जो आपकी इस छवि को खराब करना चाहता है। आपकी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता है। आप उस चीज को भी वित्त मंत्री जी खो दें, अभी तो शुरूआत है। मंजिल तो बहुत बाकी है क्योंकि ज्यों–ज्यों आपके कदम बढ़ेंगे, त्यों–त्यों पीछे से हम लोग आएंगे। इतिहास है, इस बात का कि जब–जब आप वित्त मंत्री रहे है, विपक्ष के लोग वापस वाउण्ड होकर उधर आते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो आपका हितैषी हूं। पुराने रिश्ते के कारण मुझे याद आ जाता है, मेरा वह जमाना, मेरे दादाजी के साथ खुली गाड़ी वाले मेरे दादाजी और उनके साथ आप खड़े हुए हैं कई तस्वीरों में मैं आपको देखता हूं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखें कि कौनसा ऐसा अधिकारी है जिसने इस तरह का कानून, त्रुटिपूर्ण कानून बनाया है, उसकी जांच भी आप करें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मैं सुझाव देना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : जरूर बोलें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : वित्त मंत्रीजी, एक तो आप उस नोटिफिकेशन वाली बात पर थोड़ा सा नाराज हो रहे थे, वह मेरे समझने की गलती थी। लेकिन यह बात सही है कि कानून में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, उस भाषा को इंटरप्रिटेशन करने का काम कोर्ट का है। वह आपकी मंशा और विधान-सभा में क्या डिबेट होती है, उसके ऊपर कभी नहीं जाएगा। खैर, मैं आपको जो मूलतः बात कह रहा हूं, वह सैक्शन 26 और 27 पर कह रहा हूं। अब यह थोड़ा–बहुत भी जो कानून समझते हैं, उन सबको, मेरे कई माननीय मित्र यहां पर वकील हैं, वे यह सैक्शन 26 पढ़ें :–

"Revision to the High Court : (1) Within sixty days from the date on which an order under sub-section (5) or clause (a) of sub-Section (7) or sub-section (8) of section 24 was communicated to him, the appellant or the respondent may prefer a petition to the High Court against order on the ground that the Tax Board has either failed to decide or decided erroneously any question of Law."

वित्त मंत्रीजी, यह अधिकार आप नहीं प्रदान कर रहे हैं। यह अधिकार तो हाई–कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन के अन्दर स्वतः प्रदान है कांस्टीट्यूशन के तहत। संविधान के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है और रिट का जो क्षेत्राधिकार है, वह यही है कि जहां पर क्वेश्चन आफ ला डिटरमिन नहीं कर सकता या जहां करना चाहिए था, डिटरमिन नहीं किया और क्वेश्चन आफ लां होता है तो हाई कोर्ट सीधा जाता है तो आपका यह प्रोविजन रिडण्डेंट है। हाई कोर्ट को तो पावर्स आलरेडी है। आप क्या पावर्स दे रहे हो हाई कोर्ट को ? इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप किसी से भी सलाह ले लें। एक तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं। एक सैक्शन 27, आपके अपील टू द हाई कोर्ट, सैक्शन 24 में जब टैक्स, कोर्ट कोई आर्डर पास करेगा, उसकी अपील का प्रावधान रखा है हाई कोर्ट के अन्दर। श्रीमान्, जो फाइनल अथोरिटी होती है, आर्डर पास करने की, उसको उस आर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने का अधिकार आलरेडी प्राप्त है और रिट का जो स्कोप है, वह लिमिटेड है। अपील का स्कोप, स्टेट्यूटरी राइट दे रहे हैं आप। आप थोड़ा यह एप्रिशिएट करें कि स्टेट्यूटरी राइट उसको दे रहे हैं कि वह टैक्स बोर्ड के खिलाफ अपील में चला जाए। हाईकोर्ट के ऊपर बर्डन आफ वर्क कितना है ? यहां एक यह सवाल भी खड़ा हुआ था, चर्चा भी हुई थी। 32 वेकेंसीज हैं। कई सालों से फिल–अप नहीं हुई है और आप और बर्डन आफ वर्क बढ़ाना चाहते हैं। यह समझना कि इससे कोई, यह जो बारबार मेरे मित्र कह रहे थे, वह सही कह रहे थे कि अगर आप हाई कोर्ट उसको सीधा भेजते हैं, जिसको हाई

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कोर्ट जाना होगा और यहां क्वेश्चन आफ लां का सवाल है और लीगल पाइंट होगा, जिसको डिसाइड करना होगा तो हाई कोर्ट जाएगा ही जाएगा। अब आपने इसके अन्दर रिट का पूरा प्रोसीजर सैक्शन 27, 26 में दुबारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा रिट का जुरिस्डिक्शन आपने बता दिया। समरी डिस्मिजल कर दिया हाई कोर्ट। वित्त मंत्रीजी इसका आप क्या कहेंगे? समरी डिस्मिजल की हाई कोर्ट को पावर्स है। हाई कोर्ट सीधा किसी अपील को, रिवीजन को, पिटीशन को फेल करता ही नहीं है। एडमिशन में लगता है पहले केस और प्राइमाफेसी अगर केस होता तो एडमिट करता है तब नोटिस इश्यू करता है। अब आपने अनावश्यक यह एक पूरा का पूरा पैरा और कागज और श्रम और शक्ति का अपव्यय किया है जो कोई आवश्यकता नहीं थी और सैक्शन 27 पर आप पुनर्विचार करें। होई कोर्ट के पास वर्क लोड बहुत ज्यादा है। जजेज की कमी है। मेहरबानी करके इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। बाकी आपने जितने संशोधन, खुद ने उचित समझें, इतने संशोधन आने नहीं चाहिए थे और बारबार जो यह कह रहे हैं, मेरे मित्र, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मेरा विचार यह है कि आपने अंग्रेजी का जो है, लेजिस्लेशन अंग्रेजी में ही ड्राफ्ट होता है, यह फैक्ट है। यह हमें समझना चाहिए। अल्टीमैटली छोटे–छोटे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आपका लेजिस्लेशन तो आपने ड्राफ्ट कर लिया, इसके अन्दर अंग्रेजी में। अनुवाद आपने जल्दी में करवाया तो यह गलती है, जिसने अनुवाद किया है, वह बाद में आपको ध्यान में लाया गया इसलिए आपको बारबार संशोधन लाने पड़े लेकिन आप सैक्शन 26 और 27 पर पुनर्विचार कर लीजिए। इनकी बिलकुल आवश्यकता नहीं है। 26 तो रिडंडेंट है। यह तो कोई मतलब ही नहीं रखता। आलरेडी हाई कोर्ट को अधिकार प्राप्त है। सैक्शन 27 की आवश्यकता नहीं है। इसकी कोई दूसरी अपील और आप प्रोविजन कर सकें, आप रेवेन्यू बोर्ड में भी रख दीजिए अगर कोई बात हो तो लेकिन हाई कोर्ट को तो वैसे ही अधिकार प्राप्त है और ज्यादा आप बर्डन नहीं दे इसलिए इतनी सी मेरी आपको प्रार्थना है। धन्यवाद।

**श्री हीरासिंह चौहान** : मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो बोल लिये न ?

**श्री हीरासिंह चौहान** : हां, बोल तो लिया लेकिन थर्ड रीडिंग पर मैं और बोलना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आगे और आ रहा है। अभी तो बोले ही जाओगे आप। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : लेजिस्लेशन पर बोलना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन सैक्शन्स पर चर्चा हो गयी, उसके बारे में नहीं बोलकर मैं इस एक्ट का, बिल में जो–जो ऐसी आपत्तिजनक धाराएं लगायी हैं,

(श्री हीरासिंह चौहान)

मैं उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 13 की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिक्योरिटी डिपोजिट अब अगर असैसिंग अथोरिटी कहीं यह पा लेती है, ऐसा कहीं नहीं है, उसमें लिखा है :

" The assessing authority may for good and sufficient reasons, demand from any dealer liable to pay tax under this Act security for the proper payment of tax payable by him and on demand such dealer shall furnish the security within seven days." टाइम लिमिट दी है कि विदिन सेवन डेज उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी तो इसी प्रकार इन्होंने आर्टिकल 16, सैक्शन 16 में पेमेंट आफ टैक्स इन एडवांस, एडवांस में टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा।

It says that : " Subject to such Rules as may be made by the State Govt. every registered dealer shall send every month to the assessing authority a statement containing such particulars as may be prescribed and shall pay in advance the full amount of tax payable by him on the basis of the goods brought by him during the preceding month into the local area and the amount so payable shall be deemed to be an amount due from such dealer under this Act." मेरा इसमें उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है। यह तो सरकार के हाथ में है। जब चाहे, जितना टैक्स कलेक्ट करना चाहे, केवल असेसिंग अथोरिटी को सैल्स टैक्स वालों को आर्डर देने की जरूरत हैं, हर किसी पर भी हमला किया जा सकेगा और हर किसी से जैसा चाहे, जितना चाहे टैक्स वसूल किया जा सकेगा इसलिए मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी, आप बहुत बुजुर्ग हैं, इसकी कुछ धाराओं को और आप देख लीजिए और इस प्रकार का बनाइये ताकि जनता को तकलीफ नहीं हो। बाकी मैं तो इसका सख्त विरोध करता हूं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चर्चा के दौरान भी निवेदन किया था और अन्त में फिर एक निवेदन करता हूं कि दो–तीन बातों पर जरा ध्यान दे दें। एक तो यह टैक्स है इसे वन टाइम आप कर दें। इसमें अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपने कहा जरूर है पर वन टाइम टैक्स का उल्लेख हो जाए।

दूसरा जो लिमिट है, वह दस लाख की कर दें और तीसरा जो परचेज प्राइस है, वह परचेज प्राइस भी उसमें भी बड़ी पेचीदगी कर दी। उसमें आपने तो परचेज प्राइस एक्चुअली जो खरीदता है, वह नहीं है बाकी आपने जो इसमें परिभाषा दी है, परचेज प्राइस का मतलब आपने यह लिखा है :

(श्री भंवरलाल शर्मा)

"...means the purchase price at which a dealer has purchased the goods inclusive of charges borne by him as cost of transportation, packing, forwarding and handling commission, insurance, taxes duties and the like." और इतना सारा जुड़ने के बाद उसकी कीमत तय करेंगे तो उसका वार्षिक टर्न ओवर और बढ़ जाएगा। यानि 100 रुपये का माल अगर वह खरीदता है कास्ट प्राइस पर तो 100 रुपये का माल जाएगा यदि अन्य खर्चे इन्क्लूड कर दिये तो उसके पास 120 का पड़ जाएगा उधर आप उसकी सीमा एक लाख से ज्यादा नहीं कर रहे हो तो इसी से टर्नओवर और बढ़ जाएगा उसका और वह टैक्स के लायबल हो जाएगा। यदि वह तीन–चार बातें आप ध्यान रखें। एक इसमें जो पशुओं को आपने जोड़ दिया कि पशुओं पर भी आप यह कर लगा देंगे, उसको भी आप इसमें से निकाल दें। यह तीन–चार बातें निवेदन करता हूं अन्त में। मैं एक यह चाहूंगा कि यह जो अमेंडमेंट आए हैं इतने अधिक अमेंडमेट किये हैं, यह वास्तव में बड़ी सीरियस बात है। मैं मानता हूं कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इतने अमेंडमेंट आखिर में विधान सभा में सरकार का क्या दृश्य पैदा करेगा, यह क्या मैसेज देता है। कम से कम यह तो जानकारी हो जाए कि यह हुए क्यों ? कोई एक हो जाए, दो हो जाए, आप लगातार कर रहे हैं। इसमें कुल 45 सैक्शन हैं, उसमें आधे से ज्यादा आपने अमेंड किये हैं। लगभग बीस के आस–पास अमेंडमेट किये हैं, यह अच्छी पिक्चर पेश नहीं करता। गलती क्यों हुई, क्या कारण थे इसको आप देखिये कैसे हुआ, यह गलती कहां हुई, क्या कारण थे और यदि किसी ने भूल की है तो उसको जरा संवारिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रश्न उठाये गये हैं, उनका मैं एक बार नहीं कम से कम पांच–सात बार जवाब दे चुका हूं। बार–बार ये वही सवाल उठाते हैं। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : समाधान नहीं होंगे तो सवाल उठेंगे ही।

**श्री चन्दन मल बैद** : मैंने पहले ही कह दिया कि नोटिफिकेशन के द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया जाएगा। यह एण्ट्री टैक्स एक ही बार लगेगा, राजस्थान में दुबारा नहीं लगेगा। फिर आप विश्वास नहीं करते तो मैं अब क्या करूं। दूसरी बात मेरे विद्वान साथी, जो मालपुरा से आते हैं, वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे थे। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो न मेरे हाथ में है, न और किसी के हाथ में है। वह तो कांस्टीट्यूशन में है। हमने टैक्स ट्रिब्यूनल बनाया था। हमने यह समझा था, अभी आएगा वह भी हाई कोर्ट का हम जुरिस्डिक्शन

(श्री चन्दन मल बैद)

रोक देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को आप नहीं रोक सकते। खाली सिंगल बैंच को रोक सकते हैं। डबल बैंच में तो वह जाएगा ही। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको हम परिभाषित करें या नहीं करें, वह तो तैयार है। इस वास्ते इसका कोई सवाल नहीं है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं, आप क्या दे रहे हो ? यह लिख रखा है कि आप इसमें ...(व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं दे नहीं रहा हूं। अगर लिख दिया मैंने, उसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये आपको।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : परेशानी है, साहब।

**श्री चन्दन मल बैद** : अच्छी बात है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : एक मिनट। वह रिवीजन...(व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : आप नहीं मानेंगे। जानता हूं, नहीं मानेंगे आप किसी की बात को। मैं यह जानता हूं। मेरा अनुभव है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आपकी प्रकृति, अपने हिसाब से दूसरे आदमी के लिये सोचते हो। आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं तो नहीं मानूंगा लेकिन आप समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे।

**श्री चन्दन मल बैद** : इस सैल्स टैक्स की जो परिभाषाएं उसमें दी हुई हैं, वही परिभाषाएं हमने इसमें दी हैं। गुड्स की परिभाषा सैल्स टैक्स एक्ट में दी हुई है।

"Goods" means all kinds of movable property (other than newspapers, actionable claims, stocks, shares and securities) and includes livestock.

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह आपकी मजबूरी है।

**श्री चन्दन मल बैद** : नहीं, मजबूरी का सवाल नहीं है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मजबूरी है क्या यही परिभाषा देओ ही देओ आप। It is not necessary. यह आवश्यक नहीं है।

**श्री चन्दन मल बैद** : आप मजबूरी का सवाल मत कहिये। देखिये, यह एक्ट बन रहा है। यह एक्ट बन रहा है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माना।

**श्री चन्दन मल बैद** : एक्ट में हमको आल परवेडिंग सारे आसपेक्ट्स देखने पड़ते हैं। रोजाना विधान सभा में आकर, विचार– विमर्श करके...(व्यवधान) उसमें कोई संशोधन करें, यह जरूरी नहीं है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : वह बात अलग है। सैल्स टैक्स में जो डेफिनेशन हो उसको ही रखना पाबन्दी नहीं है आप

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पर कि इसमें भी रखें। आप यह आपकी मर्जी है आप रखना चाहते हैं तो रखें। (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : इस वास्ते आल परवेडिंग एक्ट बनाना पड़ता है। सैल्स टैक्स एक्ट इतने दिन हो गये, देखिये, लाइव स्टाक पर भी टैक्स लगाये क्या अभी। लेकिन यह आल परवेडिंग जब एक्ट बनता है तो सारी चीजों का समावेश उसमें करना पड़ता हैं, करते हैं। किसका यूज करते हैं, किसका यूज नहीं करते, यह सरकार का डिस्क्रिएशन होता है तो इस वास्ते आपको यह परेशानी नहीं होनी चाहिये। मैं तो सैल्स टैक्स में जो है उसी का रेफर दिया है। अब आप बार–बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि एक लाख के ऊपर हो जाएगी। जो नोटिफाइड गुड्स होंगे, उसी पर एक लाख की सीमा बनायी गयी है। जो नोटिफाइड गुड्स नहीं है, उस पर अगर कोई डील करता है तो उसकी एक लाख की सीमा में वह नहीं जोड़ा जाएगा। यह मैं बार–बार कह चुका हूं और सैल्स टैक्स एक्ट में भी एक लाख की सीमा है। अब उसके बावजूद भी आप मुझसे बार–बार कहलाना ही चाहते हो तो कहलाते रहिये। मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, जब तक कहेंगे तब तक मैं तो यहां बैठा हीं रहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं सारी शंकाओं को मैं एक बार नहीं कम से कम आधी दर्जन बार दूर कर चुका हूं। इस वास्ते मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को आप पारित करवायें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : इतने संशोधन पहले कभी नहीं आये।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों के माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों के माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999, श्री चन्दन मल बैद, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

## विधेयक पर विचार

### राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : ले लें। बोलो आप, मैं तो नहीं रोक रहा हूं।

**श्री हीरासिंह चौहान** : मेरा नाम है।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां बोलो। नाम सबके बहुत हैं।

**श्री हीरासिंह चौहान** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के नाम पर विजय श्री प्राप्त कर इस विधान सभा में आने वाले पहली बार किसानों का एक ट्रेक्टर था, उस ट्रेक्टर पर भी टैक्स लगाया। अब ट्रेक्टर गुजरात से लाये, हरियाणा से लाए, एम.पी. से लाए, पड़ोसी राज्यों से लाए।

**श्री चन्दन मल बैद** : आप क्यों भ्रम फैला रहे हैं ? कोई किसान गुजरात से ट्रेक्टर लाएगा राजस्थान में...(व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : क्यों नहीं लाएगा। आपने तो प्रवेश कर लगाया है...(व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : हरियाणा से, गुजरात से लाएगा, क्यों भ्रम फैला रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर। इसका नाम है ही स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 It is very clear. मैं निवेदन करना चाहता हूं What is the object of being this Act ? उद्देश्यों और कारणों का कथन–राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के विद्यमान उपबन्ध, अधिनियम के अधीन के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिये ट्रेक्टरों पर लागू नहीं होते। अतिरिक्त स्रोत जुटाने के उपाय के रूप में उक्त अधिनियम के क्षेत्र को बढ़ाने के दृष्टिकोण से ट्रेक्टरों को कर की परिधि में लाये जाने का प्रस्ताव हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि यह ट्रेक्टर कहां से लेकर आते हैं। अभी तक उस पर टैक्स नहीं था कहीं से भी लाये जाते, मेरा निवेदन है कि अब इस ट्रेक्टर पर भी टैक्स लगा दिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार पहले से कई बार सरकारें आयी और सरकारें कई बार गयीं, लेकिन खेती के प्रयोग में यह ट्रेक्टर आता हैं, कोई पूंजीपति या कारखानेदार इस साधन को रखता नहीं है। मोस्टली जितने भी इसके मालिक हैं, सब एग्रीकल्चरिस्ट हैं। इसलिए हमारा निवेदन है आपसे, कि यह जो टैक्स ट्रेक्टर पर लगाया गया हैं, इसको नहीं लगाया जाए और इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए। क्या यह सरकार ट्रेक्टर बाहर से लाकर जो प्रवेश करेंगे, उस पर भी टैक्स लगाना वाजिब है क्या या नहीं ? मैं चाहता हूं इसका जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। पहली बार किसानों पर यह ट्रेक्टर का टैक्स लगाया है, इसको परिधि में तामील करने के लिये यह बिल लाया गया है, इसलिए मैं इसका सख्त विरोध करता हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : माननीय उपाध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ था जब यह बिल आया।

**श्री चन्दन मल बैद** : जी हां। आपको क्यों आश्चर्य होगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : क्योंकि माननीय वित्त मंत्रीजी की जिस तरह की आदत है, सबसे पहले इनकी निगाह उस गरीब किसान पर रहती है, क्योंकि किसान की पीड़ा इन्होंने देखी नहीं, किसान का दर्द इन्होंने देखा नहीं, किसान की संस्कृति से परिचय नहीं है इनका। मैं समझता हूं वित्त मंत्री जी, आपने और किसी के साथ, मैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल करूं, धोखा किया है या नहीं किया, उन किसानों के साथ जरूर किया, जिन्होंने आपको 1200 वोटों से जिताकर यहां भेजा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इसके पीछे मकसद एक ही है। आपने बड़े जोर से अभी प्रतिवाद किया कि बाजार से कौन किसान ट्रेक्टर लाता है। वित्त मंत्रीजी, आपको अच्छी तरह मालूम है और आप नहीं मानो तो आज तो आपके हाथ में सब कुछ है, तो भेजकर मालूम कर लें कितनी बड़ी संख्या में ट्रेक्टरों की खरीद करके किसान लेकर आते हैं हिसार से, हरियाणा से, राजगढ़ के अंदर, अपने चूरू जिले के अंदर हरियाणा से ट्रेक्टर आते हैं। गंगानगर जिले का किसान पंजाब से ट्रेक्टर लेकर आता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को लाकर आपकी मंशा क्या है, यह तो सामने आ गयी और इसमें मंशा साफ यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें एक संशोधन है 1988 मोटर व्हीकल एक्ट के सैक्शन 2 (1) ई में परिभाषा किया गया है, कौन–कौन से मोटर यानों पर प्रवेश में प्रवेश पर कर लगेगा। उसमें पहले ट्रेक्टर नहीं था। अब इन्होंने ट्रेक्टर को शामिल कर लिया। वित्त मंत्री कहते हैं न जैसा खोदता है, वैसा ही आदमी भरता है। अब आपने टैक्स लगा दिया तो खड़े होकर हिम्मत के साथ कहो न कि हमने टैक्स लगा दिया। आप घबराते क्यों हो ? मैं निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी, कि आपका कार्यकाल इस राजस्थान के इतिहास के अंदर काले कार्य काल के रूप में याद किया जाएगा। किसान को सिंचाई की दर में बढ़ाकर आपने मार दिया और अब ट्रेक्टर जो किसान का एक तरह से बेटा है, उस पर भी आपने कर लगाकर किसान के हितों को कुठाराघात किया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Any body else.

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : हां, मैं बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो ट्रेक्टर बाहर से लाते हैं, कारण यह है कि आज नये ट्रेक्टर्स का भाव, मैसी ट्रेक्टर जो 35 हार्स पावर का है, करीब पौने तीन लाख रुपये में पड़ता है। हम बाहर से इसलिए लाते हैं कि वहां पर सैकण्ड हैंड ट्रेक्टर

(श्री अमराराम चौधरी)

मिलते हैं और यहां पर सैकण्ड हैंड लाने के कारण यहां अगर वह टैक्स देगा तो उस पर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ेगा। मजबूरी है कि वह डेढ़, पौने दो लाख या एक लाख के अन्दर ट्रेक्टर वहां से ले आता है, तो काश्तकार इतनी बड़ी रकम के हिसाब से कर्जदार नहीं बनता है और अपने पास में एक–डेढ़ लाख है तो अपनी खेती के लिए वह ट्रेक्टर को बाहर से लाता है। जब बाहर से ट्रेक्टर लायेगा और उस पर जब इस प्रकार का कर लगेगा तो काश्तकार पर इसका भारी बोझ पड़ेगा।

आज पूरे राजस्थान के अन्दर प्रति दिन एवरेज एक से लगा कर बीस ट्रेक्टर बाहर से, दूसरे प्रांतों से आते होंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ट्रेक्टर जो काश्तकार की खेती के लिए बहुत जरूरी है, उत्पादन के लिए जो जरूरी चीज है जिसमें आपने पहले एग्जम्पशन दिया था और अब उसको आप शामिल कर रहे हैं, पूर्व में यह दिया हुआ था। लेकिन उसके बाद में जब आप शामिल कर रहे हैं तो मैं आप से यह निवेदन करता हूं कि आप इस पर टैक्स नहीं लगायें। मेरा निवेदन है कि यदि आपको किसी प्रकार से धन इकट्ठा करना है तो पासपोर्ट पर कितने ही फोरेन में डाक्टर्स जाते हैं उनका आधा सेण्टर को दें और आधा आप ले, उन पर पांच हजार रुपये लगाये, आपको रकम प्राप्त हो जायेगी। इसी प्रकार से जो रिवाल्वर रखते हैं उनकी लाइसेंस फीस आप मामूली रखते हो, उसकी आप दो हजार रखिये। जो दो लाख की रिवाल्वर रखेंगे तो वह पे कर सकते हैं। एक काश्तकार जो अपनी खेती के लिए एक हल की तरह ट्रेक्टर काम में ले रहा है उस पर आप जो टैक्स लगा रहे हैं उस पर पुनः विचार करना चाहिए। धन्यवाद। जयहिन्द।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मंत्रीजी ने कहा कि ट्रेक्टर्स बाहर से कौन लाता है और इसका मतलब है कि आप को जानकारी नहीं है कि ट्रेक्टर सैकण्ड हैंड भी बाहर से, स्टेट्स से आते हैं और विचार कर लें कि नहीं आते हैं, आपकी बात रख लेते हैं, तो फिर आपको इन्क्लूड करने की जरूरत क्या थी ?

"Statement of objects and reasons, The existing provisions of Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 are not applicable."

88 के अंदर एप्लीकेबल नहीं थे।

"...on tractors for the purpose of levy of tax under the aforesaid Act. With a view to enlarge the scope of the said Act as a measure of additional resources mobilisation..." मतलब आप और एडीशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन ट्रेक्टर पर करना चाह रहे हैं। आब्जैक्ट्स है, उसका मतलब क्या हुआ ?

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

अदरवाइज तो आप क्यों लेकर आते और आप कह रहे है कोई नहीं लाता, तो फिर आपको यह जरूरत ही नहीं है। आपका ही पेपर है यह।

**श्री चन्दन मल बैद** : मेरी बात सुनिये। किसी फाइनेंस बिल में लाते समय एडीशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन लिखना ही पड़ता है। कोई भी फाइनेंस बिल लाइये आप, कोई भी फाइनेंस बिल दिखा दीजिये मुझे आप जिसमें एडीशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बगैर गवर्नर साहब उसको मंजूरी देते हों।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : तो आप का मकसद क्या है ? मकसद यह नहीं है, आप बता दें।

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं बता दूंगा, आप बैठिये।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : "With a view to enlarge the scope of the said Act as a measure of a additional resources mobilisation." और कह रहे हैं नहीं यह तो हमारी मंशा तो नहीं है, हमने तो लिख दिया है यह, यह आब्जैक्ट्स हैं...

**श्री चन्दन मल बैद** : यह मैंने नहीं कहा है। मैंने यह कहा यह तो लिखना ही पड़ता है। आप जो कह रहे हैं न इसी के कारण से आपने किया है।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : यह पेपर आप का है।

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं बता दूंगा फिर आपको।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : It is proposed to amend the said act so as to include 'tractors' in the ambit of the tax. अब होगा कि यहां पर जितने भी ट्रेक्टर डीलर्स हैं, जो डाइरेक्ट ट्रैक्टर्स आते हैं महंगे, या तो उनको आप कोई लाभ देना चाहते हो। कोई बाहर से सस्ते ट्रेक्टर लाकर गरीब किसान जो लाभ उठावे, जो तीन लाख या चार लाख का ट्रेक्टर है वह बाहर से सैकण्ड हैंड नहीं आये और इन लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हो, अगर यह मकसद हो तो फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता। पर अगर नहीं है तो आप यह क्यों इन्क्लूड कर रहे हैं और इसकी जरूरत क्या है ? मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 है, यह तो निश्चित है कि आप जो एक्ट लेकर आये हैं उनका उद्देश्य ट्रेक्टरों को इस कर में, 88 में शामिल करने के लिए है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार का तय शुदा चाहे वह किसान उपज को दूसरे राज्यों में ले जाने की बात हो, दूसरे राज्य से चाहे ट्रेक्टर्स खरीद कर लाने का सवाल हो, वित्त मंत्रीजी बजट में तो उदारीकरण के लिए

(श्री अमराराम)

बहुत बढ़—चढ़कर तैयार हैं लेकिन किसान के लिए उदारीकरण लागू नहीं होगा। राजस्थान के उन डीलर्स के और व्यापारियों से राजस्थान के किसान को घेर कर लुटाने की व्यवस्था करने का एक मात्र यह बिल है। ट्रेक्टर वह लेकर आते हैं, कोई भी किसान शौकीन नहीं हैं, कि राजस्थान के बाहर से ट्रैक्टर खरीदने का शौकीन हो। निश्चित रूप से वह किसान राजस्थान के बाहर से ट्रेक्टर खरीद कर लाता है क्योंकि राजस्थान से उस राज्य में सस्ता ट्रेक्टर मिलता है। यह राजस्थान की सरकार जो अपने आप को किसान प्रेमी सरकार कहती है उसको यह गवारा नहीं है कि वह राजस्थान का किसान जो अपने खेत को उन्नत करने के लिए ट्रेक्टर खरीद कर लाता है, पांच हजार रुपये सस्ते में हरियाणा, पंचायत या दूसरे राज्यों में मिल जाए, वहां उसको नहीं जाना चाहिए और राजस्थान का जो डीलर है वह उसको अच्छी तरह से अपनी मन मर्जी से लूट सके, यह करने के लिए आप ला रहे हैं। वरना क्यों नहीं छूट देते जब आप पूरी पूंजी को छूट दे रहे हो ? उसको प्रोत्साहन कर रहे हो तो किसान अपनी खेती को विकसित करने के लिए जब ट्रेक्टर दूसरे राज्यों से ला रहे हैं तो आप क्यों टैक्स लगा रहे हो ? इसलिए कि यहां के जो डीलर हैं वो अच्छी तरह से राजस्थान के किसानों को लूट सकें। इसलिए मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और आप से भी निवेदन करता हूं कि आप किसान के हमदर्द हैं तो कम से कम ट्रेक्टर को तो बख्शिये, मंत्रीजी। मुझे यही कहना है। धन्यवाद।

**श्री रामनारायण विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर विशेष तौर से ट्रेक्टर आज एक तरह से किसान के लिए बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी का काम दे रहा है और जिस प्रकार से राजस्थान के किसान ने अपनी मेहनत करके और ट्रेक्टर के जरिये उपज बढ़ायी है राजस्थान के अंदर उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जिस प्रकार से सदस्यों ने बताया, अब ट्रेक्टर किसान बाहर के प्रदेशों से लाता है। सैकण्ड हैंड ट्रेक्टर पंजाब, हरियाणा व दूसरे प्रदेशों के अंदर कुछ रियायत के अन्दर मिलते हैं, उस रियायत को मिटाने के लिए सरकार की तरफ से यह जो प्रोविजन आया है। यह विशेष तौर से जोधपुर साइड के अंदर कुछ डीलर्स हैं जो काफी अर्से से विरोध कर रहे हैं कि हमको यह नुकसान हो रहा हैं, काश्तकार बाहर से ट्रेक्टर क्यों ला रहे हैं। इस हिसाब से कोई लम्बी—चौड़ी इसके अंदर आमदनी होने वाली है नहीं और किसानों में इससे रोष पैदा होगा। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि किसान का जो छकड़ा है, जो गाड़ी है, वह किसान इसको लग्जरी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आज अगर कहीं पर कोई ब्याह—शादी है तो इसमें बैठ करके जा रहा है, कोई अगर बीमार हैं

(श्री रामनारायण विश्नोई)

तो इसमें लेकर जा रहा है छकड़े के रूप में जिस चीज को इस्तेमाल कर रहा हैं, ऐसी चीज पर आप टैक्स नहीं लगायें। यही मेरा निवेदन है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्त में यह जो टैक्स लगाया है इसके पीछे आपकी भावना यही है कि इससे आपको इन्कम हो जाय। आपने कहा, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है तो ये टैक्स क्यों लगा रहे हो, फिर आप ? आपने यह भी कहा कि बाहर से ट्रेक्टर आते ही नहीं हैं, तो जैसे माननीय वी.पी. सिंहजी ने कहा कि जब बाहर से आते ही नहीं हैं तो आप टैक्स की बीमारी क्यों मोल लेते हो ? काहे की इन्कम होगी फिर आप को ? तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि आपने इस कर को बड़ी तरकीब से लगाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने वर्तमान एक्ट में अमेंडमेंट किया है, आप क्या अमेंडमेंट ला रहे हो ? कोई माननीय सदस्य बता सकता है कि अमेंडमेंट क्या लाये हैं ?

**(18.00 बजे)**

**श्री शिवनाथ सिंह** : हां, बता सकते हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आपकी बात छोड़ो। और कोई बता सकता है क्या ? नहीं बता सकता। वर्तमान में जो कानून है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत जो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन है उसको मैं पढ़ता हूं :

" 'Motor Vehicle' means the motor vehicle as defined in clause (18) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1939 and includes motor cars, motor taxi cabs, motor cycles, motor cycle combinations, motor scooters, motorettes, motor omnibuses, motor mainibuses, motor vans, motor lorries, trailers and chassis of motor vehicle and bodies or tankers built or meant for mounting on chassis of motor vehicles, but excludes tractors; " अगर आपको अमेंडमेंट करना था। यह कर लगाना था तो इतना लिख देते कि इन्क्ल्यूड्स ट्रैक्टर्स या एक्सक्लूड ट्रेक्टर्स डिलीट कर देते। यह तो संशोधन हो सकता था।

**श्री शिवनाथ सिंह** : यही हो रहा है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह कहां हो रहा है ? बता दीजिए आप।

**श्री शिवनाथ सिंह** : और क्या हो रहा है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आप जो अमेंडमेंट लाये हैं उसको पढ़ दीजिए। Now I read the amendment. नहीं, ऐसा नहीं है माननीय शिवनाथ सिंहजी। यह जो इसमें लिखा है एक्सक्लूड ट्रेक्टर्स। इतना सा काम था यह, एक्सक्लूडेड ट्रेक्टर्स विलोपित कर देते।

**श्री शिवनाथ सिंह** : इसको डिलीट कर रहे हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : हां, इसको डिलीट कर देते।

**श्री शिवनाथ सिंह** : कह दिया न कर देंगे। इन्हीं शब्दों को डिलीट करने का है उद्देश्य।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : वही पढ़ रहा हूं मैं भी। आपको कोई अलग से नोट दिया है क्या ?

**श्री शिवनाथ सिंह** : नहीं, नहीं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : जो हमको दिया है वही मैं पढ़ देता हूं। (व्यवधान) इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वह वैसी की वैसी पूरी की पूरी नकल की है। जो अमेंडमेंट दिया है उसमें भी सैक्शन दो की डेफिनेशन एज इट इज रिपीट की है और उसके बीच में ट्रेक्टर जोड़ दिया है। होना यह चाहिए था ताकि लोगों की समझ में आ जाता कि आप ट्रेक्टर को टैक्स देने में इन्क्लूड कर रहे हैं इस बात से बचने के लिए क्या किया कि आपने डेफिनेशन वैसी की वैसी दोहरा दी। डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं थी। डेफिनेशन तो आलरेडी डिफाइन्ड है। उसमें ट्रेक्टर आपने बीच में कहीं भी एक जगह जोड़ दिया। उसको एंड में नहीं जोड़ा, शुरू में नहीं जोड़ा, बीच में चपेक दिया उसको। आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी ?

**श्री शिवनाथ सिंह** : यह जोड़ा नहीं गया है, डेफिनेशन को हटाया गया है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आप खुद देख लीजिए साहब। जोड़ा नहीं गया है क्या ? बीच में ट्रेक्टर जोड़ दिया है। यह नहीं लिखा है कि इसको हटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं ? कुछ नहीं लिखा है। डेफिनेशन में तरकीब से तीन चार बार "मोटर" लिखकर बीच में "ट्रैक्टर" लिख दिया। यही है न ? यही किया है न ? साफ कहना चाहिए था कि हम ट्रेक्टर को भी टैक्स की मुक्ति से हटा रहे हैं। वह कहने के बजाय आपने ट्रेक्टर जोड़ दिया इसमें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : ये बातें छिपती थोड़े ही हैं। साहब।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : हां छिपती नहीं हैं। वह तो हमारे पास आ गयीं। छिपाने की कोशिश तो करता है व्यक्ति पर छिपे कि नहीं छिपे Then you should be bold enough. यही कह देते है कि हम ट्रेक्टर को टैक्स की परिधि में ले रहे हैं। वह आपने कहा नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें ट्रेक्टर को विशेष दर्जा दिया हुआ है। हिन्दुस्तान में अधिकांश लोग काश्तकार हैं यह उनके काम में आता है और जैसा कि माननीय रामनारायण जी विश्नोई ने कहा कि किसान इसका तो बैलगाड़ी और गाड़ी के रूप में अपने पारिवारिक कार्यों में उपयोग करता है, खेती के लिए भी करता है। यह उसकी एक बहुत

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बड़ी इन्कम का साधन है, उसकी जीविका का साधन है उस पर आपने टैक्स लगाया है। मोटर व्हीकल एक्ट में उसका जो दर्जा है वह मैं बताना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोटर व्हीकल एक्ट में इसको विशेष दर्जा दिया हुआ है। सैक्शन चार है उसमें व्हीकल को स्पेसिफाई करने का प्रावधान है विशेष यानों को और उसमें स्पेसिफाई किया है। दो तरह के व्हीकल्स बताये हैं। एक है ट्रांसपोर्ट व्हीकल और दूसरा है नान ट्रांसपोर्ट व्हीकल। दो प्रकार के व्हीकल्स को डिफाइन्ड किया है। नान ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में मोटर साइकिल आदि जिसे सामान्य आदमी काम में लेता है, उसको नान ट्रांसपोर्ट व्हीकल माना है। ट्रेक्टर को नान ट्रांसपोर्ट व्हीकल माना है। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वह तो कमाई करते हैं, इन्कम करते हैं, गाड़ियां दौड़ाते हैं, उनका किराया लेते हैं और सब कमाई करते हैं। ट्रेक्टर को स्पेशल दर्जा दिया है और मुझे जहां तक बताया गया है, इस पर टैक्स में भी रियायत रहती है। रोड टैक्स में भी। इसको इस प्रकार से हिन्दुस्तान के कानून ने जब रियायत दी है, पूरे देश में रियायत देने की व्यवस्था की हुई है तो आप कुछ चंद पैसों के लिए आप खुद ही कहते हैं कि ज्यादा बाहर से आते नहीं हैं। आपकी बात को मान लेते हैं कि नहीं आते हैं तो काहे को ट्रेक्टर पर टैक्स लगा रहे हैं।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : आते ही बाहर से हैं। क्यों नहीं आते हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आप माननीय वित्त मंत्रीजी बात करो न। आप खड़े होकर कहो।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेक्टर गरीब आदमी को बाहर से लाना पड़ता है। बाहर कोई कम्पनी में आता है तीन लाख, दो लाख ट्रेक्टर का लगता है। हमारे किसान बाहर से गुजरात से ट्रेक्टर लाते हैं। लाख रुपये में पुराना ट्रेक्टर मिलता है। गरीब आदमी है उस पर टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। ट्रेक्टर ऐसा है किसान के सिवाय किसी के काम ही नहीं आ सकता है। किसान के ऊपर यदि टैक्स लगाना ही है तो फिर आप डाइरेक्ट ही लगाइये टैक्स। इस तरीके से किसान के घर में जो गाड़ा है उस पर भी लगा दीजिए टैक्स। आज कोई गाड़ी है नहीं, बैलगाड़ी है नहीं, आज कोई किसान के काम आता है तो सिर्फ ट्रेक्टर है। चाहे खेत की जुताई करनी हो, बाहर से कोई सामान लाना हो, कुछ भी करना हो तो ट्रेक्टर उस किसान के लिए सबसे उपयोगी चीज है। किसान के ट्रेक्टर के ऊपर कतई कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। किसान चाहे कहीं से ट्रेक्टर लावे। मैं तो कह रहा हूं कि ट्रेक्टर के ऊपर जो भी टैक्स है वह भी माफ होने चाहिए। हां।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं वरना तो माननीय वित्त मंत्रीजी ने मुझे तो कह दिया था कि ट्रेक्टर बाहर से ज्यादा आते ही नहीं हैं लेकिन माननीय सदस्य, आपने इसे क्लियर कर दिया। मेरी मान्यता भी है कि बहुत ट्रेक्टर बाहर से आते हैं यदि आपके खजाने में रुपया बढ़ाना ही था तो और गाड़ियों का तो आपने जिक्र ही नहीं किया। यह पूरा अमेंडमेंट जो आप लाये हैं वह केवल ट्रेक्टर पर ही लाये हैं। (व्यवधान) तो केवल ट्रेक्टर पर ही टैक्स लगे यह संशोधन है आपका। यह अमेंडमेंट लाये हैं आप। केवल ट्रेक्टर पर टैक्स लगे और किसी पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं हैं आपका खजाना भरने के लिए जो गरीब मजदूर किसान अपना गुजारा करता है उसकी भी रोटी छीनकर आप इस पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है और इससे कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं होगी। मैं यह चार्ज नहीं लगाता कि किसी व्यापारी के लाभ के लिए आपने यह टैक्स लगाया है। लेकिन कम से कम उस किसान की रोजी–रोटी जिससे वह गुजारा करता है, उसके पेट पर आप लात मार रहे हैं। कोई बहुत बड़ी इन्कम होगी नहीं और होगी भी तो इस कमी को बर्दाश्त करना चाहिए। ट्रेक्टर के अलावा किसी और गाड़ी पर तो टैक्स लगाया ही नहीं आपने, वह भी तरकीब से लगाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें, अमेंडमेंट जब भी आते है, स्पष्ट होते है। उसमें आता है कि ट्रेक्टर को जोड़ा जायेगा या हटाया जायेगा। वह न करके 20 चीजों की लिस्ट में आपने इसको जोड़ दिया। आपसे विनम्र निवेदन है कि यह टैक्स आपका खजाना बढ़ाने के लिए काम नहीं आयेगा। प्रदेश का खजाना भरने के लिए मेहनत करने दो, अनाज पैदा करने दो उस गरीब किसान को। आप उसे मत बरबाद करो। यह मेरा आपसे निवेदन है।

**श्री नाथूराम अहारी** : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेक्टर पर कर नहीं लगना चाहिए ट्रेक्टर बाहर से अधिकांश किसान लाते हैं। मैं खुद लाया हूं जीप हिम्मतनगर से। दस ग्यारह हजार का फर्क पड़ा है। इसलिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और किसानों के ट्रेक्टर पर कर नहीं लगायें। (व्यवधान)

**श्री भंवरू खान** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेक्टर पर कर नहीं लगना चाहिए। नहीं तो किसान हमें गांव में नहीं रहने देगा। चाहे और किसी चीज पर बढ़ा दो। गरीब किसान के पास कहां है टैक्स देने के लिए...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। उनका जवाब तो सुनिए। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल विश्नोई** : ...(व्यवधान) रोजी रोटी के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए तो वह ट्रेक्टर लाया है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, प्लीज आप वित्त मंत्रीजी का जवाब सुन लीजिए।

(श्री उपाध्यक्ष)

उससे आप संतुष्ट नहीं हों तो फिर वापस पूछ लीजिए।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : एक मिनट। मैं एक बात कह दूं। यही कह रहा हूं मैं। मैं बोल देता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : वह नहीं समझते हैं क्या ? (व्यवधान)

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : मैं बोल देता हूं साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : समझ गये भावना वे।

**श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इन्होंने यह टैक्स इस वजह से लगाया है कि गत वर्ष 1997–98 में सैल्स टैक्स आफिस पाली, नागौर और ब्यावर और उनके ट्रेक्टरों की शोरूम की तरह लग गया था और वह इन अधिकारियों को मालूम था कि इस तरह से टैक्स बच जाता है और काश्तकार उसमें बचत कर लेता हैं किसान ट्रेक्टर खरीद कर लाया, उसको शोरूम की तरह सैल्स टैक्स आफिस में लगा रखा था और काफी दिनों तक पड़े रहे थे, उनकी वजह से उन्हें यह अबकी बार मालूम हुआ हमने तो ट्रेक्टर खरीदा तब ही तो आपने उनको सीज करके की कोशिश की और उन्हें फिर छोड़ना पड़ा तो उपाध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं कि किसान के सदियों पूर्व भी उसकी गाड़ी, उसके हल पर कोई टैक्स नहीं लगा। यह सरकार उसकी गाड़ी, बैलगाड़ी जो निश्चित रूप से उसी का अधिकार है उस समय तक गाड़ी का मालिक किसान था। आज तो अम्पाला और कई कारें और ले आये मगर उस समय भी उसकी गाड़ी उसी के पास थी और ना तो उसका कोई ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए था। इसी तरह ट्रेक्टर का भी किसान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए। किसान सबसे ज्यादा देश में टैक्स देता है। एक रायड़े की बोरी बाजार में लेकर जाता है उसमें कम से कम सरकार को सौ, डेढ़ सौ रुपया मिलता है। एक लाख रुपये का रायड़ा हुआ तो उस पर कम से कम 10 हजार रुपये टैक्स के मिलते हैं। अगर उसकी हड्डियों को भी आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो ट्रेक्टर पर भी टैक्स लगा दीजिए मंत्री महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी। आर्डर–आर्डर। पहले सुन लीजिए ना।

**श्री चन्दन मल बैद** (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि विरोध दल के कुछ सदस्यों ने ऐसी भ्रामक बातें कह दी जिससे इस सदन में एक आक्रोश फैल गया...(व्यवधान) आप सुनोगे भी नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : सुनिये प्लीज। बहुत सीरियस बात है गम्भीरता से लीजिए।

**श्री चन्दन मल बैद** : हरियाणा में मोटर व्हीकल्स, मोटर साइकिल, ट्रेक्टर सब चीजों पर दो परसेन्ट टैक्स है। राजस्थान में मैंने

(श्री चन्दन मल बैद)

तो टैक्स बढ़ाया नहीं है। पहले से ही इन चीजों पर चार परसेन्ट टैक्स है। हमारे व्यापारी क्या करते हैं हरियाणा से दो परसेन्ट पर ट्रेक्टर खरीद कर के यहां अपने शोरूम में ले आते है और फिर चूंकि किसान यहां के बैंकों से कर्जा लेता है, को—आपरेटिव बैंक से ले चाहे, बैंक से ले यहां से कर्जा लेकर के उसको यहीं ट्रेक्टर खरीदना पड़ता है इस वास्ते से वह ट्रेक्टर दो परसेन्ट और, चार परसेन्ट का डिफरेन्स है वह व्यापारी उस टैक्स के डिफरेन्स को खाता है। इस वास्ते मैंने उचित समझा, जो व्यापारी... (व्यवधान) ठहर जाये, आप उतावली मत कीजिए आपकी बात मैंने बड़े शांति से सुनी है आप उछल रहे थे तब मैंने सोचा कि खड़े हो रहे हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : इनको उठने ही मत दो ना।

**श्री चन्दन मल बैद** : इस वास्ते मैंने उचित समझा कि जो व्यापारी इस तरीके से बाहर से दो परसेन्ट का देकर के यहां ट्रेक्टर लाते हैं और जो दो परसेन्ट का टैक्स का फायदा उठा लेते हैं, उस फायदे को उनको नहीं उठाने दिया जाये। दूसरी बात मैंने माननीय सदस्य सांचोर से आने वाले विश्नोई साहब कह रहे हैं कि बाहर से मैं एक लाख रुपये में ट्रेक्टर खरीद कर लाया हूं। पुराने ट्रेक्टर पर तो टैक्स है ही नहीं। पुरानी मोटर गाड़ी खरीद कर लाते हैं उस पर टैक्स होता ही नहीं है। पुरानी मोटर साइकिल खरीद कर लाते हैं उस पर टैक्स होता ही नहीं है। पुराना ट्रेक्टर आप खरीद कर लायेंगे उस पर टैक्स लेता ही कौन है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : वित्त मंत्रीजी एन्ट्री टैक्स है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली से पुरानी गाड़ी खरीद कर ले आये तो क्या उस पर टैक्स लगेगा ? नहीं लगेगा... (व्यवधान)

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : गलत कह रहे हैं आप, लगेगा। बिलकुल ही गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : लगेगा। बिलकुल लगेगा।

**श्री चन्दन मल बैद** : यह भ्रम फैलाने की बात है।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : दिल्ली के नम्बर की गाड़ी के यहां पर आते ही टैक्स लगेगा। बिलकुल गलत कह रहे हैं। (व्यवधान) बिलकुल गलत कह रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : हमें कोई अति—शयोक्ति...(व्यवधान)

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : दिल्ली के नम्बर की गाड़ी यहां आते ही टैक्स लगता है। क्या बात करते हैं। यह देखिये आप। आपको ये ही पता नहीं हैं...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : वित्त मंत्रीजी यहां ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इतना जोश मत खाओ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष-महोदय, अधिकांश एम.एल.ए. के एम.एस.ए. कोटे की गाड़ियां ले ले करके लोग आये हुए हैं...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य आपकी बात इतनी देर इन्होंने सुनी, उनकी पूरी बात तो सुनो।

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं सैल्स टैक्स की धारा पढ़ कर सुनाता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : जब खरीद कर लायेगा तो एन्ट्री टैक्स लेंगे आप एक मिनट सुन तो लें। मैंने इन्टरविन नहीं किया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : पहले उनकी पूरी बात तो सुनो आप। आपको कहा है मैंने कि इनके जवाब के बाद आपको पूछने दूंगा। इनकी पूरी बात तो सुन लें।

**श्री चन्दन मल बैद** : "Provided that no tax shall be levied and collected in respect of a motor vehicle which is registered in any union Territory or in any other State under the Motor Vehicles Act, 1939, Act 4 of 1939 for a period of 15 months or more before the date on which it is liable to be registered in the State under the said Act.

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। बात तो पूरी सुन ले ना।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : आ गया ना, वह कोई हरियाणा का नम्बर थोड़े ही आ जायेगा।

**श्री चन्दन मल बैद** : इस वास्ते यह कहना कि हम पुराने ट्रेक्टर लायेंगे हमारे पर टैक्स लग जायेगा। हम पुरानी मोटर लेंगे उस पर टैक्स लग जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रम फैलाने की बात है। यह जब साफ लिखा हुआ है तब यह कैसे लग जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता है। यह एक्ट मैंने तो नहीं बनाया है। यह एक्ट आपके वक्त में भी था।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : गाड़ी के नम्बर चेन्ज कैसे होंगे। यहां पर नम्बर चेन्ज करने के लिए जायेंगे तब तो वह कहेंगे कि उसकी एन्ट्री टैक्स करो।

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं कह रहा हूं आपसे, मेरी बात का विश्वास कीजिए कि अगर 15 महीने पुराना है आपका ट्रेक्टर, अगर 15 महीने पुरानी आपकी मोटर है तो टैक्स नहीं लगेगा इसमें लिखा हुआ है।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : 15 महीने का क्या सवाल है। मंत्री महोदय, कोई तो पांच महीने पुराना भी ट्रेक्टर ले आता है। पांच महीने पुराने भी ले आता है। पुराना मतलब पुराना हो जाता है।

**श्री चन्दन मल बैद** : यह तो यह भी कह सकता है कि नया ट्रेक्टर है वह तो पांच महीने पुराना है...(व्यवधान) इसका तो मेरे पास क्या इलाज है। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कई बड़े काश्तकार होते हैं वह आपने शौक के तौर पर ट्रेक्टर लेते हैं और फिर पांच महीने में सस्ते में बेच देते हैं। तो वह किसान लायेगा ही सस्ते में। मध्य प्रदेश से लेकर आते हैं, गुजरात से लाते हैं महाराष्ट्र तक जाते हैं लोग ट्रेक्टर लेने के लिए।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : वह अपनी खेती के लिए ही तो ला रहा है। कोई ऐश आराम के लिए नहीं ला रहा है। (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : लाख रुपये में लाया है ट्रेक्टर...

**श्री हीरालाल विश्नोई** : लाते ही है वह ...(व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी** : वहां पर सस्ता मिल रहा है...(व्यवधान)

**श्री हीरालाल विश्नोई** : नहीं, लाख में भी लाते हैं। ढाई लाख में भी लाते हैं। जो अपनी यहां कम्पनी की रेट है उससे अगर 50 हजार कम में मिलते हैं तो भी लाते हैं गुजरात से लेगा। मद्रास तक जाते हैं लोग ट्रेक्टर लेने के लिए।

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रेट तो एक ही होगी। आज एम्बेसडर गाड़ी की रेट जो यहां है, वही हरियाणा में है, वही सब जगह है, सैल्स टैक्स का फर्क है फिर यह कैसे कहते हैं कि ट्रेक्टर...(व्यवधान) हरियाणा में लाख रुपये सस्ता मिलेगा। यहां लाख रुपया मंहगा मिलेगा।

**श्री केसाराम चौधरी** : इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं, यह फर्क है। इसीलिए तो कह रहे है। नहीं तो कहेंगे ही किसलिए ? लाख रुपया महंगा मिलेगा।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ट्रेक्टर तो चीज है। वह खास करके किसान के सिवाय किसी के काम आने वाली चीज नहीं है। आप उसको तो टैक्स से दूर रखिये...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय जगमाल सिंह जी।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसे बैदजी ने कहा कि...

**श्री उपाध्यक्ष** : वह पहली दफा बोल रहे हैं।

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं आपको, एक मिनट ठहर जाइये। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होगी वह एक्ट नहीं बन सकता। राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के लिए इस बिल को यहां पास करना जरूरी होता है तभी राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलती है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह कहा है क्या माननीय राष्ट्रपति ने कि उनकी स्वीकृति के लिये भेजो।

**श्री चन्दन मल बैद** : प्रोसीजर की बात बता रहा हूं। (व्यवधान) पूर्व स्वीकृति नहीं है इसमें। पूर्व स्वीकृति नहीं है इसमें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह क्या माननीय राष्ट्रपति ने कहा है कि दुबारा भेजो।

**श्री चन्दन मल बैद** : मेरी बात सुन लें आप।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह क्या बात कर रहे हैं आप।

**श्री चन्दन मल बैद** : प्रोसीजर की बात बता रहा हूं मैं। (व्यवधान) आप नाराज हो रहे हैं। क्या बहुत से बिल जो होते हैं वह गवर्नर साहब की, राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से एक्ट बन जाते हैं ? (व्यवधान) ठहरिये फिर वही बात।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : इसका क्या संबंध है इस बात का, Why do you wast, the time ? समय खराब मत करिये हमारा। एक्ट पास करने के जो नियम है वह है...(व्यवधान) आप टैक्स लगा क्यों रहे हो, यह बताइये आप।...(व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी** : यह ट्रेक्टर किस तरह से महंगा पड़ता है, मैं बता रहा हूं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यह तो प्रोविजन है, पास भी करा लोगे यह। (व्यवधान) ला क्यों रहे हो यह बताओ ना आप तो।

**श्री केसाराम चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, यह ट्रेक्टर किस तरह से महंगा पड़ता है यह मैं बता रहा हूं आपको...(व्यवधान) मैं यह बताना चाह रहा हूं कि यह ट्रेक्टर किस तरह से महंगा पड़ता है।...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये। विराजिये। आर्डर आर्डर। सुन लीजिए।

**श्री केसाराम चौधरी** : मैं बताना चाह रहा हूं कि यह ट्रेक्टर किस तरह से महंगा पड़ता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये, विराजिये।

**श्री केसाराम चौधरी** : मैं यह बताना चाह रहा हूं कि यह ट्रेक्टर किस तरह से महंगा पड़ता है। यहां के डीलर से जो ट्रेक्टर लेता है। खाली एक बात बता रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : इनको सुन लीजिए पहले।

**श्री केसाराम चौधरी** : यह नहीं साहब। मैं जो यह कह रहा हूं। यहां से क्यों नहीं खरीदता काश्तकार, उसका कारण बता रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : वह यह भी जानते हैं आप भी जानते हो।

**श्री केसाराम चौधरी** : नहीं जानते है। (व्यवधान) बिलकुल नहीं जानते हैं।

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं नहीं बोलूंगा क्या। मेरा अधिकार नहीं है क्या बोलने का,

(श्री चन्दन मल बैद)

आप बीच में खड़े हो जाते हैं...(व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी** : ऐसा होता है... (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं बैठ गया क्या।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इनकी पूरी सुनो ना आप।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : आपने मेरा नाम पुकारा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट आपको ही बुलाऊंगा सबसे पहले।

**श्री चन्दन मल बैद** : आप सब बोलियेगा मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो व्यापारी हैं, दो परसेंट पर ट्रेक्टर खरीद कर लाते हैं बाहर से। मैं उनसे, मेरे यहां का टैक्स चार परसेंट है। मैं उनसे डिफरेंस दो परसेंट ले रहा हूं। इतना ही इसका मतलब है...

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो अभी भी ले रहे हैं...

**श्री चन्दन मल बैद** : नहीं–नहीं ले रहा हूं मैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : ले रहे हैं।

**श्री चन्दन मल बैद** : नहीं, ट्रेक्टर पर नहीं है क्योंकि ट्रेक्टर इसमें शामिल नहीं था।

**श्री उपाध्यक्ष** : व्हीकल्स पर तो ले रहे हैं ना।

**श्री चन्दन मल बैद** : हां, व्हीकल्स पर ले रहे हैं ट्रेक्टर इसमें शामिल नहीं था। मोटर गाड़ियों पर ले रहा हूं...(व्यवधान) ठहरिये–ठहरिये। एक मिनट ठहर जाइये... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। आर्डर आर्डर।

**श्री चन्दन मल बैद** : मुझे बोल जाने दीजिये एक बार, मेहरबानी करके। ऐसा मत कीजिये। फोर व्हीकल पर था, टू व्हीलर पर भी है और सब चीजों पर भी है लेकिन ट्रेक्टर पर वह नहीं है। इस वास्ते व्यापारी उस कंसेशन का फायदा उठा रहा था। मैं उस व्यापारी को फायदा उठाने से रोकना चाहता हूं, यह आप इसको घुमा करके... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

**श्री हीरालाल विश्नोई** : वह आपका डीलर...

**श्री चन्दन मल बैद** : मुझे बैठ तो जाने दीजिये पहले। मेहरबानी करके मुझे बैठ जाने दीजिये...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य... (व्यवधान) माननीय भंवरलालजी...(व्यवधान) माननीय भंवरलालजी, एक मिनट आप बिराजिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : बैठ जाएंगे। ऐसी क्या आफत हो रही है। रीजंस

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आपने दिये हैं, उन रीजंस में तो यह बात नहीं लिखी हुई है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप लोग इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है... Why are you becoming so impatient ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : इम्पेशेंट नहीं, साहब I want to save time.

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये आप प्लीज Let him finish. उसके बाद मैंने कहा कि आप जितना पूछना चाहेंगे पूछने देंगे। फिनिश तो होने दो। आप इधर से जोर से बोल रहे हो, उधर से वह जोर से इर्रिटेट कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं निकल रहा है। उससे क्या फायदा है। Let him finish.

**श्री चन्दन मल बैद** : मैंने जब यह कहा कि किसान ज्यादा नये ट्रेक्टर बाहर से नहीं लाता है, आम तौर पर पुराने ट्रेक्टर लाता है। पुराने ट्रेक्टर पर टैक्स नहीं है कोई भी तरह का। नये ट्रेक्टर इस वास्ते नहीं लाते हैं कि किसी किसान के पास 3–4 लाख नहीं होते हैं...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : लोन लेता है।

**श्री चन्दन मल बैद** : वह लोन लेता है। जब लोन यहां लेते हैं तो यहां का बैंक यह कहता है कि मुझे बताओ किस कम्पनी से आप खरीद रहे हो ट्रेक्टर। इस वास्ते उसको बताना पड़ता है। इस वास्ते वह हरियाणा की कम्पनी का नाम नहीं बता सकता, गुजरात की कम्पनी का नाम नहीं बता सकता। राजस्थान की कम्पनी का उस सम्बन्ध में नाम बताना पड़ता है यह... (व्यवधान) बैठ जाइये आप जरा सा। मैं मानता हूं बहुत बुद्धिमान हैं आप...(व्यवधान) लेकिन मेहरबानी करके सुन तो लीजिये मेरी बात...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय हीरासिंहजी, माननीय हीरासिंहजी...(व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहते हैं कि मैं अपनी बात नहीं कहूं ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आप हरेक की बुद्धि का आकलन कर लोगे क्या, जिस किसी को कहते हो...(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं प्यार से ही कह दो आप...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप उनसे ज्यादा जोर से बोल रहे हो। आप उनसे ज्यादा जोर से बोल रहे हो। क्या फायदा निकला... (व्यवधान)

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : हमारी बात सुन लें फिर आप बोलें...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप उनसे ज्यादा जोर से बोल रहे हो...

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : पहले हमारी बात सुन लें।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : किसान वहां से ट्रेक्टर नहीं ले सकता है और वह व्यापारी वहां से कैसे ले सकता है फिर।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप नहीं चाहते यह बहस कंटीन्यू हो...

**श्री जगमाल सिंह यादव** : नहीं, हम चाह रहे हैं साहब यह...

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको कह दिया I will call everybody. Let him come out. हल तो बात करने से ही निकलेगा ना। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, Why are you so irritated ? क्या बात है। आपको सबको पूछने का मौका दे रहे हैं। आप आधा, पौन घंटा बोले तब तक वह चुपचाप बैठे रहे। अब वह बोले, रहे हैं तो आप बोलने नहीं देना चाहते Let him explain the Government's view. (व्यवधान) हां, बिलकुल देंगे। कह रहे हैं ना मौका देंगे, मना कहां कर रहे हैं। लेकिन आप बीच–बीच में ही खड़े होकर उनको डिस्टर्ब कर रहे हो...

**श्री अमराराम (धोद)** : उपाध्यक्ष महोदय, असत्य है।

**श्री सी.पी.जोशी** : कम से कम एक आदमी तो काम्पीटेंट है उनकी बात तो सुनो...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इतनी देर बोले जब वह सुन रहे थे...

**श्री हीरासिंह चौहान** : आप तो पास कराओ, हम कह चुके अपनी बात।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, नहीं प्लीज।

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह साफ करना चाहता हूं कि टैक्स उतना ही लिया जाएगा जितना दूसरे स्टेट्स से जो खरीद कर लाया है और हमारी स्टेट में जो टैक्स है उसका डिफरेंस होगा। आप हम मोटर व्हीकल पर भी ले रहे हैं। दूसरे पर कोई ट्रक लाता है तो उस पर भी ले रहे हैं। नयी चीज प्रर ले रहे हैं। पुराना चाहे ट्रक लाये, चाहे मोटर लाये, पुराना ट्रेक्टर लाये, न पहले उस पर टैक्स था, न आज उस पर टैक्स है। तो यह कहना कि हम गुजरात से या कहीं से ट्रेक्टर खरीद कर लायेंगे तो टैक्स लग जाएगा, यह सही नहीं है। यह सही नहीं है ...(व्यवधान) सुनिये। कोई भी किसान जब ट्रेक्टर खरीदेगा तो उसको लोन लेना पड़ता है बैंक से। अगर चूरू से लोन लेगा तो चूरू की कम्पनी से उसको ट्रेक्टर लेना पड़ता है। जयपुर से, लोन लेगा तो जयपुर की कम्पनी से उसको ट्रेक्टर लेना पड़ता हैं। क्योंकि जहां से लोन लेता हैं, कम्पनी वाला कहता है कि मुझे लाकर दो, कहां से आप ट्रेक्टर ले रहे हो। वह लाकर उसकी रसीद देता है तब उसको लोन मिलता है। इस वास्ते यह कहना कि हम लोन तो जयपुर में ले लेंगे और ट्रेक्टर चंडीगढ़ से ले आएंगे, यह संभव नहीं है। इस वास्ते किसान नहीं लाता है। लाते हैं व्यापारी, व्यापारी लाते हैं।

(श्री चन्दन मल बैद)

यह दूसरे जो ब्रोकर हैं, या दूसरे जो इस तरह के डीलर हैं उनके वह वहां बाहर से ट्रेक्टर लाते हैं और दो परसेंट का वह मुनाफा कमाते हैं उस मुनाफे को कमाने से रोकने के लिये मैं यह लाया हूं। इसको आप मेहरबानी करके समझने की कोशिश कीजिये और आप नहीं समझना चाहते, भ्रम फैलाना चाहते हैं आपकी मर्जी है। आपको बिलकुल उसका अधिकार है।

**श्री जनार्दन गहलोत** : सारे ब्रोकर इनके हैं तकलीफ तो यह है...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय जगमाल सिंहजी ...(व्यवधान) आर्डर आर्डर। आर्डर आर्डर। आप बहुत बोल चुके। विराजिये प्लीज, प्लीज। यह बोल रहे हैं ना।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : इसका मतलब हुआ उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने राजस्थान के किसानों को यह बाध्य कर दिया कि आप राजस्थान से ही ट्रेक्टर खरीदोगे और चार परसेंट सैल्स टैक्स दोगे। उपाध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिये था कि राजस्थान...

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : जगमाल सिंहजी, ऐसा हो रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा हो रहा है...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : और उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिसाल देता हूं। मैंने तिजारा बैंक से लोन लिया और धारूहेड़ा से, रेवाड़ी से जो हरियाणा में है, उससे मैंने वहां की कोटेशन दी है और लोन लिया मैंने जमीन गिरवी रखकर तिजारा में और बिल लिया मैंने धारूहेड़ा से, रेवाड़ी से... (व्यवधान) मैं असत्य कथन नहीं कर रहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके पीछे... (व्यवधान) सुनो तो सही कि वित्त मंत्री की किसानों के प्रति उदारता तो जब होती कि ऐसा नियम बनाते कि लोन तो आप लो चाहे राजस्थान से लेकिन किसान को जहां से भी सस्ता ट्रेक्टर मिले, खरीदने की छूट हो, एक चीज।

आपने कहा कि टैक्स नहीं होगा। हरियाणा से आपकी पुरानी बात पर कहकर पुराना ट्रेक्टर खरीदा और किसान ने यहां पर लाकर रजिस्ट्रेशन कराया। आपने एन्ट्री टैक्स लगा दिया, नम्बर एक। दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रेशन फीस जो इकजायी फीस है, आपने कानून बना दिया कि उसका 50 परसेंट एट दी टाइम आफ रजिस्ट्रेशन, अगर पुराना व्हीकल खरीदते हो तो 50 परसेंट रजिस्ट्रेशन जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में होता है उसमें वृद्धि कर दी। मार दिया आपने तो किसान को और वह 50 परसेंट इकजायी जो कर है अब तक जो बिना शुल्क हो जाता था ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन। ट्रेक्टर के रजिस्ट्रेशन पर उपाध्यक्ष महोदय, अगर दस हजार का रजिस्ट्रेशन शुल्क हुआ, नयों पर इकजायी

(श्री जगमाल सिंह यादव)

टैक्स तो अब उस किसान को पांच हजार रुपया और देना पड़ेगा। क्योंकि 50 परसेंट कर की वृद्धि आपने और कर दी। एन्ट्री टैक्स कर दिया। राजस्थान के किसानों को आपने बाध्य कर दिया कि अगर आप राजस्थान से लोन लोगे तो आप राजस्थान में चाहे 20 परसेंट ट्रेक्टर पर टैक्स हो, आपको यहीं से खरीदना पड़ेगा। यह छूट क्यों नहीं कर देते आप, राजस्थान का आदमी अगर तिजारा से, चूरू से, तारागढ़ से कहीं से भी लोन ले और उसको यह छूट हो कि जहां भी सस्ता मिले वहां खरीद ले। आपने पाबंद क्यों कर दिया उन्हें...(व्यवधान) नहीं, क्यों पाबंद कर दिया। कोई किसान ने गारंटी ले रखी है कि आप राजस्थान में डाके डालोगे और राजस्थान में शोषण करोगे। 20,000 रुपये महंगा ट्रेक्टर दोगे तो कोई जरूरी है कि राजस्थान से ही खरीदा जाए यह ट्रेक्टर...

**श्री उपाध्यक्ष** : यह अलाउ भी कर देंगे माननीय सदस्य। यह बात अलाउ भी कर लेंगे, बैंक एग्री कर लेंगे क्या। यह बात अलाउ भी कर लेंगे तो बैंक एग्री कर देंगे क्या ?

**श्री जगमाल सिंह यादव** : बिलकुल अलाउ करनी पड़ेगी नहीं तो सस्ता मिलेगा जहां से खरीदेगा...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट आप विराजिये प्लीज, प्लीज।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : भूमि विकास बैंक के अलावा किसी की...(व्यवधान) जरूरत नहीं है। सारे वाणिज्यिक बैंक हैं उनको कोई मतलब नहीं हैं कहीं से भी खरीदे। यह नयी परिभाषा लेकर आ गये। जहां से ट्रेक्टर सस्ता मिले उसका फायदा दें। क्यों नहीं देते किसानों को ?

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उनका कोई प्रतिबंध नहीं है। राजेन्द्रजी, एक मिनट। मैं मिसाल देकर बता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं मैं, जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका जवाब दें आप...(व्यवधान) माननीय अमरारामजी, बिराजें।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : मैं यह निवेदन कर रहा हूं। कामर्शियल जो बैंक हैं अगर कोई हम इंडस्ट्री लगाते हैं और राजस्थान से बाहर अगर दिल्ली से कोई कोटेशन हम लाकर देते हैं, तो कामर्शियल बैंक में कहीं ऐसा नहीं...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इसको इससे मत जोड़िये। नहीं इण्डस्ट्रीज वहां वह सामान ही नहीं मिलता तो बाहर से लायेंगे ही लायेंगे। आप कह दो लोहा राजस्थान में बनता ही नहीं तो बाहर से ही आयेगा। इसको इससे कम्पेयर मत कीजिये। आप तो कहिये कि राजस्थान में जो बैंक हैं, बैंक लोन देते हैं वह यदि हरियाणा से कोई ट्रेक्टर लाता है तो आपके कहने से बैंक

(श्री उपाध्यक्ष)

एग्री कर लेंगे क्या कि वह लोन दे दें, यह बताइये।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : सारी आप जानकारी कर लें। अगर कोई भी मशीन हमको खरीदनी है...(व्यवधान) हां बिलकुल...

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो स्ट्रे केस हो सकता है। It is not a rule. आपके कोई मिलने वाले ने दे दिया होगा। It is not a rule.

**श्री जगमाल सिंह यादव** : केवल भूमि विकास बैंक और कोआपरेटिव बैंक के अलावा कामर्शियल बैंक...

**श्री हीरालाल विश्नोई** : किसान अपना अनाज जो पकाता है वह कहीं भी ले जाकर बेचता है तो फिर ट्रेक्टर क्यों नहीं ला सकता।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक के अलावा जितने कामर्शियल बैंक हैं। उन पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। मोरगेज यहां पर करो और सामान चाहे राजस्थान से लो और चाहे सामान दिल्ली से लो। वह मना ही नहीं करते। केवल कोआपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक जो राजस्थान के सहकारी बैंक है उनको छोड़कर उन पर प्रतिबंध नहीं है। फिर जयपुर से लोन लेंगे और सस्ता ट्रेक्टर मिलेगा तो हरियाणा से लेंगे। आप कैसे रोक लेंगे।

**श्री सी.पी. जोशी** : यही तो आज तक की जो रोंग प्रेक्टिस है उसमें इन्फ्लूएंस लेकर यह मदद करती है। (व्यवधान) This is not the problem with the taxes. This is the prevailing practice in the R.T.O. Deaprtment. जहां फिक्टिशियस इम्प्रेस लेकर वह यह व्यवस्था करते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह क्या हैं ?

**श्री सी.पी. जोशी** : इसका कोई संबंध इससे नहीं है।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : चलो आप एक काम करो।

**श्री सी.पी. जोशी** : You are aware of this that how the Transport Minister is functioning. ट्रांसपोर्ट में पुराने मांडल के इम्प्रेसन लेकर के नये माडल की व्यवस्था की जा रही है। उस तरह की बात कर रहे हैं आप। इस बात को कहना चाहते हैं आप।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : वह वित्त मंत्री...

**श्री सी.पी. जोशी** : इसका कोई संबंध इससे नहीं है। It is totally a tax on the broker. जो यह फिक्टिशियस काम किसान के नाम पर कर रहा हूं, उस पर टैक्स लगा रहे हैं...(व्यवधान) काहे की बात कर रहे हैं (व्यवधान)

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं...(व्यवधान)

**श्री सी.पी. जोशी** : कोई नहीं बोलता आपकी तरह से। आपको ही ज्ञान है क्या ? ज्ञान का सब भंडार आप ही हैं...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : नहीं, आपको है।

**श्री सी.पी. जोशी** : आप दोनों ही ज्ञान के भंडार हैं क्या ? दूसरों को नहीं हो सकता है क्या...(व्यवधान) आप ही किसान के वैलविशर हैं। दूसरा किसान का वैलविशर नहीं हो सकता है क्या ?

**श्री केसाराम चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, एक...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : तीन दफे बोल लिये आप...(व्यवधान)

**श्री सी.पी. जोशी** : क्या बातें कर रहे हैं हर चीज में...(व्यवधान)

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं कि मैं ऐफेडेविट दे सकता हूं...(व्यवधान)

**श्री सी.पी. जोशी** : This is a wrong practice.

**श्री जगमाल सिंह यादव** : मैंने लोन लिया तिजारा के पंजाब नेशनल बैंक से... (व्यवधान) और कोटेशन...(व्यवधान)

**श्री सी.पी.जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रोंग प्रेक्टिस आज जो डिपार्टमेंट में प्रिवेल है जिसके कारण राजस्थान के आसपास के किसान को ट्रेक्टर के नाम पर इस तरह की व्यवस्था केवल ट्रेक्टर में नहीं कर रहे हैं, फोर व्हीलर के अंदर यह हो रहा हैं, टू व्हीलर के अंदर यह हो रहा है। इसलिए इस प्रेक्टिस को रोकने के लिए आप कोई यह व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह प्रेक्टिस चलती रहेगी और राजस्थान को रेवेन्यू नहीं आयेगी। मैं तो कह रहा हूं... (व्यवधान) बिलकुल ठीक लगाया है, नहीं तो यह प्रेक्टिस रुकेगी कैसे...(व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, किसान को ट्रेक्टर चाहिए। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, एक मिनट में सुन लीजिये मेरी बात को...(व्यवधान)

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह हलफनामा सदन में दे सकता हूं कि मैंने तिजारा के पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया और कोटेशन रेवाड़ी की थी, गुड़गांव हरियाणा की और मैंने लोन लिया है...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : यह बात तो मान ली आपकी...(व्यवधान) एक्सेप्शन हो सकता है। इट इज नोट ए रूल।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : फिर कैसे रोक सकते हो आप...(व्यवधान) जहां दो परसेन्ट मिलेगा, लेकर के आयेंगे हम... (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : यह राजस्थान का है ...(व्यवधान)

**श्री अशोक** : उपाध्यक्ष महोदय, किसान को ट्रेक्टर बाहर से लेने का एक ही फायदा होता है मैं बता रहा हूं...(व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर जो होता है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री अशोक** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और कर रहा हूं...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये माननीय सदस्य।

**श्री अमराराम (धोद)** : उपाध्यक्ष महोदय, बात तो सुनें...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 को जनमत जानने के लिए परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये।

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। (व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप हमारी बात को नहीं सुनना चाहते हैं इसलिए हम वाक आउट करते हैं।

**(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)**

**(सदन में अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)**

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाये ?

**(स्वीकृत)**

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : विधेयक विचारार्थ लिया गया है, बोलेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां, बोलो ना।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : वाक आउट कर गये थे। विचारार्थ लिया है तो बोलेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज सिट डाउन। प्लीज बिराजिये। आप बैठे तो सही।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : विचारार्थ लिया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : बोलिये, हां बोलिये। विराजें तो सही। प्लीज सिट डाउन।

## विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार, खण्ड–2 संशोधन प्रस्तुत करेंगे शिवनाथ सिंहजी।

**श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चर्चा यहां चल रही थी उस पर मैं बाद में कहूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य भी बोल रहे हैं।

**श्री शिवनाथ सिंह** : मेरा इस विधेयक में एक संशोधन है और संशोधन इस प्रकार से है कि आपने जो यह क्लाज जोड़ा है मोटर यान से, मोटर यान अधिनियम 1939 की धारा 2 के खण्ड 18, यह होते–होते अंत में आपने कहा है,... के लिए आवश्यक हो परन्तु ट्रेक्टर नहीं आते हैं... इसमें मेरा संशोधन यह है कि ट्रेक्टर नहीं आते हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री शिवनाथ सिंह** : इसके स्थान पर "परन्तु कृषि के लिए रजिस्टर्ड ट्रेक्टर नहीं आते हैं।" यह मेरा इसमें संशोधन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चर्चा यहां चल रही है वह चर्चा या तो मैं नहीं समझ पाया और मैं यह मानता हूं कि मैं नहीं समझ पाया इसलिए मैं अपना दिमाग साफ करने के लिए कहना चाहता हूं कि चर्चा इस बात पर शुरू हुई, इस बिल का जो टाइटल है उसने सबको कन्फ्यूज कर दिया "राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर" सब यह समझ बैठे कि जो भी ट्रेक्टर अंदर आ जायेगा उस पर टैक्स लग जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का संबंध उससे नहीं है। आप कहीं से भी ट्रेक्टर लाओ टैक्स नहीं लगेगा। इस टैक्स का सैल्स टैक्स के संबंध है। जो सैल्स टैक्स एक्ट की धारा है उसके साथ उसको जोड़ा हुआ है और जो संशोधन में वर्णित है सब व्हीकल्स पर सैल्स टैक्स लगता था लेकिन इस ट्रेक्टर का सैल्स टैक्स एग्जम्प्ट किया गया था और वह सैल्स टैक्ट लगता कहां है। चाहे आप बाहर से लाओ, कहीं से भी लाओ। यहां जो डीलर आपको देगा, डीलर से आप खरीदोगे, उस वक्त आपसे वह सैल्स टैक्स की रेट लेगा जो 15 परसेन्ट तक हो सकती है।

माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा कि हम इसको दो परसेन्ट करना चाहते हैं, चार करना चाहते हैं यह कुछ भी कर सकते हैं इसलिए सैल्स टैक्स में मैग्जिमम लिमिट 15 परसेन्ट है और 15 परसेन्ट तक आप सैल्स टैक्स ले सकते हो। इसलिए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने एक बात और कहकर सबको कन्फ्यूज कर दिया, आपने कह दिया कि व्यापारी लोग बाहर से ट्रेक्टर ले आते हैं हरियाणा से, दो परसेन्ट सैल्स टैक्स वहां देते हैं और यहां हमारा जो कंजूमर ट्रेक्टर खरीदता है उनसे अधिक पैसा वसूल करते हैं। माननीय वित्त मंत्रीजी, डीलर्स तो राजस्थान में हैं। उन डीलर्स को कम्पनी ट्रेक्टर सप्लाई करती है वह कम्पनी से

(श्री शिवनाथ सिंह)

सीधे ट्रेक्टर लेते हैं और उनको बिल देना पड़ता है। जो कोई भी ट्रेक्टर खरीदेगा उसका बिल तैयार करके और उसमें ट्रेक्टर की कीमत अंकित करके जो उस कम्पनी की निर्धारित रेट है वह उस बिल में अंकित होगा और नीचे लगाया जायेगा सेल्स टैक्स का इतना पैसा।

आज जो एक व्यापारी, आज जो एक किसान ट्रेक्टर खरीद लेता है और 3 लाख 42 हजार रुपये कम्पनी रेट है। वह 3 लाख 42 हजार रुपये लिखेगा। आपका यह प्रावधान लागू होने के बाद में 3 लाख 42 हजार ट्रेक्टर कीमत और सैल्स टैक्स इतना। आज के दिन तक वह सैल्स टैक्स की रकम नहीं ले पाता था। इसलिए इससे न तो कोई डीलर को फायदा होता न कोई डीलर मिसचीफ कर रहा है। यह सीधा असर पड़ेगा ट्रेक्टर खरीदने वालों पर, ट्रेक्टर खरीदने वालों पर पड़ेगा तो मेरे ख्याल से आप यह कहकर कि मैंने यह प्रावधान इसलिए रखा है कि डीलर लोग गलत तरीके से ट्रेक्टर खरीदकर हमारे यहां के किसानों से ज्यादा रकम वसूली करते हैं। यह बात गलत है। इसका कोई भी सम्बन्ध डीलर से नहीं है, न डीलर के मुनाफे से है। इसका सीधा सम्बन्ध यह है कि राजस्थान के किसी भी डीलर के यहां से ट्रेक्टर खरीदेगा उसको सैल्स टैक्स के रूप में जो भी रेट आप तय करेंगे उतने रुपये अधिक देने पड़ेंगे।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कन्फ्यूजन, हो सकता है आपको किसी ने मिस गाइड किया हो। लेकिन न तो कोई व्यापारी, कोई अलाउ नहीं करेगा, कोई भी कंपनियों के जैसे महिन्द्रा ट्रेक्टर है, आपके दूसरे ट्रेक्टर हैं वह ट्रेक्टर जहां भी बनते हैं वह कंपनी अपने डीलर नियुक्त करती है और वह डीलर ही आपको बेच सकता है। कोई भी हरियाणा का डीलर यहां नहीं बेच सकता हैं, उनके जुरिस्डिक्शन बंधे हुए हैं। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर किया जाये और सीधे सा यह कहिये कि हम ट्रेक्टर पर सैल्स टैक्स लगाना चाहते हैं। यह सीधी बात कहिये आप। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कैसे बोलने दे, विराजिये, विराजिये...(व्यवधान)

**श्री शिवनाथ सिंह** : सुन तो ले आप।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका संशोधन ही नहीं है। कैसे बोलने दें। किस पर बोलने दें।

**श्री शिवनाथ सिंह** : मैं खतम कर रहा हूं, एक मिनट।

**श्री उपाध्यक्ष** : Go by some rule and go by law. आपका कोई संशोधन नहीं है इसमें।

**श्री शिवनाथ सिंह** : इसलिए इस अमेंडमेंट का सीधा मतलब है कि अब तक जो ट्रेक्टर सैल्स टैक्स से एग्जम्प्ट था वह

(श्री शिवनाथ सिंह)

सैल्स टैक्स की लिमिट में आ गया और वह किसान से, पर्चेज करने वालों से लिया जायेगा। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा और मैंने अपना अमेंडमेंट इसलिए दिया है कि ट्रेक्टर जो है वह सब किसान काम में नहीं लेता है। खेती के काम में नहीं लेते हैं। बहुत से ट्रेक्टर ऐसे हैं, कंपनीज, बहुत से ठेकेदार हैं वह अपने ट्रैक्टर खरीदते हैं और ट्रैक्टर का जब रजिस्ट्रेशन होता हैं उसमें यह एन्ट्री होती है, कृषि उपयोग हेतु। जो कृषि उपयोग के लिए ट्रैक्टर होता है, उसकी उसमें एन्ट्री होती है। आज ट्रैक्टर के माध्यम से बिजनस होता है, बड़े—बड़े शहरों में ट्रैक्टर के माध्यम से लोडिंग का काम होता है, उन ट्रैक्टर्स पर आप कोई एग्जम्प्शन न दें, हमारी समझ में आने वाली बात है। लेकिन खेती के काम में जो ट्रैक्टर आए उसमें आज से नहीं हैं, हमेशा से एग्जम्प्टेड रहा है और ट्रैक्टर की एक सैंक्टिटी बनी हुई है, किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं की कि ट्रेक्टर पर सैल्स टैक्स लगाया जाए क्योंकि इसका सीधा असर खेती पर पड़ता है। और आज जो ट्रेक्टर खरीदा जाएगा सैल्स टैक्स की रकम देने के बाद, उस रकम पर वह महंगा आएगा, और कोस्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं बता देता हूं, पहले टैक्स था, उसको बाद में एग्जम्प्ट कर दिया गया। पहले था कभी, लेकिन उसको बाद में एग्जम्प्ट कर दिया गया। आपके अधिकारी क्या बताएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। आज के दिन यह एग्जम्प्टेड है और इसी सोच के आधार पर इसको एग्जम्प्ट किया गया कि किसान की बात की जाती है, एक लाबी बनी हुई है, वह दिल्ली से यहां तक चलती है। एक भावना पैदा की जा रही है कि किसान पैसे वाला हो गया, किसान के पास बहुत सम्पति हो गई और एग्रीकल्चर पर टैक्स लगे, कृषि पर टैक्स लगे, यह प्रचार किया जा रहा है। यह टैक्स सीधा कृषि पर टैक्स है तो कृषि पर टैक्स लगाने की आपकी मांग हो तो वह लगाइए लेकिन आज जो एक सैंक्टिटी थी किसान के लिए, अपने खेत में जो काम करता है, खेती के उपयोग में ट्रैक्टर लेता है, उस ट्रैक्टर को टैक्स की लिमिट में लाकर आप किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं और यह जो भावना बनी थी, उस भावना को ठेस लगेगी। मैं आपको अपनी पार्टी के हिसाब से कह देना चाहता हूं कि किसान ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया और आज भी देता आ रहा है और कांग्रेस का आधार किसान है। यह जो टैक्स आप लगा रहे हैं उससे गलत भावना जाएगी। हमारी पार्टी के लिए भी गलत भावना जाएगी। इसलिए माननीय वित्त मंत्रीजी से चाहूंगा कि इसको रिकंसीडर करें और जो संशोधन मैंने पेश किया है कि कृषि कार्यो के लिए जो ट्रैक्टर आता है, उसको सैल्स टैक्स से बरी किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे आपका जो परपज है वह भी सर्व हो जाएगा

(श्री शिवनाथ सिंह)

कि आप टैक्स के जरिए रुपया बढ़ाना चाहते हैं और किसान के लिए जो एक सैंक्टिटी है, किसान के लिए आपका जो कमिटमेंट है, कृषि क्षेत्र के लिए आपका कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को भी पूरा कर पाएंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह टैक्स लगाकर, किसी भी आब्जेक्ट में यह नहीं दिया है कि कितना रुपया इस टैक्स के माध्यम से सरकारी खजाने में आएगा। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सत्ता पक्ष के लोग यह विचार कर रहे हैं कि वापस ले लें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजिए, वह बोल रहे हैं न, क्या तकलीफ है ?

**श्री शिवनाथ सिंह** : माननीय भंवरलाल जी, आप विराजें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी इन बातों को भी सोचें और हमको बताएं कि इससे कितना धन आपके खजाने में आने वाला है। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा धन नहीं आएगा। इस प्रकार का आपका बहुत बड़ा सैक्शन, 80 प्रतिशत जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, यह अपने लिए उचित नहीं होगा और मेरे ख्याल से कृषि के लिए जो भावना बनी है, वह भी उचित नहीं होगी। आप उन लोगों के बहकावे में मत आइए जो कहते हैं कि किसान पैसे वाला हो गया, उस पर टैक्स लगना चाहिए, टैक्स लगाना बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत खतरनाक होगा। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात आपने बताई है कि दूसरी जगह से सस्ते ट्रेक्टर लाकर यहां फायदा कमाया जाएगा, वह बात नहीं है। यह टैक्स लगाएंगे आप, यहां राजस्थान में चार प्रतिशत टैक्स लेंगे आप। आपने कहा है हरियाणा में दो प्रतिशत में व्यापारी लाएगा तो यहां पर चार प्रतिशत वह देगा तो कैसे किसान को आप उससे वंचित करेंगे, वह फायदा व्यापारी अपने हिसाब से उठाएगा लेकिन सेल्स टैक्स के रूप में वह नहीं उठा पाएगा, वह कम्पनी की रेट से अधिक पैसा नहीं ले पाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सैल्स टैक्स से किसान की खेती में काम आने वाले ट्रेक्टर को बचाइए, यही मुझे कहना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री चन्दन मल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य का भ्रम मैं दूर करना चाहता हूं, मेरे पास उसके पहले के आंकड़े तो नहीं है, सन् 1988 से, मेरे पास है, किताब, 88 से ट्रेक्टर पर चार प्रतिशत टैक्स राजस्थान में लगाया गया था, मैं नहीं लगा रहा हूं।

**श्री शिवनाथ सिंह** : मैंने भी कह दिया कि पहले लगा हुआ था, एग्जम्प्टेड कर दिया बाद में। पहले था, 1988 में बाद में इसको एग्जम्प्ट कर दिया।

**श्री चन्दन मल बैद** : आपने यह कहा कि मैं टैक्स लगा रहा हूं, मैं नहीं टैक्स लगा रहा हूं।

**श्री शिवनाथ सिंह** : आज तो आप ही लगा रहे हैं, वह एग्जम्प्टेड है 88 से, उस पर आज तो आप ही लगा रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : लगा हुआ है तो फिर लाने की क्या जरूरत है। (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, यह टैक्स लगा हुआ है ट्रैक्टर पर, मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं कि हरियाणा में दो प्रतिशत है, यहां चार प्रतिशत है, बहुत से दलाल लोग दो प्रतिशत में लाकर यहां उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, उस नाजायज फायदे को मैं उठाने नहीं देना चाहता। इतना ही मेरा मकसद है। यह कह रहा हूं कि किसानों पर टैक्स चार प्रतिशत लग रहा है। मैं नहीं लगा रहा हूं, यह लगा हुआ है।

**श्री शिवनाथ सिंह** : माननीय वित्त मंत्री जी, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, 88 में इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया था ट्रेक्टर को, 88 के बाद उस ट्रेक्टर पर कोई सैल्स टैक्स नहीं है।

**श्री जौहरी लाल मीणा** (राजगढ़) : कर लगाने के लिए वित्त मंत्रीजी आरूढ़ हैं इसलिए किसानों के ट्रेक्टर पर कोई किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाए।

**श्री शिवनाथ सिंह** : मैं कह रहा हूं, वह बात बिलकुल उल्टी हो रही है, आप कह रहे हैं कि हरियाणा में दो प्रतिशत पर लाएगा और यहां चार प्रतिशत लेगा, आप यहां सैल्स टैक्स रखेंगे ही नहीं तो चार प्रतिशत लेगा कैसे। जब आप टैक्स ही नहीं लगाएंगे तो चाहे हरियाणा से लाए चाहे चंड़ीगढ़ से लाए, वह व्यापारी सैल्स टैक्स नहीं ले सकता। आपने बिल में सैल्स टैक्स की एन्ट्री नहीं कर सकता जबकि यहां सैल्स टैक्स लागू नहीं है इसलिए यह आप कह रहे हैं, यह आर्ग्यूमेंट उल्टा है।

**श्री चन्दन मल बैद** : लागू है माननीय सदस्य, लागू है यहां।

**श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : मंत्री महोदय, किसानों के ट्रेक्टर पर कोई टैक्स नहीं है, किसान के ट्रेक्टर और ट्रोली पर कोई टैक्स नहीं हैं, पहले लगा था, बाद में उसको एग्जम्प्ट कर दिया।

**श्री शिवनाथ सिंह** : 88 से एग्जम्प्ट है, लागू कहा हैं ?

**श्री चन्दन मल बैद** : यह किताब रही, 88 में लगा हुआ है।

**श्री शिवनाथ सिंह** : 88 में एग्जम्प्ट किया है, बाद में किया है, आप लागू कर रहे हैं।

**श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : पहले लगा हुआ था, बाद में एग्जम्प्ट कर दिया।

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : 1988 में शिवचरणजी माथुर चीफ मिनिस्टर थे,

(श्री रामनारायण चौधरी)

उन्होंने एग्जम्प्ट किया था।

**श्री चन्दन मल बैद** : यह किताब रही, 88 में लगा हुआ है।

**श्री शिवनाथ सिंह** : 88 में लगा हुआ था लेकिन एग्जम्प्ट किया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय, आप यह मान रहे हैं कि सन् 88 में टैक्स लगा हुआ है तो वापस दुबारा लगाने की क्या जरूरत है।

**श्री शिवनाथ सिंह** : फिर अमेंडमेंट क्यों किया आपने।

**श्री उपाध्यक्ष** : Why do you introduce the bill ?

**श्री चन्दन मल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लगा नहीं रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, आप नहीं लगा रहे हैं तो फिर यह बिल क्यों ला रहे हैं ? जब आप यह कह रहे हैं कि 88 से यह लगा हुआ है, चार प्रतिशत लगा हुआ है तो नया कानून लाने की क्या जरूरत है। (व्यवधान)

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं नया टैक्स नहीं लगा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जो ब्रोकर हरियाणा से दो प्रतिशत सैल्स टैक्स देकर ट्रेक्टर...

**श्री जगमाल सिंह यादव** : वह ला ही नहीं सकता। वह राजस्थान में बिलिंग करेगा, राजस्थान का बिल देना पड़ेगा।

**श्री अमराराम (धोद)** : असत्य बोलकर राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप मिस गाइड हैं। (व्यवधान)

**श्री हरजीराम बुरड़क** : आप हरियाणा के बराबर कर दो, हरियाणा से कोई लाएगा ही नहीं, जैसा आपने गाड़ियों पर हरियाणा के बराबर किया है, ट्रेक्टर का भी कर दो।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : कौन +++ होगा जो दो प्रतिशत तो हरियाणा में देकर आएगा और फिर चार प्रतिशत यहां देगा।

**श्री अमराराम (धोद)** : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं कि हरियाणा से यहां ट्रेक्टर लाकर यहां बेच देगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य विराजिए।

**श्री अमराराम (धोद)** : उपाध्यक्ष महोदय, कोई बेच ही नहीं सकता।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिए, मैं आपकी ही बात कह रहा हूं।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : वह ब्रोकर दो प्रतिशत देकर हरियाणा में खरीदेगा और फिर यहां बिलिंग करेगा तो चार प्रतिशत देना पड़ेगा, तो छह प्रतिशत का कौन बर्डन

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

उठाएगा, पता नहीं क्या कह रहे हैं राजस्थान में लाएगा तो राजस्थान में बिलिंग करनी पड़ेगी, यहां बिलिंग करेगा तो चार प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजें, आप इसका हल निकालने दीजिए।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : आप इनको समझाओ।

**श्री उपाध्यक्ष** : समझा रहा हूं। विराजो आप।

**श्री अमराराम** (धोद) : हम तो बैठ जाएंगे, उनको समझाओ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजो, यही समझा रहा हूं उनको, और क्या कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तसल्ली रखें आप।

**श्री अमराराम** (धोद) : आप उनको समझा दो।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप रूको तो समझाएं किसको समझाएं ? (व्यवधान) नहीं उनको समझा रहे हैं।

**श्री हरजीराम बुरडक** : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के बराबर ट्रेक्टर का टैक्स कर दो, कोई हरियाणा से नहीं लाएगा, आपने गाड़ियों पर तो हरियाणा के बराबर कर दिया, इस बात के लिए कहा है, वह वहां से नहीं लाएगा तो आपको क्या तकलीफ है ? आप हरियाणा के बराबर कर दो, कोई भी लाएगा, जैसे आपने गड़ियों का किया है, छह प्रतिशत से चार प्रतिशत कर दिया, कि लोग बाहर से ला रहे हैं, तो आप ट्रेक्टर के लिए भी यही व्यवस्था कर दो।

उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स बराबर करो, कोई नहीं लाएगा। गाड़ियों के लिए आपने शुरू किया। 6 पर्सेन्ट से 4 पर्सेन्ट गाड़ियों के लिए किया है और इसलिए किया है कि लोग हरियाणा से ला रहे थे। वैसे ही आप यहां दो पर्सेन्ट कर दो, कोई नहीं लाएगा। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपकी भावनाओं को समझकर आपके केस को प्लीड़ कर रहा हूं। आ जाएगा, तसल्ली रखो। समझना तो पड़ेगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य दो मिनट तसल्ली रखो।

**श्री अमराराम** (धोद) : मैं तो पांच मिनट बैठा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी भावनाओं को समझते हुए ही इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। (व्यवधान) कर रहे हैं, सोचने दो उनको, सोचने तो दो (व्यवधान) लेट हिम अण्डर–स्टैण्ड। सोचने दीजिए, समझने दीजिए।

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो किसान है, जो ट्रेक्टर खरीदता है वो तो समझता है। (व्यवधान) जिनका कभी ट्रेक्टर से काम नहीं पड़ा वो समझेंगे भी नहीं।

(श्री अमराराम)

(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जो अपनी जिंदगी में ट्रेक्टर का हल नहीं चलाये, ट्रेक्टर कभी खरीदा नहीं, वे नहीं समझ सकते। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : समझा रहे हैं। सरकार का काम कर रहे हैं। (व्यवधान) समझा रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : समान टैक्स किया है उसी हिसाब से किसान के काम आने वाले ट्रेक्टर और कृषि यान पर भी समान टैक्स कर दिया जाए ताकि किसान बाहर से नहीं लाएगा। (व्यवधान)

**श्री जौहरी लाल मीणा** : जिस प्रकार राजस्थान में टैक्स लगाया उसी प्रकार ट्रेक्टरों का टैक्स भी और स्टेटों के बराबर कर दिया जाएं।

**श्री देवीलाल बैरवा** : यह गरीबों और सब लोगों पर पड़ेगा। यह सब पर पड़ेगा। आप काश्तकार हैं उनसे पूछो क्या स्थिति है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा षड़यंत्र रचा जा रहा है कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए। वित्त मंत्रीजी ने अभी कह दिया दो पर्सेन्ट सैल्स टैक्स...

**श्री उपाध्यक्ष** : यह बात कहकर इसको बिगाड़ रहे हैं आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : हरियाणा से टैक्स बचाने के लिए थोड़े ही ला रहा है, बीच में दलाल ज्यादा पैसे ले रहे हैं। (व्यवधान) इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं यह वापस लें।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी कम्पनी, जितनी भी कम्पनियां हैं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : उपाध्यक्ष महोदय, अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो वापस लेना पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिए, विराजिए प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें, विराजें। आर्डर प्लीज।

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विवाद इस बात पर हो रहा है कि राजस्थान में ट्रेक्टर पर टैक्स नहीं है। अगर राजस्थान में ट्रेक्टर पर टैक्स नहीं हैं तो मैं नहीं लूंगा और है तो लगेगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आप वापस क्यों नहीं लेते ?

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गई न बात। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, फिर इसकी क्या जरूरत है ? ये सैल्स टैक्स लगाने के लिए तैयार हैं, ये टैक्स लगाने के लिए लाए हैं।

**श्री हरजीराम बुरडक** : गाड़ियों का आपने इसलिए कर दिया था कि लोग हरियाणा से ला रहे हैं। आप बराबर कर दो। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : नहीं है तो फिर वह टैक्स नहीं लगे, सीधी बात कह दो।

**श्री अमराराम** (धोद) : आप वापस ले लीजिए। राजस्थान का वित्त मंत्री यह नहीं कह सकता कि टैक्स कितना है, कितना नहीं, वापस ले लीजिए। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : गाड़ियां हरियाणा से ला रहे हैं, अब इसमें चार कर दिया। (व्यवधान)

**श्री महेश जोशी** : आप तो यह बता दो वी.पी. सिंहजी, कि आपके समय में ट्रेक्टर पर टैक्स लगता था या नहीं लगता था ?

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : आप बैठिए, मैं बताता हूं।

**श्री महेश जोशी** : आपके समय में भी लगता था।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : जो लोकल एरिया में नौ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि यह काला कानून जो ट्रेक्टरों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं उसको तत्काल वापस लें।

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब टैक्स की छूट है तो क्यों लाया जा रहा है ? (व्यवधान)

**श्री देवीलाल बैरवा** : अगर आप थोड़ा–बहुत समझते हो तो इस तरह से मत करो। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : देवीलालजी बोलो, आप बोलो। (व्यवधान)

**श्री देवीलाल बैरवा** : आप दोनों ही बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे है, आप अकेले क्यों बोल रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। विराजिए जगमाल सिंहजी, विराजिए।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, यह सही बात है...

**श्री उपाध्यक्ष** : जगमाल सिंहजी, आर्डर आर्डर।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : यह सही बात है, गलत है, लोभ मत मानो। यह किसानों का...

**श्री उपाध्यक्ष** : जगमाल सिंहजी, विराजिए, प्लीज। आर्डर आर्डर।

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों से विचार–विमर्श करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस बिल को कल के लिए रैफर कर दिया जाए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह कैसी रही ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर विराजें। (व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय राठौड़ साहब, बैठिए। (व्यवधान) विराजिए प्लीज। अब समाप्त कीजिए। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आर्डर माननीय सदस्य।

प्रश्न यह है कि इस सदन की अनुमति हो तो इस बिल को कल तक के लिए स्थगित किया जाए ?

**(स्वीकृत)**

विधेयक स्थगित किया गया।

खण्ड 3 (व्यवधान) माननीय सदस्य।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : हमेशा के लिए स्थगित कर दो।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : आप अपनी वाहवाही मत लूटो, हम यहां पर बैठे हुए हैं, किसानों के हितैषी हैं, आप अकेले हितैषी नहीं है। जोर–जोर से बोल रहे थे। यहां सभी लोग बैठे हैं वे सब किसानों के हितैषी हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। (व्यवधान) आर्डर आर्डर। (व्यवधान) आर्डर आर्डर माननीय जगमाल सिंहजी।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : कल होगा अच्छी बात है, अच्छी बात का विचार कर लिया, कोई बुरी बात नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर माननीय जगमाल सिंहजी। अब इसको समाप्त कीजिए।

राजस्थान कराधान अधिकरण (निरसन) विधेयक, 1999। श्री चन्दन मल बैद, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कराधान अधिकरण (निरसन) विधेयक, 1999 विचारार्थ लिया जाए।

## राजस्थान कराधान अधिकरण (निरसन) विधेयक, 1999

**श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान कराधान अधिकरण (निरसन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामनारायण चौधरी।

**श्री रामनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन से प्रार्थना करता हूं कि मैं मेरा संशोधन प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहता।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शिवनाथ सिंहजी।

**श्री शिवनाथ सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। उपाध्यक्ष जी, बहुत छोटा बिल है और इसमें बहुत कहने की बात भी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1985 में यह बिल पास हुआ और उस बिल के पास होने के बाद एक अलग से अधिकरण बन जाए और वह अधिकरण इस आशा से बनाया गया कि जितने भी टैक्सेज से संबंधित मामले हैं वो

(श्री शिवनाथ सिंह)

हाई कोर्ट में पड़े रहते हैं। बहुत लम्बा समय लगता है और लम्बा समय लगने के कारण न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए एक अधिकरण अलग से बना दिया जाए और सैल्स टैक्स के मामले यहां आ जाए।

माननीय उपाध्यक्षजी, मंत्री महोदय ने जो एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स लिया है उसमें यह कहा है कि इस अधिकरण के बाद में इसकी अपील हाई कोर्ट में होती है। अपील होने के कारण इसका मकसद फेल हो गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि ओरिजनल मामले इस अधिकरण के सामने आएं और उनमें जितने पर्सेन्टेज हाई कोर्ट में गए, आज भी जो आप प्रावधान कर रहे हैं, सिंगल बैंच में मामला जाएगा, डबल बैंच में फिर भी उसकी अपील होगी। इस अधिकरण के फैसले के खिलाफ भी डबल बैंच में अपील होगी और आप जो नया प्रावधान करना चाहते हैं उसके हिसाब से सिंगल बैंच की अपील डबल बैंच में हो जाएगी। जैसा हम जानते है अपने हाई कोर्ट में जजों की संख्या कभी भी पूरी नहीं होती। इस वक्त भी 15 से 18 वैकेन्सीज हैं, हाई कोर्ट में मुकदमों का अम्बार लगा हुआ है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और हाई कोर्ट इन मुकदमों का फैसला करने में कम दिलचस्पी रखता है। मैं पूरे सम्मान के साथ निवेदन करना चाहूंगा रिट वगैरह में अखबारों में नाम आ जाए इसलिए रिट वगैरह लेते रहते हैं और कोई भी मामला वहां तय नहीं हो पाता है। 20–20 साल से सिविल केसेज वहां पड़े हुए हैं। ये जो मामले उसको फिर देंगे उससे बर्डन बढ़ेगा और लोगों को न्याय मिलने में कठिनाई होगी।

(19.00 बजे)

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो यह अधिकरण बना है उसके बाद में आज तक कितने ऐसे मामले हैं जिनमें अपील के 5–10 तो हमेशा होते हैं, जिस वक्त बनाए गये थे कानून, उस कानून में और आज के अंदर क्या फर्क आ गया ? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला आपने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दे दिया कि इस अधिकरण के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में डबल बैंच में अपील हो सकती है। वो तों प्रावधान आज भी है। सिंगल बैंच में आपकी सुनवाई होगी डबल बैंच में वह जाएगा, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क यह पड़ेगा कि आपके अनेक मामले जो टैक्सेशन से संबंधित है, सरकारी खजाने में वह रुपया नहीं आ पाएगा। हाई कोर्ट उनमें स्टे लगा देगा। स्टे लगने के बाद मेरे ख्याल से वो सालों–साल पड़े रहेंगे। इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है और जो

(श्री शिवनाथ सिंह)

अधिकरण पहले से बना हुआ है उस अधिकरण को कायम रखा जाए और यह बिल आपने पेश किया है, उससे कोई उन पर फर्क होने वाला नहीं है, उल्टा लोगों को डिले होगा और सरकारी धन का अपव्यय होगा, सरकारी वसूली नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको रिकंसीडर करें और मेरे ख्याल से इस बिल को...

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह सारा विवाद इसलिए आया कि उच्चतम न्यायालय ने चन्द्रकुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया के अंदर एक आब्जर्वेशन दे दी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह है कि उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया कि राजस्थान कराधान अधिकरण को सिंगल बैंच के बराबर अधिकार प्राप्त है। यानि इसके द्वारा किये गये फैसले की डबल बैंच में ही अपील होगी। यह प्रोविजन पहले भी था और उसके साथ ही मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी धारा–5 के अंदर जितने भी पैंडिंग केस हैं सारे के सारे हाई कोर्ट मे ट्रांसफर करने का प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रिब्यूनल में कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को लेकर जाए, या सरकार जाए, एक निश्चित समय में फैसला हो जाता है। परन्तु आज उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा एक सवाल कुछ दिन पहले आया था कि उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं और उच्च न्यायालय के अंदर ऐसे पैंडिंग मुकदमों के कारण कितना भार है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज अगर यह सारे के सारे केस, जैसा कि प्रभारी मंत्री जी ने धारा 5 में कहा हैं, वे सारे के सारे प्रकरण अगर सिंगल बैंच को ट्रांसफर हो जाएंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, हजारों की संख्या में लोग कोर्टो में चक्कर लगाएंगे और कई तो ऐसे प्रकरण होंगे उपाध्यक्ष महोदय, जो निर्णय की स्टेज पर होंगे, या तो एडमीशन की स्टेज पर हाई कोर्ट में जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन प्रभारी मंत्री जी इस राजस्थान कराधान अधिकरण निरसन विधेयक, 1999 को इसको मैं समझता हूं कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना यह नहीं है कि इसको समाप्त किया जाए। उन्होंने तो डिफाइन किया है कि इसमें अधिकार क्या नियत होंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर ठण्डे दिमाग से विचार करें वित्त मंत्रीजी, मैंने जो पहले कहा, वे सारे के सारे ऐसे खोटे काम बिना कारण के आप इसलिए लेकर आते हैं कोई न कोई लाबी काम कर रही है आपके खिलाफ या कोई अधिकारी ऐसे हैं। इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए आप इसको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वापस लें, इसका कोई अर्थ नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : डा. किरोड़ी लालजी, श्री अमराराम, श्री रामनारायण विश्नोई।

**श्री रामनारायण विश्नोई** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल एक्ट, 1995 में बना था। यह एक्ट बनाने के पीछे भावना यह थी कि छोटे–छोटे एक्ट जो राजस्थान में है टैक्सेशन के सिलसिले में 12 शिड्यूल्ड एक्ट्स मेन्शन किये थे। यह छोटे–छोटे मामले हाई कोर्ट के अंदर जाते थे और उनके निर्णय में बहुत लंबा समय लगता था। उसकी वजह से जो टैक्स ट्रिब्यूनल बनाया, उस टैक्स ट्रिब्यूनल के बनने के बाद हजारों मुकदमे इस तीन साल के समय के अंदर निर्णीत हो गये। उस वक्त मंशा यह थी कि टैक्स ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन जो है वह हाई कोर्ट के बराबर बना दिया जाए और यह कोशिश, यह प्रावधान किये गये। पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पेरेलल हाई कोर्ट क्रियेट नहीं की जा सकती। इस कारण से ट्रिब्यूनल के फैसले सिंगल बैंच के फैसले के बराबर माने जाएंगे। अगर एग्रीव्ड पार्टी है तो स्पेशल अपील में भी डी.बी. के अन्दर अपील में जा सकते हैं। उस बात को लेकर के और सिर्फ कारण यही बताकर के वापस इस ट्रिब्यूनल को खतम किया जा रहा हैं। जिसके पीछे हमारी समझ में आने वाली बात नहीं कि भावना क्या है। ट्रिब्यूनल की वजह से काम–काज के जल्दी फैसले हो रहे थे। किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान नहीं था और डी.बी. के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक–दो प्रतिशत केसेज भी नहीं गये थे। आज सिर्फ छोटे से मामूली टैक्सेशन में 1000, 2000, 4000, 5000 रुपये तक के वेल्युएशन के मामले में भी हाई कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। सिंगल बैंच के अन्दर वहां अनाप–शनाप खर्च करना पड़ेगा। फिर डिविजन बैंच के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए हमारा निवेदन यह है कि वापस इस ट्रिब्यूनल को, इस एक्ट को लागू किया जाए, इसे निरस्त नहीं किया जाए, यह जनता के हित के अंदर है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भंवरलाल शर्मा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था तो उसके पीछे क्या उद्देश्य था ? उद्देश्य यही था कि इस प्रकार के अनेकों केस यहां पैंडिंग है और जिनके निपटाने में टाइम लगता है। इस शुद्ध भाव से इसका गठन किया गया था। कोई भी जिम्मेदार सरकार हो, उसका यह दायित्व है कि लोगों को न्याय मिले और समय पर मिले, यह सुलभ हो, त्वरित हो, सस्ता हो, इस विचार से इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। हाई

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह कह दिया कि इसका जो स्ट्रक्चर है अस्तित्व है, स्टैण्डर्ड है, स्तर है, वह हाई कोर्ट के बैंच के बराबर है। अगर यह बात सही है और उस दृष्टि से यदि कोई और रास्ता निकाले तो ज्यादा ठीक रहेगा, वरना जिस भावना से इसका गठन किया था वह मेरी जानकारी में है, आपकी जानकारी में भी होगा।

**श्री चन्दन मल बैद** : मेरी जानकारी में नहीं है आपकी जानकारी में होगा, आपने ही इसे बनाया था।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मैं तो आपकी जानकारी की बात कह रहा हूं, बनाया तो अच्छा किया था, बुरा क्या किया था ? बनाया था तो हजारों केस निपटा दिये, अब आपका मन है कि हमने बनाया था, इसलिए हटाना चाहिए, तो बात अलग है। लेकिन इसके गठन के बाद हजारों केस निपटे हैं और आज भी निपट जाएंगे पर ये सारे मामले और भविष्य में आने वाले मामले भी यदि हाई कोर्ट में सीधे गये तो, जो पिछले दिनों में माननीय खेतसिंहजी साहब ने फरमाया था हाई कोर्ट में जजेज ही नहीं है और जजों की बड़ी कमी बतायी थी कि काफी काम पैंडिंग है, और इतने जज और चाहिए, हाई कोर्ट में निपटाने के लिए और जजों की एक्स्ट्रा आवश्यकता है, उस स्थिति में यदि ये मामले वहां चले गये तो इनको भेजना और एक ठण्डे बस्ते में डालना होगा, यह उसका अर्थ होगा, इसमें कोई विवाद का विषय भी नहीं है, किसी बात का कोई विरोध नहीं है। केवल इतना ही है कि जिस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया है वह उद्देश्य पूरा हो इसलिए इसका जीवन दान कैसे भी हो जाए अगर कोई संशोधन कर रहे हैं। इसके गठन में तो वो भी किया जा सकता है किन्तु मैं समझता हूं कि इसको वापस लेने के लिए समय ले लें जैसे आज आपने एक बिल को कल के पुनर्विचार के लिए रखा है, जल्दीबाजी मत कीजिए, कानूनी सलाह ले लीजिए, और कुछ सलाह करके अगर इसको किसी प्रकार रखा जा सकता है यह बहुत बड़ा राहत का काम है और इसीलिए इसका गठन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इसको बंद कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने केवल इसका जुरिस्डिक्शन और स्तर आपको बताया है, कि इसका स्तर यह है, इस कारण तो बंद करने की आवश्यकता है नहीं। यदि इसकी अपील डबल बैंच में होती है तो होने दीजिए, वरना तो सीधे ही हाई कोर्ट में चले जाएंगे सारे केसेज। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको कोई इश्यू न बनाकर जनहित में इसका विचार करके, यह कायम रहे इस प्रकार विचार कीजिए, कैसे कायम रह सकती है। उसके लिए आदरणीय रामनारायणजी, शिवचरण माथुर साहब यहां विराजमान है, हरीसिंहजी हैं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सलाह कर लीजिए। इसको कैसे हम इतना रखें कि निपटारा होता रहे केसेज का इसके पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है, वैसे तो माननीय वित्त मंत्रीजी आप सामान्यतया मान लेंगे इस बात को, लेकिन यह बात तो मानने जैसी है, जिसको आप मान लेंगे।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : रियल्टी यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि इसको इसलिए अबोलिश करना चाह रहे हैं, कि जो ट्रिब्यूनल का हैड होता है वह एक बड़ा अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है और वो पोलिटिकल बहुत सारे जो बिल कमेन्टमेंट कराना चाहते हैं वह नहीं होता है तो बहुत सारी समस्याएं पोलिटिकल पार्टी के सामने आ जाती है और यही कारण है कि इसको अबोलिश किया जा रहा है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, यह बात मैं कहना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय वित्त मंत्री जी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : पुनर्विचार के लिए रख लें।

**श्री उपाध्यक्ष** : कर लो न विचार। मैं मना कहां कर रहा हूं ? मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं। मुझे दिख रहा है। मैं तो कल करूंगा ही। माननीय मंत्रीजी।

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि निर्दोष से निर्दोष चीज का विरोध करने की आदत प्रतिपक्ष को पड़ गयी है। यह ट्रिब्यूनल इस वास्ते बनाया गया था कि हाई कोर्ट का स्थान ले लेगा यह। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाई कोर्ट का स्थान यह नहीं ले सकता, केवल हाई कोर्ट की सिंगल बैंच का स्थान ले सकता है, इसलिए डबल बैंच में उसकी अपील की जा सकती है। आमतौर पर हमारे यहां तीन अपील मानी जाती है। पहली अपील डिप्टी कमिशन के यहां होती, दूसरी अपील टैक्स बोर्ड में हो गयी, तीसरी अपील ट्रिब्यूनल में करो, चौथी अपील हाई कोर्ट में करो तो आप कितनी अपील देना चाहते है एक टैक्स असेसी को ? आखिर तीन अपील, ट्रिब्यूनल में भी तीन ही अपील है, फांसी की सजा होती है उसको भी तीन ही अपील है। इसको कितनी अपील देना चाहते हैं आप ? इसका मतलब तो लम्बे समय तक इसको बढ़ाते हुए चले जाएं और यह कहते हैं न कि ये बहुत काम कर रहे थे, जब इसको आर्डिनेंस के द्वारा भंग किया गया, 17 फरवरी को इसको समाप्त किया गया तो इसके पास 62 करोड़ रुपये के स्टे दिये हुए थे ट्रिब्यूनल के द्वारा इसमें से 40 करोड़ के तो सिर्फ मार्च में इन्होंने दिये थे। (व्यवधान) सुनिये, सुनिये आप मेरी बात सुनिये, बैठ जाइये। हम तीन अपील देना चाहते हैं, चौथी अपील तो देने का कोई प्रावधान ही नहीं है पर आपने बीच में एक

(श्री चन्दन मल बैद)

चौथी अपील और डाल दी, फिर एक पांचवीं और डाल दीजिये फायदा हो जाएगा। तीन अपील है डिप्टी कमिशनर के पास जाइये, टैक्स बोर्ड के पास जाइये और वहां पर संतोष नहीं है तो हाई कार्ट के पास जाइये। इससे आगे कहां जाएंगे आप ? कितनी अपील लेना चाहते हैं आप ? इस वास्ते मैंने यह उचित समझा कि हाई कोर्ट की जगह लेने के लिए उसे बनाया गया था तो इसको तीसरी अपील बनाया था हमने। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हाई कोर्ट का स्थान यह नहीं ले सकता तो हमको इसकी जरूरत ही नहीं है और एक करोड़ रुपये जो हम इस पर खर्च कर रहे थे वह क्यों खर्च करें हम ? यह जनता का पैसा मुफ्त में बर्बाद करने के लिए है क्या ? इस वास्ते एक करोड़ रुपया हमने बचाया और बचाकर के इसको भंग कर दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान अधिकरण (निरसन) विधेयक, 1999 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक का जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान अधिकरण (निरसन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए ?

**(स्वीकृत)**

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खंडशः विचार–कोई संशोधन नहीं।

श्री चन्दन मल बैद प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कराधान अधिकरण (निरसन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

## विधेयक का पारण

**श्री चन्दन मल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान अधिकरण (निरसन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान काराधान अधिकरण (निरसन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

**(स्वीकृत)**

विधेयक पारित किया गया।

**डा. किरोड़ी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, सरमथुरा का मामला है...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गृह मंत्रीजी।

## शासकीय व्यक्तव्य

## सदमथुरा में पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मृत्यु

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संक्षिप्त रूप में आपके माध्यम

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

से इस एन्काउंटर के फैक्ट्स तो बता दिये थे। जो डैड बाडी है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। धर्मसिंह पुत्र बच्चन सिंह, गांव मुदीना, थाना मंड्राइल का रहने वाला है। जाति से गुर्जर ठाकुर है। इसको उसी गांव गोलारी के कप्तान सिंह ने आकर पहचाना है। राठोली के प्रभु ने भी इसको पहचान लिया है। प्रभु वह व्यक्ति है जिसकी बेटी के साथ इसका संबंध हुआ था और फिर बाद में संबंध छूट गया था। संबंध छूटने के कारण से उसने इस लड़की के अपहरण की चेष्टा की थी जिसके ऊपर थाना मण्ड्राइल में उसके ऊपर केस कायम हुआ था धारा 365 के तहत। जो तथ्य सामने आये हैं श्रीमान् जो ट्वेल्व बोर बन्दूक उसके पास थी और लाइव कार्ट्रिजेज जो मिले थे उसके अतिरिक्त उसके पास एक डायरी भी प्राप्त हुई है जिसके अन्दर डकैतान के पते इत्यादि लिखे हुए हैं।

नम्बर दो, कुछ थ्रेटनिंग के जो कि, एक वहां उस इलाके में सरमथुरा के इलाके के अंदर खान बहुल क्षेत्र है और जिला करौली से लगा हुआ इलाका है, मंड्राइल के इलाके से लगा हुआ है। यहां पर खानों के ऊपर जो खनिया, श्रमिक काम करते हैं। उनको यह बदमाशान चिट्ठी आकर दे जाते हैं। काम बन्द कर देते हैं और इनकी पिटाई करते हैं पैसा खींचने के लिए, चौथ वसूली के लिए। उसके ऊपर वहां पर काफी लम्बे अर्से से आर.ए.सी. की पोस्ट वहां पर कई जगह पर तैनात की हुई हैं जिससे कि इसके उपद्रव को वहां पर रोका जा सके।

यह जो एन्काउंटर हुआ इस एन्काउंटर की गवाही भी मिली कि थाना मदनपुर से एक मुलजिम को एस.सी., एस.टी. एक्ट के तहत पुलिस सुबह वहां से तफ़तीश करने के लिए लेकर के आ रही थी। उसने भी अपने बयान में, वह तो मुलजिम है, पुलिस से नाराज हो सकता है पर उस आदमी ने भी अपनें बयानों में यह कहा है कि साहब हम जब रास्ते में आ रहे थे तो ये लोग वहां पर थे और पुलिस वालों ने रोका तो पुलिस वालों के ऊपर इन्होंने फायर किया था, दोनों तरफ से फायरिंग हुआ है इसके अंदर जो माननीय सदस्यों को अंदेशा था, भ्रम था या सूचना के आधार पर जो बात कह रहे थे उसमें कोई तथ्य नहीं है, बाडी आइडेंटिफार्ड हो चुकी है।

**डा. किरोड़ी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने इस फर्जी एन्काउंटर के तथ्यों को जिस ढंग से ट्विस्ट करके सदन में पेश किया है वह बिलकुल निराधार है, गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जिस समय एन्काउंटर किया गया था उस समय आपके जिले के पुलिस अधीक्षक कहां पर थे ?

(श्री किरोड़ी लाल)

दूसरा, इस व्यक्ति, जिस धर्मसिंह को आपने मारा है, इसके खिलाफ मण्ड्राइल के अलावा सरमथुरा, बाड़ी या धौलपुर के किन–किन थानों में गम्भीर प्रवृत्ति के जैसे अपहरण के, लूट–खसौट के, फिरौती के कितने मुकदमे दर्ज हैं ?

तीसरा, इसके बारे में पहले यह प्रचारित किया गया कि यह जगदीश गुर्जर की एक गैंग का सदस्य था...

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैं तो अभी भी इसी बात को दोहरा रहा हूं।

**डा. किरोड़ी लाल** : उससे पहले आपकी पुलिस ने यह कहा कि यह लुटई गैंग का था। आपकी पुलिस ने यह भी कहा कि यह जो दूसरी यहां पर गैंग आपरेट कर रही है उसका सदस्य था। उपाध्यक्ष महोदय, उस गैंग का सदस्य होने का किसी पुलिस थाने में इस ढंग का रिकार्ड न तो सरमथुरा में, न धौलपुर में और न बाड़ी में है। मैं बता रहा हूं न आपको। उपाध्यक्ष महोदय, हुआ यह है कि यह व्यक्ति अपनी रिश्तेदारी, जो मदनपुर गोलारी में है, वहां पर गया हुआ था और वहां से आ रहा था। जैसा कि गृह मंत्रीजी कह रहे थे कि सैक्शन तीन के मुलजिम को लेकर वह सरमथुरा ला रहे थे और उस सैक्शन तीन का मुलजिम इस बात का आई विटनेस है कि जब पुलिस ने उसको रोका और वह रूका नहीं तो पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग कर दी...

ऐसे कौन से कारण बन गये कि केवल पुलिस के टोकने मात्र से उस व्यक्ति ने गोली चलाना चालू कर दिया। मुझे जो जानकारी मिली है, वह यह है कि वहां पर पुलिस आई और एस.पी. आया, सारी फोर्स को लेकर आया। मेरी जानकारी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि चार कि.मी. की दूरी तक जैसा कि उन्होंने बताया है, पूरे एरिये को घेर लिया और एक घंटे तक पुलिस ने फायरिंग की, एक घंटे तक उन्होंने फायरिंग की। जो डकैत बताते थे तथा कथित और पुलिस ने उन पर फायरिंग की और उसके बाद भी चार तो भाग गये और यह अकेला धर्मसिंह एक घंटे तक फायरिंग में एक आदमी को मारकर गिराया। यह फर्जी एन्काउंटर में पुलिस ने इस व्यक्ति को मारा है, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : चार कि.मी. की दूरी में कितनी पुलिस थी।

**डा. किरोड़ी लाल** : मैं वही तो पूछ रहा हूं, आप ही बता दो ना।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : आप कह रहे हैं ना कि मेरी जानकारी में है, पुलिस ने घेरा डाल रखा था। कितनी पुलिस थी चार कि.मी. की दूरी के अन्दर जब चार कि.मी. में घेरा डाल रखा था।

**डा. किरोड़ी लाल** : मैं इनसे पूछ रहा हूं ना।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**डा. किरोड़ी लाल** : मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि गृह मंत्रीजी जवाब देंगे यहां। आप गृह मंत्री बन जाओगे तो आपसे भी पूछूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : यह तो सारी बनावटी बातें कर रहे हैं।

**डा. किरोड़ी लाल** : बनावटी बात आपकी सरकार कर रही है। मुझे पता है। एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**डा. किरोड़ी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मामला जो इन्होंने बताया है, मैं यह पूछना चाहूंगा गृह मंत्रीजी से उस समय जब पुलिस के हैड कांस्टेबल सैक्शन (3) के मुलजिम को लेकर आ रहे थे, क्या सीधी मुठभेड़ उनसे हुई ? मैं यह भी बताना चाहूंगा गृह मंत्रीजी को कि जिस जगह पर इस व्यक्ति को मारा है वहां पर आर.ए.सी. फ़ोर्स कोई तैनात नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्या कारण है कि इस व्यक्ति के मर जाने के बाद में डी.आई.जी. भरतपुर रेंज ने वहां के थानेदार को जाने के बाद में तुरन्त ट्रांसफर कर दिया। उसको प्रमोट करना चाहिए था, उसको सरकार से इनाम देना चाहिए था। जब डकैत को मारा है तो उसका सम्मान दिया जाना चाहिए बल्कि उसको तुरन्त प्रभाव से इन्होंने ट्रांसफर कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात पूछना चाहूंगा कि आम तौर पर उस इलाके में यह होता है कि जब डकैत कोई चीज ले जाये या फिरौती की सूचना दे दे, किसी का सामान उठा ले जाये, यहां तक कि किसी गाड़ी की स्टेपनी भी ले जाये तो पुलिस तुरन्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है कि फलां–फलां डकैत द्वारा फलां–फलां जगह से यह सामान लूटा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, 24 घंटे हो जाने के बाद भी प्रेस की तरफ से कोई जानकारी या विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, न पब्लिक में इस बात की जानकारी दी गई, केवल महज इसलिए कि एक निर्दोष आदमी पुलिस के हाथों से मारा गया है और उस तथ्य को छिपाने के लिए यह पुलिस ने 3.35 बजे, आज जो नाम बताये हैं, बल्कि उससे पहले पुलिस ने यह किया है कि वहां पर फर्जी 12 बोर की बंदूक लाई गई, वहां पर कारतूस लाये गये, उसकी बगल में डायरी डाली गई लिखकर पुलिस के हाथों से कि फलां–फलां जगह पर फिरौती मांगी है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी जो बात कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट दिया है, यह गुमराह करने वाला

(डा. किरोड़ी लाल)

है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस मामले में ऐसे सबूत पेश करूंगा कि वहां पर एस.पी. इस मामले में, हत्या के मामले में सीधा इन्वाल्व हैं। मेरे पास सबूत हैं। गृह मंत्रीजी, कल तक आप इस बात की तैयारी कर लें, मैं कल इस सदन में इस बात के सबूत प्रकट करूंगा कि वहां पर एस.पी. और जो सब ओर्डिनेट आफिसर था, उन्होंने एक निर्दोष आदमी की हत्या की है, वहां पर मारा है। एक नहीं, अनेक घटनाएं हैं, केवल इसलिए कि प्रमोशन पाने के लिए, केवल सम्मान पाने के लिए, कि हमको पदक मिल जाये। ऐसे एक नहीं, अनेक घटनाएं इस इलाके में होती हैं। डकैतों के खिलाफ कार्यवाही करके खूब मारो। पहले यहां पर एक मंत्रीजी कह चुके हैं कि डकैती करेंगे तो मारेंगे, खूब मारो। आपने छूट दे दी है मारेने की तो मारो। आपके पुलिस के इतने अधिकारी थे तो उस निर्दोष व्यक्ति को मारने की आवश्यकता क्या पड़ गई ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान) आर्डर आर्डर आप विराजिये प्लीज। प्लीज, विराजिये आप। आप विराजिये विराजिये। अमरारामजी, विराजिये आप।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री अमराराम** (धोद) : मुझे राइट नहीं है क्या, मैं सदन को सदस्य नहीं हूं क्या ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये प्लीज। जवाब आने दीजिये, पहले जो सदस्य बोले हैं।

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी मांग रहा हूं... साथ ही आ जायें मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी एक तो यह बता दें, जैसा इन्होंने एन्काउंटर बता रहे हैं वहां इनकी पुलिस का एस.सी.एस.टी. एक्ट के तीन मुलजिमों को लाने का समय बता दें, कौन सा समय था ? केवल आपकी पुलिस के मुलजिम के अलावा कोई इस बात का गवाह है क्या कि एन्काउंटर हुआ है क्योंकि जब इन्क्वायरी करने जा रहे हैं, आप बता दें, इसका मतलब है कि दिन का समय था, रात में तो नहीं जा रहे थे और दिन का समय था तो क्या ऐसा जंगल है या आबादी है कि वहां और लोग भी इस बात के लिए गवाह देने के लिए तैयार हैं क्या पुलिस में, जिन्होंने यह कहा है कि एन्काउंटर हुआ है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : गृह मंत्रीजी से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं...

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप पहले एक–एक का जवाब सुन लीजिये, फिर आप पूछ लीजिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : मेरा तो एक लाइन का ही है। मैं तो यह पूछना चाहता हूं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने कहा कि एस.सी.,एस.टी. एक्ट के तफतीश करने के लिए पुलिस दल जा रहा था। आपको मालूम है कि एस.सी.,एस.टी. एक्ट में डीवाई.एस.पी. से नीचे तफतीश नहीं होती है। तो आप बता दें कौनसा डीवाई. एस.पी. था, नम्बर एक। और नम्बर दो, धर्मसिंह जिसको आप कहते है कि हत्या हुई है या जो मुठभेड़ में मारा गया है, इसके विरुद्ध पहले इस तरह के कहां–कहां यह व्यक्ति वांटेड था, इश्तिहारी मुलजिम था या...

**श्री हीरालाल विश्नोई** : यह तो इन्होंने पूछ लिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : वह तो बता दिया ना इन्होंने पूछ लिया ना।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज। नहीं विराजिये। बहुत हो गया। नहीं विराजिये।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : दोनों तरफ से कितनी–कितनी राउण्ड गोली चली, यह बता दें। (व्यवधान) पूछने का अधिकार हमें भी है। उपाध्यक्ष महोदय; कितनी–कितनी राउण्ड गोलियां दोनों तरफ से चली, यह भी साथ में बता दें। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सवालात किये है। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, एस.पी. मौके पर नहीं था।

**डा. किरोड़ी लाल** : प्रमाण दे दूंगा कल आपको।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : प्रमाण तो आप दीजियेगा ना कौन मना कर रहा है, आप प्रमाण दीजिये कि एस.पी. था वहां मौके पर और हमारे पास जो रिपोर्ट है कि नहीं था।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : ...और थानेदार का ट्रांसफर ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : दूसरी बात आपने की, जिसके ऊपर आपको शक है शायद कि डी.आई.जी. ने थानेदार का तबादला इस केस की वजह से किया है। थानेदार का तबादला दिनांक 21 तारीख को भरतपुर से जारी हो गया था, जबकि यह एन्काउंटर तारीख 22 को हुआ है। रेडियोग्राम मैसेज 22 तारीख को प्राप्त हुआ था। 21 तारीख को ही वहां से आदेश जारी हो गये थे, यह रिकार्ड की चीज है। किन्हीं प्रशासनिक कारणों से डी.आई.जी. ने उस थानेदार का तबादला एक दिन पहले कर दिया था तो जो आप भ्रम फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कि साहब वह आये और उसको दोषी मानकर थानेदार को वहां से हटा दिया, यह बात भी गलत है। एक बात धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछी है, वह बिलकुल डिफिकल्ट टेरेन है, अजीब इलाका है, वहां पर भीड़भाड़ का सुनसान बिलकुल है मदनपुर गोलारी, अगर आप जाओ तो बड़ा दुर्गम रास्ता है मदनपुर गोलारी जाने का और ऐसा कुछ नहीं है, चौड़ी जमीन की तरह हो, धरती वहां नहीं है। वह बिलकुल पथरीला, कंकरीली, बहुत बीहड़ का इलाका है वहां पर मदनपुर का। आप जो कहते हैं कि एन्काउंटर का वहां कोई गवाह, डकैती में एन्काउंटर के लिए गवाह नहीं होते, कभी नहीं मिलते, आज दिन तक नहीं मिले कभी। आपको उस इलाके का अंदाज नहीं है क्योंकि वहां पर जो, हमारे खेतसिंहजी साहब बैठे हैं, वे जानते हैं, वैस्टर्न राजस्थान में बड़े डकैतों का पहले जोर था। (व्यवधान) वहां एन्काउंटर भी होते थे, उसके गवाह मिलते हैं क्या इन चीजों के लेकिन इस मामले के अंदर यह सबसे बड़ी खास बात है कि जिस मुलजिम को आप ला रहे थे, आप कहते हैं कि डीवाई.एस.पी. तफ्तीश करता है, यह बात सही है। एस.सी.एस.टी. एक्ट में लेकिन इसमें धाराएं 447, यह कोई गिरफ्तारी नहीं थी, उसको बुलाकर ला रहे थे कि तुझसे तफतीश करनी है, तुम चलो। कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई थी इसकी। उसकी लिवाने के लिए गये थे कि तुम आओ और आप कह रहे हैं कि चार मील का घेरा लगाया चारों तरफ से, चार मील घेरे के लिए तो कम से कम एक बटालियन तो आर.ए.सी. की मिनिमम चाहिए, इसमें 1000–1200 आदमी हो (व्यवधान) इसमें कुल ले–देकर 60 आदमी थे। आर.ए.सी. के तीन आदमी थे, चार पुलिस के आदमी थे, तीन कांस्टेबल थे और एक हैड कांस्टेबल था, बाकी अलग थे, कुल 60 आदमी थे। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लग रहा है कि...अब आप कहेंगे साहब इसके ख़िलाफ कहां–कहां इतने सारे केस कायम थे। यह मुलजिम पहले फरार था। इसके खिलाफ एक केस था, लड़की के अपहरण का केस था। इस लड़की से इसकी सगाई हुई थी, सगाई छूट गई थी, उस कारण से उसके बाप ने उसके ऊपर अपहरण का केस कर दिया। यह फरार चल रहा था वहां से और जगदीश गुर्जर जो वहां पर पहले ही नोटोरियस डेकोइट है, उसके पास उसकी चिट्ठियां मिली है, डायरी मिली है। अब आप कहते हैं कि बंदूक पुलिस ने रख दी। पुलिस रखती है कट्टे, फर्जी कट्टे रखती है पुलिस जब केस बनाती है। वह मिली है इंगलैण्ड में बनी हुई डबल बेरेल 12 बोर की जिसकी कम से कम 40–50 हजार रुपये कीमत होनी चाहिए, मुझे तो अंदाज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नहीं है। 15–20 हजार की तो हिन्दुस्तान में बंदूक आती है। 40–45 हजार की बंदूक...

**श्री जगमाल सिंह यादव** : पुलिस फर्जी कट्टे तो रखती है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : हां, हां, मैं मान रहा हूं, अब कहां की रखती हैं, बिहार की रखती है या यू.पी. की रखती है। लेकिन 50 हजार की बंदूक या 40 हजार की बंदूक नहीं रखने वाली है पुलिस। तो मेरा आपसे कहने का मतलब है कि बिलकुल साफ–सुथरी, यह चांस की बात थी और आपको एक बात, आप भी रहते हैं उस इलाके में, बड़े गिरोह होते हैं, बड़े गिरोह में टेम्परेरी मैम्बर भी शरीक हो जाते हैं, कुछ नये ट्रेनिंग में होते हैं, गिरोह के मुखिया के दो–चार के नाम तो हो जाते हैं, जो पन्द्रह, बीस–बीस की फौज चलती है जिन्हें कि हमारे वह टैम्परेरी कहते हैं, वह बाद में आइडेंटिफिकेशन धीरे–धीरे होती है कि इसके संग कौन–कौन हैं। यह कोई मुठभेड़ में काम में आ गये, काम में आ गये। दिन में अपने घर पहुंच गये, रात में चह रहे हैं, मौका लगा जब चल रहे है। तो इसके पास जो डायरी मिली है, आपको सब दिखवा दूंगा। आप मेरे संग चलना, विधान सभा खत्म हो, आपके मन का भ्रम, राजनीति की खातिर राजनीति न करिये, वह इलाका बड़ा खराब है। आज कार्यवाही करने में सक्षम है सरकार, सरकार कर सकती है लेकिन उसका अन्जाम यह होगा कि यह पोस्ट वाले खड़े रहेंगे, यह आर.ए.सी. वाले पुलिस वाले, लोग जो मजदूरी कर रहे हैं खानों पर, इनकी मजदूरियां समाप्त हो जायेंगी, बदमाश पास से निकल जायेगा, यह कार्यवाही नहीं करेंगे, इनका मोरल डाउन मत करिये। राजनीति की खातिर राजनीति, आप भी इस इलाके के चुनाव लड़ चुके हैं, आपके भी वहां पर राजनीतिक इन्टरेस्ट हो सकते हैं लेकिन इलाके के मजदूरों के लिए और उस खान के उद्योग, जो खनिज का उद्योग है उस इलाके में, जो कि वहां के मेजर लोगों की सातों जाति की आमदनी का जरिया है, उसको बरबाद करने की चेष्टा मत कीजिये। बड़ी मुशिकल से उसके ऊपर इतना सब करने के बावजूद भी...(व्यवधान) नहीं, मेरी बात सुनिये, प्लीज, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आर्डर।

**डा. किरोड़ी लाल** : उपाध्यक्षजी, यह आरोप जड़ रहे हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैं आरोप नहीं लगा रहा।

**श्री उपाध्यक्ष** : बोलने दीजिये उनको।

**डा. किरोड़ी लाल** : मैं गृह मंत्रीजी से

(डा. किरोड़ी लाल)

यह पूछना चाहता हूं कि उस इलाके में इन गैंग्स के द्वारा अब तक कितनी माइन्स को बंद किया गया है। एक आपको ऐसा मामला नहीं मिलेगा जहां पर माइन्स को बंद किया हो और गृह मंत्रीजी कहते हैं...

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अब आप विराजें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**डा. किरोड़ी लाल** : और माइन्स बंद कराने के, फिरौती के कितने मुकदमें दर्ज हुए और मैं गृह मंत्रीजी से यह भी पूछना चाहूंगा, इन्होंने कहा था वहां सात आदमियों के अलावा कोई भी नहीं पहुंचा, तो यह रिकार्ड है कि एस.पी. मौके पर पहुंचा है, डी.आई.जी. भी जब खतरा हो गया वहां मौके पर पहुंचा है...

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : एन्काउंटर के वक्त नहीं था। (व्यवधान) बाद में पहुंचा है।

**डा. किरोड़ी लाल** : पहले पहुंचा है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : एन्काउंटर के वक्त कहां था वहां। बाद में दुनिया पहुंची है। आप कह रहे हैं कि एस.पी. वहां मौके पर एन्काउंटर के वक्त था...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय गृह मंत्रीजी समाप्त कीजिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : फिर तो डीवाई.एस.पी. भी पहुंचा वहां पर, बाड़ी का डीवाई.एस.पी. पहुंचा है एस.पी. भी पहुंचा है, डी.आई.जी. भी पहुंचा है और लोग भी पहुंचे है लेकिन आप कह रहे है एन्काउंटर एस.पी. ने लिया है, यह तो असत्य बात है। एस.पी. ने एन्काउंटर कहां लिया है, एस.पी. ने एन्काउंटर थोड़े ही लिया है। इसलिए आप कृपया भ्रम की स्थिति को समाप्त करें। जो तथ्य आपने सुने, मुझे आदेश दिया था, वह सारे तथ्य मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिये है। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : उपाध्यक्षजी, हमारी बात सुन लीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 24 अप्रेल, 1999 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 19.32 बजे शनिवार, 24 अप्रेल, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

---

# परिशिष्ट-1

## (तारांकित प्रश्न संख्या-550 का विवरण)

तहसील-राजगढ़ परिशिष्ट-''अ''

सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वीकृत कार्यों का विवरण

| क्र.स. | कार्य का नाम | स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक | स्वीकृत राशि | कार्य पर कुल व्यय | कार्य की भौतिक स्थिति | कार्य पूर्ण अपूर्ण | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | भैंसली से रामपुरा सड़क 4 कि.मी. | अति.कलक्टर(वि) क्रमांक 12688–97 दि.19.11.94 | 8.00 | 8,93,359 | 3.00 एमआर. 1.90 मिट्टीकार्य | पूर्ण | वार्षिक योजना के अंतर्गत डामरीकरण का कार्य पूर्ण। |
| 2. | गुलपुरा से ढिगारला वाया पहाड़सर भगेला 4 किमी. | –"– | 8.00 | 10,60,000 | 1.10 एमआर. 1.90 मिट्टीकार्य | पूर्ण | – " – |
| 3. | नोरंगपुरा से ठिमाऊ | –"– 13744–49 दि.16.12.94 | 8.00 | 8,70,854 | 2.80 एमआर. 1.20 मिट्टीकार्य | पूर्ण | – " – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | नांगल बड़ी से धानौटी बडी 6 किमी. | –"– 14939–44 दि.31.12.94 | 12.00 | 7,34,945 | 2.50 एमआर. 2.00 मिट्टीकार्य | पूर्ण | – " – 96–97 |
| 5. | लसेड़ी से सुरतपुरा 4 किमी. | –"– | 8.00 | 8,17,319 | 2.20 एमआर. 1.20 मिट्टीकार्य | पूर्ण | – " – 96–97 |
| 6. | नैशल से साखनताल 4 कि.मी. | –"– 13744–49 दि. 16.12.94 | 8.00 | 7,01,169 | 2.00 एमआर. 3.00 मिट्टीकार्य | पूर्ण | – " – 97–98 नाबार्ड स्कीम |
| 7. | राजगढ़ बांय से कांजन 4 कि.मी. | –"– 14939–44 दि.31.12.94 | 8.00 | 3,04,866 | 3.00 मिट्टीकार्य | पूर्ण | – " – |
| 8. | बीकानेर दिल्ली से मेहलाना उतरादा 6 किमी. | –"– | 12.00 | 8,02,762 | 3.00 एमआर 4.00 मिट्टीकार्य | पूर्ण | – " –97–98 नाबार्ड स्कीम |
| 9. | हमीरावास से बेवड़ सड़क 10 किमी. | –"– 1973–79 दि.15.5.95 एवं 3958–72 दि.1.7.95 | 14.33 | 10,24,398 | 2.850 मेटल 0.900 मिट्टीकार्य | कार्य पूर्ण | –" – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | भैंसली से बेरी जिला सीमा तक 2.5 कि.मी. | –"– 3350–56 दि. 19.6.95 एवं 8462–66 दि. 28.9.95 | 3.988 | 3,66,855 | 1.50 मेटल 0.250मिट्टीकार्य | पूर्ण | — |
| 11. | सम्पर्क सड़क ख्याली वाया नरवासी 6 कि.मी. | –"– 261–62 दि. 12.1.96 | 10.50 | 7,19,629 | 2.00 मेटल 1.00 मिट्टीकार्य | कार्य प्रगति पर | — |
| 12. | सम्पर्क सड़क ढंढाल लेखू 6 कि.मी. | –"– | 10.50 | 6,69,853 | 2.40 मेटल 1.50 मिट्टीकार्य | मेटल कार्य पूर्ण | — |
| 13. | सम्पर्क सड़क कालरी से भोंजाण 3 कि.मी. | –"– 4214–25 दि. 25.7.96 | 5.00 | 1,88,667 | 2.50 एमआर. 0.50 मिट्टीकार्य | पूर्ण | वार्षिक योजना के अन्तर्गत 97–98 में डामरीकरण का कार्य पूर्ण। |
| 14. | राधा बड़ी से गागड़वास 2 कि.मी. | –"– | 3.50 | 4,88,774 | 1.20 मेटल 0.50मिट्टीकार्य | पूर्ण | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | सम्पर्क सड़क रावतसर कुंजला 2 कि.मी. | –"–4214–25 दि. 25.7.96 | 3.50 | 3,47,734 | 1.570 एमआर. | पूर्ण | डामरीकरण का कार्य बीएमएसपी 1997–98 में पूर्ण। |
| 16. | सम्पर्क सड़क विजयपुरा 1.80 कि.मी. | –"– 4214–25 दि. 25.7.96 | 3.20 | 3,18,213 | 1.50 एमआर 0.50 मिट्टीकार्य | पूर्ण | — |
| 17. | सम्पर्क सड़क ढाणी मौजी 1 कि.मी. | –"– | 1.00 | 1,11,358 | 0.875 एमआर 0.300मिट्टीकार्य | पूर्ण | — |
| 18. | सम्पर्क सड़क मून्दीताल 3 किमी. | –"– 6829–39 दि. 2.9.96 | 5.00 | 52,570 | — | कार्य प्रगति पर | — |
| 19. | सम्पर्क सड़क बास कांजन राजगढ़ बांय सड़क से | –"–2102–10 दि. 4.6.97 | 4.00 | 3,93,200 | 1.147 मेटल 0.750मिट्टीकार्य | पूर्ण | — |
| 20. | सम्पर्क सड़क कांधरान राधाबाड़ी सड़क से | –"– | 8.75 | 1,46,693 | 1.00 मिट्टीकार्य | कार्य बन्द फसल के कारण | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | सम्पर्क सड़क ढिंगली थिरपाली से | —"— | 7.00 | 3,42,519 | 1.50 मिट्टीकार्य | कार्य प्रगति पर | — |
| 22. | पहाड़सर से मीठी रेडू | —"—5496—506 दि. 22.7.98 | 5.50 | 51,881 | 1.00मिट्टीकार्य | —"— | — |
| 23. | सम्पर्क सड़क भोजाण से गुगलवा | —"—4281—88 दि. 26.6.98 | 10.00 | 74,306 | 2.00मिट्टीकार्य | —"— | — |
| 24. | गागडवास से सदाऊ | —"—4281—88 दि. 26.698 | 10.00 | — | — | कार्यबन्द फसल के कारण | — |
| 25. | चांदगोठी से जनाऊ मीठी | —"—7588—97 दि. 27.8.98 | 9.00 | 29,534 | 1.50मिट्टीकार्य | कार्य प्रगति | — |
| | | योग | 115,11,359 | | | | |

परिशिष्ट ''ब''

| क्र.स. | सड़क का नाम | लम्बाई (किमी.में) | सड़क की वर्तमान में भौतिक स्थिति | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | राधाबड़ी से गागड़वास (1415) | 3.00 | 2.00 डब्ल्यू.बी.एम.एक लेयर<br>0.500 मिट्टी का कार्य | सड़क नीति में आती है। |
| 2. | चनाना बड़ा से चनाना छोटा | 2.00 | 1.400 डब्ल्यू.बी.एम. एक लेयर | सड़क नीति में नहीं आती। |
| 3. | गुगलवा, किरतान से हरियाणा सीमा (1068) (1024) | 3.00 | 1.00 डब्ल्य.बी.एम. एक लेयर | सड़क नीति में आता है। |
| 4. | बिरमी से बांय | 8.00 | कच्चा रास्ता. | सड़क नीति में नहीं आती क्योंकि बांय तथा बिरमी खालसा दोनों गांव डामर की सड़क से जुड़े हुए हैं परन्तु आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। |
| 5. | सम्पर्क सड़क आच्छापुर (656) | 1.00 | 0.750 डब्लू.बी.एम.एक लेयर<br>0.250 मिट्टी का कार्य | सड़क नीति के अन्तर्गत नही आती है। |
| 6. | सम्पर्क सड़क ढाणी मौजी (1282) | 1.00 | 0.875 डब्ल्यू.बी.एम. एक लेयर<br>0.300 मिट्टी का कार्य | सड़क नीति के अन्तर्गत आती है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | सम्पर्क सड़क मूंदीताल (1470) | 3.00 | 1.300 डब्ल्यू.बी.एम.एक लेयर<br>0.200 मिट्टी का कार्य | सड़क नीति के अन्तर्गत आती है। |
| 8. | नोरंगपुरा–बूढ़ावास | 4.00 | 2.250 डब्ल्यू.बी.एम. एक लेयर<br>1.750 कच्चा रास्ता | सड़क नीति के अन्तर्गत नही आती है। |

## परिशिष्ट-2

### (समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

### पोलीटेक्निक महाविद्यालय भवन बाड़मेर की मरम्मत

553. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पोलीटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर के भवन की स्थिति खराब है ? क्या उक्त भवन से कभी भी जन हानि होने का डर बना रहता है ?

(2) उक्त भवन में किन–किन स्थानों में दरारें आई हुई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भवन निर्माण में किन–किन अभियन्ताओं ने भाग लिया और उनकी क्या त्रुटियां रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उनके विरुद्ध सरकार द्वारा कोई विभागीय जांच की जा रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

(5) क्या केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों ने भी उक्त भवन का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट रही ?

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त भवन की एक बार मरम्मत/सुधार का कार्य कराया है ?

(7) क्या सरकार उक्त भवन की मरम्मत/सुधार के लिए कोई कारगर योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(8) अब सरकार कब तक उक्त भवन की मरम्मत करा देगी ?

**उत्तर**

(1) राजकीय पोलीटेक्निक, बाड़मेर के भवन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार फिलहाल जनहानि की सम्भावना नहीं है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग के आंकलन के अनुसार उक्त भवन में यांत्रिकी विभागाध्यक्ष कक्ष, सम्पदा स्टोर, विद्युत विभाग की गैलेरी एवं मुख्य गेट की दीवारों में दरारें आई हुई हैं।

(3) उक्त भवन के निर्माण में निम्नलिखित अभियंताओं ने भाग लिया :–

(1)प्रशासनिक भवन

1. श्री बुद्धमल माथुर–अधिशाषी अभियंता
2. श्री हरीश माथुर–सहायक अभियंता
3. श्री सुनीला माथुर–कनिष्ठ अभियंता

(2)इलैक्ट्रोनिक्स ब्लाक, फिजिक्स एवं कैमेस्टी लैबोरेटरी

1. श्री एन.के.गुप्ता–अधिशाषी अभियंता
2. श्री ओ.पी.भाटिया–सहायक अभियंता

(3) अतिरिक्त ब्लाक तथा गर्ल्स कामन रूम ब्लाक :

1. श्री एम.एल.माथुर–अधिशाषी अभियंता

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

2. श्री ओ.पी.भाटिया–सहायक अभियंता

(4) वर्क शाप ब्लाक

1. श्री जी.एम.सिंघवी–अधिशासी अभियंता

2. श्री ओ.पी.भाटिया–सहायक अभियंता

3. श्री ए.डी.खत्री–कनिष्ठ अभियंता

त्रुटियों के बारे में विभागीय जांच प्रगति पर है।

(4) जी हां। निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच कार्मिक(क–3) विभाग में चल रही है :–

1. श्री बुद्धमल माथुर–अधिशासी अभियंता

2. श्री एन.के.गुप्ता–अधिशासी अभियंता

3. श्री एम.एल.माथुर–अधिशासी अभियंता

4. श्री हरीश माथुर–सहायक अभियंता

5. श्री ओ.पी.भाटिया–सहायक अभियंता

जांच अतिरिक्त आयुक्त विभागीय जांच के यहां प्रगति पर है, जिसकी अग्रिम तिथि 29.4.99 नियत की गई है।

(5) केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा उक्त भवन का एक बार निरीक्षण किया गया था, परन्तु उनके द्वारा इस विभाग को कोई रिपोर्ट नहीं भिजवायी गई।

(6) हां, पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संस्थान के भवन के कुछ हिस्सों की मरम्मत करवायी गई थी तथा वर्तमान में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वार्षिक मरम्मत चल रही है।

(7) उक्त भवन की मरम्मत एवं सुधार के लिए वार्षिक बजट में प्रावधान किया गया है। विशेष मरम्मत हेतु तखमीना बना कर प्रेषित करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिनांक 7.3.99 को लिखा जा चुका है।

(8) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार मरम्मत का सम्पूर्ण कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

## भू-जल दोहन में जनता की भागीदारी

554. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या भू–जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भू–जल दोहन में जनता की भागीदारी की राय जानने हेतु एक विधेयक का प्रारूप जनमत जानने हेतु विभाग द्वारा वितरित किया गया था ? यदि हां, तो विधेयक का प्रारूप एवं उस पर प्राप्त सुझाव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) भू–जल के उचित उपयोग एवं श्रम प्रबन्धन हेतु वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट एवं सीडा के अन्तर्गत किये गये अध्ययन एवं परीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। विधेयक के प्रारूप की प्रति परिशिष्ट 'क' पर तथा सुझाव परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(भू–जल मंत्री)

(2) राजस्थान वाटर रिसोर्सेज कन्सोलीडेशन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट अभी बनी नहीं है तथा सीडा प्रोजेक्ट बन्द कर दिया गया है।

**(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## राजस्थान राज्य परिवहन निगम की वातानुकूलित बसें

555. **श्री आर.पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न आगारों से विभिन्न स्थानों पर संचालित होने वाली वातानुकूलित, डीलक्स, एक्सप्रेस व अन्य साधारण बसों की संख्या कितनी है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वातानुकूलित, डीलक्स व सेमी डीलक्स बसों से इतनी आय नहीं होती जितनी कि अन्य बसों से होती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ मार्गों को छोड़कर सभी लम्बी दूरी के मार्गों पर यात्री प्राइवेट बसों में सफर करना ज्यादा लाभकारी एवं आरामदायक समझ कर यात्रा करते हैं ? क्या इसका कारण निगम की बसों का किराया ज्यादा होना है ?

(4) क्या यह सही है कि निगम के घाटे में चलने का एक प्रमुख कारण प्राइवेट बसों का किराया कम होना है ? क्या सरकार उक्त अनाधिकृत वाहनों पर रोक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न स्थानों के लिए 5 वातानुकूलित, 136 डीलक्स, 1329 एक्सप्रेस तथा 2930 साधारण बसें प्रतिदिन संचालित होती हैं। आगारवार संख्या सूची परिशिष्ट–1 में उँपलब्ध है।

(2) जी नही। वातानुकूलित, डीलक्स व सेमी डीलक्स बसों से आय एक्सप्रेस व साधारण सेवाओं की तुलना में अधिक हो रही है। वातानुकूलित व डीलक्स सेवाओं से निगम को अप्रेल 1998 से फरवरी 1999 तक रुपये 2016.76 लाख की आय प्राप्त हुई है जो रुपये 12.41 प्रति कि.मी. है जबकि द्रुतगामी एवं साधारण सेवाओं की सकल आय रुपये 43806.39 लाख प्राप्त हुई है, जो कि रुपये 9.70 प्रति कि.मी. हुई है। इस प्रकार एक्सप्रेस व साधारण बसों द्वारा अर्जित आय से वातानुकूलित, डीलक्स व सेमी डीलक्स बसों से अर्जित आय प्रति कि.मी. रुपये 2.60 अधिक प्राप्त हुई है।

(3) जी हां। निगम की लम्बी दूरी व रात्रिकालीन बसों में तथा निजी अनधिकृत बसों के किराये में असमानता व प्रतिस्पर्धा के कारण निगम की इन बसों के यात्री भार में गिरावट आयी है।

(4) निगम का घाटे में चलने के कई

(यातायात मंत्री)

कारणों में से एक प्राइवेट बसों का कम किराया होना भी है। यह प्रमुख कारण नहीं है। अवैध वाहन संचालन को रोकने के लिये विभाग सतत् प्रयत्नशील है। सामान्य चैकिंग के अतिरिक्त विशेष चैकिंग अभियान जिला प्रशासन व पुलिस के सहयोग से चलाये जाते रहे हैं।

परिशिष्ट-1

**राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विभिन्न आगारों से विभिन्न स्थानों पर संचालित होने वाली वातानुकूलित, डीलक्स, एक्सप्रेस एवं साधारण बसों की आगारवार सूची**

| क्र.स. | आगार का नाम | वातानुकूलित | डीलक्स | सेमी डीलक्स | एक्सप्रैस | साधारण योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | जयपुर | — | — | 86 | 33 | 119 |
| 2. | सुविधा | 5 | 95 | — | — | 100 |
| 3. | दौसा | — | — | — | 104 | 104 |
| 4. | झालानाडूगरी | — | — | 5 | 93 | 98 |
| 5. | विद्याधरनगर | — | — | — | 107 | 107 |
| 6. | सांगानेर | — | — | — | 119 | 119 |
| 7. | वैशालीनगर | — | — | 1 | 112 | 113 |
| 8. | कोटपूतली | — | — | 14 | 66 | 80 |
| 9. | अजमेर | — | 2 | 50 | 52 | 104 |
| 10. | अजयमेरू | — | 1 | 30 | 82 | 113 |
| 11. | ब्यावर | — | — | 30 | 67 | 97 |
| 12. | भीलवाड़ा | — | — | 44 | 45 | 89 |
| 13. | नागौर | — | — | 52 | 32 | 84 |
| 14. | तिजारा | — | — | 7 | 40 | 47 |
| 15. | अलवर | — | — | 25 | 86 | 111 |
| 16. | मत्स्यनगर | — | — | 16 | 84 | 100 |
| 17. | भरतपुर | — | — | 34 | 56 | 90 |
| 18. | लोहागढ़ | — | — | 6 | 87 | 93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | धौलपुर | — | — | 16 | 43 | 59 |
| 20. | हिण्डौन | — | — | 20 | 71 | 91 |
| 21. | बीकानेर | — | — | 55 | 91 | 146 |
| 22. | गंगानगर | — | — | 30 | 115 | 145 |
| 23. | सरदारशहर | — | 1 | 46 | 23 | 70 |
| 24. | हनुमानगढ़ | — | — | 24 | 103 | 127 |
| 25. | अनूपगढ़ | — | — | 10 | 75 | 85 |
| 26. | खेतड़ी | — | — | 15 | 54 | 69 |
| 27. | सीकर | — | — | 63 | 88 | 151 |
| 28. | झुंझुनूं | — | — | 38 | 52 | 90 |
| 29. | चूरू | — | — | 23 | 38 | 61 |
| 30. | बांसवाड़ा | — | — | 38 | 35 | 73 |
| 31. | डूंगरपुर | — | — | 22 | 69 | 91 |
| 32. | उदयपुर | — | 7 | 25 | 101 | 133 |
| 33. | चित्तौड़गढ़ | — | — | 36 | 70 | 106 |
| 34. | फालना | — | — | 20 | 28 | 48 |
| 35. | आबूरोड | — | 2 | 40 | 21 | 63 |
| 36. | बाड़मेर | — | 2 | 71 | 58 | 131 |
| 37. | जालौर | — | — | 43 | 33 | 76 |
| 38. | फलौदी | — | — | 12 | 53 | 65 |
| 39. | पाली | — | — | 16 | 28 | 44 |
| 40. | जोधपुर | — | 26 | 57 | 60 | 143 |
| 41. | सिरोही | — | — | 38 | 32 | 70 |
| 42. | टौंक | — | — | 39 | 59 | 98 |
| 43. | बून्दी | — | — | 31 | 64 | 95 |
| 44. | कोटा | — | — | 59 | 75 | 134 |
| 45. | झालावाड़ | — | — | 28 | 64 | 92 |
| 46. | बारां | — | — | 14 | 62 | 76 |
| | योग | 5 | 136 | 1329 | 2930 | 4400 |

## एच.पी.एम. उद्योग (अलवर) में श्रमिक सुरक्षा

556. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) खुशकड़ा (अलवर) इन्डस्ट्रियल एरिया स्थित एच.पी.एम. उद्योग में अब तक किने श्रमिकों की मृत्यु हो गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त उद्योग में श्रमिकों की सुविधा हेतु जो मानदण्ड अनुज्ञा पत्र में तय हैं वे सब पूरे हो रहे हैं ? क्या उक्त उद्योग ने ट्रीटमेन्ट प्लांट लगा लिया है ?

(3) उक्त उद्योग में जब भी गैस का रिसाव होता है तो श्रमिकों के लिए बचाव की क्या व्यवस्था है ?

### उत्तर

(1) मैसर्स हिन्दुस्तान पल्वराइजिंग मिल्स में अब तक दुर्घटना में किसी भी श्रमिक की मृत्यु नहीं हुई है।

(2) (क) उक्त उद्योग को कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6 एवं राजस्थान कारखाना नियम 1951 के तत्सम्बन्धी नियमों के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा–पत्र के अनुसार उद्योग में श्रमिक सुरक्षा के प्रावधानों की सामान्यतया पालना की जा रही है।

(ख) उक्त उद्योग द्वारा व्यावसायिक प्रदूषण के उपचार हेतु उपचार संयंत्र एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए समुचित व्यवस्था स्थापित कर रखी है।

(3) उक्त उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया में कोई गैस काम में नहीं ली जाती है। उत्पादन प्रक्रिया में उत्पन्न वाष्प (Vapours) के लिए उद्योग में सक्शन प्रणाली (Suction System) की व्यवस्था कर रखी है।

## जिला प्रमुख झालावाड़ के साथ दुर्व्यवहार

557. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला प्रमुख झालावाड़ को दिनांक 26 जनवरी, 1999 के समारोह में जाने से रोक कर उसे अपमानित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त जिला प्रमुख को किसने अपमानित किया तथा अब तक उसके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जिला प्रमुख को किसी भी व्यक्ति द्वारा अपमानित नहीं किया गया। जब उन्हें अपमानित नहीं किया गया तो इस संबंध में कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

## खेरखेड़ा व केशरपुरा (भीलवाड़ा) में अवैध खनन

558. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1)क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की बिजौलिया खनिज क्षेत्र के खेरखेड़ा आराजी नं. 757/416, 416मी., 417/714, 420/417, 417, 419, 422, 418, 677/418, 746/416, 420, 421, 421/716, 416 व केशरपुरा के आराजी नं. 579 पटवार हल्का सलावटिया में अवैध खनन गत दो वर्षो से चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवैध खनन के बारे में सरकार को शिकायतें मिली थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस बाबत क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि बिजौलिया क्षेत्र में खनिज, राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से नाजायज खनन हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की है ?

### उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि भीलवाड़ा जिले की बिजौलिया खनिज क्षेत्र के खेरखेड़ा एवं केशरपुरा क्षेत्रों में गत दो वर्षों से निरन्तर व्यापक रूप से अवैध खनन किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार आराजी नं. 413 मी, 417/714, 420/417, एवं 421/716 ग्राम खेरखेड़ा अन्तर्गत नहीं आते हैं। खेरखेड़ा के आराजी नं. 757/416, 419 एवं 416 में कोई अवैध खनन नहीं हुआ है। गत दो वर्षों में खेरखेड़ा ग्राम के आराजी नं. 417, 422, 418, 677/418, 746/416, 420, 421 एवं केशरपुरा के आराजी नं. 579 अवैध खनन की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही का विवरण संलगन परिशिष्ट '1' में उल्लेखित है।

(2) जी हां। अवैध खनन बाबत शिकायत प्राप्त होने पर तत्परता से जांच करवाई गई एवं अवैध खनन पाये जाने पर उसे बन्द कराया गया है, अवैध खननकर्ता से पैनल्टी राशि वसूल की गई है, औजार जब्त किये गये हैं एवं अन्य आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही की गई।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि बिजौलिया क्षेत्र में खनिज, राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वजह से नाजायज खनन हो रहा है। तीनों विभागों ने मिलकर भी कई बार अवैध खनन को रोकने हेतु अभियान चलाये हैं।

गत दो वर्षों में खेरखेड़ा एवं केशरपुरा क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने हेतु की गई कार्यवाही का विवरण

| क्र.स. | क्षेत्र का नाम | वर्ष | बनाये गये पंचनामों की संख्या | मांग कायम की गई | वसूल की गई राशि | जब्त औजार संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | केशरपुरा | 97–98 | 13 | 1,99,000 | 1,12,000 | 119 |
| 2. | केशरपुरा | 98–99 | 19 | 1,71,390 | 1,55,000 | 82 |
| 3. | खेरखेडा | 97–98 | 1 | 1,79,500 | – | – |
| 4. | खेरखेड़ा | 98–99 | – | – | – | – |

पंचनामों की शेष राशि विभागीय कार्यवाही एवं भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम केशरपुरा के आराजी नं. 579 में अवैध खनन की रोकथाम हेतु पुलिस थाना, बिजोलिया में अवैध खननकर्त्ताओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई, जो क्रम संख्या 57/99 पर दर्ज की गई।

## राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आभानेरी (बांदीकुई) का क्रमोन्नयन

559. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय प्राथमिक विद्यालय आभानेरी को उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में कब क्रमोन्नत किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के चारों ओर 8–8 किलोमीटर की परिधि में एक भी माध्यमिक विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यो ?

उत्तर

(1) राजकीय प्राथमिक विद्यालय आभानेरी को वर्ष 1972 में उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया था।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 1999–2000 में उक्त विद्यालय के क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जा सकेगा।

## राज्य में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन

560. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री नन्दलाल मीणा)

क्या यह सही है कि आगामी पंचायती राज चुनाव के पूर्व राज्य की पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जायेगा ? यदि हां, तो आदिवासी/रेगिस्तानी क्षेत्र के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

**उत्तर**

जी हां। पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन उनकी आबादी, क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

## सागरमती नदी (अजमेर) पर पुलिया निर्माण

561. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 से पीसांगन वाया डूमाड़ा भांवता, बुधवाड़ा रामपुरा डाबला सड़क डामर की बनी हुई है और इस मार्ग पर चार ग्राम पंचायत मुख्यालय भी आते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सड़क पर आधा किलोमीटर सागरमती नदी पर पुलिया नहीं होने से रास्ता कच्चा है ?

(3) अब सरकार कब तक इस पुलिया का निर्माण करवा देगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां। राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 से पीसांगन वाया डूमाड़ा भांवता, बुधवाड़ा, रामपुरा डाबला सड़क डामर की बनी हुई है। इस मार्ग पर निम्नलिखित पांच पंचायत मुख्यालय आते हैं :—

1. पीसागंन
2. रामपुरा डाबला
3. बुधवाड़ा
4. भांवता
5. डूमाड़ा

(2) जी हां, इस सड़क पर 300 मीटर लम्बाई में सागरमति नदी पर पुलिया नहीं होने से यह रास्ता कच्चा है।

(3) सागरमती नदी पर पुलिया निर्माण मय अप्रोचेज के कार्य पर लगभग 35.00 लाख रुपये की आवश्यकता है। इस पुलिया का निर्माण उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं सड़कों की पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

## जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर के विरुद्ध जांच

562. **श्री जसवन्त सिंह** (बाड़ी) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय धौलपुर द्वारा सरकारी उपलब्ध, अत्यावश्यक सूचना तथा घटनाओं

(श्री जसवन्त सिंह)

आदि की जानकारी पत्रकारों को नहीं दिये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां तो किन–किन के द्वारा किस अधिकारी. के विरुद्ध ?

(2) क्या यह सही है कि जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर द्वारा विगत विधान सभा चुनाव के दौरान गैर जिम्मेदाराना ढंग से कार्य किया गया ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो सरकार अब उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर के डाक बंगले के एक कमरे पर लम्बे समय तक कब्जा कर अपना स्थायी निवास बना लिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नियम विरुद्ध कार्य पर कोई कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा द्वेषपूर्ण कार्यवाही के तहत स्थानीय पत्रकारों के अधिस्वीकृत पत्र आगे के लिए नियमित नहीं करने हेतु अनावश्यक रूप से रोका गया ? यदि हां, तो क्यों एवं किस अधिकार से ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला पत्रकार संघ धौलपुर एवं राजस्थान पत्रकार संघ (जार) जिला शाखा धौलपुर से जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(2) जी हां। इस संबंध में जिला कलेक्टर धौलपुर द्वारा जन सम्पर्क अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विभाग के स्तर पर जन सम्पर्क अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए जिला कलेक्टर को ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार कर भिजवाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा किये जाने वाले तकनीकी कार्य सहायक जन सम्पर्क अधिकारी को स्थानान्तरित किये गये हैं।

(3) जन सम्पर्क अधिकारी ने दिनांक 4.9.98 से 28.12.98 तक निरन्तर सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले में निवास किया था। इस अवधि का नियमानुसार रुपये 871/– किराया बनता है, इसकी वसूली की कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है।

(4) जी नहीं। जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा जो समाचार पत्र अनियमित थे उनसे अनावश्यक सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही से विलम्ब स्वाभाविक है।

## उदयपुर में नवीन कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

563. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादडी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी और उसके बीकानेर स्थानान्तरण के क्या कारण रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर से बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय स्थानान्तरित करते समय प्रोवाइस चांसलर की उदयपुर में नियुक्ति का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस आश्वासन की पूर्ति क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या सरकार उदयपुर में नवीन कृषि विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 1998–99 के बजट में एक करोड़ का प्रावधान कर अधिकारियों की समिति गठित की थी ? यदि हां, तो उक्त समिति की बैठक कब कब हुई और क्या निर्णय रहा ?

(4) उदयपुर में नवीन कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब तक करने का सरकार का विचार है ?

**उत्तर**

(1) उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1962 में हुई। वर्ष 1964 में इसको बहुसंकायी स्वरूप देते हुए उदयपुर विश्वविद्यालय बना दिया गया। भूतपूर्व कृषि विश्वविद्यालय इसका एक संकाय मात्र रह गया। कालान्तर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुसार प्रदेश में एक पृथक कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता होने के कारण 1987 में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय बीकानेर रखा गया।

(2) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के अध्याय 5 के मद सं. 18 में प्रो–वाइस चान्सलर को पद सृजित किया गया है परन्तु प्रो–वाइस चान्सलर का पद उदयपुर में या अन्यत्र रहेगा, इसका राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 में कहीं उल्लेख नहीं है।

(3) राज्य सरकार ने उदयपुर में नये कृषि विश्वविद्यालय के गठन के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु निम्न अधिकारियों की एक उप समिति गठित की है :–

1. शासन सचिव, कृषि –अध्यक्ष
2. विशिष्ट शासन सचिव शिक्षा –सदस्य
3. कृषि विश्वविद्यालय के दो सदस्य –सदस्य

(अ) डा. आर.के. शर्मा, डीन, पीजीएस –सदस्य

(ब) डा. वी.बी. सिंह डीन, डीएससी, उदयपुर –सदस्य

4. सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि –सदस्य

(अ) डा. जे.एम. मेहता, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग –सदस्य

उपरोक्त समिति की बैठकें क्रमशः

(कृषि मंत्री)

23.10.98, 10.11.98, 24.11.98 एवं 28.12.98 को जयपुर में आयोजित की गई। कमेटी की रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के लिये वर्ष 1998–99 के बजट में कोई राशि का प्रावधान नहीं था।

(4) ग्यारहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र में उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की जा चुकी है।

## सालपुरा रेलवे स्टेशन पर रेल समय पर परिवहन व्यवस्था

564. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सालपुरा रेल्वे स्टेशन पर ट्रेन के समय पर छीपाबड़ौद, अरनावदा, शाहजी, सारथल के व्यक्तियों को आने जाने के लिए राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा क्या व्यवस्था की हुई है ?

**उत्तर**

सालपुरा रेल्वे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन के समय पर यात्रियों को छीपाबड़ौद, अरनावदा, शाहीजी तथा सारथल ग्रामों/कस्बों तक जाने के लिए निगम की उपलब्ध बस सुविधा का विवरण परिशिष्ट–1 में उपलब्ध है।

**परिशिष्ट-1**

**सालपुरा रेलवे स्टेशन से निगम द्वारा संचालित बस सेवा का मार्ग व रेलवे स्टेशन से प्रस्थान समय**

| क्र.स. | सालपुरा रेल्वे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन संख्या व समय | निगम बसों का रेलवे स्टेशन से प्रस्थान समय | मार्ग जिस पर संचालित है |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 91 डाउन कोटा–भोपाल प्रातः 10.00 बजे | 10.15 बजे | बारां–इकलेरा वाया सालपुरा छीपाबड़ौद–सारथल |
| 2. | 92 अप भोपाल–कोटा 15.25 बजे | 14.00 | इकलेरा–बारां वाया सारथल छीपाबड़ौद–सालपुरा |
| | | 15.00 | कोटा–मनोहरथाना वाया सालपुरा–छीपाबड़ौद–सारथल |
| | | 15.30 | बारां–सरडा वाया सालपुरा–छीपाबड़ौद–सारथल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 16.00 | बारां–हरनावदा शाहजी वाया सालपुरा–छीपाबड़ौद–सारथल |
| 3. | 190 अप भोपाल–कोटा वाया कटनी 0710 बजे | 06.30 | छीपाबड़ौद–बारां वाया सालपुरा–अटरू |
| | | 07.30 | बारां–अकलेरा वाया सालपुरा–छीपाबड़ौद–सारथल |
| | | 08.00 | बारां–इकलेरा वाया सालपुरा–छीपाबड़ौद–सारथल |
| 4. | 189 डाउन कोटा–भोपाल कटनी 21.40 बजे | 22.00 | बारां–इकलेरा वाया सालपुरा–छीपाबड़ौद–सारथल जो बांरा से 19.30 बजे प्रस्थान करती है। |
| 5. | 1251 अप भोपाल–कोटा 02.40 बजे | – | सितम्बर, 98 से पूर्व उक्त ट्रेन पर प्रातः 02.15 बजे छीपाबड़ौद से सालपुरा आती थी तथा यही वाहन सालपुरा से यात्री लेकर छीपाबड़ौद 03.00 बजे प्रस्थान करती थी किन्तु उक्त सेवा का यात्रीभार नगण्य था। केवल यात्रीभार 20 प्रतिशत व आय प्रति कि.मी. मात्र 2.52 रुपये प्राप्त होने से आगार की लागत से भी अत्यन्त कम प्राप्त होने से सितम्बर, 98 के बाद बन्द करनी पड़ी। |
| 6. | 1252 डाउन कोटा–भोपाल 0037 बजे | – | सितम्बर, 98 से पूर्व उक्त ट्रेन रात्रि को छीपाबड़ौद से सालपुरा 23.30 बजे संचालित की गई थी तथा यही सेवा उक्त ट्रेन के यात्री लेकर मध्य रात्रि 01.00 बजे सालपुरा से छीपाबड़ौद के लिये प्रस्थान करती थी किन्तु यात्रीभार की अनुपलब्धता व निगम को मात्र 2.52 रुपये प्रति कि.मी. आय प्राप्त होने तथा बारां आगार की लागत 11.07 रुपये होने के कारण सितम्बर, 98 के पश्चात बन्द की गई। |

## विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के चयनित परिवार

565. **श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) :** क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में गरीबी की रेखा से नीचे वाले चयनित परिवारों का सर्वे ठीक हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त परिवारों का चयन दुबारा होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान में विभिन्न योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित परिवारों का लक्ष्य के अनुसार लाभान्वित किया गया है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं में लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये ?

### उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले व चयनित परिवारों का सर्वे भारत सरकार की दिशा निर्देश के अनुसार ठीक हुआ है।

(2) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत माह फरवरी, 1999 तक अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्गों के चयनित परिवारों को लाभान्वित करने का विवरण निम्नानुसार है:

| योजना का नाम | अनु.जाति/जनजाति वर्गों के चयनित परिवारों को लाभान्वित करने का विवरण | |
|---|---|---|
| | लक्ष्य प्रतिशत | उपलब्धि प्रतिशत |
| 1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 50 प्रति. | 45.74 प्रति. |
| 2. ट्राइसम योजना | 50 प्रति. | 46.41 प्रति. |
| 3.जीवनधारा योजना 2/3 | 66.66प्रति | 24.05 प्रति. |
| 4. इन्दिरा आवास योजना | 60प्रति. | 51.36 प्रति. |

उपर्युक्त योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम उपलब्धि रहने के कारण निम्नांकित है :–

**एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम**

1. अनुदान की अधिकतम सीमा रुपये 6000/– है, शेष इकाई लागत राशि ऋण के रूप में बैकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। अतः लाभार्थियों की अभिरूचि कम रहती है।
2. व्यक्तिगत लाभकारी योजना होने के कारण लाभार्थियों के स्वयं आगे आने

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

पर ही लाभान्वित कराया जाना संभव है।

3. राज्य के पिछड़े एवं दूरस्थ स्थानों पर बैंकों की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण भी कठिनाई है।

4. बैंको का वसूली पर विशेष जोर होने के कारण लक्ष्यों की आपूर्ति में कमी रही है।

**ट्राइसम**

1. व्यक्तिगत लाभकारी योजना होने के कारण लाभार्थियों के स्वयं आगे आने पर ही लाभान्वित किया जाना सम्भव है।

2. वृतिका की राशि रुपये 500/– प्रति माह ही है जबकि अधिकांश प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान शहरी क्षेत्रों में होने के कारण रहने–ठहरने पर व्यय कही अधिक हो जाता है।

3. पिछड़े व दूरस्थ स्थानों पर प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है।

**जीवनधारा योजना**

1. खुले सिंचाई के कूप निर्माण हेतु रुपये 35,000/– तक अधिकतम राशि देय है साधारणत: कूप की लागत इससे अधिक आती है तो लाभार्थी स्वंय या बैंकों से ऋण प्राप्त कर वहन कर सकते है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए साधारणत: यह सम्भव नहीं हो पाता है।

2. राज्य की 237 पंचायत समितियों में से 83 पंचायत समितियो डार्क जोन, 34 पंचायत समितियो ग्रे–जोन एवं 120 व्हाइट जोन में आती है। इस कारण से कुओं का निर्माण लक्ष्यानुसार नहीं हो पाता है।

**इंदिरा आवास योजना**

1. लक्ष्य अनुसार आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2. व्यक्तिगत लाभकारी योजना होने के कारण लाभान्वितों के स्वयं के आगे आने पर ही लाभान्वित कराया जाना सम्भव है।

नोट:– मार्च, 99 तक अधिकांश योजनाओं के लक्ष्य अनुसार उपलब्धियों अर्जित की जाने की सम्भावना है।

(3) योजनान्तर्गत लक्ष्यों की पूति हेतु समय–समय पर अभिकरणों को पत्र व्यवहार से तथा मासिक समीक्षा बैठकों में निर्देशित किया जाता है।

## चौमूं का प्रस्तावित बाईपास

566. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) एवं **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने

(श्री भगवान सहाय सैनी)

की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कस्बा चौमूं में बाईपास नहीं होने से आए दिन वाहनों का जाम लग जाता है और आवागमन में बाधा आती है ?

(2) क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु चौमूं में बाईपास बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। चौमूं बाईपास सड़क निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत आंशिक रूप से भूमि अवाप्ति के लिये वर्ष 1995–96 में रुपये 25.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी, इसका अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 5.12.98 को रुपये 3,41,25,042.66 का जारी किया गया है। अवार्ड के भुगतान एवं निर्माण कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा।

## कोटपूतली चिकित्सालय में भर्ती दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति

567. **श्री रघुवीर सिंह (कोटपूतली) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

गत तीन वर्षों में राजकीय वी.डी.एम. चिकित्सालय कोटपूतली में कितने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति भर्ती हुए ? उनमें से कितने बाहर रेफर किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजकीय वी.डी.एम. चिकित्सालय, कोटपूतली में गत तीन वर्षों में 3429 दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति भर्ती हुए जिनमें से 1996 में 186, 1997 में 167 व 1998 में 229 योग 582 व्यक्ति रेफर किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## निगम अनुबन्धित वाहनों से औसतन आय

568. **श्री नाथूराम (किशनगढ़) एवं श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में प्रति बस से प्रतिदिन औसतन आमदनी, खर्च निकाल कर कितनी है और किराया वृद्धि से पूर्व कितनी थी ?

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से अनुबंधित प्रति बस की औसतन आमदनी, निगम का खर्च निकाल कर कितनी है ?

(3) निगम की बसों व निगम की अनुबंधित बसों में आय के अन्तर के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) निगम में प्रति बस से प्रतिदिन औसत आय खर्च निकालकर दिसम्बर, 1997 से फरवरी, 1999 तक के औसत के आधार पर ऋणात्मक रुपये 167/– रही है। किराया वृद्धि से पूर्व माह नवम्बर, 1997 में यह ऋणात्मक रुपये 68/– थी।

(2) निगम से अनुबंधित प्रति बस की वर्ष 1998–1999 में माह फरवरी, 1999 तक प्रतिदिन औसत आय निगम का खर्च निकाल कर लगभग रुपये 578/– है।

(3) निगम की बस व निगम की अनुबंधित बस में आय के अन्तर के कारणों का विवरण परिशिष्ट–1 में उपलब्ध है।

---

**परिशिष्ट-1**

**निगम की बस व निगम की अनुबंधित बस में आय के अन्तर के कारण निम्नलिखित है :-**

1 निगम द्वारा नियोजन के अवसर भी तुलनात्मक दुष्टि से अनुबंधित बसों की तुलना में अधिक उपलब्ध करवाये जाते हैं इससे व्यय अधिक होने के कारण निगम बसों की आय कम रह जाती है।

2 निगम की बसें सभी प्रकार के मार्गो जिनमें ग्रामीण सेवा के कच्चे एवं पक्के मार्ग भी शामिल है पर चलती है जबकि अनुबंधित बसें अधिक अच्छे एवं लम्बे मार्गो पर बतौर दुतगामी सेवा के रूप में चलती है। द्रुतगामी सेवा का किराया साधारण सेवा की तुलना में अधिक होता है।

3 निगम की बस औसतन 304 कि.मी. प्रतिदिन चलती है। जबकि अनुबंधित बस औसतन 467 कि.मी. प्रतिदिन चलती है। प्रतिदिन अधिक दूरी तय करने के कारण इन बसों की आय निगम की बसों की तुलना में अधिक होती है। (वर्ष 98–99 में फरवरी, 99 तक के आंकड़ों के अनुसार)

4 निगम की बसों को दुष्कर मार्गो पर छोटी–छोटी दूरी की सेवाओं पर भी चलना होता है। जिससे इन बसों का संचालन खर्च अनुबंधित बसों के संचालन खर्च से काफी अधिक होता है।

5 निगम द्वारा निगम की बसों से ही जयपुर शहर में नगरीय बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। इन बसों में तुलनात्मक दृष्टि से प्रति कि.मी. आय कम प्राप्त होती है। जबकि प्रति कि.मी. खर्चा काफी अधिक होता है।

6 निगम द्वारा कई प्रकार की निःशुल्क/रियायती दोनों प्रकार की यात्रा सुविधा भी देनी होती है। ऐसी यात्राये अधिकतम निगम की बसों से ही की जाती है। इससे आय कम प्राप्त होती है। क्योंकि निगम की बसों का अनुपात, अनुबंधित बसों से अधिक है।

## थाना बोंली में दर्ज प्रकरण संख्या 181/97

569. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदगांव (बोंली) के पूर्व सरपंच एवं छह अन्य के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 181/97 थाना बोंली में दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो पुलिस ज़ांच में किस–किस को मुल्जिम करार दिया गया ?

(2) क्या सरकार आई.पी.सी. धारा 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज गम्भीर प्रकृति की उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) पुलिस थाना बोंली पर माग्या पुत्र श्री मन्ना बैरवा, निवासी नानतोड़ी की रिपोर्ट पर अभि. संख्या 181/97 के अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, भा.द.स. में दर्ज प्रकरण में (1) रामसहाय (2) सुखदेव (3) केशर (4) नाथूलाल एवं (5) शंकर के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कराये गये, जिसमें किसी भूतपूर्व सरपंच का नाम अंकित नहीं है। अभियोग के अनुसंधान में (1) श्री हीरालाल पुत्र श्री जगन्नाथ मीणा, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत उदगांव, पं. स. बोंली एवं (2) श्री रामविलास पुत्र श्री लालू राम मीणा नि. नानतोड़ी, सरपंच ग्राम पंचायत उदगांव का अपराध में सहयोगी होना पाया गया, जिसके लिए धारा 173 (8) ज़ा. फो. के अन्तर्गत तफतीश जारी है।

इनके अतिरिक्त अभियोग में बाद अनुसंधान अभियुक्तों (1) रमेशचन्द्र, तत्कालीन हल्का पटवारी, नानतोड़ी (बोंली) (2) नाथूलाल पुत्र श्री छोटू बैरवा, नि. बरसा ढ़ाणी थूनावाली, थाना बोंली (3) चन्द्रा पुत्र श्री मांगीलाल बैरवा नि. नानतोड़ी थाना बोंली (4) शंकर लाल पुत्र श्री भोला बैरवा, नि. बरसा ढ़ाणी थूनावाली, थाना बोंली (5) रूपनारायण पुत्र श्री मूलचन्द बैरवा, नि. नानतोड़ी (6) छीतर पुत्र श्री कजोड़ बैरवा, नि. बरेडी, थाना लालसोट (7) रामनाथ पुत्र श्री नारायण बैरवा, नि. नानतोड़ी (8) औंकार पुत्र काडू बैरवा नि. नानतोड़ी थाना बोंली के घटना में शामिल होने पर इनके विरुद्ध धारा 193, 196, 197, 198, 199, 200 एवं 120बी भादस का जुर्म प्रमाणित होने पर धारायें जोड़ी जाकर इन आठों के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

(2) उत्तर बिन्दु संख्या–1 में अंकित है।

## सर्किट हाउस एवं राजस्थान हाउस में ठहरने के नियम

570. **श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सर्किट हाउस/राजस्थान हाउस में ठहरने की व्यवस्था के क्या नियम है ?

(श्री जगत सिंह दायमा)

नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सर्किट हाउस/राजस्थान हाउस का मैनेजर क्या कमरे खाली रहने पर भी विधायकों को कमरा देने के लिए मना कर सकता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मंत्रिमण्डल की आज्ञा के अनुसरण में सर्किट हाउस व राजस्थान हाउस में ठहरने की व्यवस्था के बाबत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आदेश, परिपत्र एवं दिशा निर्देश जारी किये जाते रहे हैं, जिनके आधार पर प्रबन्धकों द्वारा अतिथियों को आवास व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में सर्किट हाउस व राजस्थान हाउस में ठहरने वाले अतिथियों को संक्षेप में निम्न छह वर्गों में विभाजित किया हुआ है :–

ग्रुप ''ए''

1. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राजस्थान राज्य के वे समस्त अधिकारी जो वेतनमान 10,000–15,200 या इससे उच्च वेतनमान में वेतन पा रहे अधिकारीगण।
2. राजस्थान राज्य के मा. मंत्रिगण मा. सांसद एवं मा. विधायकगण जिन्हें उस स्थान विशेष पर अन्य कोई राजकीय आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ग्रुप ''बी''

राजकीय कार्य में आने वाले केन्द्र सरकार व अन्य राज्यों के अधिकारी जो वेतन 10,000–15,200 या इससे उच्च वेतनमान में वेतन पा रहे है।

ग्रुप ''सी''

1. अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस.) के राजस्थान केडर के समस्त प्रोबेशनर अधिकारी।
2. ग्रुप ''ए'' के बिन्दु I के अधिकारी अपनी निजी यात्रा या अवकाश के समय।

ग्रुप ''डी-1''

ग्रुप ''ए'' के बिन्दु 1 के अधिकारी जो से.नि. हो गये है।

ग्रुप ''डी-2''

राजस्थान राज्य के भूतपूर्व मा. मंत्रीगण।

ग्रुप ''ई''

सभी राजकीय अतिथि/विभागीय अतिथि।

ग्रुप ''ए'' ''बी'' ''सी'' ''डी'' के अतिथि निर्धारित अवधि के पश्चात प्राइवेट व्यक्ति।

उपरोक्त वर्ग के अतिथियों के आवास बाबत् निम्न मुख्य दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये हुए है :–

1. कोई भी अधिकृत व्यक्ति सात दिन से अधिक लगातार नहीं ठहर सकेगा जिन

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

श्रेणियों की अवधि सात दिन से कम के लिए है, वह उस कम अवधि तक ही ठहरने के पात्र होंगे। यदि कोई अतिथि निर्धारित अवधि से अधिक ठहरता है तो प्राइवेट दरें ही वसूल की जावेगी, जब तक कि राज्य सरकार को पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जावें।

2. माननीय विधायकों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें राजस्थान हाउस में एक समय में लगातार 8 दिन तक तथा माह विशेष में 16 दिन तक तथा सम्पूर्ण वर्ष में 80 दिन तक रियायती दर अनुमत किया हुआ है।

3. जो व्यक्ति रियायती/साधारण दर पर विश्राम भवनों में ठहरने के पात्र हैं, यदि उनकी जगह उनके मित्र इत्यादि व अन्य व्यक्ति कमरे में ठहरते हैं, तो उनसे कमरे का किराया तथा चाय–नाश्ता के चार्जेज प्राइवेट व्यक्ति के लिए लागू दरों से वसूल किये जावेंगे। यदि अधिकृत व्यक्ति कमरा तो अपने नाम पर आरक्षित कराता है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य अकेले ही ठहरते हैं तो उनके भी प्राइवेट व्यक्तियों के लिए लागू दरों से राशि वसूल की जावेगी।

4. जिन अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व की राशि बकाया निकलती है तो उन्हें तब तक कमरा नहीं दिया जावे जब तक कि वे पूर्व बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देते हैं।

5. कमरे का अग्रिम आरक्षण करवा कर यदि कोई अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि पहुंचने के निश्चित समय के 12 घंटे बाद भी नहीं पहुंचते हैं तो उनका आरक्षण स्वतः ही निरस्त मान लिया जावे और कमरा अन्य को आवंटित कर दिया जावे।

6. किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक कमरे आवंटित नहीं किये जावे। विशेष परिस्थितियों में सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्वानुमति से ही अतिरिक्त कमरा आवंटित किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। कमरा उपलब्ध होने पर मना नहीं किया जा सकता परन्तु निम्न परिस्थितियां होने पर असमर्थता स्वतः ही स्वाभाविक हो जाती है :–

1. केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्यों से आने वाले मंत्रियों, माननीय न्यायाधिपतिगण अधिकारियों विशेषकर जो राज्य के अतिथि हो तथा अन्यथा उनके लिए अग्रिम आरक्षित हो।

2. राज्य के मंत्रियों, विधायकों एवं अधिकारियों हेतु अग्रिम आरक्षण किया हुआ हो।

उपरोक्त परिस्थितियों में नियत समय के 12 घंटे पश्चात् बाध्यता समाप्त होती है।

3. जयपुर में पदस्थापित मंत्रियों, विधायकों

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

एवं अधिकारियों को जिन्हें आवास सुविधा उपलब्ध है।

4. वी.आई.पी.. कमरे राजकीय अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के आवास हेतु ही आरक्षित रखे जाते हैं।

## पंचायत समिति बायतू की प्रस्तावित ग्राम पंचायत

571. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत खोखसर पंचायत समिति बायतू की कुल कितनी पंचायतें नई बनाई गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार ग्राम खोखसर की कुल कितनी जनसंख्या थी तथा इसकी पुरानी पंचायत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुराना ग्राम पंचायत खोखसर की दो पंचायतों का विवाद चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम की दो के स्थान पर तीन पंचायत बनाने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) ग्राम पंचायत खोखसर, पंचायत समिति, बायतू में दो नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं जिनके नाम निम्न हैं :–

1. खोखसर
2. खोंखसर पश्चिम

(2) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम खोखसर की कुल जनसंख्या 1910 तथा इसकी पुरानी पंचायत का क्षेत्रफल 1.1658 वर्ग किलोमीटर था।

(3) पुरानी ग्राम पंचायत, खोखसर में नई ग्राम पंचायतों के गठन का नहीं बल्कि नई ग्राम पंचायत खोखसर पश्चिम का मुख्यालय कहां स्थित हो, को लेकर विवाद चल रहा है।

## जिला करौली की प्रस्तावित नई सड़कें

572. **श्रीमती कमला बृजलाल** (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार मंडरायल से करणपुर तक पुलियाओं का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार की नीति मुख्यालय से ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने की है ? यदि हां, तो सपोटरा क्षेत्र के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय को अब तक सड़क से जोड़ा गया है ? अब शेष रही ग्राम पंचायतों को सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

(3) क्या हाड़ौती से सपोटरा तक सड़क बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उक्त कार्य चालू क्यों नहीं किया गया.

(श्रीमती कमला बृजलाल)

है ? अब कब तक शुरू करने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सपोटरा मुख्यालय से कैलादेवी सड़क प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक चालू कर दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार नवगठित करौली जिले में सड़क निर्माण के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो सपोटरा तहसील के किन–किन क्षेत्रों को जोड़ने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। मंडरायल से करणपुर सड़क कि.मी. 24 में एक अधूरी पुलिया के निर्माण हेतु न्यूनतम आधारभूत योजनान्तर्गत दिनांक 28.8.98 को राशि 12.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। पुलिया के निर्माण का कार्य प्रगति पर है एवं माह दिसम्बर, 1999 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) सड़क विकास नीति के अनुसार सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में कुल 55 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें 38 पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है। शेष 17 पंचायत मुख्यालयों में से दो धोरेटा एवं बगीदा पंचायत मुख्यालयों को कृषि उपज मंडी समिति द्वारा डामर सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। शेष 15 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को नवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सपोटरा से एकट तक डामर सड़क बनी हुई है। एकट से हाड़ौती के बीच 5 कि.मी. का मिसिंग लिंक है एवं जिस पर कालीसिल नदी भी पड़ती है, के निर्माण पर 62.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत होगी जिस हेतु संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जा सकेगा।

(4) जी नहीं। वर्तमान में सपोटरा मुख्यालय से कैलादेवी तक सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) जी नहीं। सड़क विकास नीति के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी पंचायत मुख्यालयों एवं 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी के सभी ग्रामों को डामर सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव है। सपोटरा तहसील में पंचायत मुख्यालयों जिन्हें अभी डामर सड़क से जोड़ना बाकी हैं, की सूची परिशिष्ट "ब" एवं 1000 से अधिक आबादी वाले ग्राम जिन्हें अभी डामर सड़क से जोड़ा जाना है, उनकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जिन्हें डामर सड़क से जोड़ने हेतु संसाधनों की उपलब्धता अनुसार विचार किया जा सकेगा।

**परिशिष्ट "अ"**

**सपोटरा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत मुख्यालयों की सूची जो नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डामर सड़क से जोड़े जाने हैं**

| क्र.सं. | पंचायत मुख्यालय | आबादी(1991 की जनगणना के आधार पर) | वर्तमान में सड़क की स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | भरतून | 2563 | मेटल |
| 2. | अमरगढ | 2316 | मेटल |
| 3. | नीदर | 1973 | मेटल |
| 4. | बाजना | 1085 | मेटल |
| 5. | महाराजपुरा | 250 | मेटल |
| 6. | लेदिया | 903 | मेटल |
| 7. | खेडला | 2857 | ग्रेवल |
| 8. | निभेरा | 622 | ग्रेवल |
| 9. | मोंगेपुरा | 897 | ग्रेवल |
| 10. | राहिर | 1097 | बिना जुड़ा |
| 11. | दौलतपुरा | 1230 | बिना जुड़ा |
| 12. | पांचौली | 2080 | बिना जुड़ा |
| 13. | बहादुरपुर | 2505 | बिना जुड़ा |
| 14. | नानपुर | 458 | बिना जुड़ा |
| 15. | अमरवाड़ | 567 | बिना जुड़ा |
| 16. | बगीदा | 1517 | ग्रेवल |
| 17. | धोरेटा | 1708 | बिना जुड़ा |

क्रम संख्या 16 एवं 17 के मुख्यालयों को डामर सड़क से जोडने हेतु कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृति है एवं इनका कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट "ब"

सपोटरा तहसील के ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची जो नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डामर सड़क से जोड़े जाने हैं :

| क्र.सं. | पंचायत मुख्यालय | आबादी(1991 की जनगणना के आधार पर) | वर्तमान में सड़क की स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | भरतून | 2563 | मेटल |
| 2. | अमरगढ़ | 2316 | मेटल |
| 3. | खेडला | 2857 | ग्रेवल |
| 4. | निभेरा | 622 | ग्रेवल |
| 5. | राहिर | 1079 | बिना जुड़ा |
| 6. | बाजना | 1085 | मेटल |
| 7. | लेदिया | 903 | मेटल |
| 8. | दौलतपुरा | 1230 | बिना जुड़ा |
| 9. | नानपुर | 458 | बिना जुड़ा |
| 10. | अमरवाड़ | 567 | बिना जुड़ा |
| 11. | महाराजपुरा | 250 | मेटल |
| 12. | बगीदा | 1517 | ग्रेवल (कृषि विपणन बोर्ड द्वारा डामर सड़क स्वीकृत) |

परिशिष्ट "स"

**सपोटरा तहसील में 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की सूची जो नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डामर सड़क से जोडे जाने हैं :**

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | आबादी(1991 की जनगणना के आधार पर) | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | अडूदा | 1325 | बिना जुड़ा |
| 2. | रामठरा | 1207 | बिना जुड़ा |
| 3. | मसावता | 1146 | बिना जुड़ा |
| 4. | बेरून्डा | 1128 | बिना जुड़ा |
| 5. | गढ़ी का गांव | 1116 | बिना जुड़ा |
| 6. | सिंगपुरा | 1103 | बिना जुड़ा |
| 7. | दयारामपुरा | 1047 | बिना जुड़ा |
| 8. | धूलावास | 1032 | बिना जुड़ा |
| 9. | डूंडीपुरा | 1026 | बिना जुड़ा |
| 10. | नारोली | 1554 | बिना जुड़ा |

## पल्स पोलियो अभियान से लाभान्वित बच्चे

573. **सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या राज्य में पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत दवा पिलाई गई ? यदि, हां तो कितने बच्चों को ?

(2) क्या पल्स पोलियों की दवा से बच्चों की मौत भी हुई हैं ? यदि हां, तो कितने बच्चों की मौत किस कारण से हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998–99 में तीन चरणों में पल्स पोलियों का अभियान चलाया। तीन चरणों में क्रमश:

(चिकित्सा राज्य मंत्री)

78.95 लाख, 82.26 लाख एवं 77.97 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर लाभान्वित किया गया।

(2) जी नहीं।

## जिला चूरू में शिक्षकों के स्थानान्तरण

574. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राज्य में शिक्षकों के स्थानान्तरण की कोई नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

(2) राज्य में दिसम्बर, 1998 से 15 मार्च, 1999 तक विभिन्न श्रेणियों के कितने शिक्षकों के स्थानान्तरण निदेशक, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रमुख शिक्षा सचिव व उप सचिव स्तर पर कब किस–किस जिले में किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी चूरू द्वारा दिनांक 31.12.98 से 20.1.99 तक कितने स्थानान्तरण किये गये और उनमें से कितने स्थानान्तरण संशोधित किये गये तथा कितने निरस्त किये गये ?

### उत्तर

(1) आगामी सत्र हेतु स्थानान्तरण नीति बनाया जाना विचाराधीन है।

(2) राज्य में दिसम्बर, 98 से 15 मार्च, 1999 तक संकलित सूचना के आधार पर विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के अधिकांशतः रिक्त पदों पर किये गये स्थानान्तरणों की जिलेवार सूचना परिशिष्ट–"क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू के द्वारा दिनांक 31.12.98 से 20.1.99 के मध्य 74 स्थानान्तरण किये गये हैं। इन 74 स्थानान्तरणों में से कितने स्थानान्तरण निरस्त किये गये अथवा संशोधित किये गये, इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

परिशिष्ट-"क"

| क्र.सं. | जिले का नाम | व्याख्याता | वरिष्ठ अध्यापक | तृतीय श्रेणी अध्यापक | शाला शिक्षक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बीकानेर | – | 08 | 20 | 04 |
| 2. | चूरू | 08 | 14 | 54 | 07 |
| 3. | झुंझुनूं | – | 07 | 55 | 11 |
| 4. | हनुमानगढ़ | – | 02 | 03 | – |
| 5. | गंगानगर | – | 02 | 06 | – |
| 6. | अजमेर | 19 | 34 | 69 | 07 |
| 7. | भीलवाड़ा | – | 17 | 23 | 05 |
| 8. | नागौर | – | 22 | 36 | 11 |
| 9. | टोंक | – | 04 | 26 | 10 |
| 10. | जोधपुर | 05 | 07 | 17 | 02 |
| 11. | जैसलमेर | – | 01 | – | – |
| 12. | जालौर | – | 01 | 01 | – |
| 13. | बाड़मेर | – | 17 | 05 | – |
| 14. | पाली | – | 02 | 02 | 03 |
| 15. | सिरोही | – | – | 02 | – |
| 16. | अलवर | – | 42 | 47 | 01 |
| 17. | भरतपुर | – | 15 | 06 | 03 |
| 18. | धौलपुर | – | 07 | 02 | – |
| 19. | दौसा | – | – | 06 | 01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | जयपुर | 76 | 29 | 128 | 13 |
| 21. | सीकर | – | 10 | 06 | 05 |
| 22. | उदयपुर | 09 | 01 | 05 | – |
| 23. | बांसवाड़ा | – | 08 | 02 | 01 |
| 24. | चित्तौड़गढ़ | – | 03 | – | 01 |
| 25. | डूंगरपुर | – | 01 | 02 | 03 |
| 26. | राजसमन्द | – | – | 02 | – |
| 27. | कोटा | 12 | 14 | 11 | 05 |
| 28. | बारां | – | 01 | 04 | – |
| 29. | बून्दी | – | 02 | 02 | – |
| 30. | झालावाड़ | – | – | – | – |
| 31. | सवाईमाधोपुर | – | – | – | 03 |
| 32. | करौली | – | 06 | 04 | 09 |
| | योग | 129 | 277 | 546 | 105 |

## विधान सभा क्षेत्र सांचौर के थानों के लम्बित प्रकरण

575. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सांचौर में गत पांच वर्षो में कितनी चोरियों का माल बरामद कर वापस संबंधित व्यक्तियों को सुपुर्द किया जा चुका है और कितना माल अभी बरामद होना शेष है ?

(2) जिला जालौर में हत्या, डकैती लूटपाट व बलात्कार के मामले लम्बित हैं ? उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांचोर के 3 थानों सांचौर, चितलाना और झाब में गत पांच वर्षों में हुई चोरियों एवं बरामदगी का विवरण निम्न प्रकार है :–

| वर्ष | चोरी के कुल दर्ज अभियोग | कितनी चोरियों का माल बरामद किया गया | चोरी गये माल की कीमत (रुपये में) | बरामद किये गये माल की कीमत | वारिशान को संभलाये गये माल की कीमत | बदरामदगी से शेष रहे माल की कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1994 | 25 | 14 | 187200 | 70585 | 70585 | 116615 |
| 1995 | 23 | 12 | 271743 | 149637 | 119637 | 122106 |
| 1996 | 14 | 9 | 439325 | 612950 | 412950 | 26375 |
| 1997 | 18 | 9 | 222825 | 78375 | 78375 | 144450 |
| 1998 | 31 | 17 | 398175 | 330175 | 125375 | 68000 |

(2) जिला जालौर में मार्च, 1999 तक 7 अभियोग हत्या के व 7 अभियोग लूट के लम्बित है तथा डकैती व बलात्कार का कोई अभियोग लम्बित नहीं है। अभियोगवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ए" संलग्न है।

**परिशिष्ट "ए"**

**हत्या**

| क्र.स. | अभियोग संख्या/धारा/ थाना | अब तक की गई कार्यवाही | बरामदगी विवरण | अभियोग लम्बित रहने का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 67/27.3.99, 302 भा.द.स आहौर | मुलजिमान को गिरफतार किया गया। | –– | नतीजा देना शेष है। |
| 2. | 48/10.1.98, 302 भा.द.स जसवन्तपुरा | अनुसंधान किया जा रहा है। | –– | अनुसंधान जारी है। |
| 3. | 10/23.1.99, 302,34 भा.द.स झाब | मुलजिम गिरफतार किये जा चुके है। | – | –यथा – |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|
| 4. | 23/21.2.99, 302 भा.द.स झाब | – यथा – | – | चालान आदेश प्राप्त कर चालान पेश अदालत करना है। |
| 5. | 33/2.3.99, 302 भा.द.स झाब | – यथा – | – | – यथा – |
| 6. | 5/23.1.99, 302,307 भा.द.स चितलवाना | – यथा – | – | गवाहान से तफतीश कर नतीजा आदेश प्राप्त करना शेष है। |
| 7. | 13/3.3.99, 302,201 भा.द.स बागोडा | मुलजिम अज्ञात है। मुलजिम पतारसी जारी है। | – | मुलजिम की पतारसी जारी है |

**लूट**

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 79/19.7.97, 304, भा.द.स झाब | तफतीश हो चुकी है, मुलजिम से तफतीश शेष है | – | मुलजिम की तलाश जारी है |
| 2. | 7/11.1.99, 392, 34 भा.द.स झाब सांचौर | – यथा – | 5,00,000/– जीप | –यथा – |
| 3. | 3/12.1.99,394,323,341 भा.द.स झाव सांचौर | –यथा – | – | नतीजा आदेश प्राप्त करना शेष है |
| 4. | 39/10.2.99, 393,323 भा.द.स सांचौर | मुलजिम गिरफतार किये गये। | 2,80,000/– | एक मुलजिम की तलाश जारी है |
| 5. | 31/7.2.99, 392 भा.द.स सायला | मुलजिमों की गिरफतारी शेष है। | – | तलाश मुलजिम जारी है। |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|
| 6. | 56/7.3.99, 392 भा.द.स आहौर | – यथा – | –– | – यथा – |
| 7. | 85/99, 392,341, 323 भा.द.स जालौर | – यथा – | –– | गवाहान व मुलजिम से तफतीश करना शेष है। |

## राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भाकरवासी का नामकरण

576. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सड़कों व स्कूलों आदि का नाम रखने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार स्वतन्त्रता सैनानी श्री ख्यालीराम के नाम पर उनके गांव मोहनपुरा (भाकरवासी) तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं की राजकीय उच्च प्राथमिक शाला भाकरवासी का नामकरण करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम मोहनपुरा (भाकरवासी) तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं में उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में पंचायतों के चयनित कार्य

577. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा श्री गंगानगर जिले में वर्ष 1999 में पंचायतों द्वारा कार्यो का चयन अभियान चलाया गया था ?

(2) उक्त अभियान में क्या नीति/नियम निर्धारित किये गए थे।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर की ग्राम पंचायतों द्वारा कौन–कौन से कार्यो का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया गया है ?

(4) उक्त अभियान में उक्त विधान सभा सभा क्षेत्र की पंचायतों में किन–किन अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई थीं ? पंचायतवार नाम दर्शाते हुए विवरण

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अभियान के उपरान्त कौन–कौन से कार्य कौन–कौन सी पंचायतों के कितनी लागत के स्वीकृत हुए हैं ? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त अभियान में निम्नानुसार सचिव नीति/नियम निर्धारित किये गये थे :–

1. प्रत्येक ढाणी हेमलेट गांव में यथा सम्भव 10 विकास के कार्यो को चयनित किये जाना।
2. अधूरे कार्यो का चयन सरपंच/ग्रुप ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाना।
3. आवश्यकतानुसार नये कार्यो के चयन में प्राथमिक शाला के अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करना।
4. चयन किये गये कार्यो का अनुमोदन ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में अनुमोदन कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित कार्यो की सूची तैयार करना।
5. पंचायत समिति स्तर पर अनुमोदित कार्यो की ग्राम पंचायत/ग्रामवार सूची जो चालू विभिन्न योजनान्तर्गत लिए जा सकते हैं तथा दूसरी सूची उन कार्यो की जो वर्तमान में क्रियान्वित किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं किये जा सकते।
6. चयन किये गये कार्यो का एक शैल्फ आफ, प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत द्वारा तैयार करना।
7. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा शासकीय बैठक में पंचायत समिति द्वारा तैयार सूचियों का प्राथमिकता के क्रम में अनुमोदन करना।
8. विभिन्न योजनान्तर्गत राशि की उपलब्धता एवं अधूरे कार्यो को प्राथमिकता देने के उपरांत शेष राशि से योजनाओं की मार्गदर्शिका के आधार पर वर्ष 1999–2000 से प्रति वर्ष कार्यो को प्राथमिकता के क्रम अनुसार प्रत्येक ग्राम में स्वीकृत करते हुए कार्यो का सम्पादन कराना।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर की पंचायत समिति सादुलशहर की चार ग्राम पंचायतें एवं पंचायत समिति की श्री गंगानगर की छह ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न कार्यो का चयन विभिन्न ग्रामों में उनकी आवश्यकता से प्राथमिकता के आधार पर किया गया है उसकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(4) अभियान में उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायतों में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई थीं उनका पंचायतवार विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न कर सदन की मेज़ पर प्रस्तुत है।

(5) उक्त अभियान के उपरांत संशोधित

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यों की स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष 1999–2000 से जारी की जानी है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## बीकानेर शहर में रेलवे क्रोसिंग पर निर्मित सड़क

578. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर रानी बाजार रेलवे क्रासिंग के पास सीमेन्ट कंक्रीट सड़क निर्माण हाल ही में किया गया है ? यदि हां, तो निविदा, जी–शिड्यूल, कार्य आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कार्य आदेश के अनुसार निर्माण की सीमेन्ट कंक्रीट व बजरी सही अनुपात में काम में ली जाती और 21 दिन पानी से तराई की जाती तो यह निर्माण इतना शीघ्र क्षतिग्रस्त नहीं होता ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हिस्से का पुनःनिर्माण व दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण कार्य होने के साथ ही इस पर आवागमन भी चालू हो गया है व तराई का समय भी पूरा नहीं हुआ है ? उक्त कार्य से संबंधित माप पुस्तिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। बीकानेर शहर रानी बाजार रेलवे क्रोसिंग के पास सीमेन्ट कंक्रीट से सड़क निर्माण की निविदा जी–शिड्यूल व कार्य आदेश की प्रति संलग्न हैं।

(2) जी हां। कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार व अनुबन्ध के अनुसार करवाये गये। तराई भी सही समय तक की गई। निर्माण कार्य में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। परन्तु जलदाय विभाग द्वारा पानी के कनेक्शन हेतु सिर्फ दो चौकियां तोड़ दी गई, उसको ठीक करवा दिया गया है।

(3) जी नही। सड़क निर्माण कार्य के साथ ही आवागमन शुरू नहीं हुआ, इस कार्य पर रेलवे क्रोसिंग के बाद बल्लियां की बैरीकेटिंग यातायात रोकने व तराई सही तरीके से करने के लिये लगाई गई, परन्तु सघन यातायात को मध्य नजर रखते हुए लाइट ट्रेफिक दिन के बाद जैसे साइकिल, स्कूटर, बैलगाड़ी, कार, जीप व टैक्सियों हेतु आवागमन चालू कर दिया गया। हालांकि मिट्टी डालकर एवं उसे गीली रखकर तराई करवायी जाती रही। इस प्रक्रिया को अपनाने की किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। माप पुस्तिका संख्या 5265 पृष्ठ संख्या 9 से 13 की छाया प्रति संलग्न है।

**(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

**राजकीय चिकित्यालय लाडनूं एवं डीडवाना में खराब एक्सरे मशीन**

579. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि राजकीय चिकित्सालय लाडनूं एवं डीडवाना की एक्सरे मशीनें अधिकांश समय खराब रहती है ?

(2) उक्त अस्पतालों में कौन—कौन सी मशीनों कब—कब से लगी हुई हैं ? गत पांच वर्षो में ये मशीनें कब—कब बन्द रहीं ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त चिकित्सालयों में मशीनों के संचालन के लिये एक्स—रे तकनीशियन पदस्थापित है ? यदि हां, तो कौन—कौन कब—कब से पदस्थापित रहे ?

(4) उक्त मशीनों को चालू रखने के लिये विभाग ने क्या प्रयत्न किये एवं उसके क्या परिणाम रहे ? अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार जिला अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय लाडनूं एवं डीडवाना की एक्सरे मशीनों के खराब रहने का विवरण भाग दो की सूची में दर्शाया गया है।

(2) राजकीय चिकित्सालय लाडनूं एवं डीडवाना में एक्सरे मशीनें कब स्थापित की गई एवं गत पांच वर्षो में कब—कब बन्द रही का, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। उक्त चिकित्सालय में एक्सरे मशीनों के संचालन हेतु पदस्थापित रेडियोग्राफर एवं सहायक रेडियोग्राफर का नाम एवं उनके पदस्थापित रहने की अवधि सहित विवरण संलग्न है।

(4) एक्सरे मशीनों को चालू रखने के लिए उक्त चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी एवं विभाग के जिला एवं क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा स्थापित मशीन जिस मेक की है, उस कम्पनी को एक्सरे मशीन बन्द होने पर उसे ठीक करने के लिए समय—समय पर अनुरोध कर मशीन ठीक करवाई गई। इस प्रकार किसी भी स्तर पर कोई अव्यवस्था नहीं रही।

चिकित्सालयों में उपकरणों की देखभाल हेतु मेडिकेयर सोसायटी का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है। जो राजकीय चिकित्सालय लाडनूं एवं डीडवाना में सफलता पूर्वक कार्य कर रही है।

परिशिष्ट

एक्सरे मशीन कब से लगी हुई है, गत पांच वर्षों में कब-कब बन्द रही है, का विवरण

**राजकीय चिकित्यालय, लाडनूं**

तीन एक्सरे मशीन उपलब्ध हैं :–

1. सिमन्स 26 एम. ए.
   2.7.60 को स्थापित
2. आई. जी. ई. 100 एम. ए.
   19.5.63 को स्थापित

   उक्त दोनों मशीन कण्डम योग्य है।
3. सिमन्स 100 एम. ए.
   1.12.94 से स्थापित
   एवं कार्यरत है। इसका वर्षवार बन्द रहने का विवरण इस प्रकार है :

| वर्ष | बन्द रहने की अवधि |
|---|---|
| 1. 1995 | 22.7.95 से |
| 2. 1996 | 15.3.96 तक बन्द रही |
| 3. 1997 | पूरे वर्ष मशीन पूर्णतया चालू रही। |
| 4. 1998 | 5.6.98 से 20.7.98 तक बन्द रही। |
| 5. 1999 | 14.1.99 से 12.3.99 तक बन्द रही। |

**राजकीय चिकित्सालय, डीडवाना**

दो एक्सरे मशीन उपलब्ध

1. इनरेज 100 एम.ए.
   10.8.85 को स्थापित दिनांक 30.6.93 से खराब, कण्डम योग्य।
2. सिमन्स 500 एम. ए.
   मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा 4.9.98 को स्थापित
   बन्द रहने की अवधि 29.12.98से12.1.99तक

**भाग - 3 की सूचना**

**राजकीय चिकित्सालय लाडनूं**

चिकित्सालय में सिमन्स 100 एम.एन की एक्सरे मशीन 12.94 से स्थापित पश्चात उसके संचालन हेतु पदस्थापित रहे सहायक रेडियोग्राफर/रेडियोग्राफर का नाम एवं कार्यावधि

1. रिक्त 1.12.94 से 21.2.95 तक
2. श्री शिवराम बेड़ा, सहायक रेडियोग्राफर 22.2.95 से 7.95 तक
   (सप्ताह में दो दिवस हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जायल से प्रतिनियुक्ति)
3. रिक्त 8.95 से 3.96 तक
   (उक्त अवधि में मशीन खराब रही है)
4. श्री शिवराम बेड़ा सहायक रेडियोग्राफर 21.3.96 से 30.11.96
   (सप्ताह में दो दिवस हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जायल से प्रतिनियुक्त)
5. रिक्त 12.96 से 17.3.98 तक
6. श्री रतिराम यादव, रेडियोग्राफर 18.3.98 से लगातार
7. श्री कुष्णमुरारी सहायक रेडियोग्राफर 2.99 से लगातार

**राजकीय चिकित्यालय, डीडवाना**

राजकीय चिकित्सालय, डीडवाना में एक्सरे मशीन संचालन हेतु पदस्थापित रहे

रेडियोग्राफर सहायक रेडियोग्राफार का नाम एवं कार्यावधि

1. श्री प्रहलाद, रेडियोग्राफर
4.85 से 7.89 तक
2. श्री भंवरलाल, सहायक रेडियोग्राफर
7.89 से 9.90 तक
3. श्री गोमसिंह, रेडियोग्राफर
10.90 से 9.92 तक
4. श्री दीनदयाल गुप्ता, सहायक रेडियोग्राफर
11.92 से 1.93 तक
5. रिक्त 2.93 से 6.93 तक
6. श्री शिवराम सहायक रेडियोग्राफर
6.93 से 4.94 तक
(परन्तु एक्रे मशीन 30.6.93 से खराब रही अतः इनकी सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जायल में ली गई)
7. श्री नुन्दाराम, रेडियोग्राफर 10.95 से 1.96 (30.6.93 से 4.9.98 तक मशीन बन्द थी। नई मशीन 4.9.98 को स्थापित की गई)
8. श्री कृष्णकुमार, रेडियोग्राफर
8.98 से 4.99 तक
9. श्री सुल्तान सिंह, सहायक रेडियोग्राफर
27.11.98 से लगातार

## भारत के नक्शे से कश्मीर हटाने में लिप्त प्रतिष्ठान

580. **श्री यशवंत सिंह** (नदबई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भारत के नक्शे में कश्मीर राज्य गायब करने की साजिश में कौन–कौन हैं ?क्या ऐसी साजिश करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, उसके क्या परिणाम रहे ?

(2) क्या यह सही है कि देशद्रोह करने वाले उक्त प्रतिष्ठानों को बचा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) भारत के नक्शे से कश्मीर गायब करने के संबंध में जोधपुर शहर में दो अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं, जिनमें अभियोग संख्या 20/99 धारा 2,3 एम्बलम्स एण्ड नेम्स (प्रिवेंशन आफ इम्प्रोपर पुट) 1950 व धारा 2(11) दी प्रिवेन्शन आफ इन्सल्ट्स टू नेशनल आनर एक्ट 1971 थाना सदर कोतवाली जोधपुर में पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान गवाहान से तफतीश की तथा संबंधित फर्म की तलाशी ली गई एवं आपत्तिजनक बुक, एलबम, आर्डर फर्म, बिल्टी, कम्प्यूटर, फलोपी इत्यादि जब्त की गई। सर्वेक्षण विभाग देहरादून कार्यालय से अनुसंधान किया गया। अभियोग में अभियुक्त मनमोहन, निर्मल, एस सोलाई स्वामी, ए. माधवन से अनुसंधान कर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 2,3 द एम्बलम्स एण्ड नेम्स (प्रिवेन्शन आफ इम्प्रोपर पुट) 1950 व धारा 2(11) दी प्रिवेन्शन आफ इन्सलट्स टू नेशनल आनर एक्ट 1971 व सेक्शन 2,3 सी.एल.ए. एक्ट 1961 व 2 सी.एल.ए. एक्ट 1990 व सेक्शन 14,63 कापीराइट एक्ट 1957 किता की जाकर चालान न्यायालय में पेश किया गया।

(गृह मंत्री)

इसी प्रकार अभियोग सं. 96/99 धारा 2/3 द एम्बलम्स एण्ड नेम्स (प्रिवेन्शन आफ इम्प्रोपर पुट) 1950 व धारा (11) दी प्रिवेन्शन आफ इन्सल्ट्स टू नेशनल आनर एक्ट 1971 व 63 कापीराइट थाना सरदारपुरा जोधपुर पर पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी गजेन्द्र गौड़ से अनुसंधान किया गया एवं विवादास्पद रिकार्ड दो अभ्यास पुस्तिकाओं के कवर ब्यावर प्रभात प्रिन्टेड व गुजको पेड। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक भारतीय बैकर संस्थान व एक कैसेट कवर भी जप्त किये गये एवं ए.आर. बर्वे, निदेशक निवासी 3, प्रसाद ओसवाल अपार्टमेन्ट पश्चिम मुम्बई के बयान लिये व पत्रिका प्राप्त की गई। अनुसंधान प्रगति पर है। एक अभियोग में चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है तथा दूसरे अभियोग में शीघ्रता से अनुसंधान किया जा रहा है।

(2) इनमें किसी प्रतिष्ठानों को नहीं बचाया गया है।

## जिला शिक्षा अधिकारी बांसवाड़ा (प्रथम) द्वारा जारी आदेशों में संशोधन

581. **श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या** (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा प्रथम बांसवाड़ा ने पदोन्नति/नियुक्ति आदेश जारी करने के पश्चात् उन आदेशों में कोई संशोधन किये हैं ? यदि हां, तो किस कारण से ?

(2) जिला शिक्षा अधिकारी बांसवाड़ा (प्रथम) के कार्यालय में मृत्यु/सेवानिवृति से कितने पद रिक्त हुए ? उक्त शिक्षा अधिकारी की अवधि में नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि से संशोधित आदेश जारी होने के बीच की अवधि में रिक्त स्थान कितने थे ? स्थान तथा तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आदेशों में कहीं न कहीं कोई विरोधाभास है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी हां। नवनियुक्त आशार्थियों एवं पदोन्नत अध्यापकों के द्वारा स्थान परिवर्तन के आवेदन--पत्र प्राप्त होने पर आदेशों में संशोधन किया गया है।

(2) वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम, बांसवाड़ा के कार्यकाल में तृ.वे. श्रृंखला के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति से 58 पद तथा 10 पद मृत्यु से रिक्त हुए हैं। उक्त शिक्षा अधिकारी के कार्य अवधि में किये गये संशोधन एवं मूल आदेश जारी होने की तिथि के मध्य रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) प्रस्तुत प्रकरण की जांच विचाराधीन है।

परिशिष्ट "क"

| क्र.स. | पदोन्नति-नियुक्ति आदेश दिनांक | संशोधन आदेश दिनांक | संशोधित स्थान | पद रिक्त होने का कारण (कालम 2 व 3 के मध्य) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **पदोन्नति** | |
| 1. | 3.12.96 | 14.12.96 | उप्रावि सामागढ़ा | व्याख्याता पद पर पदोन्नति से 5.12.96 |
| 2. | 28.12.96 | 13.1.97 | उप्रावि कालिंजरा | नव क्रमोन्नत विद्यालय |
| 3. | 28.12.96 | 13.1.97 | उप्रावि जाम्बूड़ी | नव क्रमोन्नत विद्यालय |
| 4. | 28.12.96 | 13.1.97 | उप्रावि भगोरों का खेड़ा | अन्य पदस्थापित व्यक्ति के पूर्व से ही द्विवेश्र में कार्यरत होने से व्याख्याता पद पर |
| 5. | 20.2.97 | 5.3.97 | उप्रावि छाजा | पदोन्नति होने से 15.2.97 |
| 6. | 20.2.97 | 5.3.97 | उप्रावि कालाखूटा | पदोन्नति होने से 15.2.97 |
| 7. | 20.2.97 | 5.3.97 | मावि बस्सीआड़ा | पूल बजट के रिक्त पद पर बउजिशिअ की अभिशंसा 24.2.97 के आधार पर |
| 8. | 20.2.97 | 5.3.97 | उप्रावि भापोर | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 9. | 20.2.97 | 5.3.97 | उप्रावि ताम्बेसरा | पूर्व से रिक्त पद पर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | 20.2.97 | 15.3.97 | उप्रावि सालिया | छात्रावास अधीक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति से रिक्त पद पर 14.3.97 |
| 11. | 20.2.97 | 21.3.97 | उप्रावि भलेर | –यथा– 19.3.97 |
| 12. | 20.2.97 | 21.3.97 | उप्रावि केलामेला | नव क्रमोन्नत विद्यालय में |
| 13. | 20.2.97 | 21.3.97 | उप्रावि भतार | 31.3.97 को सेवानिवृति |
| 14. | 8.7.97 | 14.7.97 | उप्रावि डूंगरीपाड़ा | नव क्रमोन्नत विद्यालय 14.7.97 |
| 15. | 8.7.97 | 17.7.97 | उप्रावि सेमलिया | पूर्व में स्थानान्तरण से रिक्त पद 14.7.97 |
| 16. | 3.9.97 | 4.9.97 | उप्रावि हाण्डी | –यथा– |
| 17. | 3.9.97 | 17.9.97 | उप्रावि बासलीखेड़ा | अन्य पदस्थापित शिक्षक के कार्यग्रहण नहीं करने से |
| 18. | 1.12.97 | 3.12.97 | उप्रावि कराना | नव क्रमोन्नत विद्यालय 11/97 |
| 19. | 1.12.97 | 3.12.97 | उप्रावि जहांपुरा | अन्य पदस्थपित शिक्षक के कार्यग्रहण नहीं करने से |
| 20. | 1.12.97 | 11.12.97 | उप्रावि मगा (परता) | व्याख्याता पद पर पदोन्नति से 28.8.97 |
| 21. | 4.3.99 | 8.3.99 | उप्रावि कानजी का गढा | शून्य परीक्षा परिणाम के कारण स्थानान्तरण से रिक्त पद 22.8.98 |
| 22. | 4.3.99 | 11.3.99 | उप्रावि झरनिया | –यथा– |
| 23. | 10.3.99 | 20.3.99 | उप्रावि जालिगपुरा | पूर्व में पदस्थापित शिक्षक के कार्यग्रहण नहीं करने से |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | 10.3.99 | 20.3.99 | उप्रावि वाका | नवक्रमोन्नत विद्यालय में |

### नियुक्ति तृवेश्रं अध्यापक

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि कुम्हारिया | नव सृजित पद पर 19.12.96 |
| 2. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि साकरिया | पूर्व पदस्थापित आशार्थी के द्विवेश्रं में कार्यरत होने से। |
| 3. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि माजिया | नवसृजित पद 19.12.96 |
| 4. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि ढालर | –यथा– |
| 5. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि लीमथान | –यथा– |
| 6. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि कानेला | –यथा– |
| 7. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि कानजी का गढ़ा | –यथा– |
| 8. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि शंक्करवाड़ा | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 9. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि अमरसिंह का गढा | –यथा– |
| 10. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि टामटिया | –यथा– |
| 11. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि मोटबस्ती | –यथा– |
| 12. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि मस्काबड़ा | नव सृजित पद पर |
| 13. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि अखेपानजीकागढा | पदोन्नति से रिक्त पद पर |
| 14. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि जीवाखूटा | पूर्व में स्थानान्तरण से रिक्त पद पर |
| 15. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि इटाला | पूर्व में पदस्थापित आशार्थी के द्विवेश्रं में कार्यरत होने से |
| 16. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि पाटनवाधरा | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 17. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि मडकोला मोगजी | –यथा– |
| 18. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि जानामेडी | पूर्व में पदस्थापित आंशार्थी के द्विवेश्रं में कार्यरत होने से |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 19. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि रूझिया | नव आवंटित पद पर |
| 20. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि आसन | पदोन्नति से रिक्त पद पर |
| 21. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि भोयर | नव आवंटित पद पर |
| 22. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि इटाला | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 23. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि कुवालिया | पदोन्नति से रिक्त पद पर |
| 24. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि सरोदिया | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 25. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि गनोड़ा | पदोन्नति से रिक्त पद पर |
| 26. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि महुडी | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 27. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि कडेलिया | पदस्थापित आशार्थी के पूर्व से ही द्विवेश्रं में होने से |
| 28. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि मइकोला मोगजी | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 29. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि सालिया | नव आवंटित पद पर |
| 30. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि जूनीपाटन | इसी सूची के आपसी आधार पर |
| 31. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि गोलियावाड़ा | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 32. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि बिलड़ी | नव आबंटित पद पर |
| 33. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि चिरौला | –यथा– |
| 34. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि नवाधरा | –यथा– |
| 35. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि बाईकागढ़ा | –यथा– |
| 36. | 9.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि नाहरपुरा | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 37. | 9.12.96 | 20.12.96 | उप्रावि उपलाघटाला | द्विवेश्रं में सीधी भर्ती से हुए रिक्त पद पर |
| 38. | 9.12.96 | 20.12.96 | उप्रावि सागतलाई | नव आंवटित पद पर |
| 39. | 9.12.96 | 20.12.96 | उप्रावि खूटानारजी | –यथा– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 40. | 19.12.96 | 19.12.96 | उप्रावि संरेडीछोटी | –यथा– |
| 41. | 18.2.97 | 5.3.97 | उप्रावि सामागड़ा | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 42. | 31.3.97 | 5.4.97 | उप्रावि वखतपुरा | पदोन्नति से रिक्त पद पर |
| 43. | 31.3.97 | 5.4.97 | उप्रावि गनोड़ा | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 44. | 31.3.97 | 5.4.97 | उप्रावि बीलडी | नव क्रमोन्नत विद्यालय में |
| 45. | 31.3.97 | 5.4.97 | उप्रावि जीवाखूटा | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 46. | 31.3.97 | 5.4.97 | उप्रावि सालिया | –यथा– |
| 47. | 31.3.97 | 5.4.97 | उप्रावि चौरडी | पदोन्नति से रिक्त पद पर |
| 48. | 31.3.97 | 7.4.97 | उप्रावि बिलौदा | –यथा– |
| 49. | 31.3.97 | 7.4.97 | उप्रावि बोरखाबर | पूर्व पदस्थपित आशार्थी के कार्यग्रहण नहीं करने से |
| 50. | 31.3.97 | 7.4.97 | उप्रावि रोहनिया लक्ष्मणसिंह | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 51. | 31.3.97 | 7.4.97 | उप्रावि खेरडाबरा | द्विवेश्रं में नियुक्ति से हुए रिक्त पद पर |
| 52. | 31.3.97 | 9.4.97 | उप्रावि चरकनी | नव आवंटित पद पर |
| 53. | 31.3.97 | 9.4.97 | उप्रावि महारासाथ | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 54. | 31.3.97 | 9.4.97 | उप्रावि कुमजी का पारडा | पदोन्नति से रिक्त पद पर |
| 55. | 31.3.97 | 9.4.97 | उप्रावि केसरपुरा | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 56. | 14.7.97 | 16.7.97 | उप्रावि कालीमगरी | –यथा– |
| 57. | 14.7.97 | 21.7.97 | उप्रावि रूजिया | –यथा– |
| 58. | 29.12.97 | 6.1.98 | उप्रावि खूटानारजी | नवक्रमोन्नत विद्यालय में |
| 59. | 29.12.97 | 6.1.98 | उप्रावि रीछड़ी | –यथा– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 60. | 29.12.97 | 6.1.98 | उप्रावि मगा | सेवानिवृति 30.4.98 |
| 61. | 29.12.97 | 6.1.98 | उप्रावि नल्दा | मृत्यु से 25.11.97 |
| 62. | 29.12.97 | 6.1.98 | उप्रावि गामडी नारायण | पदोन्नति से रिक्त 1.12.97 |
| 63. | 28.3.98 | 9.4.98 | उप्रावि कोटड़ा | पूर्व में पदस्थापित आशार्थी के कार्यग्रहण नहीं करने से |
| 64. | 28.3.98 | 8.4.98 | उप्रावि चिरोला | शिक्षाकर्मी में प्रतिनियुक्ति से हुए रिक्त पद पर |
| 65. | 28.3.98 | 30.4.98 | बाउप्रावि कूपडा | मृत्यु से रिक्त 31.3.98 |
| 66. | 28.3.98 | 8.4.98 | उप्रावि झरनिया | पूर्व से रिक्त पद पर |
| 67. | 28.3.98 | 8.4.98 | उप्रावि कूपड़ा(पीप) | अन्य पदस्थापित आशार्थी के कार्यग्रहण नहीं करने से |
| 68. | 30.11.98 | 17.3.99 | उप्रावि देवगढ | पदोन्नति से रिक्त पद पर 13.3.99 |
| 69. | 22.2.99 | 15.3.99 | उप्रावि कानेला | अन्य पदस्थापित आशार्थी के द्विवेश्रं में कार्यरत होने से कार्यग्रहण नहीं करने से |
| 70. | 22.2.99 | 15.3.99 | उप्रावि चाचाकोटा | —यथा— |
| 71. | 22.2.99 | 8.3.99 | उप्रावि अगरपुरा | नव क्रमोन्नत विद्यालय में |
| 72. | 22.2.99 | 8.3.99 | उप्रावि लखेरिया | अन्य पदस्थपित आशार्थी के द्विवेश्रं में कार्यरत होने से कार्यग्रहण नहीं करने से |
| 73. | 22.2.99 | 4.3.99 | उप्रावि कराणा | नव आवंटित पद पर |
| 74. | 22.2.99 | 9.3.99 | उप्रावि सामरिया | पदोन्नति से रिक्त पद पर |

## जिला बाड़मेर व जैसलमेर में लोक जुम्बिश विद्यालय

582. श्री अमीन खान (शिव) : क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में लोक जुम्बिश के द्वारा कितने गांवों में स्कूलें खोल रखी हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिक्षा में राज्य सरकार का कितना हिस्सा है और कौन सी संस्था शिक्षा दे रही है ? उक्त जिलों में भविष्य में कितने गांवों में स्कूल खोलने का विचार है ?

### उत्तर

(1) लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा जिला बाडमेर में 18 तथा जैसलमेर में 39 प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। विद्यालयों की पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) लोक जुम्बिश कार्यक्रम में राज्य सरकार का छठा हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत लोक जुम्बिश परिषद शिक्षा दे रही है। बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के उन समस्त गांवों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी जहां 6 से 11 वर्ष की आयु के 25 बच्चे उपलब्ध हो तथा जिन की एक किलोमीटर की परिधि में शिक्षा सुविधा उपलब्ध न हो।

परिशिष्ट

## लोक जुम्बिश के अन्तर्गत खोले गए प्राथमिक विद्यालयों की सूची

### जिला बाड़मेर

| पंचायत समिति<br>1 | गांवो के नाम<br>2 |
|---|---|
| 1. चौहटन | 1. चिमनासर |
| | 2. मेघासर |
| | 3. गोरो का तला |
| | 4. समावली |
| | 5. भंवरिया |
| | 6. देवपुरा |
| | 7. मण्डानेर |
| | 8. उपरला |
| | 9. सुरपुरा |
| | 10. मत्ते का तला |
| | 11. छोटियाडर |
| | 12. सज्जन का तला |
| | 13. जालिला डेर |
| | 14. अली की ढाणी |
| 2. बाड़मेर | 1. फतहपुरा मण्डों का तला |
| | 2. करनाणियोंका तला |
| | 3. अभणियों का तला |
| | 4. रावते का तला |

### जिला जैसलमेर

| | |
|---|---|
| 1. पोकरण | 1. सरणात |
| | 2. बेलदारों की ढाणी |
| | 3. रामपुरा |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | 4. मदरसे की ढाणी |
| | 5. नई गुड्डी |
| | 6. गोरलाईनाडी |
| | 7. नागणेचा की ढाणी |
| | 8. जमाणियों की ढाणी |
| | 9. अमीरपुरा |
| | 10. रातियानाडा |
| | 11. खचरियावास |
| | 12. खारीणों की ढाणी |
| | 13. जैतसासर |
| | 14. इन्द्रानगर |
| | 15. पन्नासर |
| | 16. हरियाली नाड़ी |
| | 17. खलीफाकी ढाणी |
| | 18. जोजरों की घाटी |
| | 19. काली मगरी |
| | 20. नथूसर मदरसे की ढाणी |
| | 21. मोहरों की ढाणी |
| | 22. भारमल सिंह की ढाणी |
| | 23. चितरोड़ी |
| | 24. ढोलणियों की ढाणी |
| | 25. प्रहलादणिया की ढाणी |
| | 26. नई मांगोलाई |
| | 27. नरसिंहपुरा |
| | 28. जीयासर |
| | 29. हाजीपुरा |
| | 30. ब्रजपुरा |
| | 31. अभयपुरा |
| | 32. हीराणियों का ढाणी |
| | 33. प्रभुपुरा |
| | 34. बिड़दसिंह की ढाणी |
| | 35. रायड |
| | 36. बप्पी का ढाणी |
| 2. जैसलमेर | 1. सन्तूभील की ढाणी |
| | 2. चूनाभील की ढाणी |
| | 3. तेजुआ |
| योग | 57 |

## विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के सड़क विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय

583. **श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़क सुविधा से वंचित है ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में पूर्व की बनी सड़कों की खराब हालत है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि सरदारशहर से रावतसर सड़क की हालत खराब है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

(4) उक्त क्षेत्र में जिन गांवों की मिट्टी गोला बनाकर सड़क से जोड़ा जा चुका है, को सरकार पक्की सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। टिब्बी विधान सभा क्षेत्र में 7 पंचायत मुख्यालय सड़क सुविधा से वंचित है।

(2) टिब्बी विधान सभा क्षेत्र में डामर सड़कों की कुल लम्बाई 293 किमी. है। इसमें से 43 किमी. सेमग्रस्त क्षेत्र में आने के कारण क्षतिग्रस्त है। इन सड़कों की मरम्त हेतु प्रस्ताव आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास के यहां 13.88 करोड़ रुपये लागत के भेजे गये हैं। स्वीकृति आने पर मरम्मत कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त से अतिरिक्त अन्य सड़कों हेतु वर्ष 1999–2000 में योजना व गैर योजना मद में 87.0 लाख रुपये की लागत के 37.0 किमी. सड़कों का नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीरण किया जाना प्रस्तावित है। शेष सड़कों का साधारण मरम्मत का कार्य जून, 99 तक किया जाना प्रस्तावित है।

(3) सरदारशहर (किमी. 85/0) से रावतसर (192/200) सड़क का कुछ भाग क्षतिग्रस्त है। किमी 165/0 से 170/0 व 180/0 से 191/0 (कुल 16 किमी.) लम्बाई में वर्ष 1998 में नवीनीकरण करवा दिया गया है। वर्ष 98–99 के सड़क मरम्मत कार्यक्रम में किमी. 93/0 से 103/0 के लिये 35.00 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे तथा यह कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1999–2000 के लिये योजना व गैर योजना मदों में 135.50 लाख रुपये की लागत से 45.0 किमी. के सुधार, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण के कार्य प्रस्तावित हैं। शेष 36.200 किमी. का साधारण मरम्मत का कार्य जून, 99 तक किया जाना प्रस्तावित है।

(4) टिब्बी विधान सभा क्षेत्र के 22 ए. जी0 व मोटू नगर पंचायत मुख्यालयों को मिट्टी के गोले बनाकर जोड़ा जा चुका है। जी हां, राज्य सरकार की सड़क नीति के तहत इन दोनों पंचायत मुख्यालयों को नवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से डामर की सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

## समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करने की योजना

584. **श्री ललित भाटी** (अजमेर) (पूर्व) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) समाचार पत्रों को प्रश्रय देने की राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या उक्त नीति में बड़े, मध्यम व लघु समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड है ?

(3) गत आठ वर्षों में राज्य के कितने समाचार पत्रों के सम्पादकों/संवाददाताओं को क्या कोई प्रश्रय सरकार की ओर से दिया गया है ?

(4) उक्त अवधि में कितने पत्र मालिकों

(श्री ललित भाटी)

और सम्पादकों के विरुद्ध प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही की गई ? उक्त कार्यवाही में कितने मामलों में न्यायालय ने राज्य सरकार की कार्यवाही को गलत बताया ?

(5) क्या जिन मामलों में न्यायालय ने राज्य सरकार की कार्यवाही को गलत बताया है, उन मामलों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) समाचार पत्रों को प्रश्रय देने की कोई नीति नहीं है बल्कि राज्य सरकार द्वारा सभी समाचार पत्रों को स्वतन्त्र रूप से समाचारों के संकलन, प्रकाशन व मुद्रण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के साथ–साथ राजकीय विज्ञापन नियम–1962 के अनुसार राजकीय विज्ञापन देने की व्यवस्था है।

(2) जी नहीं। खण्ड एक के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं। सम्पादकों/संवाददाताओं को उनके कार्यो में सुविधा प्रदान करने हेतु राजस्थान अधिस्वीकरण नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा उनको प्रेस अधिस्वीकरण–पत्र नियमानुसार जारी किये जाते हैं। जिसके आधार पर कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अवधि में समाचार पत्रों के 525 सम्पादक/संवाददाताओं को अधिस्वीकरण पत्र जारी किये गये हैं जिसकी वर्षवार सूची परिशिष्ट–"क" पर संलग्न हैं।

(4) उक्त अवधि में 228 सम्पादकों के अधिस्वीकरण नियमानुसार निरस्त किये गये। न्यायालय ने इनमें से किसी भी मामले में राज्य सरकार की कार्यवाही को गलत नहीं बताया है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## परिशिष्ट-3

**(अतारांकित प्रश्न संख्या-705 की प्रति)**

**इन्दिरा इन्डोर स्टेडियम जैसलमेर के निर्माण कार्य की गुणवता की जांच प्रतिवेदन**

श्रीमान् जिला कलेक्टर जैसलमेर के आदेश सामान्य/94/1941 दिनांक 29.4.94 द्वारा इन्दिरा इन्डोर स्टेडियम कम टाउन वाल का निर्माण नगरपालिका, जैसलमेर द्वारा राजस्थान राज्य भवन एवं पूल निर्माण निगम, जैसलमेर के माध्यम से करवाया गया, के निर्माण की गुणवत्तता जांच हेतु एक कमेटी का गठन निम्न प्रकार से किया गया :–

| क्र.स. | अधिकारी का नाम पद व विभाग | |
|---|---|---|
| 1. | उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर | अध्यक्ष |
| 2. | अधिशांसी अभियन्ता, राज. राज्य पुल व भवन निर्माण निगम, जैसलमेर | सदस्य |

| क्र.स. | अधिकारी का नाम पद व विभाग | |
|---|---|---|
| 3. | अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, जैसलमेर | सदस्य |
| 4. | सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. (भवन एवं पथ) जैसलमेर | सदस्य |
| 5. | मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प. जैसलमेर द्वारा मनोनीत सदस्य (गुण नियंत्रण) | सदस्य |
| 6. | श्री गोवर्द्धनदास कल्ला, जनप्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. | सचिव, जिला क्रीड़ा परिषद, इन्दिरा इन्डोर स्टेडियम, जैसलमेर | सदस्य |

मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प. जैसलमेर द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक क्रमांक 3893 दिनांक 11.5.94 द्वारा श्री द्वारकादास सांवल, सहायक अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, इ.गा.न.प. जैसलमेर द्वारा सदस्य गुण नियंत्रण के रूप में इस कमेटी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया।

1. जांच कार्य को निष्पादन करने हेतु निम्न प्रयास किये गये :–

कमेटी के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर द्वारा इस कार्य हेतु प्रथम बैठक दिनांक 7.6.94 को आंमत्रित की गई तथा दिनांक 14.6.94 को कमेटी के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से इन्डोर स्टेडियम जैसलमेर के निर्माण का अवलोकन किया गया। निर्माण कार्यो में भारी अनियमितता को देखते हुए कमेटी के अध्यक्ष ने उपस्थित अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका जैसलमेर को तुरन्त प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ताकि जांच कार्य त्वरित गति से निष्पादित किया जा सके।

2. जांच प्रतिवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण :–

निर्माण कार्यो से संबंधित राजस्थान राज्य पूल व भवन निर्माण निगम जैसलमेर एवं नगरपालिका जैसलमेर के दोनों अधिकारीगण को अध्यक्ष, उप खण्ड अधिकारी, जैसलमेर द्वारा उनके पत्रांक क्रमांक/जांच/94/688 दिनांक 14.12.94, दिनांक 17.12.94 एवं अ.शा. पत्रांक क्रमांक जांच/711 दिनांक 19.12.94, पत्रांक दिनांक 25.12.94। पत्रांक 24 दिनांक 13.1.95 तथा स्मरण पत्र दिनांक 25.1.95, 9.3.95, 31.3.95 तथा पत्रांक 488 दिनांक 22.5.95 के द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त अभिलेख प्राप्त नहीं होने से जांच अधूरी रह गई तथा इस कार्य में विलम्ब हुआ।

अधिशासी अभियन्ता, राज.राज्य.पुल व भवन निर्माण निगम, जैसलमेर के केवल मात्र भवन का ड्राइंग (चार भाग में) तथा भुगतान पत्रों की छाया प्रतियों प्रस्तुत करते हुए निर्माण कार्य से संबंधित अन्य समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने में असमर्थता जाहिर की है वह निराधार होने के साथ मात्र हास्यास्पद है।

3. प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर जांच का विवरण :–

अधिशासी अभियन्ता, राज. राज्य पुल

भवन निर्माण निगम, जैसलमेर द्वारा इन्दिरा इन्डोर स्टेडियम के निर्माण कार्य से संबंधित जो ड्राइंग प्रस्तुत की है वह चार भाग में हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से पाया गया :–

1. पहला भाग फाउन्डेशन प्लान को दर्शाता है। परन्तु यह ड्राइंग किसी अधिकारी द्वारा स्वीकृत या हस्ताक्षरित नहीं है इससे फाउन्डेशन की पूर्ण जानकारी नहीं दर्शाई गई है। भूमि के नीचे नींव, का कार्य किस प्रकार होगा इसमें नहीं दर्शाया गया है। तथा निर्माणाधीन भवन हेतु स्थल का चुनाव तथा भूगर्भ के स्ट्राटा को दृष्टिगत रखते हुए क्या–क्या सावधानियां नींव कार्य में करनी चाहिए इत्यादि सम्बन्धी कोई संकेत इस ड्राइंग में नहीं है अतः भविष्य में यदि नींव कार्य को लेकर या स्थल चुनाव को लेकर भवन को कोई क्षति पहुंचती है जो केवल मात्र राजकीय हानि के अलावा जनहानि होने की घटना हो सकती है यह एक गंभीर तकनीकी त्रुटि है।

2. द्वितीय भाग ग्राउड फलोर को दर्शाता है यह ड्राइग प्लान भी पूर्व ड्राइंग की तरह किसी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत या हस्ताक्षरित नहीं है। इस ड्राइंग में दर्शाये गये कार्यों की जांच माप पुस्तिका (एम.बी.) मय अनुबन्ध के रिकार्ड प्रतिलिपि के अभाव में करना सम्भव नहीं है परन्तु ड्राइंग के प्लान में दर्शाये गये स्पेसिफिकेशन को देखते हुए स्पष्ट दृष्टि से निम्न दोष दृष्टिगोचर होते हैं :–

(1) मुख्य दरवाजा जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है तथा लकड़ी का बना हुआ है जो कि ड्राइंग में दर्शाये अनुसार (डी.एक) गलैण्ड एल्यूमिनियम दरवाजा होना चाहिए। यह दरवाजा हवा के झोंके में गिरने की हालत में है। इसके साइड में दो दरवाजे (डी2) भी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। दरवाजे व खिड़कियां अन्य जगह पर सही नही है कई जगह टूटी फूटी हालत में है।

(2) **फ़र्श का कार्य** : प्रवेश द्वार के पास भीतर की तरफ जैसलमेर पत्थर का पोलीराड मारबल फर्श दिखाया गया है परन्तु वास्तव में यह अन्य पत्थर का है। इस तरह मुख्य सीढ़ियां तथा सीटिंग टियर्स भी ड्राइंग में दशाये गये गुणवता के अनुसार नहीं है लकड़ी के फर्श का कार्य भी ऊंचा नीचा है तथा गुणवता में नहीं है। लकड़ी के फर्श को सीमेन्ट से लगाई गई हैं जिसके कारण खेल नीति के मुताबिक नहीं है। लकड़ी की फिक्सिंग होल के अनुसार होना चाहिए। इन्होंने सीमेन्ट से लकड़ी को फर्श पर लगाया है जिसके कारण फर्श समतल रूप से नहीं है और वर्षा के कारण फर्श की लकड़ियां फैलकर ऊपर आ जाती है कमरों के फर्श की घिसाई नहीं हुई है एवं टायलेट में लगी टाइल्स गुणवता के अनुसार नहीं है।

(3) **चुनाई का कार्य** : कई जगह पत्थर लूज पड़े हैं चुनाई में किया गया और ना मेन्टल पत्थर की गुणवता माप पुस्तिका तथा अनुबन्ध की प्रति कमेटी को प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में नहीं आंकी जा सकती।

(4) **छत का कार्य** : छत के नीचे (सीलिंग में) लगी हुई टाइल्सों में बारह टाइल्स गिरी हुई है तथा कुछ अन्य और टाइल्स गिरने की स्थिति में है जिससे जनहानि होने की पूर्ण सम्भावना है। प्रस्तुत ड्राइंग में छत के कार्य का विवरण नहीं है। रोशनदान कई जगह टूटे हुए हैं छत के कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु छत तक पहुंचने के लिये ट्रेसो के बीच में लकड़ी के तख्तों की केट वाक नहीं है इसके अभाव में किसी बल्ब को लगाने तथा बदलने में भारी परेशानी आ सकती है। छत के ऊपर से दीवारों पर वर्षा का पानी आता है, इसके कारण दीवार कमजोर होती है। पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरणार्थ दिसम्बर माह 1994 में, 27 जनवरी 1994, फरवरी 1995 एवं 7.6.95 व 7.7.95 का छत में लगी हुई टाइल्स नीचे आई है इन विधियों के पूर्व भी टाइल्स नीचे गिर चुकी है। टाइल्स के गिरने की जानकारी अधिशासी अभियन्ता, राज. राज्य पुल व भवन निर्माण निगम एवं सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. को दी गई।

अनेक टाइलें कभी भी नीचे आ सकती है। इन टाइल्सों को बहुत ही लूज ढंग से लगाया गया प्रतीत होता है। छत टाइलों के स्क्रू की मरम्मत तुरन्त किया जना अपेक्षित है अन्यथा इन टाइलों के निरन्तर गिरने से किसी भी प्रकार की जनहानि होने की घटना हो सकती है। छत की टाइलें भी गुणवता के मुताबिक नहीं है।

(5) **दीवार के प्लास्टर कार्य** : यह कार्य जगह–जगह टूटा हुआ है तथा इसमें छत से पानी आता है। माप पुस्तिका एवं अनुबन्ध शीट का रिकार्ड अधिशासी अभियंता, राज. राज्य पुल व भवन निर्माण विभाग से उपलब्ध नहीं करवाया गया है, गुणवता की जांच रिकार्ड के अभाव नहीं की जा सकती किन्तु दीवार के प्लास्टर की गुणवता मापदण्ड के अनुसार नहीं है।

(6) **वर्षा के पानी की निकासी** : वर्षा से पानी की निकासी हेतु मौखियां तथा पाइप लाइन कई जगह सही नहीं लगाये जाने के कारण पानी हाल के अन्दर आता है तथा दीवारों के अन्दर पानी घुसता है।

(7) **पेंटिंग तथा वाई वास का कार्य** : यह कार्य कई जगह टूटा हुआ है।

(8) छत के ऊपर सीमेन्ट की चद्दरें सही नहीं लगी होने के कबूतर व अन्य पक्षी अन्दर आते हैं।

(9) भवन के ऊपर झण्डे लगाने हेतु पोल नहीं लगा हुआ है।

3. तीसरा भाग ड्राइंग का भवन के एक्शन का है यह ड्राइंग भी पूर्व ड्राइंग की भांति किसी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत या हस्ताक्षरित नहीं है। यह ड्राइंग भी पूरी स्थिति को स्पष्ट नहीं दर्शाती है। इसमें दो सैक्शन दर्शाये गये हैं जो 90 डिग्री पर है। पूर्ण जानकारी हेतु कम से कम एक सैक्शन झेड सेप में देना चाहिये। इन ड्राइंग में अन्डर ग्राउण्ड (underground) की विस्तृत जानकारी नहीं है। भवन की छत का कार्य विभिन्नता में है। इसका इस सैक्शन ड्राइंग में कोई उल्लेख नहीं है। इस ड्राइंग में ग्राउण्ड फ्लोर व पहला फ्लोर में ओरनामेन्टल कार्य (झरोखे) दर्शावे गये हैं परन्तु यह कार्य किस स्पेसिफिकेशन से होगा। ड्राइंग में नहीं दर्शाया गया है।

4. चौथा भाग ड्राइंग का भवन की बिजली प्लान का है यह ड्राइंग भी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या स्वीकृत नहीं है। इस ड्राइंग में पहले फ्लोर में आठ बिजली के पखें दशाये गये हैं वास्तव में पंखों के हुक भी नहीं लगाये गये हैं एक साइड में दो हुक बाद में लगाये गये हैं। प्लान में सात ट्यूब लाइटें दर्शाई गई हैं परन्तु मौके पर एक भी ट्यूब लाइट नहीं है। इस ड्राइंग में अन्य लेम्पों (बल्ब) ट्यूब लाइट इत्यादि के पाइन्ट का विवरण नही है। बिजली की व्यवस्था हेतु अन्य पंखे, कूलर इत्यादि की विस्तृत जानकारी इस ड्राइंग में नही दशाई गई, मौके पर कई बल्ब पंखे इत्यादि खराब अवस्था में पड़े हैं या चालू हालत में नहीं है। इलेक्ट्रिक फिटिंग के अनुसार सर्किट इलेक्ट्रिक पाइन्ट नहीं दिया गया है जिससे यह जानकारी नहीं होती है कि किस जगह इलेक्ट्रिक फाल्ट हुआ है। अर्थिंग का काम भी नहीं किया गया है ने जिला खेल अधिकारी ने अवगत कराया है कि इलेक्ट्रिक फिटिंग सही नहीं होने के कारण वर्षा के दौरान कभी करन्ट प्रवाहित होता है जिसके कारण कोई जनहानि की घटना हो सकती है।

(1) एग्जास्ट फैन नहीं लगाये गये हैं।

(2) पंखों के रेगुलेटर नहीं है।

(3) विद्युत के उच्चतम व निम्नतम होने के कारण इलेक्ट्रिक फाल्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की पुनरावृति रोकने के लिये ओटोमेटिक रेगुलेटर होना आवश्यक है।

**4. सैनेटरी का कार्य :**

बाथरूम तथा टायलेट से पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। कई स्थानों पर यूरीनल टब नहीं लगे हुए है उनकी फिटिंग सही नहीं है। ऊपर पानी की टंकियां ड्राइंग में दशाई गई है तथा भुगतान पत्रों में 36 टंकियों का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है लेकिन मौके पर भवन से सिर्फ 6 टंकिया (सिनटैक्स फ्रेविक) की लगी हुई है। जिसकी फिटिंग सही नहीं है। गट्टर लाइन सही नहीं है। मेन होल पर कई जगह ढक्कन नहीं है। बाथरूम तथा टायलेट में टाइल्स का प्रावधान लिटल लेवल (द्वार ऊंचाई) लिया हुआ है परन्तु मौके पर यह कार्य फर्श से 3 फीट तक ऊंचाई तक है वह भी निर्माण गुणवत्ता के अनुसार नहीं है। इस तरह भुगतान पत्रों में 36 टंकियों का भुगतान होना तथा मौके पर सिर्फ 6 टंकिया होना एक गंभीर मामला है। गबन की परिधि में आता है। साथ ही बाथरूम व टाइलेट में टाइल्स 3 फीट तक लगी होना भी जांच का विषय है। इसके लिये पृथक से जांच करवाना अपेक्षित है।

**5. भुगतान सम्बन्धी जांच :** भुगतान सम्बन्धी समस्त अभिलेख कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नही करने के कारण भुगतान में पाई जाने वाली अनियमितता को उजागर करने सम्भव नही हैं। भुगतान सम्बन्धी जांच में माप पुस्तिका तथा अनुबन्ध की प्रति होना अति आवश्यक है। इन दोनों अभिलेखों को प्रस्तुत करने से अधिशासी अभियन्ता, राज. राज्य पुल व भवन निर्माण निगम जो इस कमेटी के सदस्य भी हैं, ने असमर्थता जाहिर की है तथा बार–बार अनुरोध के बाद भी चाहा गया अभिलेख कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने से मात्र भुगतान किये गये वाउचर (बिल्स) से जांच के कार्य का औचित्य पूरा नहीं होता है, फिर भी भुगतान किये गये बाउचरों के अवलोकन करने पर निम्न दोष कमेटी द्वारा उजागर किये गये है :–

(1) श्रमिकों को माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर 1988 में वेज कार्ड पर पूरे माह के कार्य दिवस दर्शाये गये तथा पूरे माह का भुगतान किया गया है परन्तु श्रमिक कानून के अनुसार सात दिन में एक दिवस श्रमिकों को अवकाश देना जरूरी है तथा इस अवकाश दिवस का अलग से कोई भुगतान नहीं करना है फिर भी पूरे माह श्रमिकों को कार्य पर नियोजित रखना अनियमितता को दर्शाता है।

भुगतान संबंधी जांच के दौरान भुगतान के पत्रों की पत्रावली में एक

फोटो प्रति यह दर्शाती है कि इन्दिरा इण्डोर स्टेडियम जैसलमेर को राजस्थान राज्य पुल व भवन निर्माण निगम जैसलमेर ने पूरा करके दिनांक 31.8.90 को नगरपालिका जैसलमेर (एन.ए.सी) ज्ञापित क्षेत्र समिति को सुपुर्द कर दिया है तथा अधिशासी अभियन्ता ज्ञापित क्षेत्र विकास समिति, जैसलमेर ने सहर्ष बिना किसी विसंगति के यह भवन अपने अधिकार मे लेना स्वीकृत किया। इस फोटो प्रति से भवन की लागत रुपये 50 लाख दर्शाई गई है तथा राजस्थान राज्य पुल व भवन निर्माण निगम जैसलमेर ने कुल लागत 51.90 लाख भवन को सुपुर्द करने पर दर्शाई है। भवन निर्माण की अनुमानित लागत से ज्यादा का भुगतान करने के बावजूद भी बिना किसी जांच के भवन को अपने अधिकार में लेना सम्बन्धित अधिकारी की लापरवाही को इंगित करता है. जबकि ज्ञापित क्षेत्र विकास समिति के पास भी तकनीकी स्टाफ मौजूद था। व इस भवन को अपने कब्जे में लेने से पहले उक्त तकनीकी स्टाफ से तकनीकी जांच करवाया जाना अपेक्षित था।

अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य पुल व भवन निर्माण निगम द्वारा इस संबंधित अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया है। जबकि इसके लिये कई पत्र जारी किये गये हैं एवं दूरभाष पर भी विषय स्थिति को अवगत कराया गया है किन्तु कोई जांच सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाना एवं जांच प्रक्रिया को अनावश्यक विलम्ब करने के कारण स्वतः ही दोषारोपण साबित होना प्रतीत होता हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(2) बकाया भुगतान अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही किया जाना उचित होता है।

(3) अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका जैसलमेर द्वारा निर्माण कार्य का भुगतान किया जाता रहा है। इनके द्वारा माप पुस्तिका और अनुबन्ध शीट के अनुसार निर्माण कार्यो की तकनीकी जांच भुगतान से पूर्व नहीं कराई गई है जिसके कारण ही इस इण्डोर स्टेडियम के निर्माण में अनेक तकनीकी कमियां पाई गई हैं। यह एक स्थाई परिसम्पति एवं लाखों रुपये का प्रोजेक्ट है। बिना तकनीकी गुणवता जांच के भुगतान करना गंभीर अनियमितता प्रकट होता है।

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु निवेदन के साथ प्रस्तुत है।

## परिशिष्ट-4

**(अतारांकित प्रश्न संख्या-712 की सूची)**

**विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ में भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची**

| क्र.सं. | चिकित्सा संस्था का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अवलेश्वर |
| 2. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरिया (भवन निर्माण की स्वीकृति जारी परन्तु आवास विकास संस्थान द्वारा अभी भवन पूर्ण नहीं किया गया। |
| 3. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अचनेरा (भवन निर्माण की स्वीकृति जारी परन्तु आवास विकास संस्थान अभी द्वारा भवन पूर्ण नहीं किया गया। |
| 4. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, सेलारपुराकला |
| 5. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, मोटीखेड़ा (भवन निर्माण जारी) |
| 6. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, केरवास |
| 7. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, पटेलिया |
| 8. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, लुहारिया |
| 9. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, बडीलाक |
| 10. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, रतनपुरिया |
| 11. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर |
| 12. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, कानगढ़ |
| 13. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोरदिया |
| 14. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोरी |
| 15. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, खरखड़ा |
| 16. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, फतहगढ़ |
| 17. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, कनाड़ |
| 18. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, अचलावदा |
| 19. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ायला |
| 20. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, नोगांवा |
| 21. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, मोवाई |
| 22. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, जीरावता |
| 23. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावरा |
| 24. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिलीया |
| 25. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, बरोठा |
| 26. | उप स्वास्थ्य केन्द्र, बेडमा |

## परिशिष्ट-5

### (अतारांकित प्रश्न संख्या-717 का विवरण)

| क्र.सं. | संस्था का नाम | | पद का नाम | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | कब से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खेड़ली | 1. | कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेड़िसन, सर्जरी) | 2 | 2 | – | |
| | | 2. | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | 1 | – | |
| | | 3. | चिकित्सा अधिकारी | 2 | 2 | – | |
| | | 4. | नर्स श्रेणी–प्रथम | 2 | 2 | – | |
| | | 5. | नर्स श्रेणी–द्वितीय | 4 | 4 | – | |
| | | 6. | लैब टैक्निशियन | 1 | 1 | – | |
| | | 7. | वरिष्ठ लिपिक | 1 | 1 | – | |
| | | 8. | कनिष्ठ लिपिक | 1 | 1 | – | |
| | | 9. | वाहन चालक | 1 | – | 1 | वर्ष 97 से |
| | | 10. | रेडियोग्राफर | 1 | 1 | – | |
| | | 11. | प्रसाविका | 1 | 1 | – | |
| | | 12. | नर्स दाई | 1 | – | 1 | 5/98 से |
| | | 13. | वार्ड बाय | 8 | 8 | – | |
| | | 14. | स्वीपर | 2 | 2 | – | |
| 2. | एम.सी.डब्ल्यू.सी | 1. | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 1 | – | |
| | | | कुल योग | 29 | 27 | 2 | |

नोट :– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खेड़ली में एक वाहन चालक व एक पद नर्स दाई का रिक्त है।

# परिशिष्ट-6

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-718 की सूची/विवरण)

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 31.3.90 तक निर्मित सड़कों की स्थिति

| क्रमांक | सड़क का नाम | लम्बाई | |
|---|---|---|---|
| | | डामर | गिट्टी |
| 1. | डबोक मंगलवाड बड़ी सादड़ी नीमच (एस.एच.15) किमी. 38 से 92 | 49 | – |
| 2. | मंगलवाड चित्तौड सड़क (एम.डी.आर.11) | 5 | – |
| 3. | मंगलवाड निम्बाहेड़ा नीमच सड़क (ओ.डी.आर.2) | 13 | – |
| 4. | डूंगला कानोड़ सड़क (ओ.डी.आर. 8) | 9 | – |
| 5. | बड़ी सादड़ी बोहेड़ा (वी.आर.7) | 11 | – |
| 6. | निकूम से निकूम चौराहा (वी.आर.12) | 3 | – |
| 7. | बान्सी बोहेड़ा (वी.आर.14) | 6 | – |
| 8. | प्रतापगढ़ थड़ा नीमच (वी.आर.15) | 19 | – |
| 9. | रातीमगरी संगेसरा (वी.आर.18) | – | 5 |
| 10. | डूंगला से बोहेड़ा (वी.आर.26) | – | 2 |
| 11. | निकूम बड़ी सादड़ी (वी.आर.33) | 18 | – |
| 12. | सम्पर्क सड़क मदूरा तालाब (वी.आर.90) | 4 | – |
| 13. | भटेवर बान्सी धरियावद (वी.आर.102) | 17 | – |
| 14. | इडरा तेलनखेड़ी | – | 4 |
| 15. | बड़ी सादड़ी सीतामाता (वी.आर.107) | 6 | 5 |
| 16. | सम्पर्क सड़क बड़वई (वी.आर.110) | 4 | 1 |
| 17. | सम्पर्क सड़क पुनावली (वी.आर.111) | 4 | - |
| | योग | डामर 168 किमी | मेटल 17 किमी. |

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में मार्च 1990 के बाद बनी डामर/गिट्टी सड़कों की सूची

| क्र.सं. | सड़क का नाम | लम्बाई डामर | गिट्टी | व्यय राशि | योजना का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | डबोक मंगलवाड बड़ी सादड़ी नीमच(एस.एच.15 किमी) 64 से 70 | 5 | – | 42.84 | एम.एन.पी. |
| 2. | रातीमगरी संगेसरा (वी.आर.16) | 5 | – | 13.23 | यथा |
| 3. | डूंगला बोहेड़ा (वी.आर.24) | 16 | – | 39.73 | यथा |
| 4. | सम्पर्क सड़क मदुरा तालाब (वी.आर.83) सरीपीपली | 3 | 4 | 5.76 | यथा |
| 5. | इडरा तेलनखेड़ी (वी.आर.95) | 4 | – | 4.65 | आर.एल.ई.जी.पी. |
| 6. | सम्पर्क सड़क नगावली (वी.आर.96) | 3 | – | 20.67 | के.यू.एम. |
| 7. | बड़ी सादड़ी सीतामाता (वी.आर.98) | 5 | – | 12.71 | टीएडी.डिपोजिट |
| 8. | सम्पर्क सड़क बडवइ (वी.आर.101) | 1 | – | 6.78 | एम.एन.पी. |
| 9. | सम्पर्क सड़क–किशनकरेडी(वी.आर.122) | 1 | – | 1.99 | एम.एन.पी. |
| 10. | सम्पर्क सड़क पीलू (वी.आर.123) | 12 | – | 26.15 | एमएनपी./टीएडी |
| 11. | धमोतर खोरिया (वी.आर.127) | 14 | – | 37.30 | यथा |
| 12. | सम्पर्क सड़क डिकनिया (वी.आर.128) | 6 | – | 27.43 | यथा |
| 13. | बोरी–कडियावद (वी.आर.129) | 3 | – | 10.65 | यथा |
| 14. | सम्पर्क सड़क भाणपा (वी.आर.138) | 3 | – | 7.73 | एम.एन.पी |
| 15. | सम्पर्क सड़क रतीचन्दजी का खेड़ा (वी.आर.139) | 5 | – | 14.21 | यथा |
| 16. | बडवल केवलपुरा मूंजवा(वी.आर.140) | 10.2 | – | 32.41 | यथा |
| 17. | सम्पर्क सड़क एलवामाता(वी.आर.141) | 1 | – | 5.33 | यथा |
| 18. | सम्पर्क सड़क केलवामाता (वी.आर.142) | 1 | – | 3.78 | यथा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | सम्पर्क सड़क करसाना (वी.आर.102) | 2 | — | 19.44 | के.यू.एम. |
| 20. | सम्पर्क सड़क बारावरदा (वी.आर.183) | 2.5 | — | 1.77 | यथा |
| 21. | सम्पर्क सड़क पालोद (वी.आर.184) | 4.5 | — | 22.33 | यथा |
| 22. | रठांजना बोरखेड़ा (वी.आर.185) | 2.75 | — | 7.98 | यथा |
| 23. | सम्पर्क सड़क कडियावद (वी.आर.186) | 1.50 | — | 5.61 | यथा |
| 24. | सम्पर्क सड़क पीराना (वी.आर217) | 3.00 | — | 24.37 | यथा |
| 25. | सम्पर्क सड़क सेमलिया (वी.आर.218) | 1.80 | — | 13.93 | यथा |
| 26. | सम्पर्क सड़क भाटोली (वी.आर.219) | — | 4.00 | 7.00 | ई.ए.एस |
| 27. | सम्पर्क सड़क अमीरामा (वी.आर.220) | — | 5.00 | 9.12 | यथा |
| 28. | बोहेड़ा बिनायका बड़ी सादड़ी(वी.आर225) | 3.00 | — | 5.47 | एम.एन.पी. |
| 29. | सम्पर्क सड़क खेरमालिया(वी.आर.221) | 3.50 | — | 8.15 | यथा |
| 30. | सम्पर्क सड़क सरथला (वी.आर.222) | — | 2.50 | 9.79 | नावार्ड ईएएस |
| 31. | सम्पर्क सड़क कीरतपुरा (वी.आर.223) | — | 4.00 | 4.00 | ईएएस |
| 32. | सम्पर्क सड़क नेगडिया (वी.आर.224) | — | 1.00 | 2.53 | नाबार्ड. ईएएस |
| 33. | अरनेड़ सालेरा | 1.50 | — | 5.74 | एमएनपी |
| 34. | सम्पर्क सड़क बिलोट | — | 3.00 | 4.91 | नाबार्ड. ईएएस |
| 35. | सम्पर्क सड़क मेरिया खेड़ी | — | 5.00 | 5.00 | ईएएस |
| 36. | सम्पर्क सड़क भोरवन | 1 | — | 2.88 | एमएनपी |
| 37. | प्रतापगढ बड़ा नीमच | 8 | — | 28.49 | एमएनपी. टीएडी |
| 38. | सम्पर्क सड़क ग्यासपुर | 1 | — | 1.51 | केयूएम |
| 39. | बोरी से नारायणखेड़ा | 3.5 | — | 8.35 | यथा |
| 40. | सम्पर्क सड़क अरनेड़ | 3.6 | — | 23.67 | यथा |
| 41. | सम्पर्क सड़क नकोर | 11.90 | — | 89.68 | यथा |
| | योग | 153.25 | 28.5 | 625.07 | लाख |

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में मार्च 1999 तक डामर से बिना जुड़े पंचायत मुख्यालयों की सूची

| क्र.सं. | पंचायत मुख्यालय का नाम | जनसंख्या | वर्तमान स्थिति डामर | मेटल | ग्रेवल | कच्चा | योग | विषेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आलोद | 1125 | – | – | 2 | – | 2 | नाबार्ड में डामर हेतु स्वीकृत,कार्य प्रगति पर |
| 2. | भाटोली बगरियान | 684 | – | – | 4 | – | 4 | यथा |
| 3. | नोगांवा | 936 | – | – | 5 | – | 5 | यथा |
| 4. | बिलोट | 1021 | – | 3 | – | – | 3 | यथा |
| 5. | नेगडिया | 1236 | – | 1 | – | – | 1 | यथा |
| 6. | खेरमालिया | 1230 | 3.50 | – | 3.50 | – | 7.00 | कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत डामर हेतु स्वीकृत, कार्य प्रगति पर |
| 7. | बिनायका | 932 | 3.00 | – | 1.50 | – | 4.50 | यथा |
| 8. | अमीरामा | 955 | – | 5.00 | – | – | 5.00 | यथा |
| | | | | | | योग | 31.5 | किमी. |
| 9. | भाटोली | 744 | – | 4.00 | – | – | 4.00 | किसी भी योजना में डामरीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं |
| 10. | कीरतपुरा | 441 | – | 4.00 | – | – | 4.00 | यथा |
| 11. | फलोदडा | 752 | – | – | 11.00 | – | 11.00 | यथा |
| 12. | मेरियाखेडी | 824 | – | 5.00 | – | – | 5.00 | यथा |
| 13. | सरीपीपली | 311 | 7.00 | 4.00 | – | – | 11.00 | यथा |
| 14. | पाल | 936 | – | – | 3.00 | 15.00 | 18.00 | यथा आरक्षित वन क्षेत्र |
| | | योग | 13.50 | 26.00 | 30.00 | 15.00 | 84.50 | |

विधान सभा क्षेत्र बड़ीसादड़ी में कुल 66 पं.मु. हैं जिनमें से मार्च,1999 तक 52 पं.मु. डामर की सड़क से जोड़े जा चुके हैं।

## परिशिष्ट-7

### (अतारांकित प्रश्न संख्या 719 का विवरण)

**चूरू शहर व ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत भवनों की सूची**

| क्र.स. | विभाग का नाम | भवन का नाम | स्वीकृति आदेश सख्या व राशि | निर्माणकार्य प्रारम्भ हो गया | कितने कार्य बंद है | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | सा.नि.विभाग खण्ड, चूरू | अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. खण्ड चूरू के भवन में परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य | पी—65(जनरल)50/सेक्शन II/96 दिनांक 27.8.96 | हां | — | करीब—करीब कार्य पूर्ण हो चुका है,पैन्ट का कार्य चल रहा है। |
| 2. | राजस्व विभाग (पंजीयन) | पंजीयक व रजिस्ट्रार स्टाम्प के कार्यालय भवन का निर्माण चूरू | पी—9/(12)गृह—2/94—95 दि. 24.7.95,4.4.95व3.6.95 | हां | — | कार्य पूर्ण हो चुका है। |
| 3. | शिक्षा | पारख बालिका होस्टल का निर्माण कार्य, चूरू | शिक्षा/सेक्शन/डी—3/3763/206 दिनांक 11.2.98 | हां | — | कार्य पूर्ण हो चुका है। |
| 4. | कृषि विभाग | उप—निदेशक कृषि, चूरू के कार्यालय भवन का निर्मण कार्य। | एफ.(2)(12)कृषि/1/97/ दिनांक 4.4.97 | हा | — | कार्य पूर्ण हो चुका है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | समाज कल्याण | समाज कल्याण छात्रावास भवन का निर्माण कार्य, रतननगर | पी.7/(2)राज/होस्टल/96/1060/दिनांक 11.3.96 | हां | – | छत तक का कार्य पूर्ण हो चुका है। |
| 6. | उपभोक्ता मंच | जिला उपभोक्ता मंच के भवन का निर्माण चूरू | 35(30)के/बजट/पी/95–96 96–97/पीटी–II/दि.20.1.98 | हां | – | छत तक का कार्य पूर्ण हो चुका है। |
| 7. | चिकित्सा विभाग | निर्माण कार्य पीएचसी., सिरसला, चूरू | पी–11(13)एमएण्ड एच–सी–2/92 दि. 20.4.92 एवं16.9.92 | हां | | कार्य पूर्ण हो चुका है। |
| 8. | चिकित्सा विभाग | निर्माण कार्य पी.एच.सी. घांघू | पी.10(11) एमएण्डएच/डी–2/2/92 दिनांक 15.3.94 पी–10 (11)ई–22/92 दि.6.12.94 | हां | – | कार्य पूर्ण हो चुका है। |
| 9. | चिकित्सा विभाग | पी.एच.सी. भवन खींवासर का निर्माण | एफ.13(18)एमएच/भवन/दि. 28.4.97 | हां | – | छत तक का कार्य पूर्ण हो चुका है। |
| 10. | चिकित्सा विभाग | परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य ब्लड बैंक भवन, डी.बी. होस्पिटल,चूरू | एफ.10(32)एमएच/3/96 दिनांक 4.12.96 | हां | – | कार्य पूर्ण हो चुका है। |
| 11. | चिकित्सा विभाग | निर्माण कार्य आई.सी.सू. रेम्प एवं जनरेटर रूम डी.बी. अस्पताल,चूरू | पी–13(22)एमएच/2/97 दिनांक 11.12.97 | हां | – | कार्य प्रगति पर है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | चिकित्सा विभाग | डी.बी. होस्पिटल, चूरू में आधुनिकीकरणनवीनीकरण का कार्य | एफ13(22) एमएच/2/97 दिनांक 11.12.97 | हां | — | कार्य पूर्ण हो चुका है। |
| 13. | चिकित्सा विभाग | जिला प्रशिक्षण भवन, चिकित्सा विभाग चूरू (डी.टी.सी.भवन) | पी.28(2)एमएण्डएच/191/ दिनांक 15.5.95 | हां | — | कार्य पूर्ण हो चुका है। |
| 14. | चिकित्सा विभाग | पी.एच.सी.जसरासर भवन का निर्माण | पी. 2(21)/ दिनांक 20.5.95 | हां | — | कार्य पूर्ण हो चुका है। |
| 15. | चिकित्सा विभाग | औषधि भवन डी.बी.होस्पिटल चूरू में निर्माण कार्य | एफ.2(12)एमएण्डएच/ दिनांक 10.5.95 | हां | — | कार्य पूर्ण हो चुका है। |
| 16. | चिकित्सा विभाग | अपग्रेडेशन पी.एच.सी.रतननगर | पी—29(2)5/91/92 दिनांक 20.2.95 | हां | — | कार्य पूर्ण हो चुका है। |
| 17. | चिकित्सा विभाग | निर्माण कार्य एफपीडी.ए.भवन सोमासी | यथा | हां | — | कार्य पूर्ण हो चुका है। |

## परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-727 का विवरण)

| क्र.सं. | वर्ष | प्रा.वि. से उप्रावि | | उप्रावि से मावि | | मावि से उमावि. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1985–86 | – | – | – | – | – | – |
| 2. | 1986–87 | – | – | – | – | – | – |
| 3. | 1987–88 | – | – | – | – | – | – |
| 4. | 1988–89 | – | विनोता | – | – | – | – |
| 5. | 1989–90 | बडोलीबाटा<br>कोटड़ीकलां<br>गागरोल<br>महुडिया | – | – | कनेरा | निम्बाहेड़ा | – |
| 6. | 1990–91 | – | – | – | – | – | निम्बाहेड़ा |
| 7. | 1991–92 | चान्ढोली | – | केली | – | कनेरा<br>छोटीसादडी | – |
| 8. | 1992–93 | डाक बंगला<br>निम्बाहेड़ा<br>पीलीखेड़ा | – | – | – | – | – |
| 9. | 1993–94 | – | – | – | – | – | – |
| 10. | 1994–95 | बडावली<br>डोरिया<br>काचर अहिराम<br>गुड़ाखेड़ा<br>जलिया<br>मिण्डाना | अरनोद | मांगरोल | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | टाई<br>रिसाला निम्बाहेड़ा<br>अचलपुरा<br>हडमानिया कुण्डला<br>जमलावदा<br>मानपुरा जागीर<br>सेमरडा<br>पीथलवाड़ी | | | | | |
| 11. | 1995—96 | समेलिया | — | मण्डालारण | | — | — |
| 12. | 1996—97 | — | — | — | — | — | — |
| 13. | 1997—98 | छोटी सादड़ी<br>सियाखेड़ी<br>कालाकोटा<br>हडमतिया जागीर | नवीन गोगाना—<br>निम्बाहेडा | | — | बिनोता | — |
| 14. | 1998—99 | — | — | स्वरूपराम | — | अरनोडा | — |
| | | 26 | 03 | 05 | 01 | 05 | 01 |

## परिशिष्ट-9

### (अतारांकित प्रश्न संख्या-729 की सूची)

| क्र.स. | विद्यालय का नाम | पद का नाम | रिक्त पद | कब से रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | रासीमावि, रानी | प्रधानाचार्य | 1 | 4/99 |
| | | व्याख्याता(वाणि) | 1 | 6/98 |
| | | व्याख्याता राज. विज्ञान | 1 | 10/98 |
| | | व्याख्याता राजस्थानी | 1 | 4/99 |
| 2. | रासीमावि, बूसी | व्याख्याता कृषि | 3 | 8/94 |
| | | व्याख्याता हिन्दी | 1. | 4/99 |
| | | अध्यापक III | 1 | 8/98 |
| | | प्रयोगशाला सेवक | 1 | 8/98 |
| 3. | रासीमावि, खौड़ | व्याख्याता रसा.विज्ञान | 1 | 7/96 |
| | | व्याख्याता वाणिज्य | 1 | 9/95 |
| 4. | रासीमावि, देसूरी | व्याख्याता भौतिक विज्ञान | 1 | 7/96 |
| | | व्याख्याता राज. विज्ञान | 1 | 3/98 |
| | | व्याख्याता भूगोल | 1 | 1/98 |
| | | अध्यापक III | 1 | 4/99 |
| 5. | रासीमावि, नाड़ोल | व्याख्याता वाणिज्य | 2 | 10/97, 3/96 |
| | | अध्यापक III | 1 | 1/99 |
| 6. | रासीमावि सादड़ी | व्याख्याता इतिहास | 1 | 4/99 |
| | | वरिष्ठ अध्यापक | 1 | 3/99 |
| | | अध्यापक III | 2 | 9/98, 4/99 |
| | | जमादार | 1 | 10/98 |
| 7. | रासीमावि, घानेराव | व्याख्याता रा.विज्ञान | 1 | 10/97 |
| | | वरिष्ठ अध्यापक | 2 | 4/99 |
| | | पु.अ. II | 1 | 7/97 |
| | | अध्यापक | 1 | 3/99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | रासीमावि, खेरवा | व्याख्याता राज. विज्ञान | 1 | 8/98 |
| | | व्याख्याता इतिहास | 1 | 7/98 |
| | | अध्यापक III | 1 | 3/99 |
| 9. | राबासीमावि, सादड़ी | व्याख्याता हिन्दी | 2 | 8/97 |
| | | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 8/97 |
| | | व्याख्याता इतिहास | 1 | 8/97 |
| | | कनिष्ठ लिपिक | 1 | 7/97 |
| 10. | राबासीमावि, देसूरी | वरिष्ठ अध्यापक | 1 | 8/98 |
| 11. | रामावि, बालराई | प्रधानाध्यापक | 1 | 4/99 |
| 12. | रामावि, आना | प्रधानाध्यापक | 1 | 4/99 |
| 13. | रामावि, किशनपुरा | वरिष्ठ लिपिक | 1 | 11/98 |
| 14. | रामावि, रानीगांव | परिचारक | 1 | 10/98 |
| 15. | रामावि, सिन्दरली | कनिष्ठ लिपिक | 1 | 7/96 |
| 16. | रामावि, मादा | कनिष्ठ लिपिक | 1 | 8/98 |
| 17. | रामावि, दादाई | व. अध्यापक (सा) | 1 | 4/99 |
| | | अध्यापक III | | 1/99 |
| 18. | राबामावि, घानेराव | प्रधानाध्यापिका | 1 | 11/98 |
| | | वरिष्ठ लिपिक | 1 | 11/98 |
| | | वरिष्ठ अध्यापक गणित | 1 | 11/98 |
| 19. | राबामावि, रानीस्टेशन(पूल) | वरिष्ठ अध्यापक | 1 | 8/98 |
| 20. | राबामावि, नाडोल | कनिष्ठ लिपिक | 1 | 7/97 |
| 21. | राबप्रावि, सापूनी | अध्यापक III | 1 | 4/99 |
| 22. | राउप्रावि, बठेराबास | अध्यापक III | 1 | 3/99 |
| | | शा. शि. III | 1 | 3/99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 23. | राउप्रावि सादड़ी नं. एक | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 1 | 9/98 |
| 24. | राउप्रावि, सादडी नं. दो | वरिष्ठ अध्यापक (प्र.अ.) | 1 | 4/99 |
| | | अध्यापक III | 2 | 4/99 |
| 25. | राउप्रावि, भादराव सादड़ी | अधापक III | 2 | 3/99, 4/99 |
| 26. | राउप्रावि, जूना | वरिष्ठ अध्यापक (प्र.अ.) | 1 | 4/99 |
| 27. | राउप्रावि, सांवलता | अध्यापक III | 2 | 3/99 4/99 |
| 28. | राउप्रावि, देवली सोमेसर | अध्यापक III | 1 | 4/99 |
| 29. | राउप्रावि, गुढापृथ्वीराज | अध्यापक III | 2 | 4/99 |
| 30. | राउप्रावि, भोरखा | अध्यापक III | 2 | 3/99 |
| | | शा. शि. III | 1 | 3/99 |
| 31. | राबाउप्रावि, खैरवा | अध्यापक III | 1 | 3/99 |
| 32. | राबाउप्रावि, बिजोवा | अध्यापक III | 1 | 3/99 |

# परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-730 का विवरण)

| क्र.सं. | नाम विद्यालय | प्राचार्य | | उपप्राचार्य | प्र.अ. | व्याख्याता | | व.अ. | शाशि | पु.अ. | कास. | वलि. | अध्यापक | | कलि | प्रशास | शाशि | पुअ | प्रशासे | चश्रेक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वी. | रिक्त | | | स्वी. | रिक्त | | | | | | स्वी. | रिक्त | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | उमावि, कठूमर | 1 | — | 1 | — | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | — | 2 | — | — | — | — | 6 |
| 2. | उमावि, खेड़ली | 1 | — | 1 | — | 31 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 4 | — | — | 6 | 6 |
| 3. | बाउमावि, कठूमर | 1 | 1 | — | — | 05 | — | 3 | 1 | 1 | — | 2 | 03 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 5 |
| 4. | बाउमावि, खेड़ली | 1 | 1 | — | — | 08 | — | 8 | 1 | 1 | — | 2 | 04 | — | 1 | 3 | — | — | 3 | 4 |
| 5. | मावि, भनोखर | — | — | — | 1 | — | — | 8 | — | — | — | 1 | 06 | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 |
| 6. | मावि, सौखरी | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | 1 | 07 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 3 |
| 7. | मावि, समूची | — | — | — | 1 | — | — | 5 | — | — | — | 1 | 05 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 3 |
| 8. | मावि, बड़ेदाकान | — | — | — | 1 | — | — | 7 | — | — | — | 1 | 07 | — | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 9. | मावि, रोनोजाथान | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | 1 | 07 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 3 |
| 10. | मावि, तसई | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | 1 | 06 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | मावि, यारू | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | 1 | 07 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 3 |
| 12. | मावि, टिटपुरी | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | 1 | 07 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 5 |
| 13. | मावि जटवाड़ा | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | 1 | 03 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 4 |
| 14. | मावि, खोखर | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | 1 | 01 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 4 |
| 15. | मावि, मैथना | — | — | — | 1 | — | — | 5 | — | — | — | 1 | 03 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 |
| 16. | मावि, खेड़मैदा | — | — | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 17. | मावि, मसारी | — | — | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 18. | मावि, खेड़ामंगलसिंह | — | — | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| | योग | 4 | 2 | 2 | 14 | 56 | 10 | 117 | 4 | 4 | 2 | 20 | 78 | 3 | 17 | 8 | 14 | 9 | 10 | 59 |

# परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-736 की प्रतियां)

परिशिष्ट-1

**राजस्थान सरकार**

**शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग**

क्रमांश : प. 7(11) शिक्षा–5/98 जयपुर दिनांक 12.11.98

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राज.
बीकानेर।

**विषय : रा.प्रा.वि. नं. 1 हनुमानगढ़ के स्टाफ के वेतन के पुनः आहरण की स्वीकृति**

**संदर्भ : आपका पत्रांक शिविरा/प्रा./डी-4/9101/12/98/15 दि. 27.8.98**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम के निर्देशानुसार लेख है कि राजकीय राशि से पुनः आहरण के निर्धारित प्रक्रिया हेतु निम्न सूचना भिजवाने की व्यवस्था करें।

1. वेतन राशि का विवरण

   क्र.स. नाम कर्मचारी पद राशि बि.न. एवं दिनांक टी.वी. नं. दिनांक

2. विभागीय जांच पर निदेशालय की टिप्पणी

भवदीय

ह0

(एम.पी.गुप्ता)
लेखाधिकारी

परिशिष्ट-2

## कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रार./लेखा/डी–5/5101(12)98/21 दिनांक 27.3.99

लेखाधिकारी,
शिक्षा (ग्रु–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

**विषय : रा.प्रा.वि.नं. 1 हनुमानगढ के स्टाफ के वेतन के पुनः आहरण की स्वीकृति**
**प्रसंग : आपका पत्र क्रमांकःप.7(11)शिक्षा-5/98 जयपुर दिनांक 12.11.98**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजकीय राशि के पुनः आहरण के निर्धारित प्रक्रिया हेतु आप द्वारा चाही गयी वांछित सूचनाएं निम्नानुसार बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है :–

1. **वेतन राशि विवरण**

| क्र.स. | नाम कर्मचारी | पद | राशि | बिल नं. व दि. | टी.वी.नं. व दि. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री नानूराम | प्र.अ. | 4137/– | 1161/19.9.97 | 11/1.10.97 |
| 2. | श्री पुष्पकुमार | अ. | 6955/– | | |
| 3. | श्री ज्ञानसिंह | अ. | 4780/– | 15872/- | |

2. **विभागीय जांच पर निदेशालय की टिप्पणी :**

जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) हनुमानगढ़ द्वारा इस प्रकरण में जांच हेतु श्री मोहनलाल स्वामी व.उ.जि.शि.अ. को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जि.शि.अ.प्रा.शि. हनुमानगढ़ ने व उ.जि.शि.अ. हनुमानगढ़ से प्राप्त जांच का पत्र दिनांक 18.4.98 द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के आधार पर इस घटना से संबंधित कर्मचारी की कोई लापरवाही प्रतीत नहीं होना बताया है। अतः निदेशालय द्वारा जि.शि.अ. की अभिशंसा पर आपको पत्र क्रमांक 15 दिनांक 27.8.98 द्वारा पुनः आहरण की स्वीकृति की अभिशंसा की गई थी। इस प्रकरण में किसी कर्मचारी की लापरवाही नहीं हुई है।

अतः आप द्वारा वांछित दोनों बिन्दुओं पर चाही गई सूचना प्रेषित कर निवेदन है कि रा.प्रा.वि.नं. 1 हनुमानगढ़ स्टाफ के वेतन के पुनः आहरण की स्वीकृति प्रदान करावें।

ह0
मुख्य लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

# परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-738 की सूची)

कार्यालय पंचायत समिति, महुवा जिला दौसा (राज.)

मार्च 99 में पारित कर्मचारियों की यात्रा भत्ता बिलों की सूची

| क्र.स. | बि.न. | नाम कर्मचारी | माह का नाम | पारित राशि | मद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1500<br>4.3.99 | श्री गोविन्द सहाय शर्मा च.श्रे.क. | 2/99 | 542.00 | 2515 एनपी |
| 2. | 1509 | श्री गोविन्द सहाय शर्मा च.श्रे.क. | 1/99 | 391.00 | 2515 एनपी |
| 3. | 1510 | डा. अरविन्दकुमार गुप्ता वि.अ. | 6/97 | 1230.00 | –यथा– |
| 4. | 1511 | डा. अरविन्द कुमार गुप्ता वि.अ. | 7/97 | 300.00 | –यथा– |
| 5. | 1512 | डा. अरविन्द कुमार गुप्ता वि.अ. | 5/97 | 891.00 | –यथा– |
| 6. | 1513 | श्री शैलेश कुमार शर्मा च.श्रे.क. | 2/99 | 831.00 | –यथा– |
| 7. | 1514 | श्री मुकेश कुमार गुप्ता क.लि. | 11व12/98 | 456.00 | –यथा– |
| 8. | 1515 | श्री मुकेश कुमार गुप्ता क.लि. | 2/99 | 429.00 | –यथा– |
| 9. | 1516 | श्री मुकेश कुमार गुप्ता क.लि. | 1/99 | 549.00 | –यथा– |
| 10. | 1517 | श्री लल्लूराम पी.ई.ओ. | 3/98 | 2338.00 | 2515 पीसी |
| 11. | 1518 | –यथा– | 2/98 | 1147.00 | –यथा– |
| 12. | 1520 | श्री राजेन्द्र प्रसाद पाराशर क.लि. | 1/99 | 1048.00 | 2202 एनपी |
| 13. | 1521 | –यथा– | 2/99 | 1013.00 | –यथा– |
| 14. | 1523 | श्री रेवती प्रसाद शर्मा क.लि. | 6/98 | 1367.00 | –यथा– |
| 15. | 1524 | –यथा– | 7/98 | 1223.00 | –यथा– |
| 16. | 1525 | –यथा– | 8/98 | 990.00 | –यथा– |
| 17. | 1526 | –यथा– | 9/98 | 1670.00 | –यथा– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 1527 | –यथा– | 10/98 | 1420.00 | –यथा– |
| 19. | 1528 | –यथा– | 11/98 | 1282.00 | –यथा– |
| 20. | 1529 | –यथा– | 12/98 | 701.00 | –यथा– |
| 21. | 1532 | –श्री राजेन्द्र प्रसाद अध्यापक | 12/98 | 707.00 | –यथा– |
| 22. | 1533 | –यथा– | 11/98 | 803.00 | –यथा– |
| 23. | 1534 | –यथा– | 10/98 | 654.00 | –यथा– |
| 24. | 1535 | –श्री गिर्राज प्रसाद ई.ओ.पी. | 3/98 | 962.00 | 2515एनपी |
| 25. | 1541 | हैण्डपम्प मिस्त्री | 1/98से7/98 | 4284.00 | 2515जल |
| 26. | 1542 | श्री गिर्राज प्रसाद ई.ओ.पी. | 9/98 | 1182.00 | 2515एनपी |
| 27. | 1543 | श्री राकेश कुमार जे.ईएन. | 12/98 | 1647.00 | 2515पीसी |
| 28. | 1544 | श्री गणपत राम शि.प्र.अ. | 2/99 | 1522.00 | 2202एनपी |
| 29. | 1545 | –यथा– | 1/99 | 1878.00 | –यथा– |
| 30. | 1546 | श्री राजकुमार जैन च.श्रे.क. | 1/99 | 956.00 | 2515एनपी |
| 31. | 1547 | जगन प्रसाद गुर्जर हैण्ड पम्प मिस्त्री | 1/98से7/98 | 4089.00 | 2215जल |
| 32. | 1548 | श्री राजकुमार जैन च.श्रे.क. | 2/99 | 790.00 | 2515एनपी |
| 33. | 1549 | –यथा– | 12/98 | 954.00 | –यथा– |
| 34. | 1550 | श्री प्रताप सिंह महला एस.डी.आई. | 7/98 | 1785.00 | 2202एनपी |
| 35. | 1551 | –यथा– | 9/98 | 1493.00 | –यथा– |
| 36. | 1552 | –यथा– | 8/98 | 1399.00 | –यथा– |
| 37. | 1553 | –यथा– | 11/98 | 514.00 | –यथा– |
| 38 | 1554 | –यथा– | 11/99 | 1663.00 | –यथा– |
| 39. | 1555 | –यथा– | 1/99 | 1448.00 | –यथा– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40. | 1556 | –यथा– | 12/98 | 1742.00 | –यथा– |
| 41. | 1557 | श्री मूलचन्द सैनी च.श्रे.क | 12/98 | 416.00 | –यथा– |
| 42. | 1558 | श्री गणपत राम गुप्ता एसडीआई | 7/98 | 819.00 | –यथा– |
| 43. | 1559 | श्री विशनलाल मीना हैण्डपम्प मिस्त्री | 2/98से7/98 | 4120.00 | 2515 जलापूर्ति |
| 44. | 1560 | श्री गिर्राज प्रसाद ई.ओ.पी. | 10/98 | 716.00 | –यथा– |
| 45. | 1561 | श्री मूलचन्द सैनी च.श्रे.क. | 1/99 | 414.00 | 2202 एनपी |
| 46. | 1562 | श्री गिर्राज प्रसाद ई.ओ.पी. | 8/98 | 783.00 | 2515 एनपी |
| 47. | 1563 | श्री राकेश सिंघल जे.ईएन. | 10/98 | 1429.00 | –यथा– |
| 48. | 1564 | –यथा– | 11/98 | 1202.00 | –यथा– |
| 49. | 1565 | श्री गिर्राज प्रसाद ईओपी | 7.98 | 777.00 | –यथा– |
| 50. | 1566 | श्री कमल सिंह राजपूत हैण्डपम्प मिस्त्री | 1/98से7/98 | 3989.00 | 2215 जलापूर्ति |
| 51. | 1567 | श्री रामकिशोर जाटव | –यथा– | 3884.00 | –यथा– |
| 52. | 1568 | श्री भजनलाल वी.एल.डब्ल्यू | 11/8/97स्थाना | 712.00 | 2515पीएल |
| 53. | 1569 | श्री दिनेश चन्द गुप्ता पी.ओ. | 26/1/99 | 108.00 | 2202एनपी |
| 54. | 1576 | श्री गिर्राज प्रसाद ई.ओ.पी. | 5/98 | 801.00 | 2515एनपी |
| 55. | 1577 | –यथा– | 6/98 | 1024.00 | –यथा– |
| 56. | 1578 | श्री छोटेलाल बैरवा हैण्डपम्प मिस्त्री | 1/98से7/98 | 4180.00 | 2215 जल |
| 57. | 1579 | श्री नन्दलाल क.लि. | 10/98से12/98 | 740.00 | 2515 एसटीसी |
| 58. | 1581 | श्री लच्छीराम हैण्डपम्प मिस्त्री | 7/98 | 278.00 | 2215 जल |
| 59. | 1582 | श्री गणपत राम गुप्ता एस.डी.आई | 8/98 | 729.00 | 2202 एनपी |
| 60. | 1583 | –यथा– | 10/98 | 1875.00 | –यथा– |
| 61. | 1584 | –यथा– | 12/98 | 1513.00 | –यथा– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. | 1585 | –यथा– | 11/98 | 188.00 | –यथा– |
| 63. | 1586 | –यथा– | 9/98 | 1944.00 | –यथा– |
| 64. | 1587 | श्री लच्छीराम हैण्डपम्प मिस्त्री | 10/98 | 607.00 | –यथा– |
| 65. | 1588 | –यथा– | 8/98 | 754.00 | –यथा– |
| 66 | 1589 | –यथा– | 9/98 | 637.00 | –यथा– |
| 67. | 1590 | –यथा– | 11/98 | 790.00 | –यथा– |
| 68. | 1591 | –यथा– | 12/98 | 699.00 | –यथा– |
| 69. | 1592 | श्री मूलचन्द सेनी च.श्रे.क. | 2/99 | 399.00 | –यथा– |
| 70. | 1597 | श्री धनसीराम हैण्डपम्प मिस्त्री | 1/98से7/98 | 4153.00 | 2215 जलापूर्ति |
| 71. | 1598 | श्री राजाराम –यथा– | –यथा– | 4017.00 | –यथा– |
| 72. | 1599 | श्री सेडूराम –यथा– | –यथा– | 4066.00 | –यथा– |
| 73. | 1600 | श्री रामखिलाड़ी –यथा– | –यथा– | 3921.00 | –यथा– |
| 74. | 1601 | श्री बाबूलाल मीना –यथा– | –यथा– | 3579.00 | –यथा– |
| 75. | 1602 | –यथा– | 8/98 | 315.00 | –यथा– |
| 76. | 1603 | श्री प्रतापसिंह महला शि.प्र.अ. | 10/98 | 1318.00 | 2202एनपी |
| 77. | 1610 | श्री गिर्राज प्रसाद ई.ओ.पी. | 11/98 | 711.00 | 2515 एनपी |
| 78. | 1611 | –यथा– | 12/98 | 728.00 | –यथा– |
| 79. | 1612 | श्री बृजेन्द्र पाराशर यू.डी.सी. | 11/98 | 351.00 | –यथा– |
| 80. | 1613 | –यथा– | 12/98 | 383.00 | –यथा– |
| 81. | 1614 | –यथा– | 1/99 | 262.00 | –यथा– |
| 82. | 1615 | –यथा– | 2/99 | 269.00 | –यथा– |
| 83. | 1616 | श्री नन्दकिशोर बंसल जू.अकाउंटेंट | 2/99 | 957.00 | 2505 JRY |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84. | 1619 | श्री रेवती प्रसाद शर्मा यू.डी.सी. | 1/99 | 1037.00 | 2202 एनपी |
| 85. | 1620 | श्री गिर्राज प्रसाद ई.ओ.पी. | 1/99 | 1153.00 | 2515 एनपी |
| 86. | 1621 | –यथा– | 2/99 | 1167.00 | –यथा– |
| 87. | 1622 | श्री विजयकुमार योगी अध्यापक | 11/98 | 566.00 | 2202 एनपी |
| 88. | 1625 | श्री मंगलराम बैरवा जू.अका. | 1/99से2/99 | 1144.00 | 2515 एनपी |
| 89. | 1705 24.3.99 | श्री चिरंजीलाल वा.चा. | 12/98से2/99 | 3100.00 | –यथा– |
| 90. | 1715 24.3.99 | श्री हाकिम सिंह गुर्जर अध्यापक | 10/98 | 296.00 | 2202 एनपी |
| 91. | 1718 24.3.99 | श्री रामस्वरूप सैनी सचिव | 2/99से3/99 | 441.00 | 2515 एनपी |
| 92. | 1722 | श्री रेवतीप्रसाद शर्मा यू.डी.सी. | 3/99 | 997.00 | 2202 एनपी |
| 93. | 1723 | श्री रामस्वरूप सैनी सचिव | 10/98से1/99 | 1026.00 | 2515 एनपी |
| 94. | 1724 | –यथा– | 4/98से5/98 | 1235.00 | –यथा– |
| 95. | 1725 | –यथा– | 8/97 | 817.00 | –यथा– |
| 96. | 1726 | –यथा– | 9/98 | 108.00 | 2202 एनपी |
| 97. | 1727 | श्री धनसिंह शर्मा अध्यापक | 6/98से1/99 | 319.00 | –यथा– |
| 98. | 1728 | श्री लल्लूराम महावर प्र.प्र.अधि. | 4/98 | 1070.00 | 2515 पीएल |
| 99. | 1729 | –यथा– | 5/98 | 1453.00 | –यथा– |
| 100 | 1730 | –यथा– | 6/98 | 1221.00 | –यथा– |
| 101. | 1732 | –यथा– | 7/98 | 749.00 | –यथा– |
| 102. | 1733 | –यथा– | 8/98 | 1226.00 | –यथा– |
| 103. | 1734 | –यथा– | 9/98 | 1201.00 | –यथा– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104. | 1735 | श्री लल्लूराम महावर प्र.प्र.अधि. | 10/98 | 1003.00 | 2515पीएल |
| 105. | 1736 | –यथा– | 11/98 | 866.00 | –यथा– |
| 106. | 1737 | –यथा– | 12/98 | 110900 | –यथा– |
| 107. | 1738 | –यथा– | 1/99 | 1505.00 | –यथा– |
| 108. | 1739 | –यथा– | 2/99 | 1194.00 | –यथा– |
| 109. | 1761 | श्री महेशचन्द पाराशर सचिव | 11/95 | 405.00 | –यथा– |
| 110. | 1772 27.3.99 | श्री राकेश कुमार सिंघल क.अभि. | 1/99 | 1516.00 | –यथा– |
| 111. | 1785 30.3.99 | श्री चन्दनराम मीना क.अभि. | 10.98 | 1383.00 | 2515 पीएएन |
| 112. | 1786 | –यथा– | 9/98 | 1109.00 | –यथा– |
| 113. | 1787 | –यथा– | 11/98 | 1063.00 | –यथा– |
| 114. | 1788 | –यथा– | 12/98 | 1184.00 | –यथा– |
| 115. | 1790 | श्री लखन लाल अध्यापक | 12/98से2/99 | 544.00 | 2202एनपी |
| 116. | 1791 | श्री गोपाल लाल अध्यापक | 12/98से2/99 | 628.00 | –यथा– |
| 117. | 1792 | श्री राजेन्द्र प्रसाद पाराशर | 3/99 | 1295.00 | –यथा– |
| 118. | 1793 | श्री राजेन्द्र प्रसाद अध्यापक | 9/99 | 779.00 | –यथा– |
| 119. | 1794 | –यथा– | 2/99 | 874.00 | –यथा– |
| 120. | 1807 31.3.99 | श्री विजयकुमार योगी अध्यापक | 3/99 | 517.00 | –यथा– |
| 121. | 1808 | श्री महेशचन्द पाराशर सचिव | 11/98से12/98 | 383.00 | 2515पीसी |
| 122. | 1809 | –यथा– | 7/98से8/98 | 440.00 | –यथा– |
| 123. | 1810 | श्री ओम प्रकाश शर्मा सचिव | 1/99 | 367.00 | –यथा– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124. | 1811 | श्री ओमप्रकाश शर्मा सचिव | 10/98से11/98 | 428.00 | —2515पीसी |
| 125. | 1812 | —यथा— | 12/98 | 412.00 | —यथा— |
| 126. | 1813 | —यथा— | 10/98 | 502.00 | —यथा— |
| 127. | 1814— | श्री राजकुमार जैन | 3/99 | 1019.00 | 2515 एनपी |
| 128. | 1815 | श्री महेश कुमार गुप्ता एल.डी.सी. | 7/98 | 826.00 | —यथा— |
| 129. | 1816 | श्री प्रभाती लाल शर्मा सचिव | 12/98से2/99 | 537.00 | 2515 पीसी |
| 130. | 1817 | —यथा— | 10/98से11/98 | 940.00 | —यथा— |
| 131. | 1819 | श्री भजन लाल सचिव | 9/98से11/98 | 899.00 | —यथा— |
| 132. | 1819 | श्री बाबूलाल शर्मा सचिव | 1/99 | 465.00 | —यथा— |
| 133. | 1820 | —यथा— | 2/99 | 199.00 | —यथा— |
| 134. | 1821 | श्री नारायणलाल वर्मा सचिव | 1/98से12/98 | 2334.00 | —यथा— |
| 135. | 1822 | —यथा— | 12/97 | 1188.00 | —यथा— |
| 136. | 1823 | —यथा— | 1.99से3.99 | 534.00 | —यथा— |
| 137. | 1824 | श्री बाबूलाल शर्मा सचिव | 10/98 | 758.00 | —यथा— |
| 138. | 1825 | श्री बनैसिंह सचिव | 8/98से12/98 | 1270.00 | —यथा— |
| 139. | 1826 | श्री बाबूलाल शर्मा | 11/98 | 499.00 | —यथा— |
| 140. | 1827 | श्री ओमप्रकाश शर्मा सचिव | 2/99 | 183.00 | —यथा— |
| 141 | 1828 | श्री लच्छीराम हैण्डपम्प मिस्त्री | 3/99 | 588.00 | 2215 जलापूर्ति |
| 142. | 1784 | श्री रेवती प्रसाद शर्मा | 3/99 | 1872.00 | —यथा— |
| 143. | 1789 | श्री गोविन्द शर्मा स.कर्म. | 3/99 | 705.00 | —यथा |

ह0—

विकास अधिकारी

पंचायत समिति, महुवा

# परिशिष्ट-13

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-740 का विवरण)

### पंचायत समिति, सिवाना (बाड़मेर)

### ग्राम/ढाणियां जिनमें अन्तिम रूप से शिक्षाकर्मी परियोजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया

| ज़िला | पंचायत समिति | | शिक्षाकर्मी विद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| बाड़मेर | सिवाना | 1. | गिराद की ढ़ाणी |
| | | 2. | होतरड़ा नाड़ा |
| | | 3. | मांगला |
| | | 4. | भीलों की ढ़ाणी |
| | | 5. | साईजी की बेरी |
| | | 6. | बालियाना |
| | | 7. | परिहारों की ढ़ाणी |
| | | 8. | रेलों की ढ़ाणी |
| | | 9. | मुम्बारी |
| | | 10. | जिनपुर |
| | | 11. | मांगी |
| | | 12. | मेघवालों की बेरी |
| | | 13. | तेलवाड़ा |
| | | 14. | भाटीखेड़ा |
| | | 15. | मेली बांध |
| | | 16. | विश्नोइयों की ढ़ाणी |
| | | 17. | खोड़ोणा नाड़ा |
| | | 18. | बाघ सिंह की ढ़ाणी |
| | | 19. | जूजाजी की ढ़ाणी |
| | | 20. | साधो का तला (भांखरपुरा) |
| | | 21. | जालमपुरा |
| | | 22. | जूनाखेड़ा |
| | | 23. | खारचिया बेरा |
| | | 24. | मुरिया धोरा |
| | | 25. | खलवाणा नाड़ा |
| | | 26. | गोचरिया |
| | | 27. | कोयटा बस्ती (लोहयाणा गढ़) |
| | | 28. | बारडिया मगरा |

परिशिष्ट -2

## पंचायत समिति, सिवाना (बाड़मेर)

### विद्यालय एवं शिक्षाकर्मी चयन एवं प्रारम्भ तिथि

| क्र.सं. | शिक्षाकर्मी विद्यालय का नाम | शिक्षाकर्मी का नाम | पिता/पति का नाम | आरम्भ तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | गिराद की ढ़ाणी | श्री शेरसिंह | श्री हरिसिंह | 24.7.89 |
| | | श्री हुकमा राम | श्री गुणेशाराम | 21.7.89 |
| 2. | होतरड़ा नाड़ा | श्री देवीसिंह | श्री पुनमसिंह | 21.7.89 |
| | | श्री रणछोड़राम | श्री वागाराम | 5.12.91 |
| | | श्रीमती उमादेवी | श्री ईश्वर लाल | 14.1.95 |
| 3. | मांगला | श्री लक्ष्मण राम | श्री लालाराम | 21.7.89 |
| | | श्री फूसाराम | श्री गोमाराम | 5.12.91 |
| | | श्री हिमतसिंह | श्री चैनसिंह | 10.5.94 |
| | | श्री चम्पालाल | श्री कानाराम | 21.7.97 |
| | | श्री नारायणराम | श्री मांगीलाल | 21.7.97 |
| 4. | भीलों की ढाणी | श्री बालाराम | श्री पाताराम | 21.7.89 |
| | | श्री शंकर लाल | श्री राम | 1.1.90 |
| | | श्री अचलाराम | श्री रावताराम | 7.1.87 |
| 5. | साईजी की बेरी | श्री पूजाराम | श्री डूंगराराम | 21.7.89 |
| | | श्री हेमराज | श्री पोकरराम | 21..7.89 |
| | | श्री मोहन लाल | श्री नवाराम | 21.7.89 |
| 6. | बालियाना | श्री हरिसिंह | श्री रूपसिंह | 21.7.89 |
| | | श्री छैलसिंह | श्री रामसिंह | 1.1.97 |
| 7. | परिहारों की ढाणी | श्री छगनाराम | श्री घमन्डा राम | 21.7.89 |
| | | श्री धन्ना राम | श्री वजाराम | 21.7.95 |
| 8. | रेलों की ढ़ाणी | श्री केसर सिंह | श्री किशन सिंह | 22.7.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | श्री दोलाराम | श्री छोगाराम | 22.7.89 |
| | | श्री उत्माराम | श्री खंगाराराम | 1.7.97 |
| 9. | मुम्बारी | श्री दलपत सिंह | श्री अर्जुन सिंह | 20.7.89 |
| | | श्री अर्जुन दास | श्री हेमा राम | 6.12.91 |
| | | श्री देवी लाल | श्री राणा राम | 1.7.97 |
| 10. | जिनपुर | श्री आनन्दपाल सिंह | श्री जालम सिंह | 22.7.89 |
| | | श्री कान नाथ | श्री बालकनाथ | 7.12.91 |
| 11. | मांगी | श्री छतरा राम | श्री उनमा राम | 21.7.89 |
| | | श्री बुद्धा राम | श्री नैना राम | 7.12.91 |
| | | श्री नारायण सिंह | श्री जैरूप सिंह | 7.5.94 |
| | | श्री फतेह सिंह | श्री शिव सिंह | 17.4.97 |
| | | श्री पुखराज | श्री मिश्रा राम | 17.4.97 |
| 12. | मेघवालों की बेरी | श्री छतरा राम | श्री सीमा राम | 21.7.89 |
| | | श्री पूजराज सिंह | श्री साग सिंह | 21.7.89 |
| | | श्री देवी सिंह | श्री साग सिंह | 13.3.95 |
| 13. | तेलवाड़ा | श्री नरपत सिंह | श्री कानसिंह | 21.7.89 |
| | | श्री माघ सिंह | श्री जोर सिंह | 21.7.89 |
| | | श्री मालम सिंह | श्री मुकन सिंह | 1.7.97 |
| | | श्री महेन्द्र सिंह | श्री दलपत सिंह | 1.4.97 |
| 14. | माटीखेड़ा | श्री चेला राम | श्री मांगा राम | 1.1.97 |
| | | श्री भंवर लाल | श्री पूना राम | 1.1.97 |
| | | श्री भंवर सिंह | श्री उदय सिंह | 3.12.91 |
| 15. | मेलीबांध | श्री सूजा राम | श्री राणा राम | 1.1.97 |
| | | श्री केसर सिंह | श्री रूप सिंह | 1.1.97 |
| 16. | विश्नोइयों की ढ़ाणी | श्री गुमान सिंह | श्री बेर सिंह | 1.1.97 |
| | | श्री राम सिंह | श्री मोहन सिंह | 1.1.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. | बाघ सिंह की ढाणी | श्री दीप सिंह | श्री शिव सिंह | 2.1.97 |
| | | श्री रतन सिंह | श्री नरपत सिंह | 2.7.97 |
| 18. | साधो का तला (भाखरपुरा) | श्री देव राम | श्री मंगला राम | 1.1.97 |
| | | श्री कोज सिंह | श्री बुध सिंह | 4.1.97 |
| 19. | खोड़ोणा नाड़ा | श्री चौथा राम | श्री खेता राम | 1.1.97 |
| | | श्री नारायण सिंह | श्री हडमत सिंह | 1.1.97 |
| 20. | जूजाजी की ढाणी | श्री अजय भारती | श्री मोहन भारती | 1.1.97 |
| | | श्री चेतना राम | श्री खेता राम | 1.1.97 |
| 21. | जालम पुरा | श्री चन्द्र दीप | श्री हनुमान सिंह | 1.4.97 |
| | | श्री बेरीसाल सिंह | श्री राम सिंह | 1.4.97 |
| 22. | जूनाखेड़ा | श्री अचल सिंह | श्री शम्भू सिंह | 1.4.97 |
| | | श्री तिलोका राम | श्री हरिराम | 1.4.97 |
| 23. | मुरिया धोरा | श्री हरिराम | श्री अन्ना राम | 1.4.97 |
| | | श्री मदन सिंह | श्री अर्जुन सिंह | 1.4.97 |
| 24. | खारचिया बेरा | श्री नारायण राम | श्री घमण्डी राम | 1.4.97 |
| | | श्री मोहन दास | श्री सोहन दास | 1.4.97 |
| 25. | खलवाणा नाड़ा | श्री रड़मल सिंह | श्री जोग सिंह | 1.4.98 |
| | | श्री भगवान सिंह | श्री इन्द्र सिंह | 1.4.98 |
| 26. | कोयटा बस्ती (लोहयाणागढ) | श्री नारायण सिंह | श्री छैल सिंह | 10.7.98 |
| | | श्री केवल राम | श्री हंजा राम | 10.7.98 |
| 27. | गोचरिया | श्री करण सिंह | श्री अचल सिंह | 1.4.98 |
| | | श्री भभूता राम | श्री बगदा राम | 1.4.98 |
| 28. | बरडिया मगरा | श्री रमेश कुमार | श्री मोहन लाल | 1.4.98 |
| | | श्री तन सिंह | श्री रूप सिंह | 1.4.98 |

# परिशिष्ट - 14

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-742 की सूची)

गत पांच वर्षों में जैसलमेर नगर में देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या

| वर्ष | पर्यटक संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | देशी | विदेशी | कुल |
| 1994 | 76029 | 42672 | 118701 |
| 1995 | 85831 | 48001 | 133832 |
| 1996 | 79901 | 49486 | 129387 |
| 1997 | 69184 | 57166 | 126350 |
| 1998 | 52889 | 52299 | 105188 |

# परिशिष्ट-15

## (अतारांकित प्रश्न संख्या–746 की सूची)

पंचायत समितिवार बायोगैस योजना के आवंटन लक्ष्य एवं
निर्मित संयन्त्रों का विवरण वर्ष 1998-99

| क्र.सं. | पंचायत समिति का नाम | आवंटित लक्ष्य | निर्मित संयन्त्रों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | नागौर | 20 | 25 |
| 2. | मूण्डवा | 20 | 19 |
| 3. | डेगाना | 20 | 24 |
| 4. | मेड़तासिटी | 20 | — |
| 5. | रियाबड़ी | 20 | — |
| 6. | परबतसर | 20 | 11 |
| 7. | मकराना | 20 | 10 |
| 8. | कुचामनसिटी | 20 | 12 |
| 9. | डीडवाना | 20 | 2 |
| 10. | जायल | 20 | 16 |
| 11. | लाडनूं | 20 | 6 |
| | योग | 220 | 125 |

परिशिष्ट-1

## वर्ष 1998-99 में निर्मित बायोगैस संयन्त्रों की लाभान्वित कृषकों की सूची पंचायत समितिवार एवं ग्रामवार

| क्र.सं. | कृषक का नाम मय पिता | जाति | ग्राम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) नागौर | | | |
| 1. | श्री मांगीलाल/बीरबलराम विश्नोई | | भडेल |
| 2. | श्री रतीराम/धर्माराम | विश्नोई | भडेल |
| 3. | श्री चन्द्राराम/बोगाराम | विश्नोई | चावन्डिया |
| 4. | श्री मुराद खां/जीतु खां | कयामखानी | दुकोसी |
| 5. | श्री अलानुर खां/हाजी गुलाम | कयामखानी | दुकोसी |
| 6. | श्री हासम खां/रसीद खां | कयामखानी | दुकोसी |
| 7. | बाबुखा/भोलखा | कयामखानी | दुकोसी |
| 8. | मोतीराम/लीछमणराम | माली | ताउसर |
| 9. | श्री भवंर सिंह/रतान सिंह | राजपूत | सीगंड़ |
| 10. | श्री गुमानाराम/कानाराम | जाट | सींगंड़ |
| 11. | श्री करणी सिंह/जवाहर सिंह | राजपूत | चावन्डिया |
| 12. | श्री बंशीलाल/मानाराम | विश्नोई | चावन्डिया |
| 13. | श्री अहम्मद खां/अलीखां | कयामखानी | दकोसी |
| 14. | श्री अनुखां/समन्दखां | कयामखानी | दकोसी |
| 15. | श्री नारायणराम/भराराम | नाई | उटवालिया |
| 16. | श्री खेराजराम/भीयाराम | जाट | उटवालिया |
| 17. | श्री लादुराम/केसाराम | जाट | उटवालिया |
| 18. | श्री भुराराम/रामकरण जाट | जाट | साडोकण |
| 19. | श्री मनीराम/गोरधनराम | जाट | साडोकण |
| 20. | श्री विजय कचामर/शेराराम | मेघवाल | रोहिणी |
| 21. | श्री किशोर सिंह/छतर सिंह | राजपूत | बालवा |
| 22. | श्री कालुराम/रादेवराम | तेली | बालवा |
| 23. | श्री मेहरदहनखां/रहीमखां | सिन्धी | मदफरास |
| 24. | श्री घेवरराम/कनाराम | जाट | गगवाना |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 25. | श्री सन्डाराम/रामराम | विश्नोई | भुन्डेल |
| **(2) पंचायत समिति जायल** | | | |
| 1. | श्री धन्नाराम/गुलाबराम | विश्नोई | दगोली |
| 2. | श्री भवंर सिंह/सवाईसिंह | राजपूत | पीन्डीया |
| 3. | श्री भवंर लाल/गौमाराम जाट | जाट | डिडियाखुर्द |
| 4. | श्री श्रवणराम/बघाराम | मेघवाल | डिडियाखुर्द |
| 5. | श्री शंकरराम/पसाराम | मघवाल | डिडियाखुर्द |
| 6. | श्री नारायणराम/चेतनराम | जाट | डिडियाखुर्द |
| 7. | श्री डालाराम/पेमाराम | जाट | डिडियाखुर्द |
| 8. | श्री ओमप्रकाश/हरीराम जाट | जाट | लुणसरा |
| 9. | श्री श्रीनिवास/मदन लाल | ब्राह्मण | पुरडोद |
| 10. | श्रीमती बरजी देवी/विसवबन्दु | ब्राह्मण | साडिला |
| 11. | श्री भंवर लाल/हकमाराम | जाट | निमनगर खाटू |
| 12. | श्री बुधराज/कानाराम | जाट | बडीखाटू |
| 13. | श्री नारायणसिंह/भवरसिंह | राजपूत | रोंहिणा |
| 14. | श्री अयुब खां/रसूलखां | कायमखानी | छावटाकलां |
| 15. | श्री अनवर खां/उमराव खां | कायमखानी | छावटाकलां |
| 16. | श्री मालूखां/जमरदीनखां | कायमखानी | छावटाकलां |
| **(3) पंचायत समिति डीडवाना** | | | |
| 1. | श्री रामाकिशन/रूपाराम | ब्राह्मण | चौमूं |
| 2. | श्री आशाराम/रूपाराम | ब्राह्मण | चौमूं |
| **(4) पंचायत समिति कुचामनसिटी** | | | |
| 1. | श्री मलचन्द/मदन लाल | ब्राह्मण | सरदारपुरा |
| 2. | श्री नन्दलाल/महादेव | ब्राह्मण | प्रेमपुरा |
| 3. | श्री छोटूराम/नन्दाराम | मेघवाल | प्रेमपुरा |
| 4. | श्री गोकुल चन्द/बिहारी लाल | ब्राह्मण | प्रेमपुरा |
| 5. | श्री श्रीबक्ष/भराराम | ब्राह्मण | प्रेमपुरा |
| 6. | श्री दशरथ सिंह/रूघनाथ सिंह | राजपूत | प्रेमपुरा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | श्री भवंर सिंह/छोगसिंह | राजपूत | प्रेमपुरा |
| 8. | श्री इन्द्रचन्द/बिहारी लाल | ब्राह्मण | प्रेमपुरा |
| 9. | श्री भंवर लाल/भवनाराम | जाट | प्रेमपुरा |
| 10. | श्री घीसाराम/भवानाराम | जाट | प्रेमपुरा |
| 11. | श्री शंकर सिंह/केशर सिंह | राजपूत | प्रेमपुरा |
| 12. | श्री लालचन्द/हरजीराम | राईका. | काकोट |

**(5) पंचायत समिति डेगाना**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री अमराराम/दियाराम | जाट | सारसण्डा |
| 2. | श्री पुखराज/लक्षमण राम | जाट | सारसण्डा |
| 3. | श्री बलदेवराम/जयराम | जाट | सारसण्डा |
| 4. | श्री बक्षाराम/दयाराम | जाट | सारसण्डा |
| 5. | श्री नारायणराम/घासीराम | जाट | सारसण्डा |
| 6. | श्री बलदेवराम/परखाराम | जाट | सारसण्डा |
| 7. | श्री अर्जुनराम/रामकरण | जाट | सारसण्डा |
| 8. | श्री रामकिशन/छोगाराम | जाट | सारसण्डा |
| 9. | श्री रतनाराम/भबुतराम | जाट | सारसण्डा |
| 10. | श्री नाथाराम/हरदीनराम | जाट | आंतरोलीकलां |
| 11. | श्री रामदेव/लालराम | जाट | आंतरोलीकलां |
| 12. | श्री मोडुलाल/जगदीशप्रसाद | ब्राह्मण | तीलानेस |
| 13. | श्री पीराराम/मागाराम | जाट | आंतरोलीकलां |
| 14. | श्री रामदेव/लालराम | जांगिड | इग्यासनी |
| 15. | श्री सीताराम/कन्हैयालाल | ब्राह्मण | बुटाटी |
| 16. | श्री नरसाराम/नेनाराम | जाट | खियास |
| 17. | श्री रामलाल/नैनाराम | जाट | खारिया की ढाणी |
| 18. | श्री उम्मेदसिंह/सरजनसिंह | राजपूत | खारिया की ढाणी |
| 19. | श्री नेनाराम/चौथराम | जाट | खारिया की ढाणी |
| 20. | श्री सखदेव/हरलाल | जाट | डूगरावास |
| 21. | श्री नेमाराम/हरलाल | जाट | डूगरावास |
| 22. | श्री शंकरलाल/घासीराम | जाट | सारसन्डा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23. | श्री नसीराम/नारायणराम | जाट | सारसन्डा |
| 24. | श्री किसनाराम/घासीराम | जाट | सारसन्डा |

**(6) पंचायत समिति परबतसर**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री हरजीराम/किस्तूरराम | जाट | निम्बोला |
| 2. | श्री मागीलाल/जैठाराम | जाट | चन्देलिया की ढाणी |
| 3. | श्री रूघाराम/कानाराम | जाट | चन्देलिया की ढाणी |
| 4. | श्री लिछमणराम/गणेशराम | जाट | चन्देलिया की ढाणी |
| 5. | श्री पुसाराम/रामदेव | जाट | चन्देलिया की ढाणी |
| 6. | श्री प्रेमराराम/कानाराम | जाट | चन्देलिया की ढाणी |
| 7. | श्री मोतीराम/चौथराम | जाट | चन्देलिया की ढाणी |
| 8. | श्री बोदूराम/रामदीन | जाट | चन्देलिया की ढाणी |
| 9. | श्री जवानाराम/मंगलाराम | जाट | चन्देलिया की ढाणी |
| 10. | श्री परसाराम/भागराम | जाट | चन्देलिया की ढाणी |
| 11. | श्री पसाराम/चौथराम | जाट | चन्देलिया की ढाणी |

**(7) पंचायत समिति लाडनूं**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री दुरगाराम/रूघनाराम | जाट | हुडास |
| 2. | श्री गुलामरसूल/अलीमोहम्मद छीपा | छीपा | हुडास |
| 3. | श्री ईदरीश/गुलामरसूल | छीपा | हुडास |
| 4. | श्री इन्द्रसिंह/रेवन्तसिंह | राजपूत | ढीगसरी |
| 5. | श्री जगदीश प्रसाद/हरदेवराम | स्वामी | दुजार |
| 6. | श्री मांगीलाल/जमालुदीन | छीपा | हुडास |

**(8) पंचायत समिति मकराना**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री नारायणराम/रामराम | जाट | अलतवा |
| 2. | श्री रामनिवास/रामदीन | जाट | अलतवा |
| 3. | श्री शिवदान/देवाराम | जाट | अलतवा |
| 4. | श्री गिगाराम/रामराम | जाट | अलतवा |
| 5. | श्री रामपाल/श्रीकिशन | ब्राह्मण | अलतवा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | श्री मोहनराम/पाचराम | जाट | बिल्लु |
| 7. | श्री देवाराम/नारायणराम | जाट | बिल्लु |
| 8. | श्री शिवप्रसाद/रामचन्द्र | विश्नोई | गच्छीपुरा |
| 9. | श्री रामचन्द्र/गोकुलराम | विश्नोई | दम्बोईकलां |
| 10. | श्री रतन लाल/भालुराम | जाट | बेसरोली |
| (8) पंचायत समिति मूण्डवा | | | |
| 1. | श्री रामनारायण/चुन्नीलाल | सुथार | फिडोद |
| 2. | श्री इन्द्रचन्द/किसनाराम | जाट | फिडोद |
| 3. | श्री रामरतन/झुमरराम | जाट | फिडोद |
| 4. | श्री जेठाराम/सीताराम | जाट | फिडोद |
| 5. | श्री रामकिशोर/मोडाराम | जाट | फिडोद |
| 6. | श्री रामनिवास/भागीरथ | जाट | फिडोद |
| 7. | श्री मलाराम/पुरखाराम जाट | जाट | पाचलासिद्धा |
| 8. | श्री सवाईसिंह/भोजरामसिंह | राजपूत | पाचलासिद्धा |
| 9. | श्री शंकर लाल/बगड़राराम | विश्नोई | पाचलासिद्धा |
| 10. | श्री कानाराम/प्रेराजराम | जाट | ढाढरियाखुर्द |
| 11. | श्री मांगीलाल/रामकरण | जाट | ढाढरियाखुर्द |
| 12. | श्री जोगीराम/शिवकरण | जाट | ढाढरियाखुर्द |
| 13. | श्री मोहनराम/डूंगरराम | मेघवाल | ढाढरियाखुर्द |
| 14. | श्री जोगीराम/जगरूराम | मेघवाल | ढाढरियाखुर्द |
| 15. | श्री ओमप्रकाश/अणदारामजाट | जाट | बासनीखलील |
| 16. | श्री देवकरण/जयराम | जाट | बासनीखलील |
| 17. | श्री हरजीराम/पसाराम | जाट | बासनीखलील |
| 18. | श्री हरीराम/भाउराम | जाट | बासनीखलील |
| 19. | श्रीमती सोहन कंवर/सुभकरण | ब्राह्मण | रूण |

परिशिष्ट-2

वर्ष 97-98 में लाभान्वित कृषकों का पंचायत समितिवार विवरण.

| क्र.सं. | पंचायत समिति | लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | सही चल रहे संयन्त्रों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | नागौर | 42 | 41 |
| 2. | जायल | 2 | 2 |
| 3. | मूण्डवा | 4 | 4 |
| 4. | मेड़तासिटी | — | — |
| 5. | रियांबड़ी | — | — |
| 6. | डेगाना | 5 | — |
| 7. | परबतसर | — | — |
| 8. | मकराना | 6 | 2 |
| 9. | कुचामनसिटी | 21 | 8 |
| 10. | डीडवाना | 14 | 14 |
| 11. | लाडनूं | 8 | 1 |
| | योग | 102 | 72 |

बायोगैस योजनान्तर्गत वर्ष 97–98 में निर्मित संयन्त्रों का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता एवं प्रभारी अधिकारी बायोगैस द्वारा किया गया है गोबर के अभाव में जो संयन्त्र बन्द हैं उन्हें शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही की जा रही है। भौतिक सत्यापन माह दिसम्बर, 98 एवं मार्च, 99 में किया गया है।

# परिशिष्ट–16

## (नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयी)

### {श्री मदन दिलावर (अटरू)}

**विषय : ग्राम उग्रपुरा तह. अटरू (बारां) के कूकर तालाब पर कार्य करवाने हेतु विशेष उल्लेख।**

महोदय, ग्राम उग्रपुरा तह. अटरू (बारां) के पास एक बहुत बडा तालाब है जिसे कूकर तालाब के नाम से जाना जाता है। लोग आज उस तालाब को तोड़कर खेती करने लग गये। इस तालाब से हजारों बीघा जमीन सिंचित होती थी जिससे हजारों परिवारों का पालन होता है तथा आस–पास के क्षेत्र का जल स्तर ऊंचा रहता था। परन्तु आज तालाब की स्थिति काफी दयनीय हो गयी, लोगों ने अतिक्रमण कर भराव के रास्ते बन्द कर दिये। इसके कारण सिंचाई तो दूर, पशु पक्षियों के लिए भी एक बूंद पानी नहीं है। जल स्तर घटने से आस–पास के ट्यूब वैल व हैण्ड पम्प तक सूख गये हैं। यह तालाब इतना विशाल है, यदि इसमें 20 लाख रुपये भी लगाकर मरम्मत कर चोर रास्ते बन्द कर दिया जाए तो कम से कम 20 गांवों को इस तालाब से लाभ मिल सकेगा। जलस्तर ऊपर आवेगा, पानी की समस्या का आंशिक रूप से समाधान होगा। अतः सरकार से मेरी मांग है कि शीघ्र कूकर तालाब पर 20 लाख रुपये की स्वीकृति देकर तालाब पर कार्य प्रारम्भ करावें।

---

### {श्री महादेव सिंह (खण्डेला)}

**विषय : सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के मुख्य अभियन्ता कार्यालय में कार्यरत यांत्रिक एवं सिविल अनुभागों में कार्यरत कर्मियों को पूर्ण वेतन एवं अन्य सेवा परिलाभ नहीं दिये जाने के कारण उनके परिवारों के सम्मुख उत्पन्न आर्थिक तंगी के संबंध में नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।**

महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के तहत मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का उक्त विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर स्थित मुख्य अभियन्ता कार्यालय के अधीनस्थ यांत्रिक एवं सिविल अनुभागों में कार्यरत कर्मचारियों को वर्षों सेवा लेने के उपरान्त पूर्ण वेतन एवं सेवा परिलाभ नहीं दिये जाने के कारण उनके

परिवारों के सम्मुख उत्पन्न आर्थिक तंगी के फलस्वरूप परिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में असक्षम होने के कारण मानसिक रूप से हो रही विक्षिप्तता संभावित हो रही है जो कि असन्तोष का कारण भी हो सकता है।

मा. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मा. मंत्री महोदय से चाहूंगा कि सरकार को अन्धेरे में रख कर यांत्रिक एवं सिविल अनुभागों के संबंधित तात्कालीन अधिशासी अभि./सहा. अभियन्ता आदि ने मा. श्रम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के उपरान्त भी वर्ष 1971 से नियुक्त कर्मचारी एवं वर्ष 1985–86 तथा 1987 से कार्यरत कर्मचारियों को पूर्ण वेतन एवं अन्य सेवा परिलाभ नहीं दिये जा रहे हैं उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति तंगी में है यहां तक कि उन्हें कर्जा लेकर जीवनयापन करना पड़ रहा है।

अतः कृपया प्राथमिकता के आधार पर उक्त प्रकरणों को निस्तारण करवाने का कष्ट करें जिससे कि कर्मचारियों के परिवार अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

---

## {श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)}

**विषय : कानूजा से आसान जिलेलाव व अन्य मिसिंग सड़क मार्ग बनाने के क्रम में नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।**

महोदय, पाली जिले के सोजत सार्वजनिक निर्माण खण्ड के अधीनस्थ सहायक अभियन्ता कार्यालय बर के क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कें महत्वपूर्ण हैं:

1. कानूजा से आसन जिलेलाव 8 किलो मीटर ग्रेवल रोड है जबकि कानूजा तक डामर रोड है जो नेशनल हाईवे नम्बर–14 को भदाला की चौकी से जोड़ती है। इसी प्रकार नेशनल हाईवे नम्बर–8 से 10 किलोमीटर डामर रोड़ आसन जिलेलाव को जोड़ती है। लेकिन कानूजा से आसन जिलेलाव 8 कि.मी. रोड़ डामर नहीं होने से नेशनल हाईवे नम्बर–8 व 14 अर्थात् अजमेर जिला व पाली जिला को जोड़ने वाला सीधा सड़क मार्ग बनने से 50 किलोमीटर की दूरी इस सड़क मार्ग के डांमरीकरण होने से कम होती है। इसके अलावा आसन जिलेलाव में रावत जाति का धार्मिक गुरूद्वारा है, वहां पर पाली जिले के कई गांवों के लोगों को पहुंचने मे सुविधा होगी । इस 8 किलोमीटर ग्रेवल रोड को डामरीकृत किया जावे।
2. खीवसन चौराहा तहसील रायपुर से तहसील सीमा सोजत बीच 3 कि.मी. की मेटल रोड़

का निर्माण हो रखा है। दो तहसीलों को जोड़ने की इस मिसिंग रोड का डामरीकरण किया जाना आवश्यक है ताकि शेष 70 कि.मी. रोड़ का उपयोग जनहित में हो सके।

3. रायपुर तहसील के वागीपाड़ा राजस्व गांव से तहसील के सबसे बड़े राजस्व गांव कुशालपुरा के बीच केवल 3 किलोमीटर के मेटल रोड पर सीडी वर्क्स भी हो रखे हैं। इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग का डामरीकरण जन उपयोगिता योग्य बनाया जाना आवश्यक है इसी क्रम में इस क्षेत्र की मिसिंग डामर रोड बगड़ी से कलालिया, करमावास से कुशालपुरा, निम्बेड़ा कलां से चावड़िया को भी डामर रोड बनाये जावें।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त सड़क मार्गों को प्राथमिकता से इसी बजट वर्ष में डामरीकरण करने की उच्च स्तरीय निर्णय लेकर बनाने की व्यवस्था फरमावें।

---

## {श्री सहदेव शर्मा (आमेर)}

**विषय : नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत मानपुरा माचेड़ी के ग्राम पूट का वास का विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में।**

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान निम्न विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर की तहसील आमेर की पंचायत मानपुरा माचेड़ी के ग्राम पूट का वास अभी तक विद्युत कनेक्शनों से वंचित है। यह ग्राम कृषि से एक महत्वपूर्ण ग्राम है तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। इस पंचायत मानपुरा माचेड़ी के अन्य गांवों का विद्युतीकरण कई वर्षों पूर्व में ही हो चुका है मात्र यही ग्राम विद्युतीकरण की उपेक्षा का शिकार रहा है।

इस ग्राम के निवासियों द्वारा गत दो लोक सभा चुनावों में मतदान का बहिष्कार विद्युत विभाग द्वारा बरती गई लापरवाही एवं घोर उपेक्षा के विरोधस्वरूप किया था।

गत विधान सभा चुनावों में भी मेरे व्यक्तिगत अनुरोध एवं सहयोग का आश्वासन के आधार पर ही ग्रामवासियों ने मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया था।

अतः माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि इस ग्राम के निवासियों की पीड़ा की ओर ध्यान देते हुए शीघ्र ही समस्या का निदान करने की कृपा करें।

**{श्री जीतमल खांट** (बागीदोरा)}

**विषय : नियम 295 के तहत लोक जुम्बिश परियोजना को निरन्तर रखने के क्रम में।**

महोदय, जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में लोक जुम्बिश परियोजना के तहत लोक जुम्बिश समस्त कार्मिक विगत 6–7 वर्षों से शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं गुणवत्ता में अभिवृद्धि के पुनीत कार्य में अपनी सम्पूर्ण क्षमता, लगन, ईमानदारी एवं निष्ठा से कार्यरत है।

आम अभिभावक की सहभागिता एवं एक विशिष्ट कार्य संस्कृति के सहारे विकास खण्ड गढ़ी के शैक्षिक परिदृश्य में सुधार के हर संभव प्रयास में संलग्न हम कार्मिक राज्य सरकार द्वारा लोक जुम्बिश के स्थान पर डी.पी.ई.पी. लागू करने के आशय की खबरों से स्वयं को असुरक्षित पा रहे हैं।

सबके लिये शिक्षा के महत् लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार पूर्णतया गंभीर एवं प्रतिबद्ध है। आप श्रीमान् से उसी परिपेक्ष्य में लोक जुम्बिश द्वारा अब तक किये प्रयासों व उपलब्धियों की समीक्षा के उपरान्त निर्णय लेने की अपेक्षा एवं विश्वास के साथ यह प्रेषित है।

उन 5–6 वर्षो में (सबके लिए शिक्षा) के लक्ष्य हेतु कार्य करते हुए क्षेत्र के विकास, महिलाओं की स्थिति में बदलाव बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, छोटे बालकों के शैक्षणिक भविष्य एवं कामकाजी बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने आदि के संदर्भ में शिक्षा की आवश्यकता एवं महता के आत्मसात किया है। क्षेत्र के अभिभावकों, शिक्षकों, प्रबुद्ध नागरिकों, शिक्षक संघों व विभागीय अधिकारियों के सहयोग व समर्थन से शैक्षिक स्थितियों में बदलाव के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं संतुष्टि हासिल की हैं, आम आदमी की आवश्यकताओं के प्राथमिकता क्रम में 'शिक्षा' को एक उचित एवं जरूरी स्थान दिलाने तथा अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी का भाव भरने में एक हद तक सफल हुए हैं ।

अब तक के प्रयासों के परिणाम सामने आने का अब समय आया है। इन परिस्थितियों में परियोजना के निरंतर न रहने पर अब तक के प्रयासों को वास्तविक उपलब्धि तक पहुंचाने से पूर्व समाप्त करने जैसा होगा।

उसके अतिरिक्त परियोजना के तहत कार्य कर रहे कार्मिकों में अधिकांश 'अनुबन्ध' पर कार्यरत है। विषम आर्थिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोगों का एक मात्र सहारा परियोजना ही है। परियोजना के निरन्तर रहने की स्थिति में घोर संकटों का

सामना करना पड़ेगा।

परियोजना के तहत चल रहे सहज शिक्षा कार्यक्रम में मानदेय आधारित सेवाएँ देने वाले अधिकांश अनुदेशक/अनुदेशिकाएं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग से हैं। परियोजना के निरन्तर न रहने की स्थिति से बहुत मुश्किल से जुड़े उन कामकाजी बच्चों की शिक्षा का रास्ता अवरुद्ध हो जायेगा तथा अनुदेशकों को मिलने वाली मदद भी समाप्त हो जायेगी। उनकी संख्या लगभग 260 है। अत्यन्त विफलता में रह रहे इन अनुदेशकों का भविष्य एवं उनके माध्यम से पढ़ रहे कामकाजी बच्चों का शैक्षणिक भविष्य भी परियोजना के निरन्तर रहने पर ही निर्भर है।

क्षेत्र के शैक्षिक परिदृश्य में आये बदलाव एवं सुधार की निरन्तरता तथा कार्मिकों के भविष्य को दृष्टिगत रख आप श्रीमान् से लोक जुम्बिश परियोजना को निरन्तर रखने हेतु सादर निवेदन है।

आपके सबल, सक्षम, गंभीर एवं संवेदनशील नेतृत्व में राज्य सरकार परियोजना के भविष्य के निर्णय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निवेदन है।

## {श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)}

**विषय : उपनिवेशन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।**

मान्यवर, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान निम्न समस्याओं के समाधान हेतु आकर्षित करता हूं।

(1) वर्ष 1981 से 1987 के दौरान विशेष आवंटन में बिना गजट में प्रकाशित किये संबंधित ए.सी.सी. द्वारा खाजूवाला, छतरगढ़ आदि तहसीलों में भूमि आवंटित की गई। ऐसे मामलों के निपटारा हेतु व्यावहारिक नीति अपनाकर समाधान किया जावें।

(2) पूंगल तहसील के मूल निवासियों को ए.सी.सी. छतरगढ़ द्वारा उनकी वन विभाग में आयी भूमि के बदले में जो भूमि आवंटित की गई थी उपनिवेश विभाग ऐसे मामलों मे बोर्ड आफ रेवेन्यू में रेफरेन्स करके भू–आवंटन निरस्त करवाने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है। इस पर पुनर्विचार करके ही मूल निवासियों को ही आवंटन किया

जावे, इसके बदले में मूल निवासियों से सामान्य दरों पर किस्तों में ली जाकर नियमन की जावें।

(3) एम.एफ.एफ.आर. विस्थापितों की अनेक लम्बित समस्याएं जैसे–वंचित विस्थापितों के आवंटन संबंधी मामले के निस्तारण आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के स्तर पर शीघ्र की जावे। विस्थापितों को उनके द्वारा इच्छित भूमि आवटंन छूट की जावे। सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर ही आवंटन हेतु मजबूर न किया जावें। वन विभाग को आवंटित भूमि जिसको दोनों विभागों के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् चिन्हित करके भूमि आवंटन को राजस्व रिकार्ड में संबंधित काश्तकार को खातेदार अंकित किया जावे। ताकि समस्या का समाधान हो सके।

मैं राजस्व मंत्री का पुनः ध्यान आकर्षित करके इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की अपेक्षा करता हूं।

---

## {श्री रमजान खान (पुष्कर)}

**विषय : अधिशासी अधिकारी, नगर- पालिका, पुष्कर को भेजने हेतु नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।**

महोदय, निवेदन है कि श्री संजित मंत्री सन् 1992 से 1994 तक नगर पालिका पुष्कर में अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। श्री संजित मंत्री के कार्यकाल में पुष्कर के पवित्र घाट तथा परिक्रमा मार्ग पर जिसका खसरा नं. –1291 रकबा 0–8–0 बिस्वा तथा खसरा नं. –1293 रकबा 0–1–0 बिस्वा भूमि किस्म सवाई चक पर अतिक्रमियों से मिलीभगत कर नगर पालिका से उनके होटल बनाने के नक्शे पास करवा दिये। यह एक भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण था इसकी शिकायत राज्य सरकार को, की सरकार ने जांच, आदेश दिये। जांच में श्री संजित मंत्री अधिशासी अधिकारी तथा 4 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ए.सी.डी. द्वारा जांच करवाकर न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। जिसका मुकदमा नम्बर 168/94 है तथा श्री संजिव, अधिशासी अधिकारी को अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया और उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू की गई जो कि अभी तक विचाराधीन है तथा न्यायालय में भी चार्जशीट नम्बर 30 दिनांक 15–3–96 को प्रस्तुत कर दिया गया हे जो विचाराधीन हैं।

इन अभियुक्तों के विरुद्ध 5(1)(डी)(2) पी.सी. एक्ट 1947 13(1)(डी)(2) पी.सी. एक्ट

1988 एवं धारा 467, 468, 471, 420, 120 बी. भा. द.स. के अन्तर्गत विचाराधीन है।

इन सभी परिस्थितियों को वर्तमान सरकार ने नजरअंदाज कर श्री संजित मंत्री अधिशासी अधिकारियों को पुनः नगर पालिका पुष्कर में ही पदस्थापित कर दिया है। श्री संजित मंत्री के पुनः नगर पालिका में आने पर गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है, और उनसे अपने पक्ष में गवाही दिलवाई जा रही है।

इस स्थानान्तरण प्रकरण में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पुष्कर नगर धार्मिक स्थल है। घाटों एवं प्रक्रिया मार्ग का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी का पुनः पुष्कर में आने पर जनता में भारी असंतोष फैला हुआ है। ए.सी.डी. के द्वारा प्रस्तुत मुकदमा न्यायालय मे चल रहा है, ऐसी स्थिति में इस अधिकारी को तत्काल नगर पालिका पुष्कर से हटाकर अन्यत्र भेजने की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें।

---

## {श्री अमराराम (धोद)}

**विषय : नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं के विषय में विशेष उल्लेख।**

महोदय, उपरोक्त नियम के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय से सम्बद्ध निम्नलिखित पक्षों पर उत्तर एवं संबंधित चर्चा की अपेक्षा हेतु प्रतिवेदन विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है:

(1) पत्र क्रमांक एफ 35–317/पी.पी./ 97/4544 दिनांक 4.02.97 के अन्तर्गत पुस्तकालय को 30 लाख रुपये का अनुदान दिया गया जिसे 31.03.97 तक व्यय किया जाना था। कृपया बताया जाए कि (ए) किस प्रकृति की (संदर्भ पुस्तकें, विषय वस्तु केन्द्रित पुस्तकें, रेफरेंस एण्ड टैक्स्ट बुक्स) पुस्तकें किन– किन विषयों की किन पुस्तक व्यवसायियों के माध्यम से खरीदी गई ? (ब) क्या पुस्तकों की खरीद का सुझाव विषय के सम्बद्ध शिक्षकों/विभागाध्यक्ष से लेना अनिवार्य है ? (स) पुस्तकालय मे कौन कौन से उपकरण खरीदे गये (द) डेटा एन्ट्री कनवर्जन के आधुनिकीकरण हेतु क्या प्रयास हुए, ये प्रशिक्षण कहां दिये गये एवं उन पर कितना व्यय हुआ, (एफ) क्या अनुदान राशि में से एक मांग को पुस्तकालय कर्मियों के मध्य वितरित किया गया, यदि हां तो वह राशि कितनी थी एवं कितने पुस्तकालय कर्मियों में वितरित हुई ?

(2) पत्र क्रमांक एफ 35–317/पी.पी./ 97/2128 दिनांक 30 सितम्बर/3 अक्टूबर, 1997 के अन्तर्गत पुस्तकालय को 50 लाख एवं 20 लाख रुपये का अनुदान दिया गया जिसे 30.9.97 तक प्रयुक्त किया जाना था। 50 लाख रु. का अनुदान कम्प्यूटीकरण इन्टरनेट इत्यादि आधुनिक संचार सुविधाओं को पुस्तकालय में विकसित करने से सम्बद्ध था तथा 20 लाख पुस्तकों की खरीद से सम्बद्ध था। इस राशि का उपयोग किस रूप में हुआ ? (1) पुस्तकालय में 50 लाख रुपये में कौन–सी सुविधाएं विकसित की गयी ? (2) इन सुविधाओं को किस फर्म के माध्यम से विकसित किया गया तथा (3) पुस्तकों के अनुदान की राशि से संकाय वार कितनी पुस्तकों को खरीदा गया तथा किन–किन पुस्तक प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रेता से कितनी राशि की पुस्तकों का क्रय हुआ ?

(3) केन्द्रीय पुस्तकालय में विद्यार्थी व शिक्षकों के उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण रेफरेंस विभाग तथा बच्चों के उपयोग का बाल पुस्तकालय क्यों बन्द किया गया।

(4) पुस्तकालय में (स्टोक टेकिंग) स्टॉक टेकिंग किन वर्षो में हुई ? इस प्रक्रिया से सम्बद्ध प्रतिवेदनों के विषय में क्या कार्यवाही की गयी तथा वर्तमान में स्टाक टेकिंग की क्या स्थिति है ?

(5) पुस्तकालय से सम्बद्ध एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम इन्डैक्स इंडिया को क्यों बन्द किया गया, यह किस वर्ष में बन्द किया गया, इससे सम्बद्ध विभिन्न पदों सम्पादकों, सहायक सम्पादक इत्यादि की वर्तमान में क्या स्थिति है, इस. कार्यक्रम से सम्बद्ध पदों की संख्या कितनी थी ? इस कार्यक्रम से सम्बद्ध प्रिंटिगं प्रेस का क्या हुआ ?

(6) केन्द्रीय पुस्तकालय में निदेशक की स्थायी नियुक्ति किस वर्ष से नहीं है ? इस नियुक्ति को न किये जाने के क्या कारण है ? क्या इस नियुक्ति को करने की वर्तमान विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई मंशा है ?

(7) केन्द्रीय पुस्तकालय में 1990 के उपरान्त कौन–कौन सी शोध पत्रिकाओं समाचार पत्र, जर्नल्स एवं साप्ताहिक/पाक्षिक पत्रिकाएं को बन्द किया गया ? उनमें से कौन–कौन से पत्र/पत्रिकाएं/ जर्नल्स/शोध पत्रिकायें राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय प्रकृति की हैं ? इन पत्र/पत्रिकाओं के बन्द करने के कारण क्या है ? वर्तमान में कौन–कौन से पत्र/पत्रिकाऐ/शोध पत्रिकाऐ साप्ताहिक पत्र पुस्तकालय में आते हैं, भाषा व विषयवार सूची दें। चूंकि ये समस्त प्रश्न विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय, जो शिक्षक व

विद्यार्थी के ज्ञान की प्राप्ति का केन्द्र है, की कार्यप्रणाली से सम्बद्ध है व राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का संकेतक है, अतः इन प्रश्नों के तथ्यपरक उत्तर पटल पर विचार हेतु प्रस्तुत किये जावे।

(8) पुस्तकालय में शोध छात्रों/शिक्षकों के अध्ययन हेतु निर्मित किये गये अध्ययन हाल में वर्तमान में कितने शोध छात्र एवं शिक्षक पंजीकृत हैं अथवा उन्हें स्थान अध्ययन हेतु आवंटित किये गये है ?

(9) पानी के रिसाव से खराब हुई दुर्लभ पुस्तकों की संख्या कितनी है एवं इन खराब पुस्तकों को बचाने हेतु क्या प्रयास किये गये ?

(10)राजस्थान विश्वविद्यालय संघटक महाराजा, महारानी एवं अन्य महाविद्यालयों के पुस्तकालयों की क्या स्थिति है ?

---

## {श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)}

**विषय : छबड़ा पंचायत समिति में स्वीकृत सड़क के निर्माण हेतु नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।**

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा पंचायत समिति में डांग योजना के अर्न्तगत भुवा खेड़ी से कोटड़ा पार सड़क पर दो वर्ष पूर्व 10 लाख रुपये की 5 किलोमीटर की स्वीकृती हुई थी यह कार्य कोटड़ा पार पंचायत द्वारा करवाया जाना था परन्तु प्रधान ने अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए भुवा खेड़ी पंचायत को इस सड़क के निर्माण का कार्य दे दिया। भुवा खेड़ी पंचायत की सरपंच अनुसूचित जन जाति की अनपढ़ महिला है । प्रधान द्वारा सरपंच पर दवाब दिया कि यह कार्य मुझे ही करवाना है। इस प्रकार मात्र भुवाखेड़ी पंचायत के नाम मस्टररोल जारी करवाई गयी एवं पांच लाख रुपये का चैक भुवाखेड़ी पंचायत के नाम फरवरी, 99 में पंचायत समिति द्वारा जारी किया गया। प्रधान ने सरपंच और ग्राम सेवक पर दबाव डालकर भुवाखेड़ी पंचायत के खाते से पांच लाख रुपये निकलवाये। पुनः विकास अधिकारी पर दबाव देकर 4 लाख का चैक 11 मार्च, 1999 को बनवा लिया दिनांक 22 मार्च, 1999 को उपकोष छबड़ा से स्वयं प्रधान चैक अपने हस्ताक्षरों से जाकर पंचायत खाता भुवाखेड़ी में 24 मार्च, 1999 को जमा करा दिया और उसी दिनांक को सरपंच एवं ग्राम सेवक से दबाव देकर 3 लाख रुपये की राशी बैंक से निकलवायी कुल 8 लाख में से मात्र मौके पर 4.25 लाख का कार्य का मूल्यांकन कनिष्ठ

अभियन्ता द्वारा किया गया। यह प्रकरण उस समय आया जब बुआखेड़ी सरपंच और ग्राम सेवक ने कार्यवाहक विकास अधिकारी (उप जिला कलेक्टर छबड़ा) को लिखित में प्रधान की इस सम्बन्ध में लिखित शिकायत की, इस शिकायत का प्रकाशन समाचार –पत्रों में भी हुआ।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि सरकारी राशि के दुरुपयोग की जांच उच्च अधिकारी से करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायें।

---

## {डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली)}

**विषय : उप-जिला मुख्यालय, कोटपूतली को जिला घोषित किए जाने के संदर्भ में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।**

महोदय, कोटपूतली क्षेत्र को जिला घोषित किए जाने की मांग बहुत ही पुरानी है तथा यहां जनता इस हेतु हमेशा से संघर्षरत है। अभी भी जनता में काफी असंतोष है तथा आंदोलन करने को उद्धत है। राजस्थान निर्माण के समय खेतड़ी राज्य के इस निजामत मुख्यालय को उप–खण्ड का मुख्यालय बनाया गया। इसके पश्चात् 'हरिशचन्द्र माथुर आयोग' ने माननीय माथुर साहब के मुख्यमंत्रित्व काल में भी कोटपूतली को जिला बनाए जाने की सिफारिश की थी।

अब कोटपूतली अतिरिक्त कलेक्टर का मुख्यालय है। यहां अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस, जिला परिवहन कार्यालय तथा राज्यपथ परिवहन आगार कार्यालय भी चल रहे हैं लेकिन कोटपूतली जनता की चिरप्रतीक्षित जिला बनाए जाने की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है।

कोटपूतली को जिला घोषित किए जाने के निम्न आधार हैं :–

1. कोटपूतली भोगौलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है।
2. जयपुर राजस्थान की राजधानी होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से जिलाधीश पर अत्यधिक दबाव है। दौसा अलग जिला बन जाने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में एक और इकाई खासतौर पर उत्तरी भाग से बनाए जाने की आवश्यकता है।
3. कोटपूतली क्षेत्र की सीमा हरियाणा प्रदेश से मिलती है तथा दिल्ली–जयपुर राजमार्ग पर स्थित होने से अधिक संवेदनशील है।

4. उत्तरप्रदेश–बिहार से अधिकांश क्राइम उपरोक्त मार्ग से राज्य में प्रवेश करते हैं। अतः इस सीमावर्ती क्षेत्र का प्रशासन अधिक सुदृढ़ तथा सजग होना आवश्यक है जो जयपुर में रहकर संभव नहीं है।

5. कोटपूतली उप–खण्ड में बहरोड़, बानसूर तथा पाटन क्षेत्र मिलाकर एक सुदृढ़ व सक्षम जिला इकाई बनाई जा सकती है।

6. कोटपूतली उपखण्ड में कोटपूतली का राजस्व भी सर्वाधिक है। ज्ञात हुआ है कि राजनैतिक आधार पर जिला कलक्टर, शाहपुरा जो कल तक तहसील मुख्यालय भी नहीं था पर बिठाए जाने की कोशिश की जा रही है जिससे कोटपूतली की जनता में अत्यधिक रोष है । ऐसी स्थिति में कोटपूतली की जनता हरसंभव संघर्ष करेगी।

अतः मैं क्षेत्रीय जनता की चिंता को सदन में व्यक्त करते हुए सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह कोटपूतली को शीघ्र जिला घोषित कर जन आकाक्षाओं की पूर्ति करे।

---

## {श्री हरिश चन्द (नावां)}

**विषय : जिला नागौर तहसील नावां की ग्राम पंचायत लूणवा मूंडविसोई, जाब्तीनगर की परिवहन समस्या के संबंध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।**

महोदय, जिला नागौर तहसील नांवा ग्राम पंचायत लूणवा मुडविसोई जाब्ती नगर के ग्राम राज्य राज मार्ग संख्या–2 व 2 (ए) पर आते हैं । उक्त मार्ग को नांवा सिटी से जयपुर वाया लूणवा जोबनेर सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया हुआ है और उक्त मार्ग पर निगम की बसें ही संचालित हो सकती है। प्राइवेट वाहन को उक्त मार्ग पर परमिट नहीं दिये जाते हैं। उक्त मार्ग पर निगम द्वारा मात्र 4 बसें ही संचालित हैं जो भी नियमित नहीं आ पाती है क्योंकि इन बसों को या तो करटेल कर दिया जाता है या फिर ऐसा वाहन भेजा जाता है जो रास्ते में ब्रेक डाउन होकर खड़ा हो जाता है जिससे जयपुर से जांखली बस सेवा जो आजकल जयपुर से जांखली के बजाय मकराना तक ही सीमित है। गत 6 माह में बहुत बार लगातार ब्रेक डाउन हुई है या फिर करटेल कर दी गई है।

नावां कसटी से जयपुर वाया लूणवा जोबनेर बजाय सांभर बिचूण के 25 किलो मीटर

मार्ग कम पड़ता है ग्राम लूणवा में बहुप्रसिद्ध 'जैन अतिशय क्षेत्र' तीर्थ स्थल स्थित है, जहां पर देश के हर कोने से काफी यात्रीगण दर्शनार्थ आते हैं। लेकिन परिवहन सुविधा के अभाव में यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है। साथ ही इन पंचायतों व आस—पास के काफी गांवों की आम जनता को जिला मुख्यालय नागौर अतिरिक्त जिला मुख्यालय डीडवाना, उपखण्ड परबतसर सिविल कोर्ट्स मेड़ता, परबतसर के लिये व औद्योगिक क्षेत्र राजास नांवा को दैनिक मजदूरी पर आने वाले महिला, मजदूरों, छात्र—छात्राओं एवं व्यवसायियों को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। व मजबूरीवश अवैध वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। जिससे अवैध वाहन वालों द्वारा मनचाहा किराया वसूल किया जाता है व दुर्घटना जैसी आशंकाएं बनी रहती हैं।

यदि नांवा सिटी से जयपुर वाया सांभर बिचून के उच्च वाहन, जैसे फलोदी से जयपुर फलौदी आगार की जो वाहन सवेरे आठ बजे प्रस्थान करती है एवं अजमेर आगार की अजमेर मकराना से दिल्ली जो वाहन मकराना से शाम 7.30 बजे प्रस्थान करती है को वाया लूणवा भादवा जोबनेर जयपुर कर दिया जावें एवं जयपुर से कुचामन मिंडा जो वाहन कुचामन से शाम 5 बजे मिंडा के लिए वाया मारोठ, सिद्धपुरा, देवली प्रस्थान करती है को कुचामन वाया सोहराण लूणवा, मुडविसोई, देवली मिंडा, कर दिया जावे तो इस क्षेत्र के मजदूर आदि सभी को वाहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी क्योंकि उक्त वाहन के साथ अजमेर से शिंभूपुरा जो बस संचालित है नांवा सिटी से शिंभूपुरा तक एक साथ ही प्रस्थान करती है। जबकि शिंभूपुरा से अगला स्टैण्ड देवली मिंडा वाया मुंडविसोई से जुड़ जाते हैं साथ ही ग्राम पंचायत मुख्यालय मुडविसोई भी परिवहन सेवा से जुड़ जायेगा।

ग्राम लोहराना के पास राजमार्ग संख्या—2 व 2 (ए) का चौराहा लगता है वहां पर निगम/विभाग द्वारा सभी द्रुतगामी वाहनों का स्टैण्ड घोषित किया गया है। लेकिन परिचालकों व बुकिंग प्रभारियों द्वारा उक्त स्टैण्ड के लिए टिकट जारी नहीं किये जाते हैं और न ही बसे रोकी जाती है और लगातार अधिकारियों के आदेशों का उल्लघंन किया जा रहा है लोहराना से काफी यात्री व जैन मन्दिर दर्शानार्थी लम्बी सफर करते हैं जिन्हें मजबूरन अवैध वाहनों का सहारा लेना पड़ता है और काफी परेशानी भी होती है। अतः मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इसका निराकरण शीघ्र कराया जावे।

---

## {श्री राजेन्द्र राठौड़(चूरू)}

**विषय : चूरू विधान सभा क्षेत्र के विकास कार्यो हेतु 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।**

महोदय, चूरू विधान सभा के पूर्व में स्वीकृत विकास कार्यो को राजनैतिक आधार पर बन्द कराया जा रहा है। पिछले बजट 1998–99 को राज्य सरकार ने चूरू तहसील के ग्राम आसलखेड़ी में आयुर्वेद चिकित्सालय स्वीकृत किया था, जिसकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी थी। राज्य सरकार ने आवश्यक स्टाफ़ को भी पदस्थापित कर दिया था उसके पश्चात् 15 अप्रेल, 1999 को अचानक निदेशक, आयुर्वेद ने दूरभाष पर संदेश देकर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय आसलखेड़ी को तुरन्त बन्द करने के नादिरशाही आदेश दिये जो सर्वथा अनुचित है।

इसी प्रकार पिछली सरकार ने चूरू तहसील के गांव भामासी में पशु चिकित्सालय स्वीकृत किया था, प्राथमिक व वित्तीय स्वीकृति निकल जाने के पश्चात भी विभागीय अधिकारी द्वारा मौखिक संदेश देकर वहां किसी भी स्टाफ को पदस्थापित करने से मना कर दिया गया है। इसी प्रकार से राज्य सरकार से बार–बार आग्रह करने पर पिछले विधान सभा सत्र में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के पश्चात् भी चूरू जिला मुख्यालय की स्वीकृत ड्रेनेज योजना पर काम बंद कर दिया गया है। हुडको ने इस योजना के अंतर्गत नगर पालिका चूरू को 2 करोड़ 67 लाख रुपये का ऋण पूर्व से स्वीकृत किया था तथा ऋण की पहली किश्त भी हुडको ने नगर पालिका चूरू को दे दी है। उसके पश्चात् भी काम प्रारम्भ नहीं होना सरकार की ओछी मानसिकता को प्रकट करता है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी पूर्व में स्वीकृत संपर्क सड़क ढ़ाणी डूंगरसिंहपुरा व संपर्क सड़क हनुमानगढी जिनकी निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं का काम भी जानबूझकर प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध है कि उदारमना का परिचय देकर राजनैतिक आधार पर विकास कार्य में की जा रही रुकावट को तत्काल दूर करने के निर्देश देवें।

---

## {श्री मांगीलाल गरासिया(गोगुन्दा)}

**विषय : उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा स्टाफ लगाने हेतु नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।**

मान्यवर, निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पंचायत रावछ में उप स्वास्थ्य

केन्द्र भवन दो वर्ष पूर्व तैयार कर दिया परन्तु पंचायत मुख्यालय होते हुए भी चिकित्सा स्टाफ नहीं लगाया गया तथा पंचायत मुख्यालय पाटिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। इसे बनवाये जाने की स्वीकृति प्रदान करावे। साथ ही चित्रावास पंचायत मुख्यालय जो 15 किलोमीटर दूर–दराज का सम्पूर्ण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस पंचायत के आस–पास न तो कोई एडपोस्ट है और न ही कोई पी.एच.सी. है। कृपया इस प्रकार दूर–दराज आदिवासी अंचल में एडपोस्ट चित्रावास में स्वीकृति प्रदान करावें।

अतः मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के उपर्युक्त लिखित पंचायतों की समस्या की ओर आकर्षित कर तत्काल समस्या समाधान में आपकी अहम् भूमिका एवं महती कृपा के साथ।

धन्यवाद।

---

**{श्री निहाल चन्द चौहान**(रायसिंह नगर)}

**विषय : नियम 295 के अन्तर्गत लखा व हरिपुरा 15 एन.पी.माइनर को पूरा करने के सन्दर्भ में विशेष उल्लेख।**

महोदय, श्री गंगानगर जिले का रायसिंह नगर क्षेत्र बिलकुल पाक सीमा पर स्थित है यहां के लोग कृषि पर निर्भर है, बोर्डर एरिया की जमीन पूरी अनकामण्ड है। 1984 में तत्कालीन मुख्य अभियन्ता हनुमानगढ़ ने रायसिंहनगर के लखा माइनर की सर्वे कराई थी। जो पूरी की पूरी जमीन कमाण्ड पाई गयी पर पानी भूमि तक नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, सरकार से आग्रह है कि 1984 के सर्वे के मुताबिक लखा माइनर को तुरन्त पूरा कर पानी चालू कराया जावे इसके साथ ही इसी क्षेत्र के गंग कैनाल का हरिपुरा (15 एन.पी.) माइनर भी पूरा नहीं किया जिससे किसान बर्बाद हो रहा है कृपया इस हरिपुरा माइनर को भी पूरा करावे ताकि किसान बच सके यह पूरा क्षेत्र कृषि पर निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि लखा माइनर व हरिपुरा माइनर तुरन्त पुरा कराकर पानी शीघ्र चालू करावें, कृपा होगी।

---

## {श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा)}

**विषय : नियम 295 के अन्तर्गत बिसलपुर परियोजना केचमैन्ट को नये बांध, तालाब, एनीकट के निर्माण रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।**

मान्यवर, उपरोक्त विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि बिसलपुर परियोजना के केचमेन्ट के अन्तर्गत आने की वजह से चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों में बांध, तालाब व एनिकट निर्माण नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से दोनों जिलो के किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी हैं। पहले हीं सिंचाई के साधनों की कमी है पिछली भाजपा सरकार ने बिसलपुर केचमेन्ट में 2 मीटर तक की ऊंचाई के एनीकट बनाये जाने का निर्णय किया था उससे काफी एनीकट सिंचाई विभाग के माध्यम से बने उससे काफी राहत मिली किन्तु कई स्थानों पर इससे अधिक ऊंचाई के एनीकट बनाने की आवश्यकता हैं। पिछली सरकार ने सांकल खेड़ा बान्ध जैसी कुछ योजनाओं की भी स्वीकृति दी थी। किन्तु उनका कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, उन्हें भी शुरू करवाया जाये।

इसी तरह बिसलपुर केचमेन्ट में सिंचाई विभाग द्वारा इंगित योजनाऐं हैं जो निम्न प्रकार हैं :

बिसलपुर केचमेन्ट में बांध/तालाब

| | |
|---|---|
| 1. रेन का नाका निम्बाहेड़ा | 2. यावलिया बांध निम्बाहेड़ा |
| 3. इन्द्र सागर छोटी सादड़ी | 4. पन्डेरिया बांध छोटी सादड़ी |
| 5. भैरूघाटी नाला भदेसर | 6. भाना खेड़ी डुंगला |
| 7. पिण्ड बांध डुंगला | 8. गुमेर चित्तौड़गढ़ |
| 9. लेघा चित्तौड़गढ़ | 10. सामरा नाला चित्तौड़गढ़ |
| 11. बुजन्डा बेगूं | 12. मैनाती सामरिया बेगूं |
| 13. सगेसरा बांध डुंगला | 14. बड़गांव फीडर कपासन |
| 15. वामनिया पिकअप वियर रेलमगरा | 16. शिवना बांध प्रतापगढ़ |
| 17. चाचा खेड़ी प्रतापगढ़ | 18. हजमा रेकड़ी प्रतापगढ़ |
| 19. बजरंग गढ़ प्रतापगढ़ | 20. मचलाना प्रतापगढ़ |

इसी प्रकार चित्तौडगढ़ में अन्य कई योजनाएं भी हैं भीलवाड़ा जिले में भी काफी योजनाएं हैं इन सभी योजनाओं को बिसलपुर केचमेन्ट में स्थित होने की रोक से शिथिलता राज्य सरकार प्रदान करें ताकि किसानों को राहत मिल सकें।

---

## {श्री श्रवण कुमार (पिलानी)}

**विषय : विभिन्न वस्तुओं को कर मुक्त करने हेतु 295 के तहत विशेष उल्लेख।**

महोदय, राजस्थान में पहले 100/– रुपये तक की रबड़ की चप्पलं कर मुक्त थी। नये 1999–2000 के बजट में इन पर 10 प्रतिशत बिक्री कर लगा दिया गया है जो गरीब जनता पर भारी बोझ है। गांवों के गरीब लोग रबड़ की दस–बीस रुपयों की चप्पल पहिनकर अपना काम चलाते हैं, इस पर 10 प्रतिशत कर लगाने से उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

श्रीमान्, जहां तक अन्य पड़ौसी राज्यों की स्थिति है वहां पर इन चप्पलों पर कर है ही नहीं अथवा बहुत ही कम है। उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश में 100/–रुपये तक के जूते चप्पल कर मुक्त है एवं इससे अधिक पर 4 प्रतिशत कर है। हरियाणा में सभी प्रकार के जूते चप्पलों पर केवल 3 प्रतिशत कर है। देहली में 200/– रुपये तक के जूते चप्पलों पर 3 प्रतिशत कर देय इससे अधिक पर 4 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रतिशत कर है। गुजरात में 150/– तक जूते चप्पलों पर कोई कर देय नहीं है एवं इससे ऊपर 6 प्रतिशत कर देय है पंजाब में मात्र 4 प्रतिशत कर है।

इस प्रकार समस्त पड़ौसी राज्यों में गरीब लोगों की स्थिति का ध्यान रखते हुए इन पर कर राजस्थान से बहुत ही कम है। इससे राज्य के इस उद्योग पर विपरीत प्रभाव तो पड़ेगा ही, साथ ही गरीब लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।

अतः मेरा निवेदन है कि राजस्थान में भी 100/–रुपये तक के जूते चप्पलों को कर मुक्त करने का कष्ट करें। यदि यह संभव नहीं हो तो कम से कम 100/–रुपये तक की रबड़ की चप्पलों को जो कि गरीब लोगों के पहिनने के काम आती है उसको अवश्य ही कर मुक्त करने का कष्ट करें।

---

## {श्री भंवरू खान (फतेहपुर)}

**विषय : विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।**

मान्यवर, कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर, जिला सीकर में नारसरा बांगेद गांव है। जहां

नारसरा का पीने का पानी इतरा खराब है कि वहां प्रत्येक व्यक्ति की हालत खराब है। गांव में 30 वर्ष की आयु में दांत गिरना, घुटने—जोड़ों में दर्द होना, शरीर सिकुड जाना, कमजोर होना आम बीमारी है। ग्राम के व्यक्तियों ने पानी चैक करवाने पर बताया कि अगर यही पानी पीते रहे तो आगे और स्वास्थ्य खराब होगा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वहां अन्य जगह से पानी की व्यवस्था करें नहीं तो वो लोग पूरा गांव खाली करके अन्य जगह शरण लेने के लिए विवश हो रहे हैं।

मैं, आपके माध्यम से जलदाय मंत्री जी, का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस नारसरा गांव की जनता के भविष्य के लिए मानासी गांव से पानी की स्कीम बनाकर नासरा पानी पहुंचायें। मानासी व नारसरा के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है। पाइप लाइन से पानी पहुंचाया जा सकता है।,

अतः मैं चाहूंगा कि गांव की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार शीघ्र ठोस कदम उठाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

---

## {डा. करण सिंह यादव (बहरोड़)}

**विषय : नियम 295 के अन्तर्गत बहरोड़ तहसील के ग्राम सिमला-शामपुर स्थित मोलेसस से स्प्रीट बनाने वाली 'ग्लोबस एग्रोनीकस' से होने वाली भयावह प्रदूषण से आस-पास के गांवों में होने वाली भयावह स्थिति के बारे में विशेष उल्लेख।**

महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निम्न प्रकार निवेदन करना चाहता हूं :

बहरोड तहसील के ग्राम सिमला—शामपुर में स्थित ग्लोबस एग्रोनीकस नामक फैक्ट्री मोलेसस द्वारा स्प्रीट का उत्पादन करती है।

इस संयंत्र द्वारा इस क्षेत्र में गंभीर प्रदूषण की समस्या है। इस फैक्ट्री से लगभग 90 किलोमीटर के रेडियस में स्थित ग्रामवासियों का जीवन बदबू व दुर्गन्ध से भरा है। नेशनल हाईवे से बहरोड के 7—8 किलोमीटर पास से गुजरते हुए हर यात्री को भरे हुए पशुओं से होने वाली सड़ान्ध का सामना करना पड़ता है। आस—पास के ग्रामवासियों का जीवन नारकीय हो गया है। जिन्हें हर वक्त बदबू भरे वातावरण में रहना पड़ता है।

इन गांवों में मक्खियां भिनभिनाती रहती है तथा इस वजह से संक्रामक बीमारियां होने का खतरा है। गांव के लोगों ने गत दिनों में इस फैक्ट्री के पास प्रदर्शन व धरने किये है। यदि समय रहते इस फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से परेशान लोग जन आन्दोलन कर सकते हैं।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री जी का ध्यान इस गंभीर समस्या के निराकरण के लिए दिलाना चाहता हूं।

---

## {**श्री ज्ञान चन्द पारख** (पाली)}

**विषय : विधान सभा क्षेत्र पाली में चिकित्सा सुविधाओं हेतु नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।**

मान्यवर, मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से पाली विधान सभा क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकताओं की और ध्यान दिलाना चाहता हूं।

1. पाली जिला मुख्यालय में बांगड़ चिकित्सालय में अस्थि रोग विभाग में मात्र एक वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं एक कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद स्वीकृत है। पाली जिले में करीब 190 किलोमीटर लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग है, रोज़ 3–4 दुर्घटनाएं होती है जिन्हें बांगड़ चिकित्सालय में चिकित्सा हेतु लाया जाता है। अन्य कार्य भी काफी है। मात्र दो विशेषज्ञ होने के कारण मरीजों की समुचित देखभाल नहीं हो पाती जिसके कारण अच्छे चिकित्सक होने के बावजूद भी जनता में आक्रोश रहता है। अतः एक कनिष्ठ विशेषज्ञ अस्थि रोग का पद और सृजित किया जावें।
2. पाली शहर की हाउसिंग बोर्ड की सिटी डिस्पेन्सरी में चिकित्सक का मात्र एक ही पद है यह डिस्पेन्सरी मुख्य चिकित्सालय से करीब 5–7 किलोमीटर की दूरी पर है अतः एक महिला चिकित्सक का पद हाउसिंग बोर्ड डिस्पेन्सरी में स्वीकृत किया जावें।
3. रोहट पंचायत समिति की पंचायत मुख्यालय के गांव में अभी मात्र सब सेन्टर है जहां एक ए.एन.एम. ही कार्यरत है कृपया इसे एड पोस्ट में क्रमोन्नत किया जावे।
4. रोहट पंचायत समिति के सबसे बड़े गांव इन्द्रका की ढ़ाणी में किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा नहीं है। आस–पास के पांच किलोमीटर की दूरी पर भी किसी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा नहीं है। अतः एक सब–सेन्टर इस गांव में खोला जावे।

मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि उपरोक्त पद स्वीकृत कराने का श्रम करें।

---

## {श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)}

**विषय : रोटू से घाटीयाद सड़क निर्माण का कार्य बीच में रोकने पर नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।**

महोदय, निवेदन है कि रोटू से घाटीयाद तहसील जायल, जिला नागौर करीब 7 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अकाल राहत के तहत करवाया जा रहा है। यह सड़क रोटू से नाइण्डा तालाब के पूर्व तथा आगे तक बन चुकी है। बीच में इसका निर्माण कार्य कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रोक दिया गया है जिनको सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नामजद भी किया जा चुका है। जो अनावश्यक रूप से सड़क को मोड़ देने के लिए बाध्य कर रहे है। इस सड़क के निर्माण के लिए अधिकृत अधिकारीगण अर्थात तहसीलदार, सहायक अभियन्ता चाहते हैं कि सड़क का निर्माण कार्य सीधे ही किया जाय और अनावश्यक मोड़ नहीं दिया जाय जिससे कि सरकार को भी व्यय के कारण आर्थिक हानि नहीं हो और जन साधारण को लम्बी दूरी तय करने से अनावश्यक समय की बर्बादी नही हो तथा काश्तकारों के खेत की अधिक भूमि सड़क के कारण बेकार नही हो। सड़क में मोड़ देने पर जिन किसानों की भूमि सड़क में आएगी वे खेत में सड़क नहीं बनाने देंगे और सड़क अधूरी ही रह जायेगी।

वर्तमान में जहां सड़क बनाई जा रही है उसमें कोई मोड़ नहीं दिया जाय तो सड़क 550 वर्षों से जहां आम रास्ता था उस पर होकर ही सड़क बनेगी।

अतः निवेदन है कि इस सड़क को आम रास्ते पर ही बनवाया जाए और चिन्हित असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाय ताकि भविष्य में राजकार्य में बाधा न डाले जिससे सीधी सड़क का कार्य पूर्ण हो तथा इस क्षेत्र का विकास हो।

इस विषय पर सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

---

## {श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)}

**विषय : चिड़ावा कृषि उपज मंडी में फर्जी व्यक्ति द्वारा कृषक उपहार योजना का पुरस्कार प्राप्त करने विषयक नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।**

मान्यवर, निवेदन है कि झुंझुनूं जिले में चिड़ावा कृषि उपज मंडी से सरसों का ट्रक

के पद पर कार्यरत है।

इस प्रकार इन अधिकारियों की सेवा शर्तों तथा वेतन की विसंगतियों को तत्काल निराकरण की आवश्यकता है, ताकि विभागीय अधिकारियों के असंतोष को कम किया जा सके।

अतः मैं मा.बाल विकास विभाग की माननीय मंत्री महोदया से मांग करता हूं कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाये तथा अन्य राज्यों के समान वेतनमान दिया जाये और पदोन्नति के सम्बन्ध में शीघ्र नियम बनाकर पदोन्नति दी जाये।

---

## {श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)}

**विषय : हिण्डौन रेलवे फाटक से गऊशाला तक 3 किलोमीटर रोड़ को बनवाने एवं रोड़ के सहारे-सहारे नाली निर्माण कराये जाने हेतु नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।**

मान्यवर, निवेदन है कि हिण्डौन रेलवे फाटक से शहर के बीच होती हुई गऊशाला होकर जो सड़क क्षतिग्रस्त एवं टूटी पड़ी हुई है। जिससे मिट्टी धूल उडने के कारण जन–मानस पर बुरा असर पड़ रहा है। इस 3 किलोमीटर की दूरी में सड़क पर जगह–जगह गड्डे पड़े हुए है तथा आम आदमी पैदल भी नहीं चल सकता है। इस सड़क के ऊपर हजारों ट्रक, ट्रेक्टर, तांगे, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि चलते हैं। काफी समय तक सड़क पर रास्ता हो जाने के कारण घन्टों तक खड़ा रहना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि हिण्डौन रेलवे फाटक से गऊशाला की 3 किलोमीटर सड़क एवं सड़क के सहारे नाली बनाये जाने की कृपा करावें ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

---

## {श्री अमीन खान (शिव)}

**विषय : ग्राम देवीकोट (तहसील फतेहगढ़) में पेड़ लगाने हेतु नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।**

मान्यवर, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जिला–जैसलमेर की तहसील फतेहगढ़ के

ग्राम देवीकोट में सन् 1985 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी व श्रीमती सोनिया गांधी अगस्त माह में पधारे थे। उस वक्त नेशनल हाईवे रोड़ नम्बर– 15 के पास उनके कर कमलों द्वारा एक–एक पेड़ लगवाए गंये थे। एक पीपल व एक नीम जो पिछले वर्षो में वन विभाग व प्रशासन कतई सार–संभाल पानी देना बन्द कर दिया जिससे दोनों पेड़ जलकर 1998 में खत्म हो गए। जिससे आम जनता में भारी असंतोष व्याप्त है, क्योंकि एक भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री के हाथ से लगाया हुआ, को सरकार या विभाग ने जान–बूझकर जलने दिए जो अफसोस है।

अतः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं जिन अधिकारियों की लापरवाही रही उनके खिलाफ कार्यवाही की जावें व उक्त स्थान पर दो नए पेड़ लगाये जावें व वहां पर कोई यादगार स्थान बनाया जावें।

धन्यवाद।

---

## {डा. किरोड़ी लाल (बामनवास)}

**विषय : विधान सभा क्षेत्र, बामनवास में बिजली की समस्या हेतु नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।**

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बोगस इलैक्ट्रिफिकेशन, चोरी किए गये तार, एवं फुंके हुए ट्रांसफर्मर तथा कनैक्शन सम्बन्धी शिकायतें काफी लम्बे समय से उपभोक्ताओं द्वारा विभाग को की जा रही है। पं.स. बौंली के पीलूखेड़ा खुर्द, चकसोमवास, समरतपुरा, धौराला, गोठड़ा एवं थली तथा पं.स. बामनवास की बाढ़ झौंपड़ी, गढी का बैरवा, आबादी की ढ़ाणी आदि गांव बहुत पहले विद्युतीकृत घोषित कर दिये गये, किन्तु विभाग ने अभी तक इन गांवों में लाइन नहीं खींची है। पं.स. बामनवास के ग्राम–गोढ, बाढ सोहन, रामसिंहपुरा, रामपुरा, रामनगर ढोसी, गूजर फोलेता, नांगतलाई, राधेकी, बान्डौर, रामपुरा जाखोलाटा खुर्द तक पलासोट एवं पं.स. बौंली के मांगरौल, गोलपुर, मौहम्मदपुरा, सामौली, रघुपंटी, डूंगरी आदि गांवों की लाइन काफी समय से क्षतिग्रस्त हैं। विभाग ने काफी लम्बा समय गुजर जाने के बाद भी लाइन नहीं खींची है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पं.स.बामनवास के ग्राम फुलवाड़ा, बरनाला से टिगरिया, बैराड़ा, भंवरकी, ब्रिछौच, जाहरा से बडीला, ठीकरिया मीणा, कंकराला, गूजर ठीकरिया एवं पं.स. बौंली के ग्राम जस्टाना, अलूदा, पूनेता, गूगडौद, शीशोलाव, फोलाड़ा

ग्रामकेली, अंगवाड़ा, हरसोता, पुनैता, पीपलदा, आदि गावों में तार चोरी हो जाने के बाद एफ.आई.आर. दर्ज हुए काफी समय गुजर गया है फिर भी विभाग द्वारा लाइन नहीं खींचे जाने से उपभोक्त परेशान हैं। विभाग द्वारा प्रसारित एक सूची में वि.स.क्षेत्र बामनवास के गांवों के तार चोरी की एफ.आई.आर. विभिन्न थानों में दर्ज कराई है। किन्तु लाइन नहीं खींची जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

विद्युत विभाग द्वारा जले ट्रांसफर्मरों को 72 घंटे के अन्दर बदले जाने की घोषणा की पालना नहीं की जा रही है। पं.स. बामनवास एवं बौंली के दर्जनों गांवों के ट्रान्सफार्मर काफी लम्बे अरसे से फुंके पड़े हैं।

पं.स. क्षेत्र बामनवास के ग्राम रामनगर ठोसी, बेरखंड़ी महरावंड, आरपुरा, गोहसि बडीला, मीणाठिकरिया, रामसिंहपुरा, राधेकी, रामसिंहपुरा, माधोपुररिया, सांचोल ठिकरिया, झाडौली, सुकार, टोड़ा, टुंडीला, रानीला, दांतासूती एवं पं.स. बौंली के भैड़ोली, थड़ी, थडौली झनून मांगरौल, शीशोलाव, बपुरई आदि गांवों के मांग–पत्र तथा एल फार्म भी जमा कराये काफी समय गुजर जाने के बाद भी कनैक्शन नहीं दिये जाने के कारण आम जनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कृपया विद्युत सम्बन्धी उल्लेखित समस्याओं का समाधान विशेष अभियान चलाकर करवाया जावे।

---